

विश्वविद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम पाठमाला

संपादन हरगोविन्द पन्त

राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धान्त

लेखक ब्रज मोहन शर्मा, अनाम जैतली

राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर—302004

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
के विश्वविद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम
के अन्तर्गत प्रकाशित श्रृंखला)

शीर्षक राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धान्त
() राजनीति विज्ञान विभाग
(1982) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रथम संस्करण—1982

प्रकाशक राजनीति विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर—302004

विषय सूची

12

क्र० सं०

अध्याय का शीर्षक

पृष्ठ संख्या

	आमुख (सपादकीय)	I, II,
1	राजनीति विज्ञान परिभाषा प्रकृति, स्वरूप व क्षेत्र	1-15
2	राजनीति विज्ञान की प्रमुख अध्ययन पद्धतियां	16 27
3	राजनीति विज्ञान तथा उसके सहयोगी विषय	28 39
4	राजनीति विज्ञान में 'व्यवहारवादी क्रांति'	40-45
5	राज्य की प्रकृति का प्राचीन भारतीय व पश्चिमी सदभ	46-58
6	राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और उसका ऐतिहासिक विकास	59 96
7	राज्य सम्प्रभुता के विविध प्रसंग	97-121
8	राज्य गतिविधियों का सामाजिक सदभ	122-142
9	राज्य प्रकृति के विविध सिद्धांत और समकालीन वास्तविकताएं	143 151
10	लोकतंत्र की अवधारणा एक वैचारिक विश्लेषण	152 167
11	एकात्मक एवम सघात्मक शासन	168-186
12	संसदात्मक एवम अध्यक्षीय शासन प्रणालियां	177 187
13	बदलते हुए परिवेश और विधायिका	188 200
14	नायपालिका	201-209
15	न्यायपालिका	210 217
16	शक्तियों का पथकरण	218 229
17	राजनीतिक दल	230 245
18	राजनीति का नया आयाम दबाव समूह	246 251
19	निर्वाचन एवं प्रतिनिधित्व	251 258
20	लोकमत आधुनिक परिवेश में जन-अह्वास्त्र	258 260
21	कानून की अवधारणा	261-265
22	स्वतंत्रता की अवधारणा	266-276
23	समानता की अवधारणा	277-285
24	अधिकारों की अवधारणा	286-296

राजस्थान विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग हमारे दश व एक सकड़ा से अधिक विश्वविद्यालयों के ऐसे ही राजनीति विज्ञान विभागों में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुका है। वह उन गिने चुने विभागों में से एक है जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने "विश्वविद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम" (यू० एल० पी०) चयन की जिम्मेदारी सौंपी है। विगत तीन वर्षों से यह कार्यक्रम विभाग में चल रहा है। इस सीढ़ी पर चढ़कर विभाग आशावित है कि उसे शीघ्र ही मायता प्राप्त होगी कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से "विशिष्ट सहायता" (स्पेशल असिस्टन्स) प्राप्त करने के योग्य मान लिया जाए। इस मायता का प्राप्त कर वह राष्ट्रीय स्तर का राजनीति विज्ञान का केंद्र हो जाएगा—इसमें हम कोई सन्देह नहीं हैं।

तीन वर्ष से चल रहे इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग में अनेक शैक्षणिक एवं शोधपूर्ण कार्य सम्पन्न किए हैं और पिछले छह महीने में इस दिशा में द्रुतगामी प्रगति हुई है। सगोष्ठी, कार्यशाला, विद्वत्जनो के ज्ञानवधक भाषण, सुपाठ्य व सरल भाषा में अधिकारी विद्वानों की कृतियों के अनुवाद इत्यादि सम्पन्न हुए हैं जिसमें इस कार्यक्रम की छवि निखारने में महती भूमिका निवाही है। परन्तु इन सारे कार्यक्रमों में, अनेक ज्ञात एवं अज्ञात कारणों से इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए दो 'पद' रिक्त रह गए। एक विजिटिंग आचार्य का पद था जिस पर कतिपय दिनों के लिए तो एक सज्जन आए और कुछ कार्य हुआ फिर यह पद रिक्त ही रह गया। 'रीडर' का पद भी भरा नहीं जा सका। अतः हमें यह निणय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अधिकारियों से यह आग्रह किया जाए कि इन 'पदों' के लिए निर्धारित मुद्रा हम स्नातक स्तर के पांच विषयों की पांच अच्छी पाठ्य पुस्तकें (मॉडल टेक्स्ट बुक्स) लिखवाने एवं कार्यक्रम से सम्बंधित महाविद्यालयों में उनके वितरण की अनुमति मिले। आयोग के सहृदय पदाधिकारियों ने सहप हमारा यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। वस्तुतः हमारा यह सुखद अनुभव रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय विभागों को अकादमिक स्थिति सुधारण और उनकी अर्थ विधि से सहायता कर पाने के लिए सर्वैव तत्पर एवं उत्सुक रहा है जो भी प्रगति की राह में झगड़े टूटे चढते हैं, वे वि० वि० अ० आयोग की ओर से न होकर, अधिकांश विश्वविद्यालयों के

अपने बलह तथा ईश्या के परिणाम होते हैं। इसमें भी हमें बतमान कुतन्ति प्रो० के० एन० उणिगतान तथा कुलसचिव का पूण सहयोग प्राप्त हुमा ह त्रिमे लिए हम उनके आभारी हैं। पर इतनी सारी कृपा और अनुकम्पा निष्पन्न हो गई हाती यदि मुझे विभाग के अपन सभी सहयोगियों से निर्बाध-सतत् प्रवाहमान हार्दिक समर्थन और सहयोग नहीं मिला होता। शुरू से आखिर तक आज के युग में जो देय दुलभ और अलभ्य हा गया ऐसा सहकर्मियों के पग पग पर समर्थन और सहयोग से ही वास्तव में यह सारी सरचना सम्भव बन पायी जिसके लिए मैं उनका ऋणी रहूंगा। यश और कीर्ति जो मिले, उसके वे ही पात्र एव अधिकारी हैं, ऋटियाँ अवश्य मेरे जिम्मे की जानी चाहिए।

विश्वविद्यालय नतृत्व कार्यक्रम का यह सौभाग्य माना जाता चाहिए कि उसे शुरू से ही सहायक प्रोफेसर एव अनुवादक प्रकाश शास्त्री के रूप में एक ऐसे अध्यवसायी व समर्पित व्यक्तित्व का सहारा मिलता रहा है जो हमारे लिए पीर तथा मीर दोनों ही हैं— कार्यक्रम के अतगत जो कुछ अनुवाद तथा लेखन सम्बन्धित काम हुआ, उस पर उनके कमठ व्यक्तित्व की किसी न किसी रूप में अमित छाप अवश्य रही है।

हमारे विभाग के सभी कमचारी (वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक तथा प्ररथ एव सहायक सभी वर्गों के) विश्वविद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम में उत्साह एवं लगन से भाग लेते रहे हैं। इनकी तकनीकी तथा टक्ण से सम्बन्धित मदद ने हम लोगों के बौद्धिक परिश्रम को ग्रन्थों के रूप में प्रकट होने में जो सहायता की है उसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

अतत मैं अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से भारत प्रकाशन के सचालक श्री भारत भूषण शर्मा की भूरि भूरि प्रशंसा करता और उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा जो हम लोगों का सहृदय, कमठ और निष्कपट मुद्रक के रूप में तो मिले ही, एक मित्र की तरह उहोने दूर स्थान पर हमें इस कार्यक्रम को सुश्चिपूण ढंग से सफल करने में मूल्यवान सहयोग दिया।

विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्रगण नवलसिंह, सत्यदेव एव महादेव का सहयोग इतने कम समय में मुद्रण व प्रकाशन व्यवस्था की चुनौती को स्वीकार करने के रूप में अविस्मरणीय रहेगा।

सम्पादकीय

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जो विषय पढ़ाये जाते हैं उनमें समाज विज्ञानों में राजनीति विज्ञान सर्वत्र ही एक लोकप्रिय विषय बना हुआ है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी राजनीति विज्ञान का यही हाल है। स्वाधीनता के पूर्व जो स्थिति थी, उससे आज बेहतर है। तब अनेक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में राजनीति विज्ञान की पढाई इतिहास विभाग की जिम्मेदारी मानी जाती थी। विभाग का नाम भी इतिहास और राजनीति विभाग होता था। कहीं-कहीं यह अधशास्त्र का अंग था। आज प्रायः सभी जगह अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर चुका है बल्कि, कुछ जगह तो लोक शासन और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के अध्ययन का प्रबन्ध अलग विभाग के रूप में पल्लवित होने लगा है। इतना ही नहीं कुछ विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम को काफी सुधारा और सशोधित किया गया है और उसमें कतिपय अधुनातन प्रवृत्तियों और विकास की जानकारी को स्थान दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मदद से अनेक विश्वविद्यालयों के इन विभागों के बारे में न केवल जानकारी इकठ्ठी की गई है बल्कि, 'वर्कशाप' (कार्यशाला) व गोष्ठियों के द्वारा राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के कलेक्टर नवीनीकरण के प्रयास भी हुए हैं। इस दिशा में दिल्ली विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभागों ने जो पहल की है, उसे अत्यन्त सराहा गया है। प्रस्तुत प्रयास भी उसी दिशा को ओर उठाया गया एक कदम है।

पर जो कुछ भी इस दिशा में हो रहा है, वह कायाकल्प मात्र

लगता है, केवल रूप सज्जा का प्रयास, क्योंकि राजनीति विज्ञान में जो पाठ्यसामग्री है, और जिन अध्ययन विधियों पर जोर दिया जाता है, उनमें गुणात्मक परिवर्तन नहीं सा है। पश्चिम के साम्राज्यवादियों को छत्रछाया में जो कुछ जैसा चल रहा था, बहुत कुछ वैसा ही चलाते चलने की आदत अभी बदली नहीं है बल्कि, दो बातें इस संबंध में दृष्टव्य हैं। अंग्रेजों व फ्रांसिसियों के घरों में बात बहुत बदल गई है, वहां अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हो गया है, नई अवधारणाओं, मान्यताओं के अध्ययन अध्यापन में उत्साहपूर्वक भाग लिया जा रहा है बल्कि, आज विशेषतः मार्क्सवादी अध्ययन की दिशा में इन पश्चिमो इलाकों में सरकारी समाजवादियों की अपेक्षा कहीं अधिक रचनात्मक कार्य हो रहा है। उच्च कोटि की रचनाओं की सृष्टि हो रही है और नये-नये संप्रदायों की स्थापना हो रही है और उनके बीच हो रहे शान्त्राय से "वादे वादे जायते तत्त्वबोध।" अपने यहां अभी इन ऊटों को नया बताने का मंदान में छोड़ने की बात तो दूर रही, इनके बारे में सामान्य परिचय देने में भी हिचकिचाहट है। इसे दूर किया जाना चाहिए।

पश्चिम का पुराना बोझ वैसे ही राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम होता आ रहा है। सभी समाज विज्ञान गणेशबदना की तरह अरस्तु व अफलातून में ही बातों का श्रीगणेश करते हैं और सारी ज्ञान गंगा यूनान से बहाते चलते हैं। यह प्रथा दूर नहीं हुई है बल्कि, स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान जो "राष्ट्रीय लहर" में पुराने भारत की ओर कुछ रोशनी डाली जाती थी, कोटिल्य महाभारत का शांति पर्व, आदि प्राचीन भारतीय राजनीति के तौर पर पहचाने का उपक्रम होता था, उसे भी राष्ट्रीयता की सनक कह कर अबके 'परिपक्व' दिमाग पाठ्यक्रमों में स्थान देने के कायल नहीं रह गये। इतिहास अध्ययन में तो 'प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक' या तो वर्गीकरण अभी भी चल रहा है पर राजनीति विज्ञान वाला 'प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक' वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय बना दिया गया है इस मायने में कि जैसा यूरोप व अमेरिका के पाठ्यक्रम होते हैं, वसा ही डर्रा यहाँ भी है—जो बात अरस्तु से पहले की है, वह सब पक्काम है।' मुख्य एक सामाजिक प्राणी है, जहाँ अरस्तु न वहाँ—"इन वेद वाक्य से राजनीति विज्ञान या अथ और अमेरिकी डेविड ईस्टन प्रभृति में दमका "इति" हो

जाता है। यह स्थिति सोचनीय है। इसे बदलना चाहिए।

आजकल एक नारा खूब बुलद किया जाता है। नारा यह है कि हम तीसरी दुनिया के हैं तीसरी दुनिया को अमुक विशेषता है, अमुक समस्या है, इसका अमुक समाधान है, तीसरी दुनिया की एकता, उसकी पारस्परिकता और आपस में मेलजोल की भावना बढ़ाने पर जोर दिया जाता है—तीसरी दुनिया का अर्थशास्त्र, उसका मनोविज्ञान उसकी अपनी सच्चाई और अर्थ सामाजिक व्यवस्था इन सब के निर्माण के रास्ते जोड़े जाते हैं। उसकी राजनीति को माजने का भी उपक्रम किया जाता है। कहा जाता है कि हमारा अपना एक अलग नजरिया होना चाहिए, तीसरी दुनिया वाला नजरिया, जिसके तहत हम बाकी दुनिया की बातों को देखें परखें। पर क्या इन सब बातों में कुछ दम भी है? व्यवहार में देखते हैं तो यही मिलता है कि ज्यादातर पाखंड है। कहीं कुछ तीसरे ढंग की बात ही नहीं है। ज्यादातर तीसरी दुनिया के शासक यह नारा यूरोपीय साम्राज्यवाद को सड़ी गली विरामत को गने से लगाए हुए इन नारों को उठाते हैं, यूरोपीय क्रान्तियों से उपजे नये "तत्वों", नये दर्शन, नई दृष्टि और समझ को नकारने के लिए। पूँजीवादी शोषण व्यवस्था की सड़ी गली नीव ढालकर उसपर ढाई ईंट का महल खड़ा करने का स्वप्न मजोये उन आंधियों से अपना वचाव करने का प्रबंध करते हुए इन नारों के द्वारा एक छलावा, एक प्रवचना या मायाजाल फेर कर बहुजनो को अपने हितों की सिद्धि के लिए सकल्पवान होने में रोकना चाहते हैं। इन आधी तूफानों के युग में पुरानी सड़ीगली राजनीति की मोहक घट्टी पिलाकर यह सिद्धि पाने का प्रयत्न चल रहा है। इसे हमें बदलना होगा।

इसमें एक बड़ी सच्चाई है कि एक तीसरी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो न पहली की तरह है और न दूसरी की तरह, न उन्नत पूँजीवादी साम्राज्यवादी दुनिया की तरह है, न सोवियत समाजवादी दुनिया की तरह। वह एक ऐसी कशमकश में जी रही है जो इन दो दुनियाओं के बीच सहयोग और संघर्ष की अंत प्रक्रिया के कारण पदा होनी है। पर उस दुनिया में है कौन? सामान्यतः इसका बड़ा सरल वर्णन उपस्थित किया जाता है अर्थात् जो इन दो दुनियाओं के बाद की बची दुनिया है और जो मुख्यतः अर्थ व्यवस्था के हिमायत में बहुत

पिछड़ी हुई है। अर्थ वादी दृष्टि ही प्रचलन है अर्थात् जहाँ उत्पादन की मात्रा और औसतन उत्पादन और उपभोग की मात्रा बहुत कम है। जिनके पास पूँजी, तकनीक और आधुनिकीकरण के अन्य उपकरण उस मात्रा और प्रकार के नहीं हैं जो अन्य दो में हैं। पर क्या हम इस तीसरी दुनिया से चीन, वियतनाम, क्यूबा, अंगोला, मोजाम्बिक, जिम्बावे को बाहर रखेंगे? क्या वे दूसरी दुनिया का ही भाग हैं? चीन के नेता कभी ऐसा ही मानते थे जब वे पूरी दुनिया को दो शिविरों में बँटा मानते थे। आज दुनिया में यदि कोई एक बड़ा देश विलग्न शक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है तो वह जनवादी चीन ही है। मेरी मान्यता है कि चीन एक अलग ही दुनिया है, कल भी था, आज भी है और कल भी बना रहेगा। ऐसा ही भारत का भी हाल होना चाहिए। कल तक तो स्पष्ट सभावना दीखती थी, आज धूमिल जरूर होती लग रही है पर मिटी नहीं और आशा है कि आगामी कल में यह घटना चरित्राथ होगी कि भारत एक अलग दुनिया है। इसका अन्य कारणों के अलावा सबसे निर्णायक कारण है कि चीन हो या भारत, ये महादेश या महा राष्ट्र ही नहीं, एक अलग मृज्जनशील सभ्यता रहे हैं और इन सभ्यताओं का अपना इतिहास रहा है, अविच्छिन्न इतिहास, जिसकी न केवल स्मृति पूरी तरह जीवन्त है वरन् उसके अनेक तत्व अभी भी जीवन्त हैं, मरे नहीं। नडहर हो गई इमारत के नीचे के पत्थर अभी भी अपने ऊपर नई इमारत को पुष्ट आधार देने की क्षमता रखते हैं। भारत और चीन की आज की अनेक समस्याओं का एक सभ्यतापरक पहलू है जिसे नजरअन्दाज करके चलने से काम चलता नहीं, यह चीनी कम्यूनिस्टों ने एक महान क्रांति सम्पन्न करने के बाद निर्माण की अवस्था में न्यून अनुभव करके देख लिया। भारत में अभी वैसी क्रांति हुई नहीं पर 'चितवचरे साहबों' के वचंस्व में हिन्दुस्तान का दक्खि-नूस महाजन वग जिमने इस्ट इंडिया कंपनी से साठगाठ कर पहले भी 'विदेशी तत्व' का प्रवेश आसान बना दिया था, आज फिर अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर ऐसी साठ गाँठ कर इसे पहली दुनिया अर्थात् पूँजीवादी साम्राज्यवादी दुनिया की ओर ढकेल रहा है और भारतीय सभ्यता के उन सभी मान्यतावादी तत्वों को, जो मरे नहीं और जिन्होंने मोघल से, अंग्रेजों के युग से लेकर कम से कम हर्ष के

युग तक और उसके बाद भी एक लोक कल्याणकारी, लोकोन्मुख साहित्य, पर दुःखकान्तर सहकारी और मानवीय समाज का निर्माण, दासता, अर्धसामन्ती और सामन्तीय परिवेश में कर दिखाया था, जब कि इसकी समकालीन भारततर सभ्यताय जैसे यूनान, ईरान अरबी और रोमी यूरोपीय सभ्यताय इस प्रकार के मानवतावाद के बीज को धारण भी नहीं कर सकी। अस्तु मान ही नहीं सकता था कि दास स्वाधीन हो सकते हैं और वे जीवन्त उपकरण के अलावा कुछ और हैं, ऐसी ही स्त्रियाँ के बारे में व नगर राज्यों के वार में पर उनके समकालीन कौटिल्य के विचार इस मदर्भ में दृष्टव्य हैं, क्या अशोक का लोक कल्याणकारी राज्य का स्वल्पांश भी अगले एक हजार वर्ष में यूरोप में कही दिया ? सबसे बड़ा मजाक यह है कि हमारे चित्तचक्रे साहब-शानक समय के इतने बड़ अंतराल के बाद भी अशाक के धमचक्र को अपनाकर अपनी प्राचीन गौरव गाथा को साम्रधानिक प्रवध से जोड़ गए, पर आगे वह पुरुषार्थ व कहा से नाए कि उस तरह के लोक कल्याणकारी राज्य की कोई हल्की फुल्की प्रतिकृति की नीव भी डालने की हिम्मत दिखा मके। अशोक चक्र को राष्ट्रीय ऋडे में चिह्नित कर और राज्य मुद्रा में सिंह मूर्तियाँ लगाकर अपने आपको अशोक कानून इतिहास तक प्राचीनो से जोड़ने की रम्म पूरी कर दी गई है, पर आज स्वाधीनता के आदोलन के दौरान जिन सपनों के भारत की वात उठाई जानी थी, कवीन्द्र रवीन्द्र और गाधो, भगतसिंह और अन्य क्रातिकारियों के सपने का भारत कहा खो गया ? व जिन्हें अग्रजाने जाते जाते सत्ता का हस्तांतरण किया उन्हाने कैसा भारत अब तक बनाया है कि 68 करोड लोगो में चालीस करोड भारत वासियों को दो वक्क भोजन भी उपलब्ध नहीं है और शासक दल है जो उडी वेशरमी से इस भूखे नग भारत को आशा वधाये जा रहें हैं कि किमी तरह अभी जीवन की डोर खींचे चलो दस साल में पन्द्रह साल में तुम्हारा पट भर देंगे। कौन हैं ये लोग जो ऐसा दुःनाहस करते हैं, और कौन हैं ये लोग जो इन दुष्टृत्यों के दमन और आतक म जीते हैं, असहाय हो उसके शिकार होते रहते हैं ? स्वाधीन भारत में कैसा राज्य बना, किसके निमित्त बना, किसके हिताय चल रहा है, शासक कौन है, शासित कौन, भेद किस आधार का, किम प्रकृति का बनाया गया ? समाज में स्पष्ट दिख रहा है कि शानक और शानित

वर्ग ढलते जा रहे हैं। शामक वर्ग है जो तय कर रहा है कि उत्पादन कैसे हो, उस पर किमका कब्जा हो, कैसे हो, उत्पादन की क्रिया कैसे संपादित हो, उसका फल कौन ले और कैसे ले और इन सब या इनमें से किसी बात पर झगडा हो तो कौन निपटारये और कैसे ? अपने अर्थ और इति के साथ राज्य रूपी यत्रतत्र क्या इन मपूण सामाजिक क्रिया कलापो से ऊपर या तटस्थ है, क्या वह शामक वर्ग का अपना यत्र तत्र मात्र नहीं है ? यह और ऐसे ढेर सारे ज्वलत प्रश्न हैं जो लाखों करोड़ों लोगों के मन को जाने अनजाने में उद्वेलित कर रहे हैं।

यह मदभ है जो भारत में राजनीति के अध्ययन को बहुत महत्व का बनाता है—आखिर जो राज्य हमारे सामने है, वह है क्या ? क्या है उसकी प्रकृति, उसका स्वरूप उसका समाज में संबंध, उसका इतिहास वह किमका हित साधक है ? उसकी मरचना, उसके अंग प्रत्यंग कैसे ढलते हैं, बदलते हैं, इत्यादि। प्राचीनों की मायता थी कि राजा अर्थात् राज्य ही काल का निर्धारक है समय की दिशा और गति उसी से तय होती है ? ऐसी निर्णायक यत्र-तत्र व्यवस्था का सही अध्ययन बड़े महत्व की बात होनी चाहिए, इसमें कोई सदेह नहीं।

हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेज इस राज्य के अध्ययन को, उससे सर्वांगीण रूप में वैज्ञानिक ढंग से आयोजित करने का दावा करते हैं। तभी उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। पर इस विज्ञान के अध्ययन को प्राचीनों के एतद्विषयक अध्ययन से जोड़ने की आवश्यकता कम ही ममझी जाती है। जुडाव जो होता है वह यूनान और उनके अरस्तु प्रभृति विचारकों से, हमारे विद्यार्थियों को रोम के चर्च के और उसके इद गिद फौली राजनीति को भी बड़े चाव से पढाया जाता है "अध युग" की बात भी बनाई जाती है, फिर कैसे यूरोपीय लाग प्रकाश ने युग में आए, पुनर्जागरण हुआ, धार्मिक सुधारों के आंदोलन हुए, मार्टिन लूथर और कालविन ने क्या योगदान किया और मेक्वावेलि स आगे लाया जाता है पर हिंदुस्तान के राजनीति के इन विद्यार्थियों को जिसे अरस्तु और अलेक्जंडर से तो परिचित कराया जाता है, पर उनके समकालीन मौर्य साम्राज्य के मर्यापको और कौटिल्य से अनभिन्न रखा जाता है—कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी क्या मताने लायक कोई शास्त्र है ? पर कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में

अपने पूर्ववर्ती मम्प्रदायो यथा बृहस्पति, मनु इत्यादि का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य के पूर्व भी राज्य चिंतन था, उनके परवर्ती भी विचारक थे, पर हमारे विद्यालयों को उससे वास्ता नहीं। ऐसा भी हो सकता है क्यों कि लोग राज्य बनाये और उसके मबध में चिंतन न करे, विचार न करे? अशोक और उसके पूर्वजों ने इतिहास प्रसिद्ध राज्य बनाया, नदों के साम्राज्य का वर्गन सुनकर सिकन्दर के सिपाहियों के हौसले पस्त हो गए थे, पर उनकी जानकारी हमारे विश्वविद्यालयों में उस महत्व की नहीं मानी जाती, जिस महत्व को सिकन्दर और उनके गुरु की। यह कैसी विडवना है। यह हमारे राज्य के इस स्वरूप का उदघाटन करती है कि वह वस्तुतः बृहद आग्ल अमेरिकी साम्राज्य का एक पिछवाड़ा भर है—हम जब अपने शामक वर्गों की खोज में निकलते हैं तो खोज खत्म नहीं हो पाती जब तक हम लदन और वाशिंगटन न पहुँच जायें। मार्क्स ने एक म्यान पर ठीक ही लिखा है 'प्रत्येक युग में शासक वर्ग के विचार होते हैं अर्थात् जो वर्ग समाज का शासक भौतिक शक्ति है, वही वर्ग उस समय उसका शासक बौद्धिक भी होता है। जिस वर्ग के हाथ में भौतिक उत्पादन के साधन होते हैं वही वर्ग उस समय मानसिक उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए उसके द्वारा सामाज्य रूप से, जिनके पास मानसिक उत्पादन के साधन नहीं हैं, वे शासक वर्ग के अधीन रहते हैं'।

स्वाधीनता का अर्थ क्या रहा ?

स्वाधीनता के पूर्व इन सब बातों के लिए हम अंग्रेजी शासकों को जिम्मेदार बताते थे और स्वाधीनता के बाद उन्हें जारी रखकर अब हम किसको दोषी ठहराएंगे? चाहे विज्ञान हो, चाहे समाज विज्ञान हो, हम कच्चे माल की खेती और उसके निर्यात के लायक ही माने जाते हैं, पक्का माल तो इंग्लैण्ड या अमेरिका से आयात होगा। हमारे डॉक्टर, हमारे इंजिनियर, हमारे वैज्ञानिक शिक्षा-दीक्षा यहाँ लेंगे लेकिन वे "पकेंगे" पश्चिम में ही जाकर और बदले में कुछ "विदेशी मुद्रा" आ जायेगी। यह क्या कम है? आश्चर्य नहीं होता कि हमारे विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रम माध्यम और फैशन पर मुलापेक्षी हो गए हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से न अध्ययन का और न पाठ्यक्रम का ही संयोजन है, न उसे पश्चिम के अलावा कोई अन्य दृष्टि से देख पाने का थोड़ा भी प्रयास। वे पढ़ते हैं और

जैसे पटते हैं, जो दृष्टि विकसित करते हैं इन मवम निष्णान होना हमारे जीवन की चरम मिद्धि बन गई है। उनके लिए जो बाहर जाकर वही मच-पच जाने की तैयारी में है, वह मान भी लिया जाए कि यह एक आवश्यकता बन गई है, औरो के लिये, ऐसा प्रवन्ध क्यों हो, उहे यही रहकर भी विदेशो के लिए उपयुक्त कच्चा माल ही क्यों बने रहना है? ये सारी बातें हमारे शासक वर्ग के मूल चरित्र को ही उद्घाटित करती हैं जिसकी पश्चिमी पूजीवादी मूल्यों पर निभग्ता उसके स्वभाव का अग और एक परम्परा बन गई है भले ही वह कितनी लज्जाजनक क्यों न हो। पश्चिम के 'मर्टीफिकेट' पर वह कब नहीं न्योछावर हो जाता ?

इस विगडे माहौल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुकपा से हमें एक अवसर मिला जिसका लाभ उठाने का हमारा प्रयत्न इन पाठ्य पुस्तको के रूप में प्रकट हो पा रहा है। यह प्रयत्न कितना सफल और साथक बना है कितना नहीं बना, यह तो हमारे विद्यार्थी और सुग्री पाठक तय करेगे पर हमारे विभाग के दा युवा प्रतिभाओं ने, इम दिशा में निष्ठा और साहस के साथ यह उद्यम किया है। इस पुस्तक के प्रथम नौ अध्याय जेतली ने लिखे हैं और शेष अध्यायो के रचयिता हैं—ब्रजमोहन शर्मा,। शैली वसे तो नितात व्यक्तिगत विशेषता है, पर पूरे ग्रथ के पारायण के बाद ऐसा कुछ लगता नहीं कि अलग-अलग शैली में लिखी, ये रचनाये हैं और मेरी दृष्टि में सबसे सराहनीय बात यह रही है कि लेखको ने भारतीय सदभ की अनदेखी नहीं की। उन्होंने पुराने सूत्र ढूँडे हैं और उनसे नये सूत्रो को जोडने का प्रयत्न किया है ताकि, राजनीति विज्ञान का अययन एक "निर्मूल वातावरण" में किया जा रहा अध्ययन न बन जाये यथा 'राजनीति विज्ञान के पारिभाषिक सदभ सबधी यह चर्चा तत्र तक अधूरी रहगी जब तक इसमें भारतीय राजनीतिक चिंतन का ममावेश न किया जाए।'

बात भारतीय चिंतन से शुरू कर पाना अभी भी कठिन लगता है, पर उमका समावेश किसी स्तर पर कर दिया गया, यह भी आज के माहौल में कुछ कम नहीं है। जन विद्वान मोमदेन सूरि ने राज्य के लिए "धर्माथ फलाय राज्याय नम धम और अय की प्राप्ति जिससे होती है उस राज्य को नमस्कार है—धर्म से क्या अभिप्राय है यहा—

और सबत्र ही ? इसकी चर्चा होनी चाहिए, खासकर तब जब हम सवज्ञ डेविड ईस्टन की यह परिभाषा "नई" खोज के रूप में देते हैं कि राजनीति विज्ञान किसी समाज में मूल्यों के ऐसे आधिकारिक आवटन का अध्ययन है जो अपनी मूल प्रकृति में संपूर्ण समाज के लिए वाध्यकारी है ? (पृ 4) धर्म सस्थापना का अर्थ इससे भी व्यापक रहा है जो राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी मानी गई है। इसी तरह जंतली ने स्थल-स्थल पर प्राचीन भारतीय सदभ में जा विषय सामग्रों की जाच की है उसने पुस्तक की उपादेयता बढ़ा दी है। मुझे यह बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने धर्म निरपेक्षता को पश्चिमी और भारतीय मदर्भा में देखा परखा और अशोक के लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप उद्घाटित करते हुए, उसे सही सदभ दिया इसके अलावा, पश्चिम राज्य सवधो अधुनातन विचारों से परिचित करने की दिशा में इस पुस्तक की उपयोगिता असदिग्ध हो गई है।

सहयोगी रचनाकार शर्मा का कृतित्व दमव अध्याय से प्रारभ होता है। उन्होंने उपयुक्त प्रयास को अपनी लेखनी से और परिपुष्ट किया है जबकि लोकतंत्र हो या अवधारणाय या शासन प्रणालिया हो, उन्हें व्यापक सदभ में रखकर उसका सातोपाग विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ऐसा करते हुए उन्होंने प्राचीन भारतीय, पश्चिमी बुजुआ और साम्यवादी सदभ के अतिरिक्त, तीसरी दुनिया के सदभ में बातों को रखकर उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया, जिसे मैं बहुत कुछ एक सफल प्रयास कहूंगा। सबसे बड़ी कमी जो इस रचना में रह गई है, वह है 'राज अर्थ शास्त्र' वाली दृष्टि से भी 'राज्य' और तत्संबधी विषय की छानबीन न कर पाना। यह एक ऐसी कमी है जो अखरती है, पर इसे अगले संस्करण में ठीक किया जा सकेगा ऐसी आशा है।

लेखक और सपादक दोनों को ही यह अनुभूति सालती है कि जंसा वे चाहते थे, वसी रचना नहीं हो पाई बहुत थोड समय में मई के तीसरे सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक पहला प्रारूप तैयार करने में कुछ जल्दवाजी ही ही गई, पर यह एक विवशता भी थी। फिर भी जो कुछ बन पडा है उसके प्रति सुधी पाठक, विद्यार्थी और विशेषत आलाचक सहानुभूतिपूर्ण रूप अपनायेगे, यह आशा हमें सहारा देती रही है। नुटियों और अभावों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर ऐसे आलो-

चक हमारा बड़ा उपकार करेगे और हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इन अभावों को यथाशक्ति दूर कर और श्रुतियों का माजन कर हम अपने अगले सशोधित मस्करण को पेश कर उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता का ज्ञापन करने से नहीं चूकेगे। अभी तो हम उनके आशीर्वाचन की प्रतीक्षा में रहेंगे।

—सम्पादक

राजनीति विज्ञान परिभाषा, प्रकृति, स्वरूप व क्षेत्र

राजनीति विज्ञान का अध्ययन आज के सदन में पहले की अपेक्षा एक ओर जहाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण है वहीं दूसरी ओर वह अत्यंत जटिल भी है। राजनीति विज्ञान का महत्व इस तथ्य से प्रकट होता है कि आज राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय—दोना प्रकार की राजनीति को समझने के लिए आवश्यक है। प्रक्रिया के अध्ययन से ही वास्तविक राजनीति व उसके पार्श्व-भत्वा की धाह पाई जाती है और स्फुट राजनीतिक घटनाओं को एक परिप्रेक्ष्य में ढाला जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य के सदन में प्रक्रिया से आधार ग्रहण करते हुए राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। लगातार होने वाली राजनीतिक घटनाओं के प्रकाश में राजनीतिक सिद्धांत की सत्यता निर्धारित करने व सिद्धांत के रूप आकार में परिवर्तन का सिलसिला भी चलता रहता है। स्पष्ट है, राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन व विश्लेषण राजनीति विज्ञान द्वारा ही हा सकता है और राजनीतिक घटनाओं की उसी के द्वारा व्यापक सदन प्राप्त हो सकता है। इम दृष्टि से पहले की अपेक्षा आज राजनीति विज्ञान राजनीति व राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति समझ उत्पन्न करने में अधिक सशक्त है।

राजनीति विज्ञान की जटिलता उनके जति ध्यापी रूप व उससे उत्पन्न

स्वरूप एवं प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है। आज राजनीति विज्ञान 'राजनीतिक' व 'गर राजनीतिक' दोनों प्रकार के तत्वा से सम्बन्धित है। राजनीतिक तत्व प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया का संचालित करते हैं और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान के अतगत राज्य सरकार, सरकारी सम्थाओं, चुनाव प्रणाली व राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। गर-राजनीतिक तत्व अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को चलाने में योगदान देते हैं और इस कारण राजनीति की सही समझ इनको समन्वित करके ही प्राप्त की जा सकती है। इसी उद्देश्य से राजनीतिक अध्ययन में समाज अथ व्यवस्था, धर्म, संस्कृति, भूगोल, विज्ञान व तकनीकी मनोविज्ञान व इतिहास सरीखे सहयोगी-तत्वा को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। राजनीतिक व गर-राजनीतिक तत्वों के सम्मिलित प्रभाव ने जहाँ राजनीति विज्ञान का एक विषय के रूप में व्यापक बनाया है वही उसने उसके सम्मुख अस्तित्व की 'स्वायत्तता का संकट' भी उपस्थित किया है। इसी के परिणामस्वरूप अक्सर राजनीतिक अध्ययन व विश्लेषण कभी अर्थशास्त्र की प्रधानता प्रकट करते हैं कभी समाजशास्त्र की कभी उन पर धर्म व संस्कृति हावी होती दिखाई देती है तो कभी मनोविज्ञान व भूगोल। विषयों की इस परस्पर खींचातानी ने एक ओर नए विषय प्रकट किए हैं जैसे राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान, राजनीतिक संस्कृति व भू राजनीति तथा दूसरी ओर उमने राजनीति विज्ञान के विशिष्ट रूप, परिधि व कलेवर को चुनौती भी प्रस्तुत की है। उदाहरण के लिए राजनीतिक अर्थशास्त्र में राजनीति विज्ञान प्रधान है अथवा अर्थशास्त्र। यदि दोनों समान महत्व-शाली हैं तो उनके समानुपाती महत्व के क्या आयात है। इन प्रश्नों पर आम सहमति दुर्लभ प्रतीत होती है और अक्सर यह दखने में आता है कि राजनीति शास्त्री जहाँ 'राजनीतिक' की ठास प्रतिष्ठा करता है, वही अर्थशास्त्री 'आर्थिक' तत्त्वों का धारिक ढका बजाता है। लगभग यही स्थिति अन्य सदमों में भी लागू होती है। इस द्वेषभास ने राजनीतिक अध्ययनों के माग में जटिलताएँ पैदा की हैं। एक ओर जहाँ आज सभी राजनीतिक घटकों की सर्वाधिक भूमिका के प्रति आश्वस्त हैं तो वही दूसरी ओर व 'राजनीतिक' क्या और कितना है, इसके प्रति सशयास्पद भी दिखाई देते हैं।

राजनीति विज्ञान को मिल रही इन चुनौतियों के समुचित समाधान के लिए यह आवश्यक है कि उसके पारम्परिक व आधुनिक परिप्रेष्यों के सदम में उसका अध्ययन व विवचन किया जाए। विखरे सूत्रों को संकलित किया जाए उपेक्षित पक्षों का तरजीह दी जाए और अस्पष्ट व ध्रामक रूप व आकार को विश्लेषण व समझ की छनी से और तराशा जाए। इसी दृष्टि से राजनीति विज्ञान की परिभाषा प्रवृत्ति, स्वरूप व क्षेत्र इत्यादि समायोजित किए जा रहे हैं।

पारिभाषिक सदभ

राजनीति विज्ञान की विविध परिभाषाओं को दो व्यापक सदभों में देखा परखा जा सकता है—पारम्परिक व आधुनिक। कालक्रम की जटिलताओं में न जाते हुए यहाँ केवल यह स्पष्ट करना पर्याप्त होगा कि पारम्परिक सदभ राज्य प्रधानता का परिचय देता है जबकि आधुनिक सदभ प्रक्रिया प्रधानता का। ये स्थितियाँ परिभाषा सम्बन्धी उदाहरणों से भलीभाँति प्रकट हो सकेंगी।

राजनीति विज्ञान की पारम्परिक परिभाषाएँ ब्लु शली, गरिज, पॉल जेनेट, डिमॉक, गिलक्राइस्ट आदि लेखकों से प्राप्त होती हैं। ब्लुशली के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य से सम्बन्धित एक ऐसा विज्ञान है जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी अनिवाय प्रवृत्ति, उसकी अभिव्यक्ति के विविध रूपों व उसके विकास को समझने का प्रयास करता है। गरिज की यह मायता है कि राजनीति विज्ञान राज्य को शक्ति की एक संस्था के रूप में ग्रहण करता है और ऐसा करते हुए वह उसके सम्बन्धों, उत्पत्ति, वातावरण व पृष्ठभूमि, विषय, नैतिक महत्त्व, आर्थिक समस्याओं, वित्तीय पक्षों व उसके लक्ष्यों की सम्पूर्णता को स्वीकार करता है। पॉल जेनेट का यह विचार है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंश है जो राज्य व सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन व विश्लेषण करता है। इसी प्रकार डिमॉक की दृष्टि में भी राजनीति विज्ञान राज्य व उसके माध्यम—सरकार से सम्बन्धित है। गिलक्राइस्ट के विचार में भी राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार की सामाजिक समस्याओं की विवेचना करता है।

राजनीति विज्ञान से सम्बन्धित ये पारम्परिक परिभाषाएँ निम्न प्रवृत्तियाँ इंगित करती हैं—

- 1 अपने पारम्परिक सदभ में राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार अथवा दोनों का अध्ययन करता है,
- 2 राजनीति विज्ञान का राज्य विषयक अध्ययन मूलतः सत्तात्मक है क्योंकि उसमें केन्द्रीय महत्त्व राज्य अथवा सरकार का है। अथ तत्त्व मात्र सायोगिक हैं।
- 3 राजनीति विज्ञान का यह अध्ययन औपचारिक रूप से राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करता है और ऐसा करते हुए वह राज्य के संविधान में निहित कानूनी वास्तविकता को अध्ययन का आधार बनाता है, तथा
- 4 पारम्परिक राजनीति विज्ञान सम्बन्धी धारणाओं में राजनीति का प्रक्रियात्मक आभास नहीं मिलता बल्कि, राजनीति राज्य से सम्बन्धित नीतियों की ही परिचायक होती है।

राजनीति विज्ञान की आधुनिक अवधारणाओं की दृष्टि से जाज बेटलिन, डेविड ईस्टन, हेरोल्ड सासवेल व केपलन विशेष उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान सम्बन्धी अपन बच्चों में राजनीति के वास्तविक एवं व्यावहारिक सदर्भों पर बल देते हुए उस शक्ति, प्रभाव, राजनीतिक औचित्य एवं सत्ता का अध्ययन माना है। बेटलिन ने राजनीति विज्ञान को 'शक्ति-विज्ञान' के रूप में निरूपित किया है।¹ सासवेल व केपलन एक आनुभविक षोज के रूप में राजनीति विज्ञान को शक्ति के निर्माण एवं सहभाग का अध्ययन मानते हैं। प्रक्रियात्मक सदर्भ को और अधिक स्पष्ट करत हुए डेविड ईस्टन का यह विचार है कि राजनीति विज्ञान किसी समाज में मूल्यों के ऐसे आधिकारिक आवरण का अध्ययन है जो अपनी मूल प्रकृति में सम्पूर्ण समाज के लिए बाध्यकारी हैं।² इसी प्रकार, हस्चर व स्टिवेसन का यह विचार है कि राजनीति विज्ञान अपने अध्ययन-क्षेत्र में प्राथमिक रूप से व्यक्तियों के पारस्परिक व सामूहिक तथा राज्य एवं राज्यों के मध्य प्रकट शक्ति-सम्बन्धों से सम्बन्धित है।⁴

राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएँ प्रमुख रूप से यह स्पष्ट करती हैं कि—

- 1 राजनीति विज्ञान वास्तव में 'राज्य के विज्ञान' की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण रूप से 'राजनीति का विज्ञान' है। उसकी विषयगत उपयोगिता इस तथ्य पर आधारित है कि राजनीति का विज्ञान परक समझ से राज्य व अन्य सत्ताओं के वास्तविक क्रियाकलापों को समझने में सहायता मिलती है क्योंकि राजनीति ही व्यक्ति, समाज सरकार आदि को संचालित करती है और स्वयं उनसे संचालित होती भी है।
- 2 राजनीति की समझ राजनीति के बुनियादी तत्त्वों की ग्राह्य पाकर अधिक उपयोगी रूप से पाई जा सकती है। इसी दृष्टि से राजनीति का समझने के लिए व्यक्ति समाज, अध्ययनस्थान मनो विज्ञान, धर्म संस्कृति इत्यादि को समझना व उनके राजनीतिक योगदान का आकलन करना आवश्यक प्रतीत होता है। राजनीति में सम्बन्धित बहु विषयक दृष्टिकोण (Multi disciplinary approach) इसीलिए प्रासंगिक है।

- 3 राजनीति शक्ति व प्रभाव से चलती व फलती है। इसलिए इन तत्वों का पर्याप्त अनुसंधान आवश्यक है, तथा
- 4 राजनीति की प्रक्रियात्मकता सैद्धांतिक आधार पर ही नहीं टिकी रहती उसको समझन के लिए व्यक्ति व समाज का वास्तविक व्यवहार व इस दृष्टि से व्यवहारवादी अध्ययन व शोध विशेष उपयोगी है।

राजनीति विज्ञान से सबंधी पारम्परिक व आधुनिक दोनों सदभ अपने आप में एकांगी सत्य उद्घाटित करत हैं। पारम्परिक सदभ जहाँ औपचारिक-कानूनी सत्य को एकमात्र व अंतिम मानता है वही आधुनिक सदभ प्रक्रियात्मक रूप से शक्ति, प्रभाव आदि का निर्णायक रूप से अंतिम मानता है। महत्वपूर्ण रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति का निर्धारण औपचारिक व न औपचारिक सत्यात्मक व गर सस्थात्मक वचारिक व व्यावहारिक आदि समस्त तत्त्वों एवं कारणों पर निर्भर है। इनमें से किसी भी एक तत्त्व की अनुपस्थिति राजनीति को अधूरापन प्रदान करती है। अतः पारम्परिक या आधुनिक में से किसी एक को चुनन का अभ्यास बिल्कुल गलत है। आधुनिक तत्त्वों का निर्माण वास्तव में पारम्परिक अनुभवा पर आधारित होता है, इस कारण आधुनिक तत्व यदि वास्तविक हो तो वे पारम्परिक तत्वों का सहज विकास होते हैं, उनका वे निषेध नहीं करत। परम्परा से कट हुए तत्व आधुनिक हो नहीं सकत। दुर्भाग्य से राजनीति विज्ञान की दुनियाँ में नएपन की आधी ने पुराने कोपड-पट्टे को तो उड़ाया लेकिन गनीमत यह थी कि वह पुराने अवशेषों को अपने साथ नहीं उड़ा ले जा सकी। राजनीति विज्ञान के 'नए व्यवसायियों ने नई स्थापना की दृष्टि से विशाल भूखण्ड प्राप्त किया लेकिन स्थापत्य के नीसिखिएपन ने उन्हें बिखरे हुए पुराने तिनका को जोड़ने व बीनने के लिए विवश कर दिया ताकि, वे पुराने स्थापत्य नमूनों का पुनरावलोकन करके नया नवशा तैयार कर सकें। यह अनुभव परम्परा व आधुनिकता के मध्य सतत-अकाट्य सबंधों की पुष्टि करत है।

राजनीति विज्ञान के पारिभाषिक सदभ सम्बंधी यह चर्चा तब तक अधूरी रहेगी जब तक इसमें भारतीय राजनीतिक चिंतन का समावेश न किया जाए। भारतीय चिंतन की अनिवायता इस सदभ में उल्लिखित है कि यहाँ परम्परा व

आधुनिकता के बीच खाई नहीं खोदी गई बल्कि, उनको उनके सहज विकास क्रम में देखने परखने का प्रयास किया गया। विचारों व दौढ़िक याजनाओं की स्व-श्रेष्ठता का मापदण्ड उनकी कालातीत प्रासंगिकता था। इसीलिए भारतीय चिंतन में ठास धरातल की चचा करते हुए भी दिक् व काल को कभी बिस्मत् नहीं किया गया। राज्य राजनीति व राजनीति विज्ञान सम्बन्धी भारतीय अवधारणाएँ भी इस सामान्य सत्य का अपवाद नहीं हैं। यूरोपीय काल क्रम व उससे उत्पन्न चेतना से काफी पहले भारत में अधशास्त्र परम्परा के अतगत राज्य को उसके विविध सघटकों के सदृश ही देखा परखा गया था। यह माना गया कि राज्य निम्नलिखित सात इकाइयों के योग से बनता है—सम्प्रभु शासक, राज्य-कार्मिक, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, राजस्व, सेना व विदेशी सहयोगी। कौटिल्य ने इन सघटकों इकाइयों में विभेदीकरण व एकीकरण की दुहरी आवश्यकताओं को स्वीकार किया और तत्संबन्धी सिद्धांत निमित्त किया। सरकार के सम्बन्ध में कौटिल्य ने तीन स्तरों पर अपने विचार प्रतिपादित किए—शासक राज्य कार्मिक वगैरह तथा प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थाएँ एवं उपकरण। कौटिल्य ने शासक को सम्पूर्ण प्रशासनिक ढाँचे का सूत्रधार माना और यह मत व्यक्त किया कि शासक ही विभिन्न वर्गों की नियुक्ति करता है उनमें कार्यकारी सम्बन्ध स्थापित करता है, उनकी नुटियों का निराकरण करता है और यह सब करते हुए वह प्रशासनिक व्यवस्था को एक निश्चित आकार प्रदान करता है (कोई भी सरकारी अध्यक्ष आज भी इन कार्यों एवं गतिविधियों से अछूता नहीं रह सकता)। कार्मिक वगैरह इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक पहिया अकेला गाड़ी नहीं चला सकता। एक शासक का शासन, चाहे कितना भी सक्षम क्या न हो वह प्रशासन की समकालिकता सुरक्षित नहीं रख सकता। सरकारी आदेशों व आज्ञाओं के क्रियान्वयन के लिए विविध स्तरों पर अमात्य वगैरह आवश्यक है। ये अमात्य केन्द्रिय सत्ता के अधीन सरकारी आदेशों आदि को लागू करने हैं और ऐसा करते हुए वे राज्य व शासक दोनों को मजबूती देते हैं (वर्तमान समय में शक्ति के विकेंद्रीकरण सघनादी राजनीतिक ढाँचे व शासन के निजीकरण की अपेक्षा उसके संस्थापन सम्बन्धी आग्रह का भी यही तक-सार है)। प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं उपकरणों की दृष्टि से कौटिल्य ने अथ शासन में यह प्रतिपादित किया कि केन्द्र सरकार को राजस्व एवं रक्षा-व्यवस्था अपने पास रखनी चाहिए, प्रशासनिक विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति व उनके कार्यों की देखरेख करनी चाहिए तथा सैनिक-व्यवस्थापन की दृष्टि से विभिन्न सेनाओं के अगो के पथक सेनाधिकारियों नियुक्त करने चाहिए ताकि, रक्षा व्यवस्था सक्षम हो सके और सेना में विद्रोह आदि की सम्भावनाओं का क्षीण किया जा सके (निस्संदेह ये समस्त प्रशासनिक व्यवस्थाएँ व उनके सम्प्रेषण आज भी प्रासंगिक हैं। केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारों में कार्यों

का बटवारा, प्रशासनतंत्र पर लोकप्रिय सत्ता का अकुश व पुयक् सेनाआ के पयक् अद्यक्षो की व्यवस्था इन सिफारिशो की आज भी पुष्टि करती है)। राज्य को उसके धम व राजनय दोनो से जाडने का प्रयास, राज्य कायों म साम, दाम, दण्ड व भेद की नीतियो के विकल्प आदि भारतीय राज्य व राजनीति की अवधारणाआ का अत्यधिक समृद्ध करते हैं।

राजनीति विज्ञान की प्रकृति व स्वरूप

राजनीति विज्ञान की प्रकृति व उसका स्वरूप वास्तव मे विषय के ऐतिहासिक विकासक्रम से जुडा हुआ है। प्रारम्भ म राजनीति विज्ञान वस्तुतः राजनीतिक दशन चरिताथ करता था। प्लेटो ने 'याय, दाशनिक राजा, आदशवादी साम्यवाद आदि की कल्पना की और उन कल्पनाओ के आधार पर राजनीतिक सवश्रेष्ठता का अपना त्रम निर्धारित किया। अरस्तु न यद्यपि आनुभविक आधार पर राज्या का वर्गीकरण किया लेकिन एव मानक के रूप म उसने सांविधानिक शासन के आदश को स्वीकार किया। मेक्यावेलि ने अपनी सामयिक परिस्थितियो के अनुसार राजयो के एकीकरण व तदुपरात उनकी सुदढता व विवास के मानक को स्वीकार किया और इस दृष्टि से शक्ति को राज्य का आधार माना और सफलता का राजनीतिक त्रियाओ की श्रेष्ठता का मापदण्ड। ये उदाहरण इसी प्रकार और आगे बढ़ाए जा सकते है। राजनीतिक विचारो व दशन के प्रभाव स पारम्परिक राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति मूलत ये प्रस्तावित करती है—

- 1 पारम्परिक राजनीति विज्ञान कुछ कल्पित गुणा, मानको अथवा आदशों को स्वीकारते हुए राजनीति का मानदण्डात्मक प्रकृति प्रदान करता है। ऐसी स्थिति म राजनीति 'क्या होना चाहिए' को प्राथमिकता देती प्रतीत होती है न कि क्या वास्तव मे है,
- 2 दशन पर आधारित होने के कारण पारम्परिक राजनीति विज्ञान म राजनीति की समन्वित रूप योजना स्वीकार की जाती रही है और राजनीति को अधिकाधिक रूप से धम दशन नतिकता, सस्कृति और यहा तक कि समाज, अर्थव्यवस्था आदि से समझने-समझाने का यत्न किया जाता रहा है। इसका अथ यह बिलकुल नही है कि वह समकालीन राजनीति की भाति अतविषयक या बहुविषयक दृष्टिकोण पर आधारित है क्योंकि तत्कालीन राजनीतिक अवधारणा इन सब की कल्पित व इस आधार पर निरूपित स्थितियो का परिणाम थी न कि ठास आनुभाविक आधार का,

- 3 इस राजनीति के अध्ययन की मूल पद्धति कुछ विशिष्ट अपवादों को छोड़कर मूलतः कल्पित आदर्श के सत्य से सिद्धांत निर्माण की ओर उन्मुख रही है जिस उपयुक्त रूप से निगमनात्मक पद्धति (Deductive method) कहा जा सकता है।

आधुनिक राज्य-व्यवस्था की स्थापना व राष्ट्र राज्य के यूरोपीय प्रतिमान में राजनीतिक विकास-क्रम की दूसरी प्रमुख अवस्था प्रकट की और उसके सदम में राजनीतिक प्रकृति में भी बदलाव उपस्थित हुआ। 16 वीं शताब्दी व उसके उपरांत विकसित इस राजनीति विज्ञान ने परिवर्तित राजनीतिक प्रकृति का निम्न प्रतिमान उपलब्ध कराया—

- 1 राजनीति विज्ञान की प्रकृति सिमट कर मस्यात्मक हा गई और राज्य एक बुनियादी सस्या के रूप में केन्द्रीय महत्त्व पान लगा जबकि सरकार उसका मूलरूप में शासन प्रबन्ध में सम्बन्धित आधिकारिक सस्या के रूप में उभरी। गानर, गटिल गिल आइस्ट आदि विचारक अपनी राज्यपरक व्याख्याओं के लिए मुविख्यात हैं।
- 2 राज्य एवं सरकार का सस्यात्मक अध्ययन अपनी प्रकृति में कानूनी व औपचारिक था। औपचारिक इस आधार पर क्योंकि वह जैसा लिखाई देता था वही महत्त्वपूर्ण व प्रामाणिक माना जाता था, उसकी प्रकट रूप योजना के परं दखन भालन का यत्न प्रायः अनुपस्थित था। उसकी कानूनी प्रकृति इस तथ्य पर आश्रित थी कि सस्याओं का परिचय देश के कानून अथवा मविधान में निहित था और इस कारण माविधानिक रूप एवं प्रकृति अतिम निर्णायक थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अथवा अमरिकी राष्ट्रपति अपने-अपने साविधानिक सन्ध में ही ज्ञय थे, उनके अतिरिक्त उनको दखन भालन की कोई व्यवस्था नहीं थी।
- 3 यूरोपीय इतिहास व ऐतिहासिक विकास क्रम के अनुरूप राज्य का मूल उद्देश्य आत्म-स्थापना व आत्म विकास था और इस दृष्टि से राज्य शक्ति व सत्ता समाज में व्यवस्थापन के काय को ही समर्पित थी। परिणामतः राज्य एक पुलिम राज्य था—कानून और व्यवस्था का नियामक और उसका यह काम सामाजिक व्यवस्था के लिए अपरिहाय माना जाता था। राजनीति की राज्य काम क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं थी। राजनीति वही देखी परखी जाती थी जो कि राज्य क्रियाओं से प्राप्त गिन

थी। ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार अथवा दोनों का समन्वित अध्ययन ही हो सकता था।

- 4 वैचारिक दृष्टि से व्यापकता का आभास देने वाली विचार योजनाएँ जैसे आदर्शवाद व इतिहासवाद वास्तव में राज्य व तत्सम्बन्धी विचारधाराओं की ही व्याख्या करती थी। आदर्शवाद राज्य की अनिवार्यता व मांगलिकता स्पष्ट करता था जबकि इतिहासवाद इतिहास के दशन को गढ़ते हुए व इतिहास के मूल तत्त्व को सजोकर राज्य व प्रचलित विचारधारा (उदाहरणार्थ उदारवादी लोकतन्त्र) की समर्थक व्याख्याएँ प्रस्तुत करता था। हगल जहाँ आदर्शवादी व्याख्याता के रूप में प्रकट होता है वहीं आनल्ड टॉयबीन एंस्टडी ऑव हिस्टरी में इतिहास दशन का परिभाजन किया है।

राजनीति विज्ञान की प्रकृति का समसामयिक सद्भ यद्यपि अपने बीज रूप में बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही विद्यमान था और व्यवस्था विश्लेषण व्यवहारवादी आदि वैचारिक व्यवस्थाएँ इस दौरान अकुरित हुई थीं लेकिन उसका वर्तमान व्यवस्थित रूप द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के उपरांत प्रकट हुआ है। आज राजनीति विज्ञान की प्रकृति निम्न प्रवृत्तियों से सहज समझी जा सकती है—

- 1 राजनीति विज्ञान अपने समसामयिक सद्भ में आनुभविक प्रकृति प्राप्त है। इसका अभिप्राय यह है कि अनुभूति की प्रामाणिकता राजनीतिक सत्य निर्धारित करती है न कि किसी कल्पित धारणा द्वारा राजनीतिक सत्य उदघाटित होता है,
- 2 आज राजनीति विज्ञान आनुभाविक होने के साथ-साथ वैज्ञानिक भी है। इसका अर्थ यह है कि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से अनुभवजन्य सत्य का निखारा-तराशा जाता है और उसके उपरांत सिद्धांत निर्माण अभ्यास संयोजित किए जाते हैं। राजनीति की दुनिया में भी कार्य-कारणत्व (causality) प्रासंगिक है और उसके सद्भ में राजनीतिक घटनाओं व उनकी पुनरावृत्ति की व्याख्या की जाती है
- 3 राजनीति की वैज्ञानिकता उसके वास्तविक व्यवहार के अध्ययन पर निर्भर है। इस दृष्टि से राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन आज के द्वितीय महत्त्व रखता है। इसके अन्तर्गत प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्त्वों व उससे निर्धारित होने वाले तत्त्वों, दोनों

का सिलसिलेवार अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। राजनीतिक प्रक्रिया को समझने के लिए शक्ति, प्रभाव, सत्ता की प्रवृत्ति, व्यक्तियों के विशेष गुण व उनका वास्तविक व्यवहार, समाज, धर्म, नैतिकता आदि की पर्याप्त विवेचना आवश्यक है। राजनीतिक मर्यादा भी प्रक्रिया के हिस्से व रूप में प्रचलित हैं। वे राजनीतिक प्रक्रिया से संचालित होती हैं और तदुपरांत उस संचालित भी करती हैं इस दृष्टि से औपचारिक कानूनी दृष्टिकोण अपर्याप्त प्रकट होता है और राजनीति की अनौपचारिकताएँ उसकी पर्याप्त पूरक बनकर उपस्थित होती हैं। आज यह सर्व-विदित है कि कानूनी यथाथ व वास्तविक यथाथ दोनों के समन्वय से ही राजनीतिक यथाथ प्रकट हो सकता है और उसकी वनानिक विवेचना की जा सकती है,

4. वर्तमान राजनीति विज्ञान अतर्विषयक अथवा बहुविषयक दृष्टिकोण पर आधारित है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति समाज विज्ञानों में भी ज्ञान का एकीकरण प्रकट हुआ है और राजनीति की मध्य समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र मनोविज्ञान, दर्शन, इतिहास आदि के समन्वित उपयोगों से ही अर्जित की जा सकती है,
5. व्यक्ति का व्यवहार राजनीतिक व्यवहार निर्धारण की एक ठोस इकाई मानी जाती है। राजनीति के व्यवहारवादी आग्रह न व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन की उपयुक्ततम वैज्ञानिक तकनीकों ईजाद की। एक समय ऐसा भी आता दिखाई दिया जब वनानिकता अध्येताओं के सिर पर चढ़कर बोलने लगी। अति वैज्ञानिकता के आग्रह ने व्यवहारवादी भ्रम में राजनीति व समाज को लगभग यांत्रिक व्याख्याएँ उपलब्ध कराई और ऐसा लगा कि मानी वनानिकता राजनीतिक उपयुक्तता का स्थान ले लेगी। इस व्यक्तिभ्रम से बचाव स्वरूप अर्थ दर्शन व विज्ञान दोनों को समन्वित करके देखने का यत्न किया जाता है, 'वाहिए' और 'है' की दूरी पाटी जान की काशिश की जाती है और यह अपना की जाती है कि आदर्श व मानक वास्तविकता को निर्धारित करें और उस निर्धारण की वनानिक व्याख्या वनानिक पद्धतियाँ तकनीक आदि से उपलब्ध कराई जाएं।

राजनीति विज्ञान की प्रवृत्ति की विविध अवस्थाओं व उनका अंतराक यूरोपीय प्रतिमानों से मिलकुल अलग भारतीय सदर्भ राजनीतिक प्रवृत्ति का एक

बलम प्रतिमान उपलब्ध कराता है। भारतीय सद्भम मे राजनीति विज्ञान व राजनीति की एक समग्र व्याख्या की गई और इस क्रम मे राजनीति को कानूनेतर देखने का उपन्म किया गया। राजनीतिक प्रकृति जहा एक ओर राजधम पर आश्रित थी जिससे शासक व शासित दोनो बधे हुए थे वही दूसरी ओर वह राज्य शिल्प (State Craft) पर भी आधारित थी जहा मानवीय सवेदनाओ और सजनशीलता से राज्य और सरकार चलान का सकल्प व्यक्त किया गया था। राज्य शिल्प के साधनात्मक मूल्य के रूप मे राजनय प्रचलित था जो राजनीतिक सफलता व उसके नैतिक मानको को एक दूसरे से जोडने का यागदान देता था। राजनीतिक प्रकृति की विविधताओ का आभास महाभारत के इस कथन मे निहित है कि जिस प्रकार एक मोर अपने पख फलाकर विविध रंगो को बिखेरता है उसी प्रकार एक राजा को शासन के दोरान विविध गुणा का सयोजन एव प्रदर्शन करना चाहिए। उसे सख्ती, चातुय, अनिबधित भाव, सत्य और स्पष्टवादिता का अवसर के अनुकूल प्रयोग करना चाहिए। उस समय एव तत्कालीन परिस्थितियो मे यह तक प्रस्तुत करना कि स्पष्टवादिता व ईमानदारी से राज्यगोपनीयता बचाई जा सकती है, सचमुच अत्यधिक प्रगतिशील भावाभिव्यक्ति है। डॉ० यू० एन० घोषाल द्वारा इसे 'द्वैधाभासी अथवा सदिग्ध तक' मानना¹⁵ वस्तुतः राज्यशिल्प व राजनय की सीमित धारणा का परिचायक है। आज राजनय नेकनीयती व पारस्परिक विश्वसनीयता पर अधिक आधारित है और समझौते व समझौते के परिणामस्वरूप प्रकट गोपनीय राजनयिक अंश भी राजनयिको की साख पर आधारित होते हैं। उसके अभाव मे राजनय चल नहीं पाता। राजनीति की वैज्ञानिकता का इससे अधिक प्रमाण और क्या हो सकता है कि अथशास्त्र एक शास्त्र के रूप मे अपने पूवगामी कृत्त्वो की समीक्षा करता है, वतमान सद्भमों की आनुभविक व्यक्तिपरक व्याख्या करता है, अपन रूपविधान मे प्रशासनतंत्र सैनिक विज्ञान, अतराज्ज्योय राजनयिक गठवधनों को स्थान देता है और ऐसा सब करत हुए वो तत्कालीन राजनयिक सकटो का नीति विकल्प निर्मित करता है और राजनीति विज्ञान मे निहित विज्ञान एव कला, दोनो को अनुरणित करता है। यह कहना सभवत अतिशयोक्तिपूर्ण न हा कि राजनीति विज्ञान वा 'पॉलिसी-साइस (नीति विज्ञान) विम्ब अर्थशास्त्र मे प्रकट हाता है। प्राचीन भारतीय सद्भम मे इतना कुछ प्रस्तुत करना विस्मयकारी है। इसके सम्मुख यह प्रश्न अपेक्षाकृत गौण है कि अथशास्त्र किसने और कब लिखा। महत्त्वपूर्ण यह है कि प्राचीन साक्ष्या के आधार पर एक ऐसी परम्परा विद्यमान दिछाई देती है जो राजनीतिक प्रकृति की समग्रता का प्रतिष्ठित करती है।

राजनीति विज्ञान की प्रकृति व स्वरूप से सम्बन्धित इस चर्चा के प्रकाश में

यह प्रश्न अनावश्यक सा लगता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है अथवा कला ? काई भी जीवित विषय अथवा व्यक्ति न तो पूर्णतः सुव्यवस्थित होता है और न ही अव्यवस्थित । वह विभिन्न अवस्थाओं एवं परिस्थितियों के सदम में दाना के बीच वहीं स्थित होता है । ठीक इसी प्रकार राजनीति विज्ञान वास्तव में विज्ञान व कला के दो शीघ्र बिन्दुओं के बीच स्थित है, आगे-पीछे बढ़ता घटता रहता है और इस सदम में वह विज्ञान अथवा कला सदम होने का आभास देता है या हम अध्येता किसी तरह ऐसा आभास-संकेत प्राप्त कर लेते हैं । वास्तव में राजनीति विज्ञान एक स्वायत्त विषय है जिसे विज्ञान व कला मिलकर स्वायत्तता प्रदान करते हैं । राजनीति जिस अंश तक अध्ययन व अनुसंधान के अधीन है— और यह अंश पर्याप्त व्यापक है—उस अंश तक वह वैज्ञानिक है । राजनीति की वैज्ञानिकता उसकी अध्ययन सामग्री को सुव्यवस्थित करती है ग्राह्य बनाती है उसके सदम में सामान्य धारणाएँ व फिर सिद्धांत बनाता-बदलता है व्यक्ति का राजनीति के सदम में और राजनीति का व्यक्ति के सदम में समाधान होता है । हम दृष्टि से वैज्ञानिक पद्धति खोलकर अपनी भूमिका निभाती है और अनेक वैज्ञानिक व्यवस्थाएँ—काय-कारणत्व, सम्प्रेषण, नियंत्रण निर्माण, व्यवस्था-विश्लेषण, शक्ति संरचना आदि प्रयुक्त होती हैं । इसके बावजूद, राजनीति का एक काफी व्यापक भाग ऐसा है जो वैज्ञानिकता की परिधि से बाहर है । विज्ञान जैसा है वह तो विदित कराता है लेकिन जैसा होना चाहिए उसके सदम में वह मौन रहता है । अच्छा राज्य, अच्छी सरकार, अच्छी राजनीति, अच्छी विचार-धारा व अच्छे लोग 'अच्छाई की कला' में पारंगत हाकर ही उभर सकते हैं । यह प्रश्न विश्वास, आस्था व सदाचरण का है । ये सभी व्यक्ति, समाज, सरकार व राज्य की मूल्य व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न हैं । इन्हें लगातार इनके प्रति आस्था व विश्वास तथा आस्था व अनुभूति से अजिन किया जा सकता है । जिस प्रकार सभ्यता की प्रवीणता अथवा चित्रकला व पेंटिंग में दक्षता आत्मा व काया की निमलता पर निर्भर है और उसके उपरान्त वैज्ञानिक पद्धति उसके पानाजन में प्रासंगिक महायत्ना देती है, ठीक उसी प्रकार ईमानदारी, आस्था व मानवीय-गुणों से युक्त होकर राजनीति, राज्य व सरकार को सादृश्यात्मक बनाया जा सकता है । वैज्ञानिकता की भूमिका उसके उपरान्त प्रारम्भ होती है । यह प्रसंग यह स्पष्ट करके समाप्त किया जा सकता है कि विज्ञान तथ्या की प्रधानता का परिणामक है जबकि कला साधक के मूल्य-पक्ष की । तथ्यों व मूल्यों को संयुक्त करने और विज्ञान व कला को परस्पर जाड़कर राजनीति को सही तौर पर समझा परछा आर मूल्यों के सदम में विकसित किया जा सकता है ।

राजनीति विज्ञान का क्षेत्र

आज राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विकसित है। शक्ति व प्रभाव के सद्भ में राजनीति की सवव्यापकता न उसे हर ओर पहुंचा दिया है और सामाजिक बल्कि, व्यक्तिगत जीवन के भी अधिकांश अंग आज राजनीतिक व्याख्या के अधीन हैं। इस दृष्टि से आज राजनीति राज्य व सरकार के दायरे में न कैद रहकर अपनी हर्दें मानव सम्बन्धों स्कूल-कालेज विश्वविद्यालयों, सरकारी व गैर-सरकारी दफ्तरों और यहां तक कि धार्मिक प्रतिष्ठानों में भी फैल गई है। राजनीति की सावशिकता ने जहां एक ओर राजनीतिक व्याख्याओं की लोक-धार्मिता सिद्ध की है वहीं उसने 'राजनीतिक' क्या है, इस सम्बन्ध में अस्पष्टता व भ्रम भी प्रकट किया है। आज 'राजनीतिक' स्तरों व उनमें व्याप्त राजनीतिक तत्त्वों व शैली में विभेदीकरण का अभाव दिखाई देता है। आवश्यक यह है कि राजनीति के क्षेत्र निर्धारण का एक कायकारी भाषण स्विकार किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि अमुक 'राजनीतिक' है जबकि अन्य स्थितियों में राजनीतिक अंग विद्यमान हैं। एक अंग उल्लेखनीय तथ्य यह है कि शक्ति प्रधान राजनीतिक अवधारणाएँ शक्ति को अंतिम व साध्य मानती हैं जबकि स्वस्थ राजनीतिक सद्भ में शक्ति 'साधनात्मक' है और ऐसा होते हुए वह 'शौचित्यपूर्ण' होती है और उससे सत्ता प्रकट होती है। इस विस्तार के अभाव में व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त, अपने साधनात्मक सद्भ में ही शक्ति राजनीतिक विकास व परिवर्तन सुनिश्च करती है। अतः शक्ति का निरंकुशतावादी आग्रह न केवल सत्ता-धृता उत्पन्न करता है बल्कि, उससे राजनीतिक सार विकृत भी होता है। एक कायकारी प्रस्ताव के रूप में संभवतः यह मत अभिव्यक्त किया जा सकता है कि सार्वजनिक नीतियों व कार्यक्रमों की दृष्टि से प्रासंगिक तत्त्व ही राजनीतिक है जबकि अन्य तत्त्व गैर राजनीतिक।

इसके बावजूद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को राज्य प्रधान व राज्येतर सद्भों में भलीभांति देखा-परखा जा सकता है। राज्य प्रधान सद्भ में राज्य की अवधारणाएँ (समाजवाद, लोकतंत्र इत्यादि), सरकार का संगठन-संविधान-वर्णित व वास्तविक व्यवहार सम्बन्धी, सरकारी पद व मन्थ्याभा के पारस्परिक सम्बन्ध सरकारी निर्वाचन, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका के संगठनात्मक व प्रयोगात्मक पक्ष तथा राज्य की न्यायव्ययक राजनीतिक विचार श्रेणियाँ व अवधारणाएँ उत्पत्ति के विविध सिद्धांत राज्य क्रियाशीलता के सिद्धांत राज्य परक विचार धाराएँ स्वतन्त्रता, समानता अधिकार इत्यादि। राज्येतर सद्भ में राजनीति की प्रक्रियात्मक वास्तविकता राजनीतिक व्यवस्था के विविध उपागम, राज्येतर राजनीतिक संस्थाएँ जैसे राजनीतिक दल, दवाव समूह व हित समूह गैर-राज्य

(Non State) प्रक्रियाएँ व उनका विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वास्तविकताएँ तथा जटिलताएँ इत्यादि आती हैं। इनके अतिरिक्त, इसी श्रेणी में सरकार के अनौपचारिक आनुभाविक रूपों, प्रतिनिधित्व की विधियों आदि को भी रखा जा सकता है।

कुल मिलाकर राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र अध्ययन की दृष्टि से अत विषयक दृष्टिकोण का पक्षधर है। इस वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए विविध विषयों के विशेषज्ञों का 'टीम वर्क' अपरिहार्य माना जाता है और सब मिलकर अपने-अपने विषय से सम्बन्धित आशिक सत्य को तरजीह देते हैं और ऐसा करते हुए 'पूर्ण' की रचना चाहते हैं। यूरोप के सदस्य में यह 'टीम वर्क' भले ही सटीक हो, क्योंकि वहाँ 'या तो यह अथवा' 'वह' को समन्वित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। गर यूरोपीय सदस्य में यह दृष्टिकोण कुछ विशेष उपयागिता की सम्भावनाएँ उजागर नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि पारम्परिक सदस्य में मानव, समाज, धर्म व दर्शन की भाँति भारतीय व अन्य गैर यूरोपीय सदस्यों में भी राजनीति की समग्र कल्पना की गई थी। राजनीति का क्षेत्र इतना व्यापक स्वीकार किया गया था कि वह ज्ञान व क्रम की समस्त विधाओं से जुड़ा हुआ था और उन्हे गतिशीलता उपलब्ध कराता था। अथवा सत्र सम्पूर्ण व्यक्तियों की वृत्ति (जीवनयापन) के सस्साधन का माध्यम है और इस दृष्टि से वह न केवल राजनीतिक दस्तावेज है और न ही मात्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कृति। वह वस्तुतः भूलोक पर व्यक्तियों के सफल सोद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने व इसके लिए आवश्यक व्यवस्था निर्मित का प्रयास है। यद्यपि कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण रूप में लेखिक महत्त्वपूर्ण से समसामयिक घटनाक्रमों से इतने पूर्व महाभारत में राजव्यवस्था के सावदेशिक क्षेत्र व उद्देश्य का आभास इस प्रकार उपलब्ध होता है—

राज्य धर्म की सहिता समस्त सजीव सृष्टि की आश्रय-स्थली है
मानव अस्तित्व का त्रिवर्गी उद्देश्य राज्यधर्म सहिता में ही समासकत है
राजधर्म सहिता में ही प्रत्येक प्रकार का परित्याग समाहित है,
(इसी में) सभी धार्मिक संस्कार निहित हैं राज्यधर्म सहिता में ही
समस्त विधाएँ एकीकृत हैं राज्यधर्म सहिता में ही समस्त लोक केन्द्रित हैं।'

उद्धरण

- 1 हेरोल्ड लासवेल व ए कपलन पॉवर एण्ड सोसाइटी ए फ्रेंच-वर्क फॉर पॉलिटिकल इन्क्यावरी, पृ XI V
- 2 जाज ई- जी केटलिन "पॉलिटिकल थिअरी वॉट इज इट?"

गोल्ड व थसबी (स) व-टेम्पोरेरी पॅलिटिकल थॉट, इशूज़ इन स्कोप, वेल्यू एण्ड डाइरेक्शन, प 24-24

- 3 डेविड ईस्टन, दि पॅलिटिकल सिक्वेंस, प 129
- 4 हस्ज़ार व स्टीवज़न, पोलिटिकल साइस, प 1
- 5 यू घोपाल, ए हिस्टरी ऑफ इंडियन पॅलिटिकल आइडियाज़ प 84
- 6 वही, प 120
- 7 वही, प 120-125
- 8 महाभारत λII, 56, 3 4 घोपाल द्वारा उद्धृत पूर्वोक्त (प्रारम्भिक पृष्ठ)

अध्याय 2

राजनीति विज्ञान की प्रमुख अध्ययन- पद्धतियाँ

राजनीति विज्ञान में पद्धतिशास्त्र का स्थान अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। यह महत्त्व पद्धतिशास्त्रीय चेतना से उत्पन्न हुआ है जिसमें सतत यह भाव प्रतिष्ठित होता रहा है कि तथ्यों की न केवल उपयुक्तता ही आवश्यक है बल्कि, उनके निर्धारण की विधि भी उपयुक्ततापूर्ण प्रकट करना आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि तथ्यों की सत्यापनीयता (Verifiability) व उनका प्रमाणीकरण (authentication) प्रयुक्त पद्धति के प्रकट विवरण की अपेक्षा करता है, जिससे अर्थ अध्येता व अवश्य उसी पद्धति के उपयोग से उस तथ्य को पुनः प्राप्त कर सकें और अभ्यास की यह पुनरावृत्ति तथ्यों की प्रमाणित कर सकें अथवा उनमें समयानुकूल परिवर्तन सुलभ करा सकें। राजनीति विज्ञान समेत समस्त समाज-विज्ञानों में पद्धति का महत्त्व इस कारण और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि समाज विज्ञानों की दुनिया में प्रयोग ठोस पदाप पर भौतिक दुनिया की सहायता से बाद प्रयोगशास्त्र में नहीं किया जा सकता। यहाँ प्रयोग समाज की दृष्टि सीमा में परिवर्तनशील एवं विकासशील व्यक्ति व समाज पर किया जाता है। दूसरी दृष्टिकोण इस तथ्य पर आधारित है कि व्यक्ति क्या है, क्या सोचता है, कैसे गठननाएँ करता है इसका एकमात्र स्रोत स्वयं उसकी प्रकट अभिव्यक्ति होती है। यह आवश्यक नहीं कि प्रकट अभिव्यक्ति उसकी वास्तविक मनस्थिति की परिचायक है। अथवा प्रकट गूढ़ मानसिकता या नहीं केंद्र की जा सकती जो स्वयं में एक निर्वाचक कमी है, जब यदि प्रकट के निरोधन में भी अपर्याप्तता या अतिरिक्तता बरता जाए तो तथ्यों की क्या उपयोगिता रहे जाएगी।

इस चेतना में वैसे हाकर राजनीतिशास्त्रिया व शोधकर्त्ताओं ने विविध ऐतिहासिक स्थितिया में अनेक पद्धतिया का आश्रय लिया है। बीसवी शताब्दी में समाज वैज्ञानिक सदभ में तो पद्धतिशास्त्रीय चेतना इस बुलंदी तक पहुची कि आनल्ड ब्रेंट ने बीसवी शताब्दी का समाज विज्ञान की दृष्टि से एक पद्धति-शास्त्रीय शताब्दी की सजा द डाली।

पद्धति वास्तव में एक निश्चित परिणाम तक पहुचने के लिए नियोजित अवपण का एक प्रकार है। इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान में किसी एक पद्धति का वचस्व स्थापित नहीं हो सकता है। अनेक सामाजिक स्थितिया एवं प्रसंग अनेक पद्धतिया व अध्ययन तकनीकों की उपेक्षा करते हैं। राजनीतिक अध्येता इस आवश्यकता के प्रति उदासीन नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने-अपने अध्ययनों में प्रयोगात्मक, पयवेक्षणात्मक, ऐतिहासिक, दाशनिक, तुलनात्मक तथा वैज्ञानिक पद्धतिया का नियोजन किया है। राजनीतिक अध्ययना के क्रम में काम्टे, जे एस मिल, सर जार्ज कानवाल लेविस, एलेक्जेंडर बेन, लॉड ब्राइस व तदुपरांत मक्स वेबर, जान डिवे, फेलिम्सस, काफमेन, लिओ स्ट्रास एरिक वागलिन, काल पापर आनल्ड ब्रेंट का विशेष योगदान रहा है।

इस अध्ययन में क्रमश प्रयोगात्मक, पयवेक्षणात्मक, ऐतिहासिक, दाशनिक व तुलनात्मक पद्धतियों का सार रूपी व वैज्ञानिक पद्धति का अपेक्षाकृत विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा।

प्रयोगात्मक पद्धति

राजनीति विज्ञान में प्रयोग सम्भव है अथवा नहीं इस विषय में शुरु से ही काफी विवाद रहा है। प्रयोग पक्ष के विरोधी यह तक प्रस्तुत करते हैं कि सामाजिक नदभ में व्यक्ति के मनोभावों एवं प्रकट अभिव्यक्ति में तारतम्य स्थापित करके उसे प्रयोग के अधीन करना अत्यधिक दुष्कर कार्य है। खुले समाज में प्रयोगात्मक पद्धति और भी अधिक दुसाध्य होती है क्योंकि इसमें अनेक प्रतिगामी शक्तियाँ एवं बला का भार व्यक्ति व उसके परिवेश को सतत् प्रभावित करता है। यहाँ तथ्या को कृत्रिम रूप से पदा करके उन पर प्रयोग नहीं किया जा सकता जसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में मभव है और इस कारण समानधर्मी प्रवृत्तियों एवं घटनाओं की पुनरावृत्ति उसी क्रम में, उसी प्रकार बारम्बार प्रकट नहीं हो सकती। लॉड ब्राइस का यह प्रतीकात्मक कथन विचारणीय है कि सामाजिक स्थितिया पूर्ववर्ती क्रम व निश्चितता से उसी प्रकार पुन प्रस्तुत नहीं की जा सकती जिन प्रकार हेराक्लिटस के अनुसार कोई व्यक्ति एक प्रवाहशील नदी में दुबारा पूर्ववर्ती कदम नहीं रख सकता।²

इनके बावजूद राजनीति विज्ञान के पर्याप्त विद्वानों की यह धारणा है कि

इन मन्त्र अंतरात्मा के रहने हुए भी विषय में सीमित प्रयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। राजनीति विज्ञान समेत समस्त समाज विज्ञान में एसी सस्याएँ एवं प्रक्रियाएँ सुलभ हैं जिनके सद्व्यक्त प्रयोग किया जा सकता है। चाहे भरियम राज्य व उसका अनुवर्ती सस्याआ के सद्व्यक्त प्रयोग किए जाने व समर्थक हैं।¹ इसी प्रकार जॉर्ज केटलीन भी सीमित प्रयोगों की वास्तविकता स्वीकार करते हैं यद्यपि उनके मत में राजनीति के "अनाकलनीय" (incalculable) तत्वा पर भी पूर्ण ध्यान देना अपेक्षित है।²

यह अभिव्यक्ति इस सम्बन्ध में सद्यः प्रासंगिक होगी कि आज प्रयोगात्मक पद्धति के नियोजन में राजनीतिक सार ग्रहण करने की क्रियाएँ संचालित हो रही हैं। वास्तव में प्रत्येक सरकारी नीति सत्त्व एवं प्रयोग की शुरुआत होता है जिन्के उपरान्त प्रतिस्पर्धाएँ अनुक्रियाएँ इत्यादि सकलित की जाती हैं और उसके बाद नीति क्रियावयन होता है। उदाहरण के लिए श्रीमती गांधी द्वारा वैका या राष्ट्रीयकरण एक अभिनव नीति प्रयोग था और उसके अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त कर 14 बैंकों का वास्तविक राष्ट्रीयकरण इस प्रयोग की ताकिक परिणति। यह एक मफल राजनीतिक प्रयोग का उदाहरण है जिसने श्रीमती गांधी को पर्याप्त शक्ति व सुदृढता उपलब्ध कराई। इसके विपरीत, उनके द्वारा भारत में बीमार लोकतंत्र के इलाज के लिए दी गई आपातकाल की बडधी गोली का प्रयोग राजनीतिक दृष्टि से विफल सिद्ध हुआ। आपातकाल के दौरान अनिवाय नसबंदी के अभियान ने श्रीमती गांधी की प्रयोग क्षमता का लोक समयन में निलकुत जुदा सा कर दिया। इन दाना के सम्मिलित प्रभाव ने 1977 के चुनावों में श्रीमती गांधी का प्रधानमन्त्रित्व छीन लिया। यह राजनीतिक प्रयोग की विफलता का उदाहरण है। किसी प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव राजनीतिक प्रयोग को सस्यात्मक मंच प्रदान करते हैं। 1971 के चुनाव में 'गरीबी हटाओ' और 'इंदिरा हटाओ' के प्रति योगी प्रयोग सत्त्वों में से जनता ने 'गरीबी हटाओ सत्त्व का समयन देकर श्रीमती गांधी के नतत्व में आस्था प्रकट की जबकि 1977 में लोकतंत्र के स्थगन व लोकतंत्र के पुनः प्रतिस्थापन पर औचित्य की मुहर लगाने के सवाल पर उसने लोकतंत्र के स्थगन पर मुहर लगाने से इन्कार कर दिया और लोकतंत्र का पुनः स्थापना के पक्ष में अपना फमला दिया। इसके अतिरिक्त आज अनेक सरकारी और सरकारी व स्वच्छिक संगठनों द्वारा नेताआ, नीतिया व क्रिया योजना के सम्बन्ध में मत सर्वेक्षण (Opinion survey) नियोजित किया जाता जा स्वयं में एक साधक प्रयोग है—एक एमा प्रयोग जा पद्धतिभास्त्री परिवर्तन में सुदृढ होकर वैचारिक व गणितिक स्पष्टता मुलभ करता है। यह मत-सर्वेक्षण चुनाव में पूर्व जनता की मन स्थिति का आभास देते हैं जिसका चुनाव परिणाम पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। चुनाव के उपरान्त विविध नीतियों के सम्बन्ध में विचारित मत सर्वेक्षण राजनीतिक व्यवस्थापन की दृष्टि में उपयुक्त मन्त्रक

सुलभ कराते ह। कुल मिलाकर यह मत व्यक्त करना प्रासंगिक होगा कि राजनीति विज्ञान में प्रयोग सम्भव है। यद्यपि इनमें प्राकृतिक विज्ञानों की निश्चितता नहीं हो सकती फिर भी इनकी सहायता से राजनीति प्रक्रिया सम्पन्न होती है और सरकारी कामकाज सुचारु रूप से चलता है।

पर्यवेक्षणात्मक पद्धति

राजनीति विज्ञान में यदि प्राकृतिक विज्ञानों की भाँति नियंत्रित प्रयोग सम्भव नहीं होते तो उसका अभाव पर्यवेक्षण की सटीकता से पूरा किया जा सकता है। पर्यवेक्षणपद्धति की तक सगति इस आग्रह में निहित है कि अपनी दृष्टि साफ रखते हुए राजनीतिक घटनाक्रमों एवं उनके पार्श्व तत्वों की गतिविधियाँ पर खुली नज़र रखी जाए। यदि इस पर्यवेक्षण के दौरान राजनीतिक तत्वों व घटनाओं की पुनरावृत्ति हो तो आनुभाविक आधार पर नियम निर्माण किया जा सकता है। इसी भाव से प्रेरित होकर लाड ब्राइस ने दो खण्डों में पर्यवेक्षणात्मक पद्धति आधार पर अमेरिकन कामनवेल्थ मॉडन डिमोक्रेसीज़ वृत्तियाँ की रचना की। इन वृत्तियों से निकले ब्राइस के अनुभव-सार का उद्धरण विशेष उपयोगी है—राजनीतिक अध्ययन को तथ्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए, उसे पूर्णतः साफ करना चाहिए, उस पर तब तक पालिश करनी चाहिए जब तक कि वह चमकमान न जाए और एक मणि की भाँति चमकने लगे। तदुपरांत उसे अथ तथ्यों से संयोजित करना चाहिए, उनसे इसके सम्बन्ध का परीक्षण करना चाहिए क्योंकि इसी में उसका मूल्य व महत्व निहित है। अपने आप में (अकेले) इसका बहुत कम उपयोग हो सकता है। इसलिए इसे हार में एक हीरे का या एक इमारत में पत्थर, बल्कि समझना ही तो आधारशिला का दर्जा दिया जाना चाहिए।¹⁵

पर्यवेक्षण पद्धति को विकसित करके उसे एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य 1945 के बाद राजनीति विज्ञान में बहुतायत से होने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत नवोदित गर-पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं पर दृष्टिपात की आवश्यकता प्रतीत हुई और इस उद्देश्य से क्षेत्र अध्ययन (area studies) संगठित किए गए। आम्पड व कोलमेन ने पॉलिटेक्स आव डिवलपिंग एरियाज़ की रचना की। इसके अतिरिक्त, भारत, पाकिस्तान, वमा-नेपाल श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया मिश्र, आदि भू-दशा के राष्ट्रीय व क्षेत्र-परक अध्ययन किए गए। इनमें अध्ययन में पर्यवेक्षण का विशेष स्थान रहा—आम तौर पर प्रयुक्त पद्धति यह थी कि पहले वर्ष में आधार-कार्य के उपरांत क्षेत्र भ्रमण करने आकड़े लिए जाएँ दूसरे वर्ष अपने देश में उन आकड़ों का संसाधन किया जाए तथा तीसरे वर्ष फिर क्षेत्र भ्रमण के दौरान आकड़ों व संसम्बन्धित सामग्री में तुलना की जाए व्यतिक्रम सूची बढ़ किए जाएँ नए

विकास क्रमों के मदम म ससाधित सामग्रियों का प्रमाणीकरण हो और यदि व्यक्ति क्रम पुराने कृतित्व आधार का चुनती दते हा तो वापिस लौटकर बकल्पिक ससाधन व फिर आवश्यकतानुसार उनका क्षेत्र घ्रमण के दौरान परीक्षण किया जाए। स्पष्ट है पयवक्षण आज भी महत्वपूर्ण म्यान रखता है और राजनीतिक अध्ययनों के अभिनव क्रम म भी पूर्ववत् प्रागणिक है।

इस सबके बावजूद पयवेक्षणरम पद्धति की अपनी अपर्याप्तताएँ हैं जो इस पर अबुण लगाती हैं। प्रत्यक्ष पयवेशन महत्वपूर्ण है लेकिन वह अकेले समझ जुटान म अशम है। किमी भी दण अथवा क्षेत्र का अध्ययन उम दण की विशिष्ट परम्पराओं इतिहास, संस्कृति, धर्म, समाज इत्यादि के अभूव मे नही किया जा सकता। इसके अतिरिक्त विशिष्ट लोक मानस मे परिचय भी महत्वपूर्ण रूप से उस क्षेत्र स सम्यधित अभ्ययन को प्रभावित करता है। यदि इतना कुछ पयवेक्षण से सयोजित किया जाए तत्र नही जाकर बात बर पाती है अथवा पयवेक्षण अभ्यास निराशा व कुण्टा उत्पन कराते हैं। अधिकांश पश्चिमी अध्येता इस अनुभव मे गुजरे हैं जहा पण्डितन व विकास ने उनके चयनित क्षेत्र म अत्यधिक तीव्रता स बदलाव उपस्थित किया और देशी परम्पराओं व मूल्य व्यवस्था से जजनबी य विदेशी अध्येता इन परिवतनों को परिवतन के क्रम मे न देख कर केवल अपने अध्ययन निष्कर्षों के मदम म ही देखने का तत्पर हुए और उनसे बेमेल होने के कारण उहोने अपने क्षेत्र की गतिविधियों व उनके बदलाव का सुविधापरस्ती म मात्र 'केलाइजोस्कोपिक' कह कर टाल दिया। पयवेक्षण पद्धति उपयोगी हो सकती है बशर्ते कि धपपूर्वक उसे ससम्बधित किया जाए, अध्येता अपना रगीन चणमा उतार कर देशी रण देखे और न केवल देखे ही बल्कि, उनम रच-बस भी जाए। यह एव मुश्किल अपेक्षा है लेकिन पयवेक्षण के अनुशासन के लिए यह अपरिहाय है।

ऐतिहासिक पद्धति

ऐतिहासिक पद्धति की उपयोगिता काफी लम्बे समय स राजनीतिक विचारका एव अध्येताओं को आकर्षित करती रही है। यूरोप मे मकयावलि ने ऐतिहासिक क्रम म राज्य व्यवस्था की अवस्थाओं का निरूपण किया और इम आधार पर डिस्कोर्सेज प्रपान दि टेन बुक्स ऑव टाइटल सिवियस शान रोमन हिस्टरी की रचना की। ऐतिहासिक पद्धति की अपनी सम्युण अपूणनाओं के बावजूद मेकयावलि न एक विशिष्ट ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इस मदम म निर्मित किया कि वह इस अभ्यास के द्वारा ऐतिहासिक क्रम म 'शक्ति के ह्रास व प्रवाह' को प्याह पाना चाहता था। "भारत म बौद्धिय न प्रारम्भ म अपनी पबवर्ती अणशास्त्र परम्पराओं का संकलन किया और अणशास्त्र प्रणय म

उनसे प्राप्त इतिहास सार को प्रतिष्ठित किया। कोटिल्य का ग्रन्थ जहा मौलिक प्रस्तावनाओं को सुलभ कराता है वही वह पर्याप्त रूप से इतिहास व ऐतिहासिक राजनीतिक परम्पराओं एवं कृतियों की एक टीका भी उपलब्ध कराता है। इन ऐतिहासिक पूर्वोदाहरणों ने उसकी वर्तमान की व्याख्या को गहनता से प्रभावित किया है। यह अभिव्यक्ति भी संभवतः उपयुक्त होगी कि मूरारूप मेक्यावल से काफी पूर्व जरस्तु न जब अपन साध्यपरक अथवा उद्देश्यवादी (teleological) उपागम का प्रतिपादन किया तब वह वस्तुन ऐतिहासिक उत्पत्ति व विकास क्रम के तथ्य की ही पुनराभिव्यक्ति कर रहा था। आधुनिक शताब्दियों में सीले, लास्की व सर फ्रेडरिक पोलक ऐसे अधिकारिक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक पद्धति के उपयोग के विषय में सारगर्भित योगदान दिया।

ऐतिहासिक पद्धति की विवेचना करते हुए सर फ्रेडरिक पोलक ने यह स्पष्ट किया है कि ऐतिहासिक पद्धति राजनीतिक समस्याओं व वर्तमान स्वरूप व उनके भावी प्रवृत्त रूप की व्याख्या करती है और ऐसा वह यह अन्वेषित करके प्रतिपादित करती है कि ये समस्याएँ कसी रही हैं (इतिहास क्रम में) और अपन वर्तमान रूप में किस प्रकार आईं न कि इस संदर्भ में कि उनके वर्तमान का विश्लेषण क्या प्रस्तुत करता है। जाशय यह है कि समस्याओं के अतीत का देख समझ कर ही उनके प्रकट वर्तमान को अधिक बोधपूर्ण रूप से पहिचाना जा सकता है और यह अभिज्ञान वर्तमान विश्लेषण व भविष्यामुखी कल्पनाओं का ठोस आधार प्रदान करता है।

ऐतिहासिक पद्धति इतिहास से अर्जित सत्यात्मक उदाहरणों द्वारा राजनीति विज्ञान में सामान्य अवधारणाएँ प्रस्तुत करती है। ऐतिहासिक क्रम में ही उनका सत्यापन-काय भी किया जाता है। समस्याओं के अतिरिक्त नत्त्व अध्ययन (leadership-study) भी ऐतिहासिक संदर्भ में ससाधित की जाती है। उदाहरण के लिए भारतीय प्रधानमन्त्रित्व के वास्तविक पक्ष का उद्घाटित करने के लिए उपयुक्ततः जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, व पुनः श्रीमती गांधी के कायकाल से उदाहरण अर्जित करने हाने और उनके परीक्षण के उपरांत उनसे सामान्य परिक्ल्पनाएँ निर्मित करनी हानगी। ऐतिहासिक पद्धति द्वारा पूर्वबोधित (excogitated) विचारों की ठोस ऐतिहासिक साक्ष्यों के प्रकाश में वधता भी निर्धारित की जा सकती है। कुल मिलाकर यह कथन सही होगा कि ऐतिहासिक पद्धति हमें इतिहास भाव से समृद्ध करती है और इस समृद्धि से कायशील ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य निर्मित होता है।⁸ इसमें बावजूद, ऐतिहासिक पद्धति की अपर्याप्तताओं की आरंभिक लेखकों व विद्वानों ने ध्यान आकर्षित किया है जिनमें सर अर्नेस्ट वाकर व सिगबिक महत्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक पद्धति की अपर्याप्तता के पक्ष में दो मत यह व्यक्त किए

जाते हैं—(1) ऐतिहासिक पद्धति व्यावहारिक राजनीति के लिए आवश्यक ममाधान मुलभ कराने में असमर्थ है और (2) यह राजनीति विज्ञान व बुनियाती काम (नतिक तत्व से युक्त जगत आदर्श के सदम में राजनीतिक प्रक्रिया की स्पष्ट व्याख्या) से भी असम्भव है। य दाना ही मत विचारणीय होते हुए भी दुर्लभ नहीं है। काटिल्य का अथशास्त्र यह सिद्ध करता है कि इतिहास से समर्थ ग्रहण करी हुए व्यावहारिक राजनीतिक दृष्टि से उचारात्मक व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि अथशास्त्र न केवल मंडातिक समीक्षा ही प्रस्तुत करता है बल्कि, वह नीति विज्ञान (Policy-science) के रूप में व्यावहारिक निदान भी उपलब्ध कराता है। राजनीतिक प्रक्रिया की व्याख्या की चौखट तक पहुचन के ऐतिहासिक पद्धति के योगदान को नगण्य मानना या ऐसा इ गित करना सम्भव शैक्षणिक दृष्टि से अनुपयुक्त होगा। विश्लेषण की दृष्ट तब ऐतिहासिक पद्धति से समुचित सहायता लेना वस्तुतः ऐतिहासिक पद्धति की भूमिका की इति है और तदुपरात किसी पद्धति के समारम्भ का सिलसिला शुरू होना है या ऐसी हाना चाहिए। राजनीति विज्ञान के मसाधन की धाना में अनेक पद्धतियों के पडाव अपेक्षित हैं और उन पडावों पर एक पद्धति की यात्रा सम्पन्न होती है और दूसरी नई पद्धति की यात्रा प्रारम्भ हो जाती है। राजनीति विज्ञान अनेक पद्धतियों के योग से ही अपना विशिष्ट रूप सिधान पा सकता है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष सवमाय होना चाहिए कि ऐतिहासिक पद्धति राजनीतिक विश्लेषण में अन्य पद्धतियों की भांति एक सहायक पद्धति है और इस दृष्टि से वह महत्वपूर्ण है।

दाशनिक पद्धति

राजनीति विज्ञान में दाशनिक पद्धति की महत्ता इस प्रवृत्ति से जात होनी है कि एक आत्मविकासी विषय के रूप में वह जसा है उसे और परिष्कृत करना चाहता है और जो वह नहीं है और होना चाहता है जसा वह बनने का सकल्पित प्रयास करता है। इन दृष्टि से जहा अन्य पद्धतिमा उस अपने आप की निष्कारण में मदद देती हैं वही दाशनिक पद्धति उम उसके आन्श या कल्पित रूप तक पहुचन की सद्भरणा प्रदान करती है।

दाशनिक पद्धति निगमनात्मक तब विद्या पर आधारित है जिसमें पूर्वकल्पित धारणाओं के सदम में राजनीतिक स्पष्टता निर्धारित करने या प्रयास किया जाता है। प्लेटो ने अपने ग्रन्थ रिपब्लिक में विचार-मृत्यु ज्ञान-मासी रूप में ग्रहण किया और उसके आधार पर दाशनिक राजा काय सिद्धा व आदर्श साम्यवादी यात्रा प्रस्तावित की। प्लेटो ने अमूर्ति सामाज्य दृष्टि के सदम में राज व्यवस्था का चित्रण किया और व्यक्ति, स्वतंत्रता व समानता के अपने

सकलित की उसका विश्लेषण किया और ऐसा करते हुए सामान्य राजनीतिक सिद्धांतों को स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

द्वितीय महायुद्ध के उपरांत राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक पद्धति के नियोजन में पहले की अपेक्षा अधिक परिष्कार उपस्थित हुआ। औपचारिक समस्याओं की पूर्वगामी तुलना से आगे बढ़ते हुए इस अवस्था में राजनीतिक प्रक्रिया की अनौपचारिकताओं का तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य निर्मित किया गया। आज देशीय आधार पर तुलनाएँ अर्जित करने की अपेक्षा अंतरराष्ट्रीय (infrastructural) तुलनाएँ करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आज तुलनाएँ राष्ट्रीय स्तर के साय-साय क्षेत्रीय (regional) स्तर पर भी राजनीतिक तुलनात्मक अभ्यास नियोजित किए जाते हैं और वे भी क्षैतिज (horizontal) व ऊर्ध्वाधर (vertical) दानो-मंत्रों पर। इस दृष्टि से तुलना का क्षेत्र पहले की अपेक्षा न केवल मात्रात्मक अनुपात में बड़ा है बल्कि उसकी गुणात्मक क्षमता में भी अभिवृद्धि हुई है। आज औपचारिक सरकारी स्तर के अतिरिक्त नौकरशाही दलीय व्यवस्था, संगठित समूहों, विज्ञान एवं प्राविधिकी के स्तर तथा वर्गीय अभिजनवाद (class elitism) के सदर्भ में व्यापकतर तुलनाएँ नियोजित की जा रही हैं। विकासशील एवं विकसित देशों के सापेक्षिक विकास स्तर भी आज तुलना का एक प्रधान पक्ष है। इसके अतिरिक्त शस्त्रों के प्रसार उपभोग मूचकाव (consumption index) की विविधता, विचारधाराई घनिष्ठता अथवा उदात्तता आदि विषय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक पद्धति के अधीन हैं और उनका व्यावहारिक रूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताएँ समझने और उनका चर्चा/कार्यिक उपकरण निर्मित करने में विशेष सहयोगी भूमिका का निवाह कर रहा है।

इस सबके बावजूद उपयोगी राजनीतिक तुलनाओं की संभावना तुलनात्मक पद्धति के अत्यधिक सतक प्रयोग पर निर्भर है। राजनीतिक तुलनाओं में अभ्यास की दृष्टि से यह स्मरणीय है कि तुलनीय राजनीतिक व्यवस्थाओं पर जनक प्रकार की प्रतियोगी शक्तियाँ का भार एवं बल विद्यमान होता है और उनकी प्रकृति व सम्भावनाओं से परिचय सफल राजनीतिक तुलनाओं की पूर्व जाव-शकता है। यदि तुलना व विश्लेषण का दायरा अत्यधिक सकुचित होगा तो घटकों व शक्तियों का बहिष्कृत ममंत्र रूप से तुलना के घनत्व पर नहीं उतर सकेगा। उदाहरण के लिए भारत व ब्रिटेन दोनों ससदीय सरकारों के परिचायक हैं लेकिन ब्रिटिश ससदीय सरकार के मापदण्ड व शक्तियाँ भारत के ससदीय सरकारों के परिचायक व चार्चक याँचातानी ही होगी क्योंकि ताकतवर व शक्तियुक्त भारत के ससदीय प्रतिमान के बावजूद भारत में जाति-संरचना, क्षेत्रीय बहिष्कृत, घामिक-सांस्कृतिक बहुलता एवं अमान आर्थिक-सामाजिक स्तरों के विशिष्ट स्वरूप विद्यमान हैं। इनके पयात्

सत्ताधन के अभाव में भारतीय लोकतंत्र की सम्पूर्ण प्रवृत्ति व सम्भावना क्षेत्र अर्जित नहीं किया जा सकता। उसकी ब्रिटिश सरकार से तुलना का लक्ष्य ता वाद की बात है। आशय यह स्पष्ट करता है कि तुलनात्मक पद्धति विशेषण की एक निश्चित तैयारी की आधारभूमि पर ही नियोजित हा सकती है। इस तैयारी में विलक्षण सम्बन्ध के पाथक्य के बावजूद व्यवस्थाओं का तुलनीय आधार निर्मित करना आवश्यक है।

वैज्ञानिक पद्धति व राजनीति विज्ञान में उसके प्रयोग की सम्भावना

वैज्ञानिक पद्धति के सम्बन्ध में चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि समाज विज्ञान में विशेष रूप से और प्राकृतिक विज्ञान में सामान्य रूप से वैज्ञानिकता अर्जित करने के क्रम में मानवीयता का विस्तार नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक पद्धति कोई मानिक अभ्यास नहीं है बल्कि वह एक चेतनशील सजनात्मक प्रतिभा से युक्त एक मानवीय प्रक्रिया है। वैज्ञानिक पद्धति मानवीय सचदना एवं सजनात्मकता का स्थापनापन नहीं हो सकती। साथ ही वह स्वयं यह बता भी नहीं सकती कि सृजनशील कैसे हुआ जाए ?¹⁰ यह ता वस्तुतः शोधकर्ता के अपन व्यक्तित्व व उसमें सम्बन्धित गुणों का प्रश्न है। वैज्ञानिक पद्धति व्यवहारवादी नाति से काफी अधिक पुरानी प्रक्रिया है यद्यपि वह राजनीति विज्ञान की दुनिया में नई सजावट व धूमधाम से व्यवहारवाद के दौरान पुनः उपस्थित हुई है।

वैज्ञानिक पद्धति का अपना निजी मूल्य परिवेश है जिसकी अभिव्यक्ति जान हेम्पस द्वारा प्रभावी रूप से की गई है।¹¹ इसके अन्तर्गत वैज्ञानिक पद्धति की (1) नियतिवादी व सावदेशिक कारणत्व के सिद्धांत में आस्था व्यक्त की गई है तथा (2) आनुभावीक व पयवेक्षण्य सामग्री के प्रति उसकी सहानुभूति प्रदर्शित की गई है। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक पद्धति का यह भी आग्रह है कि ज्ञान सम्प्रेषणीय है। (अ' द्वारा व' तक पहुँचाया जा सकता है) वैज्ञानिक पद्धति की एक अन्य मूल्य प्राथमिकता यह है कि वैज्ञानिक सत्य अनिवायत अंतरिम है वह कभी भी चिरस्थायी नहीं हो सकता। हर परिवर्तन, जब तक कि वह अस्वीकृति का सफल प्रतिरोध कर पाती है केवल तभी तक प्रतिष्ठित रहती है अर्थात् वह प्रतिस्थापित हो जाती है। य मूल्य प्राथमिकताएँ अपन सम्मिलित प्रभाव से वैज्ञानिक पद्धति का सचदनशीलता प्रदान करती है।

वैज्ञानिक पद्धति का व्यावहारिक सचदम आनल्ड श्रेड्ट द्वारा परिभाषित किया गया है। श्रेड्ट ने वैज्ञानिक पद्धति को वैज्ञानिक क्रियाओं एवं 'वैज्ञानिक

प्रायविधि की अवस्थाओं के रूप में देखा जाता है।¹ ब्रेण्ट द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक पद्धति की विविध अवस्थाएँ इस प्रकार हैं—

- (i) पववक्षण (Observation)
- (ii) विवरण (Description)
- (iii) मापन (Measurement)
- (iv) स्वीकृति (Acceptance)
- (v) आगमनात्मक सामान्यीकरण (Inductive Generalization)
- (vi) व्याख्या (Explanation)
- (vii) निगमनात्मक तर्क पद्धति (Deductive Reasoning)
- (viii) परीक्षण (Testing)
- (ix) शुद्धीकरण (Correcting)
- (x) भविष्यवाणी (Prediction)
- (xi) अस्वीकृति (Non-Acceptance)

तथ्य व मूल्य का विवाद राजनीति विज्ञान के सार्वभौमिक विशेषरूप में प्रभावित रहा है। फ्रॉहॉक ने इन दोनों में अंतर स्थापित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि तथ्य अपनी मूल प्रकृति में वस्तुनिष्ठ (Objective) हैं अर्थात् वे सभी के लिए समान रूप से ग्राह्य हैं बशर्ते कि उनका अनुशासनात्मक संसाधन किया जाए जबकि मूल्य विषयगत (Subjective) हैं, वे भिन्न भिन्न व्यक्तियों में पथक भाव पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में फ्रॉहॉक के अनुसार तथ्य व मूल्य में द्विधाभास अथवा संघर्ष सबका स्वाभाविक है।

राजनीति विज्ञान समेत समस्त समाज विज्ञानों में तथ्य व मूल्य में तारतम्य स्थापित किया गया है और उसके उपरांत वैज्ञानिक पद्धति के वैज्ञानिक प्रयोग का प्रयास हुआ है। तथ्य व मूल्य को एक-दूसरे से पथक करने के लिए उनके प्रति वैज्ञानिक की स्वतंत्र स्फूर्ति चेतना आवश्यक है। न केवल उसे स्वयं अपने आप उनका भेद जानना होता है बल्कि यह भेद उसे अन्य लोगों को भी अवगत कराना होता है। ऐसी स्थिति में आत्म चेतना के स्तर पर मूल्य तटस्थता संभव हो सकती है। महा-यह भी उल्लेखनीय है कि मूल्य मुक्तत्व (Value-free) विश्लेषण का अर्थ नहीं है कि मूल्यों से छुटकारा पाया जाए। उसका अर्थ यह है कि मूल्यों का अपने वैज्ञानिक अध्ययन की प्रस्तावना में ही स्पष्ट प्रकट कर दिया जाए और वे अर्थ लोगों तक हम आधार पर सम्प्रणीय हों। मूल्यों के इस प्रकटीकरण व अध्ययन की वैज्ञानिकता में कोई विरोधाभास नहीं है। मूल्यों के प्रकट रूप व वैज्ञानिक पद्धति से उत्पन्न अध्ययन के निष्कर्ष में विरोधाभास होने की स्थिति में उसे यथावत स्वीकार कर लेना वस्तुतः मूल्य तटस्थता का एक सजीव उदाहरण है। राजनीति विज्ञान के व्यावहारिक सदर्भ में

उदाहरण ग्रहण करते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति का यथायत्न जाति संरचना व तत्सम्बन्धी विशेषता पर निर्भर है या वर्गीय विश्लेषण पर? इस प्रश्न का निदान इस आधार पर किया जा सकता है कि अध्ययनकर्ता प्रस्तावना में अपना मूल्य स्पष्टतः प्रकट कर दे (मान लीजिए वर्गीय विश्लेषण की प्राथमिकता के रूप में) और तदुपरांत वैज्ञानिक पद्धति की अवस्थाओं में अनुस्यू अपनी अध्ययन सामग्री को संसाधित करता चले। यदि निष्कर्ष स्वरूप जाति विषयक विश्लेषण की प्राथमिकता सिद्ध हो (प्राप्त साक्ष्यों व उनकी व्याख्या के अनुसार) तो उसके द्वारा इस आशय का स्वीकारोक्ति उसके विषयगत मूल्य व वैज्ञानिक तथ्य में सह-अस्तित्व स्थापित कर सकेगी। यह एक अति परिष्कृत व अनुशासित मातृस की व्यावहारिकता पर निर्भर करेगा कि वह यह तारनम्य व तानिकता के प्रतिकूल नहीं होगा।

उद्धरण

- 1 थानल्ड ब्रेन्ट, पॅलिटिकल थिअरी, पृ 5
- 2 ग्राइस, माडर्न डिमोक्रेसीज, खण्ड I, पृ 14
- 3 चार्ल्स मेरियम, 'यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॅलिटिक्स' पृ 50 व 227
- 4 जी ई जी वेटलिन, दि साइस एण्ड मेथड्स ऑफ पॅलिटिक्स, पृ 114
- 5 ग्राइस द्वारा अमेरिकी राजनीति विज्ञान परिपद को दिया अध्यक्षीय-नापण, ए पी एन आर, खण्ड III, पृ 10
- 6 वॉल जे फ्रेडरिक्स, एन इंट्रोडक्शन टु पॅलिटिकल थ्योरी, पृ 108
- 7 फ्रेडरिक्स पालक, हिस्टरी ऑफ दि साइस ऑफ पॅलिटिक्स, पृ 11
- 8 ए व भट्टाचार्य, पालिटिकल थिअरी पृ 20
- 9 सट, पालिटिकल इस्टीमेशन ए प्रिफेस, पृ 5
- 10 ग्रेट, वही पृ 31
- 11 जॉन हस्पस, एन इंट्रोडक्शन टु फिलोसफिकल एपॉलिटिक्स, पृ 11
- 12 ग्रेट, वही पृ 28 29

राजनीति विज्ञान तथा उसके सहयोगी विषय

राजनीति विज्ञान सदैव समाज विज्ञान के एक अंग के रूप में स्थापित रहा है। समाज विज्ञान समन्वित रूप से सामाजिक व मानवीय स्थितियों का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं और ऐसा करत हुए वे मानव स्थितियों में व्याप्त संकट का निराकरण करते हैं। यह ठीक भी है क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति केवल राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि नहीं होता वह इन सब का सुरक्षित योग हाता है और ऐसा होते हुए वह वास्तविकता से अंतरण होता है और उसे स्वीकृत आदर्शों की ओर उन्मुख करता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान का कोई एक पक्ष अकेले मानव स्थितियों का आकलन व क्षणस्थितियों का उपचार नहीं कर सकता। टुकड़ा में बड़ा सत्य पूर्णता की ओर नहीं ले जाता। वह आंशिक सत्ता का निरूपण ही करता है। ज्ञान की पूर्ण सत्ता सदैव टुकड़ा को जाड़कर एक पूर्ण सुरक्षित सत्य के अस्तित्व पर निर्भर करती है। ऐसा समग्र ज्ञान ही विषम मानव स्थितियों का समग्र समाधान कर सकता है और व्यक्ति व समाज में सर्वांगीण विकास की स्थितियाँ सुलभ कर सकता है। प्राचीन यूरोप व भारत में इसी समग्र ज्ञान की संकल्पना की गई थी। अस्तु राजनीति की उन्मी व्यापक व्याख्या का पक्षधर था जिसका सूत्रपात प्लेटो ने किया था उसमें अंतर वस्तुतः दृष्टिकोण व पद्धति का था। अस्तु ने जब राजनीति को 'मास्टर साइंस' माना तो उसका आशय अथ विज्ञानों की उपेक्षा करना नहीं बल्कि, उनके सहयोगी तत्वों को उदघाटित करना था। मास्टर साइंस के रूप में राजनीति अथ विज्ञानों को मानव स्थितियों का दिशा में समाहित करने का महत्वपूर्ण काम ही करती थी।

उन पर अपना वचस्व नहीं स्थापित करती थी। भारत में 'अथशास्त्र' अपनी परिधि में राजनीति के अतिरिक्त धर्म, नैतिकता, समाजशास्त्र, प्रशासनतन्त्र, राजनय, अथतन्त्र, सेनाविज्ञान आदि विषयों का सुनियोजित समन्वय स्थापित किए हुए था। इन सबके सम्मिलित याग से व्यक्ति को सदगुण, समृद्धि एवं सुख के त्रिवर्गी आदर्शों की ओर उन्मुख किया गया था और इस गतव्य के साधन के रूप में राज्य, सरकार व प्रशासन की कल्पनाएँ की गई थी, उनके सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। कुल मिला कर यह कहना समुचित होगा कि राजनीति विज्ञान सभी समाजविधानों से जुड़कर समग्रता प्राप्त करता है। इस दृष्टि से उसके अन्य विषयों से सम्बन्धों की कम से कम सार रूपी विवेचना अवश्य की जानी चाहिए। सम्बन्धों व इस अनुशीलन द्वारा ही राजनीति विज्ञान के विषय-क्रम को समझा जा सकता है और सामाजिक सदम में उसकी उपयोगिता स्थिर की जा सकती है। इसी उद्देश्य से इस अध्याय में राजनीति विज्ञान के इतिहास, समाजशास्त्र, अथशास्त्र, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान व भूगोल से सम्बन्धों की विवेचना की जा रही है।

राजनीति विज्ञान व इतिहास

राजनीति विज्ञान व इतिहास के अंत सम्बन्ध अत्यधिक प्रगाढ़ व सारगर्भित हैं। इतिहास से राजनीति विज्ञान को आधार मिलता है। उसी के क्रम में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का नैसर्गिक विकास क्रम व प्रकृति पहिचानी जाती है। यह कहना सम्भवतः सही होगा कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राजनीति व तत्सम्बन्धी संस्थाओं के बीज बोए जाते हैं, उनका अकुरण होता है और तदुपरांत वे पल्लवित होते हैं। शायद इसी कारण सीले ने इतिहास व राजनीतिशास्त्र की प्रतीकात्मक रूप से वक्ष-सदृश व्याख्या प्रस्तुत की थी और यह सामान्य मत प्रतिपादित किया था कि "राजनीति विज्ञान के अभाव में इतिहास में फल नहीं होता, इतिहास के अभाव में राजनीति विज्ञान की जड़ नहीं होती।"

दोनों विषयों के 'सह सम्बन्धों का आभास इस दृष्टि से भी प्रासंगिक है कि इतिहास राजनीति विज्ञान की समसामयिक चयन प्रक्रिया को प्रभावित करता है और राजनीतिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं की सामयिक उपयुक्तता के लिए इतिहास के पानों को पलट कर उसमें सिमेटे विकल्प-सार में से प्रासंगिक अंश ग्रहण कर लिए जाते हैं। "इतिहास में घटनाओं का काल क्रमिक निरूपण वस्तुतः सामाजिक आन्दोलन की विभिन्न अवस्थाओं को परस्पर संयुक्त करता है (वह) सतत विकास की प्रक्रिया को निषिद्ध करता है और विकास का भाव प्रस्तुत करता है।" राजनीतिक संस्थाओं के अतिरिक्त विविध प्रवृत्तियाँ (लोकतांत्रिक-अधिनायकवादी, आदर्शवादी, भौतिकवादी, विराध-असमर्पण व सुधार-

वादी आदि) ऐतिहासिक अनुभवों से परिष्कृत होती है। इनका वर्तमान प्रकृत रूप वस्तुतः इतिहास की धाराओं से ही उत्पन्न व विकसित होता है। अतः राजनीतिक विश्लेषण इस दृष्टि से भी इतिहास व उससे उत्पन्न अनुभव पर आश्रित होता है।

इतिहास स्वयं राजनीति विज्ञान से बहुत कुछ प्रतिदान स्वरूप ग्रहण करता है। राजनीति के अध्ययन में ऐतिहासिक घटनाओं के राजनीतिक निहितार्थों को व्याख्याएँ सुलभ कराती हैं। यूरोप का इतिहास उदारवाद, व्यक्तिवाद, राष्ट्रवाद, फासीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद आदि वैचारिक सधर्मों के अभाव में नहीं लिखा जा सकता। इसी प्रकार, भारतीय सधर्म में भी इतिहास लेखन राष्ट्रवाद, स्वराज्य, राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी उपवादी गांधीवादी नेतृत्व उपागम तथा भारतीय राज्य विषयक धारणाओं के अभाव में सधर्म अधूरा सिद्ध होगा। इतिहास को राजनीतिक-वैचारिक व्याख्याएँ राजनीति विज्ञान से ही प्राप्त होती हैं।

इन सहयोगी मतव्या तथा घनिष्ठ सम्बन्धों के बावजूद इतिहास व राजनीति विज्ञान को दो स्वतंत्र विषयों के रूप में देखना भूलना आवश्यक है। उनके परस्पर व्यापन का होना उनका तत्सम होना नहीं है। यह वैचारिक स्पष्टता दोनों विषयों के स्वस्थ विकास के लिए अपरिहार्य है जैसा भ्रम व अनिश्चय के वियान जगल विच्छिन्न जाते हैं। कोई भी राजनीतिक अध्ययन इतिहास के केवल अपनी शक्तिगत समस्या की दृष्टि से प्रासंगिक अंश ही ग्रहण करता है। यह सकलन अत्यधिक विचारपूर्ण तथा सुनियोजित होता है। उदाहरण के लिए लोकतंत्र के भारतीय सधर्म का अध्ययन करने के प्रयासों के दौरान केवल वे ऐतिहासिक साक्ष्य ही विवेचना के अधीन होंगे जो लोकतंत्र के प्रतिमान को प्रत्यक्षत अथवा अप्रत्यक्षत प्रभावित करते होंगे। इस समस्या के समाधान के दौरान थोक ऐतिहासिक-सामग्री का अधिग्रहण नहीं होगा। यह भी संभव है कि इतिहास सामग्री केवल उसी सधर्म में ली जाए जहाँ इतिहास उपयोगी अतः दृष्टियाँ सुलभ कराती हों। राजनीति विज्ञान के अतगत अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब इतिहास को नगमन पूरी तरह उपेक्षित करते हुए उत्कृष्ट राजनीतिक विचार व अवधारणाएँ निर्मित की गईं। प्लेटो ने उदाहरणार्थ निगमनात्मक तक विद्या समुक्त दार्शनिक पद्धति द्वारा केवल आत्म-सम्पत्ति राजनीतिक तत्त्वों को स्वीकार किया और अनिवार्यतः अमृत विचार प्रधान स्थापनाएँ उपलब्ध कराईं। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण और जोड़े जा सकते हैं। इतिहास से अत्यधिक सहायकारी सम्बन्धों का राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक अस्वस्थ परिणाम इतिहासवाद रहा है जहाँ इतिहास भाव एवं दार्शनिक राजनीति मार पर वचस्व स्थापित कर दिया और राजनीतिक विश्लेषण अपनी मातृ-दिस्कारयुक्त विज्ञान के बावजूद सुपोषण का शिकार हुआ। ऐसी स्थिति में यह नितांत आवश्यक है कि इति

हान व राजनीतिशास्त्र को मूलतः दो स्वतंत्र विषयों के रूप में ही देखा परन्तु आज यद्यपि समान रूप से उन्नतनीय भाव यह भी है कि अपन स्वतंत्र रूप में दोनों विषय एक दूसरे की अभावपूर्ति भी करते हैं। यह पूरक क्रिया इन दोनों विषयों की विकारयुक्तता का कारण नहीं है बल्कि उनके स्वास्थ्य वदक पारस्परिक सहायता का उदाहरण है।

राजनीतिक विज्ञान व समाजशास्त्र

राजनीतिविज्ञान एवं समाजशास्त्र एक दूसरे में इतने घुलमिले हैं कि आज दोनों के सम्युक्त रूपाकार से एक अभिनव विषय राजनीतिक समाजशास्त्र (Political Sociology) विकसित हो गया है। राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत उन समाजशास्त्रीय समस्याओं तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो राजनीति व उसकी प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं और स्वयं उससे प्रभावित होनी भी हैं। इस दृष्टि से आज अनेक समाजशास्त्रीय अवधारणाएँ ऐसी हैं जो राजनीति विज्ञान को गहन प्रभावित करती हैं। राजनीतिक संस्कृति वह राजनीतिक मूल्य-परिवेश निर्मित करती है जिसमें वास्तविक राजनीति संचालित होती है। इसके अंतर्गत संस्कृति द्वारा प्रस्तुत उन मनोभावों, मतधर्मों व दृष्टियों को भी का अध्ययन होता है जो राजनीतिक व्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। भारत के सद्म में माइरन वीनर की वृत्ति द्वि टू कलचस भारतीय राजनीतिक-संस्कृति सद्म व उसके व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य को प्रकट करती है। लुशियन पाई व वर्वा ने राजनीतिक संस्कृति के विविध आयामों का अपनी पुस्तक पॉलिटि कल्चर एण्ड पॉलिटिकल कल डिबेलपमंट में विवेक विवेचन किया है। राजनीति सामाजिक संरचना से भी प्रभावित व संचालित होती है। इस दृष्टि से अभिजन व साधारण वर्ग के सम्बन्ध भी राजनीतिक नियंत्रण में विशेष भूमिका निभाते हैं। अभिजनवाद व राजनीतिक नियंत्रण में वास्तविक राजनीतिक सद्म व गहन सम्बन्ध है। इतने सम्बन्धों के प्रतिमान को मार्क्सवादी सद्म में सामान्यतः टी वी वाटोमोर व भारत के विशेष सद्म में ए. आर. देसाई ने विशेष बल प्रदान किया है। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक डिमोक्रेटिक पॉलिटि एण्ड सोशल चेंज इन इंडिया में राष्ट्र वनाम वर्ग का विवाद पर्याप्त गहनता से प्रस्तुत किया है और भारत समेत अनेक देशों में 'मध्यमवर्गीय अभिजनवाद की वास्तविकता का प्रकाशित किया है। आधुनिकता व परम्परा के पारस्परिक सम्बन्ध व उनका विशिष्ट राजनीति पर प्रभाव का प्रश्न भी राजनीतिक समाजशास्त्र में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस दृष्टि से भारतीय पण्डितों पर योगेन्द्रसिंह की वृत्ति माइरन वीनर आर इंडियाज ट्रेडिशन तथा रूडोल्फ एण्ड रूडोल्फ की दि माइरिटी आर ट्रेडिशन विशेष उल्लेखनीय है।

भारत के विशिष्ट परिवेश में जाति विषयक समाजशास्त्रीय समग्र राजनीति को अत्यधिक प्रभावित करती है। भारत में जाति संरचना व उसके राजनीतिक प्रभाव का आकलन राजनीतिबोडारी की इतिहासिक इन इंडियन पॉलिटिक्स विशेष महत्त्व रखती है। राजनीतिक समाजशास्त्र की इन अभिनव प्रवृत्तियों का प्रकाश एम.एस.एम. लिपसेट का यह कथन सांग्गभित है कि कोई भी समाजशास्त्री किसी ऐसे सामाजिक अध्ययन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें विशेषण के एक प्रधान भाग के रूप में राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित न किया गया हो और अनेक राजनीतिशास्त्रियों ने, अक्सर स्वयं अपने विषय के अध्येताओं के साथ स्वर में स्वर मिला कर यह तक प्रस्तुत किया है कि अधिक सामान्य समाजशास्त्रीय व मनोवैज्ञानिक सम्बन्धों के विशेष मामलों के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं का कोई भी अध्ययन असंभव है।

राजनीति विज्ञान व समाजशास्त्र में व्याप्त इस घनिष्ठता व बावजूद यह उल्लेखनीय है कि दोनों स्वतंत्र विषयों में महत्त्वपूर्ण अंतर भी विद्यमान हैं। पहला महत्त्वपूर्ण अंतर तो यह है कि राजनीतिविज्ञान जहाँ सामाजिक संस्थाओं का प्रधानतः राजनीतिक संस्थाओं से सम्बन्ध है वहीं समाजशास्त्र का सम्बन्ध समस्त उन संस्थाओं से है जो सामाजिक नियंत्रण के सद्भ में व्यक्ति के व्यवहार को सहायित करती हैं। दूसरा महत्त्वपूर्ण अंतर यह है कि समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है कम से कम इस सम्बन्ध में कि समाज राज्य का पूर्वगामी है। अतः एतक व्यवस्था व व्युत्पन्न व्यवस्था में असमानुपाती समांतर योजना बौद्धिक दृष्टि से एक अनुत्पादक कार्य है। इन विषयों के बावजूद समाजशास्त्र व राजनीति विज्ञान मिलकर राजनीतिक विश्लेषण का दायरा विस्तृत करते हैं। राजनीति विज्ञान उस राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है जो समस्त सामाजिक व्यवस्था की एक प्रतिनिधिव्यवस्था है। इस दृष्टि से वह सामाजिक नियंत्रण की उन समस्त विधाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता जिनसे राजनीतिक नियंत्रण चरितार्थ होता हो भले ही उसका क्षेत्र सामाजिक नियंत्रण की अपेक्षा अधिक संकुचित क्यों न हो।

राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र

राजनीति विज्ञान-समाजशास्त्र सम्बन्धों की अपेक्षा राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र सम्बन्ध कहीं अधिक पुराने हैं। राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र अपने प्राचीन सम्बन्ध में इतने विलयशील थे कि उनके सद्भ में पथ से चला ही नहीं जाती थी। प्लेटो का ग्रन्थ सिद्धांत राजनीतिक-आर्थिक पक्षों समेत समन्वित ग्रन्थ की कल्पना करता था। अरस्तु ने अपने ग्रन्थ पॉलिटिक्स में ग्राह्य सद्भ

मे आर्थिक पक्षा की चर्चा की थी और सावजनिक सदभ म राजनीति की । इसी प्रकार, भारत म कौटिल्य का अर्थशास्त्र अपने कलेवर मे आर्थिक पक्षो के राजनीति प्रशासन द्वारा नियोजन करता था और ऐसा करते हुए वह एक समृद्धि-सम्पन्नता की ओर समाज को प्रेरित करता था और दूसरी ओर धमपरायणता व सदगुण प्राप्ति की ओर । आधुनिक सदभ मे राज्य उत्पत्ति के उपरांत राज्य-क्रियाओं का प्रवर्तन आर्थिक मतव्या से प्रेरित रहा । उपयोगितावाद की वैयम-वादी धारणा न सुख के समन्वित विचार का समर्थन किया । इसी क्रम मे आगे चलकर जे एस मिल ने अपने चिंतन द्वारा आर्थिक प्रवृत्तियों के सदभ मे उपयोगितावाद का आधुनिकीकरण किया और उदारवाद की आधारशिला रखी । उदारवादी परिप्रेक्ष्य मे ही राज्य का अहस्तक्षेपकारी स्वरूप बनना और इसकी तार्किक परिणति ने राज्य द्वारा अहस्तक्षेप की नीति का प्रवर्तन करके वस्तुतः राज्य सत्ता व संरक्षण द्वारा आर्थिक बचस्व की स्थापना का प्रोत्साहित किया । तदनंतर पूंजीवाद का समारंभ हुआ । पूंजीवादी राज्य ने उपनिवेशवादी आर्थिक योजना का राजनीतिक आयाम प्रदान किए । साम्राज्यवाद का विस्तार वस्तुतः पूंजीवाद की मवाधिक विकसित अवस्था का छातक था । इस सभके प्रतिरिया स्वरूप विकसित राज्य की समाजवादी धारणाएँ नियंत्रित व नियमित आर्थिक प्रक्रिया का सस्थात्मक रूप प्रदान करती थी और उत्पादन के साधना के विशिष्ट वर्गीय नियंत्रण की अपक्षा उनके सब हारा वर्गीय नियंत्रण व नियमन की पक्षधर थी । नियोजित अथव्यवस्था रूसी समाजवादी व्यवस्था का एक व्यावहारिक पक्ष है जो "यायमगत आर्थिक विकास के लिए राज्य, नेतृत्व व व्यवस्थापन की अपेक्षा करता है । समाजवादी व्यवस्था की उदारवादी अनुक्रिया स्वरूप उत्पन्न लोक कल्याणकारी राज्य नए सिरे से आर्थिक-राजनीतिक प्रश्नों को एकीकृत करने का प्रयास करता है ।

इनके अतिरिक्त, नवोदित एशियाई, अफ्रीकी व लेटिन अमेरिकी देशो द्वारा राजनीतिक स्थिरता के साथ विकास का लक्ष्य ससाधित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिनव-साम्राज्यवाद का विरोध करना, क्षेत्रीय शक्तियों के रूप मे उदित हाकन विश्व-व्यवस्था मे निर्णायक भाग लेने के प्रयास करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी लोकतंत्र व समाजवादी व्यवस्थाओं की कोई योगिक व्यवस्था बनाना आदि समस्त प्रश्न राजनीति व अर्थनीति के समुक्तन नियोजन के सटीक उदाहरण हैं ।

इन व्यावहारिक सदभों के अतिरिक्त नवीन सद्धातिक स्तरों पर भी राजनीतिक विश्लेषण आज दोनों विषयों के सम्मिलित प्रभाव पर आश्रित है । राष्ट्रीय राजनीति के आकलन मे वर्ग विश्लेषण (Class Analysis) का प्रयोग, राजनीतिक सदभ मे बाजार सिद्धांतों (Market Theories) का प्रवर्तन राज-

नीतिक व्यवस्थाओं द्वारा वितरणकारी न्याय (Distributive Justice) का प्रवर्तन तथा विकास के साथ लोकतंत्र (Democracy with Development) का अभिनव भाव का नियोजन—य समस्त उदीयमान प्रवृत्तियाँ राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र के प्रगाढ़तर सम्बन्धों की ओर इंगित करती हैं। यह कहना संभवतः गलत नहीं है कि आर्थिक गतियों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक साधनात्मकता की वास्तविकता आज जितनी प्रभावी रूप से विद्यमान है उतनी पहले कभी नहीं थी। विकास की दृष्टि से विश्व की वर्कल्पिक पुनर्संरचना (alterantive restructuring) का नया आज दुनिया की ममस्त सरकारों व शक्ति गुटों का इतना अधिक प्रभावित किए हुए हैं कि संयुक्त राष्ट्र सच एक नहीं बल्कि, दो विकास दशक आयोजित कर चुका है और अपनी विशेषज्ञ समितियों का इस प्रश्न से एकाकार होने के लिए अधिकाधिक प्रेरित कर रहा है। यहाँ यह उल्लेख अनुपयुक्त नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, व्यवस्था व सदभाव के तात्कालिक राजनीतिक मूल्या के परिणामस्वरूप उत्पन्न यह विश्व समस्या आज अपनी राजनीतिक लक्ष्य रेखा साधकर एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर उन्मुख है। दो विषयों का इससे अधिक बोधहरक सघि स्थल और क्या हो सकता है ?

अपनी ममस्त अंतर्निभरता व पारस्परिक सहयोग के बावजूद यह अभिव्यक्ति आवश्यक है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र (Political Economy) की समस्त परस्पर व्यापी विषयक सीमाएँ मिलकर भी इन दोनों विषयों के स्वतंत्र विषयक दायरों को ढका नहीं सकती। राजनीतिक व आर्थिक अनुशासन के अनेक पक्ष ऐसे हैं जो दोनों विषयों के अपन निजी मामलें हैं और उनको उनके इसी क्रम में देखना भालना आवश्यक है।

राजनीति विज्ञान व नीतिशास्त्र

नीतिशास्त्र व्यक्ति व राज्य सरकार समेत समस्त समाज का नैतिकता की ओर उन्मुख करता है। ऐसा करते हुए वह व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति, समाज का अच्छा समाज, सरकार को अच्छी सरकार व राज्य को अच्छा राज्य बनाने की प्रेरणा देता है और इन्हें सत्तम में नीति नुस्खे प्रस्तावित करता है। राज्य और राजनीति अपन व्यावहारिक तम में इसी नैतिकता का समर्पित हैं और इस दृष्टि से यह नीति शास्त्र व उभय भाव-तम का अपन में समाहित करती है। यहाँ अरस्तु का यह कथन ध्यान में राना आवश्यक होगा कि राज्य जीवन का सादी आवश्यकताओं के सदम में उत्पन्न होता है और सदजीवन की आवश्यकता-पूर्ति के लिए विद्यमान रहता है। उसके अनुसार प्रत्येक राजनीतिक समस्या का महत्व दृढ प्रवृत्ति पर आधारित है कि वह स्वयं सत्तम की ओर उन्मुख है और दृढ शौर्य यह सभी का सदजीवन जीने की प्रेरणा देती है। सम्पूर्ण यूनानी राजनीतिक

बिना राजनीति व नीतिशास्त्र का योगपरक रूप प्रदर्शित करता है। राजनीतिक विचारों के आधुनिक सद्भम भी नीतिशास्त्र अपतिष्ठित नहीं होता, उसका समय व परिस्थितियों के अनुरूप केवल रूपांतरण ही होता है। उदाहरण के लिए मेक्यावेलि अनैतिकता का परिचायक नहीं धरन, आपद् धम नतिशास्त्र का परिषय देता है और उसने लिए तत्कालीन स्थितियों व चुनौतियों उत्तरदायी हैं। भारत के सद्भम में नीति-शास्त्र व राजनीति में पनिष्ठ सबध का आभास अनेक प्राचीन ग्रंथों से उपलब्ध होता है जिनमें नीतिवाक्यामृतम, मुक्तनीतिसार नीतिसार फामाडकीय नीतिसार आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। अर्थशास्त्र स्वयं राजनीति व राजधर्म की सयुक्त रूप से विवेचना करता है और ऐसा करते हुए शासक व शासिता के लौकिक व्यवहार एवं भूमिका की अवस्थाएं निरूपित करता है जिनसेन का आदि पुराण नीतिशास्त्र की उच्चतर महत्ता इस आधार पर प्रस्तावित करता है कि नीतिशास्त्र लौकिक व आध्यात्मिक—दोनों प्रकार के सुखों को समाहित करता है जबकि राजनीति अपने आप में केवल सांसारिक सुख की ही खोज करती है। राजनीति की उद्देश्यपरकता के लिए यह आवश्यक है कि वह नीतिशास्त्र का अनुसरण करे।

राजनीतिशास्त्र का समसामयिक सद्भम आज इस विषय में उदात्ता हुआ है कि क्या राजनीति विज्ञान के तथ्य व नीति शास्त्र के मूल्य आपस में जुटकर नया ज्ञान व नया परिवेश निर्मित कर सकते हैं अथवा नहीं। यह विषय कुछ अंश में तो यथोचित है क्योंकि राजनीति विज्ञान एक निश्चित ज्ञान व पद्धति के रूप में राजनीतिक गतव्यो को सुस्थिर करता है और उन्हें उत्पादन (productive) बनाने को चेष्टा करता है, अक्सर इस बात का ध्यान किए बिना कि उससे नतिक मूल्य अवमूल्यित या उपेक्षित होते हैं अथवा नहीं। आज राजनीति का साध्यपरक भाव स्वयं उसकी एक मूल्य व्यवस्था निर्मित करता है जिसमें तात्कालिक लाभ व सफलताएं अग्रणी हैं। लेकिन इसी व साथ यह महत्वपूर्ण तथ्य विस्मृत करना आत्मघाती होगा कि राजनीति अपने आप में कोई आत्मावलम्बी व्यवस्था नहीं हो सकती यह केवल आत्मावलम्बिता का रक्षण कर सकती है। दीर्घकालिक स्थिरता व उद्देश्यपरकता की दृष्टि से उस बड़े मूल्य व सामाजिक स्थितियों व घटकों का सामना करना ही पड़ता है और उस स्थिति में वह नीतिपरक मूल्य व नावों से जुटती है। अतः राजनीति विज्ञान वित्तना ही अधिक वशानिक क्या न हो जाए और उस अभिाव राजनीतिक अध्येता वित्तना ही 'मूल्य मुक्त' अथवा 'मूल्य अतिरिक्त' क्यों न ठहराए, उमें हमारा व लिए मूल्य से जुटा नहीं किया जा सकता। यह दृष्टि से नीतिशास्त्र राजनीति व लिए मूल्य उपयोगी हैं। यहाँ यह भी उपाय

नीय है कि राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता मूलतः वैज्ञानिक मन स्थिति व कायविधि की परिचायक है वह ठोस सैद्धांतिक आधारों का स्थान नहीं लेती।

राजनीति विज्ञान व मनोविज्ञान

राजनीति विज्ञान व मनोविज्ञान के अंतःसंबंध इस प्रवृत्ति के परिचायक हैं कि सामाजिक स्थितियों को वास्तविक सामाजिक सद्भूमि में देखने परीक्षित करने का प्रयास किया जाए और उन्हें अमूर्त विचारों की परिधि से क्रमशः बाहर लाया जाए। इसका एक प्रेरक कारण यह रहा कि विज्ञान प्राविधिकी, औद्योगिक क्रांति, तीव्र सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया आदि ने राजनीतिक आदर्शवादी व्याख्याओं व उनकी यथाथवादी परिणति में खाई पैदा कर दी। आदर्शवादी विचारों की यथार्थवादी कारणों से अंतःक्रिया ने सिद्धांत व व्यवहार में न केवल अंतर ही उपस्थित किया बल्कि उसने यथाथवाद के आगे आदर्शवाद का घुटने टकते भी देखा। प्रथम विश्वयुद्ध के अंत में आदर्शवादी जर्मन राज्य की पराजय ने आदर्शवादी ग्लेभर पर निर्णायक प्रहार किया। समस्या यह थी कि यथाथवाद को मुखरित कैसे किया जाए? इसके निदान स्वरूप अनेक उपायों के साथ-साथ व्यक्तिगत व सामाजिक व्यक्तित्व संरचना पर ध्यान देने का यत्न किया गया, व्यक्ति व समाज की मानसिकता को विश्लेषित करने की कोशिश की गई और इस मानसिकता के मापक व विश्लेषक के रूप में मनोवैज्ञानिक तत्त्व व पद्धतियों को तरजोह दी गई। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रिया बीसवीं शताब्दी की उत्तर प्रथम महायुद्ध अवस्था का परिणाम नहीं है। वस्तुतः इसकी परम्परा इससे काफी पूर्व प्रारम्भ हो गई थी। उदाहरण के लिए 1908 में ग्राहम वॉलेस की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स के प्रकाशन ने इस प्रवृत्ति की ओर अध्येताओं का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया था। यथाथवादी अनुभव की प्रामाणिकता ने इस तथ्य को तभी से आगे बढ़ाने में अवश्य महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मर अर्नेस्ट बोरन ने मानवज्ञानिक मानवविद्या का स्वीकार करते हुए यह स्पष्टतः लिखा है कि यदि हमारे जनक जीवशास्त्रीय आधार पर चिन्ता करते थे तो हम मानवज्ञानिक आधार पर चिन्तन करते हैं।¹⁰ राजनीति विज्ञान में मानवज्ञानिक उपागम की वृद्धता का स्पष्ट चिह्न है हुए ग्राहम वॉलेस ने यह मान्यता किया था कि 'राजनीति बहुत ही कम अज्ञान, मत्ततन का परिणाम होती है। यह मुख्यतः मनुष्य प्रकृति सत्ता व अनुभूतियों की अवशेषित प्रक्रियाओं से संबंधित होती है।' इस कारण राजनीतिक दृष्टियों में घटनाओं के मानवज्ञानिक आधारों का छात्रकेंद्र राजनीतिक समस्य का एक भाग उद्घाटित किए जा सकते हैं। इसी भाव में प्रेरित होकर आज सामाजिक राजनीतिक

सदभ के पाश्व कारको का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय राजनीति की समझ राजनीतिक संस्कृति व उपकरणों द्वारा सारगर्भित रूप से अर्जित की जा सकती है और ऐसा करते हुए ध्यवितया क राजनीतिक मनोभावा दृष्टिबाणा आदि का भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया पर पडने वाला प्रभाव आकलित किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी नेता के सावजनिक संकल्पा, नीति निणया इत्यादि की व्याख्या उसके मानसिक परिवेश के सदभ मे की जा सकती है। इस दृष्टि से अडार्नो द्वारा लिखित दि अयारिटेरि-यन पसनसिटी अधिनायकवादी वृत्तियों क सावजनिक राजनीतिक प्रभाव की समग्र विवेचना प्रस्तुत करता है। 1977 के उपरान्त भारतीय सदभ मे श्रीमती गाधी के मानसिक गठन व उनके द्वारा प्रवर्तित राजनीतिक नीति निणया मे साम्य दृढने का प्रयास किया गया। नेता सबधी इन मनोवैज्ञानिक अध्ययना के अति रिक्त सामाजिक मनाविधान के अध्ययन से व्यापक स्तर पर विचारधाराई आकलन का आकलन भी किया जाता है। भारत क्या अधिनायकवादी वृत्ति स लोवतात्रिक प्रक्रिया संचालित करता है शक्ति का केन्द्रीकरण क्यों होता है, नेता अपरिहाय क्यों प्रतीत हाता है, शहरी व ग्रामीण भारतीयों के मनोभावा म क्यों और क्या अंतर परिलक्षित होता है, इन और इनके समेत समस्त ऐसे प्रश्नों का निदान सामाजिक मनाविधान की व्याख्याआ द्वारा प्रभावी रूप से दूदा जा जा सकता है।

इस सबके बावजूद मनाविधान राजनीति क केवल मनोवैज्ञानिक आधारों का जाभास ही करा सकता है। वह अय विषया के योगदाना का स्थानाप न नहीं हो सकता। राजनीतिक समझ के लिए समाजशास्त्रीय परम्पराएँ, अथ व्यवस्था, इतिहासपरक व्याख्याएँ आदि अपनी जगह उतनी ही वैध है जितना कि अपने निजी सदभ मे मनाविधान। इस दृष्टि से मनाविधान एक विषय के रूप मे राजनीतिक विधान के लिए केवल सदभगत उपदयता ही प्रस्तुत करता है।

राजनीति विज्ञान व भूगोल

भूगोल राजनीति विज्ञान के लिए इस सदभ मे प्रासंगिक है कि भूगोल का परिवेश वह भौतिक पर्यावरण निर्मित करता है जिसमे राजनीति संचालित होती है। भौगोलिक परिवेश द्वारा व्यक्तिया के जलवायुपरक स्वभाव निर्धारित होते है और भौतिक प्राकृतिक सम्प्रदाआ का उत्खनन व नियोजन उन स्वभावों की प्रतिनिधि राजनीतिक प्रक्रिया पर निभर करता है। राजनीतिक विचारा का एक ऐसा लम्बा सिलसिला स्थापित है जो भौगोलिक भौतिक गुणों व राजनीतिक संस्थाआ की प्रकृति मे साम्य का पन्धर रहा है। अरस्तु के अनुसार

अध्याय 4

राजनीति विज्ञान में 'व्यवहारवादी क्रांति'

राजनीति विज्ञान की दुनिया में व्यवहारवादी योगदान ने राजनीतिक विश्लेषण को विशेष रूप से प्रभावित किया है। इसी योगदान के कारण राजनीतिक विश्लेषण अध्ययन के औपचारिक फाट्टनी आधार को छाड़कर आग बढ़ा और उसने अनौपचारिक वास्तविक राजनीतिक आधार पाने की सकल्पित चेष्टा की। राजनीतिक सस्या की प्राथमिकता का युग व्यवहारवादी योगदान के फलस्वरूप पूरा हुआ और राजनीतिक अध्ययन विश्लेषण में व्यक्तित्व उसका व्यवहार की पहली बार प्रतिष्ठा हुई। विषयगत निश्चितता अर्जित करने के उद्देश्य से राजनीति विज्ञान में अभिनव पद्धतियों व तकनीकों का समावेश हुआ तथा राजनीति विज्ञान का निश्चितता अर्जित करने का साहित्यकीय आधार मिला। इस समस्त विशिष्टताओं के बावजूद राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी प्रवृत्तियाँ व घटनाओं को 'क्रांति' की सत्ता देना लगभग अनुचित है। इसके दो कारण विशेष उल्लेखनीय हैं—(1) व्यवहारवादी क्रांति मूलतः एक स्पानिश अमेरिकी क्रांति रही है जिसने अमेरिकी राजनीतिक दुनिया में ही चक्काचौंध पैदा की। अमेरिकी राजनीति विज्ञान को दुनिया का राजनीति विज्ञान मानना वस्तुतः व्चारिक खीचातानी से भी अधिक् है और इस कारण अस्वीकार्य है। ब्रिटिश राजनीतिक परम्पराएँ व्यवहारवादी आधी से पूर्ववत् जमीं रही और आज भी ब्रिटिश राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी उपागमा के प्रति उन्मुक्त रूप से उन्माही नहीं है। तीसरी दुनिया में व्यवहारवादी प्रभाव अत्यधिक् प्रमिक् रूप से उपस्थित हुआ है बल्कि, महकहना अनुपयुक्त न हागा कि जब तक वहा व्यवहारवादी क्रांति सक्रिय हो

पाती तब तक अमेरिका में सशोधनवादी 'दूसरी भाति (उत्तर व्यवहारवाद) का प्रवर्तन हो गया था और (2) अमेरिकी सदन में भी व्यवहारवाद का आगमन आकस्मिक नहीं था। उसकी एक सतत अविरत धारा बीसवीं शताब्दी से पूर्व ही प्रवाहित होती रही थी। इस दृष्टि से यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि व्यवहारवादी आन्दोलन का प्रथम सूत्रपात ब्रिटिश कृतित्व से विशेषतः लार्ड राइस का लेखन सद्भा जिसमें उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों की अपेक्षा राजनीतिक व्यवहार व उसकी उपाययता को प्राथमिकता दी व उसके आधार पर राजनीतिक सिद्धांत का अनुशीलन किया। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अमेरिकी राजनीति विज्ञान परिषद की स्थापना व राजनीति विज्ञान विषयक इस अभिनव प्रवृत्ति को सस्थागत आधार दिया 1908 में ग्राहम वॉलिस की कृति ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स व आयर बटले की पुस्तक दि प्रोसेस आव गवर्नमेन्ट इस दिशा में अगले महत्वपूर्ण पड़ाव है। राजनीतिक आदर्शवाद की अपेक्षा राजनीतिक यथार्थवाद के प्रति प्राथमिकता व व्यवहारवादी सिलसिले को और आगे बढ़ाया, 1925 के आसपास चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में 'शिकागो स्कूल' की स्थापना, फिर व्यवहारवादी क्रम का आग बढ ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान राजनीति विज्ञान का उसकी विषयगत अवस्था के प्रति एक गहरा आघात लगा और अध्ययताओं में प्रकट राजनीतिक घटनाओं एवं प्रवृत्तियों के पार्श्व में जाकर उनके बुनियादी कारकों की खोज पान की चेष्टा की। ये समस्त उदाहरण व्यवहारवाद के क्रमिक विकास व प्रवर्तन के साक्ष्य हैं। अतः व्यवहारवाद की 1945 के उपरांत स्थापित अवस्था का तात्कालिक व इस आधार पर क्रांतिकारी मानना वचारिक रूप से भ्रमपूर्ण अभ्यास है। यह अवश्य सही है कि 1945 के उपरांत एक शैक्षणिक प्रवृत्ति के रूप में व्यवहारवाद काफी तेजी से आया और उसने अमेरिकी राजनीतिक अध्ययनों के आधार का हिलाकर रख दिया। परम्परावादियों व आधुनिकतावादियों के बीच छिड़ी "महान बहस" ने व्यवहारवाद का लोकरुचि का मसला बनाया उसका साधारणीकरण किया और इस प्रकार उस विशेषज्ञ व सामान्य अध्ययताओं के बीच ला पड़ा किया। प्रभाव का यह विस्फोट भी पूर्ववर्ती अनुपात के सग्रह व उसकी अंत क्रियाओं का सदन में सहज व्याख्यायित किया जा सकता है।

व्यवहारवाद का वैचारिक सार

व्यवहारवाद का वैचारिक सार स्पष्ट करत हुए एवरन एम किक्पेट्रिक ने यह मत प्रतिपादित किया है कि व्यवहारवाद—

- 1 अनुसंधान की मूल इकाई के रूप में राजनीतिक संस्थाओं का अस्वीकार करता है और राजनीतिक स्थितियों में व्यक्तियों के

- व्यवहारों को विश्लेषण की मूल इकाई के रूप में निर्धारित करता है,
- 2 समाज विज्ञानों को 'व्यवहारवादी विज्ञानों' के रूप में निर्धारित करता है और राजनीति विज्ञान की इस आधार पर परिभाषित समस्त समाज विज्ञानों से एकता पर बल देता है
 - 3 अध्ययन सामग्री के पर्यवेक्षण वर्गीकरण एवं मापन से सम्बन्धित अधिक निश्चित तकनीकों के विकास की परखी करता है और जहाँ तक सम्भव हो सांख्यिकीय व मात्रात्मक प्रस्तावनाओं के उपयोग का आग्रह करता है।
 - 4 व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के निमाण को राजनीति विज्ञान के लक्ष्य के रूप में परिभाषित करता है।

इसी भाव को सरजीह देते हुए हाइन्ड मूलाजी ने यह मत व्यक्त किया है कि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन राजनीतिक सदस्यों में व्यक्ति की क्रिया, दृष्टिकोणों, प्राथमिकताओं तथा अपेक्षाओं से सम्बन्धित है। डेविड इस्टमन न व्यवहारवादी दृष्टिकोण के निम्नलिखित लक्षण इंगित किए हैं जिन्हें वह बौद्धिक आधारशिलाओं की सजा देता है—

- (1) नियमितताएँ (Regularities)
- (2) सत्यापन (Verification)
- (3) तकनीकें, (Techniques)
- (4) सांख्यिकीकरण, (Quantification)
- (5) मूल्य (Values)
- (6) व्यवस्थीकरण, (Systematization)
- (7) विशुद्ध विज्ञान (Pure Science) तथा
- (8) एकीकरण (Integration)

व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान पर प्रभाव

राजनीति विज्ञान पर व्यवहारवाद का नई तकनीकों व अध्ययन पद्धतियों के विकास की दृष्टि से अपूर्व प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप राजनीति विज्ञान में सामग्री विश्लेषण (Content analysis), विशिष्ट मामले का विश्लेषण (case analysis) साक्षात्कार व पर्यवेक्षण (interviewing and observation) तथा सांख्यिकी (statistics) से सम्बन्धित नई अध्ययन पद्धतियाँ का समावेश हुआ। जहाँ तक राजनीति विज्ञान के आधारभूत डोम मसला का प्रश्न है व्यवहारवाद का इस दिशा में कोई विशेष योगदान नहीं रहा है। राजनीति विज्ञान की

अधिकांश अभिनव सैद्धांतिक योजनाएँ (जैसे सामाज्य व्यवस्था विश्लेषण, निष्पत्ति-निर्माण उपागम, सम्प्रेषण, क्रीडा सिद्धांत, साइबरनेटिक्स) इत्यादि मुख्यतः व्यक्तिगत व्यवहार या सीमित सामूहिक व्यवहार से सम्बंधित हैं। वे संस्थाओं व प्रक्रियाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाती।

व्यवहारवाद की आलोचना

राजनीति विज्ञान के सदस्य मत्तदायित व्यवहारवादी क्रांति न ऐसी अपाच्यवदुःख शब्दावली प्रचलित की है जो प्रयोग के दौरान प्रयोगकर्ता के लिए नए फलन का ग्लैमर तो प्रस्तुत करती है लेकिन उसकी राजनीतिक विश्लेषण क्षमता का तीव्रतर नहीं करती। राजनीतिक व्यवहारवादी अध्ययन अपनी समस्त वैज्ञानिकतामयता व वास्तविक सामाजिक स्थितियों के प्रति कुछ विशेष निश्चितता परक उपलब्ध नहीं करा पाते। उदाहरण के लिए सामाजिक परिवर्तन सम्बंधी अध्ययन जब अपने निष्कर्ष में यह प्रस्तावित करते हैं कि अमुक समाज 'संक्रमणशील स्थिति' का परिचायक है तो यह निष्कर्ष इतना साधारण व स्वतः स्पष्ट है कि समझ में नहीं आ पाता कि इसकी प्राप्ति के लिए व्यवहारवादी पद्धति का प्रयोग क्या कर आवश्यक है। क्या यह 'कॉमन सेंस' द्वारा अभिनेय नहीं है? इसी प्रकार मतदान-व्यवहार (Voting Behaviour) से सम्बंधित समस्त अध्ययन या तो घटनाओं का 'पोस्टमार्टम' ही कर पाते हैं और ऐसा करके वे 'पश्चात् की परवर्ती तार्किकता' (subsequent rationality of the real) स्थापित करते हैं या उनकी भविष्यवाणियाँ प्रायः गलत ही सिद्ध होती हैं। उदाहरणार्थ भारत के सदस्य में नियोजित मतदान व्यवहार सम्बंधी अध्ययन कभी भी मतदान व्यवहार में उत्पन्न परिणाम की पूर्व व्याख्या अथवा भविष्यवाणी नहीं कर सके। 1967 में किसी भी अध्ययता की यह भविष्यवाणी नहीं थी कि कांग्रेस चुनाव में काफी स्तरों पर पराजित होगी और 1971 में किसी भी व्यवहारवादी को यह पूर्वाभास नहीं था कि श्रीमती गांधी विजयी होगी। इसी प्रकार 1977 में कोई भी अध्ययता यह भविष्यवाणी नहीं कर सका कि श्रीमती गांधी चुनावों में पराजित हो सकेंगी और 1980 के दौरान वह यह स्थापित नहीं कर सका कि उनकी इतनी शानदार पुनर्वापसी सम्भव हो सकेगी। इन अध्ययनों की उपयोगिता मात्र यह रही कि इन्होंने चुनावों जीत या हार के कारणों की बाद में खोजा की और इस प्रसंग में आम मतदाता के बुद्धि व विवेक को या तो प्रतिष्ठित किया या उसे नकारात्मक मत स्थिति में युक्त अम्पिर दिमागी सिद्ध किया। यह विचारणीय है कि 1952 और विशेषतः 1962 के बाद से किए गए चुनाव-अध्ययन यदि मतदाता व्यवहार के सामाज्य भाव स्थापित नहीं कर सके और हर चुनाव अपने आपमें इस धारणा से युक्त एक 'विलक्षण' स्थिति

का परिचायक ही है ता एक विकासशील दश के साधना का यह कहा तक अपव्यय या असंगत है ?

वास्तव में व्यवहारवादी अध्ययन अपनी पद्धति के परिष्कार के तलमर में इतने निर्णायक रूप से कँद होकर रह जाते हैं कि वे राजनीतिक उपयुक्तता पर कोई सटीक टिप्पणी करने की स्थिति में ही नहीं रहते। अध्ययन की वैज्ञानिकता अध्येता के सिर पर चढ़कर डोलती है और उसकी प्रासंगिकता पीछे छूट जाती है। राजनीति वैज्ञानिक व्यवहारवादी सदा में मात्र कुशल तकनीशियन के रूप में उपस्थित होते हैं उनका वैचारिक प्रौढ़ता व दूरदर्शिता से कोई सम्बन्ध ही नहीं रह पाता। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता अपने आपमें एक 'अंतिम मूल्य' के रूप में मुखरित होती है उसका साधनात्मक मूल्य लुप्त हो जाता है। इस प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए लिया स्ट्रास की यह टिप्पणी उल्लेखनीय है कि "राजनीतिक तत्त्वों की सामा यभाव परक समझ से विच्छेद अभिनव राजनीति विज्ञान को प्रासंगिकता के उस मापदण्ड को छोड़ने को बाध्य करता है जो राजनीतिक समझ में अंतर्निहित हैं। अस्तु राजनीतिक तत्त्वों के प्रति अभिनव राजनीति विज्ञान का अभिमुखीकरण अनुपस्थित रहता है, इस स्थिति से बचाव का कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि वह अप्रासंगिकताओं के अध्ययन की भीड़ में अपने आपको न छोड़कर, सामा य भाव की गुप्त शरण ले।"

उत्तर व्यवहारवाद

उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में व्यवहारवादी आंदोलन की एक समीक्षा है। 1969 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान परिषद को सम्बोधित अपने 'अध्ययीय भाषण' में डेविड इस्टन ने उत्तर-व्यवहारवाद का विचार प्रतिपादित किया और ऐसा करते हुए व्यवहारवाद के मांग से वैचारिक ध्रमा के बाटे चीन। उत्तर व्यवहारवाद को दो प्रमुख भाग हैं—प्रासंगिकता व क्रम। डेविड इस्टन ने अपने प्रासंगिकता के अपने धमसार में अर्थ तत्त्वों के साथ यह प्रस्तावित किया कि राजनीतिक विज्ञान विषयक अध्ययन में सार तकनीकों का पूर्ववर्ती होना चाहिए राजनीति विज्ञान को सामाजिक धनुरक्षण की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन पर प्रमुख ध्यान देना चाहिए उस राजनीति की मूल वास्तविकताओं में एकाकार हानर मान्यता की मयापवादी आवश्यकताओं का समाधान करना चाहिए तथा मूल्य का राजनीति वैज्ञानिक अध्ययन में वैश्वीय स्थान प्रदान करता चाहिए।

राजनीति विज्ञान में उत्तर-व्यवहारवाद का प्रमुख योगदान यह रहा है कि उमा राजनीति विज्ञान व राजनीतिक दान व बीच खाद पाठन का धर्म मान प्रारम्भ किया है और तत्त्वों का मूल्यों में समन्वित किए जाने का आवश्यक

कता पर बल दिया है। उत्तर-व्यवहारवाद का सार यह है कि राजनीति वैज्ञानिक वैज्ञानिकता की साधनपरकता के साथ सामाजिक प्रासंगिकता के गतव्य की ओर उमुख हो और ऐसा करते हुए मानवता के मवेग व नियति से जुड़े। यदि इस भ्रम को व्यवहारवाद का अनुभवपरक विकास एवं विस्तार माना जाए तो राजनीति विज्ञान अपना घोया सतुलन पुन प्राप्त कर सकता है और ज्ञान व क्रम को समुक्त करत हुए सामाजिक प्रासंगिकता की अपूव बुलदियो तक पहुच सकता है।

उद्धरण व टिप्पणी

- 1 व्यवहारवाद के विस्तृत निरूपण के लिए देखें एवरन क्रिकपट्टक "दि इम्पेक्ट आव् दि बिहेवियरल अप्रोच आन ट्रे डिशनल पॉलिटिकल साइस" आस्टिन रने (स) एसेज ऑन दि बिहेवियरल स्टडी आंव पॉलिटिक्स,
- 2 हाइज यूलाआ, दि बिहेवियरल परमुएशन इन पॉलिटिक्स, पृ 21
- 3 डेविड इस्टन, दि पॉलिटिकल सिस्टम
- 4 व्यवहारवाद की समग्र आलोचना के लिए देखें लिओ स्ट्रास 'एव एपि-लांग' हबट जे स्टोरिंग (स) एसेज आन दि साइटिफिक स्टडी आंव पॉलिटिक्स,
- 5 डेविड इस्टन, 'दि यू रिवाल्वूशन इन पॉलिटिकल साइस', दि अमेरिकन पॉलिटिकल साइस रिव्यू खण्ड LXIII, क्रमांक 4, दिसम्बर 1964

अध्याय 5

राज्य की प्रकृति का प्राचीन भारतीय व पश्चिमी सद्वर्ध

राज्य की अवधारणा राजनीति विज्ञान में सद्वर्ध के द्रीय महत्व का रही है। राज्य अपने आधुनिक रूप में आने से पूर्व ही अपने अधूरे व अद्वैतव्यक्त जशा में राजनीतिक विचारों को प्रभावित व विकसित करता रहा है। प्लेटो व अरस्तु के राजनीतिक विचार यूनानी नगर राज्यों व उनसे उत्पन्न अनुभवा पर आधारित थे, भले ही वे आधुनिक राज्य संस्था न हो और अपने विशिष्ट रूप व प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हों (यद्यपि व आधुनिक राज्य के परवर्ती चार तत्त्वों व मापदण्ड को कसौटी पर अवश्य राज्य हा की योग्यता रखते हैं)। आधुनिक सद्वर्ध में राज्य की उत्पत्ति के उपरांत ता राज्य की अवधारणा राजनीतिक विचारों को सतत सम्प्रेरित करती रही। यूरोप में मेक्यावेलि ने सर्वप्रथम राज्य विषयक धारणा का प्रयोग अपने चिंतन में किया। तदुपरांत राजनीतिक विचारों की हर अवस्था राज्य को पर्याप्त महत्व देती आ रही है। आदर्शवादी विचारक राज्य के गौरवमय रूप की वचारिक अभिव्यक्ति करते रहे हैं तो यथायवादी राज्य के औपचारिक रूप के परे जाकर वास्तविकताओं से अंतरण होने का महत्व प्रकट करते रहे हैं। दोनों ही स्थितियाँ में राज्य अपरिहाय है क्योंकि राज्य की चाह पाए बिना दोनों ही विचार क्षेत्रों अपना कथ्य प्रस्तुत नहीं कर सकते। मार्क्स द्वारा राज्य के वर्गीय स्वरूप की व्याख्या भी राज्य की महत्ता को नहीं करती वह वस्तुतः राज्य के प्रति वैचारिक-नैतिक-आत्मिक रूढ़ी दृष्टि की ही अपा करती है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि राज्य की प्रकृति स सम्बन्धित धारणाओं व राजनीतिक विचारों की प्रकृति, क्षेत्र एवं आयाम निर्धारित किए हैं

और राज्य-प्रकृति ही सरकारी श्रियाआ व उनके वशेषिक प्रभाव निर्धारित करती है। आज के 'उदीयमान 'राज्येतर' (non state) सदभ म भी राज्य किसी न किसी प्रकार अपनी सत्ता व प्रकृति बनाए हुए हैं यद्यपि यह सही है कि समसामयिक वक्तियों न राज्य के पूर्ववर्ती रगा का धूमिल किया है और राज्य-केन्द्रण (state centricity) की अय तक की स्थिर दशा का कुछ आघात प्रदान किया है। ऐसी स्थिति म राजनीति विज्ञान का तब तक कोई भी सारगर्भित अध्ययन नही हो सकता जब तक कि राज्य की प्रकृति निर्धारित व विवेचित न कर ली जाए। इसी उद्देश्य स राज्य की प्रकृति के नियामक प्राचीन भारतीय एव यूरोपीय सदभ को निरूपित किया जा रहा है और उसके सदभ म राज्य प्रकृति व विविध आयाम निर्धारित किए जा रहे हैं।

राज्य प्रकृति का प्राचीन भारतीय सदभ

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन मे राज्य के विषय म चिंतन का क्रम अपने सगठित रूप म अथशास्त्र की प्रारम्भिक व्याख्याओ व उसके कौटिल्य द्वारा परवर्ती सकलन व तत्त्वबधी अभिमतो म वर्णित है। इसके अतिरिक्त मनुसंहिता व याज्ञवल्क्य संहिता, तमिल शास्त्रीय साहित्य, कामण्डकीय नीतिसार, सोमदेव का नीति-वाक्यामृतम, शुक्रनीतिसार, आदि गय भी राज्य विषयक धारणाए समाहित किए हुए हैं। इन सबके प्रकाश म राज्य सरचना सिद्धात, राज्य-सरकार सम्बध, राज्य-समाज सम्बध व राज्य की कानूनी धार्मिक मायताआ के सम्बध मे सामाय परिकल्पनाए प्रस्तावित की जा सकती हैं।

राज्य सरचना सिद्धात

प्रारम्भिक अथशास्त्री विचारका द्वारा राज्य के सात सघटक तत्व प्रति पादित किए गए, ये थे—(1) स्वामी, (2) अमात्य (3) जनपद, (4) दुग, (5) कोष, (6) बल व (7) मित्र। घोपाल ने इन तत्वो का निम्नलिखित अनुवाद प्रस्तावित किया है—(1) सम्प्रभु शासक, (2) सरकारी (बग), (3) ग्रामीण क्षेत्र (4) किलेबंदी युक्त (अथवा शहरी) क्षेत्र, (5) (स्थायी) राजस्व, (6) (क्रियाशील) सेना तथा (7) (स्थायी) विदेशी सहयोगी।¹ घोपाल का यह मत है कि अथशास्त्र राज्य को मानवीय उपकरणो से संचालित एक मानवीय सस्था है। इसके पक्ष मे यह पुरोहित की राज्य सरचनात्मक सूची म अनुपस्थिति का साक्ष्य प्रस्तुत करत हैं और राज्य की क्रियाओ मे व्यवहारशील प्रशासनतंत्र, सना व अंतरराज्य सम्बधा म सहयोगी की भूमिका का उल्लेख करत हैं।² उनकी दृष्टि म अथशास्त्रीय व्याख्या 'राजतत्रात्मक राज्य' की अवधारणा निर्मित करने मे सफल होती है यद्यपि पारिभाषिक व्यापकता की दृष्टि से वह

गणतन्त्रात्मक राज्य पर भी प्रयुक्त होने में सक्षम है। कौटिल्य ने अपनी राज्य विषयक धारणाएँ निमित्त करने के दौरान इन सघटक इकाइयों को सार रूप प्रदान किया और 'राजा' व 'राज्य' के सदस्य में परिभाषित किया। इस दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि कौटिल्य ने समेत कुछ व्याख्याकार 'राजा ही राज्य है' का सूत्र प्रदान करते हैं। घोपाल के मत में कौटिल्य की सूची व वर्णन की यह एक भ्रमपूर्ण व्याख्या है।³ कौटिल्य ने अपनी राज्य संरचना में राजा की निर्णायक भूमिका पर बल दिया है और राजा को समस्त राज्य तत्त्वों के नियामक के सदस्य में प्रस्तुत करते हुए उसके व अर्थ संरचनात्मक तत्त्वों के बीच एकीकरण (integration) व विभेदीकरण (Differentiation) का दोहरा कार्यकारी सिद्धांत प्रस्तावित किया है। परवर्ती याज्ञवल्क्य व मनु स्मृतियाँ में इन संरचनात्मक घटकों में परिवर्तन किया गया। याज्ञवल्क्य ने पुर (राजधानी) व राष्ट्र (राज्य) को प्रस्तावित करते हुए उन्हें जनपद व दुर्ग का स्थापनापन बनाया जबकि मनु ने जनपद के स्थान पर अधिक मूल जन (जनता) को प्रतिस्थापित किया। शास्त्रीय तमिल साहित्य में अथशास्त्र के भौतिक वर्गीकरण को उचित ठहराते हुए राजा की निर्णायक भूमिका पर बल दिया गया। नीतिसार में 'राजा' व 'राष्ट्र' को राज्य की आंतरिक व बाह्य संरचनाओं के रूप में परिभाषित किया गया और राजा से यह अपेक्षा की गई कि वह राष्ट्र का सर्वांगीण विकास सुलभ कराएगा।

राज्य व सरकार

राज्य व सरकार के सम्बन्धों का प्राचीन भारतीय सदस्य में साध्य-साधन रूप में निरूपित किया गया था। सरकार का उद्देश्य राज्य का सद्बह करना व इस दृष्टि से उपयुक्त सरकारी नीतियाँ निर्धारित करना था। मनु ने सदस्य, सम्पन्नता व सुख के तीनों गुणों के समन्वित क्रम को सरकारी क्रियाकलापों का मापदण्ड माना। महाभारत में भीष्म ने अपने उपदेश में राज्य द्वारा सांख्यिक सुरक्षा एवं संरक्षण को एक महत्त्वपूर्ण सरकारी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। राजा के सम्बन्ध में भी अनेक नीतिपरक प्रस्तावनाएँ निर्मित की गईं और राज-सुलभ गुणों को उनके सदस्य में चरितार्थ किया गया। सद्बह निष्पन्न के इस प्रयासों के बावजूद प्राचीन भारत में सरकार के व्यावहारिक संगठन व क्रिया-विवृति पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दृष्टि से अथशास्त्र का सरकारी मॉडल जिसमें राजा सरकारी षण्य व प्रशासनिक उपबन्ध एक दूसरे के पूरक रूप में जुड़े हुए थे परवर्ती सरकारी व्याख्याओं को सदैव प्रभावित करता रहा। सरकार के इस व्यावहारिक संगठन में राजस्व व सेना की विशेष भूमिका परिलक्षित की गई व अंतरराज्य सम्बन्धों की दृष्टि से विदेशी सहयोगी व गठबन्धन की उपाययता

पर्याप्तत प्रकाशित की गई। इन समस्त सरकारी व्यवस्थाओं में राजा का स्थान सर्वोपरि रहा और राजा राज्य सत्त्वनाओं व उनके प्रशासनिक क्रिया-व्ययन की एकमात्र सम्पक-कडी के रूप में उपस्थित हुआ।

राज्य व समाज

राज्य व समाज विषयक प्राचीन भारतीय सद्म इस तथ्य से जाना जा सकता है कि समाज राज्य का पूर्वगामी है। सामाजिक उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक मत प्रचलित हैं। वैदिक अभिमत के अनुसार समाज की दधी उत्पत्ति हुई और प्रजापति ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य व शूद्र वर्ग पैदा किए। इसी प्रकार जैन साहित्य में यह प्रकट होता है कि ऋषभ व उसके पुत्र भरत ने सामाजिक व्यवस्था का सूत्रपात किया। सामाजिक व्यवस्था के संचालित होने के क्रम में एक कानून के अंतर्गत शासित होने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तदुपरांत ब्रह्मा ने मनु का प्रथम शासक के रूप में पृथ्वी पर भेजा। ये दृष्टांत यह सामाजिक धारणा प्रतिपादित करते हैं कि समाज राज्य का पूर्ववर्ती था। राज्य समाज को संगठित व संचालित करता था और इस क्रम में समाज में सद्गुण, सम्पन्नता व सुख के त्रिगुणा की आधारशिला रखी गई थी। राज्य अपने संचालन में धर्म का प्रवर्तन करता था और उसके अतिक्रमण की स्थिति में दण्ड नीति प्रवर्तित करता था जबकि समाज इन व्यवस्थाओं से बंधकर सामाजिक विकास की स्थिति में सुलभ कराता था।

राज्य कानून व धर्म के प्रवर्तक के रूप में

राज्य कानून, 'याय व कर्तव्य' भाव के जनक के रूप में प्रकट होता है व राजा राज्य के संचालक के रूप में धर्म की व्याख्या भी करता था और धर्म सम्मत शासन भी उपलब्ध कराता था। राज्य के पास वैकल्पिक रूप से दण्ड-विधान भी समाहित था क्योंकि, धर्म प्रवर्तन का दायित्व भी उसी का था। राजा-नाओं के रूप में कानून प्रवर्तन भी राजा का काय था और उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह प्रवर्तित कानून का अपने राज्य में सर्वत्र प्रसार व प्रचार करेगा। कानून सर्वोच्च सत्य था और सर्वोच्च सत्य कानून। इस दृष्टि से दोनों एक स्तर पर एकाकार हो जाते थे। शुकनीतिसार में यह मत व्यक्त किया गया कि कानून के राज्य द्वारा प्रवर्तन व राजा द्वारा उसे प्रवर्तित करने के कारण राजा वस्तुतः 'युग निमाता' का काय सम्पादित करता है और कही युग कारण प्रतिपादित करता था, इस कारण जनता राजा की सत्पुष्टि के अनुरूप क्रियाएँ करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता की धर्म व कानून में आस्था थी और उसकी व्याख्या-कारी व प्रवर्तनकारी भूमिका के निर्वहन में उसके लिए नैतिक रूप से यह आव-

अथवा कि वह राजा का पालन करे। धर्म के 'यायकारी सदस्य' की व्याख्या करते हुए मनु ने यह मत प्रतिपादित किया कि यदि याय का उल्लंघन होता है तो राज्य का संहार हो जाता है, यदि यह अनुरक्षित होता है तो राज्य अनुरक्षित होता है। इस कारण राज्य का आत्मा अनुक्षण की दृष्टि से याय भाव सरावित करना चाहिए। धर्म का एक और पक्ष निरूपित किया गया स्वधर्म। स्वधर्म यद्यपि आत्म स्फूर्त भाव है लेकिन उसे व्यवस्था बनाने की दृष्टि से उसके पीछे भी राज्य शक्ति का प्रावधान किया गया। मनु ने यह प्रस्तावित किया कि न पिता, न गुरु, न मित्र, न मा, न पत्नी और न धरैलू पुराहित को बिना मजा के छोड़ना चाहिए यदि वे अपन धर्मों का अनुपालन न करें। शुक्राचार्य ने भी यह मत व्यक्त किया कि जनता का उनके यथाक्रम में रखना चाहिए और इसके लिए राज्य सम्प्रभुता का भयावह प्रयोग करना चाहिए।

कानून व धर्म सम्यधीय राज्य व्यवस्थाएँ यह आम अनुभव प्रस्तावित करती हैं कि राज्य धर्म की विविध विधाओं के व्यवस्थापन, अधिनियम व प्रवर्तन द्वारा व्यक्ति के नतिक स्तर को ऊँचा उठाता है। इस दृष्टि से राज्य शैतिक सुविधाएँ प्रदान करने वाली एक एजेन्सी (ममत्व सस्था) ही नहीं बल्कि, धर्म प्रोत्साहन एवं सावजनिक परिपद् (समूह) भी है।

राज्य प्रवृत्ति का पश्चिमी सदस्य

राज्य की प्रवृत्ति पश्चिमी सदस्य की दृष्टि से अपने विशिष्ट प्रतिभा प्रस्तुत करती है। इन प्रतिभा का ऊपर वर्णित श्रम व वणन वैचारिक समझ व तथ्यात्मक अनुशीलन के लिए अपरिहार्य है।

राज्य संरचना सिद्धांत

पश्चिमी राज्य की संरचना प्रमुखतः चार तत्वों में मिलाकर मानी जाती है। ये चार तत्व हैं—जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार व सम्प्रभुता। इसके अतिरिक्त एक अथ तत्व भी इस सम्बंध में अक्सर उल्लिखित किया जाता है और वह तत्व है अन्तर्राष्ट्रीय मायता का।

जगत्सभ्य इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य एक मानवीय सस्था है और मानवीय सस्था निश्चित जनसंख्या के अभाव में निरूपित नहीं हो सकती अतः किसी राज्य में जनसंख्या का क्या आदश अनुपात है इस सम्बंध में राजनीतिक विचारक एकमत नहीं रहे हैं। मनु ने 10000 की जनसंख्या का आदश स्वीकार किया है जबकि भरमु ने इस सम्बंध में यह नीतिपरक प्रस्तावना की है कि जनसंख्या इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि वह आत्मावलम्बी हो और इतनी सीमित कि वह सुशासन हो सके।

आधुनिक सदभ मे जनसख्या का निश्चित क्रम निर्धारित करना अत्यधिक दुष्कर काय है। रक्षा की दृष्टि से जर्मनी समेत अनेक राज्यों ने जनसख्या वृद्धि का सघन कार्यक्रम समायोजित किया और इसके अंतगत अधिक सतानों के युगल-दम्पति को राज्य पुरस्कार आदि दिए जबकि बिना सतान के युगल दम्पति पर करारोपण किया। एक समय रूस ने भी जनसख्या वृद्धि के कार्यक्रम को नियोजित किया। विकासशील देशों के सदभ मे जनसख्या नियोजन का प्रश्न आर्थिक साधनों की उपयुक्तता से जुड़ा हुआ है और उसका विकास स्तर की विपमता/सुगमता से सीधा सम्बन्ध है। विकास की रणनीति भी जनसख्या की मात्रा का औचित्य निर्धारित करती है। चीन ऐसे श्रम आधारित आर्थिक नियोजनवादी देश मे जनसख्या वृद्धि विस्फोटक स्थिति नहीं उपलब्ध कराती, जबकि भारत ऐसे पूँजी आधारित नियोजनवादी देश मे 'बहु बेकारी, कुपोषण व विपमता के सामाजिक संकट को चरिताय करती है। अतः जनसख्या की मात्रा का सम्बन्ध किसी राज्य की दश व काल की स्थितियों से जुड़ा हुआ है। क्षेत्रफल राज्य की निश्चित सीमाओं को निर्धारित करने व उसमे निश्चित जनसख्या के बस कर रहने के लिए आवश्यक है। निश्चित क्षेत्रफल का यथाथ अंतर्राष्ट्रीय कानून की राज्य विषयक मायता के सदभ मे भी नितात आवश्यक है। भूमि, जल व नभ-तीनों समुक्त रूप से किसी राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं। इस प्रकार निर्धारित सीमा राज्य की वचारिक अवधारणा का भौतिक चित्रण सुलभ कराती है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से दो प्रश्न विचारणीय हैं—(1) क्या छोटा राज्य अथवा बड़ा राज्य दुनिया मे अपना शक्ति-दर्जा अनुक्षित कर सकता है? और (2) क्या राजनीतिक विचारधारा का प्रवर्तन राज्य के छोटेपन अथवा बड़ेपन पर निर्भर करता है? इन दोनों ही प्रश्नों का कोई सवमाय उत्तर नहीं प्रदान किया जा सकता। इजरायल जैसा छोटा राज्य भी अपने शक्ति-दर्जों से दुनिया को प्रभावित कर सकता है जबकि भारत ऐसा बड़ा राज्य भी इस तथ्य के आधार पर अपना दर्जा नहीं बनाए रख सकता और 1962 की चीन से लड़ाई में बहु पराजय का सामना कर सकता है। इसी प्रकार, लोकतंत्र का प्रबल व्यवहार व लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के बड़े आकार के बावजूद अक्षुण्ण रह सकती है और पट्टरी से उतरने के बावजूद लोकतंत्र फिर से अपन रास्ते पर आ सकता है जबकि पाकिस्तान ऐसे अपधाकृत छोट राज्य मे लोकतंत्र का प्रयाग बारम्बार विफल हो सकता है। वास्तव मे ये प्रश्न क्षेत्रफल के छोटपन अथवा बड़ेपन पर उत्तन नहीं आधारित है जितना कि उनकी मानवीय प्रतिमा से युक्त व्यवस्थात्मक नियोजन व ननुत्व क्षमता से सम्बन्ध है।

सरदार राज्य का एक सगठनात्मक ढांचा है—एक ऐसा ढांचा जो राज्य

के वास्तविक संचालन को प्रकटत प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा सावजनिक नीतियों का निर्धारण व क्रिया-चयन हाता है।

सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च निणय निर्माण क्षमता की परिचायक होती है। यह शक्ति किसी एक व्यक्ति, एक वग अथवा कुछ चयनित सामाजिक पक्षों में निहित होती है। अपने आन्तरिक सदस्यों में सम्प्रभुता अपनी सीमा में बसी जन-संख्या पर निरुद्ध सत्ता की परिचायक होती है जबकि अपने बाह्य सदस्यों में वह विदेशी आधिपत्य एवं हस्तक्षेप के प्रकारों के प्रतिरोध की सफलता से मापी जाती है। बाह्य व आन्तरिक दोनों सदस्यों में सम्प्रभुता पूर्ण नहीं हो सकती। लोकतांत्रिक परिवेश के निर्माण के उपरांत तो सम्प्रभुता पर अनेक दबावकारी शक्तियाँ विद्यमान हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मायता' के प्रश्न में 'राज्य अस्तित्व' के एक अमिन्न अर्थ का स्थान तो लिया है। कोई राज्य पूर्ण दर्जा तक ही पाता है जब उसे सम्प्रभु राज्यों के समुदाय से मायता मिल जाती है। इस दृष्टि से सम्युक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता व उसकी स्वोक्ति उसके राज्य-रूप पर निणायक प्रभाव डालती है। इन सरचनात्मक तत्त्वों के विवरण के प्रकाश में राज्य की परिभाषा देना सरलतर प्रतीत होता है। मेकाइवर के अनुसार राज्य एक वह परिपद है जो कानून की बाध्यकारी शक्ति से तब सरकार द्वारा कानून के माध्यम अंतर्गत से क्रियाशील होते हुए क्षेत्रीय स्तर पर निर्धारित समुदाय के अंतर्गत सावदेशिक सामाजिक व्यवस्था की बाह्य स्थितियों को अनुरक्षित करती है। रे व भट्टाचार्य के मत में मेकाइवर की यह परिभाषा अन्तर्राष्ट्रीय मायता के तत्त्व से सम्युक्त होकर राज्य का एक स्पष्ट परिदृश्य सुलभ कराती है।¹⁶

राज्य व सरकार

राज्य व सरकार के सम्बन्धों की चर्चा से पूर्व उन दोनों के विषय में व्यापक भ्रम का निवारण आवश्यक है यह भ्रम लुई चौदहवें जैसे शासकों की उद्धोषणाओं से उत्पन्न होता है "मैं ही राज्य हूँ। राजनीतिक विचारयोगियों में भी यह भ्रम प्रकट होता है जब हॉब्स जैसा विचारक राज्य व सरकार को पर्याय के रूप में ग्रहण करता है। इस भ्रम को एक स्तर पर बल इस कारण भी मिलता है कि राज्य वस्तुतः अमूर्त व अप्रकट हाता है जबकि सरकार मूर्त व प्रकट। व्यावहारिक प्रशासन की दृष्टि से सास्की ने यह मत प्रतिपादित किया कि राज्य और कुछ नहीं बल्कि सरकार ही है क्योंकि राज्य का नाम पर सरकार ही सत्ता संचालित करती है और समस्त शक्तियों का उपभाग करती है। यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि सरकार वास्तव में राज्य का एक अंग है और इस दृष्टि से उसकी शक्ति राज्य से

व्युत्पन्न है वे मूलतः मौलिक नहीं हैं। सरकार राज्य के एक एजेंट के रूप में सत्ता का ऐसा पट्टा रखती है जो कभी भी मौलिक स्वामी (राज्य) द्वारा निस्प्रभावी किया जा सकता है। सरलीकृत रूप से यह कहा जा सकता है कि सरकार एक वैभवशाली प्रतिष्ठान की मैनेजर है जिसका मालिक राज्य है। मालिक काउटर पर अथवा प्रतिष्ठान में बैठा नहीं देखता लेकिन उसके नाम पर सारा काराबार चलता है। वह न रह कर भी है क्योंकि वह इच्छानुसार जब चाह कारोबार के बही-खात चेक कर सकता है और मैनेजर को बर्खास्त कर सकता है। चापलूस मैनेजर बही खात अपने हिसाब से ढाल कर थोड़े समय के लिए मालिक की आँखों में धूल अवश्य झोक सकता है लेकिन मालिक की व्यावसायिकता मौका पाते ही उसे रग हाथों पकड़ सकती है। सारे छल-नियोजन व हथकण्डा के बावजूद मौक़र मालिक नहीं हो सकता—मैनेजर मैनेजर ही है और मालिक मालिक ही है। राज्य व सरकार के सम्बन्ध व स्थितियाँ का निरूपण करते हुए मकाइवर ने सही ही कहा है कि जब हम राज्य की चर्चा करते हैं तो हमारा प्रयोजन एक एक ऐसे संगठन से होता है जिसका केवल प्रशासनिक अंग सरकार होती है राज्य का संविधान होता है कानून संहिता होती है, सरकार के संगठन की प्रक्रिया होती है और नागरिकों का एक समूह होता है। जब हम इस समूची संरचना की चर्चा करते हैं तो वस्तुतः हम राज्य का ही विचार करते हैं।

सूत्र रूप में यह कहना संवया प्रासंगिक होगा कि—

- (1) सरकार राज्य की इच्छा व शक्ति की प्रतिनिधि है,
- (2) राज्य अमूर्त है जबकि सरकार मूर्त व निश्चित। सरकार उन निश्चित व्यक्तियों के काय-सम्पादन से चरिताय होती है जो राज्य की इच्छा का अभिव्यक्ति व क्रियावित प्रदान करते हैं,
- (3) राज्य न्यूनाधिक रूप स्थायी है जबकि सरकारें परिवर्तनशील हैं,
- (4) सरकारों के विविध प्रतिमान संभव हैं जो हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन राज्य स्वयं सदा अपने समान तत्वा (अथवा 4 अथवा 5 संघटन तत्वों) के साथ ही उपस्थित होता है, तथा
- (5) एक एजेंट के रूप में सरकार की शक्ति राज्य से व्युत्पन्न व कानून-संविधान से परिसीमित है जबकि एक स्वामी के रूप में राज्य की शक्ति मौलिक व असीमित है। राज्य सम्प्रभु है। सरकार में वह सम्प्रभुता मात्र प्रतिबिम्बित होती है।

राज्य व समाज

राज्य व समाज के पारम्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट समझ के प्रति पश्चिमी राजनीतिक विचार पर्याप्ततः सचेत रहा है। सामाजिक व राजनीतिक स्थितियों को उनके यथाक्रम में ग्रहण करने का एक कारण यह है कि सामाजिक स्वायत्तता के अभाव में राज्य का दमनकारी चक्र उसे कुचल देगा और राज्यपरक हस्तक्षेप स्वस्थ समाज के विकास में अवरोध उत्पन्न करेगी। इसका नागरिक स्वतन्त्रता व प्रतियोगितात्मक विशुद्धता पर घातक प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी सामाजिक परिवेश राजनीतिक परिवेश से बड़ा है और उसका जनक हैं। अपने उद्गम को कुचलकर राजनीति स्वच्छ हो जाएगी और सामाजिक मर्यादाओं के अभाव में सिर फटे कबूत की भांति व्यापक नरसंहार करती फिरेगी। ऐसी स्थिति में दोनों का स्वतंत्र परंतु सहयोगी परिवेश निर्मित करना दोनों की सदगति के लिए आवश्यक है।

पश्चिमी वैचारिक सदर्भ में यह स्पष्टतः प्रतिपादित है कि समाज परिपदा के लिए नियोजित वृत्तिजय इच्छाओं का प्रतिफल है जिसके आलोक में समान हित समुच्चारित होते हैं और उनके परिपालन के लिए ऐसी सस्थाओं व परिपदों का गठन होता है। जिसे समाजशास्त्री 'नियामक' सस्थाओं व परिपदों की संज्ञा देते हैं। यह कहा गया है कि सामाजिक सम्बन्ध जीवन का सूत है और सामाजिक सस्थाएँ एवं परिपदों व करघा (loom) हैं जिन पर यह सूत बुना जाता और कपड़े व परिधानों के रूप में प्रकट होता है। इन अनेक सामाजिक परिपदों में से राज्य एक ऐसी क्रियात्मक परिपद है जो समाज के राजनीतिक उद्देश्यों का ताना-बाना बुनती है। इसके बावजूद वह स्वयं समाज नहीं है और न ही वह ऐसा हा ही सकती है। राज्य इच्छा व विवेक का प्रतिफल है जबकि समाज प्राकृतिक व एव वृत्तिजय इच्छा का प्रतिरूप है। इस दृष्टि से समाज राज्य पूर्ववर्ती है। उद्देश्य की दृष्टि से भी राज्य का मात्र राजनीतिक उद्देश्य है और इस क्रम में वह प्रतिनिधित्व आधार पर समाज के अर्थ उद्देश्यों को नियमित व समन्वित करता है लेकिन वह स्वयं इन सबका स्थान नहीं ले सकता। समाज बहुलक्ष्य साधक है और इस दृष्टि से स्वैच्छिक आधार पर अनेक सहयोगी क्रियात्मक परिपदों का सृजन करता है। यहाँ यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि राज्य सम्प्रभुता के आधार पर वाध्यकारी शक्ति सयोजित करने की स्थिति में है जबकि समाज स्वैच्छिक सगठना के रूप में प्राकृतिक व वृत्तिजय सहयोग की मात्र अपील कर सकता है। सर अर्नेस्ट वाकर ने इन सदर्भों को तुलनीय आधार पर विश्लेषित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि समाज का क्षेत्र स्वैच्छिक सहयोग है, सदभावना उसकी ऊर्जा शक्ति है और लोचनीयता

उसकी पद्धति-जबकि राज्य का क्षेत्र यात्रिक क्रिया (युक्त) है बल उसकी ऊर्जा है और कठोरता उसकी पद्धति है।⁷

इन समस्त प्रासंगिक अंतरों के बावजूद राज्य व सरकार महत्वपूर्ण रूप से सामाजिक स्थितियों व क्रमों को प्रभावित करते हैं। सामाजिक जीवन की समस्त स्थितियाँ व शर्तें-जन्म, शिक्षा व्यवसाय, विवाह, सम्पत्ति, परिवार, सतति इत्यादि व्यावहारिक सदमम राज्य द्वारा निर्धारित की जाती हैं और उनकी प्रासंगिक व्याख्याएँ उसके द्वारा प्रस्तुत होती हैं। सरकार व्यक्तियों का उनके अनुपालन के लिए बाध्य कर सकती है। इस अर्थ में राज्य सामाजिक संगठन व सर्वोच्च रूप का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसा करते हुए अधिकांश सामाजिक सम्बन्धों को नियमित व सुदृढ़ करता है।

उक्त वर्णित राज्य-समाज अंतरों के कुछ महत्वपूर्ण व्यतिक्रम विशेषतः गर पश्चिमी सदमम में परिलक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कई सामाजिक संस्थाएँ स्वच्छिक सहयोग का प्रतिमान व उपलब्ध न कराकर बाध्यकारी अनुपालन का प्रतिष्ठान सुलभ कराती हैं। उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था स्वयं में एक ऐसी सामाजिक उप व्यवस्था है जिसमें जाति-नेतृत्व व अनुशासन राजनीति सद्दृश्य है और उसके निर्देश राजनीतिक निष्पत्तियों की भाँति कुछ बाध्यकारी उच्चतर बाध्यकारी व्यवस्था के रूप में राजनीति उसे तोड़ती नहीं बल्कि दोनों जुड़कर एकाकार हो जाती हैं और जाति राजनीति की धारा से जुड़कर अपना स्वरूप का 'राजनीतिकरण' कर लेती हैं जबकि राजनीति जाति सम्मूह व सामाजिक आधार को ग्रहण करके अपने आप को सुदृढ़ता प्रदान करती है। इसी प्रकार अन्तरजातीय सहयोग व वृत्तिजय सद्भाव का सैद्धांतिक पक्ष भारत में व्यावहारिक रूप से उच्च जातियों व निम्न जातियों में विद्वेष का अधिक संचार करता है और राजनीति इस सब प्रकरण में असहाय सी रह जाती है। यहाँ हरिजनता पर होने वाले अत्याचार हत्याएँ व बलात्कार के रूप में आए दिन होते हैं और राजनीतिक गठजोड़ की योग्यता से लस उच्च जातीय वर्ग छट्टे घूमकर प्रतिशोध की ज्वाला और अधिक भडकात रहत हैं और राजनीति सिर्फ 'घडियाली आसू' ही बहा पाती है। ये सब उदाहरण यह सिद्ध करत हैं कि राजनीति अपने व्यावहारिक क्रम में निर्णायक रूप से सम्प्रभु नहीं है और वह वास्तविक प्रक्रियात्मक सदमम में विकृत राजनीतिक गठजोड़ से बंध कर अपना व्यवहार क्रम निर्धारित करती है और समाज स्वच्छिक सहयोग पर आश्रित न हाकर अपने सदमम में सामाजिक रूप में अधिनायकवादी मरचनाओं का अस्तित्व देता है, उनसे बंधता है और उनके माथ हाथ में हाथ डालकर घूमना है।

राज्य की कानूनी मायताएँ

पश्चिमी राज्य की कानूनी मायताएँ सार रूप में राज्य के कानून प्रवर्तनकारी काय की ओर इंगित करती हैं। सम्प्रभुता के सदस्य में आस्टिनवादी धारणा कानून को प्रभावी रूप से राजा की आज्ञा के रूप में निरूपित करती है। इसी क्रम में साल्माड का यह कथन है कि कानून 'माय' के प्रवर्तन की दृष्टि से राज्य द्वारा स्वीकृत व प्रयुक्त सिद्धांतों की सहिता है। ग्रीन ने भी कानून का राज्य के सदस्य में प्रभावी अधिकारों व दायित्वा की व्यवस्था माना है। हालण्ड की इस सम्बन्ध में यह मायता है कि कानून व्यक्ति की बाह्य क्रियाओं का मायता देने वाला आचरण का वह सामान्य नियम है जिसे एक निश्चित सत्ता द्वारा प्रवर्तित किया जाता है, एक ऐसी सत्ता जो मानवीय है और मानवीय सत्ताधारियों के मध्य एक ऐसी सत्ता है जो एक राजनीतिक समाज में स्थायी है।

राज्य की कानून विषयक ये मायताएँ उपयुक्त भी हैं क्योंकि शासन का निहिताय नियंत्रण है और नियंत्रण आचरण के ऐसे सिद्धांतों की अपेक्षा करता है जो नियमबद्ध हो और दण्ड विधान द्वारा प्रवर्तन योग्य हों। राज्य के सदस्यों के आचरण को नियमित करने वाले तथा राज्य द्वारा प्रवर्तनीय कानून वस्तुतः राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति करते हैं और राज्य की सम्प्रभुता प्रकट रूप में इन कानूनों की राज्य द्वारा सफल सकल्पना व निष्पादित पर निर्भर करती है।

राज्य द्वारा प्रवर्तित इन कानूनों के दो उद्गम देखे-परखे जा सकते हैं—

(1) सत्ताधारी द्वारा प्रवर्तित कानून का व्यक्तिपरक स्रोत तथा (2) न्याय के उच्चतर सिद्धांतों को समाहित करने वाला कानून का अव्यक्तकर्म्यात। पहला स्रोत वस्तुतः राज्य-सत्ता से प्रकट होता है जबकि दूसरा स्रोत पहल को उसका मूल्य परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। सर अर्नेस्ट वाकर की यह मायता है कि आदेश रूप में कानून की बंधता व उसका मूल्य दोनों ही होने चाहिए। हम यह भी कह सकते हैं कि कानून केवल एक सम्पूर्ण व उसकी सामान्य प्रकृति के रूप में ही इन दोनों लक्षणों से युक्त होता है कि वह वास्तव में क्रियाशील व वास्तविक रूप से प्रभावी होता है।

राज्य प्रकृति का तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

प्राचीन भारतीय व पश्चिमी सदस्य में राज्य की प्रकृति विषयक धारणाएँ तुलना के सन्दर्भ में स्पष्टतः जटिलताएँ उपस्थित करती हैं। प्राचीन भारतीय व लगभग आधुनिक सदस्य में उद्यत राज्य प्रकृति का पश्चिमी सदस्य समय की दृष्टि से इतने भिन्न हैं कि वे तुलनीयता का गुण समायोजित नहीं करते। विचारों व

प्रवृत्तियाँ की एक आर प्राचीन व दूसरी आर आधुनिक स्थिति के बीच तुलना असंगत सी ही है लेकिन वचारिक तत्वों की विशिष्ट भारतीय स्थिति इस प्रकार की तुलना के लिए अवश्य प्रेरित करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कालक्रम में काफी पीछे होते हुए भी भारतीय स्थिति विचारा की जिस समग्रता का आभास देती है वह विस्मयकारी है। कई प्रसंगों में राज्य विषयक भारतीय धारणा पश्चिम की आधुनिक प्रस्तावनाओं से वचारिक मुकाबिला करती है और कहीं-कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह पश्चिम की अपेक्षा अधिक व्यापक है।

राज्य संरचना की दृष्टि से भारतीय संसद राज्य के जिस संरचनात्मक ढाँचे की परिकल्पना करता है वह पश्चिम के संघटक तत्त्वों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। राज्य तत्वों की सात स्तरीय सूची व उनमें एकीकरण व विभेदीकरण की तारतम्यता वास्तव में भारतीय योजना की अधिक व्यापकता की द्योतक है। राज्य क्रम में सेना, प्रशासनतंत्र व राजनय का स्थान वास्तव में अत्याधुनिक पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था के विचार के करीब हैं और इस दृष्टि से राज्य व्यवस्था से श्रेष्ठतर।

सरकारी संसद में भारतीय तत्त्व शासन की प्रक्रियात्मकता का अधिक बाध करता है और ऐसा करते हुए प्रशासन की व्यावहारिकता को अधिक बाध गम्यता प्रदान करता है। शासन में आंतरिक व बाह्य तत्वों ('राजा' व 'राज्य' के संसद में) का समायाजन वस्तुतः व्यवस्था की अवर संरचना (infrastructure) व अधि संरचना (super structure) के बीच सम्बन्धों का परिचायक है।

इसी प्रकार, कानून का धर्म से सम्मिलन व उनके योग से उत्पन्न नैतिक सजा निकली वैकल्पिक दण्ड नीति कानून व दण्ड विधान के नीति परक सम्बन्धों की स्पष्टतर व्याख्या प्रस्तुत करती है। जनता द्वारा राजाशाही का अपन धर्मपालन की दृष्टि से अनुसरण राजसत्ता के औचित्य (legitimacy) की आर सकेत करता है। कानून के योग से शासितों पर नियंत्रण का पश्चिमी भाव यहाँ मुखरित नहीं है।

इसी प्रकार राज्य को ममत्व (सम्पत्ति) व कानून प्रोत्साहक समूह के रूप में देखने का क्रम भारतीय राज्य व्यवस्था की अधिक व्यापकता का पक्षधर है।

पश्चिमी व भारतीय राज्य प्रकृति द्वारा कानून के सत्तापरक प्रवर्तन राज्य सरकार व राज्य-समाज की सामान्य धारणाओं में साम्य जादि प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जो दोनों प्रतिमानों को एक दूसरे से संयुक्त करती है।

राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त और उसका ऐतिहासिक विकास

राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह प्रश्न कल्पना से अधिक जुड़ा हुआ है, उसके सम्बन्ध में कुछ भी निश्चयात्मक कह पाना संभव नहीं है। राज्य की उत्पत्ति राजनीतिक चेतना से हुई यह तो सही है लेकिन राजनीतिक चेतना के किस विशिष्ट प्रकार अथवा तत्त्व ने समय की एक निश्चित अवस्था में राज्य को जन्म दिया इस सम्बन्ध में इतिहास अधिक कुछ नहीं बताता। यद्यपि ऐतिहासिक सद्म से उत्पत्ति के सिद्धांतों का आभास अवश्य होता है जो राज्य की उत्पत्ति की अपनी अपनी काल्पनिक व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय का प्रारम्भ उत्पत्ति के विविध सिद्धांतों की चर्चा से किया जा रहा है। उसके उपरांत उसके ऐतिहासिक विकास क्रम पर दृष्टिपात करते हुए राज्य-व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्यों की सतही तौर पर तुलनात्मक व्याख्या की जाएगी।

राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त, शक्ति सिद्धान्त, पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक सिद्धांत, सामाजिक समन्वय सिद्धान्त और ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धान्त प्रमुख हैं।

दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त

राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की प्रमुख भावना यह है कि राज्य ईश्वर की इच्छा का प्रतिफल है। सामाजिक विकास की अपूर्णताओं को दूर करने के लिए व्यक्तिगताने ईश्वर से यह याचना की कि वह उन्हें 'व्यवस्था' प्रदान करे, सामाजिक

सम्वन्धों का नियमित कर व इस नियमन के व्यवस्थाकारी कानून व आचरण सहिता उह दे। इस याचना का स्वीकार करते हुए ईश्वर न राज्य की सृष्टि की व अपने प्रतिनिधि के रूप में 'राजा' को पृथ्वी पर भेजा ताकि, वह उसके एजेंट के रूप में राज्य कर। इसका निहिताय यह है कि राज्य और राजा दोनों मानवीय चुनौतियां स पर हैं क्याकि व अपने प्रकट रूप में सर्वोच्च सत्ता (ईश्वर से) उत्पन्न है और यह उत्पत्ति स्वयं व्यक्तियां की याचना का परिणाम है। अतः ऐसी स्थिति में व्यक्तियां द्वारा राज्य व राजा की अवहेलना स्वयं ईश्वर व उसकी सृष्टि की अवहेलना होगी। व्यक्तियां को अनिवायत राज्य व राजा का आज्ञा पालन करके ईश्वर के प्रति अपनी आस्था व विश्वास प्रकट करना होगा अथवा व ईश्वर के कोप का शिकार होंगे और फिर से अव्यवस्था व अनिश्चितता के वातावरण में लौट जाएंगे।

द्वैत सिद्धांत के ये मूल भाव भारतीय व पश्चिमी दोनों परिप्रेक्ष्यों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। भारतीय विचारों में दैवी उत्पत्ति का भाव अथवा स्रोतों के अतिरिक्त महाभारत में विद्यमान है। इस ग्रंथ में यह उल्लिखित है कि प्रचलित मत्स्य याय (बड़ी मछली द्वारा छोटी को याय सयत रूप से निगल कर अपना जीवन चलाने का क्रम) की अपर्याप्तताओं से परेशान होकर व्यक्ति ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से याचना की कि पृथ्वी पर एक 'ईश्वर' (राजा) भेजे जिसके आदेशों की अनुपालना से याय का सही तौर पर प्रवर्तन हो सके। इस याचना को सुनकर ब्रह्मा ने मनु को यह काय सौंपा और वह कालांतर में कानून का प्रथम निर्माता व व्याख्याकार बना। पश्चिमी सदभ में बाइबिल ने भी राज्य की ईश्वरीय सृष्टि के तथ्य को प्रतिपादित किया और ईश्वर को समस्त राजकीय शक्तियों का स्रोत माना। चर्च व राज्य के संधर्ष की स्थिति में राज्य की दैविक शक्ति का सिद्धांत राजा के दैविक अधिकारों के सिद्धांत के रूप में परिणित हो गया। इस परिवर्ती रूपांतरण की व्याख्या इंग्लैण्ड के सदभ में जेम्स प्रथम तथा सर रॉबर्ट फिल्मर ने प्रस्तुत की।

परिपक्व राजनीतिक विचारों के सदभ में इस सिद्धांत की कोई विशेष महत्ता आज व्याप्त नहीं है इसके प्रमुख कारण ये हैं—

- 1 दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत किही सत्यापनीय तथ्यों पर आधारित नहीं है। वस्तुतः उसके अस्तित्व का आधार विश्वास है विवेक अथवा तक नहीं,
- 2 राजा का दैविक एजेंट के रूप में चरित्राथ करके यह सिद्धांत राजकीय दायित्वों को उठाने की एक कोशिश है और शासन जनता के एकपक्षीय दायित्व भाव से चलता है। राजा ईश्वर के

प्रति दायित्वपूर्ण है और जनता राजा के प्रति। इस दायित्व-रुम-मे वही पारस्परिकता नहीं है

- 3 यह सिद्धांत राजा के सद्गुणा व योग्यताओं की चर्चा नहीं करता। राजा की 'दैविकता' को अतर्निहित मानता है। यदि राजा दैविक गुण न प्रवर्तित कर और बुरे शासन का संचालन करे तो शासितों के पास इसकी उपचारात्मक व्यवस्थाएँ नहीं हैं, तथा
- 4 यह सिद्धांत शासन की मात्र एक विधा राजतंत्र-से ही सम्बन्धित है। लगता यह है कि क्योंकि राजतंत्र ही ईश्वर व राजा के बीच सीधी सम्पर्क लाइन बिछा सकता है और 1-1 के अनुपात में सम्पर्क की योग्यता रखता है, इसी कारण राजतंत्र स्वीकृत किया गया अन्य कोई विचारणीय सद्भ दिखाई नहीं देता।

इस सब के बावजूद नैतिक सिद्धांत की कुछ उपयोगिता इस तथ्य में निहित है कि यह धर्म व राजनीति व नैतिकता व राजनीति के उन अंतःसम्बन्धों का सजन करता है जो राजनीतिक विचारों के इतिहास में उसके उपरांत से ही लगा-तार महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में गिलकाइस्ट का यह मत उल्लेखनीय है कि 'राज्य को ईश्वर के कर्तित्व के रूप में स्वीकार करना इसको एक उच्च नैतिक पदवी दिलाना है, उस कुछ ऐसा बनाना है जिस पर नागरिक आस्था व समर्थन दे सकें, कुछ ऐसा जिसे व्यक्ति मानव जीवन की पूर्णता के रूप में ग्रहण कर सकें।'

पितृ सत्तात्मक सिद्धान्त

पितृसत्तात्मक सद्भ में राज्य उत्पत्ति की कल्पना करने वालों का मतव्य यह है कि पारिवारिक परिवर्ष सत्ता, व्यवस्था, सहयोग आनापालन व तादात्म्य का वह मूलरूप प्रकट करता है जिसे सरकार व राज्य की बहत् सीमाओं में ढूँढने के प्रयास किए जाते हैं। इस सिद्धांत के समयक इस भाव की बीज रूपी वास्तविकता को स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य-सरकार की उत्पत्ति पारिवारिक सद्भ में पितृसत्तात्मक प्रकार से हुई ही। इस प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति मेकाइवर ने इस प्रकार की है कि प्राथमिक सामाजिक इकाई के रूप में परिवार में सदैव ऐसे अकुश एवं नियंत्रण विद्यमान होते हैं जो कि सरकार का सार संगठित करते हैं परिवार के अतर्गत अत्यधिक विवमित इस नियमन प्रक्रिया का एक अधिक समन्वित समाज द्वारा सतत विस्तार व प्रयाग होता है। वे आवश्यकताएँ जो परिवार बनाती हैं वही सामाजिक नियमन भी प्रकट करती हैं यह

(परिवार) अपने वास्तविक क्रम में 'लघु सरकार' ही है और इसकी प्रकृति काफी व्यापक है।

पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख यादगार सर हेनरी मेन हैं। उनकी यह धारणा है कि आदिम काल में समाज परिवारों का एक समूह था। वह व्यक्तियों का समूह नहीं थी। परिवार उसकी इकाई थी और परम्परागत कानून पैतृक सत्ता को निरंतर व अकाट्य मानता था। पिता के रूप में परिवार के मुखिया को असौमित अपरिमित अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त थे। वह अपनी इच्छा के अधीन सम्पत्ति का विनिमय कर सकता था, सत्ति को वेदखल कर सकता था और उनका जहाँ चाह तहाँ विवाह कर सकता था। इस क्रम में परिवार के विस्तार व विघटन के कारण अनेक परिवार बने लेकिन वे सभी प्रथम परिवार के मुखिया की सत्ता के अंतर्गत विद्यमान रहे। यही से कबीले का सूत्रपात हुआ। कबीले के सदस्य आजीविका व अन्य भावों से प्रेरित होकर अन्यत्र बस गए। इस क्रम में नए कबीले अस्तित्व में आए। इन कबीलों के समूहन से राज्य का उदय हुआ। हेनरी मेन ने अपनी इस धारणा के समर्थन में वाइदिल की पैतृक सत्ताओं, एथेस के 'परिवारों' व 'भ्रातृत्व' रोम के पैट्रिया पोटेस्टस तथा भारत के संयुक्त हिंदू परिवारों का उल्लेख किया। हेनरी मेन ने तर्कों को स्वीकृति देते हुए ड्यूगुइट ने यह मत प्रतिपादित किया कि पिता प्राकृतिक रूप से मुखिया है— छोटे राज्य का शासक और परिवार के सभी सदस्य शासितों के रूप में प्रकट होते हैं। प्राचीन नगर राज्य परिवारों का ही सद्यः जिनमें राजनीतिक शक्ति पिता के पास सुरक्षित थी।

पितृसत्तात्मक सिद्धांत की आलोचना के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं—

- 1 मेक्नेनन समेत अनेक विद्वानों ने मेन की इस धारणा का चुनौती दी है कि पिता प्रधान परिवार मौलिक व प्राचीनतम था। उनकी राय में मातृ प्रधानता पितृ प्रधानता की पूर्वगामी थी और परिवार के बजाय कबीला समाज की प्रारम्भिक इकाई था।
- 2 उस समय विवाह सस्था अपन स्थायी रूप में विद्यमान नहीं थी और एक स्त्री एकाधिक पति रखती थी। ऐसी स्थिति में परिवार संरचना की निर्णायक बड़ी पत्नी थी और न कि पति। घर में आन व घर छोड़ने के दौरान उसके मतव्य प्रभावी होना था और परिवार का स्थायित्व भी उसी पर निर्भर था। मानव सभ्यता के परवर्ती विवाह के संस्थागत रूप की स्थापना के उपरान्त स्थिर विकास और परिवारों का सृजन हुआ और पति पत्नी में सामिक विभाजन प्रस्तुत हुआ और क्षण क्षण पितृ सत्ता प्रकट हुई,
- 3 मिलफ्राइम्प की यह मान्यता है कि यह सिद्धांत अति सरलीकृत

रूप में सामाजिक राजनीतिक स्थितियों की व्याख्या करता है और इस कारण उससे राज्य-उदभव का कोई स्पष्ट आभास नहीं मिलता। उनकी राय में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष उसकी सरलीकरण की प्रवृत्ति में निहित है।

मातृसत्तात्मक सिद्धान्त

इस सिद्धांत के प्रमुख व्याख्यानकार मकलनन, मॉगन तथा जेक्स हैं इन सब का सम्मिलित मन यह है कि मातृसत्ता का भाव इस कारण मुखरित होता है क्योंकि आदिम काल में विवाह की सस्था उदित नहीं थी और स्वच्छिक आधार पर पति पत्नी सम्बन्ध स्थिर व विकसित होते थे और इसी आधार पर वह टूट भी जाते थे। इस क्रम में उत्पन्न सत्ता माता द्वारा अभिनेत्र थी और सत्ता माता की सत्ता को प्रधानता देती थी। उनका पिता के कबीले से कोई सम्बन्ध नहीं होता था। उनकी यह भी मान्यता है कि सम्पत्ति का उत्तराधिकार व शक्ति का भाव मातृपरक था और माता को इस सम्बन्ध में उच्चतर अधिकार व सुविधाएँ प्राप्त थीं। इन लोगों ने मलाया, आस्ट्रेलिया आदि कबीलों के अध्ययन स्वरूप में निष्कर्ष प्राप्त किए।

बेकोफेन ने तो यहां तक कहा है कि माताओं को न केवल सम्पत्ति उत्तराधिकार प्राप्त था और पारिवारिक सत्ता का आधिपत्य प्राप्त था बल्कि, वे राजनीतिक मामलों में भी प्रभावी दखल रखती थीं। उसका मत है कि प्रारम्भ में अवस्था व स्वेच्छाचार व्याप्त था। इस क्रम से ऊब कर और कानूनहीनता का उपचार करने के लिए 'मातृसत्ता' का भाव उदित हुआ और कालांतर में धार्मिक अंधविश्वास व कमकाण्ड से जुड़कर मातृसत्ता का राजनीतिक सत्ता के रूप में परिवर्तन हुआ।³

मातृसत्तात्मक सिद्धांत की निम्न आधारों पर आलोचना की गई है—

1. मातृसत्ता के सामाजिक राजनीतिक उदगम के सावदेशिक व अपरिहाय प्रतिमान का कोई विशेषिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
2. मेकाइवर की यह धारणा है कि स्त्री सम्प्रेषण व रूपांतरण का माध्यम तो थी लेकिन वह शक्ति की सक्रिय धारक या उसको सहभागी बिल्कुल नहीं थी।⁴
3. ये दोनों व्याख्याएँ प्रधानतः समाजशास्त्रीय व्याख्याएँ प्रस्तुत करती हैं और इस क्रम में वे मुख्यतः मानव समाज व उसकी विकास प्रक्रिया से ही सम्बन्धित हैं। ये राज्य के उदय अथवा स्वरूप पर कोई प्रामाणिक टिप्पणियाँ नहीं उपलब्ध कराती। ये राज्य के उदय की व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हुए कुनवे (kinship) के घटक

पर आवश्यकता से अधिक बल प्रदान करती है।

इस चर्चा को यह अभिव्यक्ति देकर समाप्त किया जा सकता है कि पितृ-सत्तात्मक व मातृसत्तात्मक अवधारणाएँ राज्य के उदय से कुछबड़े घटक पर अत्यधिक आश्रित हैं और इस कारण वे आंशिक व्याख्या प्रस्तुत करने में तो सफल होती हैं लेकिन उससे राज्य उदय की समग्रता का परिचय नहीं मिलता। राज्य बहुत कारका के संयोजन से अस्तित्व में आया है। राज्य को परिवार के विस्तार के रूप में निरूपित करना पर्याप्तता के मूल्य पर सरलीकरण प्राप्त करना है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ये दोनों व्याख्याएँ मूलतः समाजशास्त्रीय दृष्टि से सामाजिक उदय की वैशेषिक हैं न कि राजनीतिक संदर्भ में राज्य उत्पत्ति की।

बल सिद्धांत

राज्य की उत्पत्ति से संबंधित बल सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि मानव प्रकृति में आक्रामक भाव निहित है और ये भाव जब निश्चित सामाजिक स्थितियों में निरूपित होते हैं तो अतर्निहित आक्रामकता शक्तिवान को निबल पर युद्ध छापन व विजय के साथ अपनी सीमाओं का विस्तार करने का प्रेरित करती है। इस प्रकार बड़ा व शक्तिशाली राज्य छोटे व निबल राज्य को निगल कर 'भक्ष्य' या चरिताथ करता है। प्रारम्भ से ही यह क्रम प्रभावित रहा है और युद्धों के इस सिलसिले में जब बलवान आक्रामक ने एक निश्चित भू-भाग व जनसंख्या पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तब उसने अपने आप को राजा घोषित किया और विजित क्षेत्र उसका 'राज्य' कहलाया। लीकार्क ने इस प्रवृत्ति की तथ्यत व्याख्या करते हुए यह मत प्रतिपादित किया है कि ऐतिहासिक क्रम के अनुसार सरकार मानवीय आक्रमण का परिणाम है कि राज्य का प्रारम्भ व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को बंदी बनाने व गुलाम बनाने की वृत्ति में खोजा जाना चाहिए उसे अपक्षाकृत निबल कबीलो पर विजय व अधिग्रहण के रूप में स्वीकार करना चाहिए और सामोयत श्रेष्ठता भौतिक शक्ति द्वारा आधिपत्य सबंधी आत्म-खोज के सिलसिले की दृष्टि से संकल्पित करना चाहिए। कबीले से राज्य व राज्य से साम्राज्य की ओर प्रगतिशील प्रमाण वस्तुतः इसी प्रक्रिया की अनवरतता का परिचायक है। यही जेक्स के इस उद्धरण से भी मिलता है कि आधुनिक प्रकार के समस्त राजनीतिक समुदाय अपने अस्तित्व के लिए सफल युद्ध नियोजन की ऋणी हैं।¹ इन व्याख्याओं के प्रकाश में यह मत प्रतिपादित करना उपयुक्त होगा कि राज्य उत्पत्ति की बल सिद्धांत अपने वचन-परिदृष्ट मूल बल को राज्य उत्पत्ति का आधार मानता है।² ऐतिहासिक अनुभव क्रम में राज्य उत्पत्तिप्रयोगों की बल के संदर्भ में व्याख्या करता है।³ वनमान

सदभ म ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर बल को राज्य का औचित्य ठहराता है, तथा (4) बल-संवर्द्धन व उसके सफल प्रयोग का राज्य उद्देश्य के रूप म निरूपित करता है।

बल सिद्धांत की वास्तविक राजनीतिक सदभ म विभिन्न व्याख्याए की गइ। चच राज्य सघप के दौरान चच न राज्य को इस आधार पर निर्दिष्ट किया कि उसकी उत्पत्ति क्रूर बल से हुई है जबकि चच दैविक-आध्यात्मिक शक्ति का केन्द्र है और इस आधार पर श्रेष्ठतर सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। जमन राष्ट्रवादी चिंतन मे भौतिक शक्ति को सत्ता की सर्वाधिक नसर्गिक अभिव्यक्ति व साधनपरकता के रूप म स्वीकार किया गया। अधिकांश जमन विचारको व जैसे बनहार्डी सोरेल, नित्शे) हेगलवादी परम्परा से दीक्षा ग्रहण करते हुए जमन राज्य की गरिमाय परम्पराओ के प्रवर्तन के लिए निमम शक्ति व बल प्रयोग पर बल दिया। मार्क्सवादी चिंतन म भी वग सघप का विचार वस्तुतः पूजीपति वर्गों की साधन संपन्नता से उत्पन्न दमनकारी शक्ति के प्रेरक कारण की वार इंगित करता है। उसी से निबटने के लिए सवहारा वग के सगठन की व्यवस्था की गई ताकि, सगठन शक्ति भौतिक बल प्रयोग से व्यवस्थात्मक शक्ति तोडे। सवहारा वग का अधिनायकत्व भी इस वग की शक्ति परक सरचना का एक सन्नमण काल है जिसके अतगत टूटी पूजीवादी ताकत का पूरी तरह कुचलन का भाव निहित है। इस प्रकार बल की विविध सदभों मे समयानुकूल व्याख्या प्रस्तुत की गई है लेकिन इन व्याख्याओ म बल का सामान्य भाव अतिनिहित है केवल उसकी सदभगत रूप विभिन्नता ही पाथव्य का आभास प्रस्तुत कराती है।

बल सिद्धांत की आलोचना विविध अध्येताओ व विचारका ने निम्न आधारों पर की है—

- 1 बल सिद्धांत मानव प्रकृति की अधूरी सकल्पना पर आधारित है। बल प्रयोग व आक्रामकता मानव प्रकृति का जितना बड़ा सच है उतना ही बड़ा सच व्यक्ति की सहयोगपरकता भी है। बल सिद्धांत मानव प्रकृति की इस समग्रता की उपेक्षा करते हुए, केवल खण्डित सत्य की आधारशिला पर अपनी वैचारिक योजना निर्मित करता है,
- 2 राज्य का विकास एक ऐतिहासिक क्रम मे विविध तत्वों के खुले संयोजन व अंत त्रिया से हुआ है जिसका कि बल मात्र एक पक्ष है वह समस्त पक्षा का प्रतिविंब नहीं उपलब्ध कराता
- 3 बल प्रयोग व शक्ति राज्य का एक आवश्यक तत्व तो है लेकिन वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता जसाकि मेकाइयर ने स्पष्ट

किया है— 'दमनकारी शक्ति राज्य का एक मापदण्ड तो है लेकिन वह उसका सार तत्त्व नहीं है। बल के नियोजन का प्रभाव शाली होने के लिए अनिवार्यतः लोकमत के रूप में अभिव्यक्त समाज की साधारण इच्छा द्वारा अनुमोदित होना होता है। इस प्रकार की सत्ता के अभाव में बल विध्वंसक हिंसा है—अनियमित अनिर्देशी, व्यय,"'

- 4 बल सिद्धांत लोकतांत्रिक मानस का निषेध करता है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहमति-असहमति, समर्थन विरोध आदि समान महत्वशाली हैं। आधिपत्य, दमन, हिंसा आदि से भुक्त बल सिद्धांत लोकतांत्रिक भाव का सहार करता है, उसे निष्प्रभावी बनाता है, तथा
- 5 अंतर्राष्ट्रीय भाव से उत्प्रेरित अंतर्राष्ट्रीय कानून व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महज विस्तार में भौतिक बल प्रयोग की संभावनाओं को पर्याप्त क्षीण किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्व सत्ता के रूप में बल प्रयोग की स्थितियों के प्रारम्भ में ही अपने हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक युद्ध विराम कराने में सफल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विविध उपकरण अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में जुटे रहते हैं और अक्सर व्यावहारिक और प्रत्यक्ष सफलता अर्जित करते हैं। सतत सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय अतिनिम्नता के तथ्य ने विश्व के देशों को शांतिपूर्ण रूप से एकीकृत होने व साथ मिलकर विश्व-समस्याओं के समाधान की प्रेरणा प्रदान की है। ये सब तथ्य यह उद्घाटित करते हैं कि बल प्रयोग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राज्य विकल्पा में से एक है उनका सबस्व नहीं।

सामाजिक समझौता सिद्धांत

राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक समझौता सिद्धांत सदैवभाव व विवाद पर आधारित समझौते को राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार मानता है—एक ऐसा समझौता जो व्यक्तियों व व्यक्तियों के साथ किया और जिसके परिणाम स्वरूप वे प्राकृतिक अवस्था की विमर्शिता से मुक्ति पा सकें। प्राकृतिक अवस्था चाहे समाज पूर्व स्थिति की आरंभ करती हो जधवा राजनीति पूर्व की स्थिति के वह निश्चयात्मक रूप में सामाजिक समझौते की पूर्वगामी थी। वह अपने क्रम में या तो व्यय-व्यय-व्यय चरिताय करती थी या आदेश सीधायन जयया परदान-द'। उसकी प्रकृति कुछ भी क्या न हा वस्तुस्थिति यह थी कि उसका क्रम

परेशानिया व उलथने प्रस्तुत करता था। उह दूर करने के लिए सामाजिक समझौता ही एकमात्र विकल्प था। सामाजिक समझौते के परिणामस्वरूप प्राकृतिक अवस्था के वैशेषिक प्राकृतिक कानून का स्थान मानव कानून ने ले लिया और इसकी परिणति नागरिक समाज की स्थापना में परिलक्षित हुई। नागरिक समाज में नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं की गारंटी दी। इस परिचयात्मकता विवरण के सदम में सामाजिक समझौता सिद्धांत के निम्न लक्षण अभिव्यक्त किए जा सकते हैं—

- 1 प्राकृतिक अवस्था अपनी बविध्य के बावजूद व्यक्तियों की हितकारी अवस्था नहीं थी,
- 2 सामाजिक हित को सुरक्षित करने की दृष्टि से सभी व्यक्तियों में पारस्परिक सहमति व सहयोग से सामाजिक समझौता किया और प्राकृतिक अवस्था का परित्याग किया
- 3 सामाजिक समझौते के परिणामस्वरूप नागरिक समाज की स्थापना हुई जिसने नागरिक स्वतंत्रता व अधिकारों को अनुरक्षित किया, तथा
- 4 नागरिक समाज में व्याप्त भाव को संस्थागत आधार देने की दृष्टि से मानव कानून अथवा नागरिक कानून ने प्राकृतिक कानून का स्थान ले लिया।

सामाजिक समझौते का ऐतिहासिक सदम

सामाजिक समझौता प्राचीन काल से ही विविध विचारकों का अपनी राज्य योजना के प्रति आर्कषित करता आ रहा है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक सदम में अथशास्त्र में कौटिल्य ने यह विवरण दिया है कि अराजकता, अव्यवस्था व मत्स्य मय के प्रचलन से उद्वेगित कर व्यक्ति ब्रह्मा के पास गए और उनसे व्यवस्था की याचना की। ब्रह्मा ने मनु को यह कायभार सौंपा। मनु की अनिच्छा की अभिव्यक्ति को प्रति सतुलित करने की दृष्टि से व्यक्तियों का मनु से यह समझौता हुआ कि वे सब मिलकर सम्प्रमु राजा को अपने उत्पादन का 1/6 भाग अथवा 1/10 भाग पण्य व स्वण देंगे। इस समझौते के परिणामस्वरूप मनु प्रथम कानून निर्माता व व्यवस्था नियामक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यूरोप में प्लेटान अपने ग्रंथों रिपब्लिक व क्रिटो में समझौते के भाव का उल्लेख किया। सामंती युग में सामंती स्वामी व अधीनस्थ व्यक्तियों व दासों का सम्बन्ध अनिवाप्य समझौतावादी था। मेनेगोल्ड ने यह मत व्यक्त किया कि समझौते का उल्लेखन करने वाले राजा को अपदस्थ करना उचित है क्योंकि उसके शासन का आधार ही समझौता है। परवर्ती काल में सामाजिक समझौता

व्याख्या को हुकर, ह्यूगो गोशियम आदि लेखक/विधिशास्त्रियों के बलिबल से महत्वपूर्ण बल मिला लेकिन इस सदन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रस्तापनाएँ हाब्स, लाक व रूसो न कीं। अतः उनके सामाजिक समझौता विचारों को कुछ अधिक विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस चर्चा में उनके विचारों को प्राकृतिक अवस्था सामाजिक समझौते के विशिष्ट लक्षण व कृतित्व मूल्यांकन के शीपक क्रम में प्रस्तुत किया जाएगा।

थॉमस हॉब्स (1588 1679)

हाब्स की विचार योजना में स्वीकृत प्राकृतिक अवस्था सामाजिक समझौता व उसके विशिष्ट लक्षण आदि अपनी तक-संगति की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। प्रारम्भ में अतः तब हॉब्स इस भाविकता को बनाए रखता है और योगदान स्व रूप ऐसा चिंतन उपलब्ध कराता है जो राज्य के प्रकटीकरण की अपूर्व व्याख्या प्रस्तुत करता है और उस दृष्टि से वह राज्य शक्ति की वास्तविकताओं को एकाकार करता है।

प्राकृतिक अवस्था

हाब्स की दृष्टि में समाज पूर्व स्थिति में प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी स्थिति की चोतक थी जिसमें व्यक्ति मानवीयता के अभाव में पूर्ण रूप से पशुविक आचरण करता था एक दूसरे पर हिंस्र पशु की भांति टूट पड़ता था और इस क्रम में समर्थ अपना हित साध लेता था जबकि असमर्थ अपनी जान बचा बठता था। प्राकृतिक कानून समर्थ की सामर्थ्य का पक्षधर था और प्राकृतिक स्वतंत्रता सिर्फ इतनी थी कि व्यक्ति आत्म-अनुरक्षण के लिए अपनी शक्ति बाजी पर लगाने को स्वतंत्र था। प्राकृतिक अवस्था में कर्मणा, स्नेह व उदारता लोभोक्ति के स्तर पर भी विद्यमान नहीं थी और इन सब के प्रभाव में व्यक्ति सामाजिकता से बिल्कुल बटे हुए लड़ झगड़ कर अपने दिन काटते थे बिना इस निश्चितता के कि वे लम्बे समय तक जीवेंगे और मात्र परक क्रियाएँ सम्पादित करेंगे। हॉब्स के शब्दों में वे एकाकी, लाचार, क्रूर, निर्धयी व अल्पजीवी थे।

सामाजिक समझौता

प्राकृतिक अवस्था की विसर्गतिता से बचाव स्वरूप व्यक्तियों ने आपस में मिलकर सामाजिक समझौते द्वारा नागरिक समाज अथवा 'कॉमन वेल्थ' की रचना की। समझौते के तथ्यात्मक रूप में उन्होंने अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार

स्वीकृत श्रेष्ठतर व्यक्ति को सौंप दिए और उसकी आज्ञाओं की अनुपालना का सकल्प लिया सिवाय एक अधिकार के—आत्म-अनुरक्षण का अधिकार। समझौते का प्रारूप यह था "मैं प्राधिकृत करता हूँ और आत्म शासन के अपने अधिकार को इस व्यक्ति या व्यक्तियों की परिपद का इस शत के साथ छाड़ता हूँ कि तुम भी इसी प्रकार इन सबका छाड़ोगे और समान रूपी प्राधिकरण करोगे यह 'महान लेवाययन अथवा (अधिक श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में) इस 'मृत्यु प्रभु' (Mortal God) की रचना है जिसके प्रति हम ईश्वर का साक्षी मानकर अपनी शांति व रक्षा के ऋणी हैं।"

इस सामाजिक समझौते की निम्न विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं—

- 1 यह एक सामाजिक समझौता है न कि सरकारी समझौता जिसमें 'लेवाययन' का सृजन हुआ है। वह इस समझौते का परिणाम है इसका भागीदार नहीं। इसलिए वह समझौते की शर्तों से ऊपर है,
- 2 समझौते की शर्तों से उमुक्तता के कारण 'लेवाययन' की शक्ति असीमित व पूर्ण है। सभी व्यक्तियों को अनिवार्यतः उसकी आज्ञा का पालन करना होता है अथवा, अशांति व सघप का विकल्प उन्हें प्राकृतिक अवस्था में वापिस पहुँचा देगा,
- 3 यह समझौता सामाजिक भाव का प्रस्तुत करने के कारण असंशयनीय एवं अपरिवर्तनीय है सिवाय उस स्थिति के जब राजा व्यक्तियों के आत्म-अनुरक्षण अधिकार को चुनौती अथवा आघात दे
- 4 सम्प्रभु 'लेवाययन' की आज्ञाएँ एक आदर्श ही कानून हैं और उनके प्रवर्तन का उसे निरन्तर अधिकार प्राप्त है तथा
- 5 स्वतंत्रताएँ सम्प्रभु 'लेवाययन' के प्रसाद स्वरूप प्रकट होती हैं और वे उसके प्रसाद पर्यन्त ही विद्यमान रखती हैं।

हॉब्स के विचारों का आकलन

हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था व सामाजिक समझौता विषयक विचारों व व्याख्याओं की अनेक आधारों पर आलोचना की गई है। उसमें से कुछ प्रतिनिधि आलोचनाएँ इस प्रकार हैं—

- 1 हॉब्स मानव प्रकृति की जधूरी कल्पना करता है। सघप, इर्ष्या व द्वेष मानव प्रकृति का अंग है लेकिन शांति सहयोग व भ्रातृत्व भी मानव प्रकृति की समानुपाती अभिव्यजनाएँ प्रस्तुत करते हैं
- 2 यदि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी है तो वह समझौता करेगा ही नहीं

विशेषतः समय तो ऐसा नहीं ही करेंगे क्याकि उनका आत्म हित प्राकृतिक अवस्था में सघना है। यदि व समझौता करेंगे भी तो अवसर के अनुकूल वे उसमें उस स्थिति में मुकर जाएंगे जब समझौता उनके निजी हितों का चाट पट्टा होगा। हास यह तय नहीं कर पाया कि मानव प्रकृति का मूल तत्त्व क्या है—आत्महित ससाधन अथवा सामाजिक भाव का सजन। यदि पहला सही है तो समझौते की आवश्यक सामाजिकता उसमें नहीं आएगी और यदि समझौता चिरस्थायी व अपरिवर्तनीय है तो व्यक्ति मूलतः सामाजिक भाव में युक्त है और उस स्थिति में प्राकृतिक अवस्था का चित्रण नितांत भ्रामक व अस्वाभाविक

- 3 सब समझौते द्विपक्षीय होते हैं। यह एवमात्र ऐसा समझौता है जो एकपक्षीय है। 'लेवाययन' इस समझौते का भागीदार नहीं उसका परिणाम है,
- 4 हाब्स ने अपनी इस याचना में राज्य व सरकार के मध्य वैचारिक भेद नहीं प्रकट किया है
- 5 हाब्स ने कानून के प्रवर्तनीय त्रम को तो स्वीकार किया है लेकिन उसने उसके पार्श्व नैतिक सिद्धांतों आदि को स्वीकार नहीं किया है। वे कौनसे सिद्धांत हैं जो सम्प्रभु को कानूनके निर्माण, व्याख्या व प्रवर्तन काय में निर्देशित करते हैं? उनका मूल्य परिवेश क्या है? यदि वह अनुपस्थित है तो किम प्रकार हाब्स का कानून राजनीतिक दशन का व्यवहार आधार बन सकता है?

इन समस्त विमर्शितायों के बावजूद हाब्स वह पहला व्यवस्था निर्माता का आग्रही विचारक था जिसने व्यवस्था निर्माण की विभिन्न अभिव्यक्तियों को सयोजित करते हुए यह काय सम्पादित किया। उसने कानूनी सम्प्रभुता का वह भाव मुखरित किया जो परवर्ती काल में जान आस्टिन व जेरेमी बेंथम के कर्तित्व का आधार बना।

जॉन लॉक (1632-1704)

हाब्स ने जहां निरंकुश राजतंत्र के सदर्भ में अपनी विचार-योजना समायोजित की, वहीं जान लॉक ने समझौते द्वारा साविधानिक शासन की स्थापना का पथ प्रस्तुत किया। इस दृष्टि से लॉक का ग्रंथ 'टू ट्रीटिसज ऑन गवर्नमेंट' काफी महत्त्वपूर्ण है।

थी। समुदाय को यह अधिकार था कि समझौते के उल्लंघन की स्थिति में वह सरकार का बर्खास्त कर दे।

लास्क के विचारों का आकलन

लास्क ने सहमति के आधार पर शासन का जो प्रतिमान उपलब्ध कराया वह उसे लोकतंत्रिक सदम में सामायत व ब्रिटिश सदम में विशिष्ट सदम के लिए प्रासंगिक बनाता है। लास्की इसी आधार पर लोक को अंग्रेजी राजनीति में सदैव प्रासंगिक एवं प्रभावी मानते हैं।¹⁸

लास्क का सर्वाधिक खटकने वाला दाव यह है कि उसने कानूनी सम्प्रभुता की सतत उपेक्षा की। इस सम्बन्ध में मिलक्राइस्ट का यह कथन उद्धरणीय है कि अपनी पदावली प्रयुक्त करते हुए हम यह कह सकते हैं कि हॉब्स राजनीतिक सम्प्रभुता के अस्तित्व व शक्ति का अस्वीकार करते हुए कानूनी सम्प्रभुता प्रदान करता है, लास्क राजनीतिक सम्प्रभुता की शक्ति को तो स्वीकार करता है लेकिन वह कानूनी सम्प्रभुता को पर्याप्त मायता नहीं प्रदान करता।¹⁹

ज्या जेक्स रूसो (1712-1777)

रूसो एक राजनीतिक विचारक के रूप में कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। उसके विचारों का परवर्ती फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर प्रभाव प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति व वास्तविक क्रम में उसके द्वारा प्रस्तुत भावात्मक प्रेरणाएं व सकल्पनाएं तथा परवर्ती शताब्दियों में विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्राप्त रूसो की आभासिक रूप से द्विघातक विरासत—ये सभी इतिहास के तथ्य हैं और इन पर आज भी जोरदार बहस होती है। लेकिन रूसो का सर्वाधिक उल्लेखनीय योगदान व्यक्ति को व्यवहार्य समानता के प्रति उसका आग्रह है। वाल फ्राइडरिख के अनुसार राजनीतिक विचारों के इतिहास में समानता की समस्या व आम आमदनी पर विश्वास से जितना अधिक रूसो जुड़ा हुआ है उतना बड़ा अर्थ नहीं है। फ्राइडरिख की यह मायता है कि रूसो के कृतित्व के उपरांत व्यक्ति की नैसर्गिक (प्राकृतिक) असमानता के प्रति पर्याप्त सशय उत्पन्न हुआ और आय व जीवन सुविधाओं विशेष रूप से राजनीति में भागीदार के प्रश्न पर लोग्य व व्याप्त विषमताओं पर प्रश्न चिह्न लगाने प्रारम्भ हो गए।²⁰ रूसो की लगभग समस्त विचारयोजना (सामाजिक समझौता, सामय इच्छा समत) व्यक्तियों में व्याप्त असमानता की उपचारात्मक व्याख्याएं प्रस्तुत करती हैं और समाधान विकल्प सुझाती हैं। व्यक्ति की छोई गरिमा उसे फिर में किस मिले? सम्पत्ता व प्रगति के अस्वाभाविक मापदण्डों से व्यक्ति नैम गुजर कर

और इनसे उत्पन्न विषमताओं व असमानताओं से वह कैसे निजात पाए—य व समस्याएँ और उल्लेख हैं जो रूसो को अपना विचार प्रस्तावनाओं के लिए सम्प्रेरित करती हैं।

प्राकृतिक अवस्था

रूसो की प्राकृतिक अवस्था का विश्लेषण एकाधिक रूप से विलक्षण है। हाब्स की भाँति वह न तो प्राकृतिक अवस्था की भयावहता पर आधारित है और न ही लॉक की भाँति वह प्राकृतिक अवस्था की अपेक्षाकृत समाज परकता पर अवलम्बित। वह प्राकृतिक अवस्था को व्यक्ति की मूल स्वभावगत सादगी और सरलता के रूप में ग्रहण करता है और ऐसा करते हुए वह उसे व्यक्ति की मौलिक अभिव्यक्तियों के अधिक समीप मानता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से रूसो की प्राकृतिक अवस्था उन मापदण्डों पर आधारित है जो व्यक्ति को व्यक्तिपरक बनाते हैं। ये मापदण्ड हैं व्यक्ति में अतिरिक्त श्रद्धा, विश्वास व नैतिक अन्तःप्रज्ञा के गुण जो मूल प्राकृतिक अवस्था में पर्याप्त चरितार्थ होते हैं। रूसो अपने विचारों में इन गुणों पर तरजीह देते हुए पश्चिम की प्रबल तार्किक, बुद्धिपरक व वैज्ञानिक परम्परा से विद्रोह करता है और तार्किकता के विज्ञानोत्तर प्रतिमान स्थापित करके अपना विशिष्ट स्थान बनाता है। उसी इन अभिनव मापदण्डों की कारणतात्मक व्याख्या करते हुए सेबाइन न यह लिखा है कि रूसो इन वकल्पित मापदण्डों को इसलिए स्थापित करता है क्या कि सार रूप में उसकी दृष्टि में "बुद्धि खतरनाक है वह श्रद्धा को कम करती है विज्ञान विवशक है क्योंकि वह विश्वास का हरण करता है, विवेक बुरा है क्योंकि यह प्रज्ञा को नैतिक अंतःप्रज्ञा के विरुद्ध तैयार करता है।"¹¹

मानव प्रकृति के सदर्भ में रूसो की यह धारणा है कि व्यक्ति मूलतः अच्छा, सरल व सहानुभूतिपरक है और इन मानवाचित गुणों के साथ प्राकृतिक अवस्था मौलिक रूप से आनंदकारी। विकास क्रम में उत्पन्न प्रगति व उससे प्रकट सम्पत्ति भाव व्यक्ति को 'अपने पराये' के बर्धन में बाध देता है। इसी के साथ विषमताएँ शुरू हो जाती हैं, मानव प्रकृति की मौलिक सरलता स्थितिज जटिलता के सम्मुख घुटन देकर देती है, विवेक भाव उपस्थित होता है और विवेक युक्त व्यक्ति विकृत पशु बन जाता है। इन सब के योग से सामाजिक सुरक्षा का प्राकृतिक भाव दम ताड़ देता है और सघन, तनाव और स्वायत्त खुलकर अपनी अवाञ्छनीय भूमिका प्रस्तुत करते हैं। यह क्रम अपनी सम्पूर्णता में भले व्यक्ति का पाशविक्ता व जगलोपन प्रदान करता है और इनसे युक्त होकर रूसो का व्यक्ति 'भला-बहुशी' बन जाता है। शायद मानव प्रकृति का यह दोहरापन रूसो को आद्योपात्त परेशान

करता रहता है। वह भलेपन का तरजीह दान के लिए व्यक्तिवादी आग्रह प्रकट करता है और उसकी अपरिहाय स्वतंत्रता व समानता उस उपलब्ध करान की चेष्टा करता है जबकि उसका यहशीपन उसे व्यक्ति से हट कर समष्टि की ओर बढ़ान व सगन सामुदायिक भाव विकसित करने के लिए प्रेरित करता है—यानि व्यक्ति के टानिय के रूप म लोकतंत्र और समाष्टि के उपचार के लिए मयाग पील समष्टिवाद (collectivism) इसे व्याख्याकार लोकतंत्र व सर्वाधिनायकवाद (Totalitarianism) के बीच रम्याकशी मानें या रूमो की अननिहित ताकिरु अमगति। वस्तुम्विति यह है कि रूसो व्यक्ति की मुक्ति के लिए इतना बर्चन है कि इस चेचनी म वह दा वचारिक घाटा पर एक साथ चढ कर नो दिशाभा म एक साथ सरपट घाडे दौडाने का तवार है। उसे न लोकतंत्र वाछनीय है और न सर्वाधिनायकवाद। उसका अभीष्ट तो वह व्यक्ति है जा भलाई और वहगीपन के दाहरे व परस्पर विराधी वधना म जबडा हुआ है—पहले मे वह छटना नही चाहता और दूमरे से वह छूट नही सकता। और कुछ भी क्या न हो, यह प्राकृतिक अवस्था का निरूपण इस प्रश्न की तो व्याख्या करता ही है कि व्यक्ति जम से स्वतंत्र पदा होकर भी सवत्र वधना से जकडा हुआ है। इन वधना का वह कैसे ताडे? वही रूसो की चिन्ता का प्रमुख विषय है।

सामाजिक समझौता

प्राकृतिक अवस्था की विसगतियों को दूर करने और आत्म अनुक्षण के उद्देश्य से प्रेरित होकर रूसो की विचार योजना मे व्यक्ति सामाजिक समझौता करके नागरिक समाज की स्थापना करत हैं और इस समाज का वैशेषिक नागरिक कानून प्राकृतिक कानून का स्थान ले लेता है और प्राकृतिक स्वतंत्रताओं की अपेक्षा नागरिक स्वतंत्रताए व्यक्तिवादी का अभीष्ट बन जाती हैं। इस अभीष्ट का ससाधित करने के उद्देश्य स सभी व्यक्ति 'अपना' स्व और अपनी शक्ति समान रूप से सामांय इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन मे समाहित करत है। यह सामांय इच्छा सम्प्रभु है जा कि नागरिक समाज म प्रतिस्थापित होती है। इस दृष्टि से नागरिक समाज म प्रतिस्थापित होती है। इस दृष्टि स नागरिक समाज की स्थापना ऐसी म्विति मे प्रतिफलित हुई जिसमे प्रत्येक नागरिक ने अपने समस्त अधिकारो सहित अपन आप को सम्पूर्ण समुदाय को सौंप दिया।

सामांय इच्छा का विचार

सामांय इच्छा सम्प्रभु है, समाज मे सबव्यापी है लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस सब के बावजद वह आखिर है क्या? रूसो की दृष्टि म यह सामांय

इच्छा सब की इच्छा नहीं है—यानि अ+व+स+द की इच्छाओं का कुल याग सामाज्य इच्छा का निर्माण नहीं करता। वस्तुतः सामाज्य इच्छा केवल इस सदम में ही सबकी इच्छा के रूप में प्रकट होती है कि सब नागरिक ऐसी इच्छा करते हुए सभी के हितों (सावजनिक हितों) के लिए विचार करते हैं। बाल फ्राइडरिच के शब्दों में सामाज्य इच्छा चयन का वह प्रकार है जिसके क्रम में हर व्यक्ति अपने आप से यह प्रश्न करता है कि 'समुदाय की भलाई के लिए बहुमत किस प्रकार व्यवहृत हो?' न कि यह कि मेरी भलाई के लिए बहुमत किस प्रकार व्यवहार करे?—रूसो की यह धारणा है कि मानव प्रकृति के दो भाव विवेक व पराधीन नहीं है—आत्म अनुरक्षण व कल्याण। सामाज्य इच्छा इन दोनों सघटकों से मिल कर बनी है। सामाज्य इच्छा विवेकयुक्त है क्योंकि वह देय सामाजिक स्थितियों से बचाव का विवेकयुक्त समाधान खोजती है। वैसे भी विवेक का प्रचलन बड़े विवेक के प्रयोग से ही काटा जा सकता है उन्नी प्रकार जिस प्रकार लाहा लोह को काटता है लेकिन रूसो का बड़ा विवेक स्थितियों के यथापूर्ण विवेक व मानव प्रकृति के आदर्श भावों का कुल याग है। इस दृष्टि से वह विवेक है भी और प्रचलित सकीण धारणाओं के सदम में विवेक नहीं भी है। यह विवेक प्रचलित विवेक से बड़ा—लघुत्तर विवेक है। इस विवेक को जा समझकर अपनाने की क्षमता रखता है वही सामाज्य इच्छा का प्रवक्ता होता है—यह प्रवक्ता एक व्यक्ति, एक समूह अथवा आदर्श रूप में पूरा समुदाय हो सकता है। रूसो के चिंतन का अभिप्राय यह है कि राजनीतिक व्यवस्था का प्रकार (लाकतांत्रिक, अधिनायकवादी व सर्वाधिनायकवादी) देश और काल की उपयुक्तताओं पर निर्भर है व्यवस्था का चाहे कोई भी प्रकार क्या न हो सामाज्य इच्छा सभी व्यवस्थाओं को संचालित करती है वह सभी व्यवस्थाओं से बड़ी है।

इन वैचारिक प्रावधानों के सदम में रूसो के सामाजिक समझौता विचार व प्रमुख तत्त्व इस प्रकार इंगित किए जा सकते हैं—

- 1 समुदाय को (यानि समानता सबके द्वारा सबको) सौंप गए समस्त अधिकारों से व्यक्ति को कोई निजी घाटा नहीं होता क्योंकि इस प्रकार का समझौता व्यवहाय समानता का भाव प्रस्फुटित करता है
- 2 सामाज्य इच्छा सम्प्रभु व सब व्यापी है क्योंकि, वह अपने विशिष्ट रूप विधान में निजी हित को संरक्षण नहीं देती बल्कि सावजनिक कल्याण की स्थितियों को निरूपित करती है। यह इच्छा इसी आधार पर व्यापक और सही है, समानता इसी सावजनिकता पर आधारित है और इन गुणों से युक्त होने के कारण

सामा य इच्छा व्यक्तियों के सम्मुख अनिवाय अनुकरण का प्रतिमान प्रस्तुत करती है,

- 3 कानून इसी सम्प्रभु इच्छा का परिणाम है। रूसो के विचार में विधायी अथवा साकल्पिक शक्ति जनता में व्याप्त होनी चाहिए,
- 4 जनता सम्प्रभुता का मूल रूप देते हुए सरकार को सरकारी क्रियाओं के सम्पादन में केवल आवश्यक राजनीतिक शक्ति हस्तांतरित ही करती है। सरकार स्थायी रूप से सम्प्रभुता ग्रहण नहीं करती। वह लोकप्रभुता के अधीन कार्य करती है और लोकप्रभुता सामा य इच्छा के मानक से स्थिर हात हुए सरकार से हस्तांतरित शक्ति पुन ले सकती है तथा
- 5 व्यक्ति की स्वतंत्रता सामा य इच्छा के सदम में ही प्रासंगिक है। इसी प्रस्तावित ढांचे में वह अनिबन्धित आचरण कर सकता है। वह स्वतंत्रता के नाम पर बुनियादी ढांचे को तोड़कर स्वच्छदता नहीं ग्रहण कर सकता। ऐसा करना वस्तुतः व्यवस्था को तोड़ना और प्राकृतिक अवस्था की विसंगतियों की ओर प्रयास करना होगा।

रूसो, हांस व लाक के सदम में

रूसो के राजनीतिक विचार हांस व लॉक के विचारों से अन्त त्रियाशील हैं। इस सदम में व इन दोनों विचारकों के विचार से मेल-बेमेल दाना ही चरिताथ करते हैं। रूसो हांस की भांति आभासित रूप से एक समझौते से राज्य व समाज स्थापित करता है सम्प्रभुता का निर्माण करता है और इन सम्प्रभुता के अधीन व्यक्ति के समस्त अधिकारों आदि को स्थापित करता है। लाक के विचारों से साम्य स्थापित करते हुए वह लोक-सहमति पर आधारित राज्य सरकार की कल्पना करता है और ऐसा करते हुए वह लाक की भांति समाज परकता चरिताथ करते हुए राजनीतिक समुदाय को समस्त शक्तियाँ सौंपता है और सरकार व राज्य का पृथक् क्रमा में दृष्टता भालता है।

इन समानताओं के अनिश्चित असमानता स्थापित करते हुए रूसो हांस की भांति न तो व्यक्ति विषयक सम्प्रभुता गढ़ता है और न उदारवाणी सांविधानिक व्यवस्था क्रम में लॉक की संविधान मयादित सरकार का अपनी प्राथमिकता ही देता है। लॉक की भांति वह व्यक्तिगत अधिकारों का आंगिक समायोजन भी

नहीं करता बल्कि, पूरा व अबाधित समायोजन की वाछनीयता स्वीकार करता है।

रूसो के विचार आभासित समानता-असमानता के अतिरिक्त अपनी स्वतंत्र सत्ता के प्रतीक उपलब्ध कराते हैं। उसकी सम्प्रभुता की प्रवृत्ति हॉब्सवादी न होने के कारण वह अपरिमित सम्प्रभुता की प्रस्तावना नहीं करता पर साथ ही वह मानव प्रकृति व प्राकृतिक अवस्था की अपनी वैशेषिक बतियों के कारण लॉक की भाँति अधूरे नैसर्गिक अधिकार स्वतंत्रता के समायोजन की भी कल्पना नहीं कर सकता। उसका समायोजन पूर्ण है लेकिन इसका आशय यह नहीं कि वह अमर्यादाशील व्यवस्था को जन्म देता है। वस्तुतः सम्प्रभुता का वानूनी विचार व सरकार की वास्तविकताएँ सामान्य इच्छा के नैतिक आदर्श के अधीन हैं, उनसे बंधी हुई हैं और इस कारण उन पर वाछनीयता की लगाम लगी हुई है—एक ऐसी लगाम जो समुदाय के हाथ में बरकरार रहती है और समुदाय लगाम को सतत हिलाता—चलता रहता है लाँक की भाँति यह समुदाय मात्र सकट कालिक भूमिका नहीं प्रस्तुत करता बल्कि, सतत सामभ्य-कालिक यागदान भी देता है। व्यावहारिक 'विकृतियाँ' सम्भव हैं और इस जन्म में सरकार की अपेक्षाकृत अधिक दुर्दमनीय शक्ति व प्रभाव की भी कल्पना की जा सकती है लेकिन ये समस्त कल्पनाएँ मूल्य निणय देते समय उदारवादी मानका का सहारा लेती हैं जबकि रूसो की समस्या का केन्द्र बिन्दु असमानता दूर करना और उसके उपरांत व्यक्तियों को व्यवस्था द्वारा परिष्कृत सुख सुविधाएँ व व्यवस्थापरक समानता उपलब्ध कराना है। अतः गर-उदारवादी गतव्यो व अभिप्रेरणाओं का ठेठ उदारवादी मूल्य व्यवस्था द्वारा आकलन कहाँ तक प्रायोजित है। आज के सदर्भ में यह कहा जा सकता है कि रूसो न तो निरंकुशता के हॉब्सवादी प्रतिमान से जुड़ा हुआ था और न ही वह लॉक की भाँति उदारवादी साविधानिक सरकार का पक्षधर था। वह वास्तव में अभिप्रेरणात्मक लोकतंत्र (Mobilizational democracy) से सम्बन्धित था और इस सदर्भ में ही वह व्यक्ति, समाज, राज्य व सरकार के अतन्त सम्बन्ध स्थिर किए जाने का पक्षधर था। यह स्वीकार्य होना चाहिए कि लोकतंत्र इंग्लैण्ड में अथवा अमेरिका में ही नहीं प्रायशील है वह चीन-रूस आदि देशों में भी व्यवहारशील है—पहली अवस्था में वह उदारवादी सहभाग (Liberal participation) पर आधारित है जबकि दूसरी अवस्था में वह व्यवस्थात्मक अभिप्रेरणाओं (systemic mobilization) पर अवलम्बित है। दोनों ही प्रतिमान अपने-अपने यथायत्न को अपने-अपने जन्म में स्पन्दनशीलता देते हैं।

रूसो के विचारों का आकलन

रूसो का आकलन अनेक विचारणीय व विवादास्पद प्रसंग समाहित करता है। जहाँ तक उसकी सराहना का प्रश्न है, वह मुख्यतः निम्न आधारों पर की जानी है—

1 रूसो ने लोकप्रिय सम्प्रभुता का भाव प्रतिष्ठित किया और इस आधार पर सम्प्रभु द्वारा सम्प्रभु के प्रतिस्थापन की वचारिक प्रस्तावना प्रकट की, जो अब तक के क्रम में एक अभूतपूर्व वृत्ति थी और जिसे मेकाइवर समेत अनेक अध्येताओं ने स्वीकार किया है।

2 सिगविक ने रूसो के विचारों के तीन प्रतिनिधि तत्त्व इंगित किए हैं—

[अ] व्यक्तियों की नैसर्गिक स्वतंत्रता व समता, [ब] इन स्वतंत्र व समान व्यक्तियों के स्वैच्छिक समझौते द्वारा सरकारी अधिकारों व शक्तियों का निरूपण, तथा [स] व्यक्तियों द्वारा सामुदायिक रूप से निरूपित हित की सामान्य इच्छा के रूप में प्रभावी सम्प्रभुता। इन तत्त्वों के सम्मिलित प्रभाव स्वरूप सिगविक की दृष्टि में रूसो 'शक्ति' की उपेक्षा 'इच्छा' को राज्य का आधार मानता है तथा

[3] प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था सम्बन्धी रूसो की प्राथमिकता वस्तुतः व्यक्तियों को राज्य नाम भ सक्रियता दिलाने की चेष्टा है ताकि, व्यक्ति अपना आधारभूत इच्छा का स्वयं के प्रयासों से चरितायुक्त हों और आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करके अपनी इच्छा को सरकारी विकृतियों से बचाए।

रूसो की अधिकांश आलोचनाएँ उसकी समान्य इच्छा के विचारों से अभिप्रेरित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख आलोचनाएँ इस प्रकार हैं—

1 रूसो की कई अध्येता सत्ताधिकारवादी [totalitarianism] का प्रतिपादक मानते हैं। इस मान्यता का एक बशोपिक ग्रन्थ टल्मन का टोटैन्टेरियन डिमार्शे सी है। इस मान्यता का आधार है कि रूसो के विचारों नाति और तत्सम्बन्धी भयावहताओं का प्रत्यक्ष आभास दिखता है। निरंकुशता ही आरंभ निर्देशित करते हैं। इसके अतिरिक्त, समसामयिक वामपंथी समाजवादी व्यवस्थाओं ने पचलित कथित सत्ताधिकारवादी पदावली में रूसो का पदावली में सम्मिलित किया जाता है और इस सदन में रूसो द्वारा

प्रयुक्त भाव कि व्यक्ति "जबरन मुक्त किए जायेंगे [forced to be free"] का उल्लेख किया जाता है।

- 2 सामान्यतः यह कहा जाता है कि रूसो की सामान्य इच्छा निरंकुश शक्ति की परिचायक है, कि व्यक्ति को सामान्य इच्छा से असहमति का कोई अधिकार नहीं है, कि राजनीतिक सत्ताधारी व्यक्तिगत इच्छा के प्रतिनिधियों व वर्गों को सामान्य इच्छा के औचित्य के नाम पर कुचल सकते हैं और यह भी कि सामान्य इच्छा का सम्पूर्ण निरूपण रहस्यवादी ढंग से हुआ है जिसके कारण सामान्य इच्छा वैचारिक दृष्टि से दुरुह व अगाध्य है, तथा
- 3 समानता के प्रति उसके आग्रह को भी अग्रमर नकारात्मक अभिव्यजनाओं से संयोजित किया जाता है और ऐसा करते हुए यह वैचारिक दावा व्यक्त किया जाता है कि रूसो समानता से उतना प्रतिबद्ध नहीं है जितना कि असमानता में उत्पन्न विसंगतियों की व्याख्या से। इस कारण 'समानता' प्रासंगिक है जबकि असमानता की व्याख्या बुनियादी क्याकि असमानता की व्याख्या से उसके राजनीतिक विचारों के सूत्र बनते हैं, विकसित होते हैं और प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित होते हैं। यह भाव काल फाडरिख के प्रख्यात 'एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थिअरी' में निहित है।

इन प्रमुख आलोचनाओं के मद्दम में भी काफी कुछ कहने की गुंजाइश है। विस्तार में न जाते हुए यह फिर भी स्पष्ट किया जा सकता है कि रूसो न तो लोकवादी लोकतंत्र के प्रति उत्साही हैं और न ही हाम्सवादी निरंकुशतंत्र के प्रति। उसने वस्तुतः अपनी वैचारिक योजना में प्राकृतिक अवस्था विषयक अपने प्रमुख, तब आधार निर्मित किया और उसके सदम में अपनी परवर्ती विचार योजनाएँ विकसित की। सामान्य इच्छा का विचार वस्तुतः उसकी प्राकृतिक अवस्था की ही तार्किक परिणति है। अपने पराये के भाव से युक्त जगली वहशी के उपचार का न तो लोकतंत्र इतना मर सकता था और न ही निरंकुशतंत्र। इसकी कोई मिश्रित व्यवस्था ही इस सदम में नारगर सावित हो सकती थी। रूसो ने आधारभूत लोकतंत्र और सामायिक अवस्था प्रासंगिक सदम में निरंकुशता के तत्वों को संयोजित किया। "यदि जब तक भला है लोकतंत्र चलता रहेगा और जब व्यक्ति वहशीयन पर उतार हो जाएगा तो प्रभावी न प्रभावी लोकतंत्र उसे सम्भाल नहीं सकता। उसका वश में लाने के लिए व्यवस्था की मजबूत जमीरें उस पर डालनी ही होंगी। आज कोई भी लोकतंत्र तभी चल सकता है जबकि उसका परिवेश लोकनात्मक है, उसके अभाव में लोकतंत्र ठहर जाता है।

फिर जब सामुदायिक सहमति के आधार पर सामान्य इच्छा निर्धारित की गई जो व्यक्तिगत सकीण हिता के स्थान पर सावजनिक हित की कल्पना व उसका ससाधन करती है तो उससे असहमति का कोई आधार हो भी क्या सकता है। उससे असहमति क्या पूर्ववर्ती स्थिति की ओर वापिस समाज को ला पटकना नहीं होगा ? निष्कप स्वरूप यह कहा जा सकता है कि रूसो और चाहे जा कुछ भी क्यों न हो वह कम से कम सर्वाधिनायकवादी तो नहीं है। व्यक्ति पर प्रगाढ़ विश्वास रखन वाला और इसका क्षेत्र में प्रतिष्ठित करते हुए अपने विचार निमित्त करन वाला कोई भी विचारक सर्वाधिनायकवादी नहीं हो सकता। एक बार फिर कार्ल फ्राइडरिख के कथन का आश्रय लेते हुए यह प्रसंग समाप्त किया जा सकता है—“मैं आश्वस्त हू कि रूसो को सर्वाधिनायकवाद से जोड़ना गलत अधिक है और सही कम। इसका कारण यह है कि रूसो का बल कथना पर है जबकि सर्वाधिनायकवाद का सर्वाधिक दुःखद लक्षण कथना के प्रति उसका पूर्ण निरादर है। कथना को बुजुआ भावुकता व मानवतावाद कह कर अधिनायकवादी उसका उपहास करते हैं। अमृत विचारधारा के नाम पर बिना किसी खेद (अथवा प्रायश्चित्त) के लाखों-करोड़ों लोग मार जाते हैं।

हाल, लाक व रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांतों की अपेक्षाकृत सविस्तार चर्चा के उपरांत अब राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का सरलता पूर्वक आकलन किया जा सकता है।¹

सामाजिक समझौता सिद्धांत का आकलन

सामाजिक समझौता सिद्धांत के आकलन के क्रम में सर्वप्रथम उसकी असंगतियाँ की ओर इंगित करना उपयुक्त होगा जो इस प्रकार हैं

- 1 सामाजिक समझौता सिद्धांत की तथ्या व प्रवृत्तियों के रूप में आलोच्य ठहराते हुए ह्यूम ने यह कहा कि यह तथ्यों से सबथा असंगत है। ब्लुगली ने इसे अत्यधिक खतरनाक व्याख्या माना क्योंकि, उसकी दृष्टि में इस सिद्धांत द्वारा राज्य की उत्पत्ति को 'व्यक्तिगत सनक के अधीन माना जाता है
- 2 ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी आलोचना करते हुए सर हैमरी मन का यह मत था कि यह सिद्धांत मात्र काल्पनिकता पर ही आधारित है और इसके पक्ष में माय ऐतिहासिक साक्ष्य अनुपलब्ध है। 1620 के में पलावर कांफ़ेरेण्ड' पर टिप्पणी करते हुए अधिकांश अध्येता उस एक ऐसा दस्तावेज मानते हैं जो उसके लेखक की सरकार सबधी वास्तविकताओं से अंतरगता प्रशंसित करता है। गिल थ्राइस्ट की वह मायता है कि इस कांफ़ेरेण्ड द्वारा

इसके निर्धारकों व लेखकों ने भिन्न स्थितियाँ में अपने सरकारी ज्ञान व भाभास को पुनः स्थापित ही किया है,

- 3 समाजशास्त्रीय तथ्यों से भी यह बात पुष्ट नहीं होती कि समाज व तदुपरान्त राज्य व सरकार का स्वच्छिन्न समझौते के आधार पर गठन किया गया होगा। इस धारणा के पक्षधर अध्येता अपने समय में इस तथ्य का उद्धृत करते हैं कि प्रारंभिक समाज में व्यक्ति का दर्जा समाज समूह निर्धारित करते थे और व्यक्ति उसे बदल नहीं सकता था। भारतीय जाति व्यवस्था का भी इस संधर्भ में बहुधा हवाला दिया जाता है।
- 4 प्राकृतिक अवस्था व उसमें निरूपित व्यक्ति की प्रकृति भी कल्पनिकता पर अधिक आधारित है न कि तथ्यात्मकता पर। व्यक्ति का जीवन क्रम प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्तिगत सदभ्रम न चरिताथ होकर वस्तुतः समूहगत सदभ्रम में चरिताथ होता था और समूह में जीवन-यापन करते समय व्यक्ति न ता हाब्स के व्यक्ति की भाँति बदरग था और न रूसो के व्यक्ति की भाँति सतरगी-इन्द्रधनुषी रग विद्याभा से चमकता-दमकता ही,
- 5 कानून, अधिकार एवं स्वतंत्रता की प्राकृतिक अवस्था में कल्पना भी दोषपूर्ण है। कानून, अधिकार व स्वतंत्रता प्रबुद्ध सामाजिक चेतना व कानून की प्रवर्तनकारी क्षमता से प्रकट होते हैं और यह क्षमता प्राकृतिक अवस्था में कल्पनातीत ही है। यदि ये विद्यमान थे और उस सदभ्रम में अपूर्ण व अपर्याप्त तो उनकी उसी क्रम में भरमत्त की जा सकती थी, नए हिस्से बिन चुन कर नई अभियांत्रिकी द्वारा नई सामाजिक मशीन तैयार करने की क्या आवश्यकता थी ?
- 6 यह सिद्धांत अति 'मशीनी' है और इस प्रकार यह राज्य मियाओं की अति यांत्रिक व्याख्या उपलब्ध कराता है। ऐसा करते हुए यह विस्मृत कर दिया जाता है कि राज्य वस्तुतः नसर्गिक सस्था है जिसका उदय होता है, निर्माण नहीं, तथा
- 7 यह कहा जाता है कि समझौतावादियों की मशा ही राज्य उत्पत्ति की व्याख्या सुलभ कराने की नहीं थी। वे तो दरअसल प्राथमिक रूप से राज्य सत्ता का आधार निरूपित करना चाहते थे और इस मतव्य से प्रेरित होकर उन्होंने केवल व ही भाव व तथ्य स्वीकार किए जो उन्हें उनकी वचारिक योजना में सहायता प्रदान

करते थे। असुविधाजनक तथ्यों की उद्धान इस मम प्रकट रूप से अवहेलना की।

एन आलोचनाओं के बावजूद यह मत प्रतिपादित करना गलत नहीं होगा कि भले ही मानवीय या विचार स्तर पर ही क्या न हो और वह भले ही काल्पनिक प्रकृति का भी हो, समझौतावादियों ने ही सगठित रूप से राजनीतिक समस्याओं व कार्मिकों का मानव प्रवृत्ति के सदमम देखा और इस ग्राह्य आधार पर राजनीतिक विश्लेषण को सुगमता प्रदान की। समझौतावादियों ने सम्प्रभुता की भी उपयोगितापूर्ण व्याख्या सुलभ की और इस दृष्टि से कानूनी व लोकप्रिय सम्प्रभुता भाव प्रस्फुटित करके उद्धाने कानून व मयाय का अपना एक ऐसा निजी प्रतिमान बनाया जा परवर्ती विचारकों आदि ने सुगमतापूर्वक ग्रहण किया। इसी प्रकार, सहमति के आधार पर शासन की वैचारिक व्यवस्था ने भी समझौतावादियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के बीजारापक के रूप में प्रतिष्ठित किया। एक नकारात्मक योगदान के रूप में समझौतावादी-संवाधिनायकवाद की बीसवीं शताब्दी की वास्तविकता को वैचारिक तर्क सगति देने के दोषी भी ठहराए जाते हैं।

सामाजिक समझौता सिद्धान्त भारतीय सदमम

भारत के सदमम में डी आर भण्डारकर ने कौटिल्य द्वारा दी गई सामाजिक समझौता व्याख्याओं को पश्चिमी सिद्धांत के एक तुलनीय भारतीय सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। विविध प्राचीन भारतीय सस्कृत जैन व बौद्ध स्रोतों का अनुशीलन करते हुए भण्डारकर की यह मायता है कि प्राचीन भारत में सम्प्रभुता सामाजिक समझौते में उत्पन्न हुई इन सदममों में प्रकट प्राकृतिक अवस्था अशांति सघष व युद्ध की परिचायक थी लोग न जब अपनी स्वतंत्रताएँ सम्प्रभु शासक के हवाले की तो उस स्थिति में नई व्यवस्था का सजन हुआ। हाब्स के विश्लेषण से काफी अशा में प्रभावित भण्डारकर का यह मत एक स्तर पर निर्रता का जाभास देता है जबकि वह यह सुझाते हैं कि भारत में राजा निरकुश शक्ति का सूचक नहीं था वह 'जनसरक्षक अथवा जनसेवक था। अथशास्त्र में निहित इस प्रसंग का उन्नेख करते हुए कि मनु का उसक शासन के एवज में 1/6 भाग जन व 1/10 भाग पण्य देने का स्वीकार्य प्रस्ताव किया गया, भण्डारकर यह तक देते हैं कि यह वस्तुतः सर्वोच्च स्तर के जनसेनक का वेतन अथवा पारिश्रमिक था जो कि समझौते द्वारा निर्धारित किया गया। इस सदमम में उनकी यह स्वापना है कि भारतीय सामाजिक समझौता सिद्धांत पश्चिमी सिद्धांत से श्रेष्ठतर है और इसका कारण सम्प्रभुता की निरकुशता के प्रति भारतीय मनीषियों की चेतनशीलता है।

भण्डारकर के इस मत का भास्कर आनन्द सेलेटोर ने खण्डन किया है और अपने पक्ष में अधशास्त्र का तथ्यात्मक उल्लेख किया है जिसमें यह उल्लिखित है कि प्रस्तुत प्रसंग एक गुप्तचर के मुख से प्रकट करवाया गया जिसका काय राजा-आदेशित मत का प्रतिपादन करते हुए राजा की दृष्टि से लाभकारी बातों का प्रचार करना था और इसे वस्तुन त्रियाविति दत्त हुए अथ पदाधिकारियों, विशेषतः प्रधानमंत्री की निगरानी करनी थी। ऐसे व्यक्ति से प्रकट समझौता भाव केवल 'प्रासंगिक' है और उसमें इससे अधिक कुछ पाना केवल बौद्धिक विलासिता। सेलेटोर के मत में अधशास्त्र शासन की सर्वोच्च इच्छा व इस दृष्टि से निर्णायक केन्द्रीकरण उपस्थित करते हुए राज्य विषयक किसी भी समझौते की व्यवस्था नहीं करती।

राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धान्त

राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत मूलतः इस भावना पर आधारित है कि राज्य की उत्पत्ति किसी एक व्याख्या अथवा घटक की भूमिका पर निर्भर नहीं है बल्कि, वह अनेक व्याख्याओं व घटकों की परस्पर अन्त त्रिया का परिणाम है। राज्य उत्पत्ति का यह समग्र दृश्य संयोजन एक ओर जहां नए घटकों व कारकों के 'क्लोज अप' उपलब्ध कराता है वहीं दूसरी ओर घूमिल पड़ते पाश्च चित्र तब तक नहीं मिटते जब तक कि नए परिवेश व समाजजय शक्ति का गठजोड़ नए परिदृश्य का पूर्णतः स्थिर नहीं करता। यह क्रम वास्तविक जीवन में दूरदर्शन की दृश्य-संयोजन विधा द्वारा अधिक सुगमता से समझा जा सकता है जहां 'जूम' 'लेस' की सहायता से दूर का चित्र प्रमश पास आता है और उसको स्थान देने के क्रम में पूर्ववर्ती चित्र धुंधला पड़ता जाता है लेकिन वह तब तक नहीं मिटता जब तक कि नया चित्र पूर्णतः फोकस नहीं पा लेता। चित्रों के इस स्थापन प्रतिस्थापन क्रम में सदैव एक स्वतः निमित्त व अशत निर्धारित क्रमबद्धता, लय व समति विद्यमान रहती है। समाजशास्त्रिया व राजनीतिक अध्येताओं ने राज्य उत्पत्ति व विकास के विविध घटकों को क्यानक की क्यावट में बांधकर उसके क्रम व तत्सम्बन्धी प्रभाव का समग्रतापूर्वक अध्ययन व विश्लेषण किया है और ऐसा करते हुए राज्य के प्रारम्भ से लेकर उसके सुसंगठित रूप की ताकिक सगतिमुक्त व्याख्या की है।

राज्य के विकासक्रम में निम्नलिखित तत्त्वा को प्रधानता दी जाती है

- (i) सगोत्रता अथवा रक्त सम्बन्ध (kinship),
- (ii) धर्म (Religion)
- (iii) आर्थिक गतिविधिया (Economic Activities)

(iv) बल (Force), तथा

(v) राजनीतिक चेतना (Political Consciousness)

(1) सगोत्रता अथवा रक्त सम्बन्ध

सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि रक्त-सम्बन्ध अथवा सगोत्रता सामाजिक एकता का सबसे प्रथम एवं सबसे शक्तिमान बंधन था। इसी के आधार पर व्यक्तिव्यक्तियां से अभिनेय था और इसी के द्वारा परिवार की इकाई आरम्भिक पा सकी थी। पारिवारिक परिवेश कालांतर में पारिवारिक अनुशासन, काय-सम्पादन व सहमति क्रियाओं के संगठन के साथ परिवार एक संस्था के रूप में उभरा और इन सबके बृहत् समाजीकरण द्वारा सरकार का अस्तित्व प्रकट हुआ। इसी प्रकाश में मेकाइवरका यह कथन ग्राह्य लगता है कि सगोत्रता समाज की रचना करती है और समाज व्यापक राज्य निर्मित करता है।¹⁹

एक सामाजिक संगठन के रूप में सगोत्रता आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक क्रियाओं धर्म व यहां तक कि युद्ध विषयक प्रश्नों पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ती है। रक्त सम्बन्धों की प्रधानता से युक्त परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में व्यक्ति व समाज के बीच मध्यस्थता करते हुए एक ओर उसे बड़ी दुनिया से जोड़ता है और परिवारेतर प्रश्नों से सामना करने को प्रेरित करता है तो; दूसरी ओर वह तत्काल ही उसे संरक्षण व निजीपन का आधार भी उपलब्ध कराता है।²⁰ सामाजिक विकासक्रम में परिवारों का प्रथमतः विस्तारित रूप प्रकट हुआ जिसमें एक साथ तीन पीढ़ियां साथ रहकर जीवन-यापन करती थी जिसका प्रकट उदाहरण भारतीय संयुक्त परिवार प्रथा है। विस्तारित परिवार के ही एक अन्य रूप में बहुल विवाह से युक्त पारिवारिक संरचना भी प्रकट हुई जिसमें दो या दो से अधिक परिवार एक पिता के साथ में पलते विकसित होते थे। सामाजिक परिवर्तन की गति ने परिवार के विस्तारित सगोत्रीय आधार को खण्डित किया और एकल परिवारों की रचना हुई जिसके सधर्म में विवाह प्रक्रिया की 'प्राइवेटि', विवाह की चयन परकता द्वारा उसके पूर्ववर्ती आवश्यकता-आधार का प्रतिस्थापन, सगोत्री व बंधनों की शिथिलता के साथ एकल परिवारों की निवास सम्बन्धी गतिशीलता, धर्मशक्ति के सघटक के रूप में स्त्रियों को मान्यता व उनकी तदनंतर मुक्ति तथा सताना की अपने पिता व पितामह के प्रति घटी हुई जिम्मेदारियां आदि लक्षण संस्थागत रूप में प्रकट हुए।²¹ इन नई प्रवृत्तियों के बावजूद सगोत्रता आज भी समाजशास्त्रीय प्रासंगिकता प्राप्त है। माइकेल यंग व पीटर विलमोट द्वारा लंदन के बेंचनल ग्रीन समुदाय का अध्ययन यह संकेत देता है कि सगोत्रीय क्रिया कलाप वहां आज भी चरिताय होते हैं जिनका समसामयिक

आर्थिक क्रियाओं व गतिविधियों पर गहन प्रभाव पड़ता है, साथ ही व्यक्तिगत सम्बन्ध भी इनसे निर्धारित होते हैं।

इस प्रकार राज्य के विकास में सगावता ऐतिहासिक साक्ष्यों को उपलब्ध कराती है जिसके आलायक में सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं का विकास विश्लेषित किया जा सकता है। पारिवारिक प्रवृत्तियों व व्यवस्थात्मक विधियों में सामाजिकता का दर्जा पान के उपरांत व्यक्तियों के राजनीतिक सम्बन्धों का पर्याप्त ढाला और राजनीतिक सम्बन्धों की परिपक्वता ने व्यक्तियों का सामाजिक व्यवस्था के लिए कालांतर में राज्य संरचना के लिए अभिप्रेरित किया ही होगा, यह एक ऐसी मूलकल्पना है जो सहज प्रकाशित होती है—एक ऐसी स्थिति जो इतिहास के साक्ष्यों व मानववृत्ति से संगत है।

(11) धर्म

धर्म और सगावता दोनों समुक्त रूप में क्रियाशील हाकर हमारी इस मूल मूलकल्पना को पुष्ट करते हैं कि राज्य के विकास में एकाधिक तत्व आपस में जुड़ कर अपनी भूमिका निभाते हैं और इस समुक्त आधार पर राज्य पनपता है।

व्यक्ति की अवचेतन अथवा अद्वैत चेतन मानसिकता का धर्म का सहारा कुछ सात्वता प्रदान करता था क्योंकि उस क्रम में व्यक्ति अनजानी भौतिक क्रियाओं को अधि प्राकृतिक (super natural) मान लेता था और धर्म से उन्हें संसाधित करने का प्रयास करता था। दैनिक जीवन में घटन वाली प्राकृतिक व व्यक्तिगत समस्याएँ उसे परेशान करती थीं और वह उनके उत्तर पान को वेचन रहता था—उदाहरण के लिए धूप क्या खिलती है? उसमें उष्णता क्यों होती है? काली घटाएँ क्यों छा जाती हैं जो उमड़ उमड़ कर बरस पड़ती हैं और घटा को जलप्लावित कर देती है? मृत्यु क्या होती है? उसका रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद व्यक्ति की क्या नियति होती है? व्यक्तियों में प्रेम और सहयोग तथा घृणा और संघर्ष क्या हात है? हम अनचाहे ही लड़ क्यों जाते हैं और चाह कर भी प्रेम क्यों नहीं कर पाते—ये और इनके जैसे जनक प्रश्न व्यक्ति का निरंतर झकझोरते रहते थे और अधूरी सामाजिकता से युक्त व्यक्ति अपने आपको नितांत बेसहारा और बेवस मानता था। स्थिति के समाधान स्वरूप उसने इन समस्त अधि प्राकृतिक शक्तियों का दबिक स्वीकार किया और इनके संसाधन में प्रयुक्त होने की काय विधियों व अधिष्ठताओं को लोक मायता दी। प्रारम्भ में परिवार की इकाई से ये नमकण्ड व इनसे सम्बन्धित धार्मिक सत्ताधारी जुड़े और उसके बाद उनकी परिवारेतर मायता बढ़ी। इसी क्रम में उन्होंने बहुत सामाजिक मायता प्राप्त की और ऐसा करके इन्होंने अपनी सत्ता का सामाजिक आधार उपलब्ध कराया। अज्ञानी व अद्वैत ज्ञानी व्यक्तियों के स्वभावगत आनापालन व

आस्था की दृष्टि से धर्म का जादुई व तिलिस्मी रूप प्रकट हुआ। चमत्कारी कम काण्डियो न अपने कौशल से सामाजिक प्रतिष्ठा पाई और उनके निर्देश आदि सामाजिक दृष्टि से आस्था व अनुकरण के विषय बने। सामाजिकता की दृष्टि से धर्म का यह लौकिकीकरण (धर्म का जनमानस व इह लोकात्मक प्रसार) महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके क्रम में व्यक्ति व व्यक्तियों को सुरक्षा मिलती थी और इसके क्रम से बंधन ही वे अपने अव्यवस्थित जीवन क्रम को व्यवस्थित करते थे। सत्ता व आधिपत्य का यह लौकिकीकरण आधार विवेक सम्मत व तार्किकता से परिपूर्ण नहीं था बल्कि, वह अधविश्वास व अनजानी शक्तियों के प्रति भय पर आधारित था, फिर भी उसमें व्यवस्था का आरम्भ हुआ, धार्मिक सत्ता न आचरण को धार्मिक कानूनों से सम्मति प्रदान करवाई और धर्म निषेध की स्थिति में कठोरतम दण्ड की भी व्यवस्था की। तिलिस्मी व कमकाण्डी व्यक्तियों द्वारा समाज पर राज करने के इम आदि उदाहरण से ही राज्य सरकार व कानून का आभास पाया जा सकता है। वैसे भी प्राचीन सभ्यता में राज्य धर्म व राजनीति के पार्थक्य का चरित्रात्मक करते थे; वस्तुतः धार्मिक सत्ता ही व्यवस्था का नियमित करके स्वायत्तशासी राजनीतिक मद्दम की पूर्ति करती थी। इसी सत्ता के प्रति लोक आस्था व आत्मपालन सुगठित था। इसी सभ्यता में राजा अपने धार्मिक अधिक अस्तित्व के नाम पर राज सत्ता को अशुभ बनाए रखने की पेशकश करते थे। राज्य की दैनिक उत्पत्ति का पूर्वचिन्तित सिद्धांत राज्य व राजनीति की धार्मिक गियर से संचालित करत हुए और राजसत्ता को 'लोकतंत्र बनाते हुए धर्म व राजनीति के सयोजित स्वरूप को ही ऐतिहासिकता प्रदान करता है। इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए जेम्स फ्रेंजर, मेनाइवर व गेटिल न अपनी-अपनी स्थापनाएँ प्रस्तुत की हैं और धर्म को राज्य विकास का एक प्रभावी माध्यम माना है।

(iii) आर्थिक गतिविधियाँ

सामाजिक विकास के क्रम में आर्थिक गतिविधियाँ व भाजीविका निर्धारित करने की पद्धतियाँ का विशेष योगदान रहा है। इन गतिविधियों ने अपने कुल प्रभाव द्वारा व्यक्ति को वृत्तार्थिक आर्थिक दृष्टि से सुरक्षा प्रदान की, भौतिक दृष्टि से सम्पन्नता दिलाई मनुष्य को दृष्टि से सुव्यवस्थित-वैज्ञानिक कार्याधियों से लस किया और सामाजिक दृष्टि में सहयोग परक व मनीषण बनाया। जीवन के विविध पक्षों से सम्बन्धित इन विशिष्ट गुणों का सयोजित करत हुए व्यक्ति न अपने निजी व सामाजिक परिवेश का परिष्कार किया। इस परिष्कार में जहाँ एक ओर स्थितिज असामानताओं और सधर्म को उत्पन्न किया वहीं दूसरी ओर इनके निराकरण स्वरूप सामाजिकता के अभिन्न नियम व नियमनकारी व्यवस्थाएँ भी

राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत

पदा की। इनके योग से व्यक्तिगत न समस्त विरोधाभासा के बावजूद अपने को एक दूसरे के साथ नियमित करने की समर्थ पाई और राज्य के तीन अनिवार्य तत्वों को सुलभ कराया—जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं सरकार।

प्रारम्भ में व्यक्ति शिकार के रूप में जो कुछ मिलता था, खा पी लेता था। अपना पेट पालना उसका अभीष्ट था और इस उद्देश्य से जा कुछ भी उसे मिले वह उसकी उपलब्धि होती थी इस उपलब्धि के स माग में कुछ भी वर्जित नहीं था जो कुछ भी प्राप्य है वह सही था। व्यक्ति पेट पालने के तम में इधर उधर घुमते हुए जो कुछ भी मिले वह उठा-मार कर खा लेता था—कंद मूल, फल पशु पक्षी कुछ भी। कालांतर में उसे यह आभास हुआ कि पशु आहार का ही विषय नहीं है उनकी उसके जीवन में कुछ अन्य उपयोगिताएँ भी सम्भवित है, जैसे घोड़े पर चढ़कर यातायात का प्रबन्ध किया जा सकता है और भौगोलिक दूरी अधिक सुगमता से तम की जा सकती है। इसी प्रकार, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि को मारकर खाना सीमित आहार प्राप्त करना ही होगा जबकि उन्हें पालकर दूध-सेवन का असीमित लाभ अर्जित किया जा सकता है। अपने बाह्य परिवेश के प्रति इस नए ज्ञान व अनुभूति ने व्यक्ति को शिकारी चर्त्त पर अकुश लगाया और उसे शिकारी अवस्था से पशुपालक अवस्था में पहुँचा दिया। इस अवस्था में व्यक्ति ने स्थिर स्थायी निवास व भूमि का अधिग्रहण किया और अपने पशुओं को पालने का अभ्यास किया। सतत अभ्यास व अनुभव ने उसके पशु धन में निरंतर वृद्धि की। स्थायी रूप से रहने-बसने के तम में परिवार का एक संस्था के रूप में उदय हुआ, पारिवारिक नियम-विधान बन, पतक नेतृत्व व अनुशासन बलवती हुआ और सम्पत्ति की वास्तविकता प्रकट हुई। स्थितियों के इस सम्मिलित तम ने स्थिर जनसंख्या व स्थायी क्षेत्रफल प्रदान करते हुए व्यक्तियों को राज्य व सरकार के समीप ला खड़ा किया। आवश्यकता केवल इस बात की थी कि राज्य का आर्थिक आधार व सुसंगठित सरकारी-तंत्र किस प्रकार उपलब्ध हो? तीसरी अवस्था में खेतिहर-किसान की भूमिका उस तदभ में उत्पन्न हुई जब बढ़ते पशु धन व उनकी चरागाह व्यवस्था के साथ-साथ पारिवारिक भरण-पोषण की आवश्यकता ने सिर उठाया। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए व्यक्ति न अपनी भूमि पर ही पशुओं के चारे व परिवार के लिए अन्न बोना प्रारम्भ किया और इस प्रकार अब तक की अनुत्पादक भूमि को कृषि उत्पादकता से संयोजित किया। अपनी भूल सुधार करते हुए और पट्टीसी के कृषि प्रयोगों से लाभान्वित होत हुए व्यक्तियों ने तमश अपने समाज का कृषक समाज के रूप में ढाला और कृषि आधारित अर्थ व्यवस्था से लाभ उठाते हुए जब एक चरागाह समूह निश्चित क्षेत्र में बस गया तो प्रारम्भिक राज्य का उदय हुआ जिसमें मानव संरक्षक व नियमनकारी

व्यवस्थाएँ प्रवर्तित कीं। इस प्रकार राज्य विषयक समस्त आवश्यकताओं का सिलसिला लगभग पूर्णता की ओर उन्मुख होत हुआ स्थायित्व पा गया और जन-सम्पदा, क्षेत्रफल व सरकार से युक्त यह राज्य-व्यवस्था अपने स्वाभाविक क्रम में राज्य सम्प्रभुता का लक्षण पाने का उपक्रम करने लगी।

(iv) बल

राज्य के विकास में बल का तत्त्व के रूप में आबलन अत्यन्त किया जा चुका है। यहाँ एक बार फिर साररूप में उसकी सघटक भूमिका की ही पुनः अभिव्यक्ति किया जा रहा है। व्यक्ति की स्थिरता पारिवारिक संगठन, सम्पत्ति की विषमता व राज्य-सरकार सम्बन्धी व्यावहारिता न उस संगठित शक्ति व बल को अस्तित्व दिया जा राज्य- अनुमोदित व सरकार प्रवर्तित था। इस क्रम में नए अधिग्रहणों से राज्य संगठित हुआ अव्यवहाय क्षेत्र प्रभावी राज्य से जुड़ कर नई उपयोगिता के क्षितिज पाने लग। राज्यों से साम्राज्य बन और इस प्रकार राज्य-समुदाय में बड़े राज्या, मध्यस्थ राज्यों व छोटे राज्या का एक अभिनव पद सोपान उपस्थित हुआ। इसी क्रम में अधुनातन शस्त्र व्यवस्थाओं का आवरण हुआ और युद्ध प्रणाली सृजित हुई। इसके अतिरिक्त, राज्य-व्यवस्थापन के लिए स्थायी सेना का गठन भी हुआ जो आज भी राज्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण मापनीय विषय है। बल की महत्ता का क्रम सोल्टों के इस कथन से समझा जा सकता है कि "सघष व युद्ध प्रणाली ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य निर्माण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्त्व रहे हैं और यह निश्चित है कि बल के द्वारा भी दो समूहों का एकीकरण कुछ समय उपरांत ऐसे समान हित विकसित करता है जिससे एक एकता का भाव प्रस्फुटित होता है।" बल की राज्य निर्माणकारी तत्त्व के रूप में सामान्य मायता के बावजूद यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि वह राज्य निर्माण का केवल एक (केवल एक) महत्वपूर्ण सघटक है एकमात्र नहीं।

राजनीतिक चेतना

उपरोक्त सामाजिक विकास क्रम व्यक्ति में चेतना का बढ सामाजिक, राजनीतिक भाव मुखरित कर सका जिसमें व्यक्ति 'स्व' और सबस्व में तार-तम्यता स्थापित करने में सफल हुआ। उसे यह बोध हुआ कि सुख-सम्पन्नता की सामाजिक खोज कोई एकाकी साधना नहीं बल्कि एक सामुदायिक प्रयास है—एक ऐसा प्रयास जो सभी की चेष्टाओं पर अवलम्बित है। यह मन्भव है कि इस प्रयास में सब एक समान ग्रहण नहीं करेंगे। (असमानताएँ तो होंगी ही) लेकिन यह विलकुल अमन्भव है कि कुछ तो अधिकांश पाएँगे और कुछ विलुप्त भी नहीं। कोई न कोई व्यवस्था तो ऐसी होनी ही चाहिए जो सब का नियमित

नियंत्रित करे और इस क्रम में 'यूनाधिक रूप से 'एक का सबके लिए' 'आर सब को एक के लिए' ढाले। राज्य व सरकार की कल्पना ऐसी ही नियमनकारी एजेंसी के रूप में की गई और उसकी सत्ता को सामुदायिक स्वीकृति व अनुपालना चेतना मिली। सामाजिक परिवर्तन न कालांतर में इस चिन्तनपरक चेतना को चेतन शील उद्देश्य के रूप में प्रतिष्ठित कि या जिसके अंतर्गत सामाजिक राजनीतिक मूल्या का 'समाजीकरण' प्रक्रिया द्वारा अंतस्थ किया गया। इस चेतना का अभिव्यक्ति देते हुए सोल्टा का यह कथन उल्लेखनीय है कि "संगोत्रता धर्म आहार की आवश्यकता व रक्षा तथ्यतः ऐसे सन्निवृत्त विभाग व साधन वन जो कुछ ससक्तिशील व संगठित की इच्छा करते थे और जो अपनी इस इच्छा को अपन समूह में व अन्य समूहों में व्यक्तियों पर आरोपित करते थे।" ¹

राज्य की उत्पत्ति व विकास से सम्बन्धित यह चर्चा उपयुक्ततः यह इंगित करती है कि राज्य किसी एक व्याख्या अथवा घटक का परिणाम नहीं है बल्कि, वह अनेक ऐतिहासिक अवस्थाओं में विविध घटकों की अंतर्निष्ठाशीलता से निर्मित है ऐतिहासिक दृष्टि से विविध भौतिक अवस्थाओं में व्यक्त समूह व समाज के मध्य ऐसे विविध सम्बन्ध प्रतिमान सुलभ कराए जिनके क्रम में सामाजिकता संगठित हुई और राज्य व सरकार का विशिष्ट स्वरूप उपस्थित हुआ। इन विविधताओं के सद्वन में ही सामाजिक-आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों का निरूपित करते हुए राज्य के विकास क्रम का आकलन किया जा सकता है। विशेषतः पश्चिम के सद्वन में यह कहा जा सकता है कि राज्य संस्था के ऐतिहासिक तत्त्व यूनानी राज्य व्यवस्थाओं में उपलब्ध थे। यूनानी सद्वन में विद्यमान राज्यों के दो विशिष्ट लक्षण उल्लेखनीय थे—(1) उनका सीमित आकार व जनसंख्या और (2) उनका राजनीतिक दृष्टि से व्यवहार्य संगठन व स्वतंत्र अस्तित्व। ये राज्य अपने संगठन को साधन व रूप में ग्रहण करते हुए मानव जीवन की बहुरंगी गुणात्मकता का साध्य पाना चाहते थे और इस दृष्टि से राज्य का मूलतः एक नैतिक संस्था के रूप में चरित्राथ करते थे। रोमनी राज्य अवधारणाओं ने राज्य की व्यावहारिकताओं का प्राथमिकता देते हुए राज्य कानून के सद्वन में बहुमूल्य योगदान दिया। नागरिक कानून व राज्य कानून का पाथक्य देते हुए रोमन काल के अंतर्गत सत्ता की कानूनी संस्थागत अवधारणा विकसित की गई और प्राकृतिक स्वतंत्रता समानता व अधिकारों का कानून सम्मत दृष्टि बाण निर्धारित किया गया। आर्थिक विषमता व साधनों के असमान वितरण न सामंतवादी व्यवस्था का प्रकट किया जिसमें स्वामी अपने अधीनस्थ कामियों से व्यक्तिगत निष्ठा व जाधिक लाभ का साधन करवाता था लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य व्यवस्था का कोई नया आधार नहीं मिला बल्कि, पुराने आधारों पर और जग लग गई। सामंती युग की विसंगतियां न चर्चा की धार्मिक सत्ता

को प्रकट किया, चर्च राज्य सघप हुआ और आधुनिक काल के सूर्योदय ने नई राज्य व्यवस्था की धूप खिलाने की सम्भावनाएँ व्यक्त की। सामाजिक प्रवृत्तियाँ के प्रवाह ने आधुनिक राज्य को पूँजीवादी राज्य के रूप में अभिव्यक्त किया। पूँजी के आधिक्य व उसके अनिबन्धित क्रम ने उदारवाद का तरजीह देते हुए एक ओर जहाँ आन्तरिक संरचना में उदार लोकतान्त्रिकरण को प्रकट किया वहीं बाह्य रूप से उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद सगठित हुए। आधुनिक राज्यों के गर उदारवादी व पूँजीवाद विरोधी क्षेत्रों से राज्य व्यवस्था का एक नया मानक निर्मित हुआ—ममजवादी राज्य। इन दोनों राज्यों की वास्तविकता न अपने अन्तर्विरोधों को चरित्राथ करते हुए सहयोग व असहयोग के विरोधाभासी प्रतिभानों को उपलब्ध कराया जो दा महायुद्ध के उपरांत भी आज प्रभावशाली है और दोनों राज्य-व्यवस्थाओं के सम्बन्धों की प्रीति-अप्रीतिकारी अभिव्यजनाएँ समायाजित करती है।

यह वस्तुतः राज्य विकास का एक म्यूल रेखाचित्र है जिसमें चित्र की सूक्ष्मताएँ तो क्या स्वयं रेखाचित्र की दारीकिया भी नहीं है लेकिन इसका उद्देश्य यह प्रस्तावित करना है कि राज्य का नैतिक विकास भिन्न भिन्न सामाजिक शक्तियाँ घटकों की परिवर्तनशील भूकिका से सम्बन्धित है। भौतिक परिवेश की स्थिति जय चुनौतियाँ ने राज्य के तत्कालीन स्वरूप का जादूत किया और उस क्रम में राज्य का नया रूप निखर कर सामने आया। यह रूप पूर्ववर्ती स्थितियों का परिणाम होत हुए भी पीछे की ओर नैजर टिकाए रखने का पक्षधर नहीं था बल्कि, भावी चुनौतियों व स्थितियों से साक्षात्कार का उत्साही था। इस प्रवृत्ति के ही राज्य को ऐतिहासिक तत्वों के भार को उठाने की प्रेरणा दी है और उस 'नए' के सदभ में 'पुराने' को रूपांतरित करने की अनवरत सामर्थ्य उपलब्ध कराई है।

राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा

राजनीति विज्ञान के सदभ में राजनीतिक व्यवस्था का विचार 1945 के नए विश्व को समझन एवं परखने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक यथाथ का अधिक समप्रतापूर्वक ग्रहण करना तथा पश्चिमी व गैर-पश्चिमी सदभों में परस्पर व्याप्त विषमताओं को वचारिक स्तर पर मसाधित करत हुए उसकी व्याख्या करना था। यह बौद्धिक अभ्यास इस दृष्टि से भी नियोजित किया गया क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था राज्य-व्यवस्था को अपना अपने क्रम में अध्ययन व विश्लेषण के अधिक मसाधनीय स्तर गुनभ करती था और एता करत हुए विविध स्तरीय व्याख्याएँ प्रस्तुत करती थी। आनुमाविक व व्यवहार-वाणी विषय निर्माण व अध्ययन की दृष्टि में राजनीतिक व्यवस्था का

व्यवस्था का निहित है कि युद्धात्तर काल में अनेक गैर-पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया गया और उपयोगी निष्कर्ष प्रतिपादित किए गए। राजनीतिक व्यवस्था के इन अध्ययनों की दृष्टि से जेम्स कोलमन की कृति नाइजीरिया बेकप्राउण्ड टु नेशनलिज्म, डब्ल्यू हावर्ड रिगिंस की, सिलोन टिल्लेमाज आव एयू नेशन, लिआनड वाइडर की रेलिजन एण्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, हर्बर्ट फीथ की दि डिक्लाइन आव् कस्टीट्यूशनल डिमोक्रेसी इन इंडोनेशिया, यूथान पाई की पॉलिटिक्स, पसनेलिटी एण्ड नेशन बिल्डिंग बर्माज सच फॉर आइडे टिटि, माइरन वीनर की दि पॉलिटिक्स आव् स्केआसिटी पॉलिक प्रेशर एण्ड पॉलिटिकल रिस्पॉस इन इंडिया तथा डेविड एण्टर की घना इन ट्रांजिशन विशेष उल्लेखनीय है। इस सदभ में सामान्य परिप्रेक्ष्य निर्माण के लिए जेम्स कोलमन व गेब्रियल आमण्ड की दि पॉलिटिक्स आव् डवलपिंग एरियारा भी उद्धरणीय है।

राजनीतिक व्यवस्था व राज्य-व्यवस्था

- सामान्य वैचारिक समझ के लिए राजनीतिक व्यवस्था व राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित प्रमुख अंतर स्पष्ट किए जा सकते हैं—

- 1- राजनीतिक व्यवस्था राजनीति के निर्धारक समस्त घटकों व व्याख्याओं को अपने परिशेष में समाहित करती है और ऐसा करते हुए वह राजनीति की समग्र समझ की दृष्टि से इतिहास, समाज अथर्व्यवस्था मस्कृति धर्म, नैतिकता, शिक्षा भूगोल, मनोविज्ञान कानून, राज्य व सरकार आदि समस्त तत्त्वों की राजनीतिक प्रासंगिकता पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित करती है जबकि राज्य व्यवस्था अपने चार बुनियादी घटकों (जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार व सम्प्रभुता) को ही अपनी विषय परिधि में तरजीह देती है। इस दृष्टि से राज्य-व्यवस्था की अपेक्षा राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययनगत सदभ अधिक व्यापक व इस आधार पर अधिक समृद्ध है।
- 2 राजनीतिक व्यवस्था व्यावहारिक आधार पर राजनीति को ग्रहण करते हुए उसकी वास्तविक प्रक्रिया को समझने व विश्लेषित करने की चेष्टा करती है जबकि राज्य व्यवस्था औपचारिक कानूनी सत्यागत सदभ में राज्य के त्रिया कलापो को ही केन्द्रीय महत्व प्रदान करती है। अतः राजनीतिक व्यवस्था अपने दृष्टि

- कोण के सदभ में भी राज्य व्यवस्था की तुलना में मानव व्यवहार व पूरा सामाजिक राजनीतिक व्यवहार से अधिक सगत है,
- 3 दूसरे अंतर के पूरक के रूप में यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था राजनीति के वास्तविक निर्माण, उसकी यथायुक्त समझ व उस पर आधारित आनुभविक राजनीतिक प्रक्रिया को बचा रिक अवेषण में प्रधानता देती है और राज्य के प्रकट व्यवहार के परे जाकर उस व्यवहार की सघटक व्याख्याएँ खोजते हुए राजनीतिक सामाजिककरण प्राप्त करती है जो तदन्तर राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं व व्यक्तियों की सदभगत व्याख्या करता है। इसके विपरीत राज्य व्यवस्था राज्य केन्द्रित गति विधियाँ पर ध्यान केन्द्रित करते हुए केवल संस्थागत सदभ में ही अनुभवतर (non-empirical) राजनीतिक व्याख्याएँ उपलब्ध कराती है,
- 4 पद्धति की दृष्टि से भी इन दोनों व्यवस्थाओं में पर्याप्त भेद है। राजनीतिक व्यवस्था अनुभाविक व्यवहारवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए सत्यापनीय व काम कारणत्व के परिचायक तथ्यों को प्रकट करती है जबकि राज्य-व्यवस्था से संबंधित पूर्व अध्ययन अपनी अति उपयोगी अतः दृष्टियों के बावजूद पद्धति की दृष्टि से अपर्याप्त रहें हैं। उनमें विश्लेषण की अपेक्षा विवरण अधिक प्रकट होता है और यह विवरण भी सतही पर्यवेक्षण की अधिक उपज है क्योंकि प्रकट के परे जाकर तथ्य पान अथवा समुद्र मयन करके मानी, मीपिया आदि संचालित करने का उपलब्धिपूर्ण प्रयास इनमें पर्याप्त दृष्टिगोचर नहीं होता तथा
- 5 राजनीतिक व्यवस्था अधिक सत्यापनीय रूप से राजनीतिक यथायुक्त बहुविषयक (Multi-disciplinary) अथवा अन्तर्विषयक (Inter-disciplinary) दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रहण करना पाहता है। इसी दृष्टि से राजनीति की अन्तर्विषयक विश्लेषण-श्रेणियाँ निम्नलिखित की गई हैं—अभिजात (Elite) का विश्लेषण (Class Analysis) राजनीतिक सामाजिककरण (Political Socialization) निर्णय निर्माण (Decision-Making) संचारण (Communications) वितरण (Distributive Analysis) नीति सिद्धांत (Theory) तथा स्वयं के अन्तर्विषयक

समस्त वैचारिक श्रेणियों राजनीति विज्ञान को व्यवस्था के सदम में पद्धतिशास्त्रीय परिवार व तथ्यात्मक बोध उपलब्ध कराती हैं। राज्य-अध्ययनों में यह ढ्रम अनुपलब्ध है।

राजनीतिक व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था

राजनीतिक व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था में अनेक स्तरों पर महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध व्याप्त है। ये सम्बन्ध राजनीतिक विश्लेषण में विशेष अंतर्दृष्टियाँ सुलभ कराते हैं। इन सम्बन्धों को प्रमुख रूप से निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है

- 1 एक सघटक के रूप में राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। इसका निहितार्थ यह है कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का भाग होत हुए सामाजिक व्यवस्था के कुल परिवेश में क्रियाशील होती है,
- 2 अपने विशिष्ट स्वरूप के रूप में राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक समन्वित प्रतिनिधि व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त वर्ग, समूह, व्यवसाय व हित आते हैं और उस प्रक्रिया से एकाकार होते हैं
- 3 एक प्रतिनिधि-व्यवस्था के रूप में राजनीतिक औचित्य के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था को संचालित करती है और ऐसा करते हुए सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर आधिकारिक निणय लेकर उन्हें क्रियावित करती है। इस ढ्रम में लिए गए निणय समाज के लिए बाध्यकारी होते हैं और उनकी अवज्ञा अथवा अवहेलना की स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था दोषी व्यक्तियों, समूहों अथवा वर्गों को दण्डित करने की अधिकारी होती है,
- 4 राजनीतिक व्यवस्था की स्वरूप सम्बन्धी विशिष्टताएँ अपने रूप निर्धारण के लिए सामाजिक व्यवस्था पर अवलम्बित भी होती हैं। सामाजिक व्यवस्था की विशिष्ट प्रकृति व स्वरूप के सदम में ही राजनीतिक व्यवस्था की विशिष्टताएँ आकार पाती हैं। इस दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिनिधि चरित्र व उसकी तत्सम्बन्धी प्रक्रिया सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम होती है। सामाजिकता के सदम में सगठित यह राजनीतिक व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्था को संचालित कर पाती है अथवा अवरोध प्रकट होते हैं। सामाजिक व्यवस्था व राज-

नीतिक व्यवस्था का सम्बन्धात्मक प्रतिमान यह प्रस्तावित करता है कि एक बड़ी इकाई के रूप में सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करती है और राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविक प्रियाशीलता से यह स्वयं भावी स्थितियों के प्रति निर्धारित भी होती है और राजनीतिक व्यवस्था उसे रूपांतरित करते हुए कई स्थितियों के लिए तयार करती है,

- 5 उद्देश्यो व लक्ष्यो के सदम में भी दाना व्यवस्थाओं में साम्य होता है। राजनीतिक व्यवस्था द्वारा सामाजिक लक्ष्यो, हिता व मूल्यों का 'राजनीतिकरण' होता है जबकि सामाजिक व्यवस्था द्वारा राजनीतिक प्रयोगों का प्रभावी 'समाजीकरण'। इस दाहरी अनुज्ञिया के अभाव में लक्ष्य पर्याप्तत के 'द्रबिन्दु' नहीं बन पाते और उनका प्रभावी व्यवस्थापन नहीं हो पाता, तथा
- 6 राजनीतिक विकास व सामाजिक विकास में भी समानुपात का कोई-न-कोई अण अवश्य विद्यमान होता है। इस सदम में ही दोनों समन्वित व उद्देश्य परक हो पाते हैं। इसकी अनुपस्थिति में सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्थाएँ प्रतिगामी होन लगती हैं, उनका सम्बन्धात्मक सदम टूट जाता है और व्यवस्था के ऐसे गम्भीर सकल प्रकट होते हैं जो 'अनुत्पादक श्रम चरिताथ' करते हुए समूचे व्यवस्था सदम का दुष्क्रियाशीलता (Dysfunctionality) प्रदान करते हैं।

इन सिद्धांतिक प्रस्तावों को भारतीय सदम में उपयुक्त रूप से उदाहरण देकर समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रवाद के ध्वारिक राजनीतिक कलेवर को विशिष्ट सामाजिक सदम प्राप्त हुआ और सामाजिक परिवेश से रूप व आकार पाते हुए राष्ट्रवादी आन्दोलन ने राजनीतिक नेतृत्व की क्रमशः उत्तरवादी उपवादी व गांधीवाणी अवस्थाओं में समाज द्वारा राजनीति के निर्धारण के पृथक प्रतिमान उपलब्ध कराए। इस दृष्टि से प्रत्येक राष्ट्रवादी राजनीतिक नेतृत्व वस्तुतः सामाजिक व्यवस्था के तत्कालीन चरित्र व प्रकृति पर अवलम्बित था और राष्ट्रवाणी राजनीति सामाजिक परिवेश पर प्रभावी रूप से निर्भर। आजादी के बाद राजनीतिक व्यवस्था द्वारा सामाजिक व्यवस्था के संचालन का आभास उन राजनीतिक निष्णयों से प्रकट होता है जिन्होंने प्रचलित सामाजिक-सम्बन्धों व प्रक्रियाओं को अपने विशिष्ट धर्म से प्रभावित व रूपांतरित किया। उदाहरणार्थ जमींदारी उन्मूलन से सम्बन्धित सवधानिक व्यवस्था ने एक अभिनव सामाजिक सदम प्रस्तुत किया और उसके

सदम म सामाजिक व्यवस्था को अनुक्रियाएँ उपलब्ध करने के लिए बाध्य किया। यह राजनीति द्वारा समाज को संचालित करने का एक महत्वपूर्ण संकेतक था। स्वातन्त्र्योत्तर राजनीति ने 'जाति' का राजनीतिकरण किया और विविध व्यावसायिक, विशेषज्ञ हिता को भी राजनीतिकरण की प्रक्रिया के सम्मुख प्रस्तुत किया। दूसरे सदम म लोकतांत्रिक समाज के राजनीतिक प्रश्न का पर्याप्त समाजीकरण हुआ। प जवाहर लाल नेहरू ने राजनीतिक नेतृत्व के दौरान औद्योगिकरण वज्ञानिकता, विकेंद्रीकरण आदि प्रमुख सामाजिक प्रश्नों को राजनीतिक परिवेश म प्रधानता दी और इन प्रश्नों से अपने राजनीतिक भाषणों द्वारा जनता को परिचित कराते हुए इनके मूल्य से उन्हें बाध व इस प्रकार 'राजनीतिक समाजीकरण' की प्रक्रिया का प्रवर्तन किया। श्रीमती गांधी द्वारा 'श्रीमती गांधी' का प्रवर्तन भी राजनीतिक सामाजिक सदमों को परस्पर जोड़ने का एक मकल्पित प्रयास था। इस क्रम मे उहोंने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीति की धारा से जोड़कर राजनीति का आधार व्यापक किया, उसे सुदृढ़ता प्रदान की। स्थितियों के विकार न लोकतांत्रिक राजनीति को भीड़वादी सदम प्रदान किया राजनीति न सुदृढ़ता की प्राप्ति के लिए थमसाध्य माग छोड़कर सुविधा परस्ती की अपनी एक अलग 'पगडण्डी' तैयार की। इससे श्रीमती गांधी के नेतृत्व का तात्कालिक लाभ तो मिला, 1971 के चुनाव मे उनके नेतृत्व म राजनीतिक स्थायित्व भी आया लेकिन राजनीतिक व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था मे तारतम्यता टूटने के कारण उनकी विशिष्ट विकास रपतारो म तालमेल नहीं रहा। परिणामस्वरूप एक आर सुदृढ़ व स्थिर राजनीतिक नेतृत्व बना रहा ता दूसरी ओर आर्थिक सामाजिक सदम म राजनीतिक संकल्पनाओं का अभाव स्थितिया वद से बदतर करता रहा—मुद्रास्फीति बढ़ी आर्थिक अपराधा म वृद्धि हुई वाले धन का प्रभाव हर क्षेत्र म परिलक्षित हुआ, वितरणकारी 'याय छिन भिन हुआ राजनीतिक घ्रष्टाचार ने अपना फल फँसाया और इस सब का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि ब्यवित यह सोचने को बाध्य हुए कि 'राजनीतिक वक्तव्य बला और वस्तु राजनीतिक माधना मे कोई सह-सम्बन्ध नहीं है कि राजनीति अपने आप म एक निरवुत्पन्न होता जा रही है जिसमे सभी से राजनीतिक अभ्यधना की तो अपेक्षा है लेकिन राजनीतिक वरदान प्राप्ति की आकांक्षा का किसी को कोई अधिकार नहीं है जीवन की 'यूननम सुविधाओं के ससाधन व लिए भी नहीं। इस स्थिति से प्रेरित होकर लोगों ने राजनीतिक समस्याओं की लोकतांत्रिकता पर भी आपात किया। इसी क्रम म व्यवस्था मे गतिरोध उपस्थित हुआ और इस गतिरोध के निराकरण स्वरूप आपात्काल की कड़वी दवा म व्यवस्था के उनचार की तैयारिया की गई। यह समस्त क्रम राजनीतिक व्यवस्था

व सामाजिक व्यवस्था के सम्बन्धों का परिचायक हैं—नकारात्मक व सकारात्मक दो प्रकार के सम्बन्धों की इससे पुष्टि होती है।

उद्धरण एवं टिप्पणी

- 1 गिलब्राइस्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पृ 74
- 2 मेकाइवर का यह कथन ए सी कपूर द्वारा उद्धृत, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प 100
- 3 बेकोफेन का यह मत इनिंग द्वारा उद्धृत। देखें, पॉलिटिकल थिअरीज, खण्ड 5 प 435
- 4 मेकाइवर दि मांडन स्टेट प 29
- 5 लीकाव, ऐलेमेन्टस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प 32
- 6 जेक्स, ए शार्ट हिस्टरी ऑफ पॉलिटिक्स, प 71
- 7 रे व भट्टाचार्य द्वारा उद्धृत, पॉलिटिकल थिअरी पृ 64
- 8 हेराल्ड लास्की का कथन रे व भट्टाचार्य से उद्धृत, वही प 53
- 9 काल फ्राइडरिख, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थिअरी, प 132
- 10 वही
- 11 आज एच सेबाइन, ए हिस्टरी ऑफ पॉलिटिकल थिअरी, प 531
- 12 काल फ्राइडरिख, पूर्वोक्त पृ 139
- 13 सिगविक, दि डिवलपमेंट ऑफ यूरोपियन पॉलिटि, पृ 390।
- 14 काल फ्राइडरिख, पूर्वोक्त, प 133 134
- 15 वही प 141 142
- 16 गिलब्राइस्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस प 66
- 17 डी आर भट्टारकर, कारमार्शिकल ध्याख्यान 1918, प 119, 122 124
- 18 भास्कर आनंद सेलेटोर, ए शिफ्ट इंडियन पॉलिटिकल थॉट ऐण्ड इ स्टीड्यूशंस, पृ 143 144
- 19 मेकाइवर, पूर्वोक्त, पृ 33
- 20 लिओनार्ड ब्रूम व फिलिप सेल्जनिव प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी प 31-32
- 21 वही
- 22 विस्तृत ध्याख्या के लिए देखें मार्शल मग व पीटर विटमाट, कमिटी ऐण्ड किनिंग्प इन ईस्ट, लंदन
- 23 सोल्टओ, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, पृ 53
- 24 वही, प 54

राज्य-सम्प्रभुता के विविध प्रसंग

राज्य-सम्प्रभुता वह गुण है जो राज्य को अथ सामाजिक परिपदों से पृथक् करता है। यद्यपि राज्य समाज में व्याप्त एक परिपद है और इस दृष्टि से उसका अथ सामाजिक परिपदों से घनिष्ठ सम्बन्ध है, फिर भी राज्य एक परिपद के रूप में अपना वह वैशेषिक गुण चरिताय करता है जिसके अन्तर्गत वह समाज का अथ अथ परिपदों का सहचर होने के बावजूद उह अनिवायत अपने सदस्यों में टाल-कर गतिशीलता प्रदान करता है। अथ सामाजिक परिपदों राज्य प्रवर्तित आदेशों व निर्देशों की अनिवाय अनुपालना करती हैं और यदि वे ऐसा न करें तो राज्य उह ऐसा करने के लिए राज्य-शक्ति के माध्यम से बाध्य कर सकता है। इस दृष्टि से समाज की एक परिपद होते हुए भी राज्य समाज को निर्देशित करने व उसे अपनी देख-रेख में चलाने की सामर्थ्य रखता है और वह शक्ति जो उसे इस कार्यसम्पादन की क्षमता देती है सम्प्रभुता (sovereignty) कहलाती है।

सम्प्रभुता मूलतः एक कानूनी विचार है और इस रूप में वह सर्वोच्च व अंतिम शक्ति की कल्पना करती है—एक ऐसी शक्ति जो राज्य को उसका सर्व-प्रभावी अस्तित्व उपलब्ध कराती है और जिसकी सहायता से राज्य अपने सदस्यों से अनिवाय आज्ञापालन उपलब्ध करता है। राज्य की यह शक्ति अपनी विशिष्ट राज्य-संरचना व राजनीतिक मूल्य-व्यवस्था के क्रम में पृथक्-पृथक् स्थान पर निवास कर सकती है। ब्रिटेन में यह सम्प्रभुता शक्ति संसद के अधीन है तो भारत में यह जनता में निहित होती है, रूस में यह राजनीतिक वास्तविकताओं के अन्तर्गत में साम्यवादी दल में विद्यमान होती है तो किसी तानाशाही-व्यवस्था में यह एक व्यक्ति के पास केन्द्रित होती है। राज्य-सम्प्रभुता का स्थान कहीं भी कहीं न हा, इसका मूल आधार वह शुद्ध शक्ति होती है जिसके अन्तर्गत राज्य उपलब्ध है

बल अथवा अथ शक्ति साधना से अपनी इच्छा के अनुरूप आज्ञापालन अर्जित करता है।¹ सम्प्रभु इच्छा पूर्ण होती है और उस पर कोई कानूनी मर्यादा अथवा सीमा प्रवर्तित नहीं होती। वस्तुतः वह जो कुछ भी प्रस्तावित करती है वह मात्र उमकी मातृव्य घोषणा से ही सही होता है।

कानूनी यथाथ की दृष्टि से यह सर्वोच्च सम्प्रभुता अपने राजनीतिक अथवा वास्तविक यथाथ के रूप में प्रभावोत्पादकता का मापदण्ड स्वीकार करती है। इस दृष्टि में यह आवश्यक नहीं कि सम्प्रभुता का प्रवर्तन केवल राज्य शक्ति से ही हो। वस्तुतः राजनीतिक अभाव यह अपेक्षा करता है कि शासक शक्ति अथवा बल का यूनतम प्रयोग करते हुए समझान बुझान की क्रिया (persuasion) द्वारा ही इसे प्रवर्तित करके अपनी विश्वसनीयता (credibility) स्थापित करें। अभिनव मापदण्डों के अनुसार शक्ति के आशक्ति प्रयोग का भय ही राजनीतिक अनुपालना के लिए यथेष्ट होना चाहिए। वस्तुतः एक बार उमके वास्तविक प्रयोग के उपरांत उसके सब आयाम उदघाटित हो जाते हैं और उस स्थिति में राज्य विकल्पा की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इस दृष्टि से फाइनर का सरकार विषयक "बलप्रयोग अनुनय आयाम" (Coercion Persuasion Dimension) उद्धरणीय है जिसमें उसने यह सुझाया है कि जो सरकार जिस क्रम में अधिकतम अनुनय व यूनतम बलप्रयोग द्वारा अनुपालना प्राप्ति की क्षमता रखती है वह उसी क्रम में प्रभावोत्पादक होती है।²

सम्प्रभुता परिभाषा व विशेषताएँ

सम्प्रभुता की विभिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं। बोदा इसे ऐसी सर्वोच्च शक्ति मानता है जो नागरिका व राज्य विषयों पर प्रयुक्त होती है और जो इस सन्दर्भ में कानून से अमर्यादित है। ह्यूगो गोशियस ने इस ऐसी सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो सबशक्तिमान की क्रियाओं से अनन्य बनाती है और जिसकी इच्छा पददमित नहीं की जा सकती। ह्यूगुइट के शब्दों में सम्प्रभुता राज्य की आदेशकारी शक्ति है, यह राज्य के अन्तर्गत सगठित राष्ट्र की इच्छा है यह वह अधिकार है जिसके अन्तर्गत राज्य सीमा में बसे व्यक्तियों का अप्रतिबंधित आदेश दिए जाते हैं। वर्ग्स ने इसे राज्य-विषय व विषयों से सम्बंधित विभिन्न परिषदों के सन्दर्भ में मौलिक पूर्ण व असीमित अपरिमित शक्ति माना है। रास्की की धारणा में सम्प्रभुता किसी भी व्यक्ति अथवा समूह पर कानूनी दृष्टि से सर्वोच्च है। जेन्स के अनुसार यह वह सत्ता है जो अन्तिम स्थिति में किसी समुदाय के प्रत्येक वैयक्तिक सदस्य की क्रियाओं की बिना किसी अथ अपील के पूर्णतः नियंत्रित करती है।

कानून विषयक इस सम्प्रभुता की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(i) पूणता - पारम्परिक दृष्टि से सम्प्रभुता पूण है। यह राज्य की एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी अन्य एजेंसी अथवा सस्था से मर्यादित अथवा शमित नहीं होती। इसकी राज्य के सद्भ में कोई सीमा नहीं है और इसकी सर्वोच्चता निद्वन्द्व है। सम्प्रभु इस दृष्टि से सर्वशक्तिमान है और उसके विषय उसकी अनन्य शक्ति के प्रति पूणत अस्थावान। सम्प्रभु जो कुछ भी कहता है वह कानून है और इस सद्भ में उसकी समस्त क्रियाएँ एवं गतिविधियाँ कानून सम्मत।

सम्प्रभुता की इस कानूनी पूणता का अनन्य विचारका व आलोचका ने राजनीतिक यथाथ की दृष्टि से सशयात्मक माना है। सत्स्की ने पूण सम्प्रभु शक्ति के व्यवहार की समीक्षा करत हुए यह मत व्यक्त किया है कि व्यवहार में कानूनी दृष्टि में असीमित यह शक्ति एक ऐसी शक्ति के रूप में प्रकट होती है जिम्का प्रयोग पीढ़ी दर पीढ़ी मुविज्ञ स्थितिया के अनुरूप हाता है।⁴ सर हेनरी मेन ने पारम्पराओं व सामाजिक रीति रिवाजा के सम्प्रभुता पर एक मर्यादाकारी बंधन माना है। मिलक्राइस्ट ने सम्प्रभुता के सद्भ में "मानवीय सहनशीलता की सीमा" का निरूपित किया है जिसके उल्लघन का उपरान्त कोई भी सर्वोच्च शक्ति अपना वैशेषिक गुण बरकरार नहीं रख पाती। इसी तम में अर्नेस्ट बाकर ने यह मत व्यक्त किया है कि सम्प्रभुता स्वयं अपनी विशिष्ट प्रकृति व अपनी निजी क्रिया-विधियों से परिसीमित एवं परिभाषित की जाती है।⁵ इस सद्भ में यह धारणा उपयुक्त होगी कि सम्प्रभुता का सामाजिक-स्वायत्तता से कोई विराधाभास नहीं है। विभिन्न सामाजिक परिपदे अपने-अपने विशिष्ट सद्भ में अपना अपना काय सुचारू रूप से करती हैं केवल राज्य प्राथमिकताओं से जब से उनका विरोध प्रकट होता है और वह विराध सक्षम रूप से व्यवस्था के लिए हानिप्रद होता है तभी सम्प्रभुता अपनी सगठित इच्छा व शक्ति से उसका दमन करती है अथवा नहीं।

(ii) स्थायित्व—सम्प्रभुता का भाव स्थायी होता है। जिम् प्रकार सरकार की फेर-बदल से राज्य का पद अक्षुण्ण रहता है और बिना किसी वैचारिक द्वन्द्व के राजसत्ता विद्यमान रहती है, उसी प्रकार राजशक्ति व सत्ता की परिचायक सम्प्रभुता भी अपना मूल भाव कभी नहीं खोती, वह सदैव राज्य क्रम में बरकरार रहता है। इसी भाव को व्यक्त करत हुए गानर ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य पुनर्गठन की स्थिति में भी सम्प्रभुता अबाधित रूप से पुनर्गठित भाग में उसी प्रकार प्रविष्ट हा जाती है जिस प्रकार बाह्य परिवर्तन के क्रम में मुहत्वावपण का केंद्र किसी भौतिक निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में प्रतिस्थापित हो जाता है।

(iii) सावदेशिकता—सम्प्रभुता समूचे राज्य-क्षेत्र उसकी समस्त सम्थाओं व राज्य के समस्त व्यक्तियों पर लागू हानी है उससे किसी का उमुक्ति नहीं प्राप्त है। अपवादम्बह्वर विश्वी राजनयिक बग भवशय हैं जो अपने देश के कानून में

संचालित होते हैं लेकिन यह अपवाद भी सावदशिकता सम्बन्धी सम्प्रभुता की स्थिति को चुनौती नहीं देता क्योंकि, राजनीतिक सुविधा पारस्परिक समझौते के आधार पर स्वच्छा से प्रदान की जाती है न कि किसी अनिवायता से प्रेरित होकर। प्रत्येक राज्य का यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी से पूणत राजनयिक सम्बन्ध तोड़कर इस सुविधा पारस्परिक समझौते के आधार पर स्वच्छा से प्रदान की जाती है न कि किसी अनिवायता से प्रेरित होकर। प्रत्येक राज्य को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी दश से पूणत राजनयिक सम्बन्ध तोड़कर इस सुविधा को भंग कर दे अथवा किसी राजनयिक को देश से निष्कासित करके आशिक रूप में इस सुविधा को वापिस ले ले।

(iv) अहरणीयता—सम्प्रभुता किसी भी राज्य का अपरिहाय तत्त्व होता है और इस कारण उसका हरण अथवा हस्तांतरण आत्मघाती होगा। कोई भी वैचारिक योजना उसकी अहरणीयता अथवा हस्तांतरणीयता की व्यवस्था नहीं कर सकती। इस सन्दर्भ में यह प्रतीकात्मक व्याख्या प्रासंगिक है कि जिस प्रकार कोई पद अकुरित व पल्लवित होना अपना अधिकार नहीं अलग कर सकता और जिस प्रकार कोई व्यक्ति बिना आत्म सहार से अपना जीवन व व्यवितत्व हस्तांतरित नहीं कर सकता, उसी प्रकार सम्प्रभुता भी अपने आपको अपने आपसे पथक् नहीं कर सकती।⁶

(v) अनयता—अनयता का अर्थ यह है कि किसी भी राज्य में एक ही सर्वोच्च व सम्प्रभु शक्ति हो सकती है, एकाधिक नहीं। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, उसी प्रकार एक राज्य क्षेत्र में एक से अधिक सम्प्रभु शक्ति नहीं हो सकती। यदि ऐसा हो और दो सम्प्रभुता केन्द्र प्रकट हों तो वह राज्य शक्ति का एक खुली चुनौती होगी जैसाकि गृह-युद्ध (Civil War) की स्थिति में होता है और उस सन्दर्भ में राज्य शक्ति को निर्णायक पहल लेकर या तो मिटना पड़ेगा या मिटाना पड़ेगा। यदि पूर्ववर्ती सम्प्रभु शक्ति मिट जाती है तो उदीयमान शक्ति सम्प्रभु शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होगी और यदि वह चुनौती भरी प्रतिगामी-सम्प्रभु शक्ति का दावा करने वाले केन्द्र को तोड़ देती है तो इससे उसकी साख पुनः स्थापित हो जाएगी।

(vi) अधिभाज्यता—सम्प्रभुता अधिभाज्य होती है, उसका विभाजन व तदनन्तर एकाधिक स्वतंत्र इच्छाओं का अस्तित्व अव्यवस्था विलक्षण व सधम को आमंत्रित करता है। आदेश की एकात्मकता व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए अपरिहाय है।

अधिभाज्यता का यह विचार भी समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भ में अव्यक्त है। सधवाद की वास्तविकता सांविधानिक-कानूनी आधार पर शक्ति के विभाजन की व्यवस्था पर आधारित है और सध व राज्य स्पष्टतः वैचारिक दृष्टि

अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में पूर्णतः स्वतंत्र व आत्मावलम्बी होते हैं और सम्प्रभुता उनके मध्य विभाजित होती है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तित द्वय सम्प्रभुता (Dual Sovereignty) के विचार ने अपने राजनीतिक अध्येताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और यह भाव प्रमुखतः टाविविले, ह्यूटन आदि के कृतित्व में परिलक्षित हुआ। इस में दब मरे व भट्टाचार्य का यह कथन अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि द्वैय सम्प्रभुता के पक्षधर सम्प्रभुता व उसके निगम तत्त्व (emanation element) के बीच वैचारिक भ्रांति उपस्थित करत हैं। सम्प्रभुता के निगम तत्त्व के रूप में शक्ति विभाज्य है स्वयं सम्प्रभुता नहीं।

सम्प्रभुता—ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा

सम्प्रभुता राज्य के एक तत्त्व के रूप में आधुनिक राज्य की स्थापना के उपरान्त प्रकट हुई यद्यपि प्राचीन काल में उमराव भाव अनुपस्थित नहीं था। प्लेटो ने विवेक के अवतार के रूप में दाशनिज राजा को जो निरुद्ध शक्तियाँ व असीमित अधिकार दिए थे वे दाशनिज रूप से सम्प्रभुता की कानूनी अवधारणा के ही तत्सम थे। कानून प्लेटो की विचार योजना में 'याय उपलब्ध करता था और न्याय विवेक द्वारा व्याख्यायित होता था। इस दृष्टि से विवेकी ही एकमात्र याय का व्याख्याता था और उसी की मायतामा व मतव्यास राज्य संचालित होता था। अस्तु ने भी पलिडिपस में 'राज्य की सर्वोच्च शक्ति' का उल्लेख किया है। मध्यकाल में मानव कानून के ऊपर प्राकृतिक अथवा दैनिक कानून की सत्ता के दावा ने मानव प्रतिभा के अनुरूप सम्प्रभुता का भाव नहीं विकसित होने दिया। जब राज्य सघष में घम व राज्य की प्रभुता सम्बन्धी दावा ने भी अपने सम्मिलित रूप में सम्प्रभुता का द्वैधाभास उपलब्ध कराया। इस सघष के निराकरण स्वरूप प्रकट राज्य-सत्ता के निर्णायक तथ्य ने सम्प्रभुता के आधुनिक भाव को जागृत किया जिसकी आधिकारिक अभिव्यक्ति बोदा, गाशियस, हास जैयम व आस्टिन की सम्प्रभुता विषयक कानूनी अवधारणाओं में हुई। रूसो, हेगल व बोसाके ने सम्प्रभुता विषयक दाशनिज अवधारणाएँ प्रस्तुत की। इस क्रम में रूसो ने जहाँ सामाज्य इच्छा के मद्दम में सम्प्रभुता को निरूपित किया वहीं हेगल ने उसकी दैनिक इच्छा के मद्दम में व्याख्या उपलब्ध कराई। सम्प्रभुता का लाकनात्रिकीकरण राष्ट्रवाद व उत्तर प्रायोगिक क्रांति के यूरोपीय समाज के मद्दम में हुआ। लोकतांत्रिक भाव की अभिव्यक्ति सहमति के आधार पर शासन के रूप में 'नाम के विचारों से हुई जगति प्रायोगिक क्रांति के उपरान्त आर्थिक सामाजिक व्यवस्थापन से सम्बन्धित राज्य-उत्तरदायित्वाने राज्य के प्रभुता सम्बन्धी अधिकार-क्षेत्र में उल्लेखनीय अभिवृद्धि की। सम्प्रभुता की आस्टिनवादी शक्ति केन्द्रित व अखण्ड कानून विषयक सम्प्रभुता धारणा की अनुक्रियास्वरूप बहुलवादियों ने

सम्प्रभुता को कानूनतर (non legal) भाव उपलब्ध कराया और उसका व्यवहारवादी-मयाधपरक परिवर्तन निमित्त किया।

सम्प्रभुता के विविध प्रकार

सम्प्रभुता के विविध प्रकारों को प्रमुख रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

- (i) कानूनी व राजनीतिक सम्प्रभुता
- (ii) लोकप्रिय सम्प्रभुता अथवा लोक प्रभुता
- (iii) विधित व वस्तुत सम्प्रभुता (Dejure and Defacto Sovereignty)

कानूनी व राजनीतिक सम्प्रभुता

कानूनी सम्प्रभुता औपचारिक कानून समर्पित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सम्प्रभु के औपचारिक रूप से सर्वोच्च अधिकारों एवं शक्तियों को निरूपित किया जाता है। कानूनी सम्प्रभु सर्वोच्च शक्ति के रूप में सम्पूर्ण समाज को आदेश देता है और समाज उनको अनिवार्यतः अनुपालना करता है। अर्थात् की स्थिति में सम्प्रभु दण्ड व्यवस्था का भी इच्छानुसार प्रयोग कर सकता है। कानूनी सम्प्रभुता कानून प्रवर्तित भाव को ही तरजीह देती है वह कानूनतर 'याप्त नैतिक-मूल्यात्मक' सन्दर्भों पर विचार नहीं करती। 'यायपालिका स्वयं कानून सम्मत सम्प्रभुता भावा पर चल देती है। इसके विपरीत, राजनीतिक सम्प्रभुता राजनीतिक यथाय को चरिताय करते हुए राजनीतिक सत्ता का तथ्य स्वीकार करती है और उसके सन्दर्भ में सम्प्रभुता भाव प्रतिष्ठित करती है। राजनीतिक सम्प्रभुता विशेषतः लोकतांत्रिक सन्दर्भ में जनता में निहित होती है और जो इच्छा अपने वास्तविक सन्दर्भ में सम्प्रभुता का लोक भाव प्रकट कराती है। कानूनी सम्प्रभुता व राजनीतिक सम्प्रभुता में इस दृष्टि से उद्देश्यपरक सम्बन्ध व्याप्त रहता है। विशेषतः प्रतिनिधि लोकतंत्र की आधुनिक व्यवस्था में कानूनी सम्प्रभुता व्यवस्थापिका व राजनीतिक सम्प्रभुता निर्वाचिका में निहित होती है। इस व्यवस्था में कानूनी सम्प्रभुता का सत्यात्मक सन्दर्भ राजनीतिक सम्प्रभु-इच्छा को चरिताय करने का एक उपकरण मात्र होता है। अतः उपकरण का उद्देश्यपरकता की दृष्टि से व्यापकतर वास्तविकता (राजनीतिक सम्प्रभुता) से अभिप्रेरित होना ही पड़ता है। प्रभावी लोकमत व लोकप्रतिराय की सतत आशका कानूनी सम्प्रभुता का राजनीतिक सम्प्रभुता की वास्तविकता से समन्वय स्थापित करने के लिए बाध्य करती है अथवा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है।

लोकप्रिय सम्प्रभुता अथवा लोक-प्रभुता

लोकप्रिय सम्प्रभुता लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का आधार है। ऐसी व्यवस्थाओं में सम्प्रभुता जनता में निहित होती है। इसका उदाहरण स्वयं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है जहाँ यह लिखा हुआ है कि 'हम, भारत की जनता अपने आप को यह संविधान प्रदान करते हैं।' लोकप्रिय सम्प्रभुता का वैचारिक दार्शनिक आधार अनेक राजनीतिक विचारकों ने कृतिस्व से मिला है। नार ने 'महमति के आधार पर शासन' की आधारशिला रखत हुए सीमित सामाजिक समझौते के द्वारा निरंकुश तंत्र की स्थापना न करके सांविधानिक शासन की स्थापना का मन्तव्य प्रकट किया और इस दृष्टि से समुदाय की प्रभुता की व्याख्या की। रूस ने सावजनिक कल्याण की दृष्टि से अंगीकार की गई सामाजिक इच्छा को सम्प्रभुता प्रदान करके सामुदायिक पहल का दृष्टान्त प्रतिपादित किया। जेफरसन ने लोक प्रभुता के मन्त्रम जनता को 'प्रतिरोध का अधिकार' प्रदान किए जाने का आग्रह किया। इन समस्त विचारों व दार्शनिक व्याख्याओं में लोकतांत्रिक राज्य व सत्तम में महत्त्वपूर्ण पाठ्य भूमिका निभाई है। लोकप्रिय सम्प्रभुता का भाव भी इन्हीं वैचारिक व्याख्याओं के सत्तम में कानूनी यथाय के पर जकार वास्तविक यथाय के अंगीकार करता है और जनता को प्रभावी रूप में प्रभुताशील बनाता है। इस सत्तम में सीमित रूप से जनता निर्वाचक के रूप से चुनावों द्वारा अपनी सम्प्रभुता का प्रकट अभिव्यक्ति देती है जबकि व्यापक रूप से वह अपनी सम्प्रभुता के सत्तम में अनवरत लाक्षणिकता की रचना करती है और उस जन इच्छा के रूप में प्रतिष्ठित करके उसके सत्तम में कानूनी सम्प्रभुता के निर्बन्धन की स्थितियों मुलभ कराती है।

विधित व वस्तुत सम्प्रभुता

विधित (De Jure) सम्प्रभुता किसी भी देश की औपचारिक कानूनी सम्प्रभुता शक्ति होती है जिसका स्तर देश के कानून द्वारा है। यह सम्प्रभुता संविधान द्वारा अपनी सर्वोच्च कानूनी शक्ति द्वारा सम्प्रभुता का आदेश देने व उक्त आदेश के जनता द्वारा मान्यता की व्यवस्था करती है। कानूनी मान्यता के अनुसार विधित सम्प्रभुता बनती है और उसका कोई सांविधानिक स्थापना नहीं होता। इसका वास्तविक विधिगत सम्प्रभुता (De Facto sovereignty) का भाव है। सत्तम है जो विधिगत सांविधानिक मान्यता व देश के अपने अधिकारों का जनता के वस्तुतम से मान्यता करती है व उसका मान्यता एवं विधिगत मान्यता प्रभाव-श्रेय प्राप्त है। ऐसी सम्प्रभुता जायदादिक रूप में विद्यमान होने हुए उक्त सत्तम में वस्तुतम जाता के प्रति अपनी प्रभावी शक्ति का परिचय दे और जा उक्त सत्तम में प्रकट हो हो सम्प्रभुता बनाती है। भारत व ब्रिटिश

औपनिवेशिक शासन-काल में विश्वपत महात्मा गांधी का राष्ट्रीय नतत्व वस्तुतः सम्प्रभुता चरिताथ करता था। गांधी जी की अपील पर देशव्यापी असहयोग आन्दोलन व भारत छोड़ो आन्दोलन होते थे जो अपनी प्रकृति में पूर्णतः लोकप्रिय थे। इसी प्रकार उनकी एक अपील पर विदेशी वस्त्रों व साजों सामान का बहिष्कार हो जाता था, देश में सत्याग्रही जैन भर देते थे और जेल के आदर व ग्राह्य गांधीजी का अनुशासन प्रभावी रूप से लागू होता था। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति-संग्राम के आरम्भिक काल से ही श्रेष्ठ मुजीबुररहमान अपनी नजरबंदी के बावजूद वस्तुतः सम्प्रभुता की समस्त शक्तें पूरी करत थे और बांग्लादेश की निवासित सरकार की आज्ञाएँ पूरे क्षेत्र में माय थी। इसी आधार पर भारत में व अत्यन्त बांग्लादेश के नए राज्य को राजनयिक मायता देने की माग की जाती थी। गिलक्राइस्ट ने अपने कृतित्व में विधित व वस्तुतः सम्प्रभुता के एक साथ किसी दश में विद्यमान हान की सम्भावनाओं को स्वीकार किया है।¹ वस्तुतः सम्प्रभुता की एक पयवक्षणीय स्तर पर उपस्थिति व लम्बे समय तक उसका प्रवर्तित सत्ता भाव उसे विधित सम्प्रभुता के रूप में मायता दिला देता है।

जान आस्टिन समत अनेक विधिशास्त्रि ने विधित व वस्तुतः सम्प्रभुता के इस वर्गीकरण की प्रवृत्ति की आलोचना की है। इन लोगों की यह मायता है कि सम्प्रभुता मूलतः एक कानूनी सत्य है और जो कानूनी तथ्य स समर्थित व उस पर आधारित न हो व सम्प्रभुता का तत्सम नहीं हो सकता। अतः वस्तुतः सम्प्रभुता केवल एक कानूनी कल्पना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। सम्प्रभुता वह है जो स्वीकृत कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से पावनता प्राप्त करती है।

जॉन आस्टिन का एकात्मक सम्प्रभुता सिद्धान्त

जान आस्टिन एक अग्रज विधिशास्त्री था जिसने 19वीं शताब्दी में सम्प्रभुता के शास्त्रीय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और सम्प्रभुता का कानूनी एकात्मक सिद्धान्त सुनभ कराया। इस दृष्टि में उसकी कृति 'द प्रिन्सिपल ऑफ जूरिसप्रूडेन्स डिस्टिन्ग्विशेड उल्लेखनीय है। आस्टिन ने अपने कृतित्व में हास व वैधम की सम्प्रभुता अवधारणाओं का प्रभाव परिलक्षित कराया यद्यपि उसमें अपने विषयों के प्रति सम्प्रभुता का नैतिक दायित्व भाव भी विद्यमान है।

आस्टिन का सम्प्रभुता सिद्धान्त इस प्रकार है—

‘यदि एक निर्धारित मानव उच्चाधिकारी किसी ममान रूपी उच्चाधिकारी की आज्ञापालन का अभ्यस्त न हो (और वह) एक न्य समाज के अधिकांश स स्वभावगत आज्ञापालन प्राप्त करना हो तो वह निर्धारित उच्चाधिकारी उम समाज में सम्प्रभु (हाता) है और (अथ समेत) वह समाज एक राजनीतिक व स्वतः समाज (हाता) है।’

ऑस्टिन के अनुसार सम्प्रभुता मुक्त समाज में सभी सदस्य सम्प्रभु का विषय होते हैं और उस पर आश्रित होते हैं। ऐसे समाज में कानून वस्तुतः "उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थ को दिया गया आदेश" है।

ऑस्टिन के एकात्मक सम्प्रभुता सिद्धांत के प्रमुखतः निम्नलिखित निहितार्थ हैं—

- 1 प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज में कोई एक अथवा कुछ व्यक्ति या उनकी कोई परिपक्व सम्प्रभु शक्ति का प्रयोग करती है और यह उस समाज की स्वतंत्रता का एक अपरिहाय लक्षण है,
- 2 सम्प्रभु एक निर्धारित व्यक्ति या उससे सम्बंधित कोई विशिष्ट परिपक्व होनी है। प्राच्युनिक काल में किसी एक व्यक्ति के मद्देन में ही सम्प्रभुता की कल्पना करना प्रायः असम्भव है लेकिन फिर भी यह तथ्य सामान्यतः वैध है कि एक व्यक्ति न होते हुए भी सम्प्रभु की 'शक्तियत' ऐसी हानी चाहिए जो सहज निर्धारणीय हो।⁹ सम्प्रभु की यह शक्तियत वस्तुतः मानव कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। इस दृष्टि से मानवोत्तर (non human) कानूनी कल्पना अनुपयोगी है,
- 3 निर्धारित मानव उच्चाधिकारी के रूप में सम्प्रभु को किसी अर्थ का हुकम बजावाने की आदत नहीं हानी चाहिए अर्थात्, उस स्वयं अर्थ लोगों से अपने हुकम की तामील करवानी चाहिए,
- 4 जनता द्वारा सम्प्रभु का स्वभावगत आज्ञापालन प्रदान करना चाहिए न कि केवल प्रासंगिक अथवा मायोगिक। स्वभावगत आज्ञापालन के रूप में जनता द्वारा राज्य आदेशों का पालन सतत, नियमित, अबाधित व अविरल होना चाहिए
- 5 राज्य सम्प्रभुता के मद्देन में सम्प्रभु के आदेश ही कानून का सार होते हैं। उसकी अनुपालना अनिवार्य है। राज्य आज्ञा (कानूनों) की अवनति की स्थिति में सम्प्रभु दोषी व्यक्ति का दण्डित पर सक्त है तथा
- 6 अपने वस्तुक्रम में यह सम्प्रभुता अर्थात् अनर्थ व अविभाज्य है। इसके प्रवर्तन की दृष्टि से यह सावर्क्षिक है।

ऑस्टिन के सम्प्रभुता सिद्धांत की आलोचना

ऑस्टिन के एकात्मक सम्प्रभुता सिद्धांत की अनेक कारणों से आलोचना की गई है। इनमें से प्रमुख आलोचनाएँ व उनका तार्किक आधार इस प्रकार हैं—

- 1 सर्वप्रथम तो यह कहा जाता है कि ऑस्टिन का सम्प्रभुता सिद्धांत

पास प्रयाएँ निमित्त करन की कम शक्ति है और सम्भवत उह नष्ट करने की तो और भी कम यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से वह, प्रयाओं की निर्माणशील अवस्थाओं का बदल कर, उन्हें (निश्चित रूप से) प्रभावित करता है ' १

- 4 कानून की समाजशास्त्रीय धारणा भी उसे केवल सम्प्रभु के आदेशात्मक रूप में स्वीकार करन की पक्षधर नहीं है। उसकी मायता में कानून इसलिए बाध्यकारी नहीं है क्योंकि, उसे राज्य बनाता है बल्कि, वह इसलिए अपरिहाय है क्योंकि उससे सामाजिक एकात्मकता की प्राप्ति में महायता मिलती है,
- 5 बहुलवादियों ने राज्य का अविभाज्य सम्प्रभुता के सद्भ में प्रतिष्ठित किए जाने के प्रयासों का विरोध किया है। उनकी दृष्टि में राज्य अनेक सामाजिक परिपदा की भाँति ही एक सामाजिक परिपद है और इस कारण केवल उसको ही वितक्षण सम्प्रभुता से युक्त करना अथवा सामाजिक परिपदों को उनकी प्रभावी क्रियाशीलता में बचिा करना होगा। राज्य सम्प्रभुता राज्य समेत समस्त परिपदों (सामाजिक) में प्रसारित होनी चाहिए। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये परिपद अपने विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी उद्देश्यात्मक दृष्टि उतने ही विशिष्ट सम्प्रभु है जितना कि अपने सद्भ में स्वयं राज्य। अत बहुलवादी धारणा के अनुसार सम्प्रभुता एकात्मक व पूण नहीं है बल्कि प्रसारित है और उसका प्रसार राज्य के अंदर व बाहर सबत्र व्याप्त है, तथा
- 6 बाह्य सद्भ में अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय सम्प्रभुता को उल्लेखनीय रूप से मर्यादित व निर्देशित करता है। अंतर्राष्ट्रीयता का भाव व इसके सद्भ में क्रियाशील विविध अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय सद्भ में एकात्मक सम्प्रभुता पर प्रभावी अकुश लगाते हैं।

बहुलवाद

एकात्मक सिद्धांत जहाँ सम्प्रभुता का सर्वोच्च असीमित, पूण, अनय अदेय आदि मानता है वहीं बहुलवादी सिद्धांत की यह मायता है कि सम्प्रभुता अपनी मूल प्रकृति में अनेकात्मक, साविधानिक तथा उत्तरदायी है। बहुलवादियों की यह धारणा है कि राज्य अनेक सामाजिक परिपदों में स एक है और इस क्रम में वह अनेक परिपदों से उच्चतर अथवा अधिक महत्त्वपूण नहीं बल्कि, उनके बराबर महत्त्व का ही चरिताय करता है। राज्य जिस प्रकार व्यक्ति की राजनीतिक

भावश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसी प्रकार अन्य सामाजिक परिपक्वें व्यक्ति का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, कलात्मक, मनोरंजक आदि आवश्यकताओं समाहित करती हैं। इन समस्त वस्तुओं व अभिवृत्तियों का समान अंगीकार करके ही व्यक्ति व समाज समग्रता प्राप्त करता है। राज्य महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हम सत्य के सम्बन्ध में साधनात्मक भूमिका निभाता है लेकिन वह यह वाय 'प्रारम्भिक इंटरपेक्ष' (समानों में प्रथम) रूप में करता है अन्य परिपक्वों पर आधिपत्य स्थापित करके नहीं। बहुतबोद के मूलभाव की सर्वाधिक उपयुक्त अभिवृत्ति गठित व इस बचन में हुई है।

यह वादी यह नहीं मानते कि राज्य एक विनियोग संगठन है। उनको यह पारलाने है कि अन्य सामाजिक परिपक्वों भी संगठन रूप में महत्वपूर्ण व प्रवृत्तियाँ हैं, उनका यह मत है कि धर्म उद्देश्य की दृष्टि से व परिपक्वें उतनी ही सम्पन्न हैं जितना धर्म उद्देश्य की दृष्टि से स्वयं राज्य। व इस बात पर खत दा है कि व्यवहार में राज्य धर्म भीतर व हा कुछ सम्पन्न व विरोध की स्थिति में उन पर धर्मोत्पत्ति प्रवृत्ति करे व धर्ममय होगा है। व हम सत्य का भी मानते करते हैं कि राज्य द्वारा अधिपत्तीय वन उभे काई उपान्त अधिपत्त प्रवृत्त करती है। उदाहरण निम्नलिखित आकर है कि धर्म सम्पन्नो द्वारा विनियोग संगठन सम्पन्न व समान अधिपत्त है और वे समाज में संगठन रूप में वृद्धि व विनियोग में विद्यमान है। यह एक अधिपत्त प्रवृत्त करती है। राज्य महत्वपूर्ण वन वन वन है।

कायसम्पादन में पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए और राज्य का सम्प्रभुता पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए।

अपने नकारात्मक सम्बंध में बहुलवाद में एकात्मक सम्प्रभुता के पक्षधर ऑस्टिन व अन्य विचारकों/विधिशास्त्रियों की स्थापनाओं का खण्डन किया है और विषय से सम्बंधित अध्येताओं को पाठकों में उन पर ध्यान न देने और उनका परित्याग करने की अपील की है। एकात्मक सम्प्रभुता की सर्वाधिक प्रभावशाली नकारात्मक व्याख्या हेराल्ड लास्की द्वारा की गई है। उसकी यह धारणा है कि राजनीतिक दशन के क्षेत्र में सम्प्रभुता के एकात्मक सिद्धांत की वैधता निर्मित करना असम्भव है। राजनीति विज्ञान का निरस्यामी लाभ प्रदान करने के लिए सम्प्रभुता का इस (एकात्मक) अवधारणा का परित्याग कर देना चाहिए। लास्की के इस मत से सहमति व्यक्त करते हुए फ्रैंक का भी यह प्रस्ताव है कि सम्प्रभुता के इस विचार को राजनीतिक सिद्धांत से अनिवायत बाहर निकाल देना चाहिए।

बहुलवाद का आकलन

सम्प्रभुता से सम्बंधित बहुलवादी आग्रह वास्तव में आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के तक सार का प्रतिबिम्बित करता है। बहुलवादियों की दृष्टि में राज्य की एकात्मक सम्प्रभुता शक्ति व सत्ता के केन्द्रीकरण का प्रकट करती है जो कि प्रशासनिक कामक्षमता का विरोधी है। इसके अतिरिक्त, एकात्मक सम्प्रभुता से उत्पन्न सामाजिक संगठन भी नैतिक अपर्याप्तता का परिचय देते हुए व्यक्ति को स्वयं व्यक्ति की समस्याओं से साक्षात्कार कराने व उनका निराकरण करने का अवसर नहीं देता। विकल्पस्वरूप बहुलवादी लोकतांत्रिक परिवेश में सांविधानिक व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति व सत्ता के अनेक व्यवहार्य स्तरों की कल्पना करते हैं और तत्परिणामी क्रियात्मक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से एक नए राज्य विषयक वातावरण का सूत्रपात करते हैं—एक ऐसा वातावरण जो समानता का मूल्य प्रतिष्ठित करते हुए व्यक्ति को व्यक्तिपरक सस्याग्रा से जाड़े और इस संयोजन से प्रशासनिक क्षमता व सरकारी विश्वसनीयता में अभिवृद्धि करे। सधवाद की लोकतांत्रिक वास्तविकता बहुलवादी सम्प्रभुता धारणा का वैधीकरण है जिसके अन्तर्गत सम्प्रभुता व प्रशासकीय उन्मुक्ति (स्वतंत्रता) का विविध स्तरीय प्रतिमान प्रस्तुत होना है।

मिस फालेट ने अपनी पुस्तक 'दि यू स्टेट' में बहुलवाद की निम्न योग्यताएँ प्रकट की हैं—

1. बहुलवादियों ने "वर्तमान राज्य के सर्वोच्चता अधिकार सम्बंधी बुलबुले को तोड़ा है। उनकी दृष्टि में मध्यकाल से ही क्रमशः

- निर्मित राज्य ने अपने भ्रामक आभासों व अपरिणामी गवाक माथ हमार आदर व सम्मान नही अर्जित किया है'
- 2 "व समूह के मूल्य का मायता देते हैं और यह देखत भारत है कि सामूहिक जीवन की एक विशिष्ट महत्ता है जिस राजनीतिक जीवन में तत्काल अतन्त्र्य करना चाहिए,"
 - 3 "व स्थानीय जीवन के पुनर्जागरण का आग्रह करत है।' इस प्रकार उनका उद्देश्य विवेक दत्त महत्ता की प्राप्ति है आर इस दृष्टि से वे स्थानिक इकाईओं की शिक्षा व संगठन से सम्बन्धित पक्षा पर पर्याप्त बल दत है,
 - 4 "बहुलवादियों की धारणा में राज्य का हित अब सर्वत्र अपन अशा (भागा) के हितों के समान नहीं होता'
 - 5 बहुलवाद 'भीड़ के लोप की शुद्धान्त' तथा
 - 6 बहुलवाद में भविष्य का व्याख्यायित करने की सामय जुग हुई है क्योंकि उसने सघवाद व परिपदों की अस्तित्व सम्बन्धी समस्या के प्रति तीक्ष्णतर अत दृष्टि सयाजित की है।

इन समस्त गुणों व योग्यताओं के बावजूद बहुलवाद की कुछ ऐसी अतर्निहित अपर्याप्तताएँ हैं जिनका उल्लेख आवश्यक है—

- 1 बहुलवादियों की सैद्धांतिक योजना व व्यावहारिक प्रस्तावनाओं में विरोधाभास प्रकट होता है। वे वैचारिक-सैद्धांतिक सत्त्व में तो परिसीमित राज्य क्रियाओं व शक्तियों पर बल देते हैं जबकि व्यावहारिक रूप में सत्त्वात्मक योजना के क्रिया-व्ययन में व राज्य को प्रभुतावादी शक्तियों सोपते हैं। उदाहरण के लिए— यों विभिन्न सामाजिक परिपदों की अबाधित स्वायत्तता का ता आग्रह करता है लेकिन सामाय दृष्टि व मामला में वह राज्य की सम्प्रभु शक्ति का विचार प्रकटत ग्रहण करता है
- 2 फोकर के अनुसार बहुलवादी य नहीं निर्धारित कर सथ कि व सत्त्वात्मक सम्प्रभुतावादियों के किस विशिष्ट तत्त्व का अग्रण करें। इसके अभाव में उनका विराय अति-सामाय व प्रमाग्नि रहा है जिसका कोई विशिष्ट 'केन्द्र बिन्दु' प्रकट नहीं जाता
- 3 बहुलवादियों ने अस्तित्ववादी सम्प्रभुता की आनाचना करत समय वस्तुतः उनमें व्याप्त कानून के रूप व सार में भ्रम का आभास दिया है क्योंकि अस्तित्व कानून के प्रकट रूप की व्याख्या पर ध्यान केन्द्रित करते हुए राज्य की सर्वोपरिता का तथ्य प्रकाशित करना

- है जबकि बहुलवादी इस तथ्य से जूझे बिना केवल कानून के सान्मन्वधी तथ्यात्मकता के जाल में ही उलझ कर रह जाते हैं,
- 4 समसामयिक राज्य प्रभुता की वास्तविकता बहुलवादियों के बहुतावरक भावा पर प्रश्नचिह्न अंकित करती है। आज लोक-तांत्रिक अधिनायकवादी व समाजवादी, सभी प्रकार के राज्य दुदमनीय राज्य नियन्त्रण प्रकट करते हैं। राज्य नियोजित अथ-व्यवस्था का समाजवादी प्रतिमान, लोक वर्याण से प्रेरित विविध राज्य गतिविधिया व राज्य अकुश की लोकतांत्रिक राज्य सरचना व व्यक्तिगत मभूहगत शक्ति लाभ से युक्त अधिनायकवादी राज्य प्रतिमान सभी शक्ति व सत्ता के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति के परिचायक हैं भले ही यह केन्द्रीकरण कानूनी न होकर राजनीतिक ही क्या न हो, तथा
 - 5 स्वयं लास्की यह महसूस करता है कि वग द्वेष व विषमता की समाप्ति से पूर्व राज्य-सम्प्रभुता की अनुपस्थिति की कल्पना असंगत है। सामाजिक सुधार व सामाजिक वक्तिया में मूलभूत परिवर्तन न होने तक प्रभावी राज्य नियन्त्रण व नियमन आवश्यक है।¹¹

सार रूप में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक जटिलताओं व निराकरण व सामाजिक समन्वय से सम्बन्धित आवश्यक कार्य सम्पादन के लिए राज्य की प्रभुतावादी भूमिका अपरिहाय है। प्रकारांतर से स्वयं बहुलवादी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं लेकिन प्रत्यक्षत वे कानूनी तथ्यात्मकता से एकाकार न होकर केवल उसकी विविधरूपता को प्रकट करते हुए उससे सम्बन्धित किसी एक कानूनी नुस्खे के प्रतिपादन का ही विरोध कर पाते हैं। उनके प्रयास, कुल मिलाकर, कानूनी सम्प्रभु के 'लोकतांत्रिकरण' के हैं जो एक महत्त्वपूर्ण बौद्धिक-वैचारिक प्रयास है यद्यपि उनके पास एकात्मक सम्प्रभुतावादियों की भाँति कोई सज्जतिशील विचार-योजना नहीं है (स्फुट विचार सत्य अवश्य हैं)। बहुलवादियों का राजनीतिशास्त्र में उल्लेखनीय योगदान यह है कि उन्होंने कानूनतर शक्ति की कल्पना की और उस शक्ति के 'साधनात्मक स्वरूप पर बल दिया। इसी से राजनीतिक सत्ता और औचित्य का परवर्ती भाव उदित व विकसित हाता है।

शक्ति, सत्ता व औचित्य का सम्बन्धात्मक सन्दर्भ

बहुलवादीयों के बौद्धिक-वैचारिक प्रयासों के फलस्वरूप शक्ति का कानूनी विचार राजनीतिक वास्तविकता के रूप में परिणित हुआ। इस रूपान्तर का प्रमुख सार यह है कि आज कानूनी सम्प्रभुता वस्तुतः राजनीतिक सम्प्रभुता से संचालित

हानी है और राजनीतिक सम्प्रभुता स्यन निर्धारित नहीं होनी बल्कि वह प्रक्रिया-मय सद्भम म औपचारिक राजनीतिक त्रिप्रायत्नापा द्वारा निर्धारित की जाती है। यह प्रक्रिया बारम्बार दाहराई जाती है और राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस पर आश्रित होता है। ऐसी स्थिति में शक्ति को स्वतंत्र घटक मानना, उसके क्रम का जड़त्व स्वीकार करना तथा राजनीतिक व्यवस्था को इनके क्रम से मंचालित होते देवना सवया दोषपूर्ण है। आवश्यकता इस बात की है कि शक्ति के अप्रकट रूप व तथ्य-भार को ग्रहण किया जाए और उसके व्यवस्था के सद्भम में तार्किक रूपांतरण सहज स्वीकार किया जाए।

यहाँ यह तर्क विवसित किया जा रहा है कि राजनीतिक शक्ति सत्ता व औचित्य के विचार परस्पर जुड़े हुए हैं और उनमें घनिष्ट कायकारी सम्बन्ध व्याप्त है। एव दूसरे के पूरक रूप में एव-दूसरे के साथ फलते फूलते हैं और उनकी उत्पादकता वस्तुतः राजनीतिक व्यवस्था की सक्षमता का ही परिचय देती है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में ये सम्बन्ध सदैव व्याप्त होने के बावजूद वे अपने क्रम में निश्चित रूप से घटते-बढ़ते रहते हैं और उनके घटने-बढ़ने का यह क्रम ही किसी भी व्यवस्था की ताकत व कमजोरी को प्रदर्शित करता है। 1971 के चुनावों में प्रबल औचित्य प्राप्त श्रीमती गांधी अपने कार्यकाल के पाँच साल के भीतर ही औचित्य का सक्क भेजते हुए और व्यवस्था को अचानक के उपक्रम में स्वयं व्यवस्था को लौघने की सकल्पित चेष्टा कर सकती हैं और ऐसा करते हुए लाकृत्य को स्थगित करने के लिए अपने आप को विवश पा सकती हैं। बागला देश के जनक शेल मुजीव 'बग मधु' का औचित्यपूर्ण दर्जा भी पा सकते हैं और कुछ ही वर्षों के अंतराल में ही बागला देश के हित न ससाधित कर पाने के आरोप में माली का शिकार भी हो सकते हैं। ये उदाहरण शक्ति, सत्ता व औचित्य के सतत परिवर्तनशील सम्बन्धों को उजागर करते हैं।

इन तीनों विचारों में सम्बन्धों के निरूपण से पूर्व इनकी परिभाषिक व्याख्या आवश्यक है। राजनीतिक शक्ति की परिभाषा देते हुए काल प्राइडरिक्स की यह मायता है कि—

शक्ति को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से अनुयायित्व (Fellowship) के रूप में वर्णित करते हुए यह कहा जा सकता है कि किसी के पास अथवा अथवा (किसी दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के सद्भम में राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो सकती है यदि वे लोग उसकी (शक्तिशाली) प्राथमिकताओं का अनुसरण करते देखे जाएँ और वह करें जो कि वह शक्तिशाली उनसे करवाना पसन्द करे न कि वह जो वे स्वयं अपने आप करने की इच्छा करें।²

इस परिभाषा के सद्बोध में यह सामान्य धारणा निर्मित करना सगत होगा कि शक्ति शक्तिशाली द्वारा (अथवा नेता द्वारा) अपने अनुयायियों से अपनी इच्छा के अनुरूप नाय करवान की क्षमता है। यह क्षमता अपने आप में साध्य नहीं बल्कि, साधन है। एक नेता व शासक के शासन में अन्तर्गत यही होता है कि नेता को शक्ति की शासनपरकता को ध्यान में रखकर जनता से सम्पर्क करना होता है और इस सम्पर्क क्रम में उसका नतत्व जन सहमति अथवा असहमति के सद्बोध में बढ़ता-घटता रहता है। इसमें विपरीत, शासक शक्ति के तथ्यात्मक भाव से प्रेरित होकर शासन करता है उसे नेता की भाँति अपना शक्ति आधार हर रोज बनाने सँवारने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं हासने शक्ति की साधनात्मकता (Instrumentality) का स्वीकार करते हुए शक्ति की यह परिभाषा दी है कि "शक्ति भविष्य सम्पत्ति किसी आभासित लक्ष्य की उपलब्धि का एक वर्तमानकालिक साधन है।" साधन के रूप में प्रयुक्त शक्ति अपने आप को बढ़ाने की कल्पना नहीं करती बल्कि, बहुमुखी विकास, प्रगति व स्थिरता लाने की चेष्टा करती है। यदि यह चरिताथ होता है तो इसके परिणाम स्वरूप शक्ति स्वयं सवद्धित हो जाती है। अपने साधनात्मक सद्बोध में शक्ति सवद्ध न भौतिक बल प्रयोग की अपेक्षा कुशल मानसिक आकषण पर अधिक निर्भर करता है। स्वैच्छिक सहमति का लोक विषयक भाव शक्ति को प्रभावशाली बनाता है।

"सत्ता शक्ति का कोई प्रकार नहीं है बल्कि, यह वह कुछ है जो शक्ति का सहगाभी है। यह यक्तियों व तत्त्वा में वह गुण है जो उनकी शक्ति बढ़ाता है—वह कुछ जो शक्ति का निर्माण तो करता है पर स्वयं शक्ति नहीं होता।" ¹³

राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशालियों की सत्ता उस स्थिति में व्याप्त होती है जब उनके गुण विश्वसनीयता प्राप्त करते हैं। यह विश्वसनीयता उनकी व्यक्तित्वगत सरलता, व्यवसायगत सक्षमता व समाजगत निष्पक्षता पर आश्रित होती है। इन गुणों से यह लोकभाव प्रकट होता है कि अमुक शक्ति प्राप्त व्यक्ति उसकी अपनी विश्वासनीयता के कारण हमारे काम आएगा, हमारी समस्याएँ सुलभ आएगा और हम उसके नेतृत्व में सदैव आगे ही बढ़ते जाएँगे, वही अटकेंगे नहीं। यह वह स्थिति है जो शक्ति के वास्तविक प्रयोग को औचित्य प्रदान करती है। रॉबर्ट डहल शक्ति के इसी औचित्यपूर्ण प्रयोग का सत्ता की सज्ञा देता है ¹⁴ (Power legitimized is Authority)।

अब प्रश्न यह उठता है कि औचित्य क्या है? औचित्य यह नैतिक बोध है जिसके द्वारा किसी देश की जनता स्वेच्छा से अपना दायित्व क्षेत्र स्वीकार करती है, इस भाव के साथ कि "क्योंकि हमारे नेता हमारे हैं, हम उनको हमारा मानते

हैं, हमारा शासन हमारा है क्योंकि हम उसे हमारा मानते हैं इसलिए हम हमारा शासक व हमारे शासन के आदेशों निर्देशों का पालन करना चाहिए।”

शक्ति, सत्ता व औचित्य का यह सम्बन्धात्मक सद्बन्ध समय रूप से यह निष्कर्ष प्रदान करता है कि औचित्य एक व्यापक आवरण के रूप में राजनीतिक शक्ति को प्रभावशाली बनाते हुए उसे सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित करता है। इस दृष्टि से औचित्य शक्ति व सत्ता के मध्य एक सेतु निर्माण करता है। अनुयायित्व के रूप में शक्ति तभी स्थायित्व पाती है जब वह लोक धर्मों चेतना का सहज प्रभावित करती है। यह प्रभाव अनुयायित्व को नैतिक महत्व प्रदान करता है और इसकी नैतिकता के स्वच्छिन्न दायित्व बोध व मयादाओं को अनुभूति से सिंचित होकर लहलहाती है। जो व्यवस्थाएँ इस क्रम से परिचालित होती हैं वहाँ शासक व शासितों के मध्य अधिकाधिक तारतम्यता विद्यमान होती है साभेदारी (राजनीतिक) की कायकारी व्यवस्थाएँ निर्मित होती हैं और जनसमयन का व्यापक आधार व्यवस्था को सवग्राह्य व लोक अभिरुचिपूर्ण बनाना है। जहाँ यह नहीं होता वहाँ शासन की नैतिक स्वीकृति भंग हो जाती है, राजनीतिक अनास्था व अलगाव प्रभावी हो जाता है और व्यवस्था व व्यवस्था के विविध सघटक एक दूसरे से सर्वथा अपरिचित होकर जीवन-यापन करने लगते हैं। यह वह स्थिति है जो बड़े से बड़े 'निर्धारित मानव उच्चधिकारी' को रास नहीं आ सकती। अतः शक्ति, सत्ता व औचित्य का समन्वय (integral) निर्धारित करना अपरिहार्य है।

भारतीय दण्डनीति राज्य सम्प्रभुता का एक पश्चिमेत्तर परिप्रेक्ष्य

सम्प्रभुता सम्बन्धी हमारी यह चर्चा तब तक अपूर्ण रहेगी जब तक कि राज्य सम्प्रभुता के एक पश्चिमेत्तर परिप्रेक्ष्य के रूप में भारतीय दण्डनीति का उल्लेख न किया जाए। दण्डनीति सम्बन्धी चर्चा का समारम्भ इस परिचयात्मक कथन से किया जा सकता है कि दण्डनीति राज्य सम्प्रभुता की पश्चिमी धारणा का पर्याय नहीं है। वह ऐसा हा भी नहीं सकती क्योंकि पश्चिम व भारत की स्थितिजय भिन्नताएँ राज्य विषयक पृथक् पृथक् मुलभ कराती हैं। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि पश्चिम में राज्य-सम्प्रभुता जब राज्य सघप से उत्पन्न सामाजिक राजनीतिक तनावों का परिणाम थी। वहाँ राज्य प्रभुता जब प्रभुता का दमन करके प्रतिष्ठित हुई थी जबकि भारत में इस प्रकार की सघपकारी स्थितियों का सवया अभाव था। पश्चिम में सम्प्रभुता की कानूनी अवधारणा के माध्यम में 'राजनीति' उच्चतम निर्धारित करने की चेष्टा की गई थी और इस प्रयास के दौरान सर्वोच्च शक्ति के राज्येत्तर प्रतियागी दावों का निरस्त किया गया था जबकि भारत में प्रतियागी दावों के अनुपस्थित भाव न राजा को राज-काज में स्वन सर्वोच्चता द रनी थी और यह उच्चतम स्थिति निरुद्ध थी। अतः यहाँ सम्प्रभुता की पश्चिम-

परक विचारधारा विकसित करना अनावश्यक और अप्रामाणिक था। स्थितिजय विपमताओं की अभिव्यक्ति स हमारा अभिप्राय यह प्रस्तावित करना नहीं है कि भारत में सम्प्रभुता विद्यमान नहीं थी। वस्तुस्थिति तो यह है कि राज्यों के वास्तविक क्रियाकलापों में वह प्रकट परिपक्व होती थी और उमका यह यथायवादी अस्तित्व इतिहास समर्थित है। हमारा अभिप्राय सम्प्रभुता की विचारगत भिन्नता की ओर उचित करत हुए पश्चिमी व भारतीय सदर्थों की तुलनीयता प्रकट करना है। भारत में दण्डनीति एक बहत विचार के रूप में राज्य सम्प्रभुता का एक ऐसा परिप्रेषण प्रदान करती थी जो राज्य के कानूनी सत्य का ता उदघाटित करता ही था, इसके साथ साथ (वल्कि अधिक् महत्त्वपूर्ण रूप से) वह कानूनी सत्ता का कानून-त्तर वास्तविकताओं से सम्युक्त भी करता था। इस दृष्टि से दण्डनीति कानून प्रवतन और कानून औचित्य दाना अपन क्रम में निधारित करती थी और ऐसा करक वह राज्य गतिविधिया का विस्तार और उद्देश्यपरकता एक साथ उपनन्द्य कराती थी। यह स्वयं में एक विलक्षणता है जहा राज्य स्वाभाविकत शक्ति पाता है और इसी क्रम में उस साधनात्मकता दता है, पश्चिम की भाँति वह स्थितिजय प्रतिक्रियावादी निरकुश व सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार नहीं करता। पश्चिम के सत्प्रभ में सम्प्रभुता सम्प्रभुशासक को साध्य मानती थी जबकि भारत में शासक का शासन दण्डनीति से संचालित भी हाता था और स्वतः उसमें मर्षादित भी। स्वयं दण्डनीति राजधर्म से अनुप्राणित व अभिप्रेरित होती थी और इन सबके योग से पूण होता था—बहुत् धर्म में सरकारी कला, सरकारी कला से सरकारी कानून और व्यवस्थाओं का प्रवतन तथा उसकी अनुकृति और इनसे निर्मित सामाजिक सद्भाव व सद्भावकारी नियमन द्वारा बहुत् धर्म के प्रति आस्था और आदर की पुनराभि व्यक्ति।

भारतीय दण्डनीति की उत्पत्ति और विकास क्रम का लेकर विविध मायताएँ और सिद्धान्त क्रियाशील रहे हैं। इस दृष्टि से तीन विचार के द्र विशेष उल्लेखनीय हैं। पहले विचार के द्र का यह आग्रह है कि दण्डनीति का मूल उद्गम धर्मशास्त्र हैं। इसका भार-प्रवतन बिटरनिट्ज व पी० वी० काणे द्वारा किया गया।²⁵ बिटरनिट्ज की मायता का आधार यह है कि प्रारम्भ में अथशास्त्र में निहित दण्डनीति और धर्मशास्त्र एक साथ पढाय जाते थे और दोनों के प्रवतन मनीषी महाभारत व अन्य ऐतिहासिक साक्ष्या में एक ही रहे हैं। काणे का यह मत है कि राजधर्म धर्मशास्त्र का एक प्रमुख विषय है और राजधर्म का व्यावहारिक भाव अथशास्त्र व उसमें निहित दण्डनीति में प्रत्यक्षत विद्यमान है इमनिए वैचारिक कथात्मक सदभ में दोनों एक दूसरे से अत्यधिक समान हैं। दूसरे विचार के अनुमार दण्डनीति धर्मशास्त्र से सबथा पथक् एक स्वतंत्र विषय है जिम्का अपना एक निजी विकास क्रम है जो धर्मशास्त्र से मयथा स्वतंत्र है। इस

मत के प्रतिनिधि प्रतिपादक नरेन्द्र नाथ लॉय य रणस्वामी आयरनर हैं।¹⁶ इससे अनुसार जिस प्रकार धर्मशास्त्र का प्रपना एक विशिष्ट सूत्र काल रहा है उसी प्रकार अथशास्त्र विषयक 'वार्ता' और 'दण्डनीति' का भी प्रपना एक विशिष्ट सूत्र काल रहा है जो संभवतः धर्मशास्त्र के सूत्र काल का समानांतर है। इसके अतिरिक्त इस विचार केन्द्र का यह भी मत है कि दण्डनीति समेत अथशास्त्र के द्विविध प्रसंगात् अपने स्वतंत्र माहिल्यिक स्थात एव साक्ष्य ह जो उसे धर्मशास्त्र में पाठ्य प्रदान करते हैं। आयरनर ने इसी के आचार पर यह तर्क विकसित किया कि धर्मशास्त्र एक स्वतंत्र अनुशासनात्मक रूप में अथशास्त्र से प्राथमिक है जिसे याज्ञवल्क्य तथा कौटिल्य ने अपने अपने सन्दर्भ में सहज स्वीकार किया है। तीसरे विचार केन्द्र को प्रतिनिधित्व दते हुए ए० बी० कोथ¹⁷ की यह मायता है कि धर्मशास्त्र व दण्डनीति परस्पर विरोधी हैं। धर्मशास्त्र से सवथा पथक, अथशास्त्र व दण्डनीति विषयक विविध शास्त्र किही नैतिक आचार संहिताओं की स्थापना नहीं करते। वे केवल दैनिक जीवन से सम्बन्धित व्यावहारिक राजनीति के व्यवहार प्रमग ही निर्धारित करते हैं। इन विचार केन्द्रों के सार को ग्रहण करते हुए तथा उका सार्थक आकलन करते हुए भास्कर आनन्द सेलेटोर ने यह मत व्यक्त किया है कि दण्डनीति का धर्मशास्त्र से अधीनस्थ स्थान रहा है।¹⁸

इन समस्त मतभेदों व विचार वैविध्य के बावजूद दण्डनीति का महत्त्व सवमाय रहा है। महाभारत में शांतिपर्व के अंतगत एक रथल पर यह कहा गया है—

“जब दण्डनीति निर्जीव हो जाती है तो त्रि वेद निमग्न हो जाते हैं (डूब जाते हैं), समस्त धर्म पूणत नष्ट हो जाते हैं चाहे वे किन भी विकसित क्या न हों। जब पारम्परिक राजधर्म विचलित होता है तो आश्रमों के समस्त विभाजन जजर हो जाते हैं। राजधर्म में ही सभ्यता की समस्त विधाएँ उपलब्ध होती हैं राजधर्म में ही समस्त पान उदघाटित होता है। राजधर्म में ही समस्त लोक, केन्द्रित हैं।”¹⁹

इस उद्धरण की व्याख्या करते हुए विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने यह मत प्रतिपादित किया है कि इसमें राजधर्म व दण्डनीति का विनिमय (inter-changeable) प्रयोग हुआ है। उनके अनुसार दण्डनीति एक समन्वित विचार है जिस पर समस्त सामाजिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक माध्य आश्रित हैं। इस दृष्टि से दण्डनीति केवल सरकारी काय सम्पादन अथवा दण्डशास्त्र की भौतिक अर्थ में व्याख्या ही नहीं करती बल्कि वह सामाजिक राजनीतिक अस्तित्व के समस्त सिद्धांतों का नियमन भी करती है।²⁰

दण्डनीति की विशिष्टताएँ

दण्डनीति के उपरोक्त भाव के आधार पर उसके निम्नलिखित लक्षण प्रकट किये जा सकते हैं—

- 1 दण्डनीति राज्य द्वारा सामाजिक स दम में अनुशासन-पवतन का एक प्रवट भाव है,
- 2 यह अनुशासन राज्य की व्यवस्थाकारी कायविधिया (वानून) व एजेसियो जैसे प्रशासनतंत्र व सेना द्वारा प्रवर्तित किया जाता ह,
- 3 दण्डनीति की ये व्यवस्थाकारी कायविधिया एव एजेसिया राजा द्वारा समचित व ससाधित की जाती है। राजा ही वानून निरूपित करता ह और वही उसे अपन प्रशासनिक नेतृत्व में अपनी अधीनस्थ इकाईया द्वारा क्रियाचित करवाता है,
- 4 प्रशासनिक व्यवस्थाओं के नियमन स्वरूप स्वीकृत दण्डनीति न तो अत्यधिक बल-प्रधानता से उत्पीठक होनी चाहिए और न ही वह बल शिथिलता के फलस्वरूप निष्प्रभावी। वस्तुतः दण्डनीति का प्रवहन पर्याप्तत तार्किक सोच विचार के उपरांत अपराध की गम्भीरता का समानुपाती होना चाहिए,¹
- 5 दण्डनीति राजा की राजसी शक्तियों की ही परिचायक नहीं होती वह अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से राजा के उस राजसी अनुशासन को प्रतिबिम्बित करती है जो उसके बौद्धिक प्रणिमण व नैतिक अभि-मुस्तीकरण पर अवलम्बित होता है,
- 6 दण्डनीति अपने व्यापकतम अर्थ में समस्त मानव बलियों को परिचायित करती है अर्थात् उसमें सम्पूर्ण भौतिक परिवेश (व्यक्तिया व वस्तुआ समेत) ससाधित होता है। इस दृष्टि से दण्डनीति समस्त सामाजिक-राजनीतिक सम्बन्धा का नियमन करती है। वह केवल प्रशासनिक अवहेलनाओं व अवलाया को दवाने के उपक्रम में दण्ड विधान ही नहीं प्रकट करती,
- 7 दण्डनीति के मानक में ही राजा युग की सृष्टि करता है। महाभारत में यह उल्लिखित है कि जब कोई राजा दण्डनीति के निर्धारित मानका व नियमा का पूणत पालन करता है तो स्वर्णिम युग (सतयुग) का प्रवहन हाता है जब उसके द्वारा दण्डनीति के मानका का 3/4 भाग अनुपालित होता है तो उस स्थिति में त्रेता युग (रजत युग प्रकट होता है, जब वह दण्डनीति के आधे मानका को प्रस्तुत करता ह तो उस अम में द्वापर युग (पीतल युग) शुरु

होता है और जब वह दण्डनीति से पूर्ण विमुखता प्रदर्शित करता है तब लौह युग (कलियुग) चरिताय होता है।

दण्डनीति की इन विशेषताओं व व्यवहार ऋग्वेद के व्यापक सद्बोध में उमका आकलन करत हुए विनय कुमार सरकार²² का यह मत है कि दण्डनीति दोहरी धार वाला एक ऐसा अस्त्र है जो एक ओर जनता को भयानुर करते हुए तथा सामाजिक विकारा का उन्मूलन करते हुए व्यक्तियों को नैतिक, पवित्र व सभ्य बनाता है तो दूसरी ओर वह स्वयं राजा की राजसी याग्यताओं भी निर्धारित करता है और इनकी अनुपस्थिति में राजाओं की सम्भावित दुदशाओं का संकेत देता है। इस दाहुर हथियार के फलस्वरूप ही समाज सभ्य व व्यवस्थित होता है और राज्य निरकुशवाद के घेर से बाहर रहते हुए सामाजिक नियमन कायं सम्पादित करता है। विनय कुमार सरकार को उद्धृत करते हुए यह प्रसंग समाप्त किया जा सकता है कि दण्ड के इस दाहुरे धार वाले हथियार में एक ओर स्टेटसराजन (राज्य हित) समाहित हैं तो दूसरी ओर सिटिलिखकोट नैतिकता सद्गुण धर्म इत्यादि। सामाजिक अस्तित्व विषयक यह शाश्वत वैचारिक ध्रुवीकरण मानव चिंतन के क्षेत्र में हिन्दू राजनीतिक दर्शन का एक गहरा योगदान प्रस्तुत करता है।²³

सम्प्रभुता का समसामयिक भारतीय सद्बोध ऋत सम्प्रभुतावाद

सम्प्रभुता के समसामयिक भारतीय सद्बोध में ऋत सम्प्रभुतावाद का विचार विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने प्रतिपादित किया है।²⁴ अपन व्यापकतर अर्थ में ऋत उन व्यापक आदर्शों और नैतिक अभिव्यजनाओं का सार है जो व्यक्तियों का सर्वोच्च राष्ट्रीय परिवेश व उससे उत्पन्न अनुराग से ऊपर उठाते हुए उन्हें व्यापक मानवतायात् के घेर में पहुँचाता है। इस अवस्था में पहुँचकर व्यक्ति अपने और दूसरों के विरोधाभास से वंचित है और सर्वहितकारी भावों को प्रथम देता है। इसका (ऋत के) परिणाम के रूप में एक ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है जो समस्त जड़ चेतन मत्ताओं में एक जीवनधारा, एक चैतन्य प्रवाह को स्पष्टित (करती है)

ममस्त बुद्बुदी में एक अग्रकृत महासागर (दर्शाती) आदमी जब इस रूप में दग्गता है तो एक मायने में तो वह छोटा हो जाता है क्योंकि उसका अहंकार टूट जाता है, पर दूसरे मायने में वह बड़ा हो जाता है क्योंकि मनुष्य के अहंकार के अन्त में स्वयं 'सत्' बन जाता है।²⁵ इसकी उपलब्धिस्वरूप, मानवता का समग्र संसाधन होता है, व्यक्तियों के लिए समाग प्रारंभ हो जाता है और मनुष्य व प्रकृति मत्कर बन जाते हैं।

ऋत का यह व्यापक भाव सम्प्रभुता से जुड़कर उसका अभिभावी साम्प्रतिक नैतिक-परिवेश निर्मित करता है। ऋत-सम्प्रभुता का अभिप्राय यह है कि राज्य विशेष की जनता अपने भाग्य का सम्प्रभुतागम्पन मानकर मानवता की उन्नति

करे।⁶ इस दृष्टि से ऋत-सम्प्रभुता व्यक्ति की नैतिक व मानवीय चेतना को नए आयाम देती है और इस सब के माध्यम से व्यक्ति राज्य व सरकारों नैतिक सद्बर्भ में अपने-अपन काय करत हुए पारस्परिक विकास को सम्भव बनात हैं और मानवतावाद के बडे मूल्या से सम्बोधित हात हैं। सम्प्रभुता इस स्थिति में स्वयं में सिद्धि नहीं होती, वह सिद्धि के लिए साधना बन जाती है।

विशिष्ट राजनीतिक सद्बर्भ में ऋत सम्प्रभुता, जन सम्प्रभुता और सविधान-सम्प्रभुता में काय-कारण सम्बन्ध (causal relationships) व्यक्त है।² ऋत सम्प्रभुता के नैतिक व एकीकरण भाव से जनसम्प्रभुता प्रबल चेतना प्राप्त करती है और नीतियुक्त एकताकारी जन चेतना सवैधानिक सम्प्रभुता का समुचित प्रभाव व प्रवाह देती है। इन तीनों के समन्वय से राज्य साधनपरकना पाते हैं और इस क्रम में वे मानवतावाद का साध्य उपलब्ध करन की सकल्पित चेष्टा करते हैं। इसी वैचारिक भ्रमग्रता में विश्वव्यापी सभ्यता के मकट का प्रतिराध किया जा सकता है विकासशील क्षेत्रों में जन सगठन हो सकता है और भौतिक बल पर मर्वात्म-वादी शक्तियाँ आधिपत्य स्थापित कर सकती हैं। विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने ऋत-सम्प्रभुता के दो प्रबल परिणाम इंगित किए हैं—(1) यह आस्टिन और हेगल के उग्र राज्यशक्तिवाद से प्रभावी बचाव करा सकती है और (2) इससे बहुलवाद के वैचारिक भ्रमजाल से भी परित्राण संभव है।²⁸

उपसंहार

प्रस्तुत अध्याय में वर्णित व विश्लेषित सम्प्रभुता के विविध प्रसंग यह उद्घाटित करते हैं कि सम्प्रभुता का भारतीय व पश्चिमी सद्बर्भ स्थितिजय व तत्परिणामी वैचारिक विभिन्नताओं का परिचय देता है। पश्चिमी सम्प्रभुतावाद मूलतः राज्य की सर्वोच्च शक्ति के कानूनी सत्य को ही प्रतिष्ठित करता है और एक लम्बे समय तक यह राज्य शक्ति को एक अभीष्ट के रूप में प्रतिष्ठित करता है। इस शक्ति का स्थूल रूप ही आराध्य होना सा दिखाई देता है और विधिशास्त्री इसी स्थूल की प्रकृति का वर्णन विश्लेषण करते हैं जबकि यह शक्ति अदेय अवि-भाज्य अहरणीय इत्यादि है और इसके ही याग से निश्चित मानव 'श्रेष्ठतर' (determinate human superior) सघटित होता है। शक्ति की सूक्ष्मताओं व कानूनतर वास्तविकताओं का समग्र भाव विशेषतः व्यवहारवादी राजनीति के सद्बर्भ में प्रकट हाता है जिसके अंतर्गत शक्ति सत्ता व औचित्य में क्रियाकारणत्व (causality) सम्बन्धी व्याख्याएँ प्रस्तुत की जाती हैं। इसके विपरीत भारत में दण्डनीति पाश्चात्य आधिपत्या का बाध नहीं कराती, वह समग्र रूप से दण्डनीति का कायकारी भाव भी इंगित करती है और उसका व्यापक वैचारिक कतेवर भी। दण्डनीति में निहित सम्प्रभुता प्रजा और राजा दोनों को एक-दूसरे में बाँधती है

और इस महकारी भाव से दानो का समुनयन हाता है। कानूनी शक्ति नैतिक मत्ता से परिणित हाती है और नैतिक मत्ता से शासन की नैतिक स्वीकृति व अनुकृति स्थापित हाती है। इस दृष्टि से भारतीय दण्डनीति अपने प्रारम्भिक क्रम में ही चौसवीं शताब्दी का 'धर्मव्यवहारवादी यथाथ' पूर्वकल्पित करत हुए, सम्प्रभुता का नैतिक, साधनात्मक व लोक श्रेष्ठिककारी आधारशिलाएँ परिलक्षित करती है।

उद्धरण व टिप्पणी

- 1 हेरॉल्ड लाम्बी ग्रामर आथ पॉलिटिकल पृ० 44
- 2 वही
- 3 एस० ई० फारर कम्पेरेटिव गवर्नमेंट पृ० 42 46
- 4 लाम्बी पूर्वोक्त, पृ० 52
- 5 अनेस्ट वाकर प्रिंसिपल्स आथ सोशल ऐण्ड पॉलिटिकल थिअरी, पृ० 60
- 6 लार्ड्स का यह कथन गिलक्राइस्ट द्वारा उद्धृत, प्रिंसिपल्स आथ पॉलिटिकल साइंस, पृ० 112
- 7 भट्टाचार्य पॉलिटिकल थिअरी, पृ० 100
- 8 गिलक्राइस्ट पूर्वोक्त, पृ० 37
- 9 मेकाईवर दि मॉडर्न स्टेट, पृ० 160
- 10 गटेल का यह कथन ए० सी० कपूर द्वारा उद्धृत, प्रिंसिपल्स आथ पॉलिटिकल साइंस, पृ० 142 143
- 11 लाम्बी, पूर्वोक्त, (इस भाव की विस्तृत व्याख्या के लिए पुस्तक की प्रस्तावना विशेषतः उल्लेखनीय है)।
- 12 काल जे० फ्राइडरिख, एन इंट्रोडक्शन टु पॉलिटिकल थिअरी, पृ० 98
- 13 वही पृ० 101
- 14 रॉबर्ट डार्ले माडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, पृ० 32 34
- 15 दण्डनीति के धर्मशास्त्र विषयक उद्गम से सम्बन्धित चर्चा के लिए देखें एम० विंटरनिटज "क्रिस्टीयन धर्मशास्त्र", कलकत्ता रिव्यू, अप्रैल 1924, तथा पी० वी० वाणे, दि हिस्टरी आथ दि धर्म शास्त्राज खण्ड 1, पृ० म० 9, 87
- 16 दण्डनीति की धर्मशास्त्र-स्वतन्त्र व्याख्या के लिए देखें नरन्दाय लॉ, स्टडीज इन इंडियन हिस्टरी एण्ड कल्चर, पृ० 257 58 तथा रणसुवामी आयंगर, सभ भास्पेक्टस आथ एंग्लो इंडियन पॉलिटि, पृ० 53-54

- 17 दण्डनीति न घमशास्त्र के विराधाभासी पक्षा के विवेचन की दृष्टि म देखें ए० बी० वीथ, ए हिस्टरी ऑफ् सस्कृत लिटरेचर, प० स० 45३, 243
- 18 भास्कर आनन्द सेनेटोर एशिआट इंडियन पॉलिटिकल थॉट ऐण्ड इन्स्टीट्यूशंस प० 21 23
- 19 शांतिपथ, Lxii 28 29
- 20 बी० पी० वर्मा स्टडीज इन हिन्दू पॉलिटिकल थॉट ऐण्ड इटस मेटाफिजिकल फाउंडेशंस, पृ० 78
- 21 अर्थशास्त्र V, 1
- 22 विनय कुमार सरकार, 'सम वेसिक आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग इन एशिआट इंडिया' दि कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, खण्ड II पृ० 513-514
- 23 वही ,
- 24 विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, "ऋत सम्प्रभुतावाद वेद का विराट राजनीतिक दशन" (परिशिष्ट 2), वदिक राजनीतिशास्त्र, प० स० 258 62
- 25 विद्यानिवास मिश्र, हिन्दू धर्म जीवन मे सनातन की खोज (विशेषत भूमिका)
- 26 विश्वनाथ प्रसाद वर्मा एन० 24 पृ० 259
- 27 वही पृ० 261
- 28 वही ।

उदारवाद के भ्रामक आवरण में अनुदारवाद प्रवर्तित किया है, समर्थ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए असमर्थ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया है विधान व प्राविधिकी के साधनात्मक सद्भवों का विकृति प्रदान करते हुए उनके बल पर अन्तर्राष्ट्रीय आधिपत्य स्थापित किया है (उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद) और कुल मिलाकर 'सभ्य समाज' के प्रसार का तरजीब दत्त हुए अपनी तथाकथित सभ्यता का अर्थ समाजों की अद्ध-सभ्यता अथवा अगभ्यता पर अध्यारोपित किया है। पश्चिमी राज्य-व्यवस्था की वैकल्पिक चित्र निर्मिति उदारवादी अध्यारोपणों का निषेध प्रस्तुत करती है, उसमें व्यक्तियों एवं समाजों के पुनर्जागरण व पुनसंगठन का मन्त्र समाहित रहा है और इसकी अभिप्रेरक विचार धाराएँ इन व्यवस्थाओं का नए सिरे से तैयार करते हुए समय-समय पर उनकी समाजगत व अन्तर्राष्ट्रीय भूमिकाएँ निरूपित करती रही हैं और इस दृष्टि से राज्य-व्यवस्था को अभिभावी मत्ता प्राप्त है। यह राज्य का दायित्व है कि वह व्यक्तियों व सम्पूर्ण समाज को नए अनुशासन में ढाले और उसे स्थायित्व देते हुए विश्व सद्भव अभिनव उपलब्धियाँ मापदण्ड अर्जित करे। ऐसा कई अर्थों और प्रसंगों में हुआ भी है। इस सबके तावजूद तथ्य यह है कि पश्चिमी सद्भव में राज्य की गतिविधियाँ आज भी इसी वचारिक ध्रुवीकरण की पक्षधर हैं यद्यपि व्यावहारिक राजनीति इनकी स्पष्टता का खण्डित व धूमिल करने हुए एक ओर जहाँ उदारवादी व्यवस्थाओं में दुर्दमनीय राज्य मत्ता का भाव प्रकट कराती है ता वहीं दूसरी ओर उदारतर व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत स्वतंत्रता व अधिकारों का असहमतिमूलक भाव मुगर्हित सा होता है। इन आमामित अतिविरोधों का एक सभावित कारण तो यह है कि व्यक्तिवाद व समष्टिवाद में एकसंगत अन्तःसम्बन्ध पर्याप्त नहीं स्थापित किए जा सके हैं और उह एक दूसरे की प्रतिराधक शक्तियों के रूप में ही प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सद्भव में सभवतः यद्ग्यान पर्याप्त रूप में नहीं रखा गया है कि 'व्यक्तिवाद व समष्टिवाद' व्यक्तियों के दो पक्ष समूहों में निर्मित दो विराधी सेना सत्ताओं की पताकाएँ नहीं हैं। हम सभी इन दोनों पताकाओं को (एक साथ) पहचानते हैं और हम सब उन दोनों के अधीन काय करते हैं।¹

इस अतिरिक्त, राज्य विषयक पश्चिमी सद्भव अपनी मूल प्रकृति में सामाजिक सम्बन्ध का नहीं बल्कि, सामाजिक अध्यारोपण का भाव जगाता है। चर्च राज्य सघष में चर्चसत्ता पर राज्य सत्ता का अध्यारोपण राज्य प्रभुता का का सामाजिक सद्भव में अभ्यर्थना व परवर्ती भूमना राज्य सामाजिक सम्बन्धों के सद्भव में प्रभुताशाली समाज द्वारा राज्य प्रभुता स्वयं (अहस्तक्षेप व उदारवादी राजनीतिक-सामाजिक सद्भव) और प्रभुताशाली राज्य द्वारा—य सामाजिक प्रभुता की अवहलना (उदारतर व्यवस्थाओं का विशिष्ट सद्भव) ये समस्त प्रकरण राज्य और समाज के बीच एक ऐसी प्रतियोगिता का भाव

राज्य गतिविधियों का सामाजिक सन्दर्भ

राजनीति विज्ञान में, विशेषतः उसके पश्चिमी सन्दर्भ में राज्य गतिविधियों की सीमाएँ निर्धारित करने का सकल्पित प्रयत्न किया जाता रहा है। इन समस्त प्रौढ़िक अभ्यासाएँ और श्रियाओं का नतीजा यह है कि राज्य और समाज दो स्पष्टतः नये सन्दर्भों में अपनी अपनी क्रियाएँ सम्पादित करें और उनके परस्पर व्यापी क्षेत्र उनके वैशेषिक अंतरों को धूमिल न करें बल्कि, उन्हें सुस्पष्ट करत हुए उनकी निजी सत्ताओं के प्रत्यक्ष निष्पन्न मसहायक हों। सामान्यतः यह तब विकसित किया जा रहा है कि राज्य गतिविधियाँ व क्रियाएँ इस प्रकार विकसित व विस्तारित होनी चाहिए कि उनके क्रम से वैयक्तिक स्वतंत्रता का आघात न पहुँचे और न ही वैयक्तिक स्वतंत्रता इतनी अभ्यर्णित हानी चाहिए कि वह राज्य-सत्ता के प्रभाव को ही शिथिल कर दे। इस दृष्टि में उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था से व्यक्तिगत स्वतंत्रता व अधिकारों का केन्द्रीय महत्त्व प्रदान करत हुए राज्य की सीमित नियमनकारी गतिविधियों पर बल देती है जगति में उदारवादी व व्यवस्थाएँ व्यक्ति व समाज के संचालनीकरण के उद्देश्य से व्यक्तिगत सामाजिक क्षेत्रों में प्रविष्ट होकर उन्हें राजनीतिक मसहायक प्रदान करती है और व्यवस्था के अन्तर्गत राजनीतिक सत्कार निमित्त करत हुए व्यक्तियों व समाज को उनमें प्रतिष्ठित करती है। व्यवस्थाओं सम्बन्धी यह अन्तर पश्चिम में व्यक्तिवाद व समस्यवाद व दो ध्रुवीकरण निर्मित करता रहा है। दोनों ही प्रकार अपने अपने सन्दर्भ में श्रेष्ठिय प्राप्त हैं और इन श्रेष्ठियों की ऐतिहासिक सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक आदि अनेक व्यवस्थाएँ प्रस्तुत की जा सकती हैं। आज के सन्दर्भ में नया सन्दर्भ और भी अधिन कट्टास्ट' उपन्यास करना है क्योंकि व्यक्तिवारी आशयों की तात्त्विक परिणति ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर

उदारवाद के भ्रामक आवरण में अनुदारवाद प्रवर्तित किया है, समर्थ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिए असमर्थ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं का हनन किया है, विज्ञान व प्राविधिकी के साधनात्मक सद्बन्धों का विकृति प्रदान करत हुए उनके बल पर अन्तर्राष्ट्रीय आधिपत्य स्थापित किया है (उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद) और पुनर्निर्माण सभ्य समाज के प्रसार का तरजीह दंत हुए अपनी तथाकथित सभ्यता को अन्य समाजा की अद्ध सभ्यता अथवा असभ्यता पर अध्यारोपित किया है। पश्चिमी राज्य-व्यवस्था की वैकल्पिक चित्र निर्मित उदारवादी अध्यारोपणों का निषेध प्रस्तुत करती है उसमें व्यक्तियों एवं समाजों के पुनर्जागरण व पुनर्संगठन का मदश समाहित रहा है और इसकी अभिप्रेरक विचार धाराएँ इन व्यवस्थाओं को नाए सिरे से तैयार करत हुए समय समय पर उनकी समाजगत व अन्तर्राष्ट्रीय भूमिकाएँ निरूपित करती रही है और इस दृष्टि से राज्य-व्यवस्था का अभिभावी सत्ता प्राप्त है। यह राज्य का दायित्व है कि वह व्यक्तियों व सम्पूर्ण समाज को नए अनुशासन मडाले और उसे स्थायित्व दते हुए विश्व सद्बन्ध अभिनव उपलब्धियों मापण्ड अर्जित करे। ऐसा कई ग्रंथों और प्रसंग म हुआ भी है। इस सबके बावजूद तथ्य यह है कि पश्चिमी सद्बन्ध म राज्य की गतिविधियाँ आज भी इसी वचारिण ध्रुवीकरण की पक्षधर है यद्यपि व्यावहारिक राजनीति इनकी स्पष्टता का खण्डित व धूमिल करत हुए एक आर जहा उदारवादी व्यवस्थाओं म दुदमनीय राज्य सत्ता का भाव प्रकट कराती है ता वही दूसरी आर उदारेतर व्यवस्थाओं मे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व अधिकारों का असहमनिमूलक भाव मुखरित सा होता है। इन आभासित अन्तर्विरोधों का एक सभावित कारण ता यह है कि व्यक्तिवाद व समष्टिवाद म तत्संगत अन्त सम्बन्ध पर्याप्तत नही स्थापित किए जा सके है और उह एक दूसरे की प्रतिरोधक शक्तियों के रूप म ही प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सद्बन्ध म सभवत यह ध्यान पर्याप्त रूप स नही रखा गया है कि 'व्यक्तिवाद व समष्टिवाद व्यक्तियों के दो पथक समूहों स निर्मित दा विराधी सेना सत्ताओं की पताकाएँ नही हैं। हम सभी इन दोनों पताकाओं की (एक साथ) पहराते हैं और हम सब उन दोनों के अधीन वाय करत है।'¹

इसके अतिरिक्त राज्य विषयक पश्चिमी सद्बन्ध अपनी मूल प्रकृति में सामाजिक समन्वय का नही बल्कि, सामाजिक अध्यारोपण का भाव जगाता है। चूँकि राज्य मद्यपि म चक्षुसत्ता पर राज्य सत्ता का अध्यारोपण, राज्य प्रभुता का का सामाजिक सद्बन्ध म असमर्थना व परवर्ती भस्सना, राज्य सामाजिक सम्बन्धों के सद्बन्ध म प्रभुताशाली समाज द्वारा राज्य प्रभुता स्थगन (अहस्तक्षेप व उदारवादी राजनीतिक-सामाजिक सद्बन्ध) और प्रभुताशाली राज्य द्वारा—य सामाजिक प्रभुता की अवहेलना (उदारेतर व्यवस्थाओं का विशिष्ट सद्बन्ध) य समस्त प्रकरण राज्य औ समाज के बीच एक ऐसी प्रतिपादिता का भाव

प्रस्तुत करते हैं जिसे एक पक्ष का लाभ दूसरे पक्ष की अनिवाय हानि के रूप में ही परिलक्षित होता है। यदि इन्हें समन्वित करके देखा-परखा जाए तो मभवत यह तथ्य-प्रकाशन असंगत न होगा कि राज्य और समाज दानो ही एक-दूसरे का अभीष्ट है, दाना में एक-दूसरे का रूप व प्रकार प्रतिबिम्बित होता है और दाना के समन्वित क्रम से ही दाना अपनी रूप सज्जा का वास्तविकता प्रदान कर सकत हैं। समाज से राज्य का अपनी गतिविधियां स सम्बन्धित अपरिहाय 'सामाजिकता' मिलती है जसकि राज्य से समाज का परिवर्तन व विकास की आवश्यक ऊर्जा (energy) प्राप्त होती है। प्रस्तुत अध्याय में राज्य गतिविधियों की सामाजिकता के परिचायक व प्रसंगा की वैचारिक समीक्षात्मक चर्चा की जा रही है। ये प्रसंग हैं राज्य गतिविधियों के परिचायक तब कल्याणकारी (welfare) तथा धर्म निरपक्ष (secular) भाव। इस क्रम में लोक कल्याणकारी राज्य व धर्म निरपक्ष राज्य स सम्बन्धित भारतीय एवं पश्चिमी अवधारणाओं की व्याख्या की जा रहा है और उनका स्वतंत्रताय अन्तरो की वैशेषिक भाव प्रवाह व उनमें विशिष्ट सामाजिक प्रभाव को भी निरूपित किया जा रहा है।

धर्म निरपेक्ष राज्य

धर्म निरपेक्षता भारतीय सन्दर्भ—

इस चर्चा के प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट करना प्रासंगिक होगा कि भारत में धर्म निरपेक्षता विशेषतः पश्चिमी भाव में मूलतः अनुपस्थित रही है। यह स्थिति प्राचीन भारतीय सभ्यता में तो मर्यादित प्रभावी रही है जहाँ धर्म स निरपेक्षता का भाव नहीं उल्लिखित उमस विशुद्ध आत्मिकता का भाव ठोस रूप में विद्यमान रहा है। सधर्म स धर्म स कथन प्राचीन भारतीय ध्यत्तियन धारणन को ही निर्धारित य होती थी। धार्मिक स्तर पर धर्म जहाँ विविध विभागों एवं पक्षा के समन्वय प्रकट करता था यत्कि उमस मनुष्य समाज व राजनीति भी समाहित और उमस उपायन व्यापक धारण का परिणाम करता था, यही धर्म के स्तर पर यह प्रगतिजन्य गहरता का सूत्रगत करता था। इसी विचार मंगलत्पन्नता धारण करत हुए स्थिति प्रकट विविधताओं स धर्मनिष्ठ भावात्मक एकता स्थापित करत ये और विचार व कर्म स ध्यात्म गति मनुष्यता का समावेश करता था। स्थितिक स्तर पर प्रगतिजन्य विचारणा तथा विविध और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर चलत धर्म स ही अनुसर्गिक व धर्मियेगिय था।

भारत में प्रथम धर्म धर्मनी मूल प्रकृति स परिपक्व गतिजन्य गहरता पक्ष रहा। सधर्मुत भारत में गतिजन्य राजस मस उन्निपत्त हा रही रहा है। गतिजन्य की अनुसर्गिक स्थिति ध्यात्म स मस मस मस है।



है 'ब्राधना'। इस अर्थ में 'रिलिजन' एक वाध्यकारी शक्ति के रूप से ऐसे वैचारिक व विश्वासपरक बंधन चरिताथ करता है जो ईश्वर व व्यक्ति के बीच प्रभावी हो। सिसरा के शब्दों में यह एक 'निगरानी पूण दखभाल' प्रतिपान्ति करता है जबकि बाट 'रिलिजन' को दैविक कानून पर आधारित (व्यक्तिपरक) क्तव्या व भाव' के रूप में परिभाषित करता है। श्लाहग्रमैकर इसे 'व्यक्ति की पूण निभरताकारी भाव के रूप में प्रतिष्ठित करता है जबकि टाइलर इसे आध्यात्मिक अस्तित्व में विश्वास के रूप में निरूपित करता है।¹ इन समस्त वैचारिक अभिव्यजनाओं में 'रिलिजन' एक सामुदायिक विश्वास के रूप में परिष्कृत होता है। इसके पूणत विपरीत भारत में धर्म जीवन में सत्तातन की खाज में वैयक्तिक प्रयासों का प्रतिबिम्बित करता है। भारत में धर्म मूलतः सम्प्रदायगत जीवन और उसके बाह्य अनुशासन की वाध्यता के रूप में प्रकट नहीं होता बल्कि वह अधिक सटीक रूप से व्यक्ति के आंतरिक भाव वाद्य का विषय बनकर प्रकट होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को चेतनता से समझ करत हुए उच्चतर लक्ष्य की ओर बढ़ता है, सभी अपने अपने धर्म का अनुसरण करत हुए सामाजिक साध्य को सशोधित करत है और इन सम्मिलित प्रयासों के प्रतिफल के रूप में धर्म वह सार निरूपित करता है जिस पर सम्पूर्ण समाज अबलम्बित होता है।

बृहदारण्यक उपनिषद् में धर्म की अवधारणा को इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया

ब्रह्मन् पर्याप्तत सशक्त नही था। अतः उमने और भी अधिक विकसित और सर्वोत्कृष्ट धर्म की सृष्टि की। धर्म बल का बल अथवा शक्ति की शक्ति है। धर्म से उच्चतर कुछ भी नहीं है इस क्रम से ही एक दुबल व्यक्ति अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति पर एक राजा के रूप में धर्म की सहायता से शासन कर पाता है। यह धर्म सत्य का समानार्थक है। अतः यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो लोग यह कहते हैं कि वह धर्म उच्चारित करता है और यदि वह धर्म को अभिव्यक्त देता है तो वे कहते हैं कि वह वस्तुतः सत्य बोलता है।²

प्रारम्भ में धर्म (वैदिक काल में) कानून संहिता अथवा अध्यादेश का प्रतिरूप था। उपनिषदिक व ब्राह्मणिक युग में धर्म ने ऋत से सम्पन्न होकर नैतिक भाव अर्जित किया और इस नैतिकता में धर्म को भी व्यवस्थित किया व उसके अर्थ में समाज और राज्य को भी। धर्म के तदुपरान्त क्षत्र (राज शक्ति) से उच्चतर स्थान प्राप्त किया और इस उच्चतर सत्ता के रूप में वह क्षत्र का संचालित व निर्देशित करने लगा। बौद्ध धर्म ने विशुद्ध धार्मिक सद्भम में धर्म क्षत्र प्रवर्तन को तरजीह दी और कौटिल्य ने इसी धर्म को व्यापकता देते हुए उसे नैतिक सत्य,

सामाजिक कर्तव्य पालन और नागरिक कानून के रूप में देखा जाता। राजधर्म इसी व्यापक धर्म भाव से व्युत्पन्न था और एक माघन के रूप में राजनीति व राजनीति से व्यापक समाजनीति का संचालित करता था। धर्म सम्बन्धी यह चर्चा पर्याप्ततः यह इंगित करती है कि धर्म से व्यक्ति, समाज व राज्य संचालित थे। धर्म दृष्टि परस्पर जाड़ कर एक-दूसरे के मंदिर में कायशील बनाता था और धर्म की यह व्यापकता भारतीय परिवेश में धर्म से विरक्ति नहीं घनघोर आसक्ति की परिचायक थी। धर्म अपने वस्तु क्रम में सब लोकों में अंतर्व्याप्त था और एमा होते हुए वह सावलाकिरता का तत्त्व प्रस्तुत करता था (सब लोकों व लोक मायताओं का समाकल)। वह धर्महीनता अथवा धर्म निम्सारता इंगित नहीं करता था।

एमी स्थिति में धर्म निरपक्षता का कौन-सा भाव भारत में विद्यमान हो सकता था? संभवतः एक अर्थ में भारत में धर्म निरपक्षता थी जो राजधर्म का निर्देशित करती थी और वह यह कि राज्य अपने शासन क्रम में किसी एक धर्म सम्प्रदाय अथवा विश्वास का सस्थागत आधार नहीं देगा और इस दृष्टि से वह अपने वास्तविक काय-सदम द्वारा वे अपरिहाय स्वतन्त्रताएँ उपलब्ध कराएगा जो व्यक्ति व समाज के नैतिक, आध्यात्मिक व साम्कृतिक भावों में अभिवृद्धि करते हुए उन्हें वैयक्तिक व सामाजिक जीवन का परिशुद्धता सुलभ कराएगी। प्राचीन भारत में राज्य इन स्वतन्त्रताओं का अनुरक्षण करने हुए व्यक्ति का इनसे अंतरण होना का अवसर प्रदान करता था और उनकी पूव आवश्यकता यह थी कि वह स्वयं को सकारात्मक भावों से जाड़े और योग्य/कुशल शासक आधार अर्जित करे। इन भावों से मुक्त होकर ही वह विविध सामाजिक सस्थाओं को सामाय व भेदरहित समयन प्रदान करने की कल्पना कर सकता था।⁴ कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि पारस्परिक धर्म निरपक्षता का मूल आग्रह यह रहा है कि राज्य की शक्ति व उसका क्षेत्र प्रकटत परिसीमित हो और यह भी कि राजनीतिक निरकुशतावाद का कोई भी प्रकार (चाहे वह आदशवादी हा या मार्क्सवादी अथवा धर्मशास्त्रीय भी) राज्य क्रियाओं के धर्म निरपक्ष मंदम में अनिवाचन ब्रेमेल हाता है।⁵

धर्म निरपक्षता व धर्म निरपक्ष राज्य की यह अवधारणा परवर्ती काल में उम स्थिति में विलुप्त सी हो गई जबकि भारतीय राज्य में उमकी वैशयिक दण् नीति व उसका नियामक राजधर्म हिन गया और राजनीतिक साधनात्मकता का आधार इन स्थिति में उमकी पहुँच से बाहर हा गया। यह एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य था जिसके दूरगामी महत्व के परिणाम प्रकट हुए। राज-यवस्था के बाहर रहने हुए भारतीयों में पहले धर्म का प्रवतनकारी साधनात्मक अस्त्र गायी और फिर परवर्ती शताब्दियों में चाहे प्रभावा व आन्तरिक अभावा से मुक्त होकर धर्म

का युगांतकारी भाव भी क्रमशः बिम्बित कर दिया। यह स्वाभाविक ही था क्योंकि धर्म की जिस साध्य-साधन सम्बन्धात्मकता का गौरवशाली वणन महा-भारत के शांतिपत्र में किया गया था (और जिसे हमने दण्डनीति के सद्भ में पिछले अध्याय में उद्धृत किया है) उसकी अनुपस्थिति में साध्य और साधन का पारस्परिक वियोग वस्तुतः एक तार्किक परिणति ही थी।

इसके बावजूद, आधुनिक समय में भी भारतीयों ने सावलीकता व विविध विश्वासों में अतीन्द्रिय एकता के भाव को विस्मृत नहीं किया। वस्तुतः भारतीय पुनर्जागरण में यह भाव नए सामाजिक आग्रहों व भाव विधाओं के रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि आधुनिक औपनिवेशिक व्यवस्था के आघातों व उससे उत्पन्न सामाजिक संघर्षकारी स्थितियों ने धर्म निरपेक्षता व पश्चिमी भाव को उपस्थित करके भारतीय व पश्चिमपरक भाव में एक अन्तर्निहित विरोधाभासी तथ्यात्मकता को अदृश्य आधार दिया। यह धर्म निरपेक्षी द्वैधता वस्तुतः भारतीय समाज का सकारात्मक व नकारात्मक प्रतिहार के सामाजिक वैचारिक अस्त्र उपलब्ध कराती थी। पश्चिम सदृश वैचारिक संघर्षकारों का स्थितियों का निरूपण द्वारा ही पश्चिमी सभ्यता, धर्म व आधिपत्यकारी विवृत्तियों की तुलना में अपन (मूल भारतीय) वैचारिक प्रासाद का जीर्णोद्धार किया जा सकता था और ऐसा करते हुए 'आत्म अभिमान' सम्बन्धी लक्ष्य की उपलब्धि के लिए भारतीय धर्म सस्कृति व विचार तत्त्वा के बिखरे मूल्य संकलित किए जा सकते थे। इस नकारात्मक क्रिया की सकारात्मक परिणति का प्रासाहित करते हुए मूल सामाजिक धार्मिक संस्कारों के आधार पर भारतीय सामाजिक बहुलता व वैविध्य को संगठित किया जा सकता था यह हुआ भी। अरविन्द की कृति द्वि फाउंडेशनस आब इण्डियन कल्चर पश्चिमी धर्म सस्कृति व सभ्यता की श्रेष्ठतरता को खण्डित भी करती है और भारतीय धर्म सस्कृति व सभ्यता की विस्मृत कड़ियों को जोड़ कर उनका एक अभिनव आधार भी निर्मित प्रतिष्ठित करती है। विविध सामाजिक सुधार-वादी आंदोलनों (ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज आदि) ने भी अपन वास्तविक क्रम में धर्म की आधुनिक व्याख्याओं की समाज सुधारों को धर्म सम्मतता प्रदान की और ऐसा करके भारतीयता की वह देशी भावभूमि निर्मित की जो पश्चिम के सम्मुख उदीयमान भारत का एक वैकल्पित प्रतिमान प्रस्तावित करती थी। इसी धार्मिक चेतना का तरजोह देते हुए आधुनिक काल में तिलक ने 'गोता रहस्य' रचकर उसकी सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत की। गांधी ने भी गीता पर भाष्य लिखा और धर्म व राजनीति के परस्पर व्याधी मूल भारतीय सद्भ का पुनर्प्राप्ति बनाया। इन्हीं संयुक्त भावों से विस्तरी भारतीयता का संकलित किया जा सकता था और उसे राष्ट्रीय मुखता दी जा सकती थी।

स्वतंत्र भारत में भी धर्म निरपेक्षता का द्वैधाभासी आधार बन पाता रहा

है। भारतीय सविधान अल्पसंख्यकों की सुरक्षाओं को प्रतिपादित करके वस्तुतः सवधम समभाव ही ममुनत करने की चट्टा करता है। भारतीय राज्य धाज किसी धम विशेष को सस्थागत समथन नहीं देता। वह सभी धमों व विश्वाओं का मामाय सरक्षण देता है। आधुनिक सदर्थ की आमक ममक अक्सर धम निरपक्षता के नकारात्मक पक्षों का तरजीह देती प्रकट होती है लेकिन तत्काल उसकी ममानुपाती अवरोधक प्रतिशक्ति जार मारती है और यह भाव वारम्बार प्रकट हाना है कि भारत म धमनिरपक्षता प्रचलत सावलीकता की स्थापना करती है और स्वतन्त्र धम निरपक्षता भारतीय राज्य धम से केवल इतना ही निरपक्ष है कि वह किसी एक धम का होकर नहीं रह जाता। वह समस्त धमों का फलने फूलने का अवसर देता है। धम और राजनीति म पाथक्य राजनीति की नैतिक अभिव्यजनाओं के परित्याग का मकेत नहीं देता। वास्तव म राजनीति नतिक श्रेणिया का अमीकार करके ही माहेश्यात्मकता अर्जित करती है। यह नैतिक मापदण्ड इस सामाजिक राजनीतिक प्रतिबद्धता को प्रतिष्ठित करता है कि धम का कोई भी स्वरूप सामाजिक सदभ म असमानता का वीजारापण नहीं कर सकता। व्यावहारिक राजनीति मे अक्सर यह सतुलन डगमगाता-सा है और स्वतव्यात्तर राजनीति राजनीतिक तात्कालिकताओं को प्रथय देने की दष्टि से अक्सर अल्पसंख्यकों के भावों को अनुचित तरजीह भी देती है लेकिन यह मौलिक वैचारिक व्यवस्था का दोष नहीं वरकि हमारी अपनी व्यवहारजय व प्रवृत्तिपरक अपूणताओं का दोष है।

धर्म निरपक्षता का पश्चिमी सदर्थ

धम निरपक्षता का पश्चिमी सदर्थ भारतीय सदभ स पूणत विपरीत धम से राज्य का सकल्पित रूप से पूयक् करता है और ऐसा करत हुए वह धार्मिक मत्ता पर राज्य-मत्ता को अध्यारोपित करता है। पश्चिम का वस्तुनम धम के रूप मे व्यक्तिया के विश्वास, समपण व लोकेत्तर सत्ता की प्रधानता का भाव प्रकाशित करता है जबकि धम से उमुक्ति व्यक्ति की बुद्धि विवक व इहनीकिक सत्ता की प्रवृत्तियाँ मुपरित करती हैं। इस दष्टि से धार्मिक मत्ता मानवत्तर मत्ता का भाव जगाती है जबकि राज्य सत्ता मानव मत्ता के मयाय का उदूषण करती है। आधुनिक काल के अधिनाज राजनीतिक विचारका ने मानवीय मभावनारा के प्रवाणन की दष्टि म धम का प्रनिकार किया है। मध्यकाल म आधुनिक राज्य की म्यापना स पूव ही मार्सिनिया धाव पडुधा न धम निरपक्षता का भाव प्रकट करते हुए धार्मिक मत्ता के मिध्याभिमान का परिभाषित व परिनीमित किया और प्रत्यत अथवा धप्रत्यक्षत धम निरपेक्ष सरकार के काय दोष को निर्धारित किया। सेबाइन उनके इसी योगदान के कारण उग प्रथम

इरेस्थियन (Erastian) सम्बोधित करता है।¹⁶ मासिलिओ का यह मत था कि आत्मावलम्बन के गुण से युक्त समाज अपनी भौतिक व नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकता है। उसकी दृष्टि में धर्म का पारलौकिक भाव तार्किक दृष्टि से अप्रासंगिक है जबकि उसका सामाजिक प्रासंगिकता का पक्ष सामाजिक सत्ता के अधीनस्थ रूप में ही ग्राह्य हो सकता है। सर्बाइन ने मासिलिओ पर लेटिन एवेरोवाद का प्रभाव स्वीकार करते हुए उसकी धर्मनिरपेक्ष मायताओं का विवरण प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार मासिलिओ का यह मत था कि धर्म-विज्ञान तार्किक ज्ञान को समृद्ध नहीं करता, व्यक्ति बिना ईश्वर की अनुकम्पा के "हृदय को म सुख अर्जित कर सकता है तथा अरस्तु का नीतिशास्त्र (Ethics) बस मोक्षदायक ही हो सकता है।" मासिलिओ के बाद आधुनिक युग के ब्राह्म मुहूर्त में मेकवावेलि ने भी धर्मनिरपेक्षता का अपना विशिष्ट प्रतिमान निर्मित किया। मेकवावेलि राज्य सद्भ में शक्ति की उपादेयता का आग्रह करते हुए शक्तिशाली राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह धार्मिक सत्ता को निरस्त करते हुए राज्य-प्रभुता का संवर्द्धन करे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी दृष्टि में धर्म ही इटली की तत्कालीन दुर्दशा व अयवस्था का प्रेरक था। उसकी दृष्टि में धर्म विषयक "इन सिद्धांतों में व्यक्ति को दुबल बनाया है और उन्हें ऐसे दुराशायी व्यक्तियों के जाल में सहज फँसाया है जो उन्हें (व्यक्तियों को) अधिक निरापद रूप से नियंत्रित कर सकते हैं यह देखते हुए कि अधिकांश व्यक्ति स्वर्ग पाने की लालसा में कष्ट व वेदना सहन करने को अधिक प्रेरित होते हैं बनिस्पत उनका प्रतिरोध करने के।"¹⁶ धर्म की खण्डनकारी वक्तियों के परिचायक ऐसे अनेक उदाहरण व उद्धरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो धार्मिक विवृति का मानव प्रतिभा की सम्भावनाओं से दूर करने का आग्रह करते हैं। धर्म व धार्मिक सत्ता पश्चिम में मूलतः एक ऐसी वास्तविकता के रूप में प्रकट होती है जिसका अपना सस्थागत ढांचा रहा है और विकासक्रम में वह ढांचा धर्मोत्तर सस्थाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है बल्कि, वचस्व स्थापित करता है। इस वचस्व का विद्रोह धर्मनिरपेक्ष व भारतीय तत्त्वा से पूर्ण राज्य-व्यवस्था करती है। इस क्रम में यह सर्वथा तर्कसंगत है कि राज्य धर्म व धार्मिक सत्ता का निषेध करे और धर्मनिरपेक्षी भाव से शासनकाय चलाने का उपक्रम करे। परेशानी तब उपस्थित होती है जब धर्म की नकारात्मकता को राज्य सत्ता निष्प्रभावी बनाती है और कालांतर में विकसित राज्य-नकारात्मकता का प्रतिरोध जनता की विवेक शक्ति करती है और इस क्रम में विकसित व्यक्तिवादी नकारात्मकता 'व्यवस्था का संकट' उपस्थित करते हुए राज्य के उस बग शोषक रूप को प्रतिपादित करती है जिसका समाजवाद का सामाजिक भाव शमन करने की चेष्टा करता है। बुल मिलाकर पश्चिमी सद्भ राहूत की ऐसी मरीचिका दिखाता है जहाँ व्यासे व्यक्ति व्यास नहीं बुझा सकते और व्यास

की व्यावृत्तता के साथ रेगिस्तानी नपन में अविरल यात्रा करते रहते हैं स्वतंत्रता व समानता के ध्रुवीय आदेश उह मतत्त एक-दूसरे की और आकृष्ट करत हैं और इस ध्रुवीय स्थितिया मे व्यवस्थाप्रा के नित नए समीकरण प्रवृष्ट होत हैं । क्या इस दिक्कत का मूल उद्गम वह घम निरपेक्षी भाव तो नही है जो घम के सम्प्रदायगत धयवा मठाधीशी आवरण के परे देगने-परखन की वृत्ति पैदा नहीं करता और प्रकार की विवृति म अभीष्ट की सम्भावनाप्रा का प्रतिकार कर देता है ?

इसकी एक व्याख्या और सम्भावित रूप से प्रस्तुत की जा सकती है— पश्चिमी राजनीतिक सामाजिक सद्भ ने एक समय म व्यक्ति व समाज की कुछ सकलित वृत्तियों को ही प्रतिनिधित्व दिया है— जैसे धार्मिक सत्ता के सद्भ मे विश्वास व समपण भाव की प्रधानता, राज्य स्थापना के उपरान्त मानव विवेक, बुद्धि और तर्क के गुणों की प्रभुता व्यक्तिवादी सद्भ मे व्यक्ति की मत्ता की स्तुति व अभ्यथना समाजवादी सद्भ मे व्यक्ति पर समष्टि का प्राधान्य, आदि । बौद्धिकता का यह आग्रह विज्ञान के बल पर और अधिक बलवान हुआ, वैज्ञानिक क्रातियों ने इस और अधिक निखारा सजाया तथा इनकी व्यापक समाजगत परिलक्षिति न व्यक्त की सत्ता को अनतिम व अपरिमित बना दिया । व्यक्ति की सम्भावनाओं पर सामाजिकता का अकुश लगाने का भाव भी स्थिति का दूसरा सिरा ही बना सका । इन समस्त विकास क्रमों व प्रवृत्तियों को मर्यादित करने वाला कोई बड़ा भाव घम के रूप मे नैतिकता के रूप मे प्रतिष्ठित न हो सका । इस दृष्टि से घम निरपेक्षता ने घम से मुक्ति तो दिला दी लेकिन उस मुक्ति के वाद की स्थितियों की सकारात्मकता वह निर्धारित न कर सकी । परिणामतः राज्य-व्यवस्थाएँ आला पर पट्टी चापेया जन्माघता के घतराष्ट्री परिवेश मे शासन-काय संचालित करनी रही (यह भी संभव है कि सामाजिक प्रतिशक्ति ने मोका पाकर उसकी आल पर पट्टी बस दी हो) । राजनीतिक सद्भ मे यह भाव वहाँ परिवर्तित न हो सका कि शस्त्रारत्र तो अर्जुन के पास हा लेकिन रथ-संचालक सम्बन्धी सारथी भूमिका कृष्ण पूरी करें । घम निरपेक्षता ने राज्य-व्यवस्था पका को एक हाथ मे हथियार लेकर दूसरे हाथ से रथ चलाने को प्रेरित किया । इस क्रम मे कभी केवल रथ ही चलना रहा और हथियार इस्तेमाल नहीं हुए और कभी हथियार चलाने के जोश मे रथ संचालन छोड़ दिया गया, परिणामतः रथ दिक्कत भ्रमित हो गया ।

धर्म निरपेक्षत राज्य भारतीय व पश्चिमी सन्दर्भों की तुलना

धम निरपेक्ष राज्य से सम्बन्धित भारतीय व पश्चिमी सन्दर्भों की तुलनीय विवेचताएँ इस प्रकार प्रकट की जा सकती हैं—

1. भारत मे प्रारम्भिक अवस्था मे घम निरपेक्षता विद्यमान नहीं थी

राल्फ, धर्म से प्रेरणादायक लगाव व्याप्त था। पश्चिम में इसके विपरीत धर्म निरपेक्षता के अन्तर्गत धर्म से पूर्ण मुक्ति का आग्रह किया गया था और धर्म शक्ति पर राज्य शक्ति की प्रधानता स्थापित की गई थी,

- 2 प्राचीन भारत में प्रतीकात्मक धर्म निरपेक्षता का अर्थ यह था कि राज्य किसी एक धर्म अथवा मत को प्रथम न दे बल्कि समस्त धर्मों व मत विश्वासों के विकास को सम्भव बनाए। पश्चिम में धर्म के लण्डन से राज्य शक्ति के विस्तार का व्यावहारिक आधार देने का प्रयास किया गया और धर्म में निहित व्यक्तित्व, के विश्वास व समर्पण की अपेक्षा उनके बुद्धि विवेक व निजी स्वतंत्रता के भाव का प्रतिष्ठित करने का राज्य में आग्रह किया गया,
- 3 आधुनिक भारत ने खाए धर्म भाव का फिर संप्राप्त करने का प्रयास किया और पश्चिमी सभ्यता से मिले पश्चिमी धर्म-निरपेक्ष भाव का अपने मूल भाव से सम्बन्ध करते हुए राजनीति और धर्म में सम्बन्ध स्थापित किया। गांधीजी ने सभी सम्मिलित भाव में नतिक राजनीति का सूत्रपात किया और स्वतंत्रता आन्दोलन को व्यावहारिक नतत्त्व दिया। पश्चिम ने इसका विपरीत, एक बार धर्म से मुह मोड़ने पर दुबारा उसकी आर नहीं देखना चाहा और उससे अलग मानव की अपनी एक ऐसी सत्ता निर्मित करने की चेष्टा की जो धार्मिक सत्ता से पूर्णतः भिन्न थी,
- 4 प्राचीन भारत आज भी सब धर्म सम-भाव (सब धर्मों की समानता का भाव) विकसित करते हुए अल्प सभ्यता समुदायों के धार्मिक हितों व स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का सरकारी प्रयास कर रहा है जबकि पश्चिम में अब गैर-सरकारी सन्दर्भ में आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति समयन बढ़ना शुरू हुआ है। यह स्थिति अपनी शैशव अवस्था में ही है लेकिन विज्ञान की अघिक्ता से प्रकट परेशानी के निराकरण के लिए धर्म व आध्यात्मिकता के गैर पश्चिमी प्रकट भाव के लिए पश्चिम में प्राज्ञ सहज कौतूहल जाग रहा है।

धर्म निरपेक्ष राज्य परिभाषा व सामान्य विशेषताएँ

अब तक के विश्लेषण के आधार पर धर्म निरपेक्ष राज्य को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है—

धर्म निरपेक्ष राज्य वह है जो किसी भी धर्म को सरकारी नीतियों

की दृष्टि से सरकारी संरक्षण न देते हुए अपने राज्य के समस्त हिता विश्वासों व मान्यताओं को समान महत्त्व देता है और राजनीतिक समाज के अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक सदस्यों में इस दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं करता। ऐसा राज्य घम में निरकुशता तो नहीं ग्रहण करता लेकिन साथ ही घम सम्मत याय, स्वतंत्रता व अधिकारों का अपने वायुक्रमों द्वारा अबाधित प्रवर्तन अवश्य करता है।

इस राज्य की निम्नलिखित सामान्य विशेषताएँ प्रकट की जा सकती हैं—

- 1 घम निरपेक्ष राज्य अपने समस्त नागरिकों को धार्मिक आचार-विचार की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है,
- 2 ऐसे राज्य में अधिकृत रूप से कोई घम स्वीकार नहीं किया जाता अर्थात् राज्य का कोई अपना घम नहीं होता,
- 3 इसमें सामाजिक सहिष्णुता का भाव विद्यमान होता है। इसी सहिष्णुता से सामाजिक राजनीतिक सदम में वह आम-सहमति निर्मित होती है जो सरकारी नीतियों व वायुक्रमों को जन-समर्थन का आधार देती है,
- 4 इस समाज में निहित बहुसंख्यकों व अल्पसंख्यकों में उनकी समस्याओं के अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता,
- 5 घम निरपेक्ष राज्य किसी भी प्रकार की राजनीतिक निरकुशता का पक्षधर नहीं है। वह मर्यादित राज्य व आत्म सयमी समाज व नागरिकों की पूर्वापेक्षा करता है।
- 6 इस राज्य में घम का कोई मकील मत अथवा सम्प्रदाय राजनीति को प्रेरित व निर्देशित नहीं करता। घम का ऐसा पक्ष व राजनीति आपस में पृथक् होत है। राजनीति किन्हीं धार्मिक विशेषाधिकारों की मान्यता दकर सामाजिक संतुलन अस्त-वस्त नहीं करता, तथा
- 7 इस सब के बावजूद, घम निरपेक्ष राज्य घम विरोधी नहीं होता, वह केवल धार्मिक पूर्वाग्रहों का ही विरोधी होता है। यह राज्य सब धर्मों के सम्मिलित आदर्शों का स्वीकारत हुए व्यक्ति व समाज को याय, स्वतंत्रता अधिकार व समता उपलब्ध कराने का सकल्पित प्रयास करता है। इस दृष्टि से घम निरपेक्ष राज्य किसी विशिष्ट धर्म को न अपनाते हुए भी एक धर्म-परामर्श राज्य बनने का अनीष्ट स्वीकार करता है और निर्दिष्ट दिशा में चेतनशील रूप से बगने की चेष्टा करता है।

लोक कल्याणकारी राज्य

लोक कल्याणकारी राज्य लोक भावना से प्रेरित एक ऐसा राज्य है जो राज्य समाज सम्बन्धों के सीहाद का दूसरा विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करता है (पहिले, धर्म निरपेक्ष राज्य प्रतिमान की सविस्तार चर्चा की जा चुकी है)।

भारतीय सन्दर्भ

भारतीय सन्दर्भ में दण्डनीति धर्म व राजधर्म की सविस्तार चर्चा के उपरान्त यह कल्पना करना उपयुक्त ही होगा कि यहाँ लोक कल्याणकारी राज्य राजधर्म के प्रेरक तत्त्वों पर ध्वनन्वित था वह किन्हीं राजनीतिक तात्कालिकताओं का परिणाम नहीं था। राजधर्म के प्रवर्तन का मूल आशय ही यह था कि राज्य का केवल नवारात्मक रूप से ही कायशील न हात हुए (जिसके अन्तर्गत वह राज्य सत्र के बल पर आदेश व उनकी अनुपालना स्थिर करता था) सनारात्मक काय विद्या का भी परिचय दे और इस दृष्टि से जनता को विवाम की स्थितियाँ उपलब्ध कराए। मूल भाव यह है कि शासन काय में जनता पर नियंत्रण व जन सुविधाओं को प्रोत्साहन व्याप्त हो। राज्य हस्तक्षेप भी करें और जन सुरक्षण भी प्रदान करें। इस दृष्टि से राज्य की गतिविधियाँ पर्याप्ततः निरूपित की गई थी।

मनुस्मृति में राजा की विस्तृत शक्तियों का उल्लेख मिलता है। राजा की कायकारी शक्तियों के अन्तर्गत दो विशिष्ट पक्ष समाहित थे— सुरक्षण व दण्ड। सुरक्षण व अन्तर्गत नीतियों के समाजगत व्यवहारों से उत्पन्न शक्तियों से बचाव व सबल से निबल की रक्षा का भाव नियत था। दण्ड राज्य की कायकारी शक्ति का एक ऐसा सार रूप था जो व्यवस्था का सजन करता था और राज्य व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों को सजा देने की कानूनी सामर्थ्य मुलभ कराता था। यायिक शक्तियों के अन्तर्गत राजा सर्वोच्च यायाधिपति के रूप में याय प्रवर्तन करता था। राजा इस दृष्टि से राज्य कानून के मूल भाव का प्रकट करता था और विविध प्रथागत कानूनों का विपद अध्ययन करके इस भाव को तरजीह देता था। कानून निर्माण के सन्दर्भ में राजा धर्म शास्त्रों व प्रथागत कानूनों को आधार मानकर शासन विधियाँ नियमित करता था। प्रशासनिक दृष्टि से राजा कार्मिकी की नियुक्ति व उनकी प्रशासनिक गतिविधियों की सवीक्षा करता था। राजा प्रशासनिक सन्दर्भ में सम्पत्ति विषयक प्रश्नों व समस्याओं पर भी ध्यान केन्द्रित करता था। राजा पुरोहितों व ऋत्विगों की भी नियुक्तियाँ करता था। राजस्व क्रियाओं के अन्तर्गत राजा से यह अपेक्षा थी कि वह कर (tax) आरोपित करें और इस आधार पर राज्य कोष सवर्द्धित करें। उसे निश्चय यह था कि जिस पर मध्यमवर्गीय बखड़ा और जोंक अपना आहार धीरे धीरे ग्रहण करते हैं उसी प्रकार राजा को यायिक रूप में हल्का कर आरोपित करना चाहिए। रक्षा

व्यवस्था की सुदृढता के लिए राजा का मैनिंग सगठन, समन्वय एवं सचीक्षा की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त थी। इन सब ने अतिरिक्त राजा का कला व संस्कृति के समुनयन सम्बन्धी अधिनियम आदि भी दिए गए थे। विद्वानों का सम्मान, उनकी विविध करों में मुक्ति आदि ऐसे कार्य थे जिनकी राजा से अपेक्षा की जाती थी।

कौटिल्य ने भी लगभग इन्हीं क्रमों में राज्य व राजा की गतिविधियाँ का वर्णन विशेषण किया है। कार्यकारी शक्तियाँ के अतिरिक्त संरक्षण व दण्ड का प्रावधान यथावत स्वीकार किया गया लेकिन संरक्षण व दण्ड का अधिक व्यापकता दत्त हुए कौटिल्य ने प्राकृतिक विपदाओं से बचाव का कार्य राज्य का सोपा। इसके अतिरिक्त, कौटिल्य ने अपराधियों के संरक्षण का भी संस्थागत उपाय किया और अपराधियों से बचाव व उन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कनेक्टर-जनरल का एक नया पद सजित किया। 'यायिक' सदन में राजा 'यायपालिका' का अध्यक्ष था लेकिन कानून का स्रोत नहीं था। कानून सामूहिक बुद्धिमत्ता से संस्थात्मक ढाँचे में विनिष्ट परिपदों द्वारा निर्मित होता था जिसमें अन्य लोगों के अतिरिक्त राजा भी भाग लेता था। राजा के प्रशासनिक दायित्व मनुस्मृति की अपेक्षा कहीं अधिक सघन व अमसाध्य थे यद्यपि संस्थात्मक प्रशासन को कौटिल्य ने पहले की अपेक्षा अधिक ठोस आधार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने राजा को राजस्व धार्मिक मामला, रक्षा विषयों तथा लोकजीवन से सम्बंधित प्रश्नों का निबटान की दृष्टि से महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान कीं।

लोक कल्याणकारी राज्य की मूल आत्मा भारतीय सदन में अशोक के शासन काल में प्रकट होती है। मौर्य साम्राज्य की गौरवशाली परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अशोक ने उन्हीं एक नयी आयाम दिया। वह आयाम था सहिष्णुता वर्णन व धर्मस्थापना का जो कि साथ बल व शौर्य की पूर्ववर्ती परम्पराओं से बिल्कुल अलग था। अशोक आरम्भ में किसी भी अन्य भारतीय राजा का भाँति से बल का पुजारी था और क्षत्रिय धर्म को राजधर्म का प्रकट रूप मानता था। कर्लिंग विजय ने उसके व्यक्तित्व का पूर्णतः अलग रूप में ढाल दिया। उस युद्ध की निस्सारता हिंसा व द्वेष की निरर्थकता का आभास हुआ और बौद्ध धर्म के विचार तत्त्वा ने उसे उसकी इन भावनाओं का प्रकट करने का सम्पूर्ण प्रदीन किया। यही से धर्म स्थापना उसका आदर्श बन गया और इसकी प्राप्ति के लिए धर्म-यात्राएँ व अन्य धार्मिक उपकरण उसका साधन। इन धर्म यात्राओं में उसने लोक कल्याण की भावना से बौद्ध धर्म व उपदेशों की व्याख्या की और जनता का उनसे परिचित कराया। उसने उन्हीं यह समझाया कि स्वयं प्राप्ति केवल महान् आत्माओं का ही एकाधिकार नहीं है आम लोग भी नैतिकता के प्राचीन नियमों को अपने आचरणों में ढाल कर इस लक्ष्य का पा सकते हैं। यह संभवतः वह विरल क्षण था जब कोई सम्प्रभुशायक केवल अपराधियों, पुराहिता, सिपाहियों व शिकारियों की सगत में

समय न बिताकर ग्राम लोगो के बीच जी रहा था और उनके मध्य धर्म सम्बन्धी चर्चाएँ करके धर्म के प्रति लोक भाव जगा रहा था।⁹ इन यात्राओं का काफी अनुकूल प्रभाव पड़ा। अशाक ने धर्म स्थापना के व्यक्तिगत कार्य की व्यापकता प्रदान करते हुए धर्मसंघों की स्थापना की। उसने धर्म प्रवर्तन के लिए अपने राज्य में जगह-जगह धर्मस्तम्भ गढ़वा कर भी धर्म प्रचार का अपना कार्य किया। य धर्मस्तम्भ बौद्ध धर्म व धर्मशासन सम्बन्धी अशाक के विचारों का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करते थे। राज्य के अन्दर धर्म प्रचार के लिए उसने राज्य-कर्मचारियों के एक नियमित वर्ग का उत्पन्न किया और राज्य के बाहर भी उसने धर्म प्रचार के लिए अपने विशेष दूत भेजे। अशाक ने धर्म का शांति-स्थापना के रूप में भी प्रस्तुत किया और इस दृष्टि से 'भैरी घोष' (युद्ध की विगुल घोषणा) को 'धम्म घोष' (धर्म प्रवर्तन की घोषणा) में परिणत किया।¹⁰ बौद्ध धर्म स जुड़े होने के बावजूद अशोक अर्थ धर्मों के प्रति पूर्णतः सहनशील था। वह सब धर्मों का विकास करके धर्म स्थापना का कार्य करना चाहता था। उसने हिंसा का निषेध करते हुए पशु हत्या पर प्रतिबन्ध लगाया। यन्त्र में आहुति देने के लिए की जाने वाली पशु हत्या पर भी उसने रोक लगाई। उसने व्यक्तियों व पशुओं के इलाज के लिए चिकित्सालय बनवाए। इसके अतिरिक्त यात्रियों की सुविधा के लिए उसने स्थान-स्थान पर जन व्यवस्था की पेड़ लगवाए तथा धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उसने ब्राह्मणों व श्रमणों को उदारतापूर्वक दान दक्षिणा देने की भी व्यवस्था की और राज परिवार के सदस्यों को इन कार्यों से जुड़ने को प्रेरित किया। अशोक ने अपने कर्मचारियों का स्पष्ट निर्देश दे रखे थे कि वे समय समय पर विभिन्न स्थानों पर जाकर वहाँ धर्म-प्रवर्तन की प्रगति का जायजा ले। य समस्त गतिविधियाँ इस बात का सबूत देती हैं कि अशोक वैचारिक स्तर पर व्यक्तियों को धर्म से दीक्षित करके लोक कल्याण भाव विकसित करना चाहता था और उसे प्राप्त करने के लिए राज्य-साधनों द्वारा लोक कल्याणकारी कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते थे।

भारत में मौर्यशासन के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य क्रियाओं का सूत्र रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है¹¹—

- 1 भवन निर्माण के अत्यधिक ध्यापक नियमों व आवश्यकताओं का क्रिया चयन,
- 2 वस्तुओं में उपद्रवों और विविध जन प्रसुविधाओं पर कानूनी पालनी,
- 3 किराएदारी कानूनों की स्पष्ट धारणा व राज्य द्वारा उनका प्रभावी प्रवर्तन

- 4 निजी भवनों में भी सामुदायिक सभागारों, उनके प्रयोग तथा हम आघार पर सामुदायिकता की व्यवस्था,
- 5 नागरिकों के निजी भवन व सम्पत्ति के अतिक्रमण व अधिग्रहण पर रोक,
- 6 सावजनिक नैतिकता की स्थापना के लिए जुए पर नियंत्रण, वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध व अन्य अनैतिक कार्यों का राज्य द्वारा निषेध,
- 7 अनाथ (लावारिस) सन्तानों की राज्य द्वारा देखभाल,
- 8 सावजनिक स्वास्थ्य की अनुकूलता के लिए राज्य द्वारा चिकित्सकों पर प्रभावी नियंत्रण,
- 9 अन्न भण्डारों का नियमित जायजा व खाद्यान्न मिलावट का कानूनी निषेध,
- 10 मिचार्ड कार्यों एवं योजनाओं का राज्य निर्देशन में प्रवर्तन
- 11 श्रमिका का राज्य नियंत्रण एवं नियमन व उनके जीवन के विविध पक्षों में महत्कारी भाव की उत्पत्ति
- 12 यातायात की दृष्टि से राजमार्ग सामान्य मार्ग आदि की व्यवस्था व विविध भागों पर पूर्ण चौकसी,
- 13 प्राकृतिक विपदाओं जैसे आग, बाढ़ इत्यादि से बचाव, तथा
- 14 वातावरण-प्रदूषण (Pollution) पर रोक व इसके अपराधियों का महत् सजा

इन विविध कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने की दृष्टि से मौर्य साम्राज्य न प्रशासन के एक ऐसे समर्पित सिद्धान्त को अपनाया जिसमें राज्य के विविध स्तर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से एक दूसरे से व्यावहारिक स्तर पर जुड़े हुए थे। आवश्यकतानुसार प्रशासन के द्वीकरण व के द्वीकरण का भाव प्रकट करता था।

स्वतंत्र भारत भी अपनी मूल प्रकृति में लोककल्याणकारी राज्य है। स्वतंत्रता के उपरान्त ही, (1) राजनीतिक दलों की ससदीय प्रतियोगिता व आघार पर सरकार का गठन, (2) जन-सम्प्रभुता का मूल भाव (3) समन्वित प्रशासनिक व्यवस्था, (4) सचवाद व राजनीतिक शक्ति का विके द्वीकरण (5) सामुदायिक विकास कार्यक्रम व पंचायती राज, (6) औपनिवेशिक शिक्षा व स्थापना पर स्वतंत्रता-प्रभिमूर्खी शिक्षा, (7) विज्ञान व तकनीकी की माधनात्मक भूमिका, (8) मायपालिका की स्वतंत्रता (9) सर्वप्रथम समभाव व साम्प्रदायिकता निषेध (10) मुद्रा रक्षा-व्यवस्था, (11) सामाजिक न्याय की दृष्टि से सांविधानिक प्रथम में स्वतंत्रता व समानता का समायोजन, (12) नियोजित अर्थव्यवस्था आदि विशिष्ट लक्षणों द्वारा लोककल्याणकारी राज्य की अभिव्यक्तियों का सुपरित

करने का सकल्पित प्रयास प्रारम्भ किया गया। इस भाव को चरिताय करने में यद्यपि राजनीतिक इच्छा का अभाव अक्सर अपनी नकारात्मक भूमिका निभाता है, पश्चिम पर्व राज्य की वास्तविकता स्वतंत्र भारतीय राज्य को उसकी पूर्ववर्ती राज्य व्यवस्था से मिश्रता प्रदान करती है और घमपरायणता राजनीतिक प्रभुता के आग घुटने टकती सी प्रतीत होती है, फिर भी एक नैतिक मूल्य के रूप में लोककल्याण का भाव अभी भी प्रतिष्ठित है।

पश्चिमी सन्दर्भ

लोककल्याणकारी राज्य का विकास पश्चिम में राज्य प्रवृत्ति का मूल तत्त्व नहीं रहा है बल्कि, उसकी उपस्थिति बीसवीं शताब्दी के दौरान चरिताय हुई है। इसका अर्थ यह है कि पश्चिम में लोककल्याणकारी राज्य का विचार अनेक राजनीतिक उतार चढ़ावों का प्रकट परिणाम है। इन स्थितियों के दौरान पश्चिमी राज व्यवस्था का अनेक दुर्लभ वैचारिक जटिलताओं का सामना करना पड़ा और उनके क्रम में उसे अपने आपको पुनः स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। जिस प्रकार राज्य ने अपनी पूर्ववर्ती सत्ता (धार्मिक सत्ता) का दमन करके अपने आपको स्थापित किया उसी प्रकार उसे समय-समय पर सामाजिक सत्ता के बड़े यथाय सं भी टकराना पड़ा। कभी राज्य शक्ति निर्णायक विजय पा सकी और कभी सामाजिक शक्ति ने स्थापित राज्य-व्यवस्था की पावनता का भंग कर दिया। लोककल्याणकारी राज्य का विचार प्रकट दो प्रवृत्तियों का निपेक्ष करता है— (1) व्यक्तिवाद व उसके वैचारिक सन्दर्भ में राज्य के अहस्तक्षेपी रूप की कल्पना और (2) समाजवादी राज्य संरचना से उत्पन्न राजनीतिक चुनौतियाँ। इन प्रवृत्तियों का विरोध करके पश्चिमी लोककल्याणकारी राज्य वास्तव में किसी-न किसी प्रकार अपना कार्य-क्षेत्र विस्तृत करना चाहता था बिना अपने मूल रूप में किसी परिवर्तन का स्थान दिए हुए। वह न तो व्यक्तिवाद के सीमित राज्य-क्षेत्र का नुस्खा स्वीकारने को तैयार था और न ही समाजवादी व्यवस्थाओं के विचार-धारार्थ प्रस्तावों द्वारा अपने में बुनियादी अन्तर ही लान का इच्छुक। उसने वास्तव में व्यक्तिवाद को राज्य-व्यक्तित्व में उतार लिया है और स्वयं यह कुछ करना चाहता है जो 18वीं 19वीं शताब्दी में व्यक्ति करने के इच्छुक थे। इस दृष्टि से अभीष्ट विस्तार को लोकमायगा तभी मिल सकती थी जब किसी लोकभाव को इन प्रयासों के आवरण के रूप में ग्रहण किया जाता। पश्चिमी राज्य न लोक-कल्याण के भाव को इस सन्दर्भ में लिया और इससे उत्पन्न अधिष्ठित द्वारा अपने क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार करने में वह सफल रहा। इस दृष्टि में यह स्वीकारना असंगत न होगा कि पश्चिमी राज्य का लोककल्याणकारी भाव मूलतः एक रणनीति-कौशल का परिचायक है न कि वह अपने आप में कोई स्थायी भाव—एक

एसा रण कोशल जिसमें व्यक्ति को भी दयावा जा मवना है और समाजवादी आग्रहा का भी प्रतिरोध किया जा सकता है। इस क्रम में सैद्धान्तिक दृष्टि से राज्य व सिम्तत क्षेत्र का तथा बल मिला और व्यावहारिक दृष्टि से राज्य फिर एष सर्वोच्च कानूनी-राजनीतिक सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रतिष्ठा के पर का पुन पान में उमने उदारवादी लोव सत्र और समाजवादी नियोजन (planning) व समतावाद (egalitarianism) का ऐसा विचित्र सम्मिश्रण बनाया जो न ता पुरानी विचारधारा के समान है और न ही नातिवारी समाजवादी विचारधारा से भन गाता है। वह ता कम पश्चिमी राज्य सत्ता के पुनउद्भव का ही समापात करता है। प्रभीष्ट भी यदी था।

अन्तर्गत शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार हुआ, श्रमिक कल्याण से सम्बन्धित राज्य-व्यवस्थापन चरिताथ हुए, रोजगार के अवसर बढ़े, बढावस्था व विकलांगता की स्थितियों में राहत मिली लेकिन इन सबका मूल्य प्राप्त लाभों की अपेक्षा वही अधिक साबित हुआ। एक मूलतः दमनकारी राज्य नई स्थितियों व अवसरों का लाभ उठाकर सामाजिक जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में हस्तक्षेप का अधिकार पा लिया। राज्य व्यवस्था और अधिक केन्द्रित (centralized) हो गई, राज्य पर व्यक्तियों का आश्रय अत्यधिक दायनीय स्थिति तक पहुँच गया। इस स्थिति के परिणामस्वरूप जब राज्य को अपनी अपरिहार्यता (indispensability) का आभास हुआ तो उसने 'आत्म-महत्त्व' का आरंभ अधिक बढ़ाते हुए व्यक्तियों के कल्याण भाव को तिलाजलि दे दी। पश्चिम में व्यवस्था का संकट सभ्यता का संकट, व्यवस्था से वितर्णना व अलग-अलग मूलतः एक दुर्दमनीय राज्य व्यवस्था से उक्त हुए व्यक्तियों व समाजों की दमित भावनाओं का संकेत है। लोक कल्याण-भाव का साधन पाकर पश्चिमी राज्य ने सफलता की मजिल पाई और फिर ऊपर चढ़कर इस्तेमाल की गई साधन रूपी सीटों का खींचकर अपने पास ही रख लिया कि वही बोट और सत्ता इन सीटों का प्रयोग करके उसके पास तक न पहुँच जाए। स्वतंत्र भारत की उदीयमान प्रवृत्तियाँ भी अपने मूल रूप में इस स्थिति का प्रवाद नहीं हैं।

लोक-कल्याणकारी राज्य का वास्तविक सन्दर्भ

भारतीय व पश्चिमी सन्दर्भ के प्रकाश में लोक कल्याणकारी राज्य का आधुनिक विचार इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि अपक्षित धर्मसम्मतता व उससे प्रकट पैतृक संरक्षण की राज्य व्यवस्था के विचार से हटकर आधुनिक लोककल्याणकारी राज्य लोकहित व कल्याण का एक साध्य नहीं बल्कि, साधन मानकर प्रकट हुआ, साध्य राज्य-वचस्व रहा और लोक कल्याण सिर्फ मुहावरा बनकर रह गया। यह एक ऐसा विचार है जो लोक कल्याण की वैचारिक ताम्रभाषा में संकलित करता है लेकिन उसे ग्रहण करते हुए और संगठित करते हुए वस्तुतः वह राज्य प्रभुता की वास्तविकता ही सुलभ कराता है। पश्चिम में लोकतंत्र न स्वतंत्रता के मूल आदेश का तोड़कर समता का भाव आयातित किया लेकिन दूसरे को चरिताथ बनने की उसकी इच्छा ही नहीं थी और पहले के सन्दर्भ में उसकी नियत बदल गई। ऐसी स्थिति में लोक-कल्याणकारी राज्य की निम्नलिखित वास्तविक प्रवृत्तियाँ निदिष्ट की जा सकती हैं—

- 1 राज्य का अति केन्द्रित रूप जिसके द्वारा वह राजनीतिक सामाजिक महत्त्व के लगभग सभी पक्षों में शक्तिपरक हस्तक्षेप करता है
- 2 सामाजिक स्थितियों में अभूतपूर्व विषमता जिसके कारण समाज

अपन ही बुने जाल में घटक सा गया है और 'सामाजिकता' का भाव लगभग विलुप्त सा ही है,

- 3 व्यक्ति की स्वतंत्रताएँ, अधिकार व सामंजस्य राज्य-व्यवस्था के पास गिरवी रखी हुई हैं। राज्य इच्छानुसार उनके बदले उसे सामाजिक सुविधाएँ देता है और इस लक्ष्य में वह व्यक्ति को बरबस यह आभास दिलाता है कि वह राज्य पर पूर्णतः आश्रित है और उसके सम्मुख क्षुद्र व बीना है,
- 4 लोकतंत्र केवल सरकारी तंत्र बनकर रह गया है। जब लोक प्रभुता ही न हा तो नाकभाव मुखरित भी कैसे हो सकता है? यह सरकारी तंत्र व्यक्तियों की आस्था व समर्थन से नहीं बल्कि, अपने सरकारी बलबूते पर चलता है। इसीलिए व्यवस्थाओं से व्यक्ति पाथक्य (अलगव) महसूस करता है, व्यवस्था उसके लिए उसकी अपनी नहीं हैं बल्कि उससे पूर्णतः जुदा एक वास्तविकता है,
- 5 लोकतंत्र की लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति ने राज्य प्रशासन क्षेत्र का विस्तारित करते हुए राज्य व्यवस्थापकों के इद गिद कुछ ऐसे निहित स्वार्थों का जन्म दिया है जो जाता व व्यवस्थापकों के बीच दलाल का काम करते हैं और इस धर्म में जनता से अपयाप्त विकास लाभों पर भारी कमीशन और राज्य-व्यवस्थापक वगैरे से अपनी दलाली के लिए उदार वरगीश पाते हैं। ऐसी स्थिति में यह मध्यस्थ वगैरे स्वयं एक विशिष्ट वगैरे बन गया है जो उठा ता आम जनता से है लेकिन जिसका आचार व्यवहार 'बड़े लोगों या साहित्य लोगों का सा है।
- 6 सरकार का राज्य की अन्य समस्याओं की तुलना में प्रभाव इतना बढ़ा चढ़ा है कि अन्य समस्याएँ अपना मूल्य खोती जा रही हैं। आज यह कहा जाता है कि समर्थ अपना अर्थभूल्यन देख रही है 'याय पालिकाओं पर सरकारी दबाव बढ़ रहा है और अन्वयार रेडिया आदि सरकारी हस्तक्षेप का शिकार है। राज्य के मूल रूप में सरकार आज सर्वशक्तिमान है।

ये समस्त प्रवृत्तियाँ लोक कल्याण की परिचायक नहीं हैं बल्कि, इनमें राज्य के पूर्णतावादी नियंत्रण की पुष्टि होती है।

उपसंहार

राज्य गतिविधियों का सामाजिक सन्तुलन यह इंगित करता है कि हर व्यवस्था में राज्य गतिविधियाँ सामाजिक प्रवृत्तियों के सदम में नियोजित की गई हैं। समाज

की व्यापक गकारात्मक क्षतियाँ उ राज्य का एक मीमित सन्देश प्रदान किया और राज्य का मायात्मक भाव प्रतिष्ठित हुआ जबकि उमकी (समाज की) नकारात्मक प्रवृत्ति । राज्य का निषेधी रूप प्रदान किया । उन स्थिति में राज्य स्वयं समाज में प्रकट होकर भी उमके निषेध का तत्पर हो गया -सोच-बल्याण का स्वतंत्र मोक्ष प्रभुत्व न ले लिया और यह स्थिति स्वयं एक सामाजिक वास्तविकता बन गई—राज्य न समाज में उतर उठा हुए सामाजिक प्रभाव की सुधारण का बीजा उठाना नकि प्रपन प्राप्त का प्रतिम व अपरिहार्य दस्तार उसने यह उद्देश्य ताक पर रम किया और प्रपन प्राप्त का ही निगारना सकारना प्रादि शुरू कर दिया । चाहे राज्य गतिविधियों का कोई भी सन्देश क्या न हो वह समाज में पुपक नही हो सकता । इस दृष्टि में राज्य की ममला गतिविधियाँ समाज व सामाजिक स्थितियों / प्रवृत्तियाँ में ही निर्धारित व विकसित होती हैं ।

प्राज राज्य एक घनाटय प्रभुता का संकेत देता है । राज्य-हस्तक्षेप समाज का हर पद का प्रभावित करता है । बाकर द्वारा व्यक्त राज्य की ममर स्वचलता (humming automatism) के प्रकट भाव का ग्रहण करने हुए ये ब भट्टाचार्य का यह कथन है कि राज्य गतिविधियों के उपयुक्त क्षेत्र का निर्धारण व उसकी सीमाएँ एक मुश्किल काय है । यह प्रश्न प्रभूत सिद्धांतों व निर्माण द्वारा नहीं बल्कि, परिस्थितियों व विकास तथा राजनीतिक सत्ता के सामुदायिक दृष्टिकोण द्वारा मुसभाया जा सकता है ।¹²

टिप्पणी व उत्तरण

1. ग्रॉसट वाकर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थिअरी, पृ० 273
2. विस्तृत चर्चा के लिए देखें विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, स्टडीज इन हिंदू पॉलिटिकल थॉट ऐण्ड इटस मेटाफिजिकल फाउंडेशंस, विशेषतः अध्याय 3, "नचर ऑफ दि कॉन्सप्ट ऑफ धर्म ऐण्ड इटस इन्फ्लुएंस ऑन हिंदू पॉलिटिकल थिअरी" पृ० सं० 88-138
3. गृहद्वारण्यक उपनिषद, 1, 4 14
4. गॉजिन्द चन्द्र पाण्डे, 'शिक्षानीति और धर्मनिरपेक्षीकरण,' राज्यशास्त्र समीक्षा, वप 3, अंक 2, जनवरी 1973, पृ० 2
5. वही,
6. जॉज एच० सेग्राइन, ए हिस्टरी ऑफ पॉलिटिकल थिअरी, पृ० 274
7. वही,
8. वही, पृ० 319

- अपने ही चुन जान में अटक सा गया है और 'सामाजिक' भाव लगभग विलुप्त सा ही है,
- 3 व्यक्ति की स्वतन्त्रताएँ अधिकार व सामर्थ्य राज्य-व्यंगिरी रखी हुई हैं। राज्य इच्छानुसार उनके बदले लुगुविधाएँ देना है और इस लेन देन में वह व्यक्ति का आभास दिलाता है कि वह राज्य पर पूर्णतः आधिपत्य सम्मुख धृष्ट व बीना है,
 - 4 लोकतन्त्र केवल सरकारी तन्त्र बनकर रह गया प्रभुता ही न हा तो लोकभाव मुखरित भी कस सरकारी तन्त्र व्यक्तिया की आस्था व समर्थन सरकारी बलबूते पर चलता है। इसीलिए पाथक्य (अलगाव) महसूस करता है, व्यवस्था अपनी नहीं हैं बल्कि उससे पूर्णतः जुदा एक
 - 5 लोकतन्त्र की नाम कल्याणकारी प्रवृत्ति के विस्तारित करत हुए राज्य व्यवस्थापन निहित स्वार्थों का जन्म दिया है जो जनता दलाल का काम करते हैं और इस विकास तन्त्रो पर भारी कमीशन आ अपनी दलाली के लिए उदार यह मध्यस्थ वग स्वयं एक विशिष्ट आम जनता से है लेकिन 'साहित्य लोग' का सा है।
 - 6 सरकार का राज्य की श्रय बढा चढा है कि श्रय सरथाएँ यह कहा जाता है कि समद अपना पालिकाओ पर सरकारी आदि सरकारी हस्तक्षेप का सरकार आज सबशक्तिमान है।

ये समस्त प्रवृत्तिया लोक कल्याण की परिचायक के पूर्णतावादी नियन्त्रण की पुष्टि होनी है।

उपसंहार

राज्य गतिविधिया का सामाजिक स दम यह इंगित करता है। मे राज्य गतिविधिया सामाजिक प्रवृत्तिया न सदम म नियोजित की गई

राज्य-प्रकृति के विविध सिद्धान्त समकालीन वास्तविक

राज्य की प्रकृति को किसी एक सिद्धान्त की सहायता से नहीं समझा जा सकता। वास्तव में राज्य-प्रकृति की सम्पूर्णता विविध प्रकृति सिद्धान्तों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मूलतः राज्य-प्रकृति के परिचायक तीन सिद्धान्त हैं जिन्हें सदाभूत राजनीतिक चिन्तन व अध्ययन विश्लेषण हाता रहा है। ये तीन सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

- (i) राज्य प्रकृति का न्यायिक सिद्धान्त
- (ii) राज्य प्रकृति का आगिक एकता सिद्धान्त तथा
- (iii) राज्य प्रकृति का भावसवादी सिद्धान्त।

न्यायिक सिद्धान्त

राज्य प्रकृति का यह सिद्धान्त कानूनी यथायथ को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए राज्य को एक विशिष्ट "व्यक्तित्व" की कल्पना करता है—एक ऐसा व्यक्तित्व जो कानून समर्पित है और जिसकी विविध व्यक्तिपरक वक्तियों की कानूनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। इस कानूनी यथायथ से राज्य के न्यायिक भाव व तत्सम्बन्धी विशेषताओं का आभास मिलता है। इस सिद्धान्त के प्रतिनिधि विचारक हॉब्स, बोदा, फ्रास्टिन आदि हैं। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- 1 राज्य एक विशिष्ट कानूनी व्यक्ति है जिसका एक अभिनेय व्यक्तित्व है,
- 2 एक व्यक्तित्व के रूप में राज्य की अपनी विशिष्ट इच्छा है जो सम्पूर्ण समाज की इच्छा से स्वतन्त्र व भिन्न है,

- 9 आर० सी मजूमदार, एच० सी० रायचौवरी, कालीकिंकर प्रता एन एडवांस्ड हिस्टरी ऑफ इण्डिया, पृ० 105
- 10 वही, पृ० 106
- 11 मूलतः भाम्बर आनन्द सेनेटार के खण्ड V अध्याय IV पर आधारित, देखें सेनेटार ऑफ इण्डियन पॉलिटिकल पार्ट एण्ड इन्स्टीट्यूशंस, पृ० 361-377
- 12 रे व भट्टाचार्य, पॉलिटिकल थियरी, पृ० 417

(मशीनी) रूप का भी समर्थन नहीं करता। उसके मत में राज्य किसी औपचारिक व बनावटी निर्माण को चरिताथ नहीं करता बल्कि, उसके क्रम से राज्य के विविध अंगों की सहयोगपरक अंतर्निभरता व उससे उत्पन्न एकता परिलक्षित होती है।

आगिक एकता का भाव राजनीतिक विचारों में सब प्रथम प्लेटो द्वारा अभिव्यक्त हुआ। प्लेटो ने समाज व राज्य के सदृश म आगिक सहयोग को प्रकट करते हुए विवेक का समाज रूपी शरीर का मिर, शीथ का उसके हाथ व क्षुधा को उसके पेट के रूप में निरूपित किया और शरीर रूपी उच्चता के क्रम में इन गुणों में युक्त अंगों का क्रमशः उच्चतर स्थान दिया। इस क्रम में विवेक (सिर) सर्वोच्च, शीथ (हाथ) मध्यवर्ती तथा क्षुधा (पेट) निम्न स्थानों पर निर्धारित हुए। सिसरो ने भी राज्य की कल्पना एक समन्वित शरीर से की और राज्य सदस्यता को समान हितों पर आधारित एक समान अधिग्रहण के रूप में पाया। उसकी दृष्टि में राज्य एक ऐसा नैतिक समाज है जिसमें व्यक्ति नैतिक परिवेश में ही नैतिक वृद्धि से बंधे हुए नैतिक व्यापार चलाते हैं और इस आधार पर नैतिकता का सवद्धन करते हैं। सिसरो की ही भाँति जान अफ सेलिस्टर ने भी आगिक एकता के सदृश में अपने राज्य विषयक विचार प्रतिपादित किए। इसी क्रम में मार्सिलियो व ग्लूसिअस ने भी अपने विचार प्रकट किए। मध्यकाल में यह भाव पर्याप्ततः स्थापित था। आधुनिक समय में आदशवादों अथवा दार्शनिक सिद्धान्त के सदृश में आगिक एकता सिद्धांत में एक नया आधार पाया। कुछ अंश में यह भाव हॉब्स व रूसो में विद्यमान था। हेगल ने भी इसे अपने राजनीतिक विचारों में प्रतिबिम्बित किया। जब हेगल ने यह भाव अभिव्यक्त किया कि सुस्कृति के समस्त तत्त्व परस्पर जुड़कर एक ऐसी व्यवहार्य इकाई निर्मित करते हैं जिनमें धर्म, दर्शन, कला व नैतिकता एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं तो वह प्रकारांतर से सघटकों की एकता को आगिक एकता के रूप में ही प्रकट कर रहा था। ब्लुशली ने आगिक एकता से सम्बंधित अपने सम्मोहन को इस प्रकार प्रकट किया— जिस प्रकार एक तैल चित्र तैल की बूंदों के मात्र समूहन से कुछ अधिक होता है जिस प्रकार एक भूति सममरमर के वण संयोजक से कुछ अधिक होती है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति केवल कोशिकाओं व रक्त-अणुओं की संख्या से कुछ अधिक होता है उसी प्रकार कोई राष्ट्र नागरिकों के केवल समूहन से कुछ अधिक होता है और राज्य बाह्य नियमनों व सकलन मात्र से बढकर कुछ होता है।¹

इंग्लण्ड में हबट स्पेंसर ने इस सिद्धांत को विवक्षित किया। उसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि प्रारम्भ में उसने सावभौमिक विकास की कल्पना की और उसके बाद उस क्रम में जैविक विकास की।² स्पेंसर ने राज्य व जैविक आगिकताओं में समानता दिखाते हुए यह मत व्यक्त किया कि जैविक शरीर में पहले स्तर पर तो (मुँह व पेट के रूप में) कुछ भोजन नलियाँ होती हैं जिनका

- 3 एक कानूनी अस्तित्व के रूप में राज्य की एक निश्चित कानूनी इच्छा भी है जिसके अनुरूप ही कानून निर्माण, कानून प्रवर्तन व कानून अधिनियम हा पाता है,
- 4 राज्य का यह व्यक्तित्व कृत्रिम नहीं है बल्कि, पूर्णतः यथाथवागी है। वास्तव में एक स्थायी परिपक्व के रूप में उसका व्यक्तित्व अमर है जबकि उसमें व्याप्त व्यक्तियों का व्यक्तित्व मलय है और इस दृष्टि से अल्पकालिक अथवा सीमित,
- 5 राज्य के विशिष्ट व्यक्तित्व, कानूनी इच्छा व स्थायित्व के संयुक्त भावों के प्रतिफल के रूप में राज्य के कुछ विशिष्ट हित भी हैं जो समय व सदैवगत व्यक्तियों व समूहों के हितों से बड़े हैं और स्थायी भी,
- 6 स्थायी हितों को बल देने के क्रम में यह स्थायी कानूनी व्यक्तित्व (राज्य) जनहितों की औचित्यपूर्ण अवज्ञा कर सकता है, तथा
- 7 एक अनुभव-जय व्यक्तित्व के रूप में राज्य धन व सम्पत्ति का स्वामी होता है। इसी विशेषाधिकारी स्थिति से संचालित हाते हुए वह व्यापार वाणिज्य आदि का नियमन करता है और सम्पूर्ण समाज को सुरक्षा प्रदान करता है।

इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसके द्वारा विरूपित राज्य प्रकृति प्रत्यक्ष यथाथ की समस्त विधाओं से परे है। इसके आलोचकों में डुगुइट प्रधान रूप से उल्लेखनीय है।

आगिक एकता का राज्य-प्रकृति सिद्धान्त

आगिक एकता का सिद्धांत राज्य को जीव शास्त्रीय दृष्टि से देखते हुए उसकी तुलना मानव शरीर से करता है। इसकी यह भावना है कि जिस प्रकार मानव शरीर के विविध अंग क्रियाशील होकर मानव शरीर चलाते हैं उसी प्रकार राज्य के विविध अंग राज्य-व्यवस्था को संचालित करते हैं। लीबॉव ने आगिक सिद्धांत की व्याख्या करते हुए यह लिखा कि जिस प्रकार हाथ का शरीर से और पत्ते का पेड़ से सम्बन्ध होता है उसी प्रकार मनुष्य का समाज व राज्य से सम्बन्ध है। राज्य प्रकृति का आगिक एकता सिद्धांत राज्य प्रकृति के यायिक सिद्धांत का इस दृष्टि से आलोचक है कि यायिक सिद्धांत नियतिवादी क्रम में राज्य का कानूनी व्यक्तित्व निर्धारित करता है। आगिक एकता सिद्धांत, इसके विपरीत राज्य के स्वाभाविक क्रम में विकसित अंगों के तथ्य को स्वीकार करता है और उनकी पारस्परिकता के परिणाम रूपी राज्य के स्पन्दशील, जीवित रूप पर बल देता है। इसके अतिरिक्त, वह सामाजिक समझौता सिद्धांत के यायिक

राज्य-प्रकृति का मावसंवादी सिद्धान्त

राज्य प्रकृति की मावसंवादी व्याख्या ने राज्य की उत्पत्ति विकास व गन्तव्य सम्बन्धी विशेषताएँ प्रकट की हैं जो इसकी पूर्ववर्ती व्याख्याओं से गुणात्मक आधार पर भिन्न हैं—

- 1 राज्य सदैव स्थापित रहा हा ऐसा नहीं है। वस्तुन अनेक राज्य विहीन समाज प्रारम्भिक अवस्था में विद्यमान रहे हैं। राज्य एक निश्चित सामाजिक आर्थिक विकास की अवस्था में उस समय प्रकट हुआ जब समाज वर्गों में विभक्त हुआ और इन विभाजक वक्तियों के फलस्वरूप राज्य की विनिष्ट आवश्यकता प्रतीत हुई।⁴
- 2 विभाजक-वक्तियों को और पैना बर्न व कारण राज्य एक पक्ष पाती संस्था के रूप में प्रकट होती है—एक ऐसी संस्था जो पूजा पतिया व हाथों में केन्द्रित होकर सामाजिक-आर्थिक शोषण को आधार देती है। इस दृष्टि से राज्य की कोई नैसर्गिक अथवा स्थितिजन्य नैतिकता नहीं है। वह ता पूजापतियों के हाथों में शोषण का एक प्रवर्तनकारी माध्यम है और इस कारण एक अवाञ्छनीय वास्तविकता, इस स्थिति की व्याख्या इस उद्धारण से की जा सकती है कि राज्य के जन्म में कानून के जन्म को चरितार्थ किया, "धार्मिक मानकों व नुस्खा की एक व्यवस्था सुलभ कराई जिसने केवल शासक वर्ग की इच्छा की ही अभिव्यक्ति की और उसे राज्य की दमनकारी शक्ति से संरक्षित किया,
- 3 वर्ग विभाजनों को मिटाने के लिए सवहारा वर्ग का संगठन तथा उसके संगठन द्वारा वर्ग संघर्ष की चेतनशील अवस्था का निरूपण अपरिहार्य है। वर्ग संघर्ष की सफल परिणति 'बुजुआ राज्य की प्रवर्तनकारी शक्ति का दमन करेगी और प्रवर्तन शक्ति सयो जित करत हुए उसके वर्गीय स्वरूप को व्यापक सामाजिकता से परिशुद्ध करेगी, तथा
- 4 उत्पादन के सामाजिक साधना व उनकी सामाजिक मित्त्वयत के नए सन्तर्भ में उत्पादन सम्बन्ध अपना पूर्ववर्ती शोषण छोड़ेंगे और उनमें श्रांतिकारी अन्तर उपस्थित होग। सवहारा वर्ग का संप्रमणकालिक अधिनायकत्व अन्तत वर्गों को समाप्त करेंगे और उनके साथ राज्य भी अन्त्य हा जाएगा। एजिल्स के शब्दों में उत्पादकों की उन्मुक्त व समान भागीदारी के आधार पर गर्मीज राज्य को उनके उपयुक्त ठिकान पर रखा दगा और यह चर्चे

समान रूप राज्य में उत्पादन केन्द्रों के रूप में प्रकट होता है, दूसरे स्तर पर शरीर जहाँ संचरण उपकरणों (circulatory apparatuses) के रूप में घमनियों व नमों को प्रकट करता है वहीं राज्य में ये मातायात व्यवस्था के रूप में परिनिक्षित होती हैं, तीसरे स्तर पर शरीर प्रेरक-तंत्रिका (nerve moter) व्यवस्थाओं के रूप में (मस्तिष्क तंत्रिका) को प्रस्तुत करता है। जबकि राज्य इस सदन में सरकार को उपलब्ध कराता है। इन प्रतीकात्मक समानताओं के बावजूद स्पेसर दानों में पर्याप्त अंतर भी प्रस्तुत करता है—(1) उसके अनुसार शरीर 'असतत' है क्योंकि उसके भाग एक-दूसरे से जुड़कर भी स्वतंत्र हैं जबकि राज्य एक सतत इकाई है जिसके विविध भाग एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बंधित हैं, (2) इसके अतिरिक्त स्पेसर की दृष्टि में शरीर में चेतना उसके बहुत ही छोटे भाग (दिमाग) में निहित होती है जबकि राज्य में वह व्यापक रूप से फैली होती है। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने सदन में इस चेतना को प्रतिनिधित्व देता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चेतनाशील है और राज्य की चेतना की वैयक्तिक परिलक्षिति उसके द्वारा होती है इसलिए व्यक्ति से राज्य को लाभ मिलता है न कि राज्य से व्यक्ति को। स्पेसर का यह व्यक्तिवादी आग्रह उसे अन्य आगिक सिद्धांत शांतिन्या से पथक् करता है।

राज्य प्रकृति की आगिक एकता के सिद्धान्त की इन नियामक व्याख्याओं की इस आधार पर आलोचना की जा सकती है कि—(1) समस्त व्याख्याएँ केवल आशिक यथाथ का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। इनसे राज्य प्रकृति के पूरे प्रकार का सवेद भी नहीं मिलता, (2) इनके एक मूल रूप से दो सामाजिक राजनीतिक विवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं—व्यक्तिवाद व समष्टिवाद (collectivism) और ये दानों ही अपने विशुद्ध रूप में स्वीकार्य नहीं हैं। व्यक्तिवाद को अतिवादी आग्रह सबके कल्याण का भाव नहीं प्रकट करता और अतिभरता व सहयोग का आगिक मूलाधार भी उससे संगत नहीं बैठता जबकि समष्टिवाद सबकी भलाई से प्रतिबद्धता स्वरूप व्यक्तिवादी आग्रहों का बलिदान कर देता है। स्पष्ट है कि जब कोई वैयक्तिक अंग सज अंगों की प्रधानता के कारण काट लिया गया तो मौलिक आगिक एकता कैसे स्थापित हो सकती है, अविष्णुता, सशय व असहयोग तो ऐसी स्थिति में घन करेंगे ही (3) ये व्याख्याएँ वैचारिक हवाई उड़ान भरते हुए अत्यंत अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से जैविक-व्यवस्था व राज्य-व्यवस्था में मामूली प्रकट करती हैं। इस दृष्टि से वाकर का यह कथन स्मरणीय है कि राज्य एक जैविक व्यवस्था नहीं है लेकिन यह उससे मिलती जुलती सी व्यवस्था है।¹

इन समस्त आलोचनाओं के बावजूद आगिक एकता सिद्धांत इस दृष्टि से अपूर्व योगदानकारी है कि उसने अपने क्रम में राज्य की एकता व अतिभरता के समतल्य को प्रस्तुत किया जो आज भी पर्याप्त प्रासंगिक है।

राज्य-प्रकृति का भावसंवादी सिद्धान्त

राज्य प्रकृति की भावसंवादी व्याख्या न राज्य की उत्पत्ति विक्रम व गन्तव्य सम्बन्धी विशेषताएँ प्रकट की हैं जो इसकी पूर्ववर्ती व्याख्याओं से गुणात्मक आधार पर भिन्न हैं—

- 1 राज्य सदैव स्थापित रहा हा ऐसा नहीं है। वस्तुन अनेक राज्य विहीन समाज प्रारम्भिक अवस्था में विद्यमान रहे हैं। राज्य एक निश्चित सामाजिक आर्थिक विक्रम की अवस्था में उस समय प्रकट हुआ जब समाज वर्गों में विभक्त हुआ और इन विभाजनक वृत्तियों के फलस्वरूप राज्य की विशिष्ट आवश्यकता प्रतीत हुई।¹
- 2 विभाजनक-वृत्तियों को और पैना करन के कारण राज्य एक पक्षपाती सन्ध्या के रूप में प्रकट होती है—एक ऐसी सन्ध्या जो पूजा पतियों के हाथों में वेदित होकर सामाजिक-आर्थिक शोषण को आधार देती है। इस दृष्टि से राज्य की कोई नैसर्गिक अथवा स्मितजय नैतिकता नहीं है। वह ता पूजापतियों के हाथों में शोषण का एक प्रवर्तनकारी माध्यम है और इस कारण एक अवाछनीय वास्तविकता, इस स्थिति की व्याख्या इस उद्घरण से की जा सकती है कि राज्य के जन्म के कानून के जन्म की चरितार्थ किया, 'यायिक मानकों व नुस्खों की एक व्यवस्था मुनक वगई जिसने केवल शासक वर्ग की इच्छा की ही अभिव्यक्ति की और उसे राज्य की दमनकारी शक्ति से सरम्भित किया,
- 3 वर्ग विभाजनो को मिटाने के लिए सबहारा वर्ग का संगठन तथा उसके संगठन द्वारा वर्ग संघर्ष की चेतनशील अवस्था का निरूपण अपरिहार्य है। वर्ग संघर्ष की सफल परिणति 'बुजुआ राज्य' की प्रवर्तनकारी शक्ति का दमन करगी और प्रवर्तन शक्ति सयो जित करते हुए उसमें वर्गीय स्वरूप को व्यापक सामाजिकता से परिशुद्ध करेगी, तथा
- 4 उत्पादन के सामाजिक साधनों व उनकी सामाजिक मिश्रण के नए संरक्षण में उत्पादन सम्बंध अपना पूर्ववर्ती शोषण छोड़ें और उनमें शान्तिकारी अंतर उपस्थित हागे। सबहारा वर्ग या सक्षमणकालिक अधिनायकत्व अन्ततः वर्गों को समाप्त करेगा और उनके साथ राज्य भी अदृश्य हो जाएगा। एजिल्स के शब्दों में उत्पादकों की उन्मुख व समान भागीदारी के आधार पर समाज राज्य को उनके उपयुक्त ठिकान पर लगा देगा और वह चले

(सूत वातने घाले) और वास्य धुतहाडी के घरावर पुरावशेषों के संग्रहालय में अपना स्थान पा लेगा ।⁵

माक्सवादी ध्यारया अपनी तर्क संगति, तथ्य सयाजन व सिद्धात निर्माण की क्षमता क लिए सुविख्यात है । सम्पूर्ण समाज व राजनीति के ध्यापक परिवश मे काय करण सम्प्रचो के सिद्धात प्रनाना, उनकी ऐतिहासिकता निर्धारित करना और इतिहास ध्याग्या को भौतिकवादी आधार देना अपने-आप मे अभूतपूर्व व प्रशसा योग्य है अभिनव सामाजिक आधारों व उनके क्रम मे राजनीतिक शक्ति की साधनपरकता की कल्पना माक्सवाद का एक विचारधारा के रूप मे तार्किक व आनुभाविन दर्जा प्रदान करती है । राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का गर-पश्चिमी सदम मे सटीक प्रस्तुतीकरण व उनका विवल्प निर्धारण विचारधारा का एक गौरवशाली तत्त्व है । इस सब के बावजूद बौद्धिक परेशानी उस स्थिति मे प्रकट हाती है जब एतिहासिक भाव-बोध तैयार करने के दौरान केवल पूव कल्पित धारणाओं के समथक तत्त्व ही सकलित किए जाते हैं, मानव प्रकृति की आशिकता का ही निर्धारण होता है, बगहीनता का भाव भूमि पर 'मध्यमवर्ग' ऐसी कोई मध्यस्थताकारी सामाजिक शक्ति प्राति लाभो का बिखेरने सी लगती है और यह स्थिति सक्रमणकालिक अवस्था को एक स्थायी व्यवस्था सी बना देती है । इनकी पर्याप्त उपचारात्मक व्यवस्थाएँ व निदान-उपकरण माक्सवादी व्यवस्थाओं के पास प्रकटत नही दिखाई देते ।

राज्य सम्बन्धी समकालीन वास्तविकताएँ

आज राज्य प्रकृति को अनेक प्रकार की सामाजिक राजनीतिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करना पड रहा है ।

- 1 अंतर्राष्ट्रीय अन्तर्निभरता व पारस्परिक सहयोग ने राज्य की पारस्परिक सम्प्रभुता को दबाया है । आज विश्व स्तर पर अनेक ऐसे गैर राज्य व गैर सरकारी संगठन स्थापित है जो राज्य को पूण आत्मावलम्बी इनाई नही ठहराते । हर राज्य इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय तही तो राष्ट्रेतर अथवा राष्ट्र अतिरिक्त सस्थाओं मे मम्बव बनाए हुए है । इसके अतिरिक्त सयुक्त राष्ट्र सध का फनना फूलना स्वरूप राज्यों के इस पारस्परिक दष्टिकोण पर विराम नही तो 'कॉमा अवश्य लगाना है कि कोई भी व्यवस्था राज्य-परिवश के भीतर ही सम्भव है उसके परे नही,
- 2 दुनिया की समस्याएँ मूनन राष्ट्र अतिरिक्त अपना विस्तार कर रही हैं । उनकी हृ राष्ट्र्रीय भूगोन नही है । ये समस्याएँ आज देश विदेश सबत्र अपना प्रभाव छोड रही हैं—इनमे सर्वाधिक

प्रमुख ह सामाजिक विषमता के रूप में विकसित व विनामशील देशों की सम्पन्नता व दारिद्र्य की दो अलग अलग दुनियाएँ—जहाँ सफट के बादल उमड़ रहे हैं और अति प्रष्टि व जल प्लावन की आशंका भी दोनों में उपयुक्त मुराभा भाव नहीं प्रकट कराती दीख रही है। इनके अतिरिक्त, प्राकृतिक ससाधनों का विवेकी उपयोग व सरक्षण का प्रश्न भी दुनिया को परेशान किए हुए है। निःशस्त्रीकरण (हथियारों पर रोक) विश्व व्यापी शक्ति व व्यवस्था की पूव आवश्यकता है चाहे राज्य अपने आकार में बड़े हों अथवा छोटे या व अपनी शक्ति की दृष्टि से प्रभुताशाली हों अथवा निबल। य समस्त ऐसे प्रश्न ह जा किसी एक राज्य में सम्प्रिधत नहीं बलिन सबसे सम्प्रिधत हैं केवलिन कोई भी राज्य लम्बे समय तक इनमें शार्खे नहीं चरा सकता।

- 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का विस्तार दन वाली शक्ति के रूप में विचारधारा का तत्त्व आज राज्यों के सम्बन्धों से छूटता जा रहा है। एक आर बड़ी शक्तियाँ अपने अतिविरोधों के बावजूद एक दूसरे से जुड़ रही हैं और नए शक्ति समीकरण बना रही हैं तो दूसरी ओर विवासशील देश भी विचारधारा की अनुपस्थिति से उत्पन्न आघार में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इस स्थिति के परिणामस्वरूप एक नया शीतयुद्ध का वातावरण निर्मित हो रहा है जो वैचारिक दृष्टि से अस्पष्ट होते हुए भी पहले शीतयुद्ध की अपेक्षा अधिक व्यापक व सहायक सामर्थ्य टिपाए हुए है।

अंतर्राष्ट्रीय स दम्भ की इन परस्पर-व्यापी प्रवृत्तियों की आग बुझाने के लिए राष्ट्रीय राज्य पहले की अपेक्षा और शिथिल हो गया है क्योंकि—

- 1 राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था राष्ट्र व्यापी स्वीकृति पर आधारित न होकर कुछ सीमित निहित स्वार्थों की इच्छा व सवत्पना शक्ति की परिचायक है। जनसन्ध्या का अधिकांश उससे सम्प्रेरित व सम्प्रेरित नहीं है।
- 2 राष्ट्रीय स दम्भ में शक्ति का असंक्रातिक केन्द्रीयकरण होता जा रहा है। यह केन्द्रीयकरण एक ओर व्यक्तियों को अधिकाधिक हनाश व निराशा कर रहा है और दूसरी ओर सरकारों को अत्यधिक अनुत्तरदायित्वपूर्ण।
- 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहा विश्व-स दम्भ में समझाएँ दुनिया का एकीकरण सा कर रही है वही राष्ट्रीय स्तर पर राज्य विविध स्तरों पर विभाजन रेखाएँ खींच रहे हैं—साधन सम्पन्न—साधन

विलग, शहरी ग्रामीण, केन्द्र राज्य, शिक्षित अशिक्षित, जाति व वर्ग व अतर्जतीय विद्वेष। ऐसी स्थिति में राज्य बाह्य चुनौतियों का सामना करने में पहले की अपेक्षा और अधिक निबल होता जा रहा है।

राज्यों के सदभ में अतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय विराधाभासों को कैसे दूर किया जाए? यह प्रश्न एक महत्त्वपूर्ण अस्तित्व सम्बन्धी प्रश्न है जिसका उत्तर तत्काल पाना आवश्यक है और जिसके उत्तर पाने की सम्भावनाएँ आज क्षीणतर हैं। इन विराधाभासों ने राज्य-प्रकृति को वह अस्थिरता दी है जिसके कारण वे लगातार अपनी मूल प्रकृति खो रहे हैं और उनके व्यक्तित्व का नया पक्ष उन्हें उनके समकालीन वैशेषिक गुण नहीं प्रदान करा पा रहा है।

निष्कर्ष

राज्य प्रकृति सम्बन्धी हमारी यह चर्चा प्रमुख रूप से यह प्रकट करती है कि राज्य प्रकृति की विविधता किसी एक व्याख्या से नहीं ग्रहण की जा सकती है। सदभगत उपयोगिता के आधार पर अनेक व्याख्या सम्बन्धी विकल्पों में से किसी एक का चयन और उसके आधार पर अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है।

समकालीन राज्य प्रकृति की चुनौतियाँ व जटिलताएँ राज्य के सम्बन्ध में हमारी मुद्दी आँवों और पूर्वाग्रही दिमागों की उपज हैं। राज्य विसर्गितियाँ, उनसे उत्पन्न चुनौतियाँ तथा उनके निराकरण सम्बन्धी हमारे प्रयास तब तब फलदायक नहीं हो सकते जब तक कि हम राज्य से बड़ी प्रवृत्तियों से परिचित नहीं होते, उनके सदभ में राज्य व्यवस्था का आकलन नहीं करते तथा उसी सदभ में व्यवहार के लिए उपयोगी विकल्प नहीं निर्धारित करते। इसके अभाव में हम राज्यों की विभाजक-रेखाओं में चेंटे-कटे ही रह सकते हैं और आन्तरिक रूप से राज्य से तकलीफ पाते हुए बाह्य परिवेश में हम उसके अनुचर रूप में सिर्फ उसका स्तुति-गान ही कर सकते हैं। यह बड़ा भाव राज्य-व्यवस्था के वास्तविक प्रवर्तन के प्रति हमारी यथासम्भव जिज्ञाना व अतर् दृष्टि से ही विकसित हो सकता है— एक ऐसा भाव जिसकी व्यापक अभिव्यक्ति आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व डॉ॰ राधाकृष्णन ने की थी और जो अपनी वैचारिक उपयुक्तता व व्यापकता की दृष्टि से आज भी हमारे सहज आकषण भाव के योग्य है। हम आज यह महसूस कर रहे हैं कि—

“अपने वर्तमान रूप में व्यवहारशील दाना व्यवस्थाएँ (सोवियत व समाजवाद) या निवृत्ता व तकलीफ की मरुशक्तिमत्ता तथा भौतिकवादी युग चेतना में विश्वास के गमन दोषों का शिकार हैं। ज्ञान ही शक्ति के पथ का एक माध्यम के रूप में

राज्य प्रकृति के विविध सिद्धान्त और समवालीन वास्तविकता स्वीकार करती हैं, व्यक्ति को राज्य की माँग के अर्घ और राष्ट्र राज्य की उपासना करती है। लोग (इन म) राज्य की निरकुशता की यातनाएँ भेजते हैं, पि यातना सनिक हिंसा के रूप में प्रकट हो और वाणिज्यिक लोभ का परिणाम हो। राज्य की मूर्तिपूज से मिली एक ऐसी विरासत है जिसने यूनानी दुनिया का स् कर दिया और हम उसी रास्ते पर आज बढ़ते दिखाई दे र चारदीवारी से घिर जिन 'बाडो' में हम रहते हैं वे वस्तुतः राज्य नहीं हैं बल्कि, एक ऐसी दुनिया में व्याप्त, पागलखाने हैं आज एकीकरण की अत्यावश्यक माँग प्रस्तुत कर रही है।"०

उद्धरण व टिप्पणी

- 1 ब्लुमली का यह कथन गार्नर द्वारा उद्धृत। देखें, पॅलि साइस एण्ड गवर्नमेण्ट, पृ० 198
- 2 अर्नेस्ट वाकर, पॅलिटिकल थॉट इन इंग्लण्ड, पृ० 79
- 3 वही, पृ० 91
- 4 फ्रेडरिक एजिल्स वि ओरिजिन अफ दि फेमिली, प्राइवेट प्रापर्ट एण्ड वि स्टेट, पृ० 285
- 5 वही, पृ० 286
- 6 सचपल्ली राधाकृष्णन ईस्ट एण्ड वेस्ट—सम रिप्लेकशन्स, पृ० 115

लोकतन्त्र की अवधारणा एक वैचारिक विश्लेषण

आज के युग में जना क्रोध की ऐसी आघी चल रही है कि एक एक करके तानाशाहिया धराशाही होनी जा रही है। द्वितीय और प्रथम महायुद्ध ने पूव यूरोप में जिस तरह की घिनौनी और बबर तानाशाहियाँ थीं व मिट गयीं। इस सदी के उत्तरार्ध में यूरोप की बची खुची तानाशाहियाँ भी (यथा स्पनी और पुतगाली) तेस्तनाबूत हो चुकी हैं। अभी कुछ समय पूव यूनान के सैनिक तानाशाहों का लगता पलट दिया गया है। तुर्की में अलबत्ता सैनिक युद्ध अभी भी हावी है वुल मिलाकर यह दिवायी देता है कि तानाशाही के दिन यूरोप में लद गए हैं। यूरोपीय शासकों ने पिछली कुछ शताब्दियों में एशिया अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के लोगों को पदाङ्कित किया और उन पर उपनिवेशवाद थोपा। जन सघर्षों तथा साम्राज्यवादियों के आपसी सघर्षों और युद्धों ने इन साम्राज्यों को नष्ट कर दिया और आज यूरोप का रूप बदला हुआ दिख रहा है। बर्लिन के उस पार समाजवादी लोकतन्त्रीय व्यवस्था स्थापित है और इस पार पश्चिमी यूरोप पूँजीवादी लोकतन्त्र में जी रहा है पर जब हम तीसरी दुनिया के देशों की ओर नजर डालते हैं तो हमें जगह जगह सैनिक और कहीं-कहीं असैनिक (यथा फिलोपाइन में) तानाशाहियाँ ही दिखाई देती हैं जो पश्चिम और पूरब की राज्य सत्ता के सहारे टिकी हुई हैं और जहाँ लोकतन्त्र का वह रूप नहीं मिलता जो पश्चिमी यूरोप में है। भारत इसका एक अपवाद है जहाँ पिछली 30-35 वर्षों से लोकतन्त्रीय व्यवस्था जड़ जमाय हुए हैं।

इस उपयुक्त तथ्य को लेकर अर मगह कहा जाने लगा है कि लोकतन्त्रीय व्यवस्था यूरोपीय सभ्यता की देन है और यह राजनीतिक व्यवस्था यूरोप में ही चल सकती है। इस अवधारणा को इससे भी बल मिलता है कि राजनीतिक चिंतन का

लोकतंत्र की अवधारणा

श्रीगणेश यूनान में हुआ था और यूनानी विचारकों ने ही राजर्न के विचारों की आधारशिला रखी थी और यूरोपीय जातिपर्यं वशधर है जा यूनानी राजनीतिक चिंतन की धारा का भागीरथ बटा रही हैं।

एसा विचार इस प्रकार की अवधारणा सही नहीं है। जिन् मानव समुदायो न राज्य का निर्माण किया उहोन 'राज्य' सम्ब किया हो, यह कसे हो सकता है? भारत में राज्य सत्ता के निर्माण यूनान की परवर्ती ने हाकर पूववती ही ठहरेगी। परम्परा लुप्त होन नहीं कि परम्परा थी नहीं। आज का यूनान वनत वनत बया वन गया है कीटिल्य के ग्रथशास्त्र और महाभारत के 'शांतिपर्व' पर दष्टि डाल त जाना है कि राजनीतिक चिंतन की प्राचीन भारत में कभी नहीं थी। का रूप राज्या का रूप राज्य प्रथम राज्या का परम्पर सम्बध राष्ट्र का रूप राज्या का सम्बध इस पर खूब विचार हुआ है। कीटिल्य स्व ग्रथ समुदायो के आचार्यों का उल्लेख करत है— बौद्ध और जन ग्रथों में पूववर्ती सम्प्रदाया के आचार्यों का उल्लेख करत है— बौद्ध और जन ग्रथों में पूव की स्थिति का वणन वैसा ही मिलता है जसा हाक्स या रूसो में वर्णित इसी प्रकार यह सुनिश्चित तथ्य है कि प्राचीन भारत में दीघकाल तक गणतमक शासन की परम्परा जीवित रही। बुद्ध गणतंत्र में जन्म थ और उस तरह व्यवस्था के प्रणसक ही नहीं थे बल्कि उहोन अपन मघ की ग्रथ प्रणाली ला तत्रतीय ढंग की ही बनायी। वस्तुतः कालांतर में इस गणतंत्रिय परम्परा का इनके द्वारा प्रतिपादित मूल्या को राजतंत्र और 'साम्राज्या' में आत्मसात क लिया है और गणा' की यह व्यवस्था ब्राह्मणों से अनुशासित वण-व्यवस्था स कट कर द्विजों के अलावा दूसरे लागा के जन जीवन में ही रह गई। द्विज लाग लाक तंत्र के हामी नहीं रहे और द्विजों के साथ साथ माम ती मूल्या का ह्रास हुआ और यह यूरोप में भी हुआ पर वहाँ वर्गों के उदय न सामंतीय व्यवस्था का ध्वस्त किया और पूंजीवाण के विकास के साथ साथ माम ती मूल्या का ह्रास हुआ और 'लोकतंत्र' के मंच—स्वतंत्रता समानता बहुत्व जो फ्रांसीसी फ्रांति के उदघाप थ—जनसाधारण के मन पर छात गए और उसके साथ साथ यूनान की दन क रूप में अस्तित्व के राजनीतिक चिंतन का जीर्णोद्धार होने लगा और यूरोप यूनानी सम्यता का वशधर, बल्कि यह कहना चाहिए अस्तित्व का वशधर बनता गया। पर तथ्य यह है कि अस्तित्व या यूनान के तात्त्विक विचारों का पुनर्जन्म नए यूरोप में नहीं ही हुआ। जा हुआ वह उसकी छाया मात्र है क्योंकि अस्तित्व और यूनान के हमी प्रभावशाली विचारक व्यक्ति की सामाजिकता पर जिस प्रकार का जोर दत है उस तरह का जोर केवल समाजवादी राज्या में ही दिया जाता है और पूंजीवाणी पश्चिम के राज्यों में जा अधिकार सम्पन्न व्यक्ति 'लोकतंत्र' का

हुआ है, उसके पुराने यूनान में दशन ही नहीं होते। जिस प्रकार तत्कालीन लोकतंत्र के आलोचक और निन्दक मुकरात में अपने दण्ड दाताओं की आज्ञा को शिरधार्य किया और अपने अनुयायियों के अनुरोध को अमाय्य कर दिया कि वह चुपचाप एवम् से भाग निकलें, वह विचार दूसरे ही ढंग के 'लोकतंत्र' रचयिता है वही व्यक्ति समाज का आलोचक है, उसके विरुद्ध विद्रोही नहीं।

इस प्रकार यूरोप में जो लोकतंत्र की धारा बही, वह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त के आधार पर बही, जिसके दशन हम जॉन लॉक के विचारों में हाते हैं।

18वीं एवं 19वीं शताब्दी में वैथम तथा मिल ने उपयुग्ता—अधिकतम लागो के अधिकतम सुख के आधार पर लोकतंत्र का समर्थन किया। अठारहवीं शताब्दी में अमेरिकी (1776) तथा फ्रांसीसी (1789) क्रांतियाँ प्राकृतिक लोकतंत्र के विकास का पहला महत्वपूर्ण चरण थीं। स्वतन्त्रता, समानता एवं मातृत्व के नारा द्वारा लोकतंत्र का आदेश तथा औचित्य लोकतंत्रीय सिद्धान्तों का केन्द्र बिन्दु बन गया। उन्नीसवीं शताब्दी में काल मार्क्स ने समाजवादी लोकतंत्र का विचार दशन प्रस्तुत किया जिसमें मानव द्वारा मानव के शोषण का विरोध किया गया। पूँजीवादी व्यवस्था को क्रांति द्वारा समूल नष्ट कर, मजदूर-बग के नेतृत्व में स्थापित इन समाजवादी लोकतंत्रों का प्रारम्भ हम की क्रांति द्वारा 1917 में हुआ। समाजवादी लोकतंत्रों का आधार, दशन तथा सस्थात्मक ढाँचा उदार एवं पूँजीवादी लोकतंत्रों में बिल्कुल भिन्न है।

लोकतंत्र का आज क्या अर्थ है ?

लोकतंत्र को व्यापक एवं सकुचित दोनों अर्थों में समझा जाता है। व्यापक अर्थों में लोकतंत्र को मात्र एक राजनीतिक व्यवस्था न मानकर एक आदेश माना जाता है जिसमें लोकतंत्रीय मानव, चिन्तन, व्यवहार, जीवन पद्धति अथवा व्यवस्था आदि शामिल हैं। अपने सकुचित अर्थ में लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है। यह एक इस प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें जनता शासन सम्पन्धी मामलों पर अपना अंतिम नियंत्रण रखती है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य मन्त्रिमण्डल का शासन मूल्य स्थापित किया जाए। राज्य के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं है अपितु वह सरकार की नियुक्ति करन, उस पर नियंत्रण रखन तथा इसे अक्षय्य करन की विधि भी है। लेकिन हन्शों ने अपनी इस परिभाषा में प्रजातंत्र का एक शासन व्यवस्था तक ही सीमित रखा है।¹ राजनीति विज्ञान की दुनिया में कुछ एग भी विचारक हैं जो यह मानते हैं कि लोकतंत्र का केवल राजनीतिक, शासनिक एवं प्रशासनिक पहलू ही नहीं है। कुछ विचारकों ने इस व्यापक रूप में देखा है जैसे गिडिंग्स इस राज्य सरकार तथा समाज तीनों का मिश्रण मानते हैं। मैकमी का कहना है कि बीसवीं शताब्दी में लोकतंत्र से

तात्पर्य एक राजनीतिक नियम शासन की विधि व समाज के ढांचे से ही नहीं है, बरन् यह जीवन के उस भाग की ग्योज है जिसमें मनुष्यों की स्वतंत्र एवं ऐच्छिक बुद्धि के आधार पर उनमें अनुपपत्ता और एकीकरण लाया जा सके। इसी प्रकार वेनी प्रसाद इन सबसे ही भाग बढ जाते हैं और वे कहते हैं कि लोकतंत्र जीवन की एक पद्धति है। इस प्रकार अलग अलग विचारकों ने अपने अपने विचारों को एक दृष्टिकोणों से अनुसार लाकतत्र के सम्प्रदाय में अपने अपने विचार प्रस्तुत कर इसको एक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था एवं जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार किया है। एक शासन-व्यवस्था के रूप में लाकतत्र की कुछ विशेषताएँ अथवा तत्पर्य निम्न प्रकार में उताय जा सकते हैं।

लाकतत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है प्रतिनिधियात्मकता। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों की भाँति आज के युग में प्रत्यक्ष लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था सम्भव नहीं है। आज के राष्ट्रीय राज्यों की दुनिया में सम्पूर्ण राज्य की जनता एक स्थान पर बैठकर प्रत्यक्ष शासन का संचालन नहीं कर सकती है। अतः आज के लाकतत्र के संचालन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन प्रतिनिधि शासन है। जनता एक निश्चित निर्वाचन प्रणाली (जा दश के विधान द्वारा अपनायी गयी है) द्वारा अपने प्रतिनिधियों द्वारा संचालित शासन अथवा जनता द्वारा ही संचालित माना जाता है।¹

नियमित/नियतकालिक चुनाव

यह लाकतत्र का दूसरा महत्वपूर्ण तत्त्व माना जाता है। जनता द्वारा शासन संचालनाय जो भी प्रतिनिधि चुन जाते हैं वे एक निश्चित समय के लिए चुने जायें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनता द्वारा एक प्रतिनिधि एक बार चुन लिया गया और वह उम्र भर एक ही बार के निर्वाचन के आधार पर अपने पद पर बना रहे। लाकतत्रिक व्यवस्था में जन प्रतिनिधियों का एक निश्चित समय के बाद निर्वाचन होना चाहिए। जन प्रतिनिधियों का जन सहमति के लिए एक निश्चित समय के बाद जनता के समक्ष जाना चाहिए और जनता की सहमति लेनी चाहिए। जन सहमति लाकतत्र का सार है। इसी प्रकार यह जन प्रतिनिधि व्यवस्था के समक्ष कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा आ गया हो, जिस पर जन प्रतिनिधि अपने राजनीतिक सम्प्रभु (जनता) की स्वीकृति अथवा राय जानना चाहते हैं। इसका इन्हें लिए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत का जानना आवश्यक है। इसका माध्यम भी निर्वाचन ही होता है। इस सम्प्रदाय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या सम्पूर्ण जनता को अपने प्रतिनिधियों के चुनाव का अधिकार हो ? इसका लिए सामान्यतः सभी लोकतांत्रिक देशों में यह व्यवस्था की गयी है कि जनता का

लोकतंत्र की विभिन्न अवधारणाएँ

भाज लोकतंत्र की मुख्यतः दो अवधारणाएँ अथवा दृष्टिकोण प्रचलित हैं—
 1 लोकतंत्र की पश्चिमी अवधारणा
 अथवा

लोकतंत्र की उदारवादी अवधारणा
 अथवा

लोकतंत्र की आंग्ल अमेरिकी अवधारणा
 2 लोकतंत्र की साम्यवादी अवधारणा

लोकतंत्र की उदारवादी अथवा पाश्चात्य दृष्टिकोण परक अवधारणा

लोकतंत्र के उदारवादी अथवा पश्चिमी अथवा आंग्ल अमेरिकी दृष्टिकोण की मुख्य आधारशिला व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की गरिमा है। राजनीतिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक एवं आर्थिक-याय तथा लाव-कल्याण की भावनाएँ एवं पाश्चात्य लोकतंत्र की मूलभूत आधारशिलाएँ हैं। "व्यक्ति की स्वतंत्रता" उदारवादी लावतंत्र का मुख्य उद्देश्य तथा "सीमित सरकार" उसका प्रमुख साधन है।

पाश्चात्य लोकतंत्र के प्रमुख आधार

इस सादभ में हमारे समक्ष दो आधार स्तम्भ प्रकट होते हैं जो कि निम्नांकित हैं—
 1 लोकतंत्र का दार्शनिक आधार
 2 लोकतंत्र का सस्थागत आधार

लोकतंत्र के दार्शनिक आधार पश्चिमी लोकतंत्र के साध्य अथवा उद्देश्य हैं तथा लोकतंत्र के सस्थागत आधार के साधन हैं जिनके माध्यम से पश्चिमी लोकतंत्र के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। अतः दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पश्चिमी लोकतंत्र के मुख्य निश्चित उद्देश्य हैं तथा कुछ निश्चित साधन जिनके माध्यम से पश्चिमी लोकतंत्र का संचालन होता है।

पश्चिमी लोकतंत्र के साध्य अथवा उद्देश्य

पश्चिमी लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकाधिक स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता प्रदान करना। सरकार का यह कर्तव्य है कि व्यक्ति के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप न करे जिससे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता से तात्पर्य उच्छलता से नहीं है। व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, लेकिन उसकी कुछ

वह भाग जा व्यवस्था तब की अवस्था तक पहुँच गया है, उसे निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है।⁴

उत्तरदायी शासन

लोकतंत्र का यह एक अत्य महत्वपूर्ण तत्त्व है। चूँकि, आज का लोकतंत्र प्रतिनिध्यात्मकता के सिद्धान्त पर आधारित है अतः जन प्रतिनिधियों को शासन संचालन के लिए जनता के प्रति (राजनीतिक समूह के प्रति) उत्तरदायी रहना चाहिए। चूँकि, लोकतंत्र जनता का शासन है अतः इसमें सरकार जो भी कार्य करे उसके पीछे जनता की स्वीकृति होना आवश्यक होता है।⁵

विधि का शासन

लोकतंत्र की यह एक अत्य महत्वपूर्ण विशेषता होती है। लोकतंत्र की मायना है कि शासन किसी एक व्यक्ति का अथवा कुछ व्यक्तियों का शासन नहीं है। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन व्यक्ति का नहीं अपितु, विधि का होना है। विधि के शासन की मायना है कि चूँकि कानून अर्थात् होना है अतः वह सबके लिए समान होता है। कानून किसी का पक्ष अथवा विपक्ष नहीं करता। विधि की नजरों में सभी समान होते हैं चाहे वह कितना ही बड़ा अथवा छोटा व्यक्ति क्या न हो।⁶

विचारविमर्श द्वारा शासन

लोकतंत्रिक समाज में निम्नलिखित विचार विनिमय का आधार पर होता है। सम्पूर्ण राजनीतिक समाज के लिए नियमित रूप से जाने वाले नियमों में अनुनयन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लोकतंत्र में नियम चाहे किसी भी स्तर पर लिए जाएँ उनमें जोर जबरदस्ती के तत्त्व के प्रजाय विचार विमर्श, वाद विवाद और समझान-बुझाने का अर्थ प्रधान रहता है। चुनाव भी एक तरह से विचार विनिमय द्वारा नियम लेना ही है।⁷

बहुमत पर आधारित शासन

लोकतंत्रिक व्यवस्था एक अत्य महत्वपूर्ण यह भी है कि उसमें नियम बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं लेकिन बहुमत के आधार पर लिए गए नियमों से तात्पर्य यह नहीं है कि अल्पसंख्यकों के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा जाए। वास्तविकता यह है कि प्रजातंत्र में बहुमत के आधार पर नियम लिए आवश्यक जाते हैं परंतु उनमें अल्पसंख्यकों के हितों का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है।⁸

लोकतंत्र की विभिन्न अवधारणाएँ

आज लोकतंत्र की मुख्यतः दो अवधारणाएँ अथवा दृष्टिकोण प्रचलित हैं—

1 लोकतंत्र की पश्चिमी अवधारणा

लोकतंत्र की उदारवादी अवधारणा

लोकतंत्र की आंग्ल अमरीकी अवधारणा

2 लोकतंत्र की साम्यवादी अवधारणा

लोकतंत्र की उदारवादी अथवा पाश्चात्य दृष्टिकोण परक अवधारणा

लोकतंत्र के उदारवादी अथवा पश्चिमी अथवा आंग्ल अमरीकी दृष्टिकोण की मुख्य आधारशिला 'व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की गरिमा' है। राजनीतिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक एवं आर्थिक 'पाय तथा लोक-करवाण की भावनाएँ' एवं पाश्चात्य लोकतंत्र की मूलभूत आधारशिलाएँ हैं। "व्यक्ति की स्वतंत्रता" उदारवादी लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य तथा "सीमित सरकार" उसका प्रमुख साधन है।

पाश्चात्य लोकतंत्र के प्रमुख आधार

इस सन्दर्भ में हमारे समक्ष दो आधार स्तम्भ प्रकट होते हैं जो कि निम्नांकित हैं—

1 लोकतंत्र का दार्शनिक आधार

2 लोकतंत्र का संस्थागत आधार

लोकतंत्र के दार्शनिक आधार पश्चिमी लोकतंत्र के साध्य अथवा उद्देश्य हैं तथा लोकतंत्र के संस्थागत आधार व साधन हैं जिनके माध्यम से पश्चिमी लोकतंत्र के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। अतः दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पश्चिमी लोकतंत्र के कुछ निश्चित उद्देश्य हैं तथा कुछ निश्चित साधन जिनके माध्यम से पश्चिमी लोकतंत्र का संचालन होता है।

पश्चिमी लोकतंत्र के साध्य अथवा उद्देश्य

पश्चिमी लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकधिक स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता प्रदान करना। सरकार का यह कर्तव्य है कि व्यक्ति के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे जिससे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता से तात्पर्य उच्च खतरा से नहीं है। व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, लेकिन उसकी कुछ

भीमाएँ आवश्यक हैं अथवा यदि नियंत्रण विहीन स्वतंत्रता हागी तो समाज में अराजकता की सी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

व्यक्ति की स्वतंत्रता के अतिरिक्त पश्चिमी लोकतंत्र का एक अन्य उद्देश्य है समाज में राजनीतिक समानता की प्रस्थापना करना। लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब राजनीतिक दृष्टि में सभी समान समझे जायें। शासन के सम्मुख सभी नागरिक समान हों। समाज में राजनीतिक आधार पर छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं किया जाए। धर्म, जाति, रंग, नस्ल आदि के आधार पर समाज में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया जाए। ऐसी स्थिति में ही समाज में राजनीतिक समानता की स्थापना सम्भव है।

सामाजिक एवं आर्थिक 'याय' लोकतंत्र का एक अन्य आधार अथवा उद्देश्य होता है। यदि समाज में सामाजिक एवं आर्थिक 'याय' नहीं होगा तो समाज में विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का कभी भी अर्थ हो सकता है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता आदि के साथ समाज में सामाजिक एवं आर्थिक 'याय' का भी होना आवश्यक होता है। प्रत्येक उस राष्ट्र का जो पश्चिमी अथवा उदारवादी लोकतंत्र में विश्वास करता है उसे चाहिये कि वह इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में साधक प्रयास करे।

उदारवादी लोकतंत्र का एक अन्य उद्देश्य है जन कल्याण की साधना। प्रत्येक उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जन कल्याण की साधना का प्रयत्न करती है। अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख-सुविधा ही लोक कल्याण है। इस प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता, सामाजिक एवं आर्थिक 'याय' की प्रस्थापना एवं जन कल्याण की साधना पश्चिमी लोकतंत्र के उद्देश्यगत आधार हैं।

पश्चिमी लोकतंत्र के साधन

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है—पश्चिमी लोकतांत्रिक सरकारों का कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ सस्थागत प्रयास स्वरूप कुछ निश्चित साधन बताये गए हैं। पश्चिमी लोकतंत्र में सरकार का सीमित रखा जाता है तथा सरकार का उत्तरदायी बनाया जाता है। इन दोनों व्यवस्थाओं से सरकार को निरंकुश होने से रखा जा सकता है तथा व्यक्ति का स्वतंत्रता एवं गरिमा का कायम रखा जा सकता है। किसी भी प्रकार का मत्वात्मक व्यवस्था सरकार का नहीं सीमित तथा उत्तरदायी रख सकती है जब राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व प्रतिनिध्यात्मक है। किसी भी सरकार को सीमित करने तथा उसे उत्तरदायी रखने की पूर्ण शक्ति निम्न है—

1. सरकार लोकतांत्रिक ढंग से संगठित है,

- 2 सरकार प्रतिनि यात्मक हो
- 3 सामाजिक बहुलवाद की स्थिति हो, तथा
- 4 समाज सुला हो।

प्राय सभी पाश्चात्य राज्या म सरकार का सीमित व उत्तरदायी रखने की पूण शर्तें विद्यमान हैं। इन राजनीतिक समाजो म सीमित सरकार की परम्परा वा विकास के साथ हुआ है। राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित और उत्तरदायी रखने के लिए पाश्चात्य समाजो म अनन्क सस्थागत प्रयास किए गए हैं। सरकार को सीमित रखने तथा उत्तरदायी बनाये रखने की अलग अलग व्यवस्थाएँ की गई हैं। इनका प्रमश निम्नलिखित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। सरकार को सीमित बनाने एव उत्तरदायी रखने के लिए प्रमश निम्नलिखित सस्थागत व्यवस्थाएँ की गई हैं—

- 1 विधि वा शासन
- 2 मौलिक अधिकारो एव स्वतंत्रताओं वा प्रावधान,
- 3 राजनीतिक शक्तियों वा विभाजन शक्तिया वा पृथक्करण,
- 4 स्वतंत्र एव निष्पक्ष यापपालिका,
- 5 नियतकालिक चुनाव
- 6 राजनीतिक दलों एव समूहों की स्थापना
- 7 समाचारपत्रों की स्वतंत्रता,
- 8 लोकमत की प्रभावशालिता,
- 9 परम्पराओं एव सामाजिक बहुलवाद की विद्यमानता।

विधि का शासन

सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस म शासन की शक्तियाँ मनमाने ढंग से नहीं बल्कि कुछ मुनिश्चित और बंधनकारी नियमों के अनुसार हाती है। जिस राजनीतिक व्यवस्था म विधि के शासन की व्यवस्था होती है उस म विधि को सर्वोच्च तथा सावभौम माना जाता है तथा कानून के समक्ष सभी नागरिक एव प्रशासकीय अधिकारी समान हाते हैं। कानून सर्वोपरि होता है कानून से ऊपर कोई नहीं हाता है। समान अपराध के लिए सभी व्यक्तियों को समान दण्ड दिया जाता है। पिनाक एव स्मिथ वा कहना है कि विधि के शासन की व्यवस्था पश्चिमी प्रजातंत्र की सम्भवत सबसे शक्तिशाली नामरिकों को मौलिक अधिकार एव स्वतंत्रताएँ देकर सरकार के कार्यों वा मर्यादित करने की परम्परा आधुनिक पश्चिमी लोकतंत्र की मुख्य व्यवस्था है। जो मौलिक अधिकार एव स्वतंत्रताएँ नागरिकों को दी जाती हैं इनस सरकार

की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं। कोई भी सरकार इनके उल्लंघन की दृष्टता नहीं कर सकती और यदि कोई सरकार मतावन्याम ऐसा करती है तो देश की 'यायपालिका' उसे ऐसा करने से रोकती है।

जैसा कि सामान्यतः सभी पश्चिम विचारकों का मानना है कि शक्तियाँ का विभाजन एवं शक्तियों का पृथक्करण पश्चिमी लोकतंत्र का सार है। इन विचारकों की मान्यता है कि राजनीतिक शक्ति अर्थात् सरकार के कार्यों का बँटवारा होना चाहिये सरकार के अंगों के कार्यों का पृथक्करण होना चाहिये जिससे एक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण रख सके और राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति सन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो सके।

पाश्चात्य लोकतंत्र में शक्तियों को सीमित रखने के लिए और साधनिक प्रतिपक्षों को व्यापहारिक करने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष 'यायपालिका' की व्यवस्था होना भी अनिवार्य है। स्वतंत्र 'यायपालिका' द्वारा ही साधनिक सरकार सम्भव है। सरकार को, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष 'यायपालिका' द्वारा ही सीमाओं के रखा जा सकता है। इस प्रकार इन साधनों के माध्यम से सरकार को सीमित रखा जा सकता है।

सरकार को सीमित रखने के साथ-साथ सरकार को उत्तरदायी रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चुनाव व्यवस्था के माध्यम से नागरिक शासकों को हटाने एवं सत्ता में बनाये रखने का अवसर पाते हैं। चुनावों के द्वारा ही नागरिक व्यवस्थित ढंग से सरकार का समर्थन या विरोध कर सकते हैं। इससे सरकार न केवल उत्तरदायी ही रहती है अपितु, सब नागरिकों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के प्रति सजग एवं सचेत भी रहती है।

सरकार को राजनीतिक दलों एवं विभिन्न हित समूहों के दबाव समूहों के माध्यम से भी उत्तरदायी रखा जा सकता है अकेला नागरिक सरकार की नीति का निर्धारण कर सकता है, जिसका सरकार अनुसरण कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि सबसे प्रथम नागरिक अपने विभिन्न हित समूह बनाकर सरकार पर अपनी बात मनमाने के लिए दबाव डाले। इसी प्रकार न केवल हित समूहों के माध्यम से अपितु विभिन्न राजनीतिक दलों तक अपनी बात पहुँचाएँ तथा दबाव पर दम बात का दबाव डालें कि राजनीतिक व्यवस्था को उत्तरदायी बनाएँ। जो राजनीतिक दल ऐसा करते हैं उन्हें चुनाव जिताएँ और जो ऐसा न करें उन्हें चुनाव हराएँ। अगर इन विभिन्न समूहों एवं राजनीतिक दलों के माध्यम से भी सरकार को उत्तरदायी रखा जा सकता है।

लोकतंत्र में समाचार पत्रों को जो-कुछ दिखाई दे रहा है अथवा जो कुछ घटित हो रहा है, उसके प्रकाशन की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार-पत्र प्रजातंत्र में सत्तारूढ़ दल के लिए सबसे प्रिय मित्र होते हैं। समाचार-पत्र

सरकार एवं जनता के बीच एक बृह महत्त्वपूर्ण कड़ी होती है जिससे एक दूसरा एक दूसरे के बारे में पूर्ण ज्ञान रखने की स्थिति में आता है और सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने में सक्षम भूमिका अदा करते हैं। लोकमत लोकतंत्र का प्राण होता है। यह स्वतंत्रता का सतक प्रहरी और सहायक आता है। किसी भी सरकारी नीति एवं विषय के बारे में जनता की क्या राय अथवा मत है यही लोकमत कहलाता है। आज लोकतांत्रिक युग में यदि सर्वाधिक शक्तिशाली कोई अस्त है तो वह है लोकमत। सरकार चाहे लोकतांत्रिक हो अथवा निरंकुश कभी सरकारों का अन्ततः लोकमत के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। प्रत्येक समाज में नागरिक अपने-अपने हितों की पूर्ति के लिए अलग-अलग सपने बनाते हैं। ये सपने अपनी-अपनी बातों एवं मार्गों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। इससे सरकार की शक्तियाँ मर्यादित होती हैं तथा सरकार का उत्तरदायी रहना पड़ता है। इस प्रकार पश्चिमी लोकतंत्र सरकार को सीमित रख उसे जनता के प्रति उत्तरदायी रखना चाहता है और अपने प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयास करता है।²

लोकतंत्र की साम्यवादी भ्रवधारणा

पश्चिमी लोकतंत्र में सरकार अपनी राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग न कर इसके लिए अनेक संस्थागत प्रयासों के माध्यम से सरकार को सीमित एवं उसे उत्तरदायी बनाए रखने की व्यवस्थाएँ की गई हैं लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में सरकार एवं शक्ति दोनों को ही पृथक्-पृथक् दृष्टिकोणों से देखा गया है। साम्यवादी विचारक राज्य एवं सरकार को बुर्जुआ वर्ग के हाथों की कठपुतली मानते हैं। उनकी मान्यता है कि सरकार को बुर्जुआ वर्ग के हाथों की कठपुतली रक्षा का काम करती है उनका मानना है कि राजनीतिक शक्ति सर्वत्र प्राथमिक शक्ति की चेरी होती है। जिनके हाथों में प्राथमिक शक्ति होती है राजनीतिक शक्ति भी उसी के हाथों में केन्द्रित हो जाती है। अतः इनकी मान्यता है कि पश्चिमी लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति कुछ ही हाथों में (पूँजीपतियों के हाथों) केन्द्रित हो जाती है तथा शेष बचे हुए लोगों के (गरीबों के) हाथों में कोई शक्ति नहीं रह जाती है। जो राजनीतिक अधिकार स्वतंत्रताएँ आदि सविधान द्वारा सभी नागरिकों को दी जाती हैं वे सब केवल मात्र औपचारिकताएँ हैं व्यवहार में कुछ ही व्यक्ति (पूँजीपति ही) राजनीतिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का उपयोग कर पाते हैं। गरीबों के लिए ये अधिकार मात्र दिखावा होते हैं। अतः सक्षम मन्त्रों का सत्ता है कि साम्यवादियों की भूलभूत मान्यता है कि समाज में राजनीतिक शक्ति व्यवहार में उसी के पास होती है, जिसके पास प्राथमिक शक्ति

होती है। सिद्धांत में राजनीतिक शक्ति के धारक कोई भी हो सकते हैं लेकिन व्यवहार में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग उही लोग द्वारा दिया जाता है जिनके पास आर्थिक शक्ति होती है। इतना ही नहीं इनका कहना है कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति के अधीन होती है। समाज में आर्थिक शक्ति ही निर्णायक होती है।

साम्यवादी चिन्तन में विश्वास रखने वाले विचारकों की मान्यता है कि आर्थिक शक्ति एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के एक समूह के हाथों में नहीं होनी चाहिए। आर्थिक शक्ति पर सम्पूर्ण समाज का आधिपत्य होना चाहिए। आर्थिक शक्ति का सम्पूर्ण समाज के अधिपत्य रखने के लिए साम्यवादी दशों में निम्नलिखित सस्थागत प्रयास किए गए हैं—

- 1 उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर सम्पूर्ण समाज का स्वामित्व
- 2 सम्पत्ति के समान वितरण की ओर कदम उठाना,
- 3 उत्पादन के क्षेत्र में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अंत और उत्पादन व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप किया जाना,
- 4 सभी के व्यक्तित्व को समान मूल्य देना,
- 6 बहुजन के हित, बहुसंख्यक मजदूर वर्ग उनके दल के वचस्व की स्वीकृति,
- 6 वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज की स्थापना का संकल्प,

साम्यवादियों की मान्यता है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं अपितु, सम्पूर्ण समाज का स्वामित्व होना चाहिए। यदि किसी एक व्यक्ति के हाथों में स्वामित्व होगा तो वह अन्य लोगों के श्रम का शोषण करेगा और समाज दो वर्गों में विभक्त हो जाएगा। अतः उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व न होकर सम्पूर्ण समाज का स्वामित्व होना चाहिए। साम्यवादियों की मान्यता है कि उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर न केवल सम्पूर्ण समाज का स्वामित्व ही पर्याप्त है अपितु, समाज में सम्पत्ति का इस प्रकार से वितरण किया जाये जिससे समाज में समानता बनी रह सके। सम्पत्ति का समान वितरण होने से सम्पत्ति सघन का कारण नहीं बनती और समाज में असमानता को जन्म नहीं दे पाती।

इस प्रकार साम्यवादी उत्पादन के क्षेत्र में व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि उत्पादन के क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वामित्व जनसाधारण के हितों की बीमत्त पर सम्पत्ति अजन की भावना बनाती है और सम्पत्तिअजन एक प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाती है इससे सघन पैदा होता है। अतः इस प्रकार की व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए साम्यवादी व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है।

जिस प्रकार पश्चिमी लोकतंत्र में व्यक्ति की निरंकुश स्वतन्त्रता पर अधिक जोर दिया जाता है उसी प्रकार साम्यवादी लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों के हितों की समानता पर अधिक जोर दिया जाता है। इनका मानना है कि पहले समाज में आर्थिक समानता स्थापित की जाये, आर्थिक समानता स्थापित हात ही सामाजिक एवं राजनीतिक समानता स्थापित हो जाती है। बिना आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के स्वतंत्रता की शिक्षा में प्रयास निरर्थक सिद्ध होगा।

साम्यवादियों की मान्यता है कि हमारा सम्पूर्ण समाज का एक हित है क्योंकि हम सब अर्थिक अथवा कृषक हैं। हम सबके एक हित का एक बग द्वारा प्रतिबिम्बित किया जाता है और एक बग का एक दल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। अतः इन्होंने मन्दिषान में इस बात का उल्लेख किया है कि हमारा यहाँ चूक एक ही बग स्थित है इसलिए उसके हितों की पूर्ति के लिए केवल एक दल ही सत्ता पर आसीन है वह दल है साम्यवादी दल। इनकी मान्यता है कि द्विदलीय व्यवस्था उन समाजों में होती है जहाँ समाज में दो विरोधी हित और इसलिए दो विरोधी बग हों लेकिन चूकि हमारे यहाँ सबका एक हित है अतः सबका एक उग है और इसलिए एक राजनीतिक दल है।

इस प्रकार साम्यवादी लोकतंत्र की व्यवस्था शक्ति एवं सरकार में सम्मिश्रित मान्यताओं के सन्तुलन में पश्चिमी लोकतंत्र की व्यवधारणा से तात्त्विक रूप में भिन्न है।¹⁰

अधिनायक तंत्र

यूरोप में विकसित पूँजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ एक श्राव्य जन शक्तियों के द्वारा लोकतंत्र की विधान का कार्य प्रशस्त होता रहा यहाँ यूरोप के पतना युग शासक बग उन उभार को दवाने के लिए और अपने पोषण का निर्वाह बनाने के लिए लोक दमन का रास्ता अपनाते रहे फ्रांसिसी शक्ति के पूर्व फ्रांस में उसका भी फ्रांस जर्मनी, पुतगाल स्पेन और पूर्वो यूरोप के देशों में तथा जारशाही रूस में लोकतंत्र की व्यवस्था जीवन पद्धति का विकास दीर्घकाल तक अवरुद्ध रहा। प्रथम महायुद्ध के बाद जब शक्तियों का दौर बढने लगा, तब इटली, जर्मनी स्पेन, पुतगाल और पूर्व में जापान में धिनौन अधिनायक तंत्र की जड़ें जमने लगी।

अधिनायक तंत्र का अर्थ

इस अधिनायक तंत्र में वाक्यायदा अपना दशन और शासन पद्धति विकसित की गयी भयावती थी। अधिनायक तंत्र से स्वेच्छाचारी व अत्याचारी शासन का बोध होता है। इसमें राजसत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है और शासन सत्ताचारी व्यक्ति की इच्छानुसार ही चलता है। ऐसे अधिनायक पर किसी प्रकार अंकुश नहीं

होता। उसकी राजनीति शक्ति का आधार अधराष्ट्रवाद या नस्लवाद व बल प्रयोग होता है। वे उसी समय तब शक्ति में बने रहते हैं, जब तब अधविश्वास पनपता है और अध राष्ट्रवाद या धमाधता व बल का प्रयोग उन्हें अधिनायक बनाय रखने में सहायक रहता है। वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। अधिनायक तंत्र में राज्य की सम्पूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित होती है जो स्वयं को राज्य का मूर्तरूप समझता है। उसकी हर इच्छा एवं आदेश ही सर्वोच्च होता है तथा वही संविधान और कानून हाता है। ऐसे राज्य में त्रिधि का नहीं अपितु, व्यक्ति विशेष का ही शासन हाता है। अधिनायक अपने समर्थकों को एक गुट बना लेते हैं और जैसा अधिनायक अपने समर्थकों का एक गुट बना लेते हैं और जैसा अधिनायक रहता है उसी का अनुसरण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह अधिनायक की इच्छा अथवा आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे कठोर से कठोर दण्ड दिया जाता है। यदि अधिनायक अथवा अधिनायक के दल के हितों की पूर्ति के लिए समाज के कुछ लोगों के हितों अथवा उनकी हत्या कर दी जाए तो भी अधिनायक को ऐसा करने में कानूनन कोई रोक नहीं पाता। जन सामान्य को अधिनायक का विरोध करने का अधिकार नहीं होता।¹² जैसा मुसोलिनी ने कहा था कि "सब कुछ राज्य में ही सम्भव है। राज्य से बाहर कुछ भी सम्भव नहीं है।"¹³ गहराई से छानबीन की जाये तो पश्चिमी सभ्यता और विचार दर्शन की ही यह भी एक उपज है और उसका अंग रहा है।¹⁴

वर्तमान समय में मुख्यतः दो प्रकार के अधिनायक तंत्र हमारे समक्ष आते हैं

- 1 सर्वाधिकारी शासन
- 2 स्वेच्छाचारी शासन

अधिनायक तंत्र के सामान्य लक्षण

अधिनायक तंत्र में अधिनायक की स्थिति उसकी शक्तियों एवं कार्यशैली के संदर्भ में ऊपर कुछ संकेत अवश्य दिए गए हैं लेकिन अधिनायक तंत्र के प्रमुख लक्षण क्या हैं, उन्हें हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं

सबप्रथम, इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि सामान्यतः निरंकुश व्यवस्था सत्तालय ऐसी व्यवस्था से लिया जाता है जिनमें अधिनायक सब शक्तिमान हो। उसकी प्रत्येक इच्छा एवं आदेश ही कानून हो। वही कानून का स्रष्टा हो। परन्तु इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जब किसी तानाशाह ने अकेले समस्त राज्य शक्तियों का प्रयोग किया हो। हिटलर मुसोलिनी आदि के भी समयक सलाहकार व सहायगी रहें हैं। वह किसी विचार धारा का प्रवर्तक अथवा किसी प्रचलित विचारधारा का प्रमुख सशोधक होता है। वही उस विचारधारा का एकमात्र व्याख्याकार, रक्षक तथा क्रिया-बयवर्त्ता माना जाता है। अतः

दल के सदस्या के लिए वह नेता एकमात्र पूजा व श्रद्धा का पात्र बन जाता है तथा उसकी शक्ति परम व सर्वोच्च हो जाती है। वह नेता किसी व प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता किसीसे भी आदेश प्राप्त नहीं करता है। इसके प्रतिरिक्त अधिनायक तत्र का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व यह है कि अधि-

नायक अधिनायकनश्रीय व्यवस्था बनाय रखने के लिय अनेक हथकण्डे अपनाते है इनम आतक एव डर का साम्राज्य थापना एव महत्त्वपूर्ण हथकण्डा है। इसके कारण शासिन जन साधारण इतने भयभीत बना गिय जात हैं कि उनका हर वक्त अपना अस्तित्व सतर म नगता है। इसक लिए अबुगिया प्रचार तक का सहारा लिया जाता है निरकुश शासन म सरकार एक निरंतर चलान वाली प्रति प्रति की प्रतीक हाती है।

अधिनायकतत्र वन प्रयाग की उपज है। इसम एक दन या नेता या सना या लोटे व चांग और राष्ट्रीय आत्म-मम्मान आगाआ आनाक्षाआ की भूठी शक्ति इकट्ठी की जाती है। अधिनायकतत्र आंतरिक विरोध व सघप वा कठारता स दया देता है, तत्र वह इस तरह स वाय करता जस नि वह ही राष्ट्रीय एवता की प्रतिमूर्ति हा। वह अततोगत्वा शक्ति व बल पर ही शासन कर पाता है। उसका शासन तभी तत्र चलता है जस तक लाग उसन निरुद्ध उठ उड होन वा साहस नहीं करत।

अधिनायक तत्र मे दोष ही दोष

अधिनायकवाणी व्यवस्था म दोष ही दोष हैं क्याकि यट व्यवस्था मूलत इस विचार को लेकर चलती है कि अधिनायक के अलाना ममाज म प्रय सभी लाग 'व्यक्तित्व' ऐसी कोई विशेषता नहीं रखत—व पशु तुल्य है जिह चरवाहे की तरह नेता हांक्ते रहत हैं—उत्तरहरण व लिए पाकिस्तान म जब कभी चुनाव कराने व वायद की याद सैनिक तानाशाह जिया उलहक की दिलायी जाती है वे एक ही बात कहत हैं कि पाकिस्तानी आवा म उस लायक नहीं है। वे ईरान के सोमेनी की तरह इमाम हाने का दावा ता नहीं करते पर तय वही करते हैं कि इस्लामी ढग वा प्रशासन क्या होगा कव स्थापित हागा और कस चलाया जाएगा।

अधिनायकतत्र म शासन का आधार बल प्रयाग है। लेकिन ऐसा शासन कभी भी स्थाई नहीं हो सक्ता क्योंकि स्थाई शासन के लिये वन प्रयोग की नहीं प्रतिपु जन सहमति पर आधारित शासन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अधिनायक तत्र म अत्याचार, भय, आतक अनाचार वा ही बोलवाला होता है। अधिनायकतत्र मे व्यक्ति भावनायो से रहित यत्रवत हो जाता है। वह वही लिखता है भयवा बोलता है जैसा तानाशाह चाहता है। इस

व्यवस्था में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यापकता, स्वतंत्र प्रेस आदि का पूर्णतः अभाव होता है।

इस प्रकार अधिनायकता के दोषों के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि यह व्यवस्था मनुष्य को मानवता से गिरा देती है। इसमें मनुष्य को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती अतः उसका व्यक्तित्व दब जाता है और इसलिए वह कोई प्रगति नहीं कर पाता। उसके व्यक्तित्व की गरिमा तथा मौलिकता समाप्त हो जाती है।

इस व्यवस्था में गुण कहा जाता है कि धीमे धीमे इस प्रकार के कुशासन के अन्तर्गत लोग का यह जानकारी हो जाती है कि मानवीय समाज की प्रगतिशील संरचना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि समाज के बहुसंख्यक लोग अपने भाग्य की रचना का कार्य स्वनिर्धारण में रखने की शक्ति व सामर्थ्य और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का मकल्प नहीं कर लेते। अतीत के और वर्तमान के इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालें, तो हम यह पाते हैं कि इस तरह की अधिनायकवादी व्यवस्था वहीं पनप रही है एवं उखाड़ी नहीं जा रही है जहाँ अधिकतर लाभ शिक्षा, अज्ञान, भ्रष्टाचार के शिकार हैं और एकजूट होने के बजाय अनकानेक अन्तर्द्वेषों में फँस हुए आपस में बुरी तरह बँटे हुए हैं और इस बटवारे का पायदा तानाशाह उठा लेता है। यह कहना गलत है कि इस प्रकार के शासन के अन्तर्गत किसी प्रकार की प्रगति सम्भव है क्योंकि यह दवा न हाकर मज से अधिक मज बन जाती है।

पाद टिप्पणी

- 1 हनशा, एफ० जे० सी० डिमोक्रैसी एट दि फ्रोसवेज, लंदन, मेकमिलन, 1919 पृ 17
- 2 मैक्सवेल, पॉलिटिकल फिलोसॉफीज पृ 690
- 3 सारटारी जी० डिमोक्रैटिक थिअरी वाइनस्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस 1962
- 4 वही,
- 5 वही,
- 6 वही
- 7 वही,
- 8 वही,
- 9 एण्ड्रू ज विलियम, कन्स्टीट्यूशन एण्ड कान्ट्रीट्यूगनलिज्म 1961 पृ 10

- 10 मेयर जी एल्फ्रेड, दि सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम, एन इन्टर-प्रिटेगन, यूनाय, रेडमहाउस 1965, प 375
- 11 देखिए जवाहरलाल नेहरू "विश्व इतिहास की एक झलक"
- 12 इकबाल नारायण—राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त, रतन प्रकाशन मॉन्ट्र, आगरा 1974, प 325
- 13 यह कथन मुसालिनी द्वारा कहा गया है।
- 14 दक्षिण प्रान्त 'क्रान्त लूथर टु हिटलर

अध्याय 11

एकात्मक एवम सघात्मक शासन

राजनीतिक व्यवस्था में शासन शक्ति के केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण के आधार पर शासन व्यवस्थाओं में अंतर स्थापित किया जाता है। इस सन्दर्भ में शासन व्यवस्थाओं के तीन प्रतिमान हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। पहला शासन का एकात्मक स्वरूप जिसमें शासन सत्ता पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होती है। दूसरा स्वरूप परिसघात्मक जिसमें राज्या का एक ढीला-ढाला सघ होता है तथा जिसमें राज्य शक्ति का प्रयोग अनेक स्थानों पर केन्द्रित रहता है तथा तीसरा सघात्मक स्वरूप होता है, जिसमें राज्य शक्ति का प्रयोग दो स्तरों से (केन्द्रीय व राज्य) संचालित होता है। अब हम क्रमशः तीनों व्यवस्थाओं पर संक्षेप में चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ हम सघात्मक शासन का अध्ययन थोड़ा सा विस्तृत रूप से करना चाहेंगे।

एकात्मक शासन

एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की सम्पूर्ण शक्ति सविधान द्वारा अथवा परम्पराओं द्वारा केवल केन्द्रीय सरकार में निहित होती है तथा शासन संचालन की सम्पूर्ण शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के पास ही होती हैं। एकात्मक शासन में विविध प्रादेशिक सरकारें अथवा स्थानीय सरकारें केन्द्रीय सरकार द्वारा ही स्थापित की जाती हैं। इनके पास सविधान द्वारा दी हुई कोई शक्ति नहीं होती है। इन्हें तो केन्द्रीय सरकार अपनी कुछ शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर देती हैं। एकात्मक शासन में शासन संचालन की सुविधा की दृष्टि से एकात्मक राज्य को कुछ प्रदंशा अथवा

प्रान्ता म विभाजित अवश्य किया जाता है किन्तु इन प्रादेशिक या स्थानीय सरकारों की कोई रूपक स्वतंत्र व मौलिक सत्ता नहीं होती है। एकात्मक शासन म प्रादेशिक व स्थानीय सरकारों के द्वीय सरकार की प्रतिनिधि सरकारें होती हैं जिन्हें के द्वीय सरकार वभी भी समाप्त कर सकती हैं। इनम आपस म पारस्परिकता होती है तथा इनम आपस म स्वामी नोकर जैसे सम्बन्ध हाते है।

एकात्मक शासन के गुण

एकात्मक शासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है कार्यकुशलता चूकि पूरे देश म शासन संचालन की शक्ति केवल मात्र के द्वीय सरकार व पास होती है अतः वही आसानी स शासन संचालन हेतु नीति निर्धारण कर नीति नियमित कर सकती है। उसका राज्य सरकारा द्वारा विरोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

इसी प्रकार सविधान म सघातन करन व लिए राज्या अथवा प्राता की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं है। अतः जिस विधि से बानून पारित होता है उसी विधि स आसानी से अथवा सामान्य बहुमत स ही सविधान म सघातन करने भी समभव हो जात है।

राष्ट्रीय एकता एवम् आवश्यकता पनाय रपन के लिए भी यह व्यवस्था उपयुक्त हाती है। राज्य सरकार किसी प्रकार की मौलिक शक्तिया का उपयोग नहीं करती है। सभी को के द्वीय सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों एव आदेशों के अनुसार चलना पडता है अतः इस व्यवस्था म राष्ट्र के एकीकरण व भाग म कोई बाधा उत्पन्न नहीं हाती है।

एकात्मक शासन के दोष

इसम पाये जाने वाले दोषा का विवरण निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। कुछ लोगा का कहना है कि एकात्मक शासन का सबसे बडा दोष यह है कि इसम राज्यों की स्थानीय विशेषताओं, सम्मता एवम सङ्कृति आदि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। पूरे देश म एक ही सरकार (के द्वीय सरकार) का शासन होता है अतः बिना स्थानीय विशेषताओं को ध्यान मे रखते हुए शासन का संचालन किया जाता है।

चूकि पूर देश पर एक ही सरकार द्वारा शासन संचालित किया जाता है अतः सरकार काय कुशलतापूर्वक शासन का संचालन नहीं कर सकती है। पर्याप्त आवागमन एवम संचार के माधना के अभाव म एक ही विदु से पूरे देश म शासन का संचालन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार एकात्मक शासन व्यवस्था के कुछ गुण तथा दोष दोनों ही है

अध्याय 11

एकात्मक एवम सघात

राजनीतिक व्यवस्था में शासन के आधार पर शासन व्यवस्थाओं में अनेक शासन व्यवस्थाओं के तीन प्रतिमान, एकात्मक स्वरूप जिसमें शासन सत्ता पूर्ण है। दूसरा स्वरूप परिसघात्मक जिसमें तथा जिसमें राज्य शक्ति का प्रयोग तीसरा सघात्मक स्वरूप होता है, जिसे (केन्द्रीय व राज्य) संचालित होता है। इसमें चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ हम इस रूप से करना चाहेंगे।

एकात्मक शासन

एकात्मक शासन व्यवस्था में परम्पराओं द्वारा केवल केन्द्रीय की संपूर्ण शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के पास प्रादेशिक सरकारें अथवा स्थानीय सरकारें जाती हैं। इनके पास संविधान द्वारा दी हुई केन्द्रीय सरकार अपनी कुछ शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने में शासन संचालन की सुविधा की दृष्टि से एकात्मक

सघात्मक शासन के लक्षण

सघ शासन एक समझौता है। यह विभिन्न स्वतंत्र इकाईयों के बीच आपस में किये गये समझौते का परिणाम है। विभिन्न स्वतंत्र राज्य सरकारें आपस में मिलकर एक समझौता कर, एक केन्द्रीय सरकार की स्थापना करती है तथा या तो 'गणना तथा अवशेष के सिद्धांत के माध्यम से अथवा सूची पद्धति' के माध्यम से कुछ शासन शक्तियां केन्द्र सरकार को सौंप देती है तथा बाकी अपने पास रख लेती हैं।

चूँकि, सघ शासन एक समझौता होता है अतः आगे आने वाली पीढ़ी का यह ज्ञात रहूँ कि समझौता क्या किया गया था, समझौते की क्या शर्तें थीं इसके लिए सघ शासन में लिखित सविधान की व्यवस्था की जाती है। लेकिन समझौते की शर्तों (सविधान) में कोई सशोधन केवल केन्द्रीय सरकार ही न कर दे, समझौते में सम्मिलित होने वाली सभी इकाईयों के बहुमत द्वारा स्वीकृत होने पर ही सविधान में सशोधन होता है अतः इन अर्थ में सघ शासन में सविधान बँटार होता है।

सघ शासन में चूँकि दा प्रकार की सरकारें होती हैं—केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें अतः दाना सरकारों के कार्यों का अथवा शक्तियों का विभाजन भी सघ शासन की महत्वपूर्ण विशेषता है।

कहीं राज्यों में आपस में, केन्द्र सरकार एवम् राज्य सरकारों अथवा राज्यों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए अथवा सविधान की व्याख्या से सम्बन्धित कोई मामला उठ खड़ा हो तो इसके लिए सघ शासन में एक सर्वोच्च एवम् स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है।

सघ शासन में नगरिका की नागरिकता भी दोहरी होती है। नागरिक पढ़ने तो सघ का तथा दूसरे उस इकाई का नागरिक होता है जिसमें वह निवास कर रहा होता है। अमेरिका में यह व्यवस्था है। भारत में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को न अपनाकर इकहरी एकल नागरिकता की व्यवस्था की गयी है।

इसी प्रकार संसद के द्वितीय सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना भी सघ शासन की एक विशेषता है। संसद के प्रथम अथवा निम्न सदन में तो जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है लेकिन संसद के दूसरे सदन में प्रत्येक राज्य को अपने यहां से निश्चित एवम् समान प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है चाहे वह राज्य बड़ा हो अथवा छोटा। अमेरिका में सिनेट (उच्च सदन) में प्रत्येक राज्य का अपने गृह से दो सदस्य भेजने का अधिकार है। भारत में राज्य सभा में राज्यों के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का लागू नहीं किया गया है।¹⁵

परंतु अपने अपन दृष्टिकोण एवम मायताओं के अनुसार किसी भी शासन-व्यवस्था का अनुसरण किया जा सकता है। कोई भी शासन व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसके गुण एवम् दोष न हों। प्रत्येक शासन व्यवस्था के अपन कुछ गुण होते हैं तो स्वाभाविक है कि उमके कुछ दोष भी होंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था भी इनका अपवाद नहीं है।

परिसघात्मक शासन व्यवस्था

परिसघ राज्यो का एक ऐमा ढीला ढाला सघ होता है जिनमे राज्य परिसघ के सदस्य उस समय तक रहते है जब तक उनका उद्देश्य विशेष पूरा नहीं हो जाता है। जैसे ही परिसघ में सम्मिलित होने वाली इकाईया का उद्देश्य पूरा हुआ वे परिसघ की सदस्यता से त्याग पत्र दे देते हैं। अतः परिसघात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें सम्मिलित होने वाले राज्य इसलिए सम्मिलित होते हैं क्योंकि उन सबके अपने कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं। इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी सदस्य राज्य प्रयत्नशील रहते हैं और जैसे ही सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती है वे परिसघ से अपने आपको अलग कर लेते हैं। जब उदाहरण के लिए राज्यों का उद्देश्य अपना आर्थिक विकास करना अथवा किसी सामान्य दुश्मन से अपनी रक्षा करना है तो ऐसे राज्य आपस में मिलकर एक परिसघ का निर्माण करेंगे और परिसघ के सदस्य तब तक बने रहेंगे जब तक उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। अतः परिसघात्मक व्यवस्था एक दुबल स्थिति है।¹³

सघात्मक व्यवस्था

राजनीतिक व्यवस्था में शासन शक्ति के प्रयोग का क्षेत्र एवम राज्य सरकारों में विकेंद्रीकरण करना ही सघात्मक शासन कहलाता है। सघात्मक शासन से तात्पर्य शासन शक्तियों के प्रयोग के ऐसे विभाजन से है जिसमें संघीय सरकार द्वारा प्रयुक्त होने वाली शक्तियों को निश्चितकर दिया जाता है और शेष शक्तियों को प्रादेशिक सरकारों के लिए छोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं न अपनी पुस्तक सघात्मक सरकार में कहा है कि "सघात्मकता के सिद्धांत से मरा तात्पर्य शक्तियों के विभाजन की विधि से है जिससे सामान्य एवम प्रादेशिक सरकारों में से हर एक अपने क्षेत्र विशेष में स्वतंत्र एवम् समान रहे।" इसी प्रकार आगे उनका कहना है कि "सघात्मक सिद्धांत के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि सामान्य सरकार प्रादेशिक सरकारों के समान ही जनता पर क्रियाशील रहे परंतु यह भी आवश्यक है कि हर एक सरकार अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहे और उस क्षेत्र में अन्य सरकारों से स्वतंत्र रहे।"¹⁴

सघात्मक शासन के लक्षण

सघ शासन एक समझौता है। यह विभिन्न स्वतंत्र इकाईयों के बीच आपस में किया गये समझौते का परिणाम है। विभिन्न स्वतंत्र राज्य सरकारें आपस में मिलकर एक समझौता कर, एक केन्द्रीय सरकार की स्थापना करती हैं तथा या तो 'गणना तथा अवशेष' के सिद्धांत के माध्यम से अथवा सूची-पद्धति के माध्यम से कुछ शासन शक्तियां केन्द्र सरकार को सौंप देती हैं तथा बाकी अपने पास रख लेती हैं।

चूँकि, सघ शासन एक समझौता होता है अतः आगे जाने वाली पीढ़ी का यह ध्यान रह कि समझौता क्या किया गया था, समझौते की क्या शर्तें थी इसके लिए सघ शासन में लिखित सविधान की व्यवस्था की जाती है। लेकिन समझौते की शर्तों (सविधान) में कोई सशोधन केवल केन्द्रीय सरकार ही न कर दे, समझौते में सम्मिलित होत वाली सभी इकाईयों के बहुमत द्वारा स्वीकृत होने पर ही सविधान में सशोधन होता है जब इस अर्थ में सघ शासन में सविधान कठोर होता है।

सघ शासन में चूँकि दो प्रकार की सरकारें होती हैं—केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें अतः दोनों सरकारों के कार्यों का अथवा शक्तियां का विभाजन भी सघ शासन की महत्वपूर्ण विशेषता है।

वही राज्या में आपस में, केन्द्र सरकार एवम् राज्य सरकारों अथवा राज्या में, कोई विवाद उत्पन्न हो जाए अथवा सविधान की व्याख्या से सम्बन्धित कोई मामला उठ खड़ा हा तो इसके लिए सघ शासन में एक सर्वोच्च एवम् स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है।

सघ शासन में नागरिकों की नागरिकता भी दोहरी होती है। नागरिक पहले तो सघ का तथा दूसरे उस इकाई का नागरिक होता है जिसमें वह निवास कर रहा होता है। अमेरिका में यह व्यवस्था है। भारत में दोहरी नागरिकता के सिद्धान्त का न अपनाकर इकहरी एवम् नागरिकता की व्यवस्था की गयी है।

एसी प्रकार ससद के द्वितीय सदन में राज्या का समान प्रतिनिधित्व होना भी सघ शासन की एक विशेषता है। ससद के प्रथम अथवा निम्न सदन में तो जन सख्या के आधार पर राज्या का प्रतिनिधित्व होता है लेकिन ससद के दूसरे सदन में प्रत्येक राज्य को अपने यहां में निश्चित एवम् समान प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है चाहे वह राज्य बड़ा हो अथवा छोटा। अमेरिका में सिनेट (उच्च सदन) में प्रत्येक राज्य का अपने यहां से दो सदस्य भेजने का अधिकार है। भारत में राज्य सभा में राज्या का समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू नहीं किया, गया है।¹⁵

सघ निर्माण की आवश्यक शर्तें

अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी कृतियाँ में सघ निर्माण की अनेक पूर्व शर्तों का उल्लेख किया है। इस सन्दर्भ में के सी व्हीरे, विलियम पी मोडक्स के नाम का उल्लेख विशेष रूप से किया जा सकता है। इन्होंने सघ निर्माण के लिए निम्न लिखित शर्तें बतायी हैं।

- 1- भागालिक समीपता,
- 2- असुरक्षा की भावना
- 3- इकाईयों में सांस्कृतिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक विकास के स्तर एवम् जाकार से सम्बन्धित समानता,
- 4- विदेशी शक्तियों से स्वतंत्र रहने की इच्छा तथा
- 5- आर्थिक लाभ की आशा।

पहले, सघ निर्माण के सन्दर्भ में सबसे पहली आवश्यकता है कि सघ में सम्मिलित होने वाली सभी इकाईयाँ राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हों।

दूसरे, सघ में सम्मिलित होने वाली इकाईयाँ भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के समीप हों। यदि ऐसा नहीं होगा तो इकाईयों में भावात्मक एकता स्थापित नहीं हो सकेगी। ऐसा नहीं होना चाहिये कि बांग्लादेश के जम से पूर्व एक पश्चिमी तथा दूसरा पूर्वी पाकिस्तान था। बीच में भारत आता है। अतः पाकिस्तान का सघ सफल नहीं हो सका। अतः राज्य एक दूसरे के पड़ोसी हों।

यदि इकाईयों में असुरक्षा की भावना हो, तो भी अतः आपकी सुरक्षा के लिए व सघ का निर्माण कर सगठित हो जाती हैं।

सघ शासन में सम्मिलित होने वाली इकाईयाँ आपस में किसी न किसी रूप में समान हानी चाहिए। उनका इतिहास, सम्यता एवम् संस्कृति, उनका विकास स्तर एकसा रहें अथवा उनमें एकता एवम् एकीकरण की भावना जागृत नहीं हो सकती है।

इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि कोई विदेशी आक्रमणकर्ता आक्रमण करने की सोचे तो ऐसी स्थिति में सभी इकाईयाँ मिलकर आक्रमण करने की सोचे तो ऐसी स्थिति में सभी इकाईयाँ मिलकर आक्रमण करने से राक्षस बनती हैं। अतः कहीं के विदेशी शक्तियों के गुलाम न हो जाए इसके लिए इकाईयाँ मिलकर सघ का निर्माण करनी हैं।

इसी प्रकार इकाईयों का अपना एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए तथा इस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सभी इकाईयाँ को प्रयास करना चाहिए। जिन इकाईयों का उद्देश्य हो सकता है—मित्रजुनकर अपना आर्थिक विकास करना। अतः आशा में भी मिलकर वे सघ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार सघ का निर्माण में अनेक प्रवृत्तियाँ, आवश्यकताएँ एवम् शर्तें भूमिका निभानी हैं।⁵

सघ शासन के गुण एव दोष

किसी भी शासन व्यवस्था में क्या गुण तथा दोष है, यह बताना बहुत कुछ उस देश के घातावरण, आवश्यकताओं, इतिहास एव सन्धृति आदि पर निर्भर करता है लेकिन फिर भी सघ शासन के क्या मुख्य गुण तथा दोष हैं इनको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं —

सबप्रथम, सघ शासन में सबसे महत्वपूर्ण गुण यह बताया जाता है कि इसमें शक्तियों का केन्द्र में केन्द्रीकरण न होकर विकेन्द्रीकरण की स्थिति पाई जाती है। सम्पूर्ण शासन शक्तियों को सघ सरकार एवम् राज्य सरकार में विभाजित किया जाता है। शक्तियों का विकेन्द्रीकरण सघ सरकार की मुख्य विशेषता होती है।

दूसरे, सघ सरकार में शासन संचालन बड़ी आसानी एवं सुगमता से किया जा सकता है। एकात्मक शासन में तो सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। अतः केन्द्र सरकार यह अत्यधिक भार होने के कारण वह शासन का सुगमता से संचालन नहीं कर सकती लेकिन सघ शासन में शक्ति विभाजन हो जाने के कारण कुछ विषयों का संचालन केन्द्र सरकार तथा कुछ का राज्य सरकारें संचालन करती हैं इससे शासन का भार केवल एक ही सरकार पर नहीं अपितु, उनका स्पष्ट विभाजन हो जाता है।

सघ शासन व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार के अधिनायकवादी बनने की गुंजायश बहुत कम रहती है क्योंकि उसे इकाई सरकारों को विश्वास में लेना होता है अतः राज्य सरकारें केन्द्र सरकार को अधिनायकवादी नहीं बनने देती हैं।

इस प्रकार सघ शासन का एक अन्य गुण है—कि राज्य सरकारों पर स्थानीय लोग राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और इनके प्रशिक्षण का आगे चलकर केन्द्रीय स्तर पर लाभ भी उठाया जाता है।

सघीय शासन के दोष

उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त सघ शासन के कुछ दुर्गुण भी बताये जाते हैं जैसे

सघ शासन का सबसे बड़ा दुर्गुण है शासन में सामंजस्य की अविद्यमानता। चूंकि, इस शासन व्यवस्था में दोहरी सरकारें होती हैं अतः शासन कार्य के सुचारु संचालन के लिए इन दोनों सरकारों में सामंजस्यता आवश्यक होती है लेकिन उचित सामंजस्यता स्थापित नहीं हो पाती है। सामंजस्यता के अभाव में राज्य एव केन्द्र सरकारें किसी सबमाध्य निणय पर नहीं पहुँच पाती। इसी प्रकार सघ शासन में कोई भी सबमाध्य निणय आसानी से नहीं लिये जा सकते हैं। यदि केन्द्रीय सरकार किसी निणय तक पहुँचती है तो राज्य उसका विरोध करते हैं

और राज्य निणय लेत है तो सघ सरकार उसका विरोध करती है।

दूसीप्रकार यह भी कहा जाता है कि सघ शासन युद्धकाल एव सकटकालीन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि ऐसे समय पर सीध निणय लन के लिए राज्य सरकारों पर भी निर्भर रहना होता है अत यह शासन युद्धकाल, सकटकालीन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है।

द्रुतगति स आर्थिक विकास हो, इसके लिए भी यह व्यवस्था ठीक नहीं है क्योंकि आर्थिक विकास के लिए भी एकीकृत व्यवस्था हानी चाहिये। एक ऐसी सस्था हो जा निणय ल सके तथा उन्हें आसानी से त्रियाचित करवा सके लेकिन यहा निणय लेने के लिए एक ही सरकार पूणत मक्षम नहीं हैं तथा ऐसी नीतिया बन जाने के बाद उन्हें त्रियाचित करने के लिए राज्या पर ही निर्भर रहना पडता है ऐसी स्थिति मे यह आवश्यक नहीं है कि राज्य उन नीतियों का त्रियाचयन वसा ही करेंगे जसा नीतियों का निर्माण करने की भावना निश्चित की गयी थी।

अत इस प्रकार अनेक प्रकार के गुण एव दोष दोनों सघ शासन मे बनाए जाते हैं लेकिन सघात्मक व्यवस्था के अपने कुछ ऐसे गुण हैं जो आज के विस्तृत एव व्यापक राष्ट्रीय राज्या के लिए अपरिहाय हैं। अत आज एकात्मक शासन की अपेक्षा सघात्मक शासन की प्रणाली ज्यादा प्रचलित एव लोक प्रिय हैं।

सघ शासन मे नवीन प्रवृत्तियाँ

लसली लिपसन ने अपनी पुस्तक 'ग्रेट इस्पूज आव् पॅलिटिक्स' में कहा है कि आज सभी सघों मे एकात्मकता की प्रवृत्तिया बढ़ती जा रही है। चाहे वह अमेरिकी सघ हा अथवा केनाडा एव आस्ट्रेलिया का और चाहे भारत का सघ हा सभी सघा मे एकात्मकता के तत्व बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका, केनाडा आस्ट्रेलिया भारत आदि देशो मे सघ शासन मात्र सिद्धांत म ही है व्यवहार म सघ शासन करीब-करीब समाप्त से हाते जा रहे हैं। इस सदभ म यह प्रश्न उठता है कि आज एस कौन से कारकों का उदय हो गया है जिनके कारण सघ शासना म एकात्मकता की प्रवृत्तिया उभर रही हैं। इस सदभ मे लसली लिपसन ने निम्न लिखित कारण गिनाए हैं

सघ शासन मे एकात्मक तत्वा के उभरने का सबसे पहला कारण है—दुनीय अनुशासन जब देश मे केन्द्रीय सरकार के स्तर पर तथा राज्या म एक ही दन का शासन हो तो राज्य वसा ही करते है तथा केन्द्रीय सरकार उनको वसा ही करने के लिए कहती है। अत जिन विषया के शासन मंचालन का राज्य सरकारों के पास होनी है। उस सबघ का केंद्र का केंद्र का केंद्र का केंद्र माननी होती है। अत दलीय व्यवस्था

शासन को बहुत नुकसान पहुँचाया है।^४

साक कल्याणकारी राज्य की गतिविधिया तथा आर्थिक सकट भी ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिन्होंने सेंध शासन में एकात्मकता की प्रवृत्तियाँ को बढ़ाया है। साक कल्याणकारी गतिविधियों के सम्पादन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सामान्यतः सभी देशों के संविधानों द्वारा इकाई सरकारों का सौंपी जाती है। किसी भी सरकार को इन कल्याणकारी गतिविधियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन राशि चाहिये लेकिन राज्यों के पास पर्याप्त धन राशि नहीं होती अतः उन्हें केन्द्र का मुखोपक्षी होना पड़ता है। केन्द्र राज्यों को कल्याणकारी कार्यों के सम्पादन के लिए जो धनराशि देता है वह सशर्त होती है। अतः राज्य अपने विषयों के शासन संचालन में भी स्वतंत्र नहीं होते उन्हें केन्द्रीय सरकार का कहना मानना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आज हर राष्ट्र आर्थिक सकट के दौर से गुजर रहा है और विशेषतः विकासशील राष्ट्रों के समक्ष तो बहुत बड़ी आर्थिक समस्याएँ हैं। ऐसे वातावरण में विकासशील राष्ट्रों में सघात्मक व्यवस्था बनी ही होगी जैसा कि अमेरिका में है। यह असम्भव है क्योंकि विकासशील राष्ट्र प्रथम तो आर्थिक सकट के दौर से गुजर रहे हैं तथा दूसरे, विकासशील राष्ट्रों का इतिहास आवश्यकताएँ, परिस्थितियाँ तथा वातावरण बिल्कुल भिन्न होता है। अतः कल्याणकारी कार्यों एवं आर्थिक सकट में सघात्मक शासन का बहुत धक्का पहुँचाया है।

इसी प्रकार युद्धों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में भी राज्य सरकारों के हाथों से शक्ति छीनकर केन्द्र सरकार को हस्तांतरित कर दी है। जब किसी भी देश पर युद्ध के बादल मण्डराते रहते हैं अथवा किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति होती है तो देश की सम्पूर्ण शक्तियाँ केन्द्र में केन्द्रित हो जाती हैं तथा देश के नेतृत्व से यह आशा की जाती है कि वह इस सकट से देश को बचाएगा। अतः सामान्यकाल में भी इस प्रकार की स्थिति अनवरतरूपेण चलती रहती है।

इसी प्रकार आज प्रत्येक देश की कायपालिका की शक्तियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं तथा व्यवस्थापिका की शक्तियाँ का पतन होता जा रहा है। अतः कायपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि हो जाने के कारण सम्पूर्ण देश के महत्वपूर्ण निणय, चाहे वह राज्यों से संबंधित हो अथवा किसी अन्य मामलों से संबंधित केन्द्रीय मुख्य कायपालिका द्वारा ही लिये जाते हैं तथा राज्यों को इन निणयों का पालन करना पड़ता है।

इस प्रकार दलीय अनुशासन, कल्याणकारी गतिविधियों, आर्थिक सकट, युद्ध एवं आपातकाल तथा कायपालिका की बढ़ती हुई शक्तियों ने सेंधशासन में एकात्मकता के तत्त्व पदा कर दिये हैं। आज विश्व का चाहे कोई सा

भी सेंध हो, करीब सभी सेंधा में एकात्मकता के तत्त्व स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं।

पाद टिप्पणी

1 इकबाल नारायण, राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत, रतन प्रकाशन मंदिर, आगरा, 1974

2 वही

3 वही

4 के सी व्हीरे—फेडरल गवर्नमेंट लंदन, 1963 पृ-15

5 वही

6 वही

7 लेसली लिपसन, ग्रेट इस्यूज ऑफ् पॉलिटिक्स

8 वही

9 वही

10 वही

ससदात्मक एव अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियाँ

लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक गतिविधियाँ सगठित रूप में सम्पादित की जाती हैं। अतः इस सदन में सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक सगठन कैसे हैं? आधुनिक समय में सरकारी सगठन कैसे हैं? कौन से हैं? तथा उनके क्या-क्या सिद्धांत रहे हैं—जिनका लेकर वे चल रहे हैं? ऐसी कौन-सी मायताएँ हैं जो इस सगठनों में पूरी होंगी? इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार स दिया जा सकता है कि आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में दो सामाजिक शासन प्रणालियाँ प्रचलित हैं—ससदात्मक शासन प्रणाली तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली।

इन दोनों शासन प्रणालियों की अपनी कुछ सामाजिक विशेषताएँ भी एक ही हैं लेकिन कुछ बातों को लेकर दोनों में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है।

दोना शासन प्रणालियाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित हैं। अतः दोनों शासन प्रणालियों में जो राजनीतिक पद्धति पर आधारित है। अतः दोनों शासन प्रणालियों में जो राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई है उसका स्त्रोत संविधान तथा देश का विधान रहे हैं। दोनों ही शासन प्रणालियाँ में सरकारें कम अथवा अधिक अपने-अपने तरीकों से जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं तथा दोनों ही प्रणालियों में शासन काय में जनता की शासन काय में प्रत्यक्षत अथवा अप्रत्यक्षत हिस्सेदारी सहभागिता होती है।

इसी प्रकार यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि ससदीय एव अध्यक्षीय शासन प्रणालियों में अन्तर का प्रमुख आधार क्या है। यदि कायपालिका एव व्यवस्था-

पिका में आपसी घनिष्ठ संबंध है तो शासन प्रणाली ससदीय होगी और यदि कायपालिका एवं व्यवस्थापिका में संबंधों की स्थिति नहीं है तो वहाँ अध्यक्षीय व्यवस्था होगी। अतः शासन प्रणाली कौन-सी है इसका मापदण्ड कायपालिका एवं व्यवस्थापिका का संबंध है।

ससदीय शासन प्रणाली

ससदीय शासन का 'केबिनेट' शासन "मन्त्री मंडलीय" शासन तथा 'उत्तरदायी शासन' भी कहा जाता है। ससदीय शासन से तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जहाँ कायपालिका एवं व्यवस्थापिका में आपसी घनिष्ठ संबंध होते हैं। कायपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है तथा इसलिए कायपालिका का समय निश्चित नहीं होता है। इसी सदर्भ में काट्टर एवं हर्ज का कहना है कि 'ससदीय शासन, सरकार के कायपालिका एवं व्यवस्थापिका अंगों के आपसी गहरे संबंधों के सिद्धांत पर आधारित होता है।' इसी प्रकार गानर का कहना है कि "ससदीय शासन के अन्तर्गत वास्तविक कायपालक (केबिनेट) विधान मण्डल या उसके एक सदन (प्रायः निम्न सदन) के प्रति प्रत्यक्ष तथा कानूनी रूप से तथा निर्वाचकों के प्रति अंतिम रूप से अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी रहता है तथा राज्य का प्रमुख जो औपचारिक कायपालक होता है वह अनुत्तरदायित्व की स्थिति में रहता है।"¹

ससदीय शासन की विशेषताएँ

आज विश्व के अधिकांश देशों में ससदीय शासन की प्रणाली ही अधिक लोकप्रिय है। विशेषतः द्वितीय महायुद्ध के बाद राष्ट्रों ने ससदीय शासन को ही अपना आधार बनाया है। अतः इस सदर्भ में सर्वप्रथम प्रश्न यह उठता है कि इस शासन प्रणाली में कौन सी ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके कारण यह प्रणाली ज्यादा लोकप्रिय हुई है। इस सदर्भ में डी वी वर्न के नाम का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। वर्न ने अपनी पुस्तक "एन एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स" में ससदीय शासन प्रणाली की निम्न विशेषताएँ गिनाई हैं

१. कायपालिका का दो भागों में विभाजित होना

इस प्रणाली में कायपालिका दोहरी होती है। एक नाममात्र की कायपालिका तथा दूसरी वास्तविक कायपालिका। नाममात्र की कायपालिका को राज्य के अध्यक्ष के रूप में तथा वास्तविक कायपालिका का शासन के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता है। संविधान द्वारा सिद्धांत में शासन की सम्पूर्ण शक्तियाँ नाममात्र के अध्यक्ष को ही दी जाती हैं परंतु नाममात्र के अध्यक्ष के नाम पर

संसदात्मक एवं अध्यक्षतात्मक शासन प्रणालियाँ
शासन के संचालन की वास्तविक शक्तियाँ वास्तविक शासन अर्थात् केबिनेट में
निहित होती हैं।

2 नाममात्र के अध्यक्ष को वास्तविक अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार

राजदीय शासन में नाममात्र का अध्यक्ष बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार के वास्तविक अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) के रूप में नियुक्त करता है। सिद्धांत में उसकी यह शक्ति मात्र दिखाया जाती है क्योंकि निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना पड़ता है लेकिन उसकी यह शक्ति उस समय महत्वपूर्ण हो जाती है जबकि निम्न सदन में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो। सरकार का अध्यक्ष शासन संचालन के लिए अपने साथियों को नियुक्त करता है तथा उनके नामों पर नाममात्र के अध्यक्ष (राजा-रानी अथवा राष्ट्रपति) स्वीकृति प्रदान करता है।

3 कार्यपालिका का उत्तरदायित्व

वास्तविक कार्यपालिका अपने सभी राजनीतिक कार्यों नीतियाँ एवं कार्यक्रमों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह उत्तरदायित्व एकल तथा सामूहिक दोनों प्रकार का होता है। मंत्रिमण्डल के सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से प्रत्यक्षत संसद के प्रति तथा अप्रत्यक्षत जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं।

4 कार्यपालिका का अनिश्चित समय

जबकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है अतः वह अपने पद पर व्यवस्थापिका के प्रस्तावपथत तक ही बनी रह सकती है। अतः इस अर्थ में कार्यपालिका का समय निश्चित नहीं होता।

5 नाममात्र के अध्यक्ष द्वारा संसद (निम्न सदन) को भंग करने का अधिकार

संसदात्मक शासन में नाममात्र के अध्यक्ष को वास्तविक अध्यक्ष संसद (निम्न सदन) को भंग करने का परामर्श दे सकता है और नाममात्र का अध्यक्ष इस प्रकार के परामर्श का आधार पर संसद (निम्न सदन) को भंग कर सकता है।

6 ससद को शक्ति का प्रमुख केंद्र होना

इस शासन में ससद सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का प्रमुख केंद्र होती है। ससद ही कायपालिका का निर्देश देती है, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। इस सदन में वनों का कहना है कि "यह वह मंच है जहां राजनीतिक नाटक खेला जाता है। यह राष्ट्रीय विचारों का रंगमंच है। यह वह विद्यालय है जहां भावी राजनीतिक नेताओं का प्रशिक्षण होता है। राजनीतिक व्यवस्था में सभी शक्तियों का उद्भव ससद से ही होता है। सभी शक्तियां द्वारा ससद ही प्रतिबंधित और सीमित रहती है। राजनीतिक नीतियों, राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राष्ट्रीय लक्ष्यों का निर्धारण का मंच भी ससद ही होती है।"

इस प्रकार ससदीय शासन की उपरोक्त विशेषताएं यह स्पष्ट करती हैं कि ससदीय शासन अपने आप में एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था है।

ससदीय शासन की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें

ससदीय शासन की सफलता के लिए क्या-क्या शर्तें अथवा कौसी परिस्थितियां आवश्यक हैं उनका क्रमबद्ध सूचीकरण तो पूरी तरह से संभव नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां अवश्य बतायी जा सकती हैं जिनकी उपस्थिति ससदीय शासन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। इनमें से कतिपय निम्नलिखित हैं

सबप्रथम ससदीय व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिभागी दलीय व्यवस्था हो। प्रतिभागी दलीय व्यवस्था से तात्पर्य है कि समान राजनीतिक दल हो तथा चुनावों में लड़ने में आपस में स्वस्थ प्रति-योगिता हो। यदि दल असमान होंगे तो उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता का होना संदिग्ध लगता है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था के साथ दलीय समानता की स्थिति पाई जाती है लेकिन भारत में इस प्रकार की दलीय समानता की स्थिति का अभाव है। अतः सबप्रथम दलों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना होनी चाहिए।

ससदीय शासन के सफल संचालन के लिए नाम मात्र के अध्यक्ष को केवल नाममात्र के अध्यक्ष की ही भूमिका निभानी चाहिए। उसे एक सीमा से अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। उसे वास्तविक शासक (केबिनेट) के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साथ ही उसे राजनीतिक तत्स्थता की भावना से काय करना चाहिये। उसे किसी भी दलीय पक्ष में न पड़कर अपने आपको दलीय राजनीति से ऊपर उठाना चाहिये और दलीय मतविधियों से अपने आपको तटस्थ रखना चाहिए।

इसी प्रकार ससदीय शासन की सफलता के लिए एक अथ महत्वपूर्ण ससदीय परम्परा यह भी है कि निम्न सदन का अध्यक्ष दलीय राजनीति से ऊपर होकर निष्पक्ष ले। जिस दल से वह निर्वाचित होकर आए, और उसके बाद यदि वह 'स्पीकर' चुन लिया जाय तो उसे अपने दल से किसी प्रकार की सहानुभूति तथा विरोधी दला से किसी प्रकार का विद्वेष नहीं रखना चाहिए। उस अपने आपकी तटस्थ रखना चाहिए।

इसी प्रकार ससद की सर्वोच्चता ससदीय शासन की सफलता है सम्पूर्ण शासन पर नियंत्रण रखकर शासन को अपने प्रति उत्तरदायी बनाकर स्वयं ससद को अतन् जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना ससदीय परम्परा का भाग है। इसी प्रकार ससद की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि दश म नियत समय पर निष्पक्ष चुनाव हाते रहन चाहिए।

अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताए

जहां ससदाय शासन कार्यपालिका एव व्यवस्थापिका के घनिष्ठ सम्बन्ध का सिद्धांत पर आधारित होता है वहां अध्यक्षीय शासन में वैधानिक रूप से कायपालिका एव व्यवस्थापिका दोनों पृथक-पृथक होती है। न तो कायपालिका व्यवस्थापिका में से चुनी जाती है और न ही वह उसके प्रति उत्तरदायी ही होती है। अध्यक्षीय शासन का सम्बन्ध म गानर का यह कहना है कि यह व्यवस्था है जिसमें कायपालिका अपनी अवधि, शक्तियाँ और कार्यों का सम्बन्ध म व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र रहती है। इस शासन में ससदीय शासन की भांति कायपालिका दोहरी न होकर इकट्ठी ही होती है। यही शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है वह अपने राजनीतिक कार्यों तथा नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। वह अपनी सहायता के लिए कुछ व्यक्तियों का एक "सलाहकार मण्डल" बनाता है। इस सलाहकार मण्डल के प्रत्येक सदस्य उसके प्रति ही उत्तरदायी हात है तथा वे उसके प्रसादपयत ही अपने पद पर बने रहते हैं। उसका कायकाल निश्चित होता है। इस निश्चित कायकाल से पहले उसे महाभियोग के अतिरिक्त किसी अथ माध्यम से हटाया भी नहीं जा सकता है। इस शासन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार बताई जा सकती हैं।

1. एकल कायपालिका की व्यवस्था होना—अध्यक्षीय शासन की सबसे प्रमुख विशेषता हाती है अध्यक्षीय शासन में कायपालिका एक ही होती है। राष्ट्रपति ही राज्याध्यक्ष एव शासनाध्यक्ष

अध्यक्ष होता है। सविधान द्वारा प्रदत्त समस्त कायपालिका शक्तियाँ उसी में निहित होती हैं इन शक्तियों का निष्पादन वह अनेक ही सम्पन्न करता है।

- 2 ससदीय शासन की भांति राष्ट्रपति की अपने सहयोगिया का एक सलाहकार मण्डल (जिसे मन्त्रिमण्डल कहा जाने लगा है।) बनाता है लेकिन दानो मे जा मूलभूत अन्तर है वह यह है कि ससदीय शासन म केबिनेट के सदस्य प्रधानमंत्री के सहयोगी तथा साथी होत है लेकिन अध्यक्षीय शासन मे मन्त्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति के व्यक्तिगत नोकर की भांति होने हैं। ससदीय शासन म प्रधान मंत्री केबिनेट के सदस्या को जब चाह अपनी इच्छानुसार नही हटा सकता है लेकिन राष्ट्रपति को इम प्रकार का अधिकार है कि वह मन्त्रिमण्डल के किसी भी सदस्य को कभी भी हटा सकता है अथवा किसी को कभी भी अपने मन्त्रिमण्डल म ले सकता है।
- 3 अध्यक्षीय शासन की एक अत्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसम कायपालिका एक व्यवस्थापिका के बीच कोई सम्बन्ध नही होते। ससदीय शासन मे शासन के इन दोना अंगो मे कोई सम्बन्ध नही होता है और नही कायपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी ही होती है। जबकि ससदीय शासन म कायपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
- 4 चूकि, कायपालिका का व्यवस्थापिका के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता है और कायपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है अत देश के विधान के अनुसार कायपालिका का समय निश्चित होता है। निश्चित समय से पूर्व कायपालिका को अपदस्थ नही किया जा सकता (केवल महाभियोग की स्थिति को छोडकर) चूकि कायपालिका का समय निश्चित होता है वह अपने निश्चित समयावधि के लिए योजनाओ आदि का निर्माण कर देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है।

इसी प्रकार जैसे व्यवस्थापिका को कायपालिका को अपदस्थ करन का अधिकार नहीं है उसी प्रकार कायपालिका को भी व्यवस्थापिका को भग करने का अधिकार नहीं होता है जबकि ससदीय शासन म स्थिति इसके विपरीत पायी जाती है वहा व्यवस्थापिका कायपालिका को अपदस्थ कर सकती है और साथ ही कायपालिका भी व्यवस्थापिका का भग कर सकती है।

सामान्यत यह भी कहा जाता है कि जिस प्रकार ससदीय शासन मे ससद की सर्वोच्चता होनी है। सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु केवल ससद होती है। इसी प्रकार अध्यक्षीय शासन म कोई एक शक्ति का केन्द्र नहीं होना है।

ससदात्मक एव अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियाँ

शासक सविधान का सर्वोच्च मानकर उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उनकी अन्तिम उत्तरदायित्वता जनता के प्रति होती है।² जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है कि अध्यक्षीय शासन में कोई एक शक्ति का केंद्र नहीं होता, अतः इसका कोई न कोई एक महत्वपूर्ण कारण होना चाहिये। इस सदन में यह कहा जा सकता है कि शक्ति के किसी एक केंद्र के नहीं होने का कारण है—शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था। अध्यक्षीय शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की व्यवस्था। सरकार के तीनों अंगों के कार्यों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है लेकिन चूंकि, पूरा पृथक्करण किसी भी रूप में संभव नहीं है अतः पृथक्करण के सिद्धांत का जामा पहिनाए के लिए नियंत्रण एवं सतुलन के सिद्धांत के साथ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का निरूपण किया गया है जिससे एक अंग दूसरे पर नियंत्रण रख सतुलन की स्थापना कर सके।³

संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन व्यवस्थाओं के गुणों एवं दोषों का तुलनात्मक अध्ययन संसदीय सरकार की उपादेयता ?

संसदीय शासन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि सरकार उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरकार अपने राजनीतिक कार्यों एवं नीतियों के लिए प्रत्यक्षतः संसद तथा अप्रत्यक्षतः जनता के प्रति उत्तरदायी होती है तथा संसद यह देखती है कि शासन काय ठीक से संचालित किया रहा है या नहीं तो उसे कायपालिका को अपदस्थ करने का अधिकार है। लेकिन इस प्रकार की उत्तरदायित्व की स्थिति अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नहीं पायी जाती है। कायपालिका (राष्ट्रपति) न तो व्यवस्थापित के प्रति उत्तरदायी होती है और इसलिए न ही व्यवस्थापिका उसे अपदस्थ कर सकती है। अतः यह कहा जाता है कि उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अभाव में संसदीय शासन अध्यक्षीय शासन से ही अधिक प्रजातान्त्रिक होता है।

ससदात्मक शासन में कायपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच घनिष्टता पाई जाती है। इससे शासन कार्यों में सामंजस्यता, एक रूपता एवं समरूपता की स्थिति होने से शासन का आसानी से संचालन किया जा सकता है। दोनों अंगों में सहयोग के बने रहने से शासन अधिक कायकुशलतापूर्वक चलाया जा सकता है। लेकिन अध्यक्षीय शासन में चूंकि कायपालिका एवं व्यवस्थापिका में कोई मध्य नहीं पाये जाते हैं इससे दोनों में विरोधाभास एवं कटुता की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

संसदीय शासन का गुण यह भी बताया जाता है कि इसमें वकलिक सरकार बनाने की मुख्यव्यवस्था होती है। यही एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें

कता पडने पर वकल्पिक सरकार की स्थापना की जा सकती है लेकिन अध्यक्षीय शासन में इस प्रकार की वकल्पिक सरकार की न तो आवश्यकता ही पडती है और न ही यह संभव है क्योंकि राष्ट्रपति के अपदस्थ हो जाने पर (किसी भी कारण से महाभियोग अथवा मृत्यु पर) उपराष्ट्रपति द्वारा उस पद को सभ्य लिया जाता है।

संसदीय शासन अपेक्षाकृत लचीला होता है। अतः इस दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि यह शासन विकासशील राष्ट्रों के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में स्वतंत्रता प्राप्त की है अतः विकास की प्रक्रिया में होने के कारण इन देशों में मूलभूत बातों पर सहमति का अभाव पाया जाता है अतः यहां अनेक बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक ही पद (प्रधानमंत्री के पद के लिए) के लिए एक ही दल में से अनेक दावेदार हो जाते हैं अतः उनमें से एक को प्रधानमंत्री तथा अन्य दावेदार अथवा दावेदारों को उपप्रधानमंत्री बना कर स्थिति को बिगडने से बचाया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की नमनीयता अध्यक्षीय शासन में नहीं पाई जाती है।

अध्यक्षीय शासन प्रणाली की उपयोगिता ?

अध्यक्षीय शासन का सबसे बड़ा गुण है कार्यपालिका का स्थायित्व। कार्यपालिका एक निश्चित समयावधि तक अपना पद पर कार्य करती है। अतः देश के विकास की मुख्यवस्था से योजना बनाकर विकास एवं आधुनिकीकरण किया जा सकता है लेकिन, चूंकि संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का समय निश्चित नहीं होता है अतः निश्चित समयाभाव के कारण निश्चित योजनाएं नहीं बन पाती तथा निश्चित योजनाओं के अभाव में विकास संभव नहीं हो पाता है।

अध्यक्षीय शासन में शक्ति पथकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष अंग का कार्य क्षेत्र एवं उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया जाता है। सरकार के कार्यों एवं प्रगति का मूल्यांकन करते समय किस अंग ने कितना कार्य किया है, यह आसानी से निश्चित किया जा सकता है लेकिन संसदीय शासन में इस प्रकार का उत्तरदायित्व निर्धारित करना बहुत ही दुष्कर होता है।

अध्यक्षीय शासन व्यवस्था युद्ध/संकटकाल परिस्थितियों के भी अनुकूल होती है क्योंकि यहां सम्पूर्ण नियंत्रण अकेला राष्ट्रपति लेता है अतः वह आसानी से नियंत्रण ले सकता है तथा शीघ्र नियंत्रण ले सकता है लेकिन संसदीय शासन में प्रधानमंत्री की स्थिति ऐसी नहीं होती है। यहां पर वह अकेला नियंत्रण नहीं ले सकता है। अतः नियंत्रण जल्दी भी नहीं ले सकता है जबकि युद्ध आपातकालीन परिस्थितियों आदि में नियंत्रण जल्दी लिये जाने चाहिये। इसमें केवल अध्यक्षीय शासन ही सक्षम है।

इस प्रकार अध्यक्षात्मक शासन के गुण एवं दोषों का ससदात्मक शासन के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि ससदीय शासन प्रणाली की भाँति अध्यक्षीय शासन प्रणाली भी प्रशंसा एवं आलोचना का शिकार रही है। इन दोनों शासन प्रणालियों के सम्यक अध्ययन व बाद यह उभर कर सामने आती है कि क्या इन दोनों शासन प्रणालियों के अतिरिक्त कोई और शासन प्रणाली नहीं हो सकती जिसमें दोनों के गुणों को अपना लिया जाय तथा अवगुणा को नोकर-श्रीर विवेकी होकर तथा अवगुणा को अपना लिया जाए तथा अवगुणा को नोकर-श्रीर विवेकी होकर छाड़ दिया जाय। इसके लिए हम यहाँ स्विस शासन व्यवस्था का ले सकते हैं जहाँ इन दोनों शासन प्रणालियों का गुणों को लेने के प्रयास किये गये हैं।

ससदीय शासन की लोकप्रियता

आज विश्व में अध्यक्षीय शासन की अपेक्षा ससदीय शासन अधिक लोकप्रिय दिखाई देता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद जितने भी राष्ट्र स्वतंत्र हुए उनमें स अधिकांश ने ससदीय शासन को अपना शासनाधार निश्चित किया है अतः इस सन्दर्भ में यह एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ससदीय शासन के अधिक लोकप्रिय होने के क्या कारण हैं? यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इसके लिए अलग-अलग कारण बताये हैं।

इस सम्बन्ध में सबसे प्रथम यह कहा जा सकता है कि अध्यक्षीय शासन की अपेक्षा ससदीय शासन में उत्तरदायित्वता का तत्त्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अध्यक्षीय शासन की वायपालिका व्यवस्थापिका एवं मतदाताओं के प्रति अपेक्षा कृत कम उत्तरदायी होती है जबकि ससदीय शासन में पूर्ण उत्तरदायित्वता की स्थिति पाई जाती है। यहाँ तक कि यदि ससदीय शासन में पूर्ण उत्तरदायित्वता की प्रकृति से अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रहा है तो न केवल उस शासन प्रश्न पूछने एवं बाद विवाद करने का ही अधिकार है अपितु उस कबिनेट को अपदस्थ करने का अधिकार भी है। उत्तरदायित्व का सिद्धान्त का कारण ही सत्तवीय शासन अध्यक्षीय शासन से अधिक लोकप्रिय रहा है क्योंकि अभी हाल ही में स्वतंत्र हुए राष्ट्रों के समक्ष यह बहुत बड़ी समस्या थी कि देश में शासन प्रणाली कौन सी स्थापित की जाए तो उन्होंने यह पाया कि ससदीय शासन में शासक जनता के प्रति, तथा जनता की प्रतिनिधि सभा के प्रति अध्यक्षीय शासन की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तरदायी रहता है। अतः उहाँ यही शासन व्यवस्था अपनी परिस्थितियों आवश्यकताओं एवं वातावरण में उचित प्रतीत हुई क्योंकि उहाँ एक सम्ये संधि के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी और इस स्वतंत्रता की वृत्ति भी कीमत पर रक्षा करना चाहते थे तो उहाँ यह डर था कि यदि

अनुत्तरदायी शासक की शासन व्यवस्था का अंगीकार कर लिया गया ना हो सकता है कि उनकी स्वतन्त्रता ही खतरे में पड़ जाए। अतः उन्होंने ससदीय शासन को ही अपेक्षाकृत उपयुक्त समझा।

इसी प्रकार इस सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि सरकारी नीतियाँ क सम्बन्ध में जनता के विचार एक से नहीं रहती हैं। समय-समय पर उनमें बदलाव एवं उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सही मायने में प्रजातांत्रिक व्यवस्था वही है जो इन उतार चढ़ावों एवं बदलावों के अनुसार नीतियों एवं कार्यक्रमों में परिवर्तन करती रहें। मसदात्मक शासन व्यवस्था में इस उतार चढ़ावों एवं बदलावों की गुंजाइश होती है और यदि सरकार जन इच्छा के अनुसार नीतियों में परिवर्तन नहीं करे तो उसे कभी भी अपदस्थ किया जा सकता है लेकिन अध्यक्षीय शासन में सरकार चाहे जन इच्छाओं के अनुसार नीतियों एवं कार्यक्रमों में संशोधन करे या न करे, यह उस पर निर्भर करता है क्योंकि सरकार को एक निश्चित समय से पहले (महाभियोग को छोड़कर) नहीं हटाया जा सकता। ससदीय शासन की लोकप्रियता का एक अन्य कारण इसकी लोचशीलता रही है। विकासशील राष्ट्रों में जनता में मूलभूत बातों पर सहमति का अभाव पाया जाता है परिणामस्वरूप समाज में अनेक समूह बन जाते हैं तथा इन विभिन्न समूहों में आपस में मतभेद एवं टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समाज के इन विभिन्न समूहों के निर्माण तथा उनके आपसी मतभेद एवं टकरावपूर्ण सम्बन्धी राजनीति में भी उभरने लगते हैं। राजनीति में भी एक ही दल में इनके गुट बन जाते हैं लेकिन ससदीय शासन में इन सभी गुटों के लोगों को सन्तुष्ट करने की क्षमता होती है। जो भी गुट ज्यादा शक्तिशाली हो और ज्यादा सिर उठा रहा हो तो उसने नतीजा को 'केबिनेट' में स्थान देकर चुप किया जा सकता है। अध्यक्षीय शासन में इस प्रकार की लोचशीलता का अभाव पाया जाता है।

इसी प्रकार चूँकि विकासशील राष्ट्रों में मूलभूत मुद्दों पर सहमति का अभाव पाया जाता है अतः समाज की भाँति राजनीति में भी और यहाँ तक कि एक ही दल में गुटबन्दी हो जाती है तथा प्रधानमंत्री पद के लिए अनेक दावेदार पदा हो जाते हैं। ससदीय शासन में इन प्रमुख एवं शक्तिशाली दावेदारों में से किसी एक को प्रधानमंत्री तथा शेष को उपप्रधान मंत्री बनाकर समस्या को सुलझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए सन् 1966-67 में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं उप प्रधान मंत्री जी देसाई बनाने में ससदीय शासन की उपादेयता देखी जा सकती है।

अतः ससदीय शासन में विकासशील राष्ट्र अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं अतः द्वितीय महायुद्धांतर विश्व में बनने वाले सविधानों में ससदीय शासन ही अधिक लोकप्रिय रहा है।

पाद टिप्पणी

- 1- गानर, पॉलिटिकल साइंस एण्ड गवर्नमण्ट, पृ० 296
- 2 बर्ने डी० वी०, एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, यूपाक, फी-
प्र स 1959, पृ० 18
- 3 बर्ने—पूष उद्धृत
- 4- वहीं

बदलते हुए परिवेश और विधायिका

बिस्मिल भी सम्पन्न मानव समाज की सबसे बड़ी विशेषता होती है—कानूनों तथा नियमों के अनुसार शासन का संचालन। अब इस सन्दर्भ में यह प्रश्न उठता है कि यह कानून तथा नियम कौन बनाये? लोकतंत्रिक देशों में यह कार्य जन प्रतिनिधि संस्था (जिसे विधायिका कहा जाता है) द्वारा किया जाता है।

यद्यपि आज समार के प्रायः सभी भागों में वस्तुतः विधायिकाओं की शक्ति और उनका प्रभाव कम हो रहा है तथापि, कुछ राजनीतिक विचारकों का मत है कि यह शासन व्यवस्था का एक प्रारम्भिक और सबसे अधिक प्रभावशाली अंग है। वर्तमान काल में सभी लोकतन्त्रात्मक देशों में विधायिका ही लोकमत या राष्ट्रीय इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रधान एवं प्रबल माध्यम है। यह शासन में सबसे अधिक लोक प्रतिनिधि संस्था होती है तथा यह ही सामूहिक रूप में जनता की ओर से बालन का अधिकार रखती है। समदात्मक शासन बाल दशों में विधायिका सर्वोच्च सत्तासम्पन्न होती है तथा कार्यपालिका विधायिका के अधीन व उसके प्रति उत्तरदायी होती है। ज्यों ज्यों राष्ट्रीय जीवन के विविध क्षेत्रों में राज्य अधिकाधिक उत्तरदायित्व सम्भाल रहा है तथा-तथा सरकार का विधायी अंग अधिकाधिक महत्व प्राप्त करना जा रहा है। वास्तव में सर्वत्र विधायिकाओं का सामने कार्य की अधिकता के कारण भ्रम का प्रायः अभाव रहने लगा है।

विधायिका के कार्य

लोकतन्त्रीय राज्यों में विधायिका के तीन प्रमुख कार्य होते हैं—विधायी विचारारामक और करारोपण-सम्बन्धी अथवा वित्तीय नियंत्रण। इनके अतिरिक्त

ससदात्मक शासन वाले देशों में विधायिकायें दो अथ महत्वपूर्ण काम करती हैं—सरकार के कामों पर प्रकाश डालने का काम और कायपालिका पर नियंत्रण का काम। कुछ दूसरे कायपालिका सम्बन्धी एवं याय सम्बन्धी कृत्य भी हाथ हैं जिन्हें कुछ देशों के भीतर वहाँ की विधायिका में अपने सविधान के अंतर्गत पूरा करती हैं जैसे—संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने द्वारा नियुक्तियाँ की पुष्टि अथवा इंग्लैण्ड में लार्डसभा द्वारा अपील की सुनवाई, अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में यायाधीशों को उनके पद, हटाना, अथवा संयुक्त अमेरिका और भारत में कायपालिका के अध्यक्ष (राष्ट्रपति) के विरुद्ध महाभियोग की कायवाही करना।

1 विधायिका का प्रमुख कार्य विधान बनाना है

उसका प्रमुख काम विधियाँ के निर्माण व संशोधन करना तथा उन्हें रद्द करना। प्राचीन काल में विधियाँ वास्तव में बनाई नहीं जाती थीं। वया तो संशोधित प्रयाएँ होती थीं अथवा तयाकथित देवी या होती थीं प्राकृतिक विधियाँ की व्याख्यायें मात्र। प्राचीन काल के छोटे नगर गणराज्यों में समस्त जनता की जन-सभाएँ विधियाँ बनाती थीं तथा शासन व्यवस्था का नियंत्रण रखती थीं। मध्यकाल में जब प्रतिनिधित्व-संस्थाओं का धीरे धीरे जन्म हुआ तो उनका प्रमुख कार्य जनता की ओर से प्रतिनिधित्व करना, उनकी शिकायतों और कठिनाईयों को अभिव्यक्त करना तथा शासकों को सहायता, परामर्श व समय देना था। उस समय विधियाँ प्रभुताधारी के आदेश मात्र होती थीं। आधुनिक लोकतन्त्रीय राज्यों में ही पहली बार विधायिकाओं को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई है। यह सत्य है कि अपवाद के तौर पर अध्यादेशों के रूप में अभी तक विधियाँ कायपालिका द्वारा बनाई जाती हैं अथवा न्यायाधीश विधियाँ को अलग अलग मुक्तियों में लागू करते समय तथा उनकी व्याख्या करते समय क्वचित मात्रा में कायपालिका द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, जनम वृद्धि और से जोड़ देते हैं तथापि आज विधि निर्माण का प्रमुख काम विधायिका द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, कायपालिका के कारण एव राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण के एक विस्तृत क्षेत्र को अपना लेने के कारण विधि निर्माण के काम की मात्रा और जटिलता दोनों में वृद्धि हुई है। यही कारण है कि वास्तविक रूप में तकनीकी जानकारियाँ देने का काम सरकार विभागों के भीतर काम करने वाले विशेषज्ञों या विशेषज्ञ समितियों को सौंप दिया जाता है। विधायिका विधियों में निहित नीतियों को स्वीकृति प्रदान करने, प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा करने तथा जनता के साधारण व विशिष्ट हितों की रक्षा करने तक ही अपने आप को सीमित रखती है। विधायिका के साधारण सदस्य की शक्ति व उसका प्रभाव के कारणों में से यह भी

एक कारण है। उसकी स्थिति का कमजोर बनाने वाला एक तन्त्र यह है कि निर्वाचन लड़ने में एक आरना खच एक कठिनाई में वृद्धि होती है जा रही है दूसरी आर राजनीतिक दलों की शक्ति बढ़ती जा रही है, उनका संगठन दृढ़तर होता जा रहा है एवं वे विधायिका के सदस्यों पर कठोर अनुशासन एवं नियन्त्रण का प्रयोग करने लगें हैं। अतः में यह कहा जा सकता है कि अवाचीन वनानिक विकास के कारण राजनीतिक नेताओं का लोक सम्पर्क जो अवसर उपलब्ध हो गये हैं—जैसे वायुयान, रेडियो व वेस (समाचार-पत्र) उहाने असद्विध रूप में विधायिका की शक्ति व उसके प्रभाव में कमी कर दी है। इनके द्वारा यह सम्भव हा गया है कि नता लाग सीधे जनता के पास पहुंच कर उससे अपील कर सकते हैं। इस प्रकार हान वाली जागति के कारण जनता लोकतंत्र के प्रत्यक्ष साधना— प्रेषण उसके एक विशिष्ट रूप में लोकनिर्णय, अभिक्रम तथा प्रत्यावतन के अधि काधिक प्रयोग की माग करने लगी है।

2 विधायिका का दूसरा कार्य विचारात्मक है

विधायिका जनता की आवश्यकताओं व समस्याओं पर विचार करती है। यह कार्य अनेक प्रकार के प्रस्तावों के द्वारा पूरा किया जाता है। लोकतन्त्र चर्चा, वाद विवाद और मनदान की रीतियों को प्रयोग में लाता है तथा विधायिका उसका प्रधान मंच है। विधायिका के प्रत्येक सदस्य के अपने प्रणिया के नियम होते हैं तथा उसके सभापति का जिसे सामान्यतः लोक निर्वाचित सदस्य में अध्यक्ष कहा जाता है, यह कर्तव्य होता है कि वह सदस्यों से उन नियमों का पालन कराए तथा तथा वहा सम्मता, प्रतिष्ठा और क्षमता के साथ कार्य कराए। विधायिका द्वारा पारित प्रस्ताव सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होते, वे सिफारिश के रूप में होते हैं परंतु क्योंकि वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित किये जाते हैं अतः उनका महत्व बहुत अधिक होता है तथा सम्बन्धित सरकार उन पर पूरी तरह विचार करती है।

3 वित्तका नियन्त्रण

विधायिका का तीसरा काम राज्य के वित्त का नियन्त्रण करना है। इंग्लैंड के भीतर प्रारम्भ में सम्राट जनता के प्रतिनिधियों से करों की स्वीकृति लेने के लिए ही संसद की बैठक बुलाया करता था। धीरे धीरे यह सिद्धांत सारे सत्तार में मान्य हो गया। इस सिद्धांत का हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं—“प्रतिनिधित्व के बिना करारोपण नहीं”—करारोपण (कर लगाना) जनता के प्रतिनिधियों का विशेषाधिकार है। इसी प्रकार सभी लोकतन्त्रात्मक राज्यों में यह नियम भली प्रकार स्थिर हो चुका है कि राष्ट्रीय सचिव निधि में सचिव

बन्वते हुए परिवेश और विधायिका

योग अधिनियम क द्वारा जनता प्रतिनिधिया की स्पष्ट स्वीकृति लिए जिना न ता बाई धन निकाला ही जा सकना है न उम व्यय किया जा सकना है। सावजनिक धन क हिसाब-किताब को भली प्रकार रखने व उसकी जाच क लिए एक अनुभवो नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति (ऊच बतन पर) की जाती है जा कि सरकार के दबाव से मुक्त होता है यह उसका काय है कि वह यह देखे कि सरकार ससद द्वारा पारित आय व्यय क अनुसार काम करे। महालेखा परीक्षक का प्रतिबदन (रिपोर्ट) बहुत महत्वपूर्ण ससदीय-आनेख होता है तथा ससद को लोक वित्त समिति द्वारा उसकी जाच पडताल ससद के काम का एक महत्व पूण अग है।

4 प्रश्न पूछने का अधिकार

ससदात्मक शासन-व्यवस्था वाले दशा म विधायिका का चौथा काय सरकार के कार्यों को प्रकाश म लाना है। ससदात्मक-राज्यो म विधायिका के सदस्यो को प्रश्न पूछने का अधिकार होता है य प्रश्न इस उद्देश्य स पूछे जात है जिससे कि सरकार और उसके विविध विभागा के काय व्यवहार क बारे म जानकारी प्राप्त हो सके और उसके द्वारा प्रशासन की कमिया प्रकाश म लाई जा सकें और इनी प्रकार जनता की शिकायतें और उसकी कठिनाईया भी प्रकाश म लाई जाती हैं। प्रत्येक बैठक का पहला घंटा साधारणत प्रश्न पूछने और उत्तर देने क लिए सुरक्षित रखा जाता है। इस कठोर परीक्षा म सफल होने के लिए किसी मंत्री का जहाँ अपने विभाग के काय कलाप के बारे म व्यापक जानकारी होनी चाहिए वही उसके भीतर पर्याप्त चतुरता, सूक्ष्मज्ञ जागरूकता, शालीनता और चतुरतापूर्वक प्रत्युत्तर देने की कुशल बुद्धि भी होनी चाहिए। ससदात्मक लोकतंत्र म प्रश्न पूछने का यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सरकार की इमानदारी और कायक्षमता स्तर पर बनाए रखती है। यह ससद के सदस्यो और उनके निर्वाचन-क्षेत्रा तथा सरकार और जनता के बीच सजीव सम्पक का निर्माण करने म सहायक होता है। यह सरकार को एक बहुमूल्य अवसर प्रदान करता है कि वह अपनी नीतियो तथा सरकारी विभागा की काय-पद्धति क बारे म लोकमत को आक सके।

5 कार्यपालिका पर नियंत्रण

स सदात्मक-पद्धति म विधायिका का पांचवा काय कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है। स सदात्मक पद्धति के अतगत मंत्रिमण्डल के भीतर स ससद के व सदस्य हात है जो स ससद के भीतर एक बहुमत प्राप्त दल अथवा दला के मभूह के सदस्य भी होते है तथा वे सरकार के समस्त कार्यों के लिए स ससद क सामने उत्तरदायी

होते हैं। यह उत्तरदायित्व अनिवाद्यत सामूहिक हाता है।

स सद प्रश्ना, स्थगन प्रस्तावा व अविश्वास के प्रस्तावों के द्वारा कायपालिका पर नियंत्रण रखती है। यदि स सद में सरकार किसी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक अथवा धन मन्वन्धी किसी प्रस्ताव या मांग पर हार जाय तो इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि स सद का बहुमत मन्त्रिमण्डल में विश्वास नहीं रखता है, अतः मन्त्रिमण्डल को त्याग दे देना चाहिए।

मन्त्रिमण्डल का सीधे तौर पर अविश्वास व प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जा सकता है। स सदात्मक शासन प्रणाली के अन्तर्गत कायपालिका तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त रहता है। अर्थात् जब तक उसमें मन्त्रिमण्डल का बहुमत बना रहता है। अनेक राज्या में बहुमत को सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान काल में दलीय संगठन व अनुशासन का बूढ़ बनाया गया है। स सद के भीतर बहुमत दस एक व्यापक संगठन बनाए रखता है जिसका नियंत्रण मुख्य सचेतक करता है। मुख्य सचेतक का यह कर्तव्य है कि वह वह दूसरे सचेतकों की सहायता से इस बात का ध्यान रखें कि स सद के भीतर सदा और विशेषतः मतदान के समय मन्त्रिमण्डल को बहुमत प्राप्त हो।

द्विसदनात्मक प्रणाली

वर्तमान विश्व में पायी जान वाली विधायिकाओं का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि आज दो प्रकार की विधायिकाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। विधायिका में या तो एक सदन होता है अथवा दो सदन। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था में प्रारम्भ में अधिकांश देशों में एक सदनीय विधायिका ही थी परन्तु कालांतर में यह अनुभव किया गया कि प्रथम सदन की शक्ति पर अनुग्रह रखने और प्रथम सदन द्वारा किये गये कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए विधायिका के दो सदन होना चाहिए।

अपन विकास के क्रम में ब्रिटिश सदन एक द्विसदनात्मक विधायिका के रूप में विकसित हुई, उसके इस द्विसदनात्मक स्वरूप को उन देशों ने भी अपना लिया जिन्होंने ब्रिटिश पद्धति का अनुकरण किया है। समुद्रन राज्य अमेरिका में छोट व बड़े राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर उत्पन्न गतिरोध का दूर करने के लिए द्विसदनात्मक विधायिका की रचना की गई है। उस समय से द्विसदनात्मक प्रणाली को सघीय राज्य का एक अनिवार्य संगण तथा राज्यों का एक इकाई के रूप में प्रतिनिधित्व देने व उनके हितों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन माना जान लगा। 19 वीं शताब्दी में द्विसदनात्मक प्रणाली का शुद्ध-सात्वत्तन्त्र के विशुद्ध एक संरक्षण के रूप में आवश्यक समझा जाता था तथा अभी तक यह धारणा प्रचलित है कि एकसदनात्मक विधायिका

बदलते हुए परिवेश और विधायिका

की अपेक्षा द्विसदनात्मक विधायिका का निर्माण करना अधिक सुरक्षित और बुद्धिमत्तापूर्ण है। द्विसदनात्मक प्रणाली के व्यावहारिक अनुभव मद्यनि दुषद और बन्दू रहे हैं सतोपजन द्वितीय सदन की रचना में अनक बठिनाईया अनुभव की गई हैं एव पिछले पचास वर्षों में इस व्यवस्था में अनक साविधानिक परिवर्तन हो गए हैं तथापि यह प्रणाली अभी तक टिकी हुई है। इतना ही नहीं द्विसदनात्मक और एकसदनात्मक विधायिकाओं के अध्ययन का विषय आज राजनीति विज्ञान में सबसे अधिक विवादग्रस्त विषयों में से एक है। यह स्थिति तब तक जारी रहेगी जब तक कि सविधान निर्माताओं को लायतक में और अधिक विश्वास नहीं हो जाता अथवा जब तक वग विहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती।

द्विसदनात्मक प्रणाली के समयक द्वितीय सदन का प्रमुख गुण का वणन इस प्रकार करते हैं। उनकी धारणा है कि एक लोक निर्वाचित सदन द्वारा पारित विधान "जल्दी में बनाया गया, अविवेकपूर्ण, अविचारित" होता है। यह मान लिया गया है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपरिपक्व बुद्धि वाले, अविवेकपूर्ण शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाले और अधीन होते हैं, अर्थात् वे लोग विधायक होने योग्य ही नहीं होते, अथवा कार्य की अधिकता के कारण उन्हें शीघ्रता रहती है तथा वे जनता के जीवन को प्रभावित करने वाली अनेक समस्याओं पर पर्याप्त चिन्तन और विचार के लिए समय नहीं दे पाते। इस प्रकार का चिन्तन भ्रम-मूलक है।

वास्तव में विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्य कुल मिलाकर योग्य और उत्तरदायी व्यक्ति होते हैं तथा प्रत्येक लोक निर्वाचित सदन में विधायी प्रक्रिया के विस्तृत नियम होने हैं जिनके कारण प्रस्थापनाओं पर सावधानी के साथ एव विस्तारपूर्वक विचार विमर्श करना अनिवार्य हो जाता है। प्रत्येक विधेयक के तीन वाचन होते हैं तथा अधिकांश मामलों में समिति अवस्था भी विद्यमान है। समूचा सदन विधेयक की प्रत्येक धारा पर क्रमश विचार करता है। इस प्रकार इस धारणा में कोई सार नहीं है। वास्तविक तथ्य यह है कि यह आलोचना उन लोगों ने आरम्भ की थी जो साधारण मनुष्य को मतदान का अधिकार देने में विश्वास नहीं रखते थे तथा जिन्हें साधारण नागरिक की इस योग्यता में विश्वास नहीं था कि वह योग्य प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भी सकेगा।

दूसरे कुछ लोगों को यह भय है कि यदि विधायिका में एक सदन होगा तो वह बहुत अधिक स्वेच्छाचारी और निरकुश हो जायेगा अतः यह आवश्यक हो जाता है कि लोक निर्वाचित सदन पर अवरोध लगाने के लिए एक द्वितीय सदन

होना चाहिए। इस विचार का प्रतिपादन करने वाला मे लाड ब्राइस भी एक है।

उह संयुक्त राज्य अमेरिका सरीखे अवरोध और सतुलन के सिद्धान्त बहुत अधिक विश्वास था। यह व्यवस्था काय की तीव्रता की अपेक्षा सुरक्षा का निर्माण करती है पर तु ऐसी व्यवस्था देरी और गतिरोध भी उत्पन्न करती है एव बहुत खर्चीली होती है। इसके विपरीत द्वितीय सदन के होने के कारण प्रथम सदन कुछ अनुत्तरदायी और असावधान हो सकता है। विधेयको पर विचार करते समय उसके भीतर यह अचेतन भावना रह जाती है कि उसके द्वारा पारित विधेयक म कुछ भूलें और कमिया रह जायेंगी तो उह द्वितीय सदन म सुधार दिया जायेगा।

तीसरे, यह तक दिया जाता है कि द्वितीय सदनों के द्वारा अल्पसंख्यका तथा विविध व्यावसायिक व औद्योगिक हितों को अधिक अच्छी प्रकार प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है एव कुछ ऐसे प्रतिभाशाली व सुप्रसिद्ध व्यक्तियों को द्वितीय सदन मे मनोनीत करके उनकी सेवार्थ विधायी काय के लिये उपनयन की जा सकती है जो कि निर्वाचन के कष्ट और झंझट का सामना के प्रति अनिच्छुक हा। यह सब सत्य हो सकता है परतु यह भी सत्य है कि प्रतिनिधित्व के प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिनिधित्व एक ही स्थान पर हो क्योंकि यदि भिन्न रीतिया से संगठित दो सदनों मे किसी प्रश्न पर सहमति न होने पाए तो उस स्थिति मे यह प्रश्न उठ सकता है कि किस सदन को चुनना चाहिए। लाकतत्र म यह बात निर्विवाद है कि अतत जनता द्वारा निर्वाचित सदन का मत ही माय हाना चाहिये।

चौथे यह कहा जाता है कि वर्तमानकाल म विधायिका पर काय का दबाव बहुत अधिक बढ़ गया है तथा यदि विधायिका मे द्वितीय सदन हो तो प्रथम सदन के कायभार को बड़ी सीमा तक कम कर सकता है। अविवादास्पद विधेयक पहले द्वितीय सदन के मामले विचाराय रखा जा सकता है। उसके पश्चात उस विधेयक पर प्रथम सदन को अधिक समय तक विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह सम्भव तो है परतु केवल इस सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही एक खर्चील द्वितीय सदन के निर्माण का समयन काई नहीं करना चाह्या। इसके अतिरिक्त जहा तक लोक निर्वाचन सदन के समय का प्रश्न है उसको दूसरी रीतिया स भी दबाया जा सकता है जमकि विधायी कायों की पूर्ति के लिये समितियों को अधिकाधिक प्रयाग करके।

पाचवे, यह माना गया है कि चाहे लाक निर्वाचित सदन न वित्तनी भी बुचलता व साथ काय किया हा उसके काय पर पुनर्विचार की आवश्यकता सदा ही बनी रहती है। यहा भी वही प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या द्वितीय

सदन केवल पुनर्विचार के काम के लिये एक भारी-भरकम और खर्चीली योजना का अगमान नहीं है ?

अनुभव के आधार पर आमतौर पर यह स्वीकारा जाने लगा है कि विधि-निर्माण के कार्य को दो स्तरों पर सुधारा जा सकता है—पहले, प्रारूप निर्माण करते समय, इस प्रयोजन के लिये समुचित विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जा सकती हैं दूसरे, समिति अवस्था में जबकि सिद्धांतों को स्वीकार किये जाने के बाद प्रस्थापना किसी स्थायी अथवा विशिष्ट समिति के पास विस्तृत जाच के लिये भेजी जाती है। इस सम्बन्ध में यह सुझाव भी प्राप्त हुआ है कि स्थायी अथवा विशिष्ट समिति के कार्य में सहायता करने के लिए उसने भीतर एक या दो विशेषज्ञों का सहचरण करने के बारे में व्यवस्था की जानी चाहिए। इस बारे में एक दूसरा सुझाव यह है कि विशिष्ट समिति को यह शक्ति दी जानी चाहिये कि वह गवाही ले सके और किसी प्रस्थापना द्वारा प्रभावित होने वाले विशेष व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के पक्ष को सुन सके। निजी विधेयकों के बारे में इगलैंड में उसकी दृष्टि में विशेष वर्गों की आवश्यकताएँ सावजनिक हित के विरुद्ध न हो तो वह विधेयक को उनसे अनुकूल बनाने के लिए उसे सशोधित कर सके। इस प्रकार 'यह योजना देश की समूची जनता को विधि निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में भाग लेने का अवसर दे सकेगी।' (यह विचार राष्ट्रपति सखिल ने अपने ग्रन्थ 'पब्लिक ऑपिनियन ऐण्ड पापुलर गवर्नमेंट' के पृष्ठ 252 में प्रकट किया है) इससे यह निष्पन्न निवाला जा सकता है कि विधान को दोहराने या उसके सुधारने के लिए द्वितीय सदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

छठे, ब्राइस समिति ने हाऊस ऑफ़ लाडस के बारे में एक विचित्र तर्क प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि आधुनिक लोकतन्त्रात्मक देशों में द्वितीय सदन का प्रधान कार्य यह होना चाहिये कि वह विधि निर्माण में केवल उत्तरी देर लगाये जितनी आवश्यकता है कि द्वितीय सदन निश्चित रूप से इस कार्य को पूरा करने में सव्या असमर्थ रहता है। कुछ देशों में द्वितीय सदनों के बारे में ऐसा अनुभव सामने आया है कि उन्होंने प्रगतिशील प्रस्थापनाओं पर अपनी असहमति प्रकट करके लोकमत को अवरुद्ध करने की चेष्टा की है। यदि ऐसा लगे कि किसी विधायी-सदन का वाक्यकाल इतना लघु है कि वह लोकमत के सम्पर्क में नहीं रह पाता तो उसका सही इलाज यह है कि उसके वाक्यकाल को कम कर दिया जाये। इस कठिनाई को दूर करने का दूसरा माग यह ही सकता है कि सदन को भग करने की भाग की जाय या अनिवार्य प्रेषण अथवा कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रस्थापनाओं को लोकमत जानन

के लिये जनता के सामन रखने की अनिवाय व्यवस्था कर दी जाये।

अन म, यह माना जाता है कि सघ के भीतर सम्मिलित राज्यों को राज्या या स्वायत्त इकाईयो के रूप म प्रतिनिधित्व देने उनके अस्तित्व को बनाये रखने और उनके हितो के सरक्षण के लिये द्वितीय सदन अनिवाय है। इस बारे मे सही तथ्य यह है कि 1887 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन मे राष्ट्रीय हित और राज्यों के हितो क मध्य सामजस्य उत्पान करने और छोटे छोटे राज्या को भी प्रति निधित्व देने की इस रीति का अवेपण किया गया था। उस समय के पश्चात किसी भी सघ का निर्माण ऐसे द्वितीय सदन के बिना नहीं किया गया है जिसम राज्यों को एक इकाई के रूप मे प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। सघो के भीतर द्वितीय सदनों के हितो के सरक्षण के लिए न तो द्वितीय सदन अपरिहाय ही सिद्ध हुआ है और न सहायक ही, तथापि विशेषत छोटे राज्य द्वितीय सदन को भग किये जान के पक्ष मे नहीं है।

सघ के समस्त राज्यों का द्वितीय सदन मे समान प्रतिनिधित्व देने का जो सिद्धांत सयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया मे स्वीकार किया गया था उम दूसरे सघीय राज्यों मे अविकल रूप म लागू नहीं किया गया है। केनेडा और भारत दोनों सघो म राज्यों को द्वितीय सदन म असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। कुछ देशो म, उदाहरण के लिये आस्ट्रेलिया को ही लें यह देखा गया है कि द्वितीय सदन मे राज्यों का एक इकाई के रूप मे प्रतिनिधित्व होने के कारण दलीय नियंत्रण अधिक कडा रहता है और द्वितीय सदन व्यावहारिक तौर पर प्रथम सदन की अपेक्षा अधिक राष्ट्रवादी हाता है एव राज्यों के पक्ष हितो की रक्षा के बजाय वह सघीय क्षेत्र के विस्तार का प्राय समयन करता है। इसके साथ ही जैसाकि पहले कहा गया है सघो मे द्वितीय-सदन के पक्ष म इतनी तीव्र सवेदनशीलता विद्यमान है कि यह सम्भव ही नहीं दिखाई देता कि निवट भविष्य मे कोई भी सघ द्वितीय सदन के बिना बन सकेगा। भारत मे यह विचार पनप रहा है कि राज्यों के विधानमण्डला मे द्वितीय सदन अनावश्यक है एव जहा कही भी वे पाए जाते है उह समाप्त किया जाना चाहिये।

द्वितीय-सदनों के विरुद्ध अनेक तर्क दिये जाते हैं सबप्रथम यह कहा जाता है कि वे अनावश्यक तथा व्यर्थ के भार डोते हैं। एब्बेसीज ने द्वितीय सदन की उप योगिता पर अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं—“यदि द्वितीय सदन लोक प्रतिनिधि सदन से सहमत हो जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि उसका कोई उपयोग नहीं है और यदि वह उससे असहमत हो तो यह माना जायेगा कि वह कठिनाई पैदा करने वाला (शरारती) सदन है।”

द्वितीय शासन-व्यवस्था म द्वितीय-सदन एव प्रकार से गाढी म “पावर्बे पहिये” के जसा है जो कि अनावश्यक रूप से देरी लगाता है तथा प्रगतिशील

बदलते हुए परिवेश और विधायिका

प्रस्थापनावादी को कुचल देता है। अनक दशा में द्वितीय सदन 'प्रतिक्रियावाद का गढ़' सिद्ध हुआ है। द्वितीय सदनों में सदा प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित प्रस्थापनावादी में निहित लोकमत का अवरुद्ध करने की चेष्टा की है। तृतीय द्वितीय सदन पर व्यय होने वाली राशि को जनता के बल्याण के कार्यों पर अधिक उपयोगितापूर्वक व्यय किया जा सकता है एवं अल्पसदस्यका के हिता का द्वितीय सदनों में विशेष प्रतिनिधित्व के स्थान पर मौलिक अधिकारों के द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है।

सारे प्रयत्नों के बावजूद यह सम्भव नहीं है। सना है कि एक ऐसा द्वितीय सदन बनाया जा सके जो प्रथम सदन का प्रतिस्पर्धी मान्य सिद्ध न हो तथा जो प्रतिनिधि-सदन द्वारा निर्धारित नीति को निष्ठापूर्वक स्वीकार भी कर ले। व प्राय राजनीतिक या सांख्यिक विवादों में पड़ जाते हैं तथा अपन आपको बचल पुनर्विचार सम्बन्धी कार्य तथा विवादरहित प्रस्थापनावादी पर विचार करने तक ही सीमित नहीं रखते। अभी तक जितने प्रकार के द्वितीय सदन की रचना हुई है उनमें से नावैजियन विधायिका के तथा कथित द्वितीय सदन की अपक्षा एक स्याई या विशिष्ट समिति के अधिक समान है। इसी कारण पीछे हमने यह मुझाव दिया है कि द्वितीय सदन से जिस प्रयाजन की पूर्ति की जाशा की गई, उस विशिष्ट समितियों के कार्य में सुधार करने, उसमें एक या अधिक विशेषज्ञ सम्मिलित करके और उन्हें अधिक शक्तियाँ देकर अधिक भली प्रकार किया जा सकता है।

विधायिकाओं की वर्तमान स्थिति

जिस प्रकार बीसवीं शताब्दी में और विशेषकर बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सामाजिक विज्ञान की दुनिया में अनेक प्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा है। राजनीति विज्ञान की अनेक परम्परागत मान्यताएँ एवम् मूल्य अभी नई करवटों से रहे हैं। परम्परागत अवधारणाओं के स्थान पर नवीन अवधारणाएँ उभर रही हैं। इसी शृंखला में एक अन्य नवीन प्रवृत्ति उभरी है वह है विधायिकाओं की शक्तियों का कमो हाना। लाइ ब्राइस की एवम् क० सी० व्हीरे दोनों का कहना है कि आज विधायिकाओं की शक्तियों का ह्रास हो रहा है। विधायिकाओं की शक्तियों का कम हो रहा है अथवा विधायिकाओं का पतन हो रहा है। इनका कहना है कि आज सदस्यों का पतन हो रहा है तथा कार्यपालिका की शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान शताब्दी में यदि विधायिकाओं की शक्तियों, तथा कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाय तो कुछ अपवादों को छोड़कर यही स्पष्ट होगा कि विधायिकाओं की विशेषकर कार्यपालिका की शक्तियों का सन्तुलन में इनको अवस्था में काफी अवनति हुई है। वे० सी० व्हीरे का कहना है कि

यद्यपि मर्यादा की दृष्टि से तो व्यवस्थापिका की शक्तियाँ बढ़ी हैं परन्तु कायपालिका की तुलना में उसकी शक्तियाँ बहुत घटी हैं इस सन्दर्भ में एक स्वभाविक प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिन्होंने व्यवस्थापिका की शक्तियों को कम कर दिया है? लाड ब्राडस एवम् वे० सी० व्हीरे ने विधायिका के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया है—

1 अनुशासन राजनीतिक दलीय व्यवस्था

संगठित राजव्यवस्था ने एक आर जहाँ कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ाया है वही दूसरी आर उमने व्यवस्थापिका की शक्तियों को घटाया है। ससदीय शासन में दलीय अनुशासन के बल पर नेविनट जसा ससद से चाहता है करवा देकर अभिष्ट काय करवाया जा सकता है। अध्यक्षीय शासन में भी जब राष्ट्रपति के दल का काफ़ेरा म बहुमत होता जसा राष्ट्रीयपति चाहता है, वसा ही काफ़ेरा से करवा लेता है। अत एलेन वाल का कहना है कि "द्विसत्री शताब्दी में अनुशासित दलों, कायपालिका की बढ़ती हुई शक्तियों तथा उसके घटते हुए क्षेत्र ने विधायिकाओं का पतन कर दिया है। विधायिका की शक्तियों को कायपालिका ने सही अर्थों में राजनीतिक दलों के माध्यम से छीना है। दल के समयन के आधार पर कायपालिकायें विधायिकाओं से मजबूत कर लेती हैं।

2 हस्तांतरित विधायन का दुष्प्रभाव

वे० सी० व्हीरे का कहना है कि हस्तांतरित विधायन की परम्परा न भी विधायिकाओं का पतन कर दिया है। मूलतः विधायिकाओं का काय नीति निर्माण एवम् नियम निर्माण करना था। नीति निर्माण एवम् नियम निर्माण के लिए पद्याप्त विशेषणता एवम् समय की प्रचुरता का होना आवश्यक होता है लेकिन धूमि समद-मदम्य निवाचन प्रक्रिया के माध्यम से मगर म जान है त्रिनरु लिए किसी नियम विरोध का पान आवश्यक नहीं होता है। इसके साथ ही आर राज-व्यापककारी राज्य की अवधारणा न विधायिकाओं के कार्य में धमकाने की वृद्धि कर दी है। अतः समय की अल्पता एवम् कायपालिका की अधिकता तथा पित्तों का जमान आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे विधायिका के लिए यह आवश्यकता पड़ती है कि यह अपनी नियम निर्माण सम्बन्धी शक्ति कायपालिका को हस्तांतरित करे। मानान्त में विधायिका का हस्तांतरित करने पर ही विधायिका का एकात्म कार्य या नियम निर्माण (विधायन) यह भी उता बढ़े

6 आपात्काल और ससद

इसी प्रकार आपात्काल एवम ससद कालो ने भी विधायिका का पतन किया है और कार्यपालिका की शक्तियों का बढ़ाया है। जब जब भी देश पर ससद काल के बदल मण्डराते है तब तब ही देश की सम्पूर्ण जनता देश के नतत्व की ओर आशाभरी नजरो से देखती है। इस ससद को घडी से यदि नेतृत्व उबरता है तो जनता उसके सम्मान मे अपनी पलकें बिछा देती है अथवा उम जनता का कोप भाजन होना पडता है। अतः चू कि कार्यपालक जनता को ससद से उबरता है अतः सारे महत्वपूर्ण निणय लेने मे कार्यपालिका स्वतन्त्र होती है। विधायिका उसके भाग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करती है। इसके अतिरिक्त चू कि, कार्यपालिका को ससद के समय महत्वपूर्ण भूमिका होती है अतः जनता की कार्यपालिका के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति भी लगा देती है।

इस प्रकार उपरोक्त अनेक कारणों का सम्मिलित अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि आज विधायिका उतनी सक्षम शक्तिशाली एवम् प्रभावी नहीं रही है जितनी कि पहले थी। आज उसकी बहुत सारी शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा छीन ली गयी हैं।

पाद टिप्पणी

1- स्ट्रांग सी एफ, माडन पोलिटिकल कास्टीट्यूशंस, लंडन सिजविक एण्ड जेकसा, 1972, पृ 210

2- गुरुमुख निहास सिंह, राजनीति विज्ञान एवम् संगठन के मूल सिद्धांत विनाय महल, इलाहाबाद, पृ 280

3- वही,

4- आशीषादम राजनीति विज्ञान, अपर इण्डिया पब्लिशिंग हाउस लखनऊ, 420

5- इब्राहिम नारायण, राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत, रतन प्रकाश मंदिर आगरा, 1974

6 सार्ज ब्राइम घाइनटिक्रेसीज, पब्लिशर एण्ड बम्पनी लंडन 1923

7- थोर के सी लेजिस्लेचन यूपाक ऑसगर ई यूनिवर्सिटी प्रस, 1963, पृ 221

8 वही

9 वही

10- वही

11- वही

कार्यपालिका

सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है—बायपालिका। प्रारम्भ से ही सरकार के इस अंग का समाज में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल में बायपालिका (शासनाध्यक्ष) ही सर्वोच्च होती थी। सम्पूर्ण शासन कार्यो नीति निर्माण नीति विधाबिधि तथा 'यादिक' कार्य आदि सभी का संचालन बायपालिका द्वारा ही किया जाता था लेकिन प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था के प्रादुर्भाव के बाद सरकारी कार्यो का मुख्यतः तीन भागों में विभक्त तीन अंगों का ये कार्य शोध गिये गए हैं। विधायिका, जैसा कि कहा जा चुका है विधान सम्बन्धन कार्यो का संचालन करती है बायपालन सम्बन्धी कार्यो का सम्बन्धन बायपालिका का उभयव्यवहार है तथा 'यादिक' कार्य-न्यायपालिका द्वारा पूरे किए जाते हैं जिन पर इन अंगों का अध्याय में विचार करेंगे।

बायपालिका के प्रकार

1. एकल कार्यपालिका—सबसे अधिक प्रचलित प्रकार की—एक ही व्यक्ति एक बड़े बायपालिकाओं द्वारा समन्वय की जाती है। एक बायपालिका में समन्वय है जो शासन संचालन की सम्पूर्ण कृतियों (प्रशासनिक, विधायिकात्मक, न्यायिक) बायपालिका के हाथों में सौंपी जाती है। अध्याय में शासन में सम्पूर्ण बायपालिका सम्बन्ध कृतियों का वर्णन है।
2. द्वैत कार्यपालिका—इस अंग में शासन संचालन के दो अंगों द्वारा किया जाता है जो समन्वय करते हैं। एक अंग प्रशासनिक कार्यो का संचालन करता है दूसरा अंग विधायिकात्मक कार्यो का संचालन करता है।

राज्यां म मामायत युद्धं वी घापणां ससदं द्वागं या ससदं की सहमतिं स की जाती है। राज्य भूमि के हस्ततारण दूसर राज्य को भूभाग देने अथवा छोट से भू भाग व आदान प्रदान के लिये साधारणतया विधायिका की सहमति अनिवार्य होती है।

2 सैनिक मामले

सदस्त दशो मे कायपालिका का अध्यक्ष ही राज्य की सशस्त्र जल, धन एवं नभ सनात्रा का सर्वोच्च सनापति भी होता है तथापि उसमें साधारणतः यह अशा नहीं की जाती कि वह युद्ध अथवा अय किसी सैनिक कायवाही के समय दस्तुन युद्धक्षेत्र में जाकर सेनाप्रा का मागदशन करेगा। सना पर सर्वोच्च अघि कार के द्वारा कायपालिका को सेना के सगठन बल और शास्त्रा पर नियंत्रण रखन की शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा आवश्यकतानुसार उनका उपयोग कर सकती है। लोकतन्त्रात्मक देशों में सशस्त्र सनाग्रो की सग्या एवं उनके सगठन के विषय में नार्यपालिका का विनायिका की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है तथा प्रनिरक्षा-अय्य की स्वीकृति भी विधायिका के ही नियंत्रण में रहती है। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां जिनमें तीना सेनाप्रा व सनापतिया की नियुक्ति भी शामिल है कायपालिका द्वारा की जाती है। युद्ध की घोषणा सामायत विधायिका करती है परतु ग्रेट ब्रिटेन एवं अधिनायकवादी देशों में कायपालिका का ही युद्ध की घोषणा करने की सत्ता प्राप्त है।

युद्ध के समय कायपालिका की शक्तियां में विस्तृत वृद्धि कर दी जाती है तथा उस इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जिस प्रकार की शक्तियां अधिनायकवादी देशों के पास होती हैं लोकतन्त्रात्मक देशों में भी आधुनिक युद्ध के कारण यह आवश्यक हो गया है कि कायपालिका प्रग के हाथ में बवल युद्ध के सनिर एवं नौ-सैनिक पक्षा तथा भूमि के सामरिक स्थिति पर ही नियंत्रण की शक्ति नहीं बरन कच्चे माल के वारे में निणय करन, आवश्यक पदार्थों अथवा उपभोग के समस्त पदार्थों के उत्पादन तथा उनके मूल्य एवं उपभोग की मात्रा व वारे में शक्ति निणय करन की शक्ति भी दी जाए।

आंतरिक शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना के लिये कायपालिका के नियंत्रण में एक पुलिमन्त्र होता है परतु असाधारण परिस्थितियां में गम्भीर अशान्ति का दमन करन के लिये सशस्त्र सेनाग्रो का बुलाया जा सकता है। भारत में अन्व अथवा पर इसका प्रयोग निया गया है विशेषतः विभाजन के तुरन्त पश्चात् तथा उपर पश्चात् जब भारत एवं पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंग फूट पड़े थे तथा उपर परिणामस्वरूप एक भाग स दूसर भाग में बने पंजाब पर जनता का आगमन हुआ था।

दूसरी वास्तविक कायपालिका सम्पूर्ण शासन का संचालन नाममात्र का कायपालिका के नाम पर वास्तविक कायपालिका द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन भारत आदि दशा की कायपालिकाओं को इसी श्रेणी में रखा जाता है।

७ बहुल कायपालिका—बहुल कायपालिका से तात्पर्य है—कायपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समुदाय में निहित होती है वतमान काल में सावियत रूस तथा स्विटजरलैंड में इस प्रकार का कायपालिकाएँ अस्तित्व में हैं। जिसमें सर्वोच्च कायपालिका के रूप में प्रेसीडियम तथा स्विटजरलैंड में संघीय परिषद बहुल कायपालिका की श्रेणी में आती हैं। इसीलिए इन्हें "सामूहिक राष्ट्रपति" की मजा भी दी जाती है।

कार्य, -

कायपालिका का प्रमुख कार्य विधियाँ, आदेशों, नियमों आनियमों, आपत्तियों आदि का प्रवृत्ति (लागू) करना तथा देश की विधियों के अनुसार नित्य के प्रशासन का संचालन करना है। कायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह विधि के उल्लंघन को रोकें तथा उनका अनुमोदन करना वाला का दण्ड दे। न्यायाभ्यास द्वारा दो ज्ञान वाली आजादाएँ मजाओं को कायपालिका विधिवत लागू करती है।

आधुनिक लोकात्मक राज्यों में कायपालिका के कार्यों का पांच प्रकार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है (1) वैदेशिक सम्बन्ध (2) सैनिक मामले, (3) विधि क्रिया-व्ययन तथा प्रशासन (4) क्षमा प्रदान करने व प्रशासकीय-व्याय के सन्दर्भ में न्यायिक कार्य, तथा (5) विधायी कार्य।

1 वैदेशिक-सम्बन्ध

प्रत्येक राज्य में दूसरे राज्यों के साथ सम्बन्धों के नियम का उत्तरदायित्व पर ही होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिये वह दूसरे देशों में दूतवासियों प्रतिनिधि-कार्यालय आदि खोलती है। आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर वह अनेक प्रकार के विशेष प्रतिनिधियों को भी विदेशों में भेजती है। ऐसे मामलों में समस्त निपुक्तियाँ सामान्यतः कायपालिका द्वारा की जाती हैं तथा वैदेशिक-सम्बन्धों में पालन की जान वाली नीतियाँ भी वही निर्धारित करती हैं। संधियों समझौतों एवं नाना प्रकार के सन्धिदाओं के विषय में चर्चा का आरम्भ बहो करती हैं तथा वही उन्हें अंतिम रूप में प्रदान करती हैं। कुछ देशों में विधायिका की महमति भी इस कार्य में अविवाय मानी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वैदेशिक मामलों के संचालन के लिये राष्ट्रपति के साथ सिनेट की एक समिति होती है तथा समस्त संधियों पर कांग्रेस की महमति अनिवार्य होती है। लोकतन्त्रात्मक

राज्या म मामा'यत युद्ध की घापणा' ससद द्वाग या ससद की सहमति स की जाती है। राज्य भूमि के हस्ततारण दूमर राज्य को भूभाग देने अथवा छोटे स भू-भाग क श्रादान प्रदान के लिये साधारणतया विधायिका की सहमति अनिवाय हानी है।

2 सैनिक मामले

सदस्त देशो म कायपालिका का अध्यक्ष ही राज्य की सशस्त्र बल, बल एवं नभ सनात्रा का सर्वोच्च सेनापति भी हाता ह तथापि उसम साधारणत यह श्रमणा नहीं की जाती कि वह युद्ध अथवा अय किसी सैनिक कायवाही के समय यम्तुन युद्धक्षेत्र मे जाकर सेनाभ्रा का मागदशन करेगा। सना पर सर्वोच्च अधि कार क द्वारा कायपालिका का सेना के सगठन बल और शास्त्रो पर नियंत्रण रखन की शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा आवश्यकतानुसार उनका उपयोग कर सकती है। लोक्तरात्मक दशो मे सशस्त्र सेनाभ्रो की सभ्या एवं उनके सगठन के त्रिपय म कायपालिका को विधायिका की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवाय हाता है तथा प्रनिराशा-व्यय की स्वीकृति भी विधायिका के ही नियंत्रण म रहती है। सभी महत्वपूग नियुक्तिया जिनमे तीना सेनाभ्रो क सेनापतिया की नियुक्ति भी शामिल ह कायपालिका द्वारा की जाती है। युद्ध की घापणा सामा'यत विधायिका करती है परतु श्रष्ट रिटैन एवं अधिनायकवादी देशों मे कायपालिका को ही युद्ध की घोशणा करने की सत्ता प्राप्त है।

"युद्ध के समय कायपालिका की शक्तियो म विस्तत वद्धि कर दी जाती है तथा उमे इस प्रकार की शक्तिया प्राप्त हो जाती हैं जिम प्रकार की शक्तिया अधिनायकवादी देशा क पास हाती है" लोक्तरात्मक श्रेणा म भी प्राधुनिक युद्ध के कारण यह आवश्यक हो गया है कि कायपालिका श्रग के हाय म केवल युद्ध के मनिग एन नौ मनिग पक्षा तथा भूमि के सामरिक स्थिति पर ही नियंत्रण की शक्ति नहीं बरन कच्च माल के वारे म निणय करन आवश्यक पदाथों अथवा उपभाग क समस्त पदाथों के उत्पादन तथा उनके मूल्य एवं उपभाग की मात्रा के बारे म अन्निम निणय करन की शक्ति भी दी जाए।

श्रातरिक शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना के निय कायपालिका के नियंत्रण म एन् पुनिम-न्त होता है परतु असाधारण परिस्थितिया मे गम्भीर अर्शाति का र्णन करन के लिय सशस्त्र सेनाभ्रा को बुलाया जा सकना है। भारत म अन्क अरमरा पर दनका प्रयोग किया गया है विशेषत विभाजन के तुरन्त पटन तथा परान जय भारत एवं पाकिस्तान म साम्प्रदायिक दग पूर पडे थ तथा उगव परिणामन्त्रण एक भाग स दूमरे भाग म बडे पैमान पर जनता का आनागमन हुआ था।

3 विधि का कार्यान्वयन एवं प्रशासन

यह कायपालिका का प्रारम्भिक या प्रमुख काय माना जा सकता है। आधुनिक राज्य के काय की सीमा एवं विविधता में विशाल विस्तार हान तथा राज्य की प्रकृति के "पुलिस-राज्य" से विस्तृत लोक-कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित हो जाने के कारण इस काय न बहुत महत्व प्राप्त कर लिया है। इस कारण स वर्तमान काल में कायपालिका को महान शक्ति एवं उत्तरदायित्व प्रदान किया है जिसमें प्रभावशाली काय के लिए शासन के समूचे कायपालिका अथवा वे संगठन का काय भी सम्मिलित है।

4 न्यायिक शक्तियाँ

जिन देशों में "विधिशासन" की धारणा प्रचलित है वहाँ भी पिछले कुछ वर्षों में "प्रशासकीय-न्याय" में काफी वृद्धि हुई है। प्रशासकीय-न्याय के अन्तर्गत कायपालिका विभागों एवं शासकीय अधिकारियों द्वारा संगठित 'यायाधिकरणों को ऐसी 'यायिक' शक्ति दे दी जाती है जिसके द्वारा वे विविध प्रकार के प्रशासकीय आदेशों तथा श्रम, व्यापार, उद्योग आदि में सम्बन्धित विधियों के अन्तर्गत बनने वाले विविध प्रकार के नियमों से सम्बन्धित मामलों का निणय कर सकें। यह माना जाता है कि ऐसे मामलों में प्रशासकीय 'याय' साधारण विधि-न्यायालयों के निणय की अपेक्षा सस्ता, शीघ्र और अधिक प्रभावशाली होता है।

द्वितीय 'याय' और मानवता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि क्षमादान के सिद्धान्त को 'याय' के प्रशासन में स्थान मिले तथा 'याय' की कभी-कभी होने वाली चूक को सुधारने एवं विधि के कठोर निवचन एवं प्रयोग के आधार पर दिये जाने वाले दण्ड की कठोरता को कम करने के लिये यह सत्ता प्रमुख कायपालिका अधिकारियों में निहित हानी चाहिये। इससे क्षमादान की शक्ति या 'दया' का विशेषाधिकार कहा जाता है।

5 विधायी काय

प्रत्येक शासन पद्धति में कायपालिका विधि निर्माण के काय में महत्वपूर्ण भाग लेती है। हालांकि अर्धशासकीय शासन प्रणाली की अपेक्षा ससदात्मक शासन प्रणाली में कायपालिका एवं विधायिका के सम्बन्ध में अधिक मधुर होते हैं।

लिखित सविधान वाले विशेषतः गणतन्त्रात्मक या अर्धशासकीय शासन-पद्धति वाले देशों में विधायिका को आहूत करने, सत्तावसान करने अथवा स्थगन करने के लिये सविधान में व्यवस्था की जाती है तथा उसके लिये निश्चित तिथियाँ निर्धारित कर दी जाती हैं। ससदात्मक शासन-पद्धति वाले देशों में विशेषतः उन देशों में जहाँ सविधान अधिकांशतः अलिखित है जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में, विधायिका का

आहूत करन उसका सनावसान करन और विघटित करने की शक्ति कायपालिका म निहित है। सयुक्त राज्य अमेरिका म भी प्रमुख कायपालिका अधिकारी (राष्ट्रपति) को यह शक्ति दी गई है कि आपात कालीन परिस्थितिमा म वह कांग्रेस वा विशेष सत्र आहूत कर सके। विघटन की शक्ति केवल ससदात्मक शासन प्रणाली वाले दशो म ही होती है। यह शक्ति कायपालिका वा विधायिका के दलीय सदस्यो के ऊपर काफी मात्रा म प्रभाव डालने की सामर्थ्य प्रदान करती है।

ससदात्मक शासन प्रणाली वाले दशो म विधायिका वा नया वा वापिक सत्र राज्य के अध्यक्ष के अभिभाषण से आरम्भ होता है जिसम व्यापक तौर पर पिछले वष होने वाली शासकीय सफलताआ एव प्रमुख घटनाआ दश की परिस्थितियो एव अपन पढीसियो व दूसरे बाह्य देशो के साथ राज्य के सम्बन्ध आ आन्तरिकवाद बाह्य मामलो म शासन की प्रस्तावित नीतिया तथा शासन द्वारा आगामी वष म समद म प्रस्तुत किय जाने वाले प्रस्तावा का उल्लेख रहता है।

दूसरे, आधुनिक काल म विधान को प्रस्तुत करने तथा निर्मित करन वा विकास वाय कायपालिका के हाथो मे चला गया है तथा ससद अधिकांश समय तक शासकीय कार्यक्रम बजट एव कायपालिका द्वारा दश के शासन के संचालन के लिय आवश्यक विधियो पर विचार विमश कर पारित करने म सलग्न रहती है। ससदात्मक शासन प्रणाली के अतगत ससद म प्रस्तावित विधिया को विषयो से सम्बन्धित मन्त्रिया द्वारा प्रारम्भ प्रास्तित एव प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ तक विधायिका का सम्बन्ध है वट कायपालिका द्वारा प्रस्तावित रूप म ही विषयका वा पारित करती है क्योंकि उसम कायपालिका वा बहुमत होता है। यदि विधायिका शासन के किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव वा विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो सामान्यतया वा तो मन्त्रिमण्डल त्याग पत्र द देता है अथवा विधायिका के निम्न सदन को विघटित करके नय सिरे से जनता वा आदेश प्राप्त करता है।¹

सयुक्त राज्य अमेरिका म शक्तिया के पयकरण का सिद्धांत प्रचलित होने पर भी राष्ट्रपति से यह आशा की जाती है कि वह विधिया के निर्माण म महत्वपूर्ण भाग लेगा। जैस कि याथायोग स्टारी न कहा है कि राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ' कांग्रेस के सामने उन समस्त तथ्या एव सूचनाआ को प्रस्तुत करेगा जा उसकी चर्चाआ मे सहायक हो सके तथा सुधार वा सुझाव दे सके। इन प्रतिरिक्त दोषो की आर इशारा कर सके तथा सुधार वा सुझाव दे सके। इन प्रतिरिक्त ससदात्मक एव अध्यक्षीय शासन प्रणालिया म कायपालिकाआ को अध्याज जारी करने वा अधिकार होता है। इसने प्रतिरिक्त विधायिका द्वारा बनाय विधेयक भी कानून वा रूप तभी धारण कर सकत है जब कि उन पर कायपालिका की स्वीकृत की मोहर लगा दी जाय। इत अर्थ म कायपालिका की

- प्रदान करन जैसे अनवर अवसर हाते हैं जिनसे वह लोगों का खुश कर सकती है।³
- 3 कायपालिका का जन-सामायक अधिक समीप हाना भी उसको व्यवस्थापिका से अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। चूकि कायपालिका को कायपालन सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन करना होता है अतः उस जनता की नाटियो (Nerves of public) का ज्ञान होना आवश्यक होता है। कायपालिका फील्ड में कार्य करने वाला अभि-करण है अतः उस जनता की इच्छामो आकाशामा अभिलापाप्रा एव समस्यामो का पान होता है। अतः इन इच्छामो तथा आकाशामो का किस प्रकार पूरा किया जा सकता है तथा इन समस्यामो का कैसे समाधान किया जा सकता है इसका भी उस पान होता है अतः जनेच्छामा तथा आकाशामा को पूरा करने के कारण कायपालिका जनता में विधायिका की अपेक्षा ज्यादा लोक-प्रिय हो गयी है। अतः जनता के समीप रहने, जनता की इच्छामा एव अभिलापाप्रा का जानने तथा उन्हें पूरा करने के कारण कायपालिका ही जनकल्याण से सम्बन्धित नीति निर्माण एव नियम निर्माण करती है तथा वही उन्हें कार्यान्वित करती है। विधायिका की ता केवल औपचारिक स्वीकृति ली जाती है क्याकि आज विधायिकायें कानून निर्मात्री सस्थाएं न रहकर मात्र कानून निर्माण पर स्वीकृति देने वाली सस्थाएं बनकर रह गयी हैं (Legislatures are not law making institutions they are merely law assenting bodies) अतः कायपालिकायें न केवल नियम-निर्माण नियम निर्माण तथा नीति निर्माण ही करती हैं अपितु इन सबके कार्यान्वयन का दायित्व भी कायपालिकामो का ही है। अतः इस धारक न भी कायपालिका को अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली बना दिया है।
- 5 विज्ञान-तकनीकी एव संचार साधनो के विकास ने कायपालिका का सीधा जन-सम्पर्क में ला दिया है। आज कायपालक रडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जनता के समक्ष जाने लगे हैं और जनता को विश्वास में लाने का प्रयास करने लग है जिससे विधायिका को बाइ पास (By pass) करके ऐसे नियम भी कायपालिका से सके जिन पर विधायिका आसानी से अपनी स्वीकृति न दे। एलेन दान का कहना है कि 'जनसम्पर्क माध्यमो का

शक्तिया अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। अर्ध-नीय शासन में तो राष्ट्रपति को 'जेवी' विशेषाधिकार (जेवीवीटो) तथा विनियामारी निषेधाधिकार ऐसी शक्तिया मिली हुई है जिन्के कारण विधि निमाण 'राष्ट्रपति की शक्तिया अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई हैं।

कार्यपालिका के कार्यों एवं शक्तियों में अभिवृद्धि

जैसा कि 'विधायिका' के अध्याय में विधायिकाओं के पतन का विवेचन करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आज एक ओर विधायिकाओं की शक्तिया का ह्रास हुआ है तो दूसरी ओर कार्यपालिकाओं की शक्तियों में वृद्धि हुई है। वस्तुतः कार्यपालिकाओं की शक्ति में वृद्धि के लिए वही कारण है जो विधायिकाओं की शक्ति में कमी के कारण हैं, जिनका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। यहाँ हम थोड़े-बहुत अंतर के साथ उही कारणों का निम्न प्रकार से विश्लेषण करते हैं—

1. कार्यपालिका के बढ़ते हुए महत्व एवं शक्तियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है 'राजनीतिक दल' का होना तथा राजनीतिक दल में अनुशासन की भावना का होना। कार्यपालिका का अध्यक्ष राजनीतिक दल का नेता होता है। उसकी अपने दल में क्या स्थिति होती है इसी पर उसी की शक्ति एवं महत्व निर्भर करता है। संसदीय शासन में कार्यपालिका की स्थिति उस समय सुदृढ़ होती है जब संसद में कार्यपालिका के दल का स्पष्ट बहुमत है तथा सम्पूर्ण दल कार्यपालिका को अपना एक छत्र नेता माने। इसी प्रकार अर्धसंसदीय शासन में भी कार्यपालिका की स्थिति उस समय सुदृढ़ और शक्तिशाली होती है जब कांग्रेस में उसी दल का बहुमत हो जिस दल का राष्ट्रपति हो। ऐसी स्थिति में जैसा कि कार्यपालिका कहती है 'दलीय अनुशासन के कारण विधायिका वैसा ही करती है। संसदीय शासन में तो यदि कैबिनेट की इच्छानुसार संसद कायम न करे तो उसे राष्ट्रपति को संसद (निम्न-सदन) को विघटित करने का परामर्श देने का अधिकार है। अतः दलीय अनुशासन में विधायिका की अपेक्षा कार्यपालिका की शक्तियाँ को बढ़ा दिया है।
2. कार्यपालिका के महत्व के बढ़ने का एक अन्य कारण है कि आज कार्यपालिका को अनेक कार्यों का सम्पादन करना होता है। अनेक कार्यों का सम्पादन करने के प्रयत्न में उसके पास अनेक ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं जिनसे वह अनवरत पट्रोजेज (Patronage) वाटता है। कार्यपालिका के पास महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करने, ठेके देना, सम्मान

- प्रदान करने जैसे अनेक अवसर होते हैं जिनसे वह लोगों को सुझावर मक्ती है।³
- 3 कायपालिका का जन-सामाय के अधिक् समीप होना भी उसको व्यवस्थापिका से अधिक् महत्वपूर्ण बनाता है। चूकि कायपालिका को कायपालन सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन करना होता है अतः उसे जनता की नाडियो (Nerves of public) का पान होना आवश्यक होता है। कायपालिका पील्ड मकाय करन वाला अभि-करण है अतः उस जनता की इच्छाम्रा आवाक्षाम्रा अभिलाषाम्रा एव समस्याम्रो वा ज्ञान होता है। अतः इन इच्छाम्रा आवाक्षाम्रो को विस प्रवार पूरा किया जा सकता है तथा समस्याम्रो का कैसे समाधान किया जा सकता है इसका भी पान होता है अतः जनेच्छाम्रो तथा आवाक्षाम्रा को पूरा करने कारण कायपालिका जनता मे विघायिका की अपेक्षा ज्यादा लोकप्रिय हो गयी है। अतः जनता के समीप रहने जनता की इच्छाम्रा एव अभिलाषाम्रा का जानने तथा उह पूरा करन के कारण कायपालिका अपेक्षाम्रा अति महत्वपूर्ण हा गयी है।
- 4 कायपालिका ही जनकल्याण से सम्बन्धित नीति निर्माण एव निणय-निमाण करती है तथा वही उह कार्यावित करती है। विघायिका की तो बवल औपचारिक स्वीकृति ली जाती है क्योंकि आज विघायिकार्ये वानून निर्मात्री सस्थाए न रहकर मात्र कानून निमाण पर स्वीकृति देने वाली सस्थाए बनकर रह गयी हैं (Legislatures are not law making institutions they are merely law assenting bodies) अतः कायपालिकार्ये न बवल नियम निर्माण निणय तथा नीति-निर्माण ही करती है अपितु इन सबके कार्यावयन का दायित्व भी कायपालिकाम्रो का ही है। अतः इस धारक न भी कायपालिका को अपेक्षाम्रा अधिक् शक्तिशाली बना दिया है।
- 5 विधान-सचनोकी एव सचार साधनो के विवास ने कायपालिका को सीधा जन-सम्पक म ला दिया है। आज कायपालक रेडियो के माध्यम से दूरदर्शन के माध्यम से जनता के समक्ष जाने लगे हैं और जनता का विश्वास म लेने का प्रयास करने लगे हैं जिससे विघायिका को बाइ पास (By pass) करके ऐस निणय भी कायपालिका ले सक जिन पर विघायिका आसानी स अपनी स्वीकृति न दे। एलेन बाल का कहना है कि 'जनसम्पक माध्यमो का

उपयोग करने के अवसर तथा प्रचार की सुविधा कायपालिका शक्ति को मजबूत बनाने वाला महत्वपूर्ण कारक है।" सत्कार साधनों का आम जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके लिए कायपालिका ही सब कुछ बन जाती है।

- 6 मुग्य कायपालको का व्यक्तित्व (Personality) भी कायपालिका की शक्तिया में अभिवृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। जिन जिन देशों में कभी-कभी जो राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि उनके समक्ष किसी भी व्यक्ति का यह साहस नहीं होता था कि वे उनका विरोध करें। अनेक देशों के राष्ट्रपतियों अथवा प्रधानमंत्रियों ने सांविधानिक सीमाओं में रहते हुए समाजिक कल्याण के लिए ऐसे कार्य किये जिनमें सम्पूर्ण समाज की भलाई हो सके तथा इस प्रकार निणय लिये जिनका कोई भी विरोध नहीं कर सका। कालान्तर में कुछ कायपालकों के महत्वपूर्ण होने से कायपालको का पद ही (Office of the executives) महत्वपूर्ण हो गया। उस पद पर बाद में चाहे कौन ही व्यक्तित्व का व्यक्ति आया, वह ही महत्वपूर्ण रहा गया। अतः प्रत्येक देश में जैसे अमेरिका में वॉशिंगटन, विल्सन, कॅनेडी ब्रिटेन में चर्चिल तथा भारत में जवाहरलाल नेहरू आदि ऐसे अनेक कायपालकों द्वारा जिनके व्यक्तित्व ने कायपालिका को ही महत्वपूर्ण बना दिया।
- 7 कायपालिका का कायपालन नीतियों नियमों का कार्यालयन सम्बन्धी कार्य ऐसे आयाम है जिन्होंने कायपालिका को महत्वपूर्ण बना दिया है। वस्तुतः समाज में वही सत्ता अथवा निकाय ज्यादा लोकप्रिय और शक्तिशाली होती है जो कार्यालयन से सम्बन्धित कार्य करती है तथा जो 'फील्ड' में रहती है। इन दोनों ही क्षेत्रों में कायपालिका की पहुँच हाती है जबकि व्यवस्थापिका न तो कार्यालयन से सम्बन्धित निकाय है और न ही 'फील्ड' अभिकरण, अतः उसकी शक्तिया अपेक्षाकृत कम होनी स्वाभाविक हैं।
- 8 सांविधानिक व्यवस्थाएँ तथा सांविधानिक सशोधना ने भी कायपालिकाओं को शक्तिशाली बनाया है। प्रत्येक संविधान में कुछ ऐसे सरचनात्मक एवं सम्पत्तात्मक प्रबंध किये जाते हैं जिनसे कायपालिका की स्थिति सदैव शक्तिशाली रहे क्योंकि कायपालिका का विधायिका के कानून एवं कायपालिका के निणयों का लागू करना होता है। यह सब तभी सम्भव है जबकि कायपालिका इन सबके सम्पादन के लिए सक्षम हो। अतः कार्यालयन करने वाली सत्ता

का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है तभी कायपालिका पूर्ण कुशलता के साथ कार्य कर सकेगी।

9 सकटकालीन परिस्थितियों के समय कायपालिका को सभी प्रतिबन्धों से मुक्त कर दिया जाता है। देश के संविधान में ही सकटकालीन अनुच्छेदों के अन्तर्गत इस बात का उल्लेख होता है कि जैसे ही देश में सकटकाल की घोषणा की जायेगी वैसे ही सम्पूर्ण शासन शक्तियाँ कायपालिका के हाथों में सकेन्द्रित हो जायेंगी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश कैबिनेट, सन 1965 एव सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय कैबिनेट की स्थिति सर्वोत्तम थी। इस प्रकार सकटकालीन परिस्थितियाँ भी कायपालिका को शक्तिशाली बनाती हैं।

इस प्रकार अनेक ऐसे कारण हैं जो कायपालिका को व्यवस्थापिका की अपेक्षा श्रेष्ठ, महत्वपूर्ण एवं अधिक शक्तिशाली बनाते हैं।

पाद टिप्पणी

- 1 गुरुमुख निहालसिंह, राजनीति विज्ञान एवं सभ्यता के मूल सिद्धान्त, किताब महल, इलाहाबाद पृ० 220
- 2 बान रोबर्ट सी०, एक्सन एण्ड आर्गनाइजेशन, एन इंट्रोडक्शन टु कम्पैरेटिव पॉलिटिक्स साइंस, लंदन हापर एण्ड सॉ 1972, पृ० 357
- 3 वही

अध्याय 15

न्यायपालिका

न्यायपालिका शासन की तीसरी शाखा अथवा तीसरा भग है। उसके कार्य व महत्व के बारे में अतिगोप्यता करना कठिन है। लोकन्यायिक सरकार और संवत्सत्तावादी सरकार में प्रधान अन्तर यही होना है। लोकन्यायिक सरकार में विधि के शासन का प्रचलन होता है और राज्य अपने नागरिकों के लिए अधिकारों की व्यवस्था का प्रबंध करता है। यह बात बहुत स्पष्ट है कि यह व्यवस्था न्यायपालिका की समुचित व्यवस्था के बिना नहीं बनाय रखी जा सकती। अध्यात्मिक सरकार वाले देशों में न्यायपालिका सरकार के शेष दोनों विभागों पर उच्चता की स्थिति प्राप्त कर लेती है। प्रत्येक देश में अनेक भण्डों व दुर्घटनायें होती हैं जो देश की शान्ति व सुरक्षा के लिए सख्त उत्पन्न कर देती हैं। इनके अतिरिक्त समाज में अनेक प्रकार की विषमताएँ, अत्याय तथा बेमेल संयोग होते हैं तथा अनेक प्रकार की असामाजिक क्रियाएँ होती हैं जिनमें आमतौर पर बड़ी संख्या में व्यक्ति भाग लेते हैं। इस सबके कारण यह अनिवाय हो जाता है कि देश में निष्पक्षता व शीघ्रता के साथ न्याय करने के लिए न्यायिक प्रशासन का विस्तृत संगठन किया जाय। लार्ड ब्राइस के अनुसार, यदि विधि का प्रशासन ईमानदारी के साथ नहीं किया जाता तो यही माना जायेगा कि नमक न अपना क्षारीय स्वभाव खा दिया है यदि न्याय का प्रवर्तन दुबलता अथवा अस्थिरता के साथ किया जाय तो सुव्यवस्था का आश्वासन समाप्त हो जायेगा क्योंकि दण्ड की कठोरता की अपेक्षा उसकी सुनिश्चितता अपराधों का अधिक मात्रा में दमन कर पाती है। यदि न्याय ही अधिकार में विलीन हो जाये तो अधिकार की महत्ता का क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि किसी भी राज्य के भीतर न्यायिक व्यवस्था के अभाव में शांति व सुव्यवस्था को बनाये रखना जनता की स्वतंत्र

ताम्रा और उसके अधिकारों का रक्षण तथा जनसाधारण के कल्याण व उसकी प्रगति के लिये आवश्यक दशाग्रो का निर्माण असम्भव होगा। यही कारण है कि लाड ब्राइस 'यायपालिका की क्षमता को सरकार की श्रेष्ठता की बसीटी मानते थे क्योंकि साधारण नागरिक के हित और उसकी सुरक्षा का सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध इस बात से है कि वह यह अनुभव करे कि 'याय के निश्चित और शीघ्र प्रशासन पर भरोसा किया जा सकता है।

न्यायपालिका के कृत्य

प्रायुक्तिक काल में 'यायपालिका का अनेक कार्य करने होता है। विभिन्न राज्या में उन कार्यों में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। उदाहरणार्थ सघात्मक व अध्यक्षत्मक राज्यों में नियमित कृत्यों के अतिरिक्त 'यायपालिका का सविधान के संरक्षक रूप में भी कार्य करना होता है तथा उस विधायिका द्वारा पारित विधियों तथा कायपालिका द्वारा किये जाने वाले कार्यों की साविधानिकता के बारे में अपना निर्णय देता होता है। तथापि प्रत्येक देश में यायाधीशों का प्रारम्भिक कार्य व्यक्तिगत मामलों में विधि की व्याख्या करना व उसे लागू करना है इस कृत्य को पूरा करते समय यह सम्भव है कि यायपालिका का कुछ तत्सम्बन्धी कार्य भी करने पड़े। प्रायुक्तिक राज्यों में इनके अतिरिक्त कुछ दूसरे कार्य भी प्रायः न्यायाधीशों द्वारा किये जाते हैं।

तथ्य अन्वेषण का कृत्य

प्रत्येक मामले में 'यायाधीशों द्वारा विधि की व्याख्या और उसको लागू किये जाने के पूर्व यह आवश्यक है कि तथ्यों के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त कर ली जाए। अनेक देशों में यह कार्य भी यायाधीशों द्वारा किया जाता है और यह कार्य उनका बहुत-सा समय ले लेता है। ऐंग्लो अमेरिकन प्रणाली के अन्तर्गत आम तौर पर तथ्य अन्वेषण का कार्य 'जूरी करती है और न्यायालयों ने साक्षी के बारे में निश्चित नियम बना दिये हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि 'जूरी के सदस्यों को जो कि प्रायः अप्रशिक्षित साधारण जन होते हैं, साक्षी का मूल्यांकन करने के जटिल कार्य में सरलता हासिल हो सके। हमारे देश में अधिकांश मामलों में न्यायाधीश ही तथ्यों और विधि के बारे में निर्णय करते हैं यही प्रक्रिया को सहितानुद्ध कर दिया गया है तथा दो पृथक् संहिताय बना दी गई हैं—व्यवहार प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रियासंहिता। भारत में 'यायाधीशों को यह शक्ति दी गई है कि वे जटिल तथा प्रौद्योगिक विषयों पर साक्षी देने के लिए विशेषणों को आमंत्रित कर सकते हैं तथा कुछ मामलों में प्रमाण सग्रह कर सकते हैं और उनके बारे में न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्रायुक्तों की नियुक्ति कर

सकते हैं। इंग्लैंड में जब आवश्यकता होती है तब न्यायाधीशों की सहायता के लिए 'चांसरी' में आयुक्तों और परीक्षकों की नियुक्ति की जाती है जो कि सुनवाई करते हैं तथा अपने अवेपण के परिणामों के बारे में न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। दूसरे देशों में भी आवश्यक होने पर न्यायालयों से बाहर प्रमाण संग्रह करने और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बारे में इसी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। अधिकांश देशों में न्यायाधीशों को यह शक्ति भी दी गई है कि वे तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए गवाहों से जिरह (प्रश्न—परिप्रश्न करना) कर सकते हैं।

विधि की व्याख्या और उसका प्रयोग

समस्त देशों में न्यायाधीशों का प्रमुख कार्य यह है कि वह अपने न्यायालय में प्रस्तुत वादों के प्रसंग में दश की विधियों की व्याख्या करें और उनका प्रयोग करें। आजकल विधि निर्माण का कार्य जटिल हो गया है तथा 'आर्थिक-कार्यकलाप के नये क्षेत्रों में ससदीय नियमन में महान विस्तार' हो गया है। इसी कारण सामान्य विधियों की व्याख्या 'और उनका प्रयोग एक साधारण कार्य नहीं रह गया है। यह भी हो सकता है कि किसी वाद में निहित प्रश्नों के बारे में विधि स्पष्ट या सुगम न हो, अथवा वह वाद में निहित समस्त प्रश्नों पर लागू न होनी हो, अथवा जैसा कि सामान्यतः कहा जाता है वह वाद के "तथ्यों के अनुकूल" न बैठ पाती हो। यह संदेह भी उठ सकता है कि किसी विशेष वाद में कौन सी विधि या संहिता की कौन-सी धारा सही सही तौर पर लागू होती है।

विधियों की व्याख्या के बारे में आजकल एक दूसरा तत्व भी महत्वपूर्ण हो गया है, वह यह कि आधुनिक परिस्थितियों के संदर्भ में पुरानी विधियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। यह हो सकता है कि न्यायाधीशों की प्रवृत्ति रुढ़िवादी हो जाए तथा विधियों की व्याख्या करने व उनके प्रयोग के सम्बन्ध में आदर्शों तथा परिस्थितियों में त्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाने पर भी वे पुरानी परम्पराओं का ही उपयोग करें। जैसा कि गानर ने कहा है, परम्पराओं ने 'विधि' की समस्त प्रणालियाँ पर महान प्रभाव डाला है परन्तु एंग्लो अमेरिकन व्यवस्थाओं में उनका प्रभाव विशेष रूप से महान रहा है।' इंग्लैंड और सं० रा० अमेरिका में परम्परागत निष्पत्ति न्यायप्रणाली का मौलिक सिद्धांत है तथा यद्यपि यह मुनिश्चिन्ता की बाध रखने के लिए विधि के विवेकपूर्ण विकास को बलिदान कर देता है, तथापि यह माना जाता है कि हानियाँ की अपेक्षा उसके लाभ अततो गत्वा अधिक हैं।

न्यायिक-विधिनिर्माण

पृथक् पृथक् वादों में विधियों को प्रयोग करते समय यदि विधि की कोई कमी

या अस्पष्टता न्यायाघात के ध्यान में आवे तो उसे अभाव की पूर्ति करनी होती है तथा अस्पष्टता को दूर करना होता है और इस प्रकार उसे विधि को वादो में प्रयोग किये जाने के लिये उपयुक्त बनाना हाता है। "यायाधीश ही प्रथाओं को मायता प्रदान करते हैं तथा उन्हें प्रहीत करते हैं और 'इस प्रकार उस लोकसत्ता का निश्चित समयन प्रदान करते हैं।" इस प्रकार पथक पथक वादो में विधि व प्रथाओं के निर्वाचन तथा प्रयोग में यायाधीश विधि का निर्माण व उसका विस्तार करते हैं तथा बालांतर में विभिन्न देशों में इस प्रकार के यायाधीश निमित्त विधियाँ की एक विस्तृत संहिता तैयार हो गई है। इंग्लैंड में विशेषतः ऐसी स्थिति है, वहाँ यायालयों में अपने निणया तथा आदेशों द्वारा "रामन ना' की एक विशाल संहिता का विकास कर दिया है। यायाधीशों द्वारा दिये जाने वाले निणय परम्परा या नतीज यन जात है जा आगे आन वाल वाता में माय विधय जात ह तथापि, व पूणतया वाध्यकारी नहीं हाते तथा उन्हें वाद में दिये जाने वाले अधि हन निणया के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है एक गतिशील तथा प्रगतिपरायण समाज में विधि के विकास व निर आवश्यक होने पर परम्परागत निणया को त्यागा जा सकता है।

विधि का एक अय समूह 'यास्यता कहलाता है, इसका निमाण भी यायाधीश ही करत है, परंतु इसका निर्माण 'वतमान विधियों की व्याख्या के रूप में नहीं बरन उनका प्रतिरिक्त" एक प्रगतिशील समाज में विधियों की अपर्याप्तता एव उनके अभाव की पूर्ति करते के लिये होता है। इसका आधार श्रेष्ठ अत करण और यास्यता (यायभावना) होता है। यहाँ यास्यता व विषय में विस्तार स वणन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि छोटे [अध्याय में उसका विस्तृत वणन किया जा चुका है।

न्यायिका—समीक्षा

महात्मक तथा अध्यक्षात्मक सरकार वाले देशों में विधायिकाओं द्वारा पारित विधियाँ अथवा कायपालिका के काया की समीक्षा तथा उनकी साविधानिकता की जाच के लिए न्यायालयों के समक्ष लाया जा सकता है। अतः ऐसे राज्यों में यायपालिका को प्रशासन की उच्चतर या सर्वोच्च शाखा एव सविधान की सरक्षिका माना जाता है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, इस पद्धति को न्यायपालिका द्वारा संचालित सरकार कहा जाता है। चूंकि अमेरिका तथा भारत में सघातक शासन का अंगीकार किया गया है अतः अमेरिका की शक्ति मिली हुई को (Duc process of law) उपवाक्य में न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिली हुई है। इस शक्ति के अंतर्गत यायपालिका कानून की दोना दृष्टियों से जाच करती है। यायपालिका यह जाच करती है कि कानून बनाने की प्रक्रिया का अनुसरण

किया गया है अथवा नहीं तथा कानून के निहिताथ क्या हाग अर्थात् 'यायपालिका प्रक्रिया तथा निहिताथ (Procedure and implications) दोनों की जाच करने का अधिकार रखती है। भारत में सर्वोच्च 'यायपालिका को सविधान के अनुसार (According to procedure established by law) शब्दों में 'यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है।

भारत में उपरोक्त शब्दों में केवल एक ही बात की जाच करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय सर्वोच्च 'यायालय केवल इसी बात की जाच का अधिकार रखता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है अथवा नहीं। उसे अमेरिकी सर्वोच्च 'यायपालिका की भांति कानून के निहितार्थों की जाच का प्राधिकार नहीं है। इस प्रकार 'यायपालिका को 'यायिक समीक्षा से सम्बन्धित शक्तियाँ भी मिली हुई हैं।

न्यायाधीश उनकी योग्यता, नियुक्ति और सेवा की दशाएँ न्यायाधीशों की योग्यताएँ

व्यापक रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि 'यायिक प्रशासन की प्रत्येक व्यवस्था में 'यायाधीशा का स्थान केन्द्रीय होता है। तथा प्रशासित 'याय की गुणशीलता 'यायाधीशा के चरित्र व उनके ज्ञान तथा उनके द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने की रीति पर निर्भर होती है। 'यायाधीश के भीतर कुशाग्र बुद्धि, विधि का विस्तृत ज्ञान, 'याय की वृत्ति, कुशल निष्पत्ति, गुरुता और सतुलन व्यक्तित्व, निष्पक्षता, ईमानदारी और स्वतंत्र चरित्र के गुण और योग्यताएँ होनी चाहियें। अतः यह आवश्यक है कि 'यायाधीशा के चयन, प्रशिक्षण और उनकी नियुक्ति के बारे में बहुत अधिक सावधानी बरती जानी चाहिये, तथा उन्हें इस प्रकार सेवा की दशाएँ प्रदान की जानी चाहियें जिससे कि वे अपने कृत्यों को निष्पक्षता, स्वतंत्रता एवं कुशलता के साथ पूरा कर सकें।

न्यायाधीशों का चयन

संसार के विभिन्न देशों में 'यायाधीशों के चयन के लिये तीन मुख्य रीतियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) विधायिका द्वारा निर्वाचन (२) जनता द्वारा निर्वाचन तथा (३) कानूनपालिका द्वारा स्वतंत्र रूप से या एक विधायी सदन अथवा समिति अथवा 'यायाधीशों के मण्डल के परामर्श द्वारा नियुक्ति।

विधायिका द्वारा निर्वाचन

यह पद्धति अर्थात् के पश्चात् कुछ काल तक अमेरिकी संघ के राज्यों में अधिक लोकप्रिय थी। इसका मुख्य कारण यह था कि एक ओर तो कानूनपालिका की सत्ता

स इर्ष्या की जाती थी दूसरी ओर जनता के प्रति अविश्वास की भावना विद्यमान थी। वर्तमान काल में यह रीति संयुक्तराज्य अमेरिका के बवल चार राज्या में प्रयोग की जाती है तथा स्विटजरलैंड में भी 'यायाधीश सघीय सभा (विधायिका) द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं।

कायपालिका द्वारा नियुक्ति

संसार के अधिकांश देशों में यही पद्धति प्रचलित है संयुक्तराज्य अमेरिका में भी समस्त सघीय-न्यायाधीशों व सघ के छ राज्या के 'यायाधीशों को नियुक्त करने के लिये यह रीति प्रयोग में लाई जाती है। उच्चतर स्तरों पर 'यायाधीशों की नियुक्ति के लिये यह रीति अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध हुई है विशेषतः उस स्थिति में जबकि कायपालिका एक समिति या 'यायाधीशों की वचके परामर्श से व उसकी सिफारिश पर 'यायाधीशों की नियुक्ति करती है। इस पद्धति को इस कारण आम-तौर से पसंद किया जाता है क्योंकि 'यायाधीशों के लिये आवश्यक विशिष्ट गुणों प्रमुख कायपालिका अधिकारी आमतौर से परख सक्ता है तथा यदि न्यायाधीशों को कोई समिति या मुख्य 'यायाधीश को 'यायाधीशों के चयन में सम्मिलित कर या जाता है तो सत्ताधारी राजनीतिक दल का प्रभाव बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावी शक्तिहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में केवल ऐसे व्यक्ति ही नियुक्ति किये जाते हैं जिनमें आवश्यक योग्यता तथा गुण होते हैं। यह हो सकता है कि व सत्ताधारी दल से सम्बन्धित हों। संयुक्तराज्य अमेरिका में सघीय न्यायाधीशों को सिनेट की सहमति से नियुक्त किया जाता है। एसा प्रतीत होता है सघाय जिला 'यायाधीशों की नियुक्ति के समय राज्यों के दलीय सगठनों व विशेष-कर सम्बन्धित राज्य के दल या सिनेटरो के दृष्टिकोण को बहुत महत्व दिया जाता है।

उनकी सेवा की शर्तें

संसार के समस्त प्रगतिशील देशों में यह अनिवार्य माना जाता है कि प्रत्येक राज्य में सेवा की दशाय इस प्रकार की हानी चाहिये जिससे कि वे अपने कृत्या को भय या पक्षपात के बिना, निष्पक्षतापूर्वक, प्रतिष्ठा, ईमानदारी, स्वतंत्रता एवं क्षमता के साथ पूरा कर सकें। इस उद्देश्य के लिये यह आवश्यक है कि 'यायाधीशों का भलो प्रकार वेतन लिया जाये उनके पद निश्चय स्थानान्तरण कायकाल तथा निवृत्ति प्रतिषेध या निवृत्ति वेतन का सतोपजनक प्रबंध हो एव उनकी सेवान्ना को समाप्त करने या उन्हें पदच्युत करने के वारे में इस प्रकार के नियम होने चाहिये जो कायपालिका की निरंकुश कायवाही से उनकी रक्षा कर सकें तथा उन्हें उससे शोधीन होने से बचा सकें।

हमारे देश में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नौ राज्यों में भी न्यायाधीशों को पदच्युत करने के लिये इसी प्रकार की प्रक्रिया का अनुकरण किया जा रहा है, वहाँ न्यायाधीशों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। यदि किसी राज्य की विधायिका राज्यपाल के सामने इस बारे में आवदन प्रस्तुत करे तो राज्यपाल न्यायाधीश को पदच्युत कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के आठ पश्चिमी राज्यों में विशेष निर्वाचन के द्वारा न्यायाधीशों के प्रत्यावर्तन की व्यवस्था है परन्तु इस पद्धति को इन राज्यों में महत्वपूर्ण न्यायिक पदों के लिये बिरले ही प्रयोग किया गया है।

दूसरी रीति महाभियोग के द्वारा पदच्युत करने की है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ-सरकार में प्रयोग किया जाता है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संघीय न्यायाधीशों तथा दूसरे नानसर्वकार के विरुद्ध देशद्रोह, घूसखोरी या अन्य महान अपराधों व कदाचार के लिये महाभियोग की कार्यवाही की जायगी। प्रिट्चर्ड ने लिखा है कि प्रतिनिधि सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाने तथा सिनेट द्वारा महाभियोग की सुनवाई के लिये न्यायालय के रूप में कार्य करने की प्रक्रिया के द्वारा न्यायाधीशों को पदच्युत करने की पद्धति में न्यायाधीशों को इस बात का पूरा अवसर प्राप्त हो जाता है कि वह अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों के विरुद्ध अपना बचाव प्रस्तुत कर सके। संघीय न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग बिरले ही किया गया है।

(क) वेतन आदि—न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी मात्रा केवल इतनी पर्याप्त ही नहीं होनी चाहिए कि वे उसके द्वारा प्रतिष्ठापूर्वक एवं आराम से रह सकें वरन् वह इतनी अधिक होनी चाहिये कि वे उसके कारण प्रलोभना से बचे रह सकें। उनके लिये पर्याप्त निवृत्ति वेतन अथवा निवृत्ति प्रतिधन की व्यवस्था भी होनी चाहिये। प्रत्येक राज्य में यह चेष्टा की जाती है कि न्यायाधीशों को वहाँ प्रचलित जीवन स्तर के अनुसार भली प्रकार वेतन आदि दिये जायें तथा सामान्यतः निवृत्ति वेतन अथवा निवृत्ति प्रतिधन को व्यवस्था भी होती है।

(ख) पद निश्चय और स्थानांतरण—न्यायिक सेवाओं में लग समस्त व्यक्तियों के पद निश्चय, स्थानांतरण आदि माध्यमों से सम्बन्धित उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये नियमों अथवा उसकी सिफारिशों के आधार पर हात है, जैसा कि भारत में होता है तथा सामान्यतः ऐसे मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होता है।

(ग) कायकाल—संयुक्तराज्य अमेरिका के उन राज्यों को छोड़कर जहाँ न्यायाधीशों का निवृत्ति काल के लिये होता है, अन्यत्र निम्न व मध्य-स्तरों पर न्यायाधीशों का कायकाल दूसरी लोक सेवाओं के समान ही आजीवन होता है और वे प्रत्येक राज्य में निवृत्ति के लिये निर्धारित आयु पर पहुँचकर निवृत्त होते हैं। हमारे देश में निवृत्ति आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गयी है। यूरोप महाद्वीप के देशों में भी उच्चतर स्तरों पर कार्य करने वाले न्यायाधीशों के बारे में यही पद्धति अपनाई जाती है। तथापि, इंग्लैंड और संयुक्तराज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सद्व्यवहार काल में ही पदासीन रहते हैं—इसका अर्थ आजीवन कायकाल या जब वे सेवा निवृत्त होना चाहें तब तक है। हमारे देश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये निवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये वह 65 वर्ष है। विरले मामलों में ही उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है, उसके लिये एक विशेष और बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है।

(घ) पदच्युत करना—जहाँ न्यायाधीशों सद्व्यवहार-काल तक सेवा करते हैं उनके बारे में का पदच्युतियाँ अपनाई जाती हैं। इंग्लैंड में तथा भारत में सदन के दोनों सदनों द्वारा राजा या राष्ट्रपति के सामने संयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने पर न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। स्पष्ट ही है कि सदन के द्वारा सदन के लिये इस प्रक्रिया को आरम्भ करना केवल तभी सम्भव है जबकि शक्ति के दुरुपयोग के कोई बहुत गम्भीर और वास्तविक मामले सामने आयें या कदाचार सिद्ध हो जाये, तथा ऐसे मामले बहुत ही विरले होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात्

हमारे देश में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नौ राज्यों में भी न्यायाधीशों को पदच्युत करने के लिये इसी प्रकार की प्रक्रिया का अनुकरण किया जा रहा है, वहाँ न्यायाधीशों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। यदि किसी राज्य की विधायिका राज्यपाल के सामने इस बारे में श्रावण प्रस्तुत करे तो राज्यपाल न्यायाधीश को पदच्युत कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के आठ पश्चिमी राज्यों में विशेष निर्वाचन के द्वारा न्यायाधीशों के प्रत्यावर्तन की व्यवस्था है परंतु इस पद्धति को इन राज्यों में महत्वपूर्ण न्यायिक पदा के लिये विरले ही प्रयोग किया गया है।

दूसरी रीति महाभियोग के द्वारा पदच्युत करने की है इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सभ सरकार में प्रयोग किया जाता है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संघीय न्यायाधीशों तथा दूसरे लोकसेवकों के विरुद्ध देशद्रोह, घूसखोरी या अन्य महान अपराधों व बर्दाचार के लिये महाभियोग की कार्यवाही की जायगी। प्रिचर्ड ने लिखा है कि प्रतिनिधि सदन द्वारा महाभियोग का आरोप उठाने तथा सिनेट द्वारा महाभियोग की सुनवाई के लिये न्यायालय के रूप में कार्य करने की प्रक्रिया के द्वारा न्यायाधीशों को पदच्युत करने की पद्धति में न्यायाधीशों को इस बात का पूरा अवसर प्राप्त हो जाता है कि वह अपने विरुद्ध लगाय गये आरोपों के विरुद्ध अपना बचाव प्रस्तुत कर सके। संघीय न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग विरले ही किया गया है।

शक्तियों का पृथक्करण

वर्तमान काल में स्वतंत्र देशों की शासन व्यवस्था तीन अंगों में विभाजित है, जिन्हें तीन शक्तियाँ भी कहते हैं। ये अंग या शक्तियाँ कार्यपालिका, विधायिका, एवं न्यायपालिका हैं। परन्तु सदैव ये ही परिस्थितियाँ नहीं रही हैं। बहुत प्राग्भिक काल में शासन का एकमात्र कार्यकारण था तथा उनका अथ आज की अक्षा अधिक व्यापक समझा जाता था। उस समय विधियों का निमाण करना शासन का कार्य नहीं माना जाता था। विधियाँ या तो विधि निर्माताओं द्वारा बनाई जाती थी या वे प्राचीन प्रथाएँ होती थी जो दीव काल तक प्रचलित रहने या जनता द्वारा परिपालन किये जाने के कारण विधि का रूप ले लेती थी। उस समय शासन के कार्यकारी कार्य को उसका प्रमुख एवं सर्वोच्च कार्य माना जाता था। इसमें झगड़ों की सुनवाई करने एवं उन्हें तय करने, अपराधों के लिये दंड देने तथा पुरस्कार एवं दंड लागू कराने की शक्ति भी सम्मिलित है। धीरे धीरे समार के अधिकांश आधुनिक देशों के शासन का उपरोक्त तीन अंगों में विभाजित कर दिया गया तथा यह सामान्य धारणा उत्पन्न हुई कि व्यक्ति के हितों के लिए यह अनिवार्य है कि वे तीनों शक्तियाँ पृथक् पृथक् हाथों में सौंपी जायें तथा उन्हें किसी एक ही व्यक्ति या निकाय के हाथों में केन्द्रित न किया जाये।

शासन के तीन अंगों या शक्तियों में विभाजन एवं पृथक्करण अथवा तीनों शक्तियों को पृथक् निकायों में निहित करने की योजना न इंग्लैंड एवं फ्रांस में नागरिक-स्वतंत्रताओं के लिए होने वाले संघर्ष के समय अधिक महत्त्व प्राप्त कर लिया तथापि, शासन के विविध कार्यों या शक्तियों का अस्तित्व उस समय से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था। उदाहरणार्थ अरस्तू ने अपने ग्रन्थ "पॉलिटिक्स" में शासन के विचारगत्मक कार्यपालनात्मक एवं न्याय-संबंधी कार्यों

के बीच भेद किया है।¹ उसके अनुसार शासन के विचारात्मक काय का क्षेत्र आधुनिक विधायिका के क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। वह "युद्ध, शांति, मधि, विधि निर्माण, वित्त, मृत्यु-दण्ड देश निष्ठासत अथवा सम्पत्ति का जन्त किया जाना आदि प्रश्नों के साथ सम्बन्धित था।" अरस्तू ने जिन अथ दो अगो का उल्लेख किया है वे माटे तौर पर आधुनिक कायपालिका एवं यायपालिका के कार्यों के समतुल्य माने जा सकते हैं। इसी प्रकार का भेद पानीवियस, सिसरो तथा यूनान एवं रोम के अथ राजनीतिक लेखका न भी किया था तथापि इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि प्राचीन यूनान या रोम में व्यवहार में शक्तिया का कोई निश्चित पृथक्करण विद्यमान था। वास्तव में एकलौसिया (सभा) ही ऐथेंस नगरराज्य में तीनों शक्तिया का प्रयोग करती थी तथा रोम में सीनेट का विधायी एवं कायकारी दानो सत्तापे प्राप्त थी। यह सत्य है कि पानीवियस यह मानता था कि रोमा सविधान में अथराथ एवं सतुलन का सिद्धान्त निहित था। उसके मतानुसार सीनेट काउंसिल तथा ट्रिब्यूस के मध्य सत्ता का मतुलन था।

मध्ययुग में शासन के विविध कार्यों के मध्य कोई भेद नहीं किया जाता था तथा समस्त शक्तिया 'सम्राट' के व्यक्तिव में निहित मानी गई थी।

आधुनिक काल के आरम्भ में वादा ने शासन के विविध कार्यों के बीच भेद किया तथा उसने इस बात पर विशेष रूप स बल दिया कि यायपालिका को कायपालिका से पृथक् रखा जाना चाहिए। वादा ने यह तक दिया कि यदि सम्राट विधि निर्माता और यायाधीश दोनों हो ता उसका परिणाम यह होगा कि निदयी राजा निदयतापूर्वक दण्ड देगा तथापि फ्रांस में 18 वीं शताब्दी के मध्य तक, निरकुश सम्राटा का शासन चलना रहा तथा माटेस्क्यू ने शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर शक्तिया का पृथक्करण के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।

आरम्भ में माटेस्क्यू ने शासन के तीन कार्यों के बीच भेद स्पष्ट किया। अपने ग्रंथ 'स्पिरिट ऑव दी लॉज' में द्वितीय सविधान का विश्लेषण करते हुए उसने लिखा है कि प्रत्येक शासन व्यवस्था में तीन प्रकार की शक्तिया होती हैं। विधायी शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर निर्भर मामला के बारे में कायपालिका शक्ति तथा राष्ट्रीय विधि पर आधारित मामला के बारे में कायपालिका शक्ति। पहले के अनुसार, राजा या शासन अस्थायी या म्यायी विधिया बनाता है, एवं पहले से ही प्रचलित विधिया का सशाधित तथा रद्द करता है। दूसरे के अनुसार वह युद्ध अथवा शान्ति की स्थापना करता है राजदूत भेजना एवं स्वीकार करता है सावजनिक सुरक्षा की स्थापना करता है तथा प्रतिरक्षा का प्रबंध करता है। तीसरे के अनुसार वह अपराधिया का दंड दता है अथवा व्यक्तियों के बीच पैदा होने वाले भगडा का निणय करता है। इस अंतिम सत्ता को यायकारी सत्ता कहा जा सकता है तथा दूसरी शक्ति को राज्य की कायपालिका सत्ता मात्र।²

शक्तियों का पृथक्करण

वर्तमान काल में स्वतंत्र देशों की शासन व्यवस्था तीन अंगों में विभाजित है, जिन्हें तीन शक्तियाँ भी कहते हैं। ये अंग या शक्तियाँ कार्यपालिका, विधायिका, एवं न्यायपालिका हैं। परन्तु सर्वत्र ये ही परिस्थितियाँ नहीं रही हैं। बहुत प्राग्-म्भिक काल में शासन का एकमात्र कार्य कार्यकारी था तथा उनका अर्थ आज की अरुक्षा अधिक व्यापक समझा जाता था। उस समय विधियों का निर्माण करना शासन का कार्य नहीं माना जाता था। विधियाँ या तो विधि निर्माताओं द्वारा बनाई जाती थी या वे प्राचीन प्रथाएँ होती थी, जो दीर्घ काल तक प्रचलित रहने या जनता द्वारा परिपालन किये जाने के कारण विधि का रूप लेती थी। उस समय शासन के कार्यकारी कार्य को उसका प्रमुख एवं सर्वोच्च कार्य माना जाता था। इसमें भगदोरों की सुनवाई करना एवं उन्हें तय करने अपराधों के लिये दंड देने तथा पुरस्कार एवं दंड लागू करने की शक्ति भी सम्मिलित है। धीरे-धीरे समय के अधिकांश आधुनिक देशों के शासन का उपरोक्त तीन अंगों में विभाजित कर दिया गया तथा यह सामान्य धारणा उत्पन्न हुई कि व्यक्ति के हितों के लिए यह अनिवार्य है कि वे तीनों शक्तियाँ पथक-पथक हाथों में सौंपी जायें तथा उन्हें किसी एक ही व्यक्ति या निकाय के हाथों में केन्द्रित न किया जाय।

शासन के तीन अंगों या शक्तियों में विभाजन एवं पृथक्करण अथवा तीनों शक्तियों को पथक निकायों में निहित करने की योजना ने इंग्लैंड एवं फ्रांस में नागरिक-स्वतंत्रताओं के लिए होने वाले संघर्ष के समय अधिक महत्व प्राप्त कर लिया तथापि शासन के विविध कार्यों या शक्तियों का अस्तित्व उस समय से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था। उदाहरणार्थ अरस्तू ने अपने ग्रन्थ पोलिटिक्स में शासन के विचारात्मक कार्यपालनात्मक एवं न्याय संबंधी कार्यों

के बीच भेद किया है।¹ उनके अनुसार शासन के विचारात्मक काय का क्षेत्र आधुनिक विधायिका के क्षेत्र की अपक्षा कही अधिक विस्तृत था। वह "शुद्ध, शक्ति, सधि, विधि निर्माण, वित्त, मृत्यु-दंड, देश निष्वासन अथवा सम्पत्ति का जब्त किया जाना आदि प्रश्नों के साथ सम्बन्धित था।" अरस्तू न जिन अग्र्य दो अग्रे का उल्लेख किया है वे माटे तौर पर आधुनिक कायपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों के समतुल्य मान जा सकते हैं। इसी प्रकार का भेद पालीवियस, सिसरो तथा यूनान एवं रोम के अग्र्य राजनीतिक लेखकों ने भी किया था तथापि, इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि प्राचीन यूनान या रोम में व्यवहार में शक्तिया का कोई निश्चित पृथक्करण विद्यमान था। वास्तव में एक्लीसिया (सभा) ही ऐसी नगरराज्य में तीनों शक्तिया का प्रयोग करती थी तथा रोम में सीनेट को विधायी एवं कार्यकारी दोनों सत्तार्यें प्राप्त थी। यह मूल्य है कि पालीवियस यह मानता था कि रोमी सविधान में अथवा एव सतुलन का सिद्धान्त निहित था। उसके मतानुसार सीनेट काउंसिल तथा ट्रिब्यूस के मध्य सत्ता का सतुलन था।

मध्ययुग में शासन के विविध कार्यों के मध्य कोई भेद नहीं किया जाता था तथा समस्त शक्तिया "सम्राट" के व्यक्तित्व में निहित मानी गई थी।

आधुनिक काल के आरम्भ में बोदा ने शासन के विविध कार्यों के बीच भेद किया तथा उसने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् रखा जाना चाहिए। वादा ने यह तर्क दिया कि यदि सम्राट विधि निर्माण और न्यायाधीश दोनों हो तो उसका परिणाम यह होगा कि निदयी राजा निदयतापूर्वक दण्ड देगा तथापि फ्रान्स में 18 वीं शताब्दी के मध्य तक निरकुण सम्राटों का शासन चलता रहा तथा माटेस्क्यू ने शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर शक्तिया के पृथक्करण के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।

आरम्भ में माटेस्क्यू ने शासन के तीन कार्यों के बीच भेद स्पष्ट किया। अपने ग्रन्थ 'स्पिरिट ऑफ दी लाज' में ब्रितानी सविधान का विश्लेषण करते हुए उसने लिखा है कि, प्रत्येक शासन व्यवस्था में तीन प्रकार की शक्तिया होती हैं। विधायी शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय विधि पर निर्भर मामलों के बारे में कार्यपालिका शक्ति तथा राष्ट्रीय विधि पर आधारित मामलों के बारे में कार्यपालिका शक्ति। पहले के अनुसार, राजा या शासक अस्थायी या स्थायी विधिया बनाना है, एवं पहले से ही पंचलित विधिया को सशोधित तथा रद्द करता है। दूसरे के अनुसार वह युद्ध अथवा शान्ति की स्थापना करता है राजदूत भेजता एवं स्वीकार करता है, सार्वजनिक सुरक्षा की स्थापना करता है तथा प्रतिरक्षा का प्रयोग करता है। तीसरे के अनुसार वह अपराधियों का दंड देता है अथवा व्यक्तियों के बीच पैदा होने वाले झगड़ों का निपटारा करता है। इस अंतिम सत्ता को कार्यकारी सत्ता कहा जा सकता है तथा दूसरी शक्ति को राज्य की कार्यपालिका सत्ता मानें।

यहां वान ध्यान देने योग्य है कि तीनों शक्तियां वा प्रयाग माटेस्व्यू के अनुसार राजा या शासक स्वयं ही करता था परंतु उसके कार्य तीन भिन्न प्रकार के थे। माटेस्व्यू के ग्रंथ के लेखक सामान्यतया शासन के कार्यों के इस त्रिविध विभाजन को मानने रहे हैं। जर्मनी के ब्लुसली तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के जे० जे० डेसले आदि कुछ विचारकों ने विधायी एवं कार्यकारी कार्यों को अनेक पथक पथक कार्यों में विभाजित करके अधिक विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर कुछ आधुनिक फ्रेंच लेखकों ने शासन को कार्यपालिका एवं विधायिका केवल दो भागों में ही विभाजित किया है और वे आगे जाकर कार्यपालिका को पुनः तीन शाखाओं में विभाजित करते हैं। विशुद्ध कार्यपालिका प्रशासकीय एवं न्यायपालिका। आधुनिक काल में सामान्यतया वह वर्गीकरण मान्य है जो शासन के कार्यों को तीन शक्तियां—कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका में विभाजित करता है।

शक्तियों के पृथक्करण के बारे में माटेस्व्यू का सिद्धान्त

शासन के तीन भिन्न कार्यों के बीच भेद करने के बाद माटेस्व्यू ने अपने समकालीन फ्रांस एवं अन्य यूरोपीय देशों की दशा की तुलना इंग्लैंड की दशा के साथ की तथा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यूरोपीय महाद्वीप के देशों में व्यक्तियों की स्वतंत्रता एवं अन्य अधिकार इस कारण सुरक्षित नहीं थे क्योंकि वहां तीनों शक्तियां सम्राट के हाथ में केन्द्रित थीं। दूसरी ओर इंग्लैंड की जनता अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपभोग कर रही है क्योंकि वहां सम्राटकी सत्ता सीमित थी। संसद विधि निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च है, न्यायपालिका भी कार्यपालिका एवं विधायिका से पृथक एवं स्वतंत्र है। इसी आधार पर माटेस्व्यू ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि यदि जनता की स्वतंत्रता एवं हितों की रक्षा करनी है तो शासन की तीनों शक्तियां पृथक होनी चाहिए। उसमें लिखा कि—

‘प्रजा की राजनीतिक—स्वतंत्रता एक प्रकार की मानसिक शांति है जिसका जन्म व्यक्ति में उस समय होता है जब कि उसे अपनी सुरक्षा के विषय में भरोसा होता है। इस स्वतंत्रता का प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि शासन का निर्माण इस प्रकार से हो कि एक मनुष्य दूसरे से न डरे।

‘जब विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियां एक ही व्यक्ति या शासकों के एक ही निकाय को दे दी जाती हैं तो स्वतंत्रता नहीं रह सकती क्योंकि उस स्थिति में यह आशंका पैदा हो सकती है कि एक ही राजा या मिनट निरंकुश विधियां बना कर उन्हें निरंकुशतापूर्वक लागू कर सकता है।

‘यदि न्यायपालिका शक्ति का विधायिका एवं कार्यपालिका से पृथक नहीं किया जाता तो भी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। यदि उस विधायिका के माध्य

मिला दिया जाए तो प्रजा का जीवन एवं उसकी स्वतंत्रता निरकुश नियंत्रण के आधीन हो जायेगी क्याकि 'यायाधीश ही विधि निर्माता बन जायेगा। यदि उसे कायपालिका के साथ मिला दिया जाये तो 'यायाधीश हिंसा एवं उत्पीडन का व्यवहार कर सकते है।

“यदि एक ही व्यक्ति या एक ही निवाय, चाहे वह सामंती का हो या जनता का हा, इन तीनों शक्तिया का प्रयोग करने लग जाय, अर्थात वही विधिया बनाये, वही उनका पालन कराए तथा वही व्यक्तिया के मुकदमो का तय कर ता सब कुछ समाप्त हो जायेगा।”

एमा प्रतीत हाता है कि माटेस्क्यू न ब्रितानी शासन पद्धति को पूरी तरह नही समझा तथा उसने मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली की उपेक्षा की, जो कि उस समय एक निश्चित रूप ले रही थी। अत उसने यह अनुभव नही किया कि इंग्लड मे नायपालिका ससद के समक्ष आधीन एवं उसके प्रति उत्तरदायी है पृथक् एवं स्वतंत्र नही। साथ ही उसके सिद्धान्त न शीघ्र ही व्यापक समर्थन एवं लोक-प्रियता प्राप्त कर ली तथा ब्रिटेन के तेरह अमेरिकीय उपनिवेशो न अपनी स्वतंत्रता की घोषणा पर उस सिद्धांत का सधीय एवं राज्या के सविधाना म मूल रूप देने की चेष्टा की। मेस्सेचुसटस क सविधान (1780 ई०) म कहा गया ह कि, “विधायी विभाग कभी भी कायपालिका एवं 'यायपालिका शक्तिया या दोना मे से किसी शक्ति का प्रयोग नही करेगा तथा कायपालिका कभी भी विधायिका एवं 'यायपालिका की शक्तिया या दोना मे से किसी शक्ति का प्रयोग नही करेगी, जिसमे कि विधिया का शासन स्थापित हो सके मनुष्या का नही।’ फ्रांस म 1789 ई० के वाद जारी किये गये 'अधिकारों के प्रापणा पत्र' के 16 वे अनुच्छेद म कहा गया है कि — 'जिस समाज म शक्तिया का पृथक्करण नही किया गया है, उस समाज का कोई सविधान नही हा सकता।’ 1791 ई० क फ्रांसिसी सविधान ने कायपालिका एवं विधायिका का एक दूसरे से स्वतंत्र बना दिया था तथा 'यायाधीश भी निर्वाचित एवं स्वतंत्र हाते थ।³

व्यवहार मे इस सिद्धान्त का सशोधन

18 वी शताब्दी के अंतिम चतुथांश म लोकतांतात्मक आदर्श म शक्तिया क पृथक्करण के सिद्धान्त का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। इसके भीतर एवं मौलिक सत्य निहित है कि जनता के अधिकारों एवं उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये यह अनिवार्य है कि 'यायपालिका केवल निष्पक्ष, ईमानदार एवं विधि कुशल ही नही बरन वह पृथक्, स्वतंत्र तथा कायपालिका एवं विधायिका के नियंत्रण से मुक्त भी होनी चाहिये। वास्तव म, यह भी आवश्यक है कि 'यायाधीशा की नियुक्ति तथा उनमे से जो भ्रष्टाचारी है या जो अपना काम समुचित रूप से करने के लिये

असमय ही, ऐसी व्यक्तिता को हटाने के लिये कोई प्रयत्न होना चाहिए तथापि यह बात अब व्यापक तौर पर स्वीकार कर ली गई है कि 'यायपालिका श्रेय' का अग्रा में पथक एवं स्वतंत्र होनी चाहिए।

यह नहीं कहा जा सकता कि कायपालिका एवं विधायिका की स्वतंत्रता के बारे में तथा इन दो अंगों के मध्य क्या सम्बन्ध होना चाहिए। यह कहा जा चुका है कि शासन एक साव्यव रूपाई है तथा यह सम्भव नहीं है कि उसके विविध अंगों को पथक एवं स्वतंत्र रखा जा सके। 'यायपालिका' के बारे में यद्यपि यह स्वीकार किया गया है कि उसे जहाँ तक सम्भव हो अधिक-से अधिक स्वतंत्र रखा जाय तथापि ऐसे अनेक अवसर आते हैं जिनमें उसका सम्पर्क कायपालिका एवं विधायिका के साथ होता है तथा इन तीनों में पारस्परिक हस्तक्षेप भी होता है। उदाहरण के लिए यद्यपि 'यायाधीश' का कायकाल स्यायी होता है तथापि उसकी नियुक्ति सामान्यतया कायपालिका के द्वारा की जाती है कायपालिका का दया के नाम पर क्षमा प्रदान करने का अधिकार भी होता है। इसका परिणाम यह होता है कि दया, 'यायरूपता' एवं कानूनी 'याय' की अपेक्षा साम्प्रतिक 'याय' का आडम न्यायाधीशों के निणया का कायपालिका द्वारा उलट दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन देशों में विधि शासन प्रचलित होता है वहाँ शासकीय अधिकारियों पर अपने कर्तव्यपालन के सिद्धांतों में किए गए कार्यों के लिए प्रशासकीय 'यायानयो' की अपेक्षा देश के साधारण 'यायालयों' में ही मुकदम चलाये जाते हैं। विधायिका द्वारा निर्माण की जाने वाली विधियों की व्याख्या एवं उनको लागू करने का काम न्यायालय करते हैं। अतः इस काम के सिद्धांतों में वे कभी-कभी उनमें वृद्धि कर देते हैं। इस प्रकार 'यायाधीशों' द्वारा निर्मित विधियों का जन्म होता है। यदि विधियों की 'यायालयों' द्वारा की जाने वाली व्याख्या विधायिका की इच्छाओं के विपरीत हो या उससे विधि के कुछ दाप या अभाव प्रकट होते हों तो विधायिका उन विधियों को सशोधित या परिवर्द्धित कर सकती है अथवा उन विषयों में नई विधियों का निर्माण कर सकती है। मधीय या अध्यात्मिक शासन पद्धति वाले राज्यों में 'यायपालिका' का यह अधिकार होता है कि वह विधियों तथा कायपालिका के कार्यों एवं आदेशों की विहितता के बारे में निणय करे। इस प्रकार कुछ रीतियों से 'यायपालिका' एवं अन्य दाना अंग एक दूसरे का प्रभावित करते हैं।¹⁴

यह अनुभव किया गया है कि कायपालिका एवं विधायिका के सम्बन्ध न्यायपालिका के साथ सरकार के श्रेय का अग्रा के सम्बन्धों की अपेक्षा वहाँ अधिक घनिष्ठ है तथा उनके कार्य वही अधिक आपस में सम्बन्धित व एक-दूसरे पर निर्भर हैं। यदि विधायिका ऐसी विधि बनाने से मना कर दे जाय कायपालिका की दृष्टि में बहुत आवश्यक है या वह आर्य के साधना अथवा कायपालिका द्वारा प्रस्तावित व्यय की भागा को अस्वीकार कर दे तो कायपालिका उस स्थिति में कोई कार्य ही

नहीं कर सकती। विधायिका भी कायपालिका के सहयोग के बिना अपना काम नहीं कर सकती क्योंकि कायपालिका को ही यह पता होता है कि राज्य की विधियों में क्या परिवर्तन होने चाहिए तथा किन नई विधियों को पारित किया जाना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक 'रिप्रेजेण्टेटिव गवर्नमेंट' में लिखा है कि यदि शासन का एक विभाग दूसरे विभाग से पूर्णतया पृथक् कर दिया जाये तो उसका परिणाम यह होगा कि विभाग विपरीत लक्ष्य के लिए कार्य करने लगेंगे तथा प्रशासकीय-क्षमता का ह्रास होगा। विशेषकर जहाँ कायपालिका एवं विधायिका के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं अथवा उनमें राजनीतिक मतभेद है वहाँ ऐसा होना निश्चित है। "जान बूझकर या बिना जाने-बूझे कायपालिका राज्य की विधियों का पालन उस भावना से नहीं करायेंगी जिस भावना में उनका निर्माण किया गया था।"

संयुक्तराज्य अमेरिका में कायपालिका को विधायिका से पृथक् करके एक दोना का स्वतंत्र तथा सत्ता में समान बनाये रखने की चेष्टा की गई है। वहाँ शासन व्यवस्था को क्षुब्ध होने से बचाने में दलीय व्यवस्था महत्वपूर्ण कार्य करती है दल कायपालिका एवं विधायिका के मध्य सम्बन्ध की स्थापना करता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कायपालिका एवं विधायिका मध्यमपूर्ण पृथक्करण नहीं है। राष्ट्रपति कांग्रेस के नाम सदेश भेजता है तथा कभी-कभी स्वयं वहाँ भाषण भी देता है साथ ही उसे विधियों के बारे में सीमित निषेधाधिकार भी प्राप्त है। वह सिनेट की एक समिति के साथ विचार विमर्श करके विदेशी सम्बन्धों का संचालन करता है तथा राष्ट्रपति द्वारा की गई अनेक नियुक्तियाँ वरिष्ठ सिनेट द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के द्वारा की गई सधियाँ कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर ली जाने पर ही लागू की जाती हैं।¹⁵

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के विषय में एक अन्य बात की धोरण का ध्यान दिनाया जा सकता है। माटेस्व्यू ने यह मान लिया था कि तीनों शक्तियाँ का स्तर एवं समान हैं तथा उनकी सत्ता भी समान है। परन्तु व्यवहार में वैसे नहीं है। ससदात्मक शासन पद्धति वाले देशों में विधायिका की उच्चता तथा जनता की प्रतिनिधि होने के नाते उसकी सर्वोपरिता को व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है। वस्तुतः बलुश्ली इन्से भी आगे निकल गया है। वह कहता है कि "जिस प्रकार पूर्ण ईकाई अपने किसी अंग या सदस्य से कुछ-न-कुछ अलग होती है उसी प्रकार विधायी सत्ता अन्य किसी विशेष सत्ता की अपेक्षा उच्च होती है।" मिल थ्राइस्ट का मत है कि "विधायिका की सत्ता वित्तीय-सत्ता के कारण विजेट सिद्ध हो जाती है। चाहे सैद्धान्तिक दृष्टि से कायपालिका कितनी भी स्वतंत्र हो वित्तीय व्यवस्था पर अपने नियंत्रण के द्वारा विधायिका उसकी शक्ति का सीमित तथा नियंत्रित करती है। इसके अतिरिक्त अध्यक्षतात्मक या सघात्मक देशों में

न्यायपालिका का कार्यपालिका एवं विधायिका की अपेक्षा विलक्षण तथा उच्चतर स्थान प्राप्त होता है। गिलक्रास्ट ने कहा है कि, "क्याकिं सर्वैधानिक विधि (सविधि) साधारण विधि की अपेक्षा उच्चतर होती है अतः न्यायालय को यह नियंत्रण करना होता है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्य असाधारणिक तो नहीं हैं अर्थात् वे विधायिका की हैं। वैधानिक क्षमता के भीतर हैं या नहीं। यही बात न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के सम्बन्ध के बारे में भी सही है। वास्तव में न्याय का तत्त्व इतना सर्वव्यापक है कि पूर्ण पृथक्करण सम्भव ही नहीं है।

अतएव व्यवहार में शक्तिशास्त्र के पृथक्करण के सिद्धान्त का सशोषित करना पडा है। तथा वर्तमान समय में केवल इस बात पर ही आग्रह किया जाता है कि न्यायपालिका को जहाँ तक सम्भव हो सके अधिनतम स्वतंत्रता दी जाये।

शक्ति पृथक्करण के साथ नियंत्रण एवं सन्तुलन का सिद्धान्त

जैसा कि कहा जा चुका है पूर्ण शक्ति पृथक्करण न सम्भव ही है और न ही आवश्यक। सरकार एवं सावयवी की भाँति कार्य करती है अतः सरकार के तीनों अंगों में कार्य विभाजन रखने हुए भी यह आवश्यक है कि इनमें परस्पर सम्बन्ध और समक सूत्र इस प्रकार बनाया रखा जा सके जिससे वे एक दूसरे पर नियंत्रण एवं सन्तुलन बनाये रख सकें। शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को एक अर्थ सिद्धान्त, नियंत्रण एवं सन्तुलन के सिद्धान्त के साथ समुक्त कर इस व्यावहारिक स्वरूप प्रदाया गया है जिससे शक्तियों के पृथक्करण होने से होने वाली हानियों से रक्षा जा सके तथा शासन के प्रत्येक अंग को एक दूसरे पर भी इस प्रकार नियंत्रण कर दिया जावे जिससे कोई भी अंग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहत हुए मनमानी नहीं कर सके। इससे शासन के विभिन्न भाग एक-दूसरे से सन्तुलित हो जाते हैं क्योंकि किसी भी अंग के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग दूसरे अंग के नियंत्रण से रोक दिया जाता है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को नियंत्रण एवं सन्तुलन के सिद्धान्त के साथ अमली जामा सर्वप्रथम अमेरिकी राजनीति की व्यवस्था में पहनाया गया है। कार्यपालन सम्बन्धी कार्यों का दायित्व कार्यपालिका (राष्ट्रपति) का, विधायन सम्बन्धी कार्य विधायिका (कांग्रेस) तथा न्यायपालन सम्बन्धी शक्तिशास्त्र का ब्योरा सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। लेकिन इस कार्य विभाजन के बावजूद भी तीनों अंग एक-दूसरे पर नियंत्रण रखत हुए सन्तुलन की स्थिति बनाये रखते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का कार्य है शासन का संचालन करने के लिए उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना, बाहरी देशों के साथ संधि एवं समझौते करना, लेकिन इस सब में राष्ट्रपति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है उसे इन नियुक्तियों, संधियों तथा समझौतों पर सीनेट की स्वीकृति लेनी होती है। इसी प्रकार कांग्रेस का कार्य है विधान निर्माण लेकिन कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति

क हस्ताक्षरो के कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। कांग्रेस द्वारा बनाये गये विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर अपना नियंत्रण स्थापित करता है इससे कांग्रेस जो चाहे कानून नहीं बना सकती। इसी प्रकार व्यवस्थापिका एव कायपालिका दोनों पर नियंत्रण सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा रखा जाना है। इस प्रकार अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण एव सतुलन के सिद्धान्त को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान कर व्यक्ति की स्वतंत्रता के सद्भ में सोचा गया है।

शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त में नवीन प्रवृत्तिया—

लेसली लिपसन^१ (Leslie Lipson) एव एम० जे० सी० वाइले^२ (M J C Ville) ने कहा है कि आज के सद्भ में शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त पुराना (Out dated) पड़ गया है। आज शक्तियों के पृथक्करण का परिवेश, परिस्थितिया एव संरचनाएं बदल गयी हैं। इसका प्रारम्भिक स्वरूप आज समाप्त हो गया है अथवा वैसे नहीं रह गया है जैसा कि पहले था। इसीलिए एम० जे० सी० वाइले का कहना है कि 'शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त आज भी किसी न किसी रूप में बना हुआ है परन्तु जिन धारणाओं पर वह आधारित है वे धारणाएं पुरानी पड़ गयी हैं।' संक्षेप में आज शक्ति पृथक्करण का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। इस सद्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को 'आउट डेटेड' (Out dated) बना दिया है। यहाँ हम उन कारणों का उल्लेख करना उचित समझेंगे जिन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को पुराना बना दिया है। वाइले एव लेसली लिपसन ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त के स्वरूप में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया है—

- 1 एम० जे० सी० वाइले एव लिपसन दोनों की ही भावना है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को सबसे ज्यादा धक्का राजनीतिक दलों ने पहुँचाया है। जब राष्ट्रपति जिस दल का प्रतिनिधि होता है और यदि उसी दल का बहुमत कांग्रेस में है तो जैसा राष्ट्रपति कहता है कांग्रेस मान लेती है और जैसा कांग्रेस कहती है राष्ट्रपति वैसे ही कर देता है। अतः शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त मूलतः इस बात पर आधारित था कि विधायिका एव कायपालिका में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। दोनों एक-दूसरे पर नियंत्रण रखते हुए सतुलन अवश्य स्थापित करें परन्तु उनमें आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होने चाहिए परन्तु आज व्यवहार में स्थिति उस समय परिवर्तित हो जाती है जब राष्ट्रपति का दल वही हो जिसका कांग्रेस में बहुमत है। अतः राजनीतिक दलों ने

कायपालिका एवं व्यवस्थापिका को जोड़ दिया है। इसका अति शक्तिशाली पृथक्करण के सिद्धान्त को सीनेट की मोहाद्रता (Senatorial courtesy) जैसी विकसित परम्पराओं ने भी सुकमान पहुँचाया है।

2. नेसली लिपसन का यह भी कहना है कि आज सरकार के तीन परम्परागत अंगों (विधायिका, कायपालिका एवं न्यायपालिका) की अपेक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनौपचारिक अंग अथवा शाखा विकसित हो गयी है जिसे इन तीनों अंगों की अपेक्षा वही अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। सरकार के तीनों अंगों की क्रियाशीलता भूमिका एवं महत्ता इसी शाखा की क्रियाशीलता भूमिका एवं महत्ता पर निर्भर करती है। इसीलिए लाड ह्यूबर्ट ने कहा है कि आज नौकरशाही अपने विशेष ज्ञान व कारण व्यवस्थापिका, कायपालिका एवं न्यायपालिका पर छाते लगी है।⁹ अतः आज सरकार के इन तीनों परम्परागत अंगों की अपेक्षा नौकरशाही का महत्त्व काफी अधिक बढ़ गया है और यहाँ तक कि तीनों अंगों बिना नौकरशाही की सहायता के कोई कार्य सम्पादित नहीं कर सकते।
3. लिपसन का यह भी कहना है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त मूलतः तीनों अंगों की समान शक्ति के सिद्धान्त पर आधारित था अर्थात् शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त की मान्यता है कि तीनों अंगों की शक्तियाँ समान हैं अतः तीनों अंगों को अलग-अलग कार्यों का सम्पादन करना चाहिए। तीनों अंग एक-दूसरे से स्वतंत्र रहने चाहिए तथा किसी भी अंग को दूसरे अंगों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अतः परम्परागत शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त यह मानकर चलता है कि सरकार के तीनों अंगों की शक्तियाँ समान हैं लेकिन आज राजनीति विज्ञान की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों ने विषय में अनेक श्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिये हैं। आज एक ओर व्यवस्थापिका की शक्तियाँ घट रही हैं।¹⁰ तथा दूसरी ओर कायपालिका की शक्तियाँ में भारी वृद्धि हो रही है।¹¹ अतः जिस आधारशिला पर, कि सरकार के तीनों अंगों की शक्तियाँ समान होनी चाहिये आज वह आधारशिला ही समाप्त होती जा रही है। अतः कायपालिका शक्तियों में वृद्धि तथा विधायिका के कार्यों में कमी ने भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को पुराना बना दिया है।

- 4 मरकार को एक मावयवी (Organic) कहा जाता है अतः चूँकि सरकार एक सावयवी है अतः सावयवी के अंग एक-दूसरे से जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर होने चाहिये। यही स्थिति विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की है। सरकार के यतीना अंग अपने कार्यों के निष्पादन में एक-दूसरे पर इतने अधिक् निर्भर रहन लगे हैं कि उनका पृथक्करण करना अप्रावृत्तिक होगा। अतः आज आवश्यकता शक्तियों के पृथक्करण की नहीं अपितु उनमें महयोग एवं समन्वय स्थापित करने की है। आज सरकार की संस्थाओं एवं संरचनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आज महत्त्व इस बात का है कि वास्तविक राजनीतिक प्रक्रियाएँ किस प्रकार की हैं? अतः आज सरकार के अंग अथवा संरचनाएँ मात्र औपचारिक बनकर रह गयी हैं। आज संस्थाओं व संरचनाओं के स्थान पर प्रक्रियाओं की प्रधानता के कारण आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में शक्तियों के पृथक्करण का वही स्थान ही नहीं रह जाता है।
- 5 इसी प्रकार इस मन्दम में लमली लिपसन का कहना है कि आज निणय लेना बहुत अधिक् जटिल हो गया है (Complexities of the decision making) तथा उनका क्रियान्वयन उससे भी अधिक् दुष्कर हो गया है। परम्परागत दृष्टिकोण के अनुसार निणय लेना, नीति निर्माण करना तथा योजनाओं का निर्माण करना विधायिका का कार्य था लेकिन आज निणय प्रक्रिया की जटिलता के कारण तथा निणय लेने तथा निणय को क्रियान्वित करने के लिए एक विशेष प्रकार की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त निणय लेने एवं निणय का सम्यक् क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं, इसकी जाच के लिए विशेषज्ञता के साथ-साथ पर्याप्त समय की अपेक्षा होती है। विधायिका के पास न तो इतनी विशेषज्ञता ही है और न ही इतना समय कि वह उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में सकारात्मक कदम उठा सके। अतः आज सरकार के सभी अंग नौकरशाही के साथ निणय लेने में मलग्न हैं।
- 6 तार्किक दृष्टिकोण से भी परीक्षण करने से परिणामतः हाना है कि शक्ति पृथक्करण के मिडान्त का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों के लक्ष्य सामान्य होते हैं। चाहे सरकार किसी भी ढंग की बने, समाज एवं सरकार के

लक्ष्या में कोई विशेष अन्तर नहीं रह सकता। अतः लोकतांत्रिक शासनात्मक सरकार के विभिन्न अंग एक दिशा में जाने के लिए प्रेरित हों, इसके लिए पृथक्करण अनावश्यक हो जाता है। चूँकि सरकार के सभी अंगों के उद्देश्य सामान्य हैं अतः उनमें शक्ति पृथक्करण करना तत्सम नहीं होगा।

- 7 एम० जे० सी० वाइले का कहना है कि आज शक्ति-पृथक्करण से सम्बन्धित अवधारणा में भी परिवर्तन हो चुका है। शक्ति-पृथक्करण का सिद्धांत मूलतः जिस "शक्ति" की अवधारणा पर आधारित था आज उस "शक्ति" का ही अर्थ बदल गया है। आज शक्ति का केवल राजनीतिक पहलू ही नहीं अपितु आज इसके सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि स्वरूप विकसित हो गये हैं। आधुनिक प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में राज शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण शक्ति जन शक्ति हो गयी है जिसके सामने सभी प्रकार की शक्ति का भी झुकना पड़ता है। यहाँ तक कि जन शक्ति की अवहेलना ज्यादा समय तक तानाशाही-व्यवस्था में भी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त आजकल जन शक्ति के अतिरिक्त एक अन्य शक्ति का भी अस्तित्व हो गया है जिसके समक्ष सभी प्रकार की जन शक्ति को भी झुकना पड़ता है और वह है आर्थिक शक्ति। इसके द्वारा राजनीतिक शक्ति का भी नियंत्रण एवं निर्देशन होता है।

इस प्रकार अनेक कारणों ने आज शक्ति-पृथक्करण की जगह शक्ति सहयोग एवं शक्ति समन्वय की भावना को पैदा कर दिया है जिससे शक्ति पृथक्करण का परम्परागत सिद्धांत पुराना-सा पड़ गया है।

पाद टिप्पणी

- 1 अरस्तु दि पॉलिटिक्स (टांसलेटड) अरनस्ट वाकर, न्यूयाक, ब्राक्सफोर्ड प्रेस 1946 बुक IV
- 2 मोण्टेस्क्यू दि स्पिरिट आफ दि लाज, बुक XI लंदन 1966, चैप्टर VI
- 3 वही,
- 4 स्ट्रॉम सी० एफ०, माडन पॉलिटिक्स कान्टेन्ट्रीयूश म, लंदन, मिनिचिक एण्ड जैक्सन, 1972 प 200

- 5 वही,
- 6 लेसली लिपसन, ग्रेट इस्चूज ग्रॉफ पॅलिटिक्स,
- 7 वाइले एम० जे० सी० कास्टीट्यूशनलिज्म एण्ड सेपरेशन ऑव पावस, लन्दन, 1967
- 8 वही,
- 9 वही,
- 10 वही,
- 11 वही।

राजनीतिक दल नए सदस्य, बदलते क्षितिज

आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के युग में राजनीतिक दलों की भूमिका वही है जो भूमिका शरीर में रक्त की हाती है। बिना राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन्हें राजनीतिक चेतना के केन्द्र तथा राजनीतिक विकास एवं आधुनिककरण के वाहन के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। एडमण्ड बर्क सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह अनुभव किया कि स्वतंत्र शासन के संचालन के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य हैं। उन्होंने लिखा है कि चाहे राजनीतिक दल श्रेष्ठ कार्य कर अथवा निवृष्ट उह स्वतंत्र शासन (उत्तरदायी शासन) संप्रथक नहीं किया जा सकता। लोकमत का सग्रह करने से लेकर नीतियाँ के निर्धारित व्यवस्था तक राजनीतिक दल आवश्यक तथा अपरिहार्य हैं। उनके अभाव में निर्वाचकगण एक समूहित भीड का रूप ले लेते हैं। यह अनिवार्य है कि किसी-न किसी प्रकार मतदाताओं के सामने कुछ विकल्प रखे जाएँ जिनमें से किसी एक को वे चुन सकें। अब ऐसे विकल्प हैं। व निर्वाचक के सम्मुख दो या अधिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तथा वे विशिष्ट राजनीतिक नेताओं के साथ सम्बद्ध होते हैं जो यह वचन देते हैं कि यदि उन्हें सत्ता प्रदान की गई तो वे उन कार्यक्रमों को प्रियाचित करेंगे।

राजनीतिक दलों से अभिप्राय

राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दलों की परिभाषा करना वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। अनेक राजनीति वेत्ताओं ने इसकी अनेक प्रकार से परिभाषा देने के प्रयास किए हैं। इन सन्दर्भ में सबसे प्रथम हम एडमण्ड बर्क का लेते हैं जिनका कहना है कि 'राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनके सदस्य

सामान्य सिद्धान्तों पर सहमत हो तथा सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित को प्राप्त/सहित करने के लिए एकता के सूत्र में बंधें हो।" लेकिन आज के सदस्य में यह परिभाषा उचित प्रतीत नहीं होती। इसी प्रकार मैकाइवर ने भी "दि माडन स्टेट" में राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए कहा है कि "राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी सिद्धान्त अथवा नीति का समर्थन करने के लिए संगठित किया जाता है तथा जो संविधानिक साधना का प्रयोग करके शासन का निर्माता बनने की चेष्टा करता है।" अतः संक्षेप में राजनीतिक दलों की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है

'राजनीतिक दल एक ही विचारधारा विशेष से सम्बन्धित व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो संविधानिक साधनों के माध्यम से शासन सत्ता प्राप्त कर संविधानिक साधना के माध्यम से ही उसकी क्रियाविति करता है। इस सदस्य में यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विचारधारा विशेष के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं जो विचारधारा का अनुसरण करते हुए एक कार्यक्रम विशेष लेकर जनता के सम्मुख जाते हैं और संविधानिक तथा शांतिपूर्ण तरीकों (निर्वाचन) से जनता की सहमति एवं स्वीकृति प्राप्त कर राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेते हैं और उसका संचालन करते हैं। इस सदस्य में यह भी उल्लेखनीय है कि राजनीतिक दल दबाव समूह नहीं हैं, इन दोनों में गहरा अंतर पाया जाता है।

राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों में अंतर

राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों में गहरा अंतर यह है कि राजनीतिक दलों के संगठन का आधार विचारधारा विशेष होती है जबकि दबाव समूहों में अपनी कोई विचारधारा नहीं होती। राजनीतिक दलों का एक मात्र उद्देश्य है राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर उसका संचालन करना, लेकिन दबाव समूहों में सत्ता प्राप्त करने के साधन संविधानिक हैं। यह अतिव्यापक है कि दबाव समूहों में उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना न होकर बस निर्वाचन के माध्यम से सत्ता के लिए दबाव डालना है कि उनके हितों के लिए सत्ता प्राप्त करना तथा उनकी भागीदारी की पूर्ति की दशा में प्रयत्न करना। राजनीतिक दल स्थायी होते हैं जबकि दबाव समूहों में निर्वाचन के बाद ही देश में होने वाले निर्वाचन में भाग लेने के लिए दबाव डालते हैं। दबाव समूहों में भागीदारी की पूर्ति होती है तब तक कि उनके हितों की पूर्ति हो जाए। राजनीतिक दल तथा दबाव समूहों में गहरा अंतर विद्यमान है।

राजनीतिक दलों का जन्म तथा विकास

एम० दुबरजिये ने अपनी पुस्तक 'पॉलिटिकल पार्टीज' में कहा है कि यद्यपि 'दल' शब्द का प्रयोग प्राचीन गणतन्त्र के गुटों तथा पुनर्जागरण काल के इटली में सविधानिक गुटों व आतिकारी सभाओं के सदस्यों तथा प्लबो के लिए भी किया गया है क्योंकि इन सब सगठनों का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना व उसका प्रयोग करना या तथापि आधुनिक अर्थ में, उन्हें राजनीतिक दल कहना सही नहीं होगा। वे आगे कहते हैं कि वास्तविक अर्थ में राजनीतिक दलों का निर्माण हुए मुश्किल से एक शताब्दी बीती है। सन 1850 में संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर समार के किसी भी देश में आधुनिक अर्थ में राजनीतिक दलों का निर्माण नहीं हुआ। उस समय विभिन्न विचारधाराओं में या सम्प्रदायों में लोक मनोरंजन गृहा, दार्शनिक समुदायों तथा सघीय समूहों के रूप में तो सगठित थे परन्तु तब तक वास्तविक दलों का निर्माण नहीं हुआ था। सन 1850 तक अनेक राष्ट्रों में राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ था तथा जिन देशों में ऐसा नहीं हुआ था वहाँ उनका निर्माण करने की चेष्टा की जा रही थी।¹

आधुनिक स्वरूप में राजनीतिक दलों का विकास लोकतन्त्र के साथ अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ है। लोकमताधिकार तथा सार्वभौमिक अधिकारों के साथ उसका अभिन्न सम्बन्ध है। ज्यों ज्यों सत्ता की शक्ति तथा उनके साथ बढ़ते जाते हैं त्यों-त्यों उनके सदस्य इस ज्ञान की आवश्यकता अनुभव करते जाते हैं कि समाज मिथ्याता व आधार भंग करने की दृष्टि में उन्हें परम्परा समूहों का निर्माण कर लेना चाहिए। मताधिकार का विस्तार हो जाने के साथ ही यह आवश्यक हो जाता है कि मतदाताओं का ऐसी समितियाँ में संगठित किया जावे जो उम्मीदवारों (प्रत्याभियोगियों) का प्रचार कर सकें तथा उनके लिए मत प्राप्त कर सकें। इन प्रकार राजनीतिक दलों का उद्भव सार्वभौमिक दलों एक निर्माण समूहों व समितियों के साथ अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ है।²

राजनीतिक दलों के कार्य

राजनीतिक दल लोकतान्त्रिकीकरण एवं आधुनिकीकरण की मन्त्रिणी है। लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दल की सम्पन्नता एवं शक्ति की विद्यमानता तथा राजनीतिक व्यवस्था की प्रवृत्ति एवं विशेषताओं के द्वारा दल के कार्य एवं भूमिका का निर्धारण होता है। सामान्यतः राजनीतिक दलों के कार्य का निम्न प्रकार में व्यवस्था की गयी है—

सरकार एवं जनता के बीच सम्पर्क सूत्र

राजनीतिक दल सरकार एवं जनसामान्य (मतदातागण) के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। सरकार की किसी भी विषय में क्या नीति है अथवा वह क्या निर्णय लेने जा रही है इसकी जानकारी मतदातागण को तथा किसी भी विषय विशेष में मतदातागण का क्या दृष्टिकोण अथवा मांग है इसकी जानकारी सरकार तक सम्प्रसारित करना राजनीतिक दलों के कार्य क्षेत्र में ही आता है। वह सरकार की नीतियों की व्याख्या करता है तथा सरकार के कार्यों के बारे में जनता को समझाता है। राजनीतिक व्यवस्था में उठने वाली मांगों को दल सरकार तक पहुँचाते हैं एवं सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में बने रहने के लिए लोकमत का नाडी नान प्राप्त करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दलों को जनमत का वाहक, सरकार एवं मतदातागणों का मध्यस्थ आदि अनेक रूपों में जाना जाता है।

वैकल्पिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति

राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था में नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माणकर्ता एवं संचालनकर्ता की भूमिका भी निभाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनावों के समय अपनी अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार कर, उस जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं और उन नीतियों एवं कार्यक्रमों पर जनता का मत प्राप्त कर या तो सरकार बनाते हैं अथवा विरोध में बैठते हैं। चुनावी प्रतियोगिता में जनता के समक्ष अनेक नीति विकल्प प्रस्तुत किये जाते हैं जिनमें से जनता एक का चयन कर दल विशेष को शासनाधिकार प्रदान करती है। इस प्रकार सरकारों को क्या करना है, किस दिशा में समाज को ले जाना है वह सब राजनीतिक दल जनता से तय कराने के लिए अनेक विकल्प वाले कार्यक्रम प्रस्तुत कराने के साधन होते हैं।

शासन को वैधता सरकार पर नियन्त्रण

शासन सत्ता की वैधता एवं सरकार पर नियन्त्रण रखने सम्बन्धी कार्य भी राजनीतिक दलों द्वारा सम्पादित होते हैं। शासन सत्ता का स्रोत क्या है? यह राजनीतिक दलों द्वारा ही निर्धारित होता है। शासन शासन सत्ता में जनसहमति के माध्यम से आये हैं अथवा उन्होंने सत्ता कैसे ही हथियाली है, यह निर्धारण राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है। राजनीतिक दल जनसहमति प्राप्त करने हेतु अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं और जिसे जनता शासन सत्ता सौंपती है वह दल शासन संचालन करता है। इतना ही नहीं राजनीतिक दल सरकार पर नियन्त्रण स्थापित करने हैं। जो दल सत्ताह्व है वह कोई जनहित विरोधी काम न उठाने इसके लिए विरोधी दल नदैव सत्ताह्व दल पर

अपना नियंत्रण रखत है और उन्हें जनहित विराधी नियंत्रण नेन स राकत है । इस रूप में दल विरोध की भूमिका बढ़ा करत हैं ।

राज नेताओं का चयन तथा निर्वाचनों का कार्याचयन

यह राजनीतिक दला का अय महत्वपूर्ण काय है । राजनीतिक दल यह सुविधा प्रदान करत है कि विभिन्न दला के उम्मीदवारों का चयन कर उनको राष्ट्र के नेतृत्व की बागडोर सौंपते हैं । राजनीतिक दल, प्रतियोगी चुनावों में विभिन्न प्रत्याशियों के रूप में मतदाता के सामन अनन्य विकल्प प्रस्तुत कर जन-प्रतिनिधियों का चुनाव करत हैं । ये जन-प्रतिनिधि राजनताओं का रूप धारण कर लेते हैं तथा शासन का संचालन करत हैं । अतः राजनीतिक दल निर्वाचनों का कार्याचयन कर, निर्वाचनों के माध्यम से नेताओं को भर्ती एव चयन कर उन्हें शासन की बागडोर सौंपते हैं तथा उनसे जन इच्छाओं के अनुसार शासन का संचालन करवाते हैं । वे शासन के लिए योग्य व्यक्तियों को चुनत एव प्रशिक्षित करत हैं ।

शासन के विभिन्न अंगों में सहयोग

राजनीतिक दलों द्वारा शासन काय में समन्वय स्थापित करन सम्बन्धी कार्यों का भी सम्पादन किया जाता है । एपस्टीन का कहना है कि राजनीतिक दलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काय है शासन के विभिन्न अंगों में सहयोग एव समन्वय की भावना पैदा कर उन्हें क्रियाशील रखना है । असदीय शासन में ता राजनीतिक दलीय अनुशासन के कारण कायपालिका तथा व्यवस्थापिका में घनिष्ठ सम्बन्ध होता ही है, अध्यक्षीय शासन में भी राष्ट्रपति एव कांग्रेस में उम समय मधुर सम्बन्ध होते हैं जब कांग्रेस में उसी दल का बहुमत होता है जिस दल का राष्ट्रपति होता है । अतः दल सरकार के अंगों में सहयोग एव समन्वय की भावना पैदा करत है तथा उम बढान में योगदान करत है ।

समाज में एकता का स्थापक

समाज में एकता स्थापित करन, एकीकरण स्थापित करन सम्बन्धी काय भी राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है । प्रत्येक समाज में अनन्य समूह एव हित होने हैं । इनकी आशयकताएं एव भागों वार वार एक-दूसरे के प्रतिकूल बनकर पारस्परिक मधुर उत्पन्न करती हैं । पारस्परिक विराधी भाग राजनीतिक व्यवस्था को तानने का काय करन लगती हैं । राजनीतिक दल, विराधी समूह भागों में चुनावी प्रतियोगिता की प्रक्रिया के द्वारा तालमेल स्थापित करन का काय करत है । दल एकीकरण करने के माध्यम ही पाव पाता बनाए रखने का काय भी करत है ।

पति नागर अथवा राजा द्वारा बना का अन्तर्गत किये जाने से लेकर जुलाई 1962 तक जबकि वहाँ नगनल-असेम्बली की स्थापना की गई, और प्रायः, वह पाकिस्तान के उसी दल प्रतिबंधित हैं पाकिस्तान एक ऐसा ही राज्य है। इस प्रकार राज्य हैं जिनमें राजनीतिक दलों का अस्तित्व तो है, परन्तु वे सभी प्रतिबंधित व्यवस्था में हैं अथवा भली प्रकार नाशित नहीं हैं। ऐसी स्थिति अफ्रीका के राज्यों, पश्चिम एशिया के देशों तथा कुछ लातीनी अमेरिकी राज्यों में पाई जाती है। अन्य राज्यों में, जिन्हें हम आधुनिक या विकसित राज्य कह सकते हैं, चारों तरफ से लापत-आत्मक या अथवा एकाधिकारवादी शासन का नवाचलन सुगठित राजनीतिक दलों की महायत्ना से होता है। यह सच है कि एकाधिकारवादी राज्यों के अन्तर्गत एक ही राजनीतिक दल होता है जिसे शासन दल भी कहा जा सकता है उन दलों में अथवा कोई दल न तो सुगठित ही किया जा सकता है न सुव्यवस्था ही कर सकता है। इसका कारण यह है कि एकाधिकारवादी राज्यों में अथवा राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तथा जनता को समुदाय बनाने की स्वतंत्रता तथा अथवा मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। इनके अन्तर्गत समस्त लोकतांत्रिक राज्यों में अनेक राजनीतिक दल होते हैं जिनकी मर्यादा सभी दलों को दी जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है जिनमें मुक्त रूप से समुदाय और समुदाय की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है।

राजतन्त्रात्मक राज्यों में दो प्रकार की दलीय-व्यवस्थाएँ प्रचलित हैं— द्विदलीय व्यवस्था तथा बहुदलीय व्यवस्था। यह विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शासन के संचालन तथा उसके स्थायित्व को बहुत अधिक माया प्रदान करता है। यद्यपि यह दावा किया जाता है कि बहुदलीय व्यवस्था अधिक प्रतिक्रियाशील होती है तथापि यह स्वीकार करना होगा कि द्विदलीय व्यवस्था अन्तर्गत वायपानिका अधिक सुदृढ़ व स्थायी होती है तथा उमरी वायपानिका तुलनात्मक दृष्टि से बहुत अधिक सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण एवं सुगम होती है। बहुदलीय व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्र का प्रतिनिधिक व्यवस्था की अथवा वही अधिक सही रूप में करती है अथवा वह तुलनात्मक दृष्टि से अधिक लोकतन्त्रात्मक होती है। यद्यपि यह सही है कि अन्तर्गत लोकतन्त्रात्मक शासनिक तनाव दायरा, मतभेदों तथा सभ्यता के कारण वायपानिका होती है, मिश्रित-वायपानिका का निर्माण करने के लिए लोकतन्त्रात्मक प्रणाली पर मतभेद ही जान से परस्पर विरोधी घटित हो सकती है और वायपानिका यह सही है कि इस व्यवस्था में हर समय प्रतिनिधित्व होने है।

द्विदलीय व्यवस्था एक आकलन

दो राजनीतिक दलों के अन्तर्गत समूचे राष्ट्र को संगठित करने के विचार के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है, कि मनुष्या के स्वभाव और उनकी मानसिक-प्रवृत्तिया के आधार पर उह मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—इन वर्गों के चिन्तन पर आयु का प्रभाव साधारणतः प्रमुख माना जाता है। यह कहा जाता है कि कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही प्रगतिवादी साहसी, उग्र तथा परिवर्तन नवीनता को पसन्द करने वाले होते हैं। इसने विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वभावतः रूढ़िवादी तथा सतक होते हैं, एव जिन्हें हरदम यह भय लगा रहता है कि वही बहुत तीव्र गति से बढ़ने व अज्ञान क्षेत्रों में छलांग लगाने के परिणामस्वरूप उनकी प्राचीन परम्पराओं सस्कृति तथा सस्थाओं को कोई हानि न पहुँच जाए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही क्रान्तिकारी तथा कुछ रूढ़िवादी होते हैं। यह भी माना जाता है कि ज्यादा-ज्यादा व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है त्यों त्यों वह अधिक सतक और रूढ़िवादी होता जाता है। नवयुवक अपेक्षाकृत अधिक साहसी तथा प्रगतिशील होता है क्योंकि मध्य आयु वाले तथा बूढ़े व्यक्ति पर जीवन सघन एवं पारिवारिक तथा सावजनिक दायित्व का इतना भार होता है कि कष्टपूर्ण जीवन बिताना उतना सहज नहीं रह जाता। व्यावहारिक जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव भी व्यक्ति का अधिक गम्भीर एवं सतक बना देता है। पर इतिहास में जहाँ बूढ़े सुकरात की कहानी मिलती है जिन्होंने अपने विचारों के कारण, जब उह जहर का प्याला दण्डस्वरूप मिला, ता भुँके नहीं उसे पी गए, वहाँ भगवत्सिंह और उनके युवामाधिया का प्रेरणाप्रद प्रसंग मिलता है जो सहाय वलिवेदी पर चढ़ गए ताकि सुप्त 'स्वाधीनता की चेतना' जग उठे।

साधारणतया दोनों दलों में अलग समूह होते हैं जिनके मतों में विभिन्न मात्राओं में मतभेद पाया जाता है पर गुणात्मक मतभेद की गुंजाइश नहीं होती। निम्न श्रेणियों में जनता के बीच छोटे-छोटे मतभेदों का विस्तार दन प्रवृत्ति धर कर जाती है तथा उह मर्यादित, समयित तथा व्यावहारिक सीमाओं में रखने के स्थान पर सैद्धान्तिक मतभेद मान लिया जाता है। ऐसे दशा में जनता के भीतर यह वक्ति पाई जाती है कि वह छोटे-छोटे राजनीतिक दलों में विभक्त हो जाती है।

यह प्रवृत्ति तब और भी अधिक प्रबल हो जाती है जब जनता में समरसता का अभाव हो तथा यह प्रजापति, धर्म, जाति तथा सम्प्रदाय आदि के भेदभाव में बधी हुई हो। इसके अतिरिक्त आधुनिक कानून, विशेषतः नगरों में, श्रमिकों व पूँजीपतियों के दो विरोधी बग बन गए हैं जिनके मध्य सघन बना रहता है, तथा दोनों सिद्धांतों व सामाजिक आदर्शों पूँजीवाद तथा समाजवाद—का सहारा लेकर अपने आपका संगठित कर लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विविध

राज्या में राजनीतिक दलों की संख्या में भी वृद्धि हो जाता है। जब तक एक दीर्घ परम्परा तथा अत्यंत व्यावहारिक दृष्टिकोण का विकास न हो जाये जो कि छांटे-माटे मतभेदों का नियंत्रण रख सके, तथा लाक्षणिक दो प्रमुख विचारधाराओं में प्रवाहित न होने योग्य नये तब तक अधिकांश 'राजनीतिक' दलों में निश्चिन्तन से बहुदलीय-व्यवस्था का विकास होना लगता है। द्विदलीय प्रणाली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भारत में वर्तमान राष्ट्र है जिसे लाखों-लाखों राजनीतिक समस्याओं के सफल संचालन का एक दीर्घ अनुभव है जैसे ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका।

बहुदलीय व्यवस्था का पक्ष

बहुदलीय-व्यवस्था के विकास का एक कारण यह भी है कि आधुनिक काल में अनेक राज्यों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अपनाया है। इस विवाद-ग्रस्त विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में दीर्घ विचार करने के उपरान्त भी दुबाराजिय इस परिणाम पर पहुंच है कि 'एक तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन कर रहा है उससे इस विचार का समर्थन हाता है। उदारवादी विचारकों के मतानुसार ब्रिटेन में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वर्तमान व्यवस्था अर्थात् एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में एकमत प्रणाली संसद के भीतर जनता के प्रतिनिधित्व का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करती। अपने इस विचार के पक्ष में मतदान के आकड़े प्रस्तुत करते हैं जो बहुत प्रभावात्पादक हैं। यह कथन बहुत सही है कि देश भर में उदारवादी-दलों को जितने कुल मत प्राप्त होते हैं संसद के भीतर उन्हीं उन्हीं मतों के अनुपात से बड़ी कम स्थान मिल पाते हैं। उदारवादी प्रत्याशी निर्वाचन के समय अधिकांश निर्वाचन-क्षेत्रों में बहुत थोड़े मतों से ही पराजित हो जाते हैं। यदि ब्रिटेन में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती तथा वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र में बहुल-सदस्यीय होते तो ऐसा नहीं हो सकता था प्रत्येक दल का संसद में उस अनुपात में ही स्थान मिलते जिसे अनुपात में उस निर्वाचनों के समय मत प्राप्त होते।

ब्रिटिश उदारवादी दल के इस आरोप का आज तक कभी खटन नहीं किया गया। इसके विपरीत यह कहा जाता है कि संसदात्मक लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए गणित की दृष्टि से समानुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती, वरन् वह हानिकारक ही सिद्ध होता है क्योंकि उसके परिणामस्वरूप बहुदलीय प्रणाली का उदय हो जाता है जिससे स्थिर नीति और स्थिर कार्यपालिका का निर्माण संभव नहीं रहता। प्रतिनिधित्व की दृष्टि से केवल इतना पर्याप्त है कि एक में प्रचलित विविध विचारधाराओं का संसद में प्रतिनिधित्व हो जाए तथा द्विदलीय शासन प्रणाली बनी रह सके। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक

दलों की सन्ध्या में बढ़ि होनी चनी जाये तथा मसद के भीतर जनता का बहुरंगी प्रतिनिधित्व हो। इस सदस्य में यह विचार बहुत सही प्रतीत होता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विशुद्धतै सैद्धान्तिक दृष्टि से सोचने की अपेक्षा अत्यन्त व्यवहारिक दृष्टि में विचार करना चाहिए।

द्विदलीय व्यवस्था अमेरिकी सदस्य

यह व्यवस्था वर्तमान समय में अपेक्षाकृत कम ही राज्या में प्रचलित है। जिन देशों में यह व्यवस्था प्रचलित है वहाँ राजनीतिक जीवन का नियंत्रण प्रधानतः दो प्रमुख राजनीतिक दलों के हाथों में रहता है। सामान्य निर्वाचनों के समय जनता अपना मत जिस प्रकार अभिव्यक्त करती है उसके अनुसार समय-समय पर इन दोनों दलों में से एक शासन का संचालन करता है तथा दूसरा मसद के भीतर रह कर सरकार का विरोध करता है। दोनों ही दल सावजनिक-नीतियों के निर्धारण तथा शासन के संचालन में प्रभावशाली योगदान देते हैं। सत्ताधारी दल का कार्य शासन करना है तथा विरोधी दल का कार्य है विरोधी करना। विरोध दल का प्रमुख कार्य यह है कि वह इस बात की सावधानी रखे कि शासन दल उन नीतियों के अनुसार ही शासन का संचालन करे जो निर्वाचकों द्वारा स्वीकार की गई हैं, तथा वह सावजनिक हित के प्रतिबल कोई कार्य न करने पाये। इस कार्य की पूर्ति के लिए विरोधी दल को निरन्तर सतक रहना व आलोचना करनी हाती है। इस सदस्य में यह स्मरण रखना चाहिए कि आलोचना का अर्थ विध्वसात्मक तथा अनुत्तरदायी आलोचना नहीं है। एक उत्तरदायी विरोधी दल जिसे यह आशा होती है कि निकट भविष्य में ही अपनी सरकार बना सकेगा विध्वसात्मक तथा अनुत्तरदायी आलोचना कभी नहीं करेगा। दो राजनीतिक दलों की प्रमुखता का यह अर्थ नहीं है कि देश में अर्ध राजनीतिक दल होते ही नहीं। इसका कवल यह अर्थ है कि दूसरे राजनीतिक दल इतनी शक्ति का संग्रह नहीं कर पाते अथवा जनता का उतना समर्थन प्राप्त नहीं कर पाते कि वे राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण भाग ले सके। उदाहरणार्थ, हम यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के पिछले समस्त इतिहास में शासन का संचालन दो राजनीतिक-दलों की रचना का वर्णन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पिछले समस्त इतिहास में शासन का संचालन दो राजनीतिक दलों—डिमाँक्रेटिक तथा रिपब्लिकन दलों ने किया है। कभी काय-पालिका का अर्थ अर्थात् राष्ट्रपति डिमाँक्रेटिक दल का सदस्य होता है तथा कभी रिपब्लिकन दल का। वहाँ की कांग्रेस तथा उसके दोनों सदनों के बहुमत की भी वही स्थिति रहनी रही है। इन दो विशाल राजनीतिक-दलों के अतिरिक्त यहाँ अनेक छोटे राजनीतिक दल भी रह हैं, जैसे—श्रमिक दल, समाजवादी दल, कृषक-दल, मजदूरपेघवादी तथा प्रगतिशील-दल। कभी-कभी वे कांग्रेस में भी

बुद्धि स्वायत्त प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु विनास परम्परागत दया की अपेक्षा उनका प्रभाव नगण्य है। उमका कारण यह है कि ये स्थानीय तथा अस्थायी हैं और उनके पीछे जनता के समर्थन का बल नहीं होता।

ब्रितानी सदर्भ

दूसरा महत्वपूर्ण द्वितीय राज्य ब्रिटेन है, परन्तु द्विदलीय, शासन का उमका इतिहास इतना अग्रगण्य नहीं है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का। 1688 की क्रान्ति से लेकर 1918 तक ब्रिटेन में पूर्णतया द्विदलीय व्यवस्था थी, अर्थात् वहाँ इस काल में राजनीतिक सत्ता कभी एकदलीय-दल के हाथ में होती थी ता कभी उदारवादी दल के हाथ में आ जाती थी। परन्तु 1918 में उनमें राजनीति क्षेत्र में एक तीसरे राजनीतिक-दल के रूप में श्रमिक का आविर्भाव हुआ। श्रमिक का निर्माण 1900 में हुआ था परन्तु 1918 के बाद से वह एक शक्तिशाली मत्त्व बन गया। लगभग बीस वर्ष तक ब्रिटेन में तीन प्रमुख राजनीतिक दल थे, तथा ब्रितानी दलीय-व्यवस्था को द्विदलीय प्रणाली के नाम से पुकारा जाता था। कनाडा, अरीजे, कॉमनवेल्थ देशों में भी यह प्रणाली प्रचलित है। श्रमिक-दल व उदारवादी दल के मध्य संक्षिप्त संधि के उपरान्त ब्रितानी-नागरिका ने प्रमुख राजनीतिक संधि में से उदारवादी दल को बहिष्कृत कर दिया तथा देश में द्विदलीय-व्यवस्था की स्थापना कर दी। वैसे ता उदारवादी-दल अभी तक विद्यमान है तथापि, वह राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं लेता। 1934 के पञ्चानु से संसद के भीतर उमका प्रतिनिधित्व नगण्य हो गया। 1907 में ब्रितानी लोकसभा के 500 सदस्यों में से 376 सदस्य उदारवादी-दल के थे, यह एक प्रभावशाली बहुसंख्या थी जिसके कारण 1915 तक उसने शासन का संचालन किया। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध का संचालन कुशलतापूर्वक करने के लिए मिथित शासन का निर्माण किया गया। 1923 के निर्वाचनों में एकदलीय दल विजयी हुआ, परन्तु उदारवादी दल प्रमुख विरोधी दल रहा, उसे 159 स्थान प्राप्त हुए। अगले सामान्य निर्वाचन में श्रमिक दल व उदारवादी दल का पछाड़ना आरम्भ कर दिया तथा उसकी सदस्य-संख्या निरन्तर घटती चली गई—1924 में वह केवल 40 स्थान ही प्राप्त कर सका, 1935 में यह संख्या केवल 22 रह गई 1945 में और भी घटकर वह केवल 11 ही रह गई तथा 1951 में 9 और 1950 में केवल 6 उदारवादी सदस्य ही लोकसभा में चुने गए।

दुबेरजिये का मन है कि यह कहना सही नहीं होगा कि द्विदलीय-व्यवस्था विघ्नेषण एक एंग्लो सैक्सन प्रणाली है। अनेक एंग्लोसैक्सन देशों में बहुदलीय, व्यवस्था पाई जाती है इसके विपरीत तुर्की तथा अनेक लातिनी अमेरिकन देशों में द्विदलीय-व्यवस्था सफलतापूर्वक काय करती रही है। जर्मनी तथा इटली जैसे

इसके अतिरिक्त उन देशों में जहाँ द्वितीय मतदान प्रणाली अथवा समानुपातिक निर्वाचन की व्यवस्था प्रचलित है, तथा जहाँ जनता के मध्य प्रजातीय, धार्मिक जातीय तथा अन्य सामाजिक भेदभाव है अथवा जा दश अत्यधिक व्यक्तिवादी परम्पराओं से घिरे हुए हैं अनेक राजनीतिक दलों के निर्माण की प्रवृत्ति पाई जाती है। दुबेरजिये कहते हैं—

‘ बहुदलीय-व्यवस्था को जन्म देने वाले अनेक तत्त्वों के साथ ही एक सामान्य तत्त्व भी है। यह तत्त्व है किसी देश की निर्वाचन प्रणाली। प्रायः यह देखा गया है कि साधारण बहुमत और एकल मतदान की व्यवस्थाएँ द्विदलीय प्रणाली के विकास में योग्य होती हैं, इनके विपरीत साधारण बहुमत के साथ द्वितीय मतदान तथा समानुपातिक-प्रतिनिधित्व प्रणाली ये दोनों ही बहुदलीय व्यवस्था का प्रोत्साहित करते हैं।’ वे अपने वक्तव्य के पक्ष में अनेक उदाहरण देते हैं जैसे फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैण्ड, स्विट्जरलैण्ड तथा इटली आदि देशों का उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि जिस समय वहाँ द्वितीय मतदान प्रणाली प्रचलित थी तब वहाँ किस प्रकार बहुदलीय व्यवस्था का विकास हुआ, तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने किस प्रकार इसमें योग्य दिया है इसका उदाहरण देते हुए वे फ्रांस, हॉलैण्ड, डेनमार्क, स्विट्जरलैण्ड तथा जर्मनी के अनेक राज्यों का उल्लेख करते हैं।

एक दलीय व्यवस्था ऐतिहासिक सन्दर्भ

एकदलीय व्यवस्था का उदय बीसवीं शताब्दी में हुआ है। अधिनायकवादी शासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोकतन्त्रात्मक देशों में विकसित दलीय कार्यविधि का प्रयोग करने की दृष्टि से एकदलीय व्यवस्था का निर्माण किया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि एकदलीय-व्यवस्था का अधिनायकवादी दल अथवा साम्यवादी देशों की एकदलीय प्रणाली का समरूप मान लिया जाय। जर्मनी व इटली तथा तुर्की में भी प्रचलित रह चुकी है। एशिया में अफ्रीका व कुछ नवस्वाधीन देशों में भी एकदलीय व्यवस्था का अंगण लगाया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर सात हाता है कि ये ‘एक-दल’ पहले बहुदलीय व्यवस्था के भीतर विरोधी दलों के रूप में कार्य कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपने आपका अधिनायकवादी रूप में विकसित कर लिया तथा उनके मन में यह इच्छा पैदा हो गयी कि अपने राज्यों में वही एकमात्र राजनीतिक दल रह जायें तथा समाज पर प्रतिबंध लगा दिया जाय। वर्तमान समय में एकदलीय व्यवस्था का अंगण एक विनिश्चित लक्षणा का विकास कर लिया है। उनका अंगण अलग से करना उचित होगा।

तुर्की, नारो जर्मनी और फ्रांसिस्ट इटली में जब एकदलीय-व्यवस्था का

संस्थापक की दृष्टि में सत्ता हथियाते ही व्यवहारिक उपयोगिता सिद्ध हो गयी तब उन्होंने उसके पक्ष का समर्थन करने के लिए मैदातक तर्कों की खोज की। इसके मैदातक पक्ष का अनुसंधान प्रारम्भ में इटली और जर्मनी में किया गया तथा उसका विस्तृत विश्लेषण पहली बार 1936 में प्रस्तुत किया गया।

एकदलीय व्यवस्था ही क्यों चाहिए ?

राष्ट्रीय एकता का सूत्रधारी—इस व्यवस्था के समर्थक यह दावा करते हैं कि इसका दोहरा लाभ यह है कि 'एक-दल' प्रबुद्ध बग तो है ही उसके साथ ही वह एकता का सूत्रधार भी है। उसका ध्येय परम्परागत प्रबुद्ध बग के स्थान पर नये प्रबुद्ध बग का निर्माण करना है। उसका उद्देश्य नये शासक बग को जन्म देना है। जनसाधारण के भीतर शासन संचालन की क्षमता नहीं होती अतः एकदल का उद्देश्य ऐसे राजनीतिक-नेताओं का निर्माण करना है जो सगठित करना है जिनमें देश का एकता के सूत्रधारी पियरे की सामर्थ्य हो। दल एक ऐसी छलनी का काम करता है जिसमें नवयुवक-संगठना उत्तरोत्तर संगठन तथा सदस्यों का दल में भर्ती करने के माध्यम अथवा एक प्रतीक्षाकाल की पूर्ति बरिष्ठ सदस्यों द्वारा समर्थन तथा परीक्षाओं के पश्चात् दल के भीतर प्रवेश की नियंत्रित रीतियों के द्वारा केवल प्रबुद्ध बग ही दल के भीतर रह जाता है तथा अनावश्यक तत्त्व बाहर निकल जाते हैं। साथ ही दल अपने सदस्यों का शिक्षण भी करता है, वह उनके भीतर अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए क्षमता उत्पन्न करता है। वह उन्हें स्थायी रूप में संगठित करता है वह उन्हें एक ढाँचा तथा एक उत्तरोत्तर पदक्रम प्रदान करता है। इस प्रकार छाटा गया तथा 'प्रशिक्षित किया गया प्रबुद्ध बग नतत्व' का कार्य पूरा कर सकता है। इस प्रबुद्ध बग का मंत्रिमण्डल से लेकर छाटी-से-छोटी स्थानीय व विशेष समिति, तथा लोक-मेवाओं से लेकर श्रमसंघों, सहकारी समितियों, सांस्कृतिक समुदायों इत्यादि की सदस्यता प्राप्त होती है। इसके अनिश्चित यह भी दावा किया जाता है कि यह बग जनता के साथ दाहरा सम्पर्क बनाय रखता है। यह सम्पर्क दलीय इकाइयों तथा विभागीय-संगठनों के द्वारा बनाय रखा जाता है। जिस प्रकार 'वायरलेस' (बेतार का तार) केन्द्र संदेश देने व प्राप्त करने का दोहरा कार्य करत है उसी प्रकार एक दलीय व्यवस्था भी नेता के लिए यह अवसर उपलब्ध करा देती है कि वह देश की आवाज को सुन सके तथा उस तक अपना संदेश पहुंचा सके।

प्रचार तथा दमन के साधन हैं ?

दूसरी ओर, इस व्यवस्था के विरोधियों की धारणा है कि 'एकदलीय-संगठन' बहुत पुराने ढंग के समाजशास्त्रीय-स्वरूप का प्रतीक है। यह उस देहाती चौकीदार

के समान है जो निरंकुश शासक की अधिनायकवादी सत्ता में वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त दल की सदस्यता प्राप्त करने तथा उसे बनाये रखने के लिये व्यक्तिगत योग्यता की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि इस बात की कि सदस्यता का इच्छुक व्यक्ति अधिनायक के प्रति कितनी उत्कट निष्ठा रखता है। दलीय अनुशासन, नेता की पूजा, तथा दलीय पदक्रम के प्रत्येक स्तर पर नेताओं की खुशामद करने की आवश्यकता, ये सब ऐसे तत्त्व हैं जिनके कारण अनिवायत सत्य विकृत हो जाता है तथा वह सही रूप में जनता से सर्वोच्च नेता तक तथा नेता से जनता तक नहीं पहुँच पाता। यह व्यवस्था अपनी शक्ति दो प्रधान स्रोतों से प्राप्त करती है—प्रचार तथा निदय-दमन। 'एक-दलीय व्यवस्था' के भीतर सब व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक कुशल प्रचार-पद्धति का निर्माण होता है। इसका उल्लेख हम विगत अध्याय में भी कर चुके हैं। दल एक पुलिस सगठन के रूप में भी कार्य करता है, तथा इस विषय में भी इसकी मौलिकता उतनी ही विलक्षण है। एक अच्छे कार्यकर्ता के दो अनिवाय वस्तु माने गये हैं—जासूसी करना तथा दल की सूचनाएँ देना। दल आतंक स्थापित करने का एक साधन है। यह आतंक दल के भीतर तथा जनता पर दोनों ओर स्थापित किया जाता है तथा आन्तरिक आतंक बाह्य आतंक की अपेक्षा प्रायः अधिक कठोर होता है। एकदलीय राज्यों में दल से पथक भी एक पुलिस सगठन होता है, जैसे गैस्टापो, ये लक्षण एकदलीय-व्यवस्था की विलक्षणता तथा मौलिकता प्रकट करते हैं।

एकदलीय-व्यवस्था के पक्ष में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किये गये हैं। सबसे प्रथम यह कहा जाता है कि एक दल राष्ट्रीय-एकता का प्रतीक है। फासीवाद का समर्थन करनेवाले लेखक ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र का बहुलवाद (अनेक राजनीतिक दलों का सगठन) निजी व वर्गीय हितों की बलिवेदी पर जन साधारण के हितों को बलिदान कर देता है। 'दलों के खंडित शीशे में देश स्वयं अपने प्रतिबिम्ब को पहचानने में असमर्थ रहता है।' एक दल राष्ट्र की एकता की रक्षा करता है तथा समस्त समस्याओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखता है।

द्वितीय, यह कहा जाता है कि दल जनता की सामाजिक एकता को प्रतिबिम्बित करता है। मार्क्स ने राजनीतिक दलों को विविध सामाजिक वर्गों की राजनीतिक अभिव्यक्ति माना है। दुवेरजिय इस विषय में लिखते हैं कि, "एक-दल विषयक साम्यवादी सिद्धांत की अभिव्यक्ति इस प्रकार की जा सकती है— (अ) प्रत्येक दल एक सामाजिक-वर्ग की राजनीतिक अभिव्यक्ति है, (ब) सोवियत संघ इस समय एक वर्गीय समाज बन गया है, (स) अतः सोवियत संघ में केवल एक दलीय व्यवस्था ही स्थापित हो सकती है।"

अतः में मनोयलिसो के शब्दों में कहा जा सकता है कि एक दलीय राज्य निष्पक्ष राज्य नहीं होता, वह आदर्शों का सवाहक, एक आस्था तथा एक नैतिक-

व्यवस्था का प्रतीक होता है। “एक निष्पक्ष राज्य में जो ममस्त नैतिक मायनाओं का समान आदर करता हो यह आवश्यक है कि वहाँ अनेक राजनीतिक दल हों। परंतु जो राज्य किसी एक निश्चित नैतिक-व्यवस्था का एक नये धर्म की भाँति स्वीकार कर लेता है, वहाँ उस व्यवस्था की रक्षा करने के लिए केवल एक राजनीतिक दल की ही आवश्यकता होती है। दुवरेजिय ने लिखा है “आधुनिक जगत में राज्य धर्मों ने नया स्वरूप ग्रहण कर लिया है। एक दलीय प्रणाली का विकास उस समय ही हुआ जबकि नये प्रकार के राज्य धर्मों का पुनर्जन्म हो रहा था, जो कि वर्तमान समय में पाये जाते हैं। वर्तमान समय में राज्य धर्मों के पद पर धार्मिक राज्य का विकास हो गया है।

पाद टिप्पणी

- 1 मास्टाऊ, गार० एच०, इण्ट्रोडक्शन टु पॉलिटिक्स (लांगमैस, ग्रीन एण्ड कम्पनी) 1952 प० 918, 99 में उद्धृत
- 2 वही
- 3 मेकाइवर आर० एम०, दि माडन स्टेट (आन्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लण्डन) प० 396
- 4 दुवरेजिए एम० पॉलिटिकल पार्टिज (मैथ्यून एण्ड कम्पनी, लिमिटेड लण्डन 1955) प 14,
- 5 वही,
- 6 वही,
- 7 न्यूमेन, माडन पॉलिटिकल पार्टिज
- 8 वही।

राजनीति का नया आयात दबाव समूह

वर्तमान राजनीतिक युग की एक महत्त्वपूर्ण दल दबाव-समूह का विकास है जो लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में पाए जाते हैं। काउन्सिल ऑफ़ ग्रैंड रिजर्व न दबाव समूहों का "दलों के पीछे सक्रिय जनता" की संज्ञा दी है।¹ पहले इन समूहों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें ऐसी पापात्मक शक्ति माना जाता था जो लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार करनी है। किन्तु अब स्थिति बदल गई है और उन्हें आवश्यक बुराई के रूप में तथा राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए जरूरी समझा जाने लगा है। राजनीतिक क्षेत्र में नीति निर्धारण और प्रशासन में प्रतिदिन इनके बढ़ते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण सभी देशों में उनका अध्ययन किया जा रहा है।

दबाव समूह क्या हैं?—दबाव समूह विशिष्ट हितों से सम्बंधित व्यक्तियों के ऐसे समूह होते हैं जो विधायकों को प्रभावित करके अपना उद्देश्य और हितों के पक्ष में समर्थन प्राप्त करते हैं। ये राजनीतिक दल अथवा संगठन नहीं हैं। यद्यपि इनकी गतिविधियाँ इस प्रकार का धम डाना अस्वाभाविक नहीं हैं। ग्राइगाउट के शब्दों में एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य एवं स्वार्थ हैं और जो घटनाओं के विशेष रूप से सावजनिक नीति के निर्माण और प्रशासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करें कि उनके अपने हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके।" दबाव समूहों की प्रथा विश्व के उन सभी देशों में पाई जाती है जहाँ नागरिकों को स्वतंत्र ऐच्छित समुदाय बनाने का अधिकार है। मुख्यतः दबाव-समूहों को दो भागों (वर्गों) में विभक्त किया जा सकता है—प्रथम श्रेणी में मत-समूह आते हैं। मत-समूहों के समूह बहुरंग हैं जो किसी नैतिक या सैद्धान्तिक उद्देश्य के लिए

स्वाय की भावना से प्रेरित हुए बिना कार्य करते हैं। दूसरी श्रेणी में वे समूह आते हैं जो अपने स्वाय की भावना से प्रेरित होकर अपने आर्थिक हिता के लिए कार्य करते हैं, इन्हें हित-समूह के नाम से अभिहित करते हैं। उदाहरण के लिए नशाबंदी के लिए आन्दोलन करने वाला दवाव-समूह मत समूह कहलायेगा लेकिन मजदूरों के आर्थिक हित के लिए कार्य करने वाला श्रमिक संघ हित समूह के नाम से जाना जाता है।

आथर वेण्टले ने अपनी पुस्तक 'म³ अमेरिकी शासन प्रणाली में दवाव समूहों की गतिविधियों पर सबसे प्रथम प्रकाश डाला। आथर वेण्टले का मत है कि राजनीति वास्तव में हित समूहों द्वारा सरकार, संसद प्रशासन और राजनीतिक दलों पर दवाव डाने की प्रक्रिया है। वेण्टले राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में समूह-सिद्धान्त के प्रतिपादक माने जाते हैं। डेविड ट्रूमैन ने भी अपनी पुस्तक⁴ में समूह सिद्धान्त की बहुलात्मक दृष्टिकोण से परिभाषा प्रस्तुत की है। डेविड ट्रूमैन ने दो राष्ट्रीय स्तर के हित समूहों के मत-तुलनकारी कार्यों पर ध्यान दिया है। लोक-तांत्रिक प्रणाली में उद्योगपति और औद्योगिक मजदूर ही नहीं अपितु, अन्य सभी वर्ग के लोग अपने हिता की रक्षा के लिए दवाव समूह बनाते हैं। उद्योगपति और मजदूर भी अलग अलग उद्योगों में लगे होने के कारण अलग अलग बनते हैं। इन अनगिनत दवाव-समूहों का मुख्य उद्देश्य नियंत्रण करने वाले सत्ताधारियों पर प्रभाव डालकर अपने हितों के एक अंश की पूर्ति करना होता है। अगर ये दवाव समूह न हों तो कुछ वर्गों के हिता के संरक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी।⁵ यहाँ इनके अतिरिक्त यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि दवाव समूह, राजनीति दलों की भाँति किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, तब, किन्हीं विशेष मुसला अथवा हिता से सम्बन्धित होते हैं। वे पूर्णतः राजनीतिक संगठन नहीं होते और न ही चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े करते हैं। वे तो अपने समूह विशेष के लिए सरकारी नीतियों और राजनीतिक ढाँचे को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल न होते हुए भी वे दलों की भाँति शक्ति संगठन हैं जिनकी निजी सदस्यता उद्देश्य, संगठन एवता, प्रतिष्ठा और साधन होते हैं। सामान्यतः द्विदलीय व्यवस्था में अधिक जागरूक और शक्ति सम्पन्न होते हैं किन्तु बहुदलीय व्यवस्था में अधिक प्रभावशाली नहीं बन पाते।

अमेरिकी सदन—अमेरिका में दवाव-समूहों के प्रतिनिधियों का 'लागिडिस्टम' कहा जाता है। प्रत्येक व्यवस्थापिका सदन के साथ लगे हुए कमरे अथवा बरामदे को 'लाबी' या प्रकोष्ठ कहा जाता है जहाँ विधायक अवकाश के समय शायद बैठते हैं। दवाव समूहों के प्रतिनिधि इन प्रकोष्ठों में विधायकों से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें अपने पक्ष में प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। यह प्रभाव कबल प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा ही नहीं बल्कि, जनमत और प्रचार द्वारा भी डाला जाना

है। इस निमित्त विशाल धनराशि व्यय की जाती है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनता में अपने पक्ष में सहानुभूति पैदा करने के लिए अपने उद्देश्य प्राप्तियों में सहायक सिद्ध होने वाले लोगों को अपने पक्ष में आकर्षित करने के लिए दबाव समूह अथवा वर्गीय एवं प्राथमिक हितों के प्रभावशाली संगठन, प्रेस, रेडियो, टेलिविजन, सावजनिक सम्बंध विशेषज्ञता की मेवाघ्रा आदि का उपयोग करते हैं। वे अपने साहित्य को वितरित करते हैं और अपने तर्कों से विशेष दावा के पक्ष में समर्थन प्राप्त करते हैं।

दबाव समूह की तकनीक अथवा कार्य प्रणालियाँ

दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कई तरीके अपनाते हैं जिन्हें उनकी तकनीक कहा जाता है। ये तरीके अथवा दबाव-समूह की कार्य प्रणाली मुख्यतः निम्न है—

- 1 राजनीतिक सहभागिता—दबाव समूह चुनावों में उन उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हैं जिनसे उन्हें यह आशा होती है कि वे संसद या सरकार में पहुँचकर उनके (दबाव समूह) हितों का रक्षा करेंगे। ये समूह अपने पक्ष के राजनीतिक दलों में आर्थिक सहायता देते हैं और व्यवस्थापिका या कार्यपालिका में अपनी शक्ति दबाने के लिए पदों के पीछे खेल खेलते हैं।
- 2 प्रचारात्मक भूमिका—दबाव समूह जनता में अपने पक्ष में सद्भावना का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रचार साधनों का प्रयोग करते हैं। प्रचारात्मक साहित्य प्रकाशित किया जाता है। प्रेस, रेडियो, टेलिविजन, सावजनिक सम्बंधों के विशेषज्ञों की मेवाघ्रा का उपयोग किया जाता है। अपने पक्ष में जनमत का निर्माण करके दबाव-समूह सरकारी यंत्र पर प्रभाव डालते हैं। अमेरिकी मंडीकल एसोसियेशन ने कंगडा डालर अनिवाय स्वास्थ्य बीमा के विरुद्ध प्रचार करने में व्यय कर दिए थे— क्योंकि उसे भय था कि इस योजना में दवाईयों का उपयोग सरकार के नियंत्रण में चला जायगा।
- 3 तथ्य सफलता—दबाव समूह सरकारी नीति निर्माताओं के समक्ष प्रभावशाली रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करते हैं। इस उपाय से वे जनमत को अपने पक्ष में जागत कर अधिकारियों पर दबाव डालने में सफल होते हैं।

- 4 **संगोष्ठियों का आयोजन**—साधन सम्पन्न दबाव समूह समय-समय पर संगोष्ठियों, मेमिनारो, भाषणमालाओं, वार्ताओं आदि का आयोजन करते हैं जिनमें समद सदस्यों और प्रकाशनीय अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है। इन गोष्ठियों आदि के द्वारा दबाव-समूह लोगो के सामने अपने उद्देश्य का प्रभावशाली रूप में व्यक्त करते हैं। सरकारी अधिकारी दबाव समूहों की व्यापकता और उनकी साधन सम्पन्नता से परिचित हो जाते हैं और प्रायः ऐसे कदम उठाने में बचन की कोशिश करते हैं जिनसे कि दबाव-समूहों से टकरान की नीजत आ जाएगी।
- 5 **सम्पर्क एवं मंत्रणा**—दबाव-समूह 'लाविङ्ग' द्वारा सरकार पर सीधे दबाव डालने का प्रयास करते हैं, दबाव-समूहों के प्रतिनिधि ससद के जनकक्षा में जाकर प्रत्यक्ष रूप में विधायकों से सम्पर्क स्थापित करते हैं और उन पर विभिन्न उपग्रहों से यह जार डालते हैं कि वे ऐसा कोई कानून पारित न होने दें जिससे उनके (दबाव-समूहों) हितों को हानि पहुँचती हो। ये प्रतिनिधि अपने दबाव समूहों के पक्ष में विधि निर्माण करवाने के लिए ससद सदस्यों को प्रभावित करत हैं।
- 6 **निणय कर्ताओं का घेराव**—दबाव समूह न केवल उपरोक्त तरीकों को ही काम में लेते हैं अपितु, ये अपनी बात मनमाने के लिए निणय कर्ताओं का घेराव कर दबाव डालते हैं और निणयकर्ताओं को इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि वे ऐसा कोई निणय न लें जिनसे उनके हितों का उल्लंघन हो।
- 7 **हडताल प्रमोद्य शस्त्र है**—जब घेराव जैसे प्रान्तिकारी साधन से उद्देश्य प्राप्त न होता दबाव-समूह अपने अग्रिम शस्त्र हडताल का सहारा लेते हैं। हडताल के माध्यम से निणयकर्ता सत्ताधिकारियों पर दबाव डालकर अपने हितों के अनुरूप निणय करवाने का प्रयास करते हैं।

इस प्रकार दबाव-समूह अपने हितों की पूर्ति की दिशा में उचित, अनुचित, शान्तिपूर्ण अथवा प्रान्तिकारी सभी प्रकार की तकनीकों को काम में लाते हैं।

पाद टिप्पणी

- 1 फ्रेडरिक्स बाल जे०, कास्टीट्यूशनल गवर्नमेण्ट ऐण्ड डिमोक्रेसी
- 2 आशीर्वादम् राजनीति विज्ञान, पृ० 485
- 3 वेण्ट्रे आथर, दि प्रासिस आव् गवर्नमेण्ट, ए स्टडी ऑव सोशल प्रेशस
- 4 ट्रूमैन डेविड, दि गवर्नमेण्टल प्रासिस पॉलिटिकल इंटेरेस्ट्स एण्ड पब्लिक प्रापिनिषन
- 5 वही ।

निर्वाचन एवं प्रतिनिधित्व

आधुनिक राज्यों में प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलन है। लोकतन्त्र की प्रारम्भिक अवस्था में¹ सभी नागरिक प्रत्यक्षत नीति-निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में भाग लेते थे लेकिन आज के इतने बड़े विस्तृत एवं लम्बे-चौड़े राज्यों में सम्पूर्ण नागरिक एक ही जगह मिलकर शासन संचालन कर यह संभव असम्भव है। अतः आज मतदाता अपने मतों के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का शासन संचालन की वागडार सौंपते हैं। लेकिन इस सन्दर्भ में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं जैसे—इन प्रतिनिधित्व प्रणाली का विकास क्यों और कैसे हुआ? जन प्रतिनिधि कैसे चुने जाएँ—अर्थात् प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त क्या हैं? मतदाता कि-हूँ तथा किस आधार पर प्रतिनिधियों का निर्वाचन करें। मतदानार्थी एवं प्रतिनिधियों दोनों की क्या योग्यताएँ होनी चाहिए? कि-हूँ मतदान का अधिकार प्रदान किया जाये? क्या सभी लोगों को मनाधिकार प्रदान कर दिया जाए? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के क्या आधार हों? आदि अनेक प्रश्न इस सन्दर्भ में समय-समय पर उठते रहते हैं। इन प्रश्नों का संक्षेप में हम निम्न प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं—

ऐतिहासिक सन्दर्भ—प्रतिनिधित्व प्रणाली का विकास क्या और कैसे हुआ, इस बात के कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।² सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि जब मध्ययुग में कुछ राजाओं का धर्म की आवश्यकता हुआ करती थी, तो वे करारोपण के सम्बन्ध में मन्त्रणा लेने के लिए मन्त्रणाकारण के कुछ प्रतिनिधियों को बुलाया करते थे। इस प्रकार जर्मन शत्रु भिन्न दशा में भिन्न नामों से एक संस्था स्थापित हुई जिसे इंग्लैण्ड में पैरियामण्ट, फ्रांस में एस्टेट्स जनरल, स्पेन में कोर्टेस और जर्मनी में टायट कहा गया। ये संस्थाएँ 13वीं शताब्दी के अन्त

म और 14वीं शताब्दी के प्रारम्भ में उत्पन्न हुई। शीघ्र ही ये समस्याएँ अपने अपने देश में महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय वाय सम्पादन करने लगीं। किन्तु प्रारम्भ में किसी दश की विधायिका का स्वरूप लोकतन्त्रात्मक नहीं था। इन सभाओं में जनता के कुछ वर्गों का ही प्रतिनिधित्व था। मध्ययुग के समाप्त होते ही राष्ट्रीय चेतना के राज्यों की स्थापना हुई जिनमें गजतन्त्र सरल थे। उन्होंने सभाओं को या तो बिल्कुल चिन्ता नहीं की या उन्हें सामान्य ग्रीपचारिक विधायिकाएँ मात्र मान लिया। किन्तु ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्थिति भिन्न थी। प्रॉमवेल और चाल्स के बीच जो मध्य हुआ था उसके पत्रस्वरूप पार्लियामेंट विजयी होकर निकली। 1688 की महान् क्रान्ति ने भी सिद्ध कर दिया कि संसद सर्वोच्च सत्ता है और राजा उसका अनुचर है। फिर भी ब्रितानी पार्लियामेंट का स्वरूप लोकतन्त्रीय नहीं था। लेकिन शनैः शनैः ब्रितानी पार्लियामेंट सहित सभी विधायिकाओं का स्वरूप लोकतन्त्र हो गया। आजकल प्रत्येक लोकतन्त्र देश में प्रतिनिध्यात्मक समस्याएँ हैं जो शासन के अभिन्न और महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में वाय कर रही हैं। जनता की सरकार का विचार इतना लोकप्रिय हो गया है कि कुछ अधिनायकवादी सरकारों ने भी प्रतिनिधिक समस्याओं की व्यवस्था की है जिन्हें वे लोक इच्छा का प्रतिनिधि कहने का दावा करते हैं। हिटलर और मुसोलिनी ने भी नाम मात्र की संसदें बनाकर रख छोड़ी थीं।

मताधिकार के दो आधार—मताधिकार का सही आधार क्या है, यह भी लोकतन्त्र की सर्वाधिक कठिन समस्याओं में से एक है। इस सम्बन्ध में दो महत्त्वपूर्ण विचारपथ हमारे समक्ष आते हैं। पहले पथ के अनुसार प्रभुसत्ता अतन्त्र लोगों में निहित होती है और प्रत्येक नागरिक का मतदान और सरकार की नीति का निश्चय करने में भाग लेने का जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकतन्त्र मनुष्य की समानता की स्थापना करता है और राजनीतिक समानता केवल तभी हासिल हो सकती है जब सब नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त हो। दूसरे पथ के अनुसार मताधिकार नागरिकों का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। राज्य ही यह अधिकार नागरिकों को देता है। चूँकि मताधिकार एक पवित्र अधिकार है, अतः यह केवल विवेकशील लोगों का ही दिया जा सकता है। मूल पथ अन्यायी इसका दुरुपयोग कर लोकतन्त्र का भविष्य अधकारमय बना देंगे।

आज एक दश के उन सभी नागरिकों का मताधिकार प्रदान किया गया है जो वयस्कता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो पागल दिवांसिण एवं विदेशी नहीं हैं।

कुछ राज्य ऐसे भी रहें हैं जो मताधिकार का आधार शिक्षा एवं सम्पत्ति का मानते रहे हैं। एक निश्चित सीमा तक शिक्षा ग्रहण करने अथवा एक सीमा तक सम्पत्ति अर्जन कर उमका कर चुकाना, मताधिकार की शर्त रखी गई, लेकिन आज इन शर्तों को बरीबरी सभी देशों में हटा दिया गया है।

न केवल आयु भेद बल्कि लिंग भेद के आधार पर भी मताधिकार तय किया जाता है अभी थोड़े दिन पहिले तक स्विटजरलैण्ड में मतदान का अधिकार केवल पुरुषों तक ही सीमित था, स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अमेरिका में स्त्रियों को पूरा मतदान का अधिकार 1920 में, ब्रिटेन में 1918 में सीमित तथा 1928 में पूरा मतदान का अधिकार प्रदान किया गया।

निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारण के आधार—इसी प्रकार निर्वाचन से सम्बंधित एक अन्य समस्या है कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कैसे किया जाय। निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए भी दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। प्रथम एक सदस्यीय निर्वाचित क्षेत्र विधि तथा द्वितीय बहुल सदस्यीय निर्वाचन विधि। प्रथम विधि में एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। जितने सदस्य चुन जाते हैं, उतने ही क्षेत्रों में देश को बाँट दिया जाता है। ऐसे सब निर्वाचन क्षेत्र आकार में प्रायः समान होते हैं। दूसरी विधि को साधारण टिकट प्रणाली अथवा बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली कहा जाता है। इसमें सारे देश को उतने निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं बाँटा जाता जितने प्रतिनिधि चुन जाते हैं बल्कि कुछ छोटे निर्वाचन क्षेत्र बना लिए जाते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन होता है। इस प्रणाली के अन्तगत प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार होता है, जितने कि उस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि चुने जाते हैं।

इसी प्रकार चुनाव विधियों के सम्बन्ध में भी बिबाद की स्थिति पायी जाती है। प्रतिनिधियों को चुनने की मुख्यतः दो विधियाँ हैं। यदि मतदाता चुनाव में प्रत्यक्षतः भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो यह चुनाव की प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। यदि मतदाता अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेते, केवल उस माध्यमिक सस्था का ही चुनते हैं, जो प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तो चुनाव की यह प्रणाली अप्रत्यक्ष कहलाती है। निर्वाचकों की यह माध्यमिक सस्था साधारणतया निर्वाचक मण्डल कहलाता है।

अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

सामान्यतः यह कहा जाता है कि प्रतिनिधित्व की वर्तमान प्रणाली सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। जा उम्मीदवार मता की बहुसंख्या प्राप्त करता है, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है और वह व्यवस्थापिका में केवल उन निर्वाचकों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जिनके मता को वह प्राप्त कर सका है। प्रतिनिधित्व की ऐसी प्रणाली, जहाँ केवल बहुमत को ही प्रतिनिधित्व मिलता हो, लोकतंत्र पर पूरी तरह आधारित नहीं है। अतः लोकतंत्र की माँग है कि देश के राजनीतिक प्रशासन में सभी वर्गों का हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में सभी वर्गों को शासन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए अथवा अल्पमत

1 हेयर-प्रणाली अथवा एकल सक्रमणीय मत प्रणाली

अनुपातिक प्रतिनिधित्व से साधारणतया सम्बन्धित योजना अथवा प्रयोग हेयर प्रणाली कहनाता है। टॉमस हेयर ने इस प्रणाली का सबसे प्रथम 1851 में प्रतिपादन किया अतः इस हेयर प्रणाली कहा जाता है। "इस एण्ड्रे प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। एण्ड्रे ने 1855 में इसे डे-माक में लागू किया। कुछ लोग इसे एक सक्रमणीय मत प्रणाली भी कहते हैं क्योंकि उन उम्मीदवारों का मत आश्रित्य जो निर्वाचित घोषित हो चुकते हैं, उन उम्मीदवारों का दे दिया जाता है, जिन्हें उससे सहायता हाँ सकती है। उस वरीयता के कारण, जो एक मतदाता उम्मीदवारों को प्रदान करना चाहता है, उस आधार पर इसे वरीय प्रणाली कहते हैं।"

इसमें मुख्यतः निम्न बातें सम्मिलित होती हैं—

- (i) मतदाता इसमें वरीयता के रूप में मतदान करते हैं। वरीयता एक से अधिक दी जा सकती है। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित किये जाते हैं।
- (ii) इसमें वरीयतायें स्थानांतरित होती रहती हैं।
- (iii) इसमें एक कोटा निश्चित कर दिया जाता है, जिससे निश्चित कोटा जितने मत प्राप्त कर लिए हो तो उसे विजयी घोषित किया जाता है। कोटा निश्चित करने की विधि निम्न है—

$$\text{कोटा} = \frac{\text{बैधमत}}{\text{उम्मीदवारों की संख्या} + 1} + 1$$

मतदाता मतपत्र में अपनी पसंद उम्मीदवारों के नाम के आगे 1, 2, 3, 4, 5 आदि क्रम लिखकर प्रकट करता है। मतदान के बाद जोड़ा जाता है कि किस उम्मीदवार को 1 नम्बर की पसंदें कितनी मिली हैं। जिन उम्मीदवारों को निश्चित कोटा के बराबर मत मिल जाते हैं उसे विजयी घोषित कर लिया जाता है। यदि किसी को कोटे से अधिक मत मिले हैं तो उन मतों का भी नाम उठाया जाता है, उन्हें मतपत्रों की सूची में क्रम में दूसरे उम्मीदवारों को दे दिया जाता है। मतपत्र में प्रकट की गयी पसंद क्रम में केवल उन्हीं उम्मीदवारों के वचे हुए मत क्रमिक तः दूसरे उम्मीदवारों को दिए जाते हैं जिन्हें आवश्यकता में अधिक मत मिले हैं बल्कि, जिन्होंने सबसे कम मत प्राप्त किये हैं तथा जिनके विजयी होने की कोई आशा नहीं है उन उम्मीदवारों को भी पहली पसंद के जितने मत मिले हैं, वे क्रमिक तः से दूसरों को दे दिए जाते हैं। उनके मतपत्रों की ध्यानहीन उन्हें प्राप्त दूसरी नीमरी,

वर्गों को नाम मात्र का प्रतिनिधित्व द दिन से क्या लाभ ? जत्र अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता ता विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का जनता की अधिकतम महमति प्राप्त नहीं हो सकेगी । जहाँ कानून बनाने में लोगों की सहमति नहीं होनी, वहाँ कानूनों की अनुपालना में भी कठिनाई हानी है । जिन अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता— वे बहुसंख्यकों के शासन व अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि आज के राजनीतिक अस्तित्व के क्रांतिकारी वा जात हैं ।⁴ अतः प्रतिनिधित्व का कोई एक ऐसा सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए जिससे समाज में जितने भी वर्ग निवास कर रहे हैं, उन सभी वर्गों का उनका अनुपात में विधायिका में प्रतिनिधित्व हो जाय । जे० एम० मिल का कहना है कि समाज के सभी वर्गों का उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व का सबसे अच्छा सिद्धांत आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त है ।⁵ अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए मुख्यतः निम्न प्रतिनिधित्व प्रणालियाँ अस्तित्व में हैं—

- (i) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
- (ii) सीमित मतदान की योजना,
- (iii) वैकल्पिक अथवा सभाध्य मतदान प्रणाली
- (iv) साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व,
- (v) सचित मतदान प्रणाली, तथा
- (vi) द्वितीय मत प्रणाली ।

लेकिन इन सभी प्रणालियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ही ज्यादा प्रचलित एवं लोकप्रिय है अतः यहाँ हम इसी पर विस्तार से विचार करेंगे ।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है जे० एम० मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सबसे ज्यादा समर्थन किया है । आनुपातिक प्रतिनिधित्व का लक्ष्य सभी वर्गों को उनके मतदान की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करना है । इसका आशय यह है कि प्रत्येक वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से साधारण से शब्दा में तात्पर्य है कि समाज में प्रतिनिधित्व का आधार जनता के अनुपात में होना चाहिए । जिस वर्ग में जितने लोग समाज में निवास करते हैं, उन लोगों के अनुपात में उनका राजनीतिक शासन में प्रतिनिधित्व होना चाहिए । आनुपातिक प्रतिनिधित्व के केवल दो ही भेद हैं—(1) हेयर की एकल सत्रमणीय मत प्रणाली और (2) सूची-प्रणाली ।

1 हैयर-प्रणाली अथवा एकल सक्रमणीय मत प्रणाली

आनुपातिक प्रतिनिधित्व से साधारणतया सम्बन्धित याजना अथवा प्रयोग हैयर-प्रणाली कहलाता है। टामस हैयर ने इस प्रणाली का मबप्रथम 1851 में प्रतिपादन किया अत्र इसे हैयर प्रणाली कहा जाता है।¹⁶ इस एण्ड्रे प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। एण्ड्रे ने 1855 में इसे डे-माक में लागू किया। कुछ लोग इसे एक सक्रमणीय मत प्रणाली भी कहते हैं क्योंकि उन उम्मीदवारों का मत अधिक्य जो निर्वाचित घोषित हो चुकते हैं उन उम्मीदवारों को दे दिया जाता है, जिन्हें उससे सहायता हो सकती है। उन वरीयता के कारण, जो एक मतदाता उम्मीदवारों को प्रदान करना चाहता है, उस आधार पर इसे वरीय प्रणाली कहते हैं।¹⁷

इसमें मुख्यतः निम्न बातें सम्मिलित होती हैं—

- (i) मतदाता इसमें वरीयता के रूप में मतदान करते हैं। वरीयता एक से अधिक दी जा सकती है। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित किये जाते हैं।
- (ii) इसमें वरीयतायें स्थानान्तरित होती रहती हैं।
- (iii) इसमें एक कोटा निश्चित कर दिया जाता है जिसने निश्चित कोटा जितने मत प्राप्त कर लिए हो तो उसे विजयी घोषित किया जाता है। कोटा निश्चित करने की विधि निम्न है—

$$\text{कोटा} = \frac{\text{बैधमत}}{\text{उम्मीदवारों की संख्या} + 1} + 1$$

मतदाता मतपत्र में अपनी पसंद उम्मीदवारों के नाम के भाग 1, 2, 3, 4, 5 आदि अंक लिखकर प्रकट करता है। मतदान के बाद जोड़ा जाता है कि किस उम्मीदवार को 1 नम्बर की पसन्द कितनी मिली है। जिन उम्मीदवारों को निश्चित कोटा का बराबर मत मिल जाते हैं उसे विजयी घोषित कर लिया जाता है। यदि किसी को कोटे से अधिक मत मिले हैं तो उन मतों का भी लाभ उठाया जाता है, उन्हें मतपत्र की सूची में क्रम में दूसरे उम्मीदवारों को दे दिया जाता है। मतपत्र में प्रकट की गयी पसन्द क्रम में केवल उन्हीं उम्मीदवारों के बचे हुए मत क्रमिक ढंग से दूसरे उम्मीदवारों को दिए जाते हैं जिन्हें आवश्यकता से अधिक मत मिले हैं बल्कि, जिन्होंने सबसे कम मत प्राप्त किये हैं तथा जिनके विजयी होने की कोई भाशा नहीं है उन उम्मीदवारों को भी पहली पसन्द के जितने मत मिले हैं, वे क्रमिक ढंग से दूसरों को दे दिए जाते हैं। उनके मतपत्रों की छानवीन उन्हें प्राप्त दूसरी तीसरी

चौथी आदि पसन्दों की गणना की जाती है, और उसी के अनुसार मत दूसरों को स्थानांतरित किए जाते हैं। मतों का यह दोहरा हस्तान्तरण निर्वाचन प्रतियोगिता से बाहर न हो जाने वाले उम्मीदवारों के बीच तब तक चलता रहता है जब तक आवश्यक कोटा पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या उतनी नहीं हो जाती जितने प्रतिनिधि उस निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। ऐसी स्थिति आ जाने पर मतों का हस्तान्तरण रोक दिया जाता है और परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं।

सूची-प्रणाली

आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक अर्थ स्वरूप सूची प्रणाली है। इस योजना के अनुसार सब उम्मीदवारों को उनके दल के अनुरूप सूचीबद्ध किया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, प्रत्येक दल पूर्ण की जाने वाली सीटों को संख्या तक अपने उम्मीदवारों की सूची उपस्थित करता है। मतदाता मतपत्र की सूची के मतदान करता है और सूची लिखित व्यक्तिगत उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए मत स्वतः ही सूची के लिए मत के रूप में गिने जाते हैं। इसका आशय यह है कि मतदाता दल के लिए अथवा दल द्वारा बनायी गयी सूची के लिए मतदान करता है, न कि उम्मीदवार के लिए और सीटों का प्रत्येक सूची के लिए प्राप्त मतों की संख्या व अनुपात में दलों में विभाजित किया जाता है। उम्मीदवार के लिए आवश्यक मतों की संख्या का कोटा हेयर प्रणाली की भाँति निश्चित कर दिया जाता है इसके बाद प्रत्येक दल सूची द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या को कोटा द्वारा विभाजित किया जाता है और उसका भूजाफल प्रतिनिधियों की वह संख्या होती है जिसका प्रत्येक दल अधिकारी होता है।

सूची प्रणाली अत्यंत सरल है। इसमें मतदाता को केवल दल का निर्वाचन करना होता है। ज्यों ही वह दल का निर्वाचन करता है व उस दल के सभी प्रत्याशियों को अपने मत दे देता है। इस प्रथा द्वारा दलों के नेताओं का महत्व आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाता है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक मूल्यांकन

इस प्रणाली के प्रशंसकों का मानना है कि यह निर्वाचन अत्यंत लोकतांत्रिक प्रणाली है। यह एक ऐसी विधि है, जो छोटे या बड़े सभी दलों का प्रतिनिधित्व का भरोसा प्रदान करती है और वह भी उनके मतदान की राशि के अनुपात में। इस तरह संसद सब लोगों की राय का आईना (Mirror) बन जाता है। लाड

एकटन का कहना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विषय में कहते हैं कि 'यह प्रणाली अत्यधिक प्रजातांत्रिक है। इसमें जन सहला व्यक्तिता की आवाज का महत्त्व बढ़ जाता है, जिनकी, अर्थात्, शासन में कोई आवाज ही नहीं हो सकती थी, और इसके द्वारा एक ऐसा उपाय से जिससे कि कोई भी मत व्यर्थ नहीं जाता, मनुष्य को समानता के अधिक निकट ला दिया जाता है और प्रत्येक मतदाता अपना एक सदस्य संसद में लाने में योगदान करता है।

इस प्रणाली में दल की सुरक्षा और राजनीतिक सत्ताप की भावना बढ़ती है। इस व्यवस्था में इसीलिए राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ जाती है और परिणामस्वरूप दवाव समूहों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जाती है। अनेक दल मिल-जुल कर सविद्ध सरकार (Coalitional Government) निर्माण करते हैं। लेकिन इन प्रणालियों की अपेक्षा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आलाचनाएँ ही ज्यादा की गयी हैं। इस सम्बन्ध में मन्वप्रयम लास्की के विचारों का उल्लेख करना युक्तिसंगत होगा। लास्की का कहना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जन-जीवन के सम्मान को उन्नत करने में असफल रही है क्योंकि यह छोटे दलों को जन्म देती है जो सम्बद्ध सावजनिक मत की प्राप्ति असम्भव कर देते हैं। बहुदलीय प्रणाली दुबल सरकार की द्योतक है और दुबल सरकार का अन्तत अर्थ है—अनुत्तरदायी सरकार। ऐसी सरकार में दलबदल, भ्रष्टाचार राजनीतिक अनैतिकता, स्वाधपारता एवम् पक्षपात जैसी बुराइयों का बालबाला बढ़ जाता है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली पर्याप्त रूप में जटिल और अमोतम मतदाता की समझ से ग्राह्य है। ह्यर प्रणाली (एकल सन्नमणीय मत पद्धति) में मतों की गणना और पुनगणना, उसका स्थानांतरण आदि एक जटिल एवम् दुगम समस्या है और उसके साथ ही मनो सम्बन्धी वरीयताएँ (Preferences) की गणना भी पचीदगी है।

इस प्रकार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के पक्ष एवं विपक्ष में अनेक तक प्रस्तुत किये गये हैं परंतु यदि इस प्रणाली को दग से उपयोग में लाया जाये तो इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का कम किया जा सकता है तथा राजनीतिक व्यवस्था को और अधिक प्रजातांत्रिक बनाया जा सकता है। यदि देश में प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, यदि देश के नागरिक सही मायने में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना में विश्वास करते हैं तो यह प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त साबित हो सकती है।

पाद टिप्पणी

- 1 यहाँ आज से अठ्ठाई हजार वर्ष यूनान के नगर राज्या में प्रचलित प्रजातांत्रिक व्यवस्था से तात्पर्य है ।
- 2 प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में नागरिकता सम्बन्धी अधिकार कुछ ही लोगों तक सीमित थे । स्त्रियों एवम् दासा का नागरिकता सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नहीं था ।
- 3 सेंट ई० एम, पॉलिटिकल इन्स्टीट्यूशंस, प० 467-499
- 4 मित्र जे० एस०, रिप्रिजेंटेटिव गवर्नमेण्ट ।
- 5 वही,
- 6 हेयर टॉमस, इलेक्शन आन्ड रिप्रिजेंटेटिवज ।
- 7 वही ।

लोकमत आधुनिक परिवेश मे जन-ब्रह्मास्त्र

आधुनिक लोकतंत्र एवम् लोकमत दोनों में गहरा सम्बन्ध है। व्यापक मताधिकार, राजनीतिक दला के संगठन और लोकमत पर आधारित विधायिकाएँ इन सबने लोकमत के महत्त्व को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। यद्यपि राजनीति में “लोकमत” शब्द का उपयोग राजनीति विज्ञान के अर्थ शब्दा की भाँति व्यापक रूप में करते हैं। तदपि इस शब्द के विविध और कभी-कभी विरोधी अर्थ किये जाने की सम्भावनाएँ हैं। यथा एक आधुनिक लेखक ने लिखा है, “यह एक अस्पष्ट शब्द है जिसका उपयोग लेखकगण राजनीतिक और आर्थिक मसला की चर्चा करते समय मनमाने ढंग से किया करते हैं। अतः इस शब्द का प्रयोग काफी सोच समझ के बाद किया जाना चाहिए।”

लोकमत दो व्याख्याएँ

लोकमत के दो महत्त्वपूर्ण विचार हैं—(अ) लोकमत सिद्धांत न होकर विश्वास है। (ब) लोकमत समूची जनता से बनता है। लियनॉड ड्यूश का कहना है, “लोकमत का अर्थ एक ही सामाजिक गुट के सदस्यों के रूप में जनता का किसी प्रश्न या समस्या के प्रति रखे गए विचार है।”¹ विल्हेल्म बाबर वास्तविक लोकमत और जनता में अभिव्यक्त मत में अन्तर बतलाते हैं।² जनता द्वारा अभिव्यक्त मत तो वास्तविक में वैयक्तिक होता है जबकि लोकमत एक बहुत ही व्यापक सुसंगठित शक्ति है। लोकमत में मुख्यतः चार बातें निहित होती हैं

- (1) लोकमत समुदाय या जनता की भावना पर आधारित होते हैं।

- (ii) समुदाय के इन सदस्यों का अर्थात् जनता के कुछ सामान्यहित या समस्याएँ होती हैं जिनके सम्बन्ध में वे एक-दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, भले ही कभी कभी किसी हद तक वे एक-दूसरे से मतभेद भी रहें।
- (iii) एक या अधिक मत होते हैं जिनका काम समय-समय पर उत्पन्न मसलों पर अपना मत स्थिर करना और फिर गुट के सदस्यों अर्थात् जनता का ध्यान उस मत की ओर आकर्षित करना होता है।
- (iv) गुट के सदस्यों द्वारा इस मत को स्वीकार किया जाना है और इस मत से उत्पन्न जरूरी कार्यवाही का समर्थन करना है।

बुद्धि अथ लेखक की मानना है कि वाद विवाद लोकमत का सार है। परस्पर विरोधी विचारों और शक्तियों की अन्तर्नि्या से लोकमत बनता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि लोकमत शिक्षामूलक होता है। अनेक बार सोचकर ही जनता सोचना सीख सकती है। आज कोई भी सरकार माधारणतः लोकमत की अवहेलना नहीं करगी, क्योंकि ऐसा करने का अन्तिम परिणाम जनता का कोपभाजन बनना होगा।

लोकमत मूल्यांकन

लोकमत की पहिचान हमेशा आसानी से नहीं होती और पहिचान लेने पर भी यह निश्चय करना आसान नहीं होता कि उसमें 'लोक' और 'मत' दानो हैं ही। यदि हम चाहते हैं कि लोकमत से सममुच जनता को लाभ हो तो हम सही लोकमत और गलत लोकमत में अन्तर करना होगा। आजकल जो कुछ लोकमत मान लिया जाता है उसका बहुत बड़ा अर्थ बहुत ही कृत्रिम परिस्थितियों से बनता है। यह मत किसी-किसी प्रकार के दबाव डालने वाले गुटों एवम् निहित स्वार्थों का मत होता है। लोकमत बही है जो बिना किसी बाहरी दबाव एवम् निःस्वार्थ की भावना पर आधारित हो तथा जो स्वतन्त्र जनमानस में विकसित होता हो। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में अनेक तत्त्व यागदान देते हैं जिनमें स्वस्थ प्रचार समाचार-पत्रा सुसंगठित राजनीतिक दलों आदि का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इन सभी सम्भावनों को विधेयात्मक कदम उठाने हुए स्वस्थ लोकमत की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। यदि लोकमत का साथ बनाना है तो यह जरूरी है कि वह विचारपूर्ण, सुव्यक्त और व्यापक हो। उस इतम योग्य होना चाहिए कि उसका प्रतिपादन किया जा सके और उसे उस प्रकार प्रकट किया जा सके कि समझ में आ जाए। स्वस्थ लोकमत के निर्माण और प्रसार के लिए आवश्यक है कि नेताओं एवम् जनता दोनों में निष्पक्ष दृष्टिकोण, शांत विचार और प्रौढ विवेक हो। यदि

लोकमत के निर्माण में जनता का महत्वपूर्ण भाग लेना है तो यह जरूरी है कि लोग सुशिक्षित हों, विचारशील हों, और पूर्व-धारणाओं द्वेष आदि से मुक्त हों और उन्हें इतना भ्रवकाश हो कि वे प्रमाणों की परख करके एक सुविचारित निष्पत्ति तक पहुँच सकें। यद्यपि लोकमत की सही सही खोज बंठित होती है फिर भी वही एक एक मजबूत आधारशिला है जिसपर स्थायी लोकतंत्र का निर्माण किया जा सकता है।

कानून की अवधारणा

सम्प्रभुता' का विचार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आधार है। यह वह गीद की हड्डी है जिसने राज्य का शक्तिशाली बनाये रखा है तथा अय समुदायो की तुलना म महत्वपूर्ण स्थान दिला रगा है। सम्प्रभुता के प्रत्येक विचार विमश म कानून का सवाल ही सदैव मौजूद रहता है। सम्प्रभुता की अभिव्यक्ति यदि कानून के रूप म तथा इसका उपयोग कानून के रूप म न हो तो इसका कोई विशेष मूल्य नहीं रह जाएगा। अतः राज्य सम्प्रभुता पर और सम्प्रभुता कानून के निर्माण एवम् क्रिया-यवन पर आधारित होती है।

अंग्रेजी भाषा मे कानून का समानार्थी शब्द ला (law) है गिलशारस्ट ने बताया है कि इस 'ला' शब्द की उत्पत्ति पुरानी ट्यूशन (जमन) भाषा की लेग (lag) धातु से हुई है जिसका अर्थ है 'वह जो स्थिर और सवत्र समान रहे।' मकाइवर का भी इस मतर्भ मे कहना है कि कानून का शासन सर्वत्र है कानून सवव्यापी है। जहा कही जीवन है वहा उसके सवव्यापी कानून है और प्रत्येक प्रकार के जीवन के अनुरूप उसके अपने कानून भी हैं।

कानून' शब्द का उपयोग अनेक अर्थों मे किया जाता है जैसे कि—(i) कानूनिक कानूना के रूप मे जिम किसी काय का और उसके कारण का सम्बन्ध कायम किया जाता है। (ii) सामाजिक कानून—स श्रेणी म वे कानून आते हैं जा व्यक्ति का समाज के एक सदस्य के रूप म भाग प्रदर्शन करते हैं। इहे रीति रिवाज या प्रथायें कहना अधिक युक्तिसंगत हागा। (iii) नैतिक कानून—य वे कानून हैं जो सत् अमत् की मौलिक समस्याओं म सम्बन्ध रखते हैं। नैतिक नियमों का सम्बन्ध अन्तःकरण अथवा विवेक हाता है। (iv) राजनीतिक कानून—इस श्रेणी म वे कानून आते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार का राज्य के एक सदस्य के रूप मे नियंत्रण एवम् पथ प्रदर्शन करते हैं।

कानून की परिभाषा

कानून के शास्त्रीय मिडान्त के प्रणेता आस्टिन का कहना है कि कानून वह आदेश है जो कि राजनीतिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली द्वारा राजनीतिक दृष्टि से कम शक्तिशाली को दिया जाता है। लेकिन इस परिभाषा में समाज में प्रचलित प्रथाएँ अथवा परम्पराएँ नहीं आ पाती। अतः कुछ विचारक जैसे सर हेनरी मेन आदि इसे एक सखीण परिभाषा मानते हैं। जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण में विश्वास रखने वाले विचारक हैं उनको दृष्टि में कानून विभिन्न सामाजिक बलों का परिणाम है। इसी प्रकार वुडरो विल्सन का कहना है कि 'कानून हमारे वे आचार-विचार हैं जिनको सबसे समान नियमों के रूप में निश्चित मायताएँ मिल जाती हैं और जिनका सरकार की शक्ति और सत्ता का समर्थन प्राप्त रहता है।'

इस प्रकार कानून की इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि कानून किसी राज्य की सामाजिक दशा को प्रतिबिम्बित करता है। वह नियमों का एक सकलन मात्र है, वह व्यक्ति के बाहरी व्यवहार का नियंत्रण करने वाली शक्ति है और उसमें दबाव का तत्त्व निहित है जिसे नैतिक दबाव की अपेक्षा भौतिक दबाव अधिक है।

कानून के स्रोत

राज्य की भाँति कानून का निवास भी शर्न शर्न हुआ है और उसके विकास में अनेक कारकों का योगदान रहा है। कानून के निम्नलिखित स्रोत बताये गये हैं—

राज्य की भाँति कानून भी इतिहास की उपज है। यह विकास के विभिन्न स्तरों में से निकलता है तथा इसके विकास में अनेक अंशों ने योगदान किया है। इन सब अंशों को कानून का स्रोत कहा जा सकता है। ये प्रमुख स्रोत निम्न हैं—

परम्पराओं, रूढ़ियों तथा रीतियों का कानून का प्राचीनतम स्रोत कहा जा सकता है। विधि शास्त्र के विभिन्न सम्प्रदाय रूढ़ियों के कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानने में वास्तविक सहमति रखते हैं। परंतु राजनीतिक शब्दावली की दृष्टि से रूढ़ियाँ कानून नहीं हैं किंतु जब राज्य इन रीतियों के बंधन के रूप में स्वीकार कर लेता है तो वे कानून के स्तर को ग्रहण कर लेती हैं। कोई भी राज्य अपने देश के रीतियों के विरुद्ध नहीं कर सकता।

प्राचीन समाज में प्रथाएँ एवं रीतियों के विरुद्ध ही कानून थी और कानून धर्म था। कानून एवं धर्म दोनों इनने धुले मिले थे कि जीवन के सब नियमों को धार्मिक मायता थी। भारत में वर्तमान हिंदू कानून का सर्वाधिक प्रभावकारी आधार मनु की संहिता है तथा मुसलमानी कानून का स्रोत शरीअत है।

स्वतंत्रता की अवधारणा

स्वतंत्रता की धारणा राजनीतिक सिद्धांत की उन अवधारणाओं में से है जो एक लम्बे इतिहास के दौरान विकसित हुई है। विश्व की अनेक क्रांतियों, और समाज में तरह-तरह के परिवर्तनों का कारण स्वतंत्रता की आकांक्षा ही रही है। कोई भी भावना व्यक्ति को इतनी प्रभावित नहीं करती, जितनी कि स्वतंत्रता की भावना। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता का अत्यधिक महत्व है। इसके बिना व्यक्ति स्वयं को भरा पूरा महसूस नहीं करता। स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति पिछरे में बंद पक्षी के समान है, जिसके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग छीन लिया गया हो। स्वतंत्रता शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपना 'तंत्र' अर्थात् आत्म अनुशासन अपने ऊपर अपना शासन। इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी रोक टोक के अपने विवेक एवं इच्छानुसार काम करने की छूट रहे। स्वतंत्रता उच्छ्वलता की पर्यायवाची नहीं है, मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं चाहता। स्वतंत्रता का अर्थ है 'व्यक्तित्व के विकास के अवसर'। लास्की करता है। स्वतंत्रता का अर्थ है 'व्यक्तित्व के विकास के अवसर'। लास्की स्वतंत्रता का अर्थ देते हुए स्वतंत्रता का सकारात्मक मानते हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। लास्की ही भौतिक नैतिक तथा व्यक्तित्व के विकास के इच्छक होते हैं। ऐसा वे सभी कर पाते हैं जब समाज कुछ नियमों द्वारा उनके हितों की रक्षा कर सब। अब स्वतंत्रता के पालन कर पाते हैं। लास्की न कि स्वतंत्रता है वेरा बर्न उस माता जिस बच्चे

राज्य के बचनो से पूणत स्वतन्त्र रखा जाना चाहिए। इनका दावा है कि व्यक्ति राज्यविहीन समाज में ही अपनी क्षमता के अनुसार उन्नति के सुअवसर प्राप्त हो सकता है।

इस प्रकार कानून को स्वतन्त्रता के विरुद्ध माना गया है।

इसके विपरीत दूसरी विचारधारा के समर्थको का कहना है कि स्वतन्त्रता के मांग में कानून बाधा नहीं अपितु स्वतन्त्रता के अस्तित्व के लिए सम्बन्ध प्रदान करते हैं। स्वतन्त्रता का सार कानून है। राज्य के कानून स्वाधीनता को घटाने के बजाय उसे बढ़ाते और कायम रखते हैं। यदि हत्यारे को दण्ड दिया जाता है तो इसका अर्थ भी स्वतन्त्रता की रक्षा करना ही है। जा कानून हत्यारे को दण्ड दिलाता है, वही जनता के अधिकारो की व्याख्या करता है और उनका संरक्षण भी करता है। वस्तुतः स्वतन्त्रता के ऊपर बचन लगने से मनुष्या की प्रसन्नता में वृद्धि होती है।

संक्षेप में कहने का अर्थ यह होगा कि राज्य के नियमों से स्वतन्त्रता का विनाश नहीं होता। वे स्वतन्त्रता के साधक हैं और यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि राज्य द्वारा लगाये गए नियंत्रण से, जनता की स्वतन्त्रता में वृद्धि होती है। यदि बचन एक सीमा से ज्यादा है, तो निश्चय ही उन्हें मनुष्य की स्वतन्त्रता का घातक कहना होगा। अतः स्वतन्त्रता पर कानून का नियंत्रण होना चाहिए लेकिन इतना अधिक नहीं स्वतन्त्रता ही समाप्त हो जाए और न ही यह होना चाहिए कि स्वतन्त्रता कानूनों के अभाव में उच्छ खलता का स्वरूप धारण कर ले। इसीलिए ड्यूवी का कहना है कि 'उत्तरदायित्व के बचन से ही स्वतन्त्रता उच्छ खला बन जाती है। स्वतन्त्रता से असंयमित उत्तरदायित्व स्वेच्छाचारी शक्ति का रूप धारण कर लेता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि क्या स्वतन्त्रता एवं उत्तरदायित्व मिलें, प्रत्युत प्रश्न यह है कि वे किस प्रकार मिल सकते हैं और उनसे किस प्रकार अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है।'

रुद्धियो, घम आदि के अतिरिक्त यायिक निणय भी कानून के महत्त्वपूर्ण स्रोत कह जा सकते हैं। प्रारम्भिक समाजो म जब नडाई भगडे होते थ तो उनके निपटारे का उत्तरदायित्व कुछ विद्वान् लोगो को सौंपा जाता था तथा उनके निणय का माना जाता था उह दृष्टात समभा जाता था। जब सामाजिक सगठन अधिक जटिल हो गया और अलिखित रीति रिवाजा से काम नहीं चलने लगा तो उह लेखवद्ध कर दिया गया। यायधीशा की सस्थापना ने जम लिया। व समय-समय पर जो निणय लेते थे, टीका लिखते थे उससे भी कानून के क्लेवर मे वृद्धि हुई।

वैज्ञानिक भाष्य भी कानून के स्रोत रहे ह। वडे-वडे याय वेत्ताओ के वैज्ञानिक विवादा से भी कानून का सशोभन एव विकास होता है। प्रत्येक राज्य म यायाधीश एव पत्रकार दोनो ही विधि-वेत्ताओ की सम्मतिया को अत्यधिक महत्त्व प्रदान करते हैं। याय-वेत्ता भूतकालीन रीतिया, निणयो और कानूनो का सग्रह करते हैं और दायनिक रूप से उनका श्रम निश्चित करते हैं। वे वतमान विधिया पर विचार करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और जहा वे अस्पष्ट हा, उह स्पष्ट करते हैं। एसा करते हुए, व इस विषय मे अपना मत प्रकट करते हैं कि कानून कैसा होना चाहिए और समाज पर उसका क्या प्रभाव हागा। भूत एव वतमान कानून के आधार पर वे भावी विधान निमाण का पथ प्रदर्शन करते ह। जब यायाधीश याय-वेत्ताओ की सम्मति को स्वीकार कर लेते हैं ता यह वतमान कानून का अंश बन जाती है।

कानून एव स्वतंत्रता

कानून एव स्वतंत्रता दोनो के सम्बन्धो मे सम्बन्ध मे प्रमुखत दो विचार-धाराएँ प्रचलित है। एक विचारधारा का मानना है कि कानूनो के अभाव मे ही स्वतंत्रता सम्भव है क्योंकि राज्य के कानून मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करते हैं तथा व्यक्ति के आंतरिक मामला म हस्तक्षेप करते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत हमारी विचारधारा के समर्थको की मायता है कि कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं अपितु, वे स्वतंत्रता के साधक हैं। व्यक्तिवादी, अराजकतावादी विचारका का मत है कि कानून एव स्वतंत्रता, दोनो को मिलाया नहीं जा सकता। जहा कानून होगा, वहा स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। राज्य की प्रभुत्व शक्ति जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालती है। अतः पद पर, मनुष्य को राज्य के कानूनो की आना माननी पन्ती है। इस प्रकार मनुष्यो की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और उसका काय करने का उत्साह मारा जाता है इसीलिए व्यक्तिवादियो का कहना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य को शक्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के अतिरिक्त कुछ नहीं करना चाहिए। अराजकतावादी इससे एक कदम और आगे बढ जाते हैं और कहते हैं कि समाज की

राज्य के बचनो से पूर्णत स्वतंत्र रखा जाना चाहिए। इनका दावा है कि व्यक्ति राज्यविहीन समाज में ही अपनी क्षमता के अनुसार उन्नति के सुअवसर प्राप्त हो सकता है।

इस प्रकार कानून को स्वतंत्रता के विरुद्ध माना गया है।

इसके विपरीत दूसरी विचारधारा के समर्थको का कहना है कि स्वतंत्रता के माग में कानून बाधा नहीं प्रेषित, स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए सम्बल प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता का सार कानून है। राज्य के कानून स्वाधीनता को घटाने के बजाय उसे बढ़ाते और कायम रखते हैं। यदि हत्यारे का दण्ड दिया जाता है तो इसका अर्थ भी स्वतंत्रता की रक्षा करना ही है। जो कानून हत्यारे को दण्ड दिलाता है, वही जनता के अधिकारों की व्याख्या करता है और उनका संरक्षण भी करता है। वस्तुतः स्वतंत्रताओं के ऊपर बचन लगने से मनुष्य की प्रसन्नता में वृद्धि होती है।

संक्षेप में कहने का अर्थ यह होगा कि राज्य के नियमों से स्वतंत्रता का विनाश नहीं होता। वे स्वतंत्रता के साधक हैं और यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि राज्य द्वारा लगाय गए नियंत्रण से जनता की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। यदि बचन एक सीमा से ज्यादा है, तो निश्चय ही उन्हें मनुष्य की स्वतंत्रता का घातक कहना होगा। अतः स्वतंत्रता पर कानून का नियंत्रण होना चाहिए लेकिन इतना अधिक नहीं स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाए और न ही यह होना चाहिए कि स्वतंत्रता कानूनों के अभाव में उच्छ खलता का स्वरूप धारण कर ले। इसीलिए ड्यूवी का कहना है कि "उत्तरदायित्व के बचन से हीन स्वतंत्रता उच्छ खला बन जाती है। स्वतंत्रता से असंयमित उत्तरदायित्व स्वेच्छाचारी शक्ति का रूप धारण कर लेता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि क्या स्वतंत्रता एक उत्तरदायित्व मिलें, प्रत्युत प्रश्न यह है कि वे किस प्रकार मिल सकते हैं और उनसे किम प्रकार अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है।"

स्वतंत्रता की अवधारणा

स्वतंत्रता की धारणा राजनीतिक सिद्धांत की उन अवधारणाओं में से है जो एक लम्बे इतिहास के दौरान विकसित हुई है। विश्व की अनेक जातियों, और समाजों में तरह-तरह के परिवर्तनों का कारण स्वतंत्रता की आकांक्षा ही रही है। कोई भी भावना व्यक्ति को इतनी प्रभावित नहीं करती, जितनी कि स्वतंत्रता की भावना। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता का अत्यधिक महत्व है। इसके बिना व्यक्ति स्वयं को भरा पूरा महसूस नहीं करता। स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति पिछले में बंद पक्षी के समान है, जिसके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग छीन लिया गया हो। स्वतंत्रता शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपना 'तंत्र' अर्थात् आत्म अनुशासन, अपने ऊपर अपना शासन। इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी रोक टोक के अपने विवेक एवं इच्छानुसार कार्य करने की छूट रहे। स्वतंत्रता उच्छ्वलता की पर्यायवाची नहीं है मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं चाहता। स्वतंत्रता का अर्थ हीनता मानना स्वतंत्रता की गलत व्याख्या करना है। स्वतंत्रता का अर्थ है 'व्यक्तित्व के विकास के अवसर'। लाम्की स्वतंत्रता का अर्थ देते हुए स्वतंत्रता का सकारात्मक मानते हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। नागरिक सदा ही भौतिक नैतिक तथा व्यक्तित्व के विकास के इच्छुक होते हैं। ऐसा व तभी कर पाते हैं जब समाज कुछ नियमों द्वारा उनके हितों की रक्षा कर सके। अब स्वतंत्रता की सम्भावना उही नियमों के पालन कर पाने में है। लाम्की ने स्वतंत्रता की परिभाषा दत्त हुए कहा है कि स्वतंत्रता से मेरा अर्थ उस वाना चरण से है जिसमें व्यक्ति को अपने सर्वोच्च विकास का अवसर मिल सके।

विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ राज्य द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। इस रूप में स्वतंत्रता राज्य की ही देन है। स्वतंत्रता, अधिकारों का परिणाम है। विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों पर आधारित राज्य ही अपने नागरिकों को स्वतंत्र वातावरण प्रदान कर सकता है। ऐसे ही समाज में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की पहिचान और समाज बल्याण की ओर उचित योगदान दे सकता है। व्यक्ति का यह निश्चय होना चाहिए कि सरकार के नियम समाज की अत्यधिक भलाई के लिए हैं। अतः लास्की कहते हैं कि अधिकारों के बिना स्वतंत्रता सम्भव नहीं है क्योंकि अधिकारों के बिना व्यक्ति एक ऐसे कानून के अधीन होगा जो उसके व्यक्तित्व के विकास की आवश्यकताओं की अवहेलना करता है। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुछ सामाजिक षड्यन्त्रों की आवश्यकता है। समाज के उचित नियमों के पालन में ही वास्तविक स्वतंत्रता निहित है।

प्राचीन काल में भी स्वतंत्रता के प्रति अज्ञानता नहीं थी। यह एक ऐसी धारणा थी जिसकी विद्वानों ने अपने रूप में व्याख्या की। प्राचीन भारत में 'स्वधर्म' का चिन्तन इसी दिशा में था। स्वधर्म पालन में ही स्वाधीनता है और 'स्वधर्म' शासक एवं शासित दोनों को अपने दायरे में रखता था। स्वधर्म से च्युत मनुष्य रक्षणीय नहीं रहता था। यूनानी विचारक स्वतंत्रता को समाज से अलग नहीं मानते थे। परिवर्तन के अनुसार "स्वतंत्रता का अर्थ नागरिक का विकास तथा राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना है।" सुकरात ने कानून के पालन को ही स्वतंत्रता माना। मध्य युग में स्वतंत्रता ने एक नया अर्थ ग्रहण किया, यह था आत्मा तथा विचार की स्वतंत्रता। इस धारणा का लाभ धार्मिक अधिकारियों ने भरपूर उठाया और भगवान की पूजा और विश्वास में ही स्वतंत्रता का अस्तित्व माना। इस विचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक ही थी। यह नई विचारधारा राजनीतिक स्वतंत्रता से सम्बंधित थी। अधिकारों और स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार मान कर राजा से इनकी मांग की गई और मिलने पर श्रान्तियों का सहारा लिया। परंतु यह स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा थी। स्वतंत्रता से अर्थ लिया जाता था, व्यक्ति के लिये पूर्ण स्वतंत्रता। राजा का हस्तक्षेप किसी भी क्षेत्र में अनुचित माना जाता था। यह नकारात्मक स्वतंत्रता केवल पूँजीपतियों के लिए ही लाभदायक थी। समाज ने इसके विरुद्ध सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की, जिसका परिणाम हुआ स्वतंत्रता की सकारात्मक भावना का उदय। इस रूप में स्वतंत्रता के लिए उन सामाजिक नियमों की स्वीकार किया जाता है जिसके पालन के सभी व्यक्ति स्वयं को स्वतंत्र पा सकें। स्वतंत्रता के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए कुछ विशिष्ट विचारकों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं के अध्ययन से

पहले स्वतंत्रता की अवधारणा के विकास का परिशीलन करना समीचीन होगा।

स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास

पश्चिमी राजनीतिक परम्परा में आम तौर पर स्वतंत्रता का अभिप्राय समाज में मानव जीवन के लिए "स्वतंत्र और सुखद वातावरण" समझा जाता रहा है। प्राचीन यूनान के लोगों ने अपने स्वतंत्र राज्यों और पूर्वी दशों के तानाशाही राज्यों में अंतर किया तो उनका अभिप्राय स्वतंत्रता के इसी पक्ष से था। इसी तरह मेकघावेलि ने भी जब स्वतंत्रता और परतंत्रता में अंतर स्पष्ट किया तो उसका सन्नेत भी गणराज्यों में रहने वाले लोगों के "स्वतंत्र और सुखद वातावरण की ओर था जो बुरे राजाओं के शासन में उपलब्ध नहीं था। आधुनिक युग में लास्की ने भी स्वतंत्रता की परिभाषा एक वातावरण विशेष की सुरक्षा के रूप में की है। मेकफरसन ने इस प्रकार का वातावरण जुटान तथा उसे वास्तविक रूप देने के उपायों की विस्तृत चर्चा की है। हाना अरेड ने अपनी पुस्तक "दि ह्यूमन कंडीशन" तथा हाइक ने अपनी पुस्तक "राइट टू सफ़डम" में भी स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त ढांचों का ही उल्लेख किया है। वामपंथी लेखकों की रचनाओं में स्वतंत्रता की धारणा के दो पक्षों का प्रमुखता दी गई है —

1. मुक्ति दिखाना अर्थात् स्थापित समाज में उत्पीड़न के सुदृढ़ ढांचों को छिन्न भिन्न करना और उनसे मुक्ति प्राप्त कराना तथा
2. एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें व्यक्ति ऐतिहासिक प्राप्ति होने के मात अपने प्रयत्नों से अपने अनुकूल विश्व का निर्माण कर सके। स्वतंत्रता की धारणा के सन्तुलित अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हम इसमें निर्हित समस्याओं को समझने की कोशिश करें। स्वतंत्रता की धारणा में इन समस्याओं का अध्ययन तीन स्तरों पर किया जा सकता है —

1. स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत पहल की समस्या,
2. स्वतंत्रता का सुरक्षित रखने वाली समस्याओं की समस्या एवं
3. स्वतंत्रता की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं की समस्या।

भारम्भिक उदारवादी लेखकों ने स्वतंत्रता का अर्थ लगाया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत सुख और कल्याण के लिए अपनी इच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता होना। इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए व उन सभी समस्याओं के समर्थक थे, जो व्यक्ति की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रेरणा को अविष्यक्त कर सके। इन उद्देश्यों प्रतिनिधि सरकार बानून के शासन राजनीतिक अधिकारों, शक्तियों के पथक्करण, "यामपालिका

की स्वतंत्रता आदि पर बल दिया। स्वतंत्रता के क्षेत्र में उदारवाद की महत्वपूर्ण दान संविधानवाद, कानून का शासन तथा अधिकारों की विन्यास है।

इसी प्रकार उदारवादियों के बिलकुल विपरीत भावसंवादी विचारक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की प्राप्ति में अपने वाली बाधाओं की समस्याओं के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। उनके अनुसार व्यक्ति की खुशहाली तथा स्वतंत्रता के मार्ग में सबसे बड़ी और विकट बाधाएँ हैं—युद्ध, गरीबी, अज्ञान, बीमारी, भूखमरी तथा पलायनवाद आदि। इन बाधाओं पर विजय पाने के लिए व्यक्तिगत पहल के स्थान पर भावसंवाद मानव जाति के सामूहिक प्रयत्न की अपेक्षा करता है।

स्वतंत्रता से तात्पर्य

हॉब्स ने स्वतंत्रता को 'बन्धनों का अभाव' माना है। परन्तु मकेंजी ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि "स्वतंत्रता बन्धनों का अभाव नहीं अपितु, अविवक्षणीय बन्धनों के स्थान पर विवक्षणीय बन्धनों का होना है।" लास्की, 'आधुनिक संघ्य समाज में मनुष्य की प्रसन्नता के लिए आवश्यक परिस्थितियों पर बन्धनों के न होना' को ही स्वतंत्रता मानते हैं। सीले के अनुसार "अति शासन का विपरीत ही स्वतंत्रता है।" हरबर्ट स्पेंसर के अनुसार "प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करने का स्वतंत्र है, यदि वह दूसरे व्यक्ति के समान इच्छा को छीनने का प्रयत्न न करता हो।" अर्नेस्ट वाकर की परिभाषा अत्यधिक स्पष्ट और व्यावहारिक मानी जाती है। "स्वतंत्रता का अर्थ है कि राज्य सभी नैतिक व्यक्तियों को स्वतंत्र और अपने ढंग से अपनी योग्यताओं को विकसित कर पाने के लायक मान कर, ऐसे विकास के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ और अधिकार प्रदान करे।"

इन परिभाषाओं से हम स्वतंत्रता के उचित अर्थ को समझ पायें हैं। स्वतंत्रता का अर्थ यदि असीमित स्वतंत्रता नहीं है तो इसका अर्थ अनुचित कानूनों का पालन करना भी नहीं है। लास्की का कहना है कि नियमों का पालन तभी किया जाता है जब वे लाभदायक या व्यक्तिगत भलाई के लिए सहायक माने जाते हैं। लास्की, राज्य के हस्तक्षेप के सीमा निर्धारण के लिए के विचार का खडन करते हैं। उनके अनुसार स्वतंत्रता उन अवसरों का नाम है जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक सिद्ध हो चुके हैं।

इस रूप में स्वतंत्रता को कुछ विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है—

- 1 स्वतंत्रता केवल 'बन्धनों का अभाव' नहीं। बन्धनों हीन समाज एक पशु समाज कहलायेगा। उचित बन्धनों का नाम ही स्वतंत्रता है।

2. स्वायत्त समाज म ही सम्भव है समाज के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता ।
3. व्यक्ति को स्वतंत्रता अधिकारों द्वारा ही प्राप्त होती है । राज्य द्वारा स्वीकृत अधिकारों से ही पता चलता है कि कौन सी स्वतंत्रताएँ उपलब्ध हैं ।
4. स्वतंत्रता प्राप्ति का अर्थ यह भी है कि 'सरकार के लिए अपने कार्यों का औचित्य को सिद्ध करना आवश्यक है' । जब भी सरकार अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करे, उसे ऐसा करने से रोका जा सके ।
5. स्वतंत्रता, विशेषाधिकारों की स्थिति में भी सम्भव नहीं हो सकती । किसी एक वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त होने का अर्थ है कि वह अपनी इच्छा अनुसार बंधन लगायगा और अधिकृतम जाता की द्युनतम स्वतंत्रता भी छीन ली जाएगी ।
6. स्वतंत्रता उन परिस्थितियों में भी सम्भव नहीं हो सकती जहाँ जनता के अधिकार कुछ लोग की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं । अतः समाज में योजना, न्याय, समानता इत्यादि के आधार पर ही शासन होना चाहिए, व्यक्तिगत इच्छा के आधार पर नहीं ।
7. कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं है । कानून के पालन में ही वास्तविक स्वतंत्रता निहित होती है । व्यक्ति को सदा सावधान रहना होगा कि सरकार ऐसे कानून लागू न कर सके जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई बाधा पड़े ।

स्वतंत्रता के प्रकार—

लास्की ने स्वतंत्रता के मुख्य तीन प्रकार माने हैं —

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता

व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उनका अर्थ उन अधिकारों की प्राप्ति से है जिनका प्रभाव स्वयं व्यक्ति पर ही पड़ता है । व्यक्ति के विचार, विश्वास, धारणाएँ ही उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ हैं और राज्य को इनमें हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । एक गरीब व्यक्ति जब उचित न्याय प्राप्त करने के अयोग्य हो तो उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा माना जाएगा । व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का वह तत्त्व है जिसका प्रभाव उनके समूचे जीवन पर पड़ता है । अतः व्यक्तिगत विकास और मन की सतुष्टि के लिए उसे वे सभी सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए जिनसे वह स्वावलम्बी हो सके और अपने व्यक्तित्व का ऐच्छिक विकास कर सके ।

2 राजनीतिक स्वतन्त्रता

राजनीतिक स्वतन्त्रता का अर्थ है, राज्य के मामलों में सक्रिय भाग लेना। अपने विचार व्यक्त करने और सामान्य प्रशासन में इच्छानुसार भाग लेने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इन अधिकारों द्वारा जनता द्वारा शासन नियंत्रण रूप से भाग लेने और आलोचना करने के अधिकार भी सम्मिलित हैं। लास्की के अनुसार इस स्वतन्त्रता के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। (1) जनसाधारण को उचित शिक्षा प्राप्त हो जिससे वे स्वयं को व्यवहार करने में समर्थ हों। शिक्षा के अवसरों को किसी एक वर्ग तक सीमित रखना या ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना, जहाँ कोई जन समूह इन अवसरों की प्राप्ति से वंचित रह जाए, राजनीतिक स्वतन्त्रता के विपरीत होगा। (2) इसकी दूसरी आवश्यकता स्पष्ट और भेदभाव रहित समाचारों की प्राप्ति है। राज्य द्वारा गलत और पक्षपाती समाचार दिए जाने का अर्थ होगा, जनता को जानबूझकर अज्ञानी रखना और ऐसी जनता स्वतन्त्र नहीं कहला सकती।

3 आर्थिक स्वतन्त्रता

आर्थिक स्वतन्त्रता का अर्थ है, अपनी इच्छानुसार जीविका कमाने के साधन जुटाना। भविष्य की चिन्ता और लूटमार की परेशानी से रहित व्यक्ति ही एक अच्छा नागरिक सिद्ध हो सकता है। इस स्वतन्त्रता के बिना व्यक्ति गुलाम ही कहला सकते हैं। आधुनिक समाज में आर्थिक स्वतन्त्रता का अर्थ है मूलतः बतन, काम पाने का अधिकार, बेरोजगारी भत्ता, बीमारी आदि की दशा में सुविधाएँ, इत्यादि। लास्की आर्थिक स्वतन्त्रता को औद्योगिक समानता के अनुरूप ही पाते हैं। उनका कहना है कि औद्योगिक प्रशासन भी नागरिक प्रशासन के समान ही होना चाहिए। अतः उद्योगपतियों को सहयोग और न्याय के आधार पर अपने कर्मचारियों को अधिकार प्रदान करने चाहिये। ये अधिकार उत्पादन के साधनों पर निर्भर करते हैं। काम करने के लिए वातावरण भय का नहीं, बल्कि विश्वास और कार्यशीलता का होना चाहिए। उद्योगपतियों को शोषण और मजदूर वर्ग की कमजोरी का लाभ उठाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इन तीन प्रकारों के अतिरिक्त हम स्वतन्त्रता की नागरिक, धार्मिक और सांविधानिक व्याख्या भी कर सकते हैं।

नागरिक स्वतन्त्रता

समाज के सदस्य होने के नाते शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए

आवरण सुविधाओं की प्राप्ति ही नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। जीवन का अधिकार, धर्मण करने, विचार व्यक्त करने इत्यादि की स्वतंत्रता ही नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। विधि के शासन से ही प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को स्वतंत्र और सुरक्षित अनुभव करता है। ये स्वतंत्रताएँ सामाजिक हैं और इनका प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए ही किया जाता है।

धार्मिक स्वतंत्रता

धार्मिक स्वतंत्रता भी व्यक्तिगत जीवन को एक मूलभूत स्वतंत्रता है। इसका अर्थ है अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म में विश्वास, पूजा-पाठ, आर्थिक सहायता दान इत्यादि की स्वतंत्रता। शासन का आधार धर्म नहीं होना चाहिए। शासन द्वारा नियमों का निर्धारण तथा और जन-कल्याण का ध्यान में रखकर होना चाहिए। न किसी विशेष धर्म के सिद्धांत का।

सांविधानिक स्वतंत्रता

बीसवीं शताब्दी में स्वतंत्रता का अर्थ है लोकप्रिय सरकार। लोकतंत्र का आधार राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। व्यक्ति तथा प्रशासनिक अंगों की स्वतंत्रता संविधान पर ही आधारित है। यह माना जाता है कि व्यक्तिगत अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जबकि उन्हें संविधान में सम्मिलित किया जाये। इस प्रकार कोई भी सत्ता निरंकुशता प्राप्त कर शोषण नहीं कर पायेगी।

स्वतंत्रता के मुख्यतः दो पक्ष पाये जाते हैं—सकारात्मक तथा नकारात्मक। प्रारम्भिक उदारवादी विचारकों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू पर ही अधिक बल दिया। जान लॉक, ऐडम स्मिथ, थॉमस पेन, हरबर्ट स्पेंसर, जे०एस० मिल इत्यादि इसी विचारधारा के समयक थे। इन विचारकों का मत यह नहीं था कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के बंधनों से रहित होनी चाहिए। ये विचारक इस बात को मानते थे कि अराजकता की स्थिति में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। परंतु ये विद्वान राज्य के कामों को कम से कम रखना चाहते थे जिससे कि व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार जीवन नियमित कर सके। इनका कहना था कि कानून जितने अधिक होंगे, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही कम होगी। मनुष्य समाज में रहता है अतः वह पारस्परिक सम्बंधों, अतः क्रियाओं तथा अर्थ भावनाओं से अछूता नहीं रह सकता। फिर भी व्यक्तिगत सम्बंधों पर समाज का नियंत्रण अवाञ्छनीय है। लॉक ने मनुष्य के सामाजिक अधिकारों का आधार प्राकृतिक बताया। एक आदर्श अवस्था को छोड़ने का एकमात्र कारण इन अधिकारों की सुरक्षा ही थी। लॉक ने इन अधिकारों पर इतना बल दिया कि राज्य

का अस्तित्व जनता की प्रसन्नता तक ही है। इसी प्रकार ऐडम स्मिथ, हरबर्ट स्पेंसर, मेकाले और रिक्कार्डों इत्यादि लेखकों ने भी व्यक्तिवाद के महत्व पर जोर देते हुए "प्रकेला छोड़ दो" की नीति का समर्थन किया। राज्य केवल पुलिस राज्य ही है। उसका काम व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना है, उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना नहीं। राज्य को स्कूल, हस्पताल इत्यादि चलाने का कोई काम नहीं करना चाहिए। ये विचारक पूँजीवाद व्यवस्था को महत्व देते हुए अधिक पूँजी पर कर लगाने या आर्थिक समानता लाने के प्रयत्नों का विरोध करते हैं। मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बाटा था— व्यक्तिगत तथा सामाजिक। व्यक्तिगत कार्य वे हैं जिनका प्रभाव केवल व्यक्ति पर ही पड़ता है अतः इन पर कुछ प्रतिबंध अवश्य होने चाहिये। सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए कम से कम बन्धन लगाये जाने चाहिए। यदि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में विरोध होता है तो सामाजिक हित ही मुख्य माना जाना चाहिए। उदारवाद के सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति समाज में हुए भी अलग अस्तित्व रखता है। अतः मिल का कहना है कि वह अपना भला बुरा स्वयं सोच सकता है। सरकार को उसके निजी निर्णयों के प्रति बताने की कुछ आवश्यकता नहीं। बाद के उदारवादी विचारकों ने आर्थिक समानता को महत्व दिया। परन्तु फिर भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व समानता से अधिक ही माना गया। सर ईसीहा वॉलिन के अनुसार एक व्यक्ति को उसकी अनिच्छा या असमर्थता की अपेक्षा भी शिक्षा, धन या अन्य सुविधायें देना व्यर्थ है। अतः नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, क्षमता, शक्ति, आत्म निर्णय इत्यादि तत्त्वों को प्रमुख महत्व दिया जाता है।

नकारात्मक स्वतंत्रता की विचारधारा के प्रति जो विरोध की भावना जागृत हुई उसमें समाज को व्यक्ति से महत्वपूर्ण माना गया। अतः इस विचारधारा के आलाचक व्यक्ति को इतना अधिक महत्व दिये जाने का विरोध करते हैं। सम्पत्ति की असीमित स्वतंत्रता पर भी आलोचना की गई है। इस स्वतंत्रता का अर्थ है, एक शक्तिशाली वर्ग को शोषण का अधिकार देना। गरीब के शोषण की अनुमति प्राप्त समाज स्वतंत्र नहीं रहला सकता। यह स्वतंत्रता केवल एक चुने हुए वर्ग की स्वतंत्रता होगी। इन विचारकों ने अधिकारों को इतना महत्व दिया कि कतव्या की आरंभ बिलकुल ध्यान ही नहीं दिया। अतः यह विचारधारा सामाजिक न होकर व्यक्तिगत प्राथमिकता की है अतः माय नहीं है।

नकारात्मक सिद्धांत के विचारक इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते। उसके अनुसार सच्ची स्वतंत्रता विवेक के अनुसार कार्य करने में है? मनुष्य समाज में रहता है अतः समाज हित के लिए सामाजिक नियमों का पालन आवश्यक है। नकारात्मक विचारधारा के लेखक समाज से हटकर प्राप्त स्वतंत्रता

को उचित नहीं मानते। बेचम और मिल, स्वतंत्रता के समर्थक होते हुए भी 'नाय, शिक्षा, कारीगरी की सुविधाओं इत्यादि के लिए व्यवस्था को उचित मानते थे। "भ्रकेला छोड़ दो" की नीति के विपरीत बेचम समाज में सुधार कानूनों के माध्यम से लाना चाहते थे। उन्होंने कानूनों को स्वतंत्रता का विरोधी नहीं अपितु, सुधारों का साधन माना है। इस सिद्धांत के अन्य विचारकों मरूसो, ग्रीन, काट, लास्की इत्यादि के नाम प्रमुख हैं। मरूसो, और ग्रीन का कहना था कि सच्ची स्वतंत्रता "सामाय इच्छा" के अनुसार काय करने में है। काट को भी आधुनिक युग के आदर्शवादी लेखकों में माना जाता है। उनके अनुसार जो व्यक्ति बिना किसी रोक टोक कुछ भी करने को स्वतंत्र है, वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं, गुलाम है। स्वतंत्रता केवल उसी व्यक्ति को माना जाता है, जो सवभाय तार्किक बुद्धि के अनुसार काय करता है। ग्रीन इस मत के अत्यधिक समर्थक थे। वे बर्धन हीन स्वतंत्रता के अत्यन्त विरोधी थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार वुरूपता का अभाव सौन्दर्य नहीं कहला सकता, वैसे ही बर्धनों का अभाव स्वतंत्रता नहीं कहला सकता। अतः ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का सही अर्थ है उन कार्यों को करने या उन सुखों को भोगने की क्षमता जो वास्तव में भागने योग्य है।

इस दृष्टिकोण से स्पष्ट सिद्ध होना है कि इन आदर्शवादी लक्षणिकों का दृष्टिकोण सकारात्मक था। कानून और नियम स्वतंत्रता के विरोधी नहीं बल्कि, महायक हैं। मरूसो का कहना था कि स्वतंत्रता कानूनों पर निर्भर है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। व्यक्ति केवल "सामाय इच्छा" के पालन में ही स्वतंत्र रह सकता है। लास्की भी स्वतंत्रता के इन अवसरों से सम्बन्धित मानते हैं जिनके बिना व्यक्तित्व का विकास सम्भव न हो सके और ये अवसर राज्य द्वारा ही प्रदान किये जा सकते हैं। अधिकारों के बिना स्वतंत्रता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता केवल कानूनों के पालन से ही नहीं होती। व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति चेतना और उचित कानूनों की जानकारी होनी आवश्यक है। सरकार उत्तरदायी होनी चाहिये, जो ऐसी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों उपस्थित करे जिनसे व्यक्तित्व का विकास के अवसर मिल सकें। मरूसो के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। यह मानव को अपना विकास करने की शक्ति है। एक दोमर समाज की दोमर सामाजिक परिस्थितियों में स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है। सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण की कल्पना न की जा सके। ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कुछ न्याय को अपने विन्यायधिकांग का त्याग करना पड़ता है। न्यायिक राज्य के कार्यों का वर्णन करते हुए इस मानव की भलाई का मान

मानते हैं। उनके विचार में लोकहितकारी राज्य ही उत्तम राज्य है और ऐसा राज्य लोगों को मनमानी करने की स्वतंत्रता नहीं दे सकता। हॉब्स हॉब्स व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हुए इस बात की अनुमति देना नहीं चाहते कि वह स्वतंत्रता समाज विरोधी हो। दोनों के मध्य एक उचित सामंजस्य का विद्यमान होना आवश्यक है।

अतः सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत में मुख्य तीन बातें हैं—शक्ति, अवसर और योग्यता। अतः राज्य का काम है उचित अवसर प्रदान करना और बिना उचित सामाजिक परिस्थितियों तथा अधिकारों के स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि राज्य के उचित नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि, अन्य व्यक्तियों के लिए भी सम्भव बनाए। स्वतंत्रता व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन की मौलिक आवश्यकता है, इसके बिना आदर्श समाज सम्भव नहीं।

स्वतंत्रता का माक्सवादी सिद्धांत

माक्सवादी लेखक स्वतंत्रता की व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध हैं। उनके अनुसार स्वतंत्रता एक सामूहिक भावना है। एक व्यक्ति की निर्वाध स्वतंत्रता समाज हित में न होकर समाज विरोधी ही कहलायेगी। सामूहिक हितों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति पर जो भी प्रतिबंध लगाने पड़े, उचित ही कहलायेगे। इन लेखकों के अनुसार सभी समस्याओं की जड़ यह आर्थिक असमानता है और जब तक आर्थिक असमानता को समाप्त नहीं किया जाता, और उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण नहीं होता है स्वतंत्रता, न्याय, इत्यादि की बात करना व्यर्थ है। इनके अनुसार उदारवादी विचारों में कोई सामंजस्य दिखाई नहीं देता। एक ओर तो वे आर्थिक शक्ति की छूट देते हैं और दूसरी ओर समाज कल्याण और स्वतंत्रता जैसे बड़े बड़े आदर्शों को सम्मुख रखते हैं। पूँजीवादी व्यवस्था में नैतिकता और समाज कल्याण इत्यादि शब्दों का कोई मूल्य नहीं। वास्तविक स्वतंत्रता तो आवश्यकताओं की पूर्ति का नाम है। माक्स का कहना था कि लोकतंत्रीय क्रांतियों द्वारा व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त हुई, परंतु पूँजीवादी व्यवस्था के आ जान से आर्थिक स्वतंत्रता से वे हीन रहे। किसी सम्पत्ति को समाप्त किए बिना स्वतंत्रता के प्रति विचार भी नहीं किया जा सकता।

माक्स व्यक्ति को अकेला और समाज से हटकर कोई विशेष व्यक्तित्व मानने को तयार नहीं। उनके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका हित समाज हित में ही है। मनुष्य द्वारा प्राप्त किया जाना भी उचित

व्यक्तिगत पूजा नहीं है। यह ज्ञान उसे समाज के माध्यम से प्राप्त होता है। अतः समाज को उस पर भी पूरा हक है। ऐंजिल्स के शब्दों में केवल समाज में ही प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ मिलकर अपने गुणों को हर दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है, इसलिए समाज में ही स्वतंत्रता सम्भव है। ऐसे समाज का निर्माण किया जाना चाहिए जहाँ सबसे पहले व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। एक भूखे और शोषित समाज के लिए मत देने के अधिकार और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का क्या महत्त्व।

माक्सवादी लेखक मुख्य रूप से वग विभेद के विरुद्ध है। जब तक समाज दो वर्गों में बँटा रहेगा, शोषण समाप्त नहीं हो सकता और न ही स्वतंत्रता ही पाई जा सकती है। समाजवादी दार्शनिक एक राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हैं, जहाँ न कोई राज्य होगा न कोई वग। उत्पादन के सभी साधन समाज के होंगे और उनका प्रयोग सामाजिक हित के लिए किया जायेगा। मानव का लक्ष्य बहुमुखी स्वतंत्र विकास के लिए निर्माणकारी कार्य करना है। यह विकास आर्थिक स्वतंत्रता के बिना नहीं हो सकता। आर्थिक स्वतंत्रता निजी सम्पत्ति की सम्पत्ति पर ही प्राप्त होती है। जब तक निजी सम्पत्ति रहेगी, शोषण रहेगा और साथ ही वग विभेद इत्यादि सभी बुराईयाँ समाज में रहेगी। इस प्रकार सामाजिक स्वतंत्रता की मुख्य आवश्यकता निजी सम्पत्ति को समाप्त करना है। प्रत्येक व्यक्ति का कतव्य है कि वह श्रमिक अनुशासन, सामाजिक सम्पत्ति की सुरक्षा, समाजवाद की दृढ़ता इत्यादि को बनाए रखे। इसी में नागरिकों की स्वतंत्रता निहित है और इसी समाजवादी ढंग से व्यक्ति समाज हित को प्राप्त करता हुआ व्यक्तिगत विकास को सम्भव बना सकता है।

समानता की अवधारणा

समानता की माग हमेशा से ही प्रचलित विपतमाओ के विरुद्ध एक नारा रही है। इन नारे की नींव पक्की करन के लिए सैद्धांतिक तथा बौद्धिक तक भी दिये जाते रहे हैं। जैसे-जैसे प्रचलित विपमताओ का रूप बदला है, वैसे वैसे समानता का अर्थ भी बदलता रहा है। ऐतिहासिक सद्भ मे, जिस प्रकार की विपमता के विरुद्ध कोई जूझ रहा था, उसी को ध्यान म रखकर उसने समानता की परिभाषा प्रस्तुत की।

समानता के औचित्य के आधार क्या है? क्या वे एक ही ज्योति के एक जैसे प्रतिरूप हैं या नहीं? क्या मनुष्य जन्म से समान है या असमान? क्या समाज मे उनका महत्व समान है या नहीं? इन प्रश्नों पर विभिन्न लेखक न तो सहमन हुए हैं और न होंग, परंतु इस सद्भ म एक बात निश्चित है कि स्वतंत्रता के विचार की साथक बनान के लिए समानता अनिवार्य है।

पश्चिम मे प्राचीन यूनानी तथा रोमी व्यवस्थाए विपमतामूलक थी। यदि समानता की कोई बात होनी भी थी तो वह केवल नागरिका तक ही सीमित रहती थी। मानव जाति का बहुसंख्यक भाग—गम औरतें, बच्चे तथा अय लोग इस सिद्धान्त के दायरे म नहीं आते थे। देखा जाये तो समानता की माग आधुनिक युग की माग है तथा इसका विकास स्वतन्त्रता की धारणा के साथ जुड़ा हुआ है।

ऐतिहासिक दृष्टि स विश्लेषण करने से स्पष्ट हाता है कि प्राचीन काल म भारत मे समानता का आदर्श अपेक्षाकृत अधिक माय था। स्त्रियों, शूद्रों और दासों और परदेसियों की स्थिति म यूनान और रोम की तुलना मे अधिक जान थी। स्त्रियां या दास आत्मा रहिन ऐसे अनयकारी विचार को भारतीय समाज

का दकियानूसी अंग भी नहीं मानता था। 'ज'म से सभी शूद्र हैं, कम से या सस्कार से द्विज बनते हैं'। ऊपर नीचे का भ्रम था, पर समाज की मीटो में ऊपर चढ़ पाना कठिन अवश्य था, असंभव नहीं नीचे गिरना सरल था, पर अनिवाय नहीं—स्तर पर समानता के सिद्धांत का ज'म प्राचीन तथा मध्य युग में विशेषाधिकारों से सम्पन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। जब अल्प-संख्यक कुलीन वर्ग समाज की समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग करने लगा तो बहुसंख्यक वर्ग में असंतोष की भावना पनपी और इस व्यापक विषमता तथा बहुसंख्यकों के शोषण के विरुद्ध अनेक राजनीतिक विचारकों ने समानता के लिए आवाज उठाई। आधुनिक काल में समानता के विचार का प्रारम्भ मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ जिसने पुनर्जागरण तथा धर्म सुधारक आंदोलनों के माध्यम से सामंतवादी विषमता के विरुद्ध आवाज उठाई। इंग्लैंड में 1649 तथा 1688 की क्रांति की घटनाएँ, अमेरिका में 1776 का घोषणा पत्र तथा फ्रांस की 1789 की क्रांति समानता की दिशा में प्रमुख राजनीतिक आंदोलन थे। इससे पहले रूस में भी अपना 'निर्बन्ध विषमता की उत्पत्ति' (1754) में विषमता की उत्पत्ति की उत्पत्ति तथा सम्पत्ता के विकास के साथ जोड़ा। पूँजीवाद में अत्यधिक अगमान परिस्थितियों को ज'म दिया। पूँजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच की खाई इतनी तर्ज़ से चौड़ी होनी लगी कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होने पर एक दानव प्रतीत होता था और दूसरा बीता। परिणामस्वरूप पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और मजदूरों का दयनीय स्थिति की ओर 19वीं शताब्दी में क्रांतिवादी समाजवादियों ने समाज का ध्यान आकर्षित किया। उन्हीं दिनों मार्क्स और एंगेल्स ने मजदूरों की क्रांति का सूत्र दिया और आर्थिक समानता की माँग को पूँजीवादी व्यवस्था और निजी पूँजी की व्यवस्था के उन्मूलन के साथ जोड़ा। इंग्लैंड जैसे पूँजीवादी देश में सुधारवादी कानून बनने लगे। अमेरिका में गृहयुद्ध के परिणामस्वरूप गुलाम प्रथा का अन्त हुआ। वयस्क मताधिकार तथा 'एक व्यक्ति एक वोट' की माँग उठाई। राजनीतिक विषमता का समाप्त करने की माँग उठी। स्त्रियों ने अपना मताधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष छेड़ा। 20वीं शताब्दी में विश्व में अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों एवं क्रांतियों का श्रीगणेश हुआ। रूस एवं चीन में साम्यवादी क्रांतियाँ हुईं। अफ्रीका तथा एशिया के अनेक देशों में असमानता के विरुद्ध जंग लड़ी गई जो किसी रूप में आज भी जारी है।

समानता को नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों रूपों में व्यक्त किया जाता है। नकारात्मक रूप में समानता का अर्थ वर्ग विशेष के विशेषाधिकारों को समाप्त करना है। समानता का वास्तविक रूप सकारात्मक है, जिसका अर्थ है जहाँ प्राकृतिक असमानताओं को स्वीकार किया जाए, वहाँ सामाजिक विषम

ताओं को समाप्त करने का भी प्रयत्न किया जाए। सकारात्मक समानता से अभिप्राय है कि राज्य में सभी व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हों। सकारात्मक समानता केवल विशेषाधिकारों की समाप्ति नहीं वरन्, प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास के लिए समान अवसर प्राप्त कराने में निहित है।

समानता का अर्थ

समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति अपने-अपने व्यक्तित्व की गरिमा को लेकर समान हैं अतः उनमें भेद भाव करना अनुचित है। मानवीय इतिहास समानता के लिए लड़े गए संघर्षों की लम्बी कहानी है। स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग बहुत पहले की गई थी। इन्हीं की मांग के साथ एक नया मांग का उदय हुआ और यह थी समानता की भावना। समानता के भाव के उदय के साथ ही समान व्यवहार आया से पान की मांग उठी जिसकी कड़ी 'स्वतंत्रता' और अधिकारों की मांग की कड़ी से जुड़ गई।

यूनानी सभ्यता के महान् चिंतक अरस्तु ने जिनका नाम लोकतंत्र के आदर्श के साथ जोड़ा जाता है समाज में मौलिक रूप से असमानताओं को माना। उनका कहना था कि मालिक और गुलाम मौलिक रूप से विभिन्न हैं और उनमें समानता लाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है पर यूरोप में पूँजीवाद के विकास के साथ-साथ जब सामंती ढाँचे के विरुद्ध विद्रोह उठा, तब क्रान्तियों में स्वतंत्रता व समानता का नारा बुलन्द हुआ। फ्रांस की राज्य क्रांति में ये ही नारे उठे अमेरिका में स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में मुख्य रूप से समानता का दावा किया गया। सभी मनुष्य जन्म से समान हैं परन्तु समाज के सदस्य होने के नाते, विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों में पलने और पनपने के कारण सत्कार मतभेद पदाँ ही जाते हैं। इस प्रकार के अवसर और परिस्थितियाँ सभी को उपलब्ध हो सकें ताकि, सत्कार जय विभेद दूर हो, यह समानता का मूल मंत्र है।

कुछ मौलिक विभिन्नताएँ होते हुए भी समाज का आधार समानता ही होना चाहिये। समाज सभी व्यक्तियों को समान तो नहीं बना सकता परन्तु उनका समान अवसर तो प्रदान कर सकता है जिससे वे अपनी इच्छानुसार अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। समानता का अभिप्राय यह नहीं है कि सभी को बराबर वतन मिले, या एक जैसे घर मिलें, परन्तु समानता में सभी के माथ एक जैसा व्यवहार किया जाना या एक जैसे अवसर प्रदान करना तो अवश्य सम्मिलित है। जाति, धर्म, रंग भेद इत्यादि के आधार पर भेदभाव करना असामाजिक है।

लास्की के अनुसार समानता एक ऐसी सामाजिक प्रणिया है जिसका उद्देश्य समाज में उन बुराईयों को दूर करना है जो व्यक्ति को एक दूसरे में घृणा करना और किसी दूसरे का निम्न जाति का मान कर उसकी अवहेलना करना सिखाती है। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता विभिन्न ढान का अर्थ यह नहीं कि केवल शक्ति-शाली का ही महत्व हो बरजोर का उही। अतः जैसे विशेषाधिकारों के होने से स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है, उसी प्रकार समानता के रास्ते में यह विशेषाधिकारवाद भी एक बाधा है। दूसरे समानता का अर्थ है सबको समान अवसरों की प्राप्ति। जन्म के आधार पर अधिक सुविधाएँ प्राप्त व्यक्ति को हम एक एक गरीब व्यक्ति के समान तो नहीं बना सकते बल्कि, ऐसी परिस्थिति का निर्माण अवश्य कर सकते हैं जहाँ कम सुविधाओं वाला व्यक्ति इच्छानुसार विकास कर सके। तीसरे, जीवन में कुछ ऐसी आवश्यकताएँ हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का कम से कम इतना अवश्य मिलना चाहिए कि वह इन मौलिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। चौथे, धन में अत्यधिक असमानता से स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है। इसका अर्थ यह हुआ कि धनिक वर्ग परिस्थितियों का प्रयोग इस ढंग से करेगा कि अत्यधिक लाभ उन्हें ही प्राप्त हो सके। इसी प्रकार वग—विभाजन का अर्थ ही असमानता है।

प्राचीन युग में यूनानी दार्शनिक इस सिद्धान्त को नहीं मानते थे कि सभी व्यक्ति समान हैं। जन्म, शिक्षा धन इत्यादि के आधार पर बने विभेद को वे मौलिक मानते थे। गुलाम और स्त्री वर्ग को अधिकार, स्वतंत्रता या समानता के योग्य ही नहीं समझा जाता था। यूरोप में बहुत समय तक यही यूनानी दृष्टि या नृत्सी धर किए रही। पूँजीवादी क्रांति के साथ साथ सामंतीय समाज के विशेषाधिकारों को नीचे पर प्रहार शुरू हुए जिसकी पूर्ण परिणति फ्रांसीसी राज्यक्रांति में हुई प्रतिक्रिया स्वरूप फ्रांस की क्रांति इतिहास के लिए के लिए एक उदाहरण सिद्ध हुई। व्यक्तिगत समान अधिकारों की मांग की तो लड़े धर्म और अति अप्राकृतिक सत्ता का भय दिखाया गया परंतु एक बार जागरूकता के आ जाते पर अधिक देर तक जनता को दबा कर नहीं रखा जा सकता था।

आधुनिक युग पूँजी प्रधान युग माना जाता है। इसमें वर्गभेद धर्म से हटकर पूँजी के आधार है। परंतु राजनीतिक और नागरिक समानता का इस युग में बहुत बल दिया गया। परंतु आर्थिक समानता की कमी फिर भी बनी रही जिसके फलस्वरूप साम्यवादी क्रांति कुछ देशों में हुई जिनका प्रयत्न आर्थिक समानता स्थापित करने की दिशा में था।

ब्राह्म ने चार प्रकार की समानताओं का वर्णन किया है—

1 नागरिक समानता—नागरिक समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों के

पास एक जैसे अधिकार तथा स्वतंत्रता हो। सभी नागरिक कानून के सम्मुख समान हो। जाति धर्म, रंग, वंश इत्यादि के आधार पर नागरिकों में भेद करना नागरिक समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। समाज में किसी वर्ग को विशेषाधिकारों के प्राप्त होने का अर्थ है कि कुल लोग ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाएँगे जिनसे अर्थ व्ययित वंचित ही रह जाएँगे।

2 राजनीतिक समानता—इससे हमारा अभिप्राय उस समानता से है जो राजनीतिक अधिकारों पर आधारित है। लोकतंत्र प्रणाली का आधार जनता की सहमति है। यह सहमति मत द्वारा ही दी जा सकती है। इसका अर्थ हुआ कि लोकतंत्र और व्यक्ति मताधिकार का चोली दामन का सम्बंध है। नागरिकों को चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने और सरकार की नीतियों के प्रति अपने विचार प्रकट करने का भी समान अधिकार होना चाहिए। जाति, रंग, धर्म इत्यादि के कारण किसी को इन सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता। व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार दल निर्माण की समानता होनी चाहिये। विदेशियों, अपराधियों और पागलों को ही ऐसी राजनीतिक समानता से वंचित किया जाता है। बहुत से देशों में बहुत समय तक स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया था, जो लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध था। इसी प्रकार जन्म, शिक्षा आर्थिक स्थिति इत्यादि के आधार पर कुछ लोगों को एक से अधिक मत दिया जाता था। ऐसी स्थिति को राजनीतिक समानता की स्थिति नहीं जा सकता।

3 आर्थिक समानता—राजनीतिक समानता का महत्व और भी कम हो जाता है यदि साथ ही कुछ सीमा तक आर्थिक समानता लाने का प्रयत्न न किया जाए। कोई भी भ्रूषा व्यक्ति पेट भरने के लिए अपने घोट को बेच सकता है। आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं कि सभी व्यक्तियों के पास एक जैसा ही धन हो। ऐसा कहना पूर्णतः व्यर्थ होगा। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएँ, क्षमताएँ इत्यादि विभिन्न हैं और साथ ही सामाजिक कार्य तभी ही सकत हैं जब जीवन में कोई प्रेरणा हो। यदि सरकार धन का सभी लोगों में समान वितरण कर देगी तो यह प्रेरणा नहीं रहेगी। अतः ब्राह्मण का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की आवश्यकताओं के साधन जुटाने के समान अवसर मिलें और ऐसा कर पाना सम्भव भी बनाया जा सके। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद निजी सम्पत्ति क्षमीर गरीब में भेद स्वाभाविक है। परन्तु किसी एक वर्ग का जीवन

यापन की सुविधाओं से पूणतया वंचित रखना आर्थिक विभिन्नताएँ पूण सामाजिक ढांचे को का मत है कि जिस देश में सम्पत्ति के साधन म केन्द्रित हात हैं, उस देश की राजनीति यापपालिका पर धन का ही नियंत्रण स्य के समाज म चच भी घनिक रोगों के इ इहल ने भी राजनीतिक म्यायित्व और अ स सम्बन्धित माना है। उनका कहना है कि ताए हाती हैं, भ्राति की समावना वही सन्तुष्ट समाज कभी भी उपद्रव और क्रो

- 4 सामाजिक समानता व्यक्ति सामाजिक ताओं की पूर्ति समाज म ही रह कर हो उह उपक्षित करें ता यह व्यक्ति के ह् हागा। सभी व्यक्ति समाज के लिए उनका समान योगदान है तो उनम समाज इसी प्रकार की सामाजिक धम इत्यादि के कड़े बंधन से और का पशु के समान समझा जाता या इत्यादि सभी से वंचित रखा जाता तो बहुत प्रसिद्ध है। दक्षिणी अफ्रीका का व्यवहार, उन्हें मन्द बुद्धि ठहराया विशेषाधिकार सा है। परंतु कुछ ऐसे समाज सुधारक हमें सभी भारत म कबीर नानक, महर्षि लुधर किंग इत्यादि के नाम की भूत सिद्धांत है कि काने गार असमानता को समाप्त किया जा उठाना, स्त्रियों को समान अधिकार दिलिय सभव बनाना इत्यादि सा दलित वर्गों, स्त्रियां, बच्चा के नागरिक समानता के विरुद्ध न
- 5 विधि के समक्ष समानता इस भी दिया जाता है। कानन की,

इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून हा और जाति, धर्म, वंश इत्यादि के आधार पर कानून व्यक्तियों में भेद न करें। कानून के शासन की धारणा का उदय सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ, जहाँ कहा जाता है कि प्रधानमंत्री से लेकर किसी साधारण नागरिक तक एक ही जैसे कानून के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी पद पर हा उसे न्यायालय के समक्ष समान माना जायगा। इंग्लैंड में केवल राजा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कानून से ऊपर। कहा जाता है कि "राजा कभी कोई गलती नहीं करता"। अर्थात् राजा कानून से ऊपर है। कानून उस पर लागू नहीं होता। क्योंकि वह स्वयं का विधि सृजक जा होता है।

भारत के संविधान में भी इसी प्रकार के विधि के शासन की व्यवस्था की गई। प्रत्येक नागरिक समान प्रकार के कानून के अंतर्गत है। अधिकार और कर्तव्य सभी के लिए समान है। और कानून सभी को एक समान सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रपति भी जनता द्वारा चुना गया अधिकारी होने के नाते उमी कानून के अंतर्गत है कानून से ऊपर नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी समूह के लिए विभिन्न कानून नहीं बनाय जा सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग कानून बनाना आवश्यक ही है। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि जन्म, धर्म, लिंग, वंश, जाति इत्यादि के आधार पर कानून व्यक्तियों में असमानता नहीं लायेगा।

प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, पान, प्रवृत्ति इत्यादि विभिन्न हैं परंतु जन्म से कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। समाज के सदस्य होने के नाते सभी को समान परिस्थितियों में समान आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और नागरिक अधिकार तथा स्वतंत्रताएँ प्राप्त होनी चाहिए।

स्वतंत्रता और समानता में संबंध -

स्वतंत्रता और समानता, देखने में, दोना ही व्यक्ति जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, परंतु इनका आपस में क्या संबंध है इसके प्रति विभिन्न ही रहे हैं। उदारवादियों का कहना था कि व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान कर दो तो समाज में समानता स्वयं ही आ जायगी। इनके लिए आर्थिक समानता का महत्व इतना नहीं था जितना सामाजिक समानता का। परन्तु मार्क्सवादियों ने आर्थिक असमानता को ही सब बुराईयों की जड़ माना। उनके अनुसार आर्थिक समानता के बिना सभी स्वतंत्रताएँ बेकार हैं। स्पष्ट

है कि स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध के प्रति हमारे पास कोई एक स्पष्ट धारणा नहीं है। लाड एक्टन और 'द' ताकवी का विचार था कि "समानता की आकांक्षा से ही स्वतंत्रता का नाश हुआ। उनके विचार में दोनों परस्पर विरोधी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सामाजिक समानता के प्रयत्न किये जाएं तो कुछ विशिष्ट वर्गों की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है। परंतु यह स्वतंत्रता और समानता दोनों ही का गलत अर्थ है। स्वतंत्रता और समानता दोनों ही ऐसे अवसरों के नाम हैं जिनके बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं हो सकता। इस रूप में दोनों सहयोगी प्रतीत होते हैं, विरोधी नहीं। नागरिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इत्यादि समानताओं के बिना स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। यदि निजी सम्पत्ति और एकाधिकार के प्रति नागरिकों को खुली छूट होगी तो आम नागरिकों को अपनी उन्नति के अवसर प्राप्त नहीं हो पाएंगे, अतः यह स्वतंत्रता समानता के विरुद्ध होगी। आज के अधिकांश आधुनिक विद्वान इस बात से सहमत हैं कि समानता के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है।

सामंतशाही, उच्च वर्ग पूजावाद की प्रथा इत्यादि ये सब आर्थिक असमानता के ही उदाहरण हैं। पण्डित नेहरू ने भारत के लोकतंत्र बनने के समय उचित ही कहा था कि भूले व्यक्ति को मत देने की स्वतंत्रता का क्या महत्त्व है? उसके लिए वोट का बचन अनतिक्रम नहीं होगा। महात्मा गांधी भी समाज में विशेषाधिकारों का त्याग कर एक ऐसा रामराज्य बनाने के स्वप्न देखते थे जहां सभी श्रेणियों समान हों। लास्की का भी कहना था कि आर्थिक विषमताओं को दूर किए बिना समाज का कल्याण संभव नहीं।

मावसवादियों के विचार भी स्वतंत्रता और समानता को अनुकूल ही मानते हैं। उनके आदर्श समाज का चित्रण समानता के सिद्धांत पर आधारित है। वर्ग भेद को समाप्त कर, उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों को नियंत्रण प्रदान कर एक ऐसे समाज का निर्माण किया जायगा जहां सभी व्यक्ति समान हों, सभी का जीवन की आवश्यकता आसानी से प्राप्त हो। शिक्षा, सस्कृति, कला, विज्ञान इत्यादि के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त हों, सभी व्यक्ति स्वतंत्र कहला सकते हैं। किसी सामंत, राजा या धनिक के चंगुल में फंसा व्यक्ति स्वतंत्र नहीं बरिफ, पराधीन है। निजी सम्पत्ति की समाप्ति सबसे पहले आवश्यक है। सम्पत्ति से ही समाज में विभिन्न अमानताएं जन्म लेती हैं। 'अतः सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए समाज में समानता की भावना का होना आवश्यक है। जो भी राज्य अपने नागरिकों को स्वतंत्रताएं देने का इच्छुक है,

पहले आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयत्न करेगा।

इस विवेचन से इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि स्वतन्त्रता और समानता में परस्पर विरोधी नहीं है। कानूनी, आर्थिक समानताएँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण होंगी तभी स्वतन्त्रता संभव हो सकती है। इसी प्रकार स्वतन्त्रता का होना समानता के रास्ते में बाधक नहीं बल्कि, महापक है।

अधिकारों की अवधारणा

राजनीति विज्ञान के उपादान से ही यह कथन प्रचलित रहा है कि "मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। अतः वह अन्य व्यक्तियों के साथ रहता और जीता है।" पारस्परिकता एवम अयो-या-धितता उसकी प्रकृति की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। यही कारण है कि हम परिवारों, समुदायों, गावों तथा शहरों में रहते हैं। जीने के लिए हम दूसरे लोगों से अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं की मांग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक अस्तित्व की कुछ मांगें होती हैं जिन्हें अधिकारों के नाम से अभिहित किया जाता है। अधिकारों का सवाल केवल समाज में ही उठ सकता है। समाज ने व्यक्तियों के सम्बन्ध अतर्निहित होने हैं परन्तु प्राकृतिक अवस्था में ये सम्बन्ध अनुपस्थित थे। सम्बन्ध कई तरह की मांगों की अपेक्षा करते हैं जिन्हें सामाजिक एवम् सामाज्यपूर्ण जीवन के अनुरूप व्यवस्थित किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक भाग को सामाजिक स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति को भाग में अन्य व्यक्तियों की वसी ही मांग की स्वीकृति जुड़ी रहती है। अतः अधिकारों से अभिप्राय व्यक्ति की ऐसी मांग अथवा शक्ति है जिसका प्रयोग करते समय वह न केवल अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके बल्कि, दूसरे व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में भी व्यवधान खड़ा न करे। व्यक्ति की "किसी मांग विशेष" का होना ही काफी नहीं है, उस मांग को अधिकार बनाने के लिए सामाजिक स्वीकृति मिलना भी आवश्यक है। इसीलिए लास्की ने कहा है कि "अधिकार व्यक्ति की ऐसी मांग है जो समाज द्वारा स्वीकृत हो। राज्य इन मांगों का निमाण नहीं करता बल्कि, वह इन्हें केवल स्वीकार करता है।"

समाज में रहते हुए व्यक्ति को पारस्परिक सम्बन्धों तथा व्यवहार को नियमित करना आवश्यक होता है। राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्ध भी निधारित होने आवश्यक है। व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिए है या राज्य का व्यक्ति के लिए, कहना कठिन है। राज्य एक मानवीय सस्था है और राज्य में रहते हुए व्यक्तियों को किन परिस्थितियों में रहना है अथवा उन्हें क्या सुविधाएँ प्राप्त हैं, इसकी जांच आवश्यक है। राज्य को चाहिये कि अपनी सत्ता बनाए रखने के साथ साथ व्यक्ति की प्रसन्नता और सुरक्षा को भी सम्भव बना सके। राज्य का कार्य केवल शक्ति प्रयोग द्वारा आज्ञा पालन करवाना ही नहीं बल्कि, नागरिकों को व सब सुविधाएँ प्रदान करना है जिनके लिए व सगठित व्यवस्था को अपनाते हैं। नागरिकों की कुल मौलिक आवश्यकताएँ होती हैं, जिनका प्रयोग किए बिना वे अपने व्यक्तित्व का न तो विकास कर सकते हैं और न ही अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इन सुविधाओं तथा आवश्यकताओं को अधिकारों का नाम दिया जाता है। लास्की का कहना है कि "अधिकार जीवन की व परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना व्यक्ति सामान्य रूप से अपना विकास नहीं कर सकता।"

व्यक्तियों को ये अधिकार केवल राज्य के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं। राज्य की सत्ता के अधीन प्राप्त किए हुए अधिकार ही अधिकार कहे जा सकते हैं, उसके बाहर नहीं। इसे स्पष्ट करते हुए लास्की कहते हैं कि राज्य, नागरिकों को अधिक देता नहीं है, केवल उनकी स्वीकृति प्रदान करता है। अधिकार व्यक्ति के जीवन के अभिन्न भाग है। राज्य का काम तो यह निश्चित करना है कि वह नागरिकों को कौन कौन से अधिकार देने के योग्य मानता है। किसी भी राज्य की पहिचान वहाँ के नागरिकों को प्राप्त अधिकारों से होती है अधिकार केवल व्यक्तिगत अधिकार ही नहीं बल्कि, ये समाज में रहते हुए व्यक्ति तथा समाज के उचित विकास के लिए अधिकार हैं। इनकी मर्यादा सामाजिक हित है और, हमें अधिकार वही प्राप्त हो सकते हैं जो राज्य विरोधी अथवा समाज विरोधी न हों। लास्की का कहना है कि (1) अधिकार, हॉब्स के विचारों की भाँति इच्छा पूर्ति करने की शक्ति का नाम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने योग्य नहीं होती। कोई भी राज्य लूट मार या कत्ल करने का अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है। (2) इसी प्रकार अधिकारों का आधार कोई ऐतिहासिक तथ्य अथवा दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। हमारे सम्मुख कोई भी ऐसा उदाहरण या आदर्श नहीं है जो हम बता सके कि कौन से अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिये। इनकी व्यापक सूची बना पाना असम्भव है। इतिहास हमें केवल इतना बता सकता है कि किसी विशेष समय या देश में किन अधिकारों की माँग की गई थी और समाज ने किन अधिकारों को

आधारभूत मानकर इह माग्यता प्रदान की थी। (3) अधिकार किसी प्राकृतिक अवस्था का परिणाम भी नहीं है। समाज का स्वरूप कभी निश्चित तथा स्थायी नहीं रहता। प्राकृतिक अवस्था की धारणा के विषय में मतभेद भी इस दावे को झूठा सिद्ध करते हैं। विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ समाज के स्वरूप में तीव्र परिवर्तन आते रहते हैं। हमारे सामने किसी ऐसे समाज का उदाहरण नहीं है जहाँ इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था को आधारभूत मानकर अधिकार मान लिए गए हों।

अतः अधिकारों की उचित व्यवस्था कर पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखें।

प्रथम, अधिकार समाज की सृष्टि है। समाज द्वारा स्वीकृत होने के बाद ही माँग अधिकार का रूप धारण कर सकती हैं। जगल में तथा एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को प्राप्त स्वतंत्रता अधिकार नहीं कही जा सकती। सभ्य समाज की पहिचान इही अधिकारों से होती है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहते हुये अपन जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा का अधिकार है। समाज निर्माण के प्रारम्भ से ही हमें हत्या और चोरी के विरुद्ध कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं। इही नियमों के आधार पर ही हम सभ्य तथा असभ्य समाज में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।

द्वितीय, अधिकार परिवर्तनशील है। देश समय और परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। अधिकारों का किसी विशेष समय या विशेष समाज में अपना अलग महत्व होता है। आज से कुछ समय पूर्व विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की माग इतनी अधिक नहीं थी। अधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ ही इस अधिकार की माग भी जोर पकड़ती लगी। आधुनिक युग में बुढ़ापे तथा बेराजगारी की स्थिति में सहायता को भी एक आवश्यक अधिकार मान कर इसकी माग पर बल दिया जाता है।

तृतीय, अधिकार असीमित नहीं है। कोई भी अधिकार प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं कि हम किसी भी रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। असीमित अधिकार अनतिक और समाजविरोधी रूप धारण कर सकते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यह नहीं कि हम किसी को मान हानि कर सकते हैं या सावजनिक शांति को भंग कर सकते हैं। अधिकारों की कल्पना कुछ उचित प्रतिबंधों के बिना नहीं की जा सकती।

चौथे, अधिकार और कतव्यों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त हो तो उसका कतव्य भी है कि वह दूसरों को भी उस अधिकार का उपयोग करने का अवसर प्रदान करें। यदि मुझे जीने का अधिकार है तो, मेरा कतव्य भी है कि मैं दूसरों को भी जीने दूँ। इसके साथ ही

व्यक्ति का कर्तव्य भी है कि वह अपने अधिकारो के प्रति भी जागरूक रहे। राज्य के आदेशों का पालन करते हुए अपने अधिकारो और कर्तव्यो के प्रति सचेत रहने से ही व्यक्ति, समाज और राज्य को उचित स्वरूप प्रदान कर सकता है।

पाचवे, राज्य का काम केवल अधिकारो को स्वीकृति प्रदान करता है। लास्की के अनुसार किसी राज्य की पहिचान इसी से ही होती है कि उसने किन अधिकारो को स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक देश में परिस्थितिया विभिन्न होती हैं। अतः राज्य द्वारा मायता प्राप्त अधिकारो के स्वरूप में भिन्नता होनी आवश्यक है। प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो मायता प्राप्त न होने पर भी वर्जित नहीं होते तथा कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो वैधिक होने पर भी नागरिक की पहुँच से परे रहते हैं।

छठे, अधिकारो का आधार नैतिक भी है। जो अधिकार नैतिक-दृष्टि से उचित प्रतीत होते हैं उन्हीं को राज्य और समाज द्वारा मायता प्रदान की जाती है। अनैतिक अधिकार मान्यता प्राप्त होने पर भी समाज में उचित अधिकारो का स्थान नहीं ले पाते।

आठवें, अधिकारो का अस्तित्व व्यक्ति के विकास के साथ राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भी है। एक लोकतन्त्रात्मक सरकार ही व्यक्ति को मत देने का अधिकार दे सकती है। इसी प्रकार अधिनायकतन्त्र या साम्यवादी सरकार बुढ़ापे और बेरोजगारी भत्ते का अधिकार देती है।

आठवें, अधिकार सब को समान रूप से दिए जाने चाहिए। असमान स्थिति पैदा करने वाले अधिकार अपना महत्व खो बैठते हैं। अधिकार का आधार समानता है और जहाँ तक हो सके समान परिस्थितियों में असमानता को दूर किया जाना चाहिये।

अधिकारो की प्रकृति के प्रति इन विशेषताओ के आधार पर इनकी कुछ परिभाषाएँ दी जा सकती हैं। बोसॉने के अनुसार "अधिकार वह माँग है जिसे समाज स्वीकार करता है तथा राज्य लागू करता है।"

याकर के अनुसार "अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित उस क्षमता का नाम है जिसके द्वारा समाज में सम्मान तथा कुछ कार्यों को करने की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है।" लास्की के अनुसार "अधिकार उन्हीं का है जिन्हें राज्य ने मायता प्रदान कर दी हो या समाज उन्हें मान्यता दिलाने में प्रयत्न में हो। ग्रीन के अनुसार "अधिकार जन कल्याण के लिये माँगी गई तथा मायता प्राप्त शक्ति है।" आमर का कहना है कि "अधिकारों का सम्बन्ध हितों से है। कानूनी दृष्टि से अधिकार वह हित है जिसे कानून मायता देता है और सुरक्षा प्रदान करता है।"

अधिकार के विभिन्न सिद्धांतों का विकास

अधिकार कोई आधुनिक युग की दन नहीं है। यह धारणा प्राचीन युग से ही चली आ रही है। हमें बहुत से ऐसे उदाहरण प्राप्त हात हैं जहाँ राजा और प्रजा में ऐसी ही कुछ सुविधाओं की प्राप्ति के प्रति मध्य चलता था। प्रजा सदा ही अपने अधिकारों के प्रति सचेत रही है। राजा के अधिक शक्तिशाली होने या अन्य किन्हीं परिस्थितियों के फलस्वरूप कुछ को जाग्रत होना नहीं दिया गया। परंतु यह स्थिति सदा ही यनी नहीं रह सकती थी। नागरिकों को सामाजिक अधिकार प्राप्त होते थे। "जाता की इच्छा" राज्य का आधार न होते हुए भी इन राज्यों में सुरक्षा तथा जीवन यापन के अधिकारों का होना आवश्यक था। ऐसे ही राजतंत्र के बहावर (टक्स) लगान से पहले जना या उसके प्रतिनिधियों का परामर्श लिया जाता था।

परंतु 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में व्यक्ति और समाज के पारस्परिक सम्बन्धों की विवेचना की जाने लगी तथा साथ ही अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति विभिन्न धारणाएँ भी सम्मुख आने लगीं। राजा का दावा था कि वह भगवा का अवतार है और उसकी आज्ञा का पालन करना जनता का कर्तव्य है। व्यक्तिवादियों का दावा था कि राजा का काम केवल सुरक्षा प्रदान करना है। व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप अनुचित है। आदर्शवादियों के अनुसार नति कता ही अधिकारों का आधार है। मार्क्सवादों राज्य को अधिकारों के रास्ते में स्थापित मानते हुए इस विषय की एजेंसी मानते हैं। इन सभी धारणाओं का उदय कब हुआ और इनकी विचारधारा क्या थी, इस पर विस्तार से विचार करना होगा।

प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत राजा के देवी अधिकारों का दाव से तग आकर कुछ विचारकों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन लेखकों ने यह माना है कि व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं जो किसी भी रूप में छीन नहीं जा सकते हैं। ये अधिकार प्राकृतिक हैं तथा मूलभूत हैं। ये अधिकार राजनीतिक, सामाजिक, नतिक प्राकृतिक तथा वैधिक दृष्टि से माय होने हैं। साक इस सिद्धांत के मुख्य विचारक थे। उनका सामाजिक समन्वय का स्वरूप इसी विचार पर आधारित है। अमेरिका का स्वतंत्रता सपना, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति, इन सभी की जड़ें प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में ही निहित थीं। 1791 में थॉमस पेन ने अपनी रचनाओं में इसी सिद्धांत का समर्थन किया था।

1 प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि समाज के सदस्य होने के नाते प्रकृति द्वारा मनुष्य को ये अधिकार प्रदान किये गए

समस्त साधनों से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और ये अधिकार गतिशील हैं अर्थात् कानून और राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आने पर इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण से राज्य अधिकारों को निश्चित करता है, सीमित करता है और उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। मेक्फारसन के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ है, अधिकारों का न होना अर्थात् अधिकार केवल कानूनी ही हो सकते हैं अन्यथा नहीं।

परंतु इस सिद्धान्त में भी हम अधिकारों का केवल एकाकी दृष्टिकोण ही दिखाई देता है और इस सिद्धान्त का प्रयोग करके राज्य ने पूरा सत्ता हासिल की और निरंकुश रूप धारण करना शुरू किया। अधिकार न तो प्रकृति की देन है और न राज्य की। इनका अस्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित है। राज्य का काम तो केवल उन्हें सुरक्षित करना है। अतः अधिकारों के प्रति किसी ऐसे सिद्धान्त की आवश्यकता थी जो व्यक्ति और समाज में उचित सम्बन्ध निर्धारित कर सके।

आदर्शवादी-सिद्धान्त

इस मत के विचारक अधिकारों के नैतिक पक्ष का अत्यंत महत्त्व देते हैं। ये अधिकार व्यक्तिगत सुविधा और विकास के लिये हैं, अतः व्यक्ति को ऐसे मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिये जो उसके व्यक्तित्व के विकास में पूरा सहयोग दें। अधिकारों का दुरुपयोग करने पर समाज मानव को सजा दे सकता है। ग्रीन के मतानुसार अधिकारों के शक्तियाँ हैं जो मनुष्य को नैतिक प्राणी होने के नाते प्राप्त होती हैं। वाट का कहना है कि "नैतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये कुछ अधिकार आवश्यक हैं। राज्य का काम वे परिस्फूर्तियाँ पैदा करना है जिनमें व्यक्ति नैतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके।" इस सिद्धान्त के विचारकों के अनुसार आत्म चेतना नैतिकता की प्राप्ति, स्वतंत्रता और समानता के लिये अधिकारों की आवश्यकता है, जो राज्य ही दे सकता है। इस प्रकार अधिकारों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक हित है और इस अर्थ में उन्हें कर्तव्यों से पृथक् नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा व्यक्ति को सुरक्षा तथा व्यक्तित्व के विकास के लिये उचित परिस्थितियों की प्राप्ति होती है अतः व्यक्ति को चाहिये कि वह भी राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को जाने और उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करे। हेगल का कहना था कि समाज का सदस्य होने के नाते ही व्यक्ति को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्राप्त होती है। राज्य में ही व्यक्ति अपने बाह्य व्यक्तित्व को ऊँचा करके अपने आदर्शों की पूर्ति कर सकता है। इस स्वतंत्रता की अनुभूति, समाज में (1) कानून द्वारा (2) समाज द्वारा प्राप्त नैतिक मूल्यों द्वारा

तथा (3) सामाजिक सस्याओं द्वारा जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, होती हैं। रूसो ने भी राज्य को व्यक्तियों की "सामाय इच्छा" का प्रतिनिधि मानते हुये कहा है कि राज्यों की सत्ता इसी इच्छा पर निर्भर है। यह इच्छा व्यक्तियों की अपनी इच्छा है जो समाजकल्याण की भावना से प्रेरित होती है। अतः इसी इच्छा द्वारा नियंत्रित होने से ही व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है। और अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर सकता है। राज्य की सत्ता इसी जन कल्याण की इच्छा को नियमित करने की इच्छा है।

यह सिद्धान्त राज्य के आदर्श स्वरूप और व्यक्ति तथा समाज के वास्तविक सम्बन्धों की व्याख्या नहीं करता। परन्तु इस पर भी इससे स्पष्ट होता है कि अधिकार कुछ ऐसी मांगें हैं जिन्हें राज्य उचित समझकर प्रदान करता है। यह सिद्धान्त व्यक्ति को बताता है कि सभी मानव समान हैं और राज्य उनकी भलाई के लिये है।

उदारवादी-सिद्धान्त

उदारवादी सिद्धान्त का जन्म यूरोपीय समाज में बढ़ते हुये राजतन्त्र, सामन्तशाही और निरकुशता इत्यादि तत्वों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में हुआ। इस धारणा का जन्म किसी निश्चित तथा क्रमबद्ध रूप में नहीं हुआ। इस सिद्धान्त का आधार हमें लोकतन्त्रवाद तथा व्यक्तिवाद दोनों में ही प्राप्त होता है। यह तो स्पष्ट था कि अधिकारों का अस्तित्व मानव कल्याण के लिये है। व्यक्तिवादियों का दावा था कि राज्य, समाज और व्यक्ति की भलाई के लिये है और व्यक्ति की भलाई के उद्देश्य के लिये राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिये। अधिकारों का स्वरूप मानवतावादी होने के नाते ये अधिकार बग के लिये लाभदायक तथा उपयोगी होने चाहिये। इसका अर्थ यह नहीं कि अल्प सक्षम वर्गों को अधिकारों की सुविधा प्राप्त न हो पाये। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारों की आवश्यकता अपनी भलाई के लिये होती है और किसी एक व्यक्ति का अधिकार दूसरों के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिये। उदारवादी मनुष्य को समाज में एक स्वतंत्र इकाई मानते हैं। व्यक्ति जन्म से समान होते हैं। अर्थात् जन्म के आधार पर किसी से भी भेद भाव नहीं किया जाना चाहिये।

इस सिद्धान्त के मुख्य विचारक लॉक, मिल, जेफरसन, मेवाइवर, लास्की तथा ग्रीन इत्यादि हैं। लास्की के अनुसार भी "लोक कल्याण ही अधिकारों का आधार है।" ये शब्दक इस विचार को आधार मानकर चलते हैं कि मानव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। वे ऐसे किसी प्रकार के बंधन नहीं

चाहत जा इस व्यक्तित्व के विकास में बाधा डालते हो। उदारवादी राज्य की निरंकुश सत्ता के विरोधी हैं। उन्होंने निरंकुशता के विरुद्ध राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग है। राजनीतिक सत्ता किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासक को दी जाती है। अतः इस सत्ता का दुरुपयोग करने का शासक को कोई अधिकार नहीं है। अधिकार पूर्ण अधिकार है और शासक इन पर अनुचित बंधन नहीं लगा सकते। पाप के आधिपत्य का भी उदारवादी विरोध करते हैं। मेकाइवर का कहना था कि राज्य को व्यक्ति के विचारों तथा मूल्यों की अभिव्यक्ति पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगाना चाहिये। लास्की ने कहा कि राज्य अधिकार प्रदान नहीं करता, अधिकारों का अस्तित्व राज्य से पूर्व ही था, राज्य का काम तो मात्र उन्हें मान्यता प्रदान करना है। इन लेखकों का विचार था कि जो सरकार व्यक्तिगत जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करती है, वही सर्वोत्तम है। व्यक्ति अपने विवेक के प्रयोग द्वारा अपना जीवन अधिक सुखी बना सकता है। अतः राज्य को निजी जीवन की ओर ही छाना नहीं देना चाहिये। जिनकी अधिक शक्ति केन्द्रित करने का राज्य प्रयत्न करेगा उतना ही वह अधिकारों के रास्ते में बाधा बनगा।

उदारवादियों के अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकार जीवन की सुरक्षा, बीमारी लखन, धूमने संगठन इत्यादि बनाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त जिस अधिकार की मांग पर सबसे अधिक बल दिया गया वह है, सम्पत्ति का अधिकार। निजी सम्पत्ति द्वारा ही व्यक्ति, समाज, राज्य और अन्य शक्तियों का बलपूर्वक सामना कर सकता है। जान लाक, थामस पन इत्यादि ने सरकार की असमर्थता और अधमता पर उमस यह सत्ता छीन लेने का अधिकार भी व्यक्ति को दिया है।

अमेरिका तथा वर्तमान युग के अन्य देशों के संविधानों में सम्मिलित अधिकारों की सूची इन्हीं धारणाओं पर आधारित थी। इसी के आधार पर हम आज प्रायः सभी देशों में मजदूरों के निश्चित काम घंटे उनका 'यूनियन' बनाने, सामूहिक बीमारी और अक्षमता भत्ते, बच्चों और स्त्रियों की कठिन कामों में लगाने की मनाही, निजी सम्पत्ति, स्वतंत्रता समानता, राजनीतिक अधिकार तथा कानून या शासन इत्यादि व्यवस्थाएँ प्राप्त होती हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों का स्वरूप भी इसी प्रकार का है।

उदारवादियों के अनुसार अधिकारों की सुरक्षा के लिये राज्य का कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहियें। (1) अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिये। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त भी इसी विचार पर ही आधारित था। (2) प्रत्येक राज्य का एक लिखित संविधान होना चाहिये जिसमें अधिकारों का स्पष्ट और विस्तृत वर्णन किया जाए। (3) निष्पक्ष न्यायालय की

व्यवस्था की जाए। (4) नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत विकास के रास्ते में कम से कम रुकावटें डाली जाएं। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि (5) व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे, राज्य के धार्यों की निगरानी करते दृष्टे राज्य को कभी अनुचित हस्तक्षेप की अनुमति न दे।

यह सिद्धान्त अत्यधिक लोकप्रिय हुआ और बहुत समय तक राजनीति का एक मुख्य आधार बना रहा। राज्य और समाज के सम्बन्ध स्पष्ट और निश्चित थे। और राज्य लोक कल्याण का साधन मान लिया गया था। राज्य का अस्तित्व समाज और व्यक्तियों के लिए है, व्यक्ति का राज्य के लिए नहीं। परन्तु अत्यधिक सुख की कल्पना से भी समाज में स्वार्थी और आतंकवादी तत्वों का भय रहता है। जब राज्य के विरुद्ध विद्रोह की अनुमति प्राप्त हो जाती है तो राज्य की स्थिरता निश्चित नहीं रह सकती। सरकार का अधिक ध्यान लोक-कल्याण की ओर न होकर अपनी स्थिति सुरक्षित करने की ओर लगा रहता है। इसके अतिरिक्त इस विचारधारा से किसी एक विशेष वर्ग को ही लाभ होता है, यह विशेष वर्ग है पूँजीवादी वर्ग। निजी सम्पत्ति के कारण अमीर और गरीब में अंतर बढ़ता है। एक वर्ग को सभी सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं जबकि अन्य वर्ग अत्यधिक पिछड़ेपन की स्थिति की ओर अग्रसर रहता है। इसमें सन्देह नहीं कि अत्यधिक समय तक इस सिद्धान्त को मान्य सिद्धान्त का पद मिला और आज हमारे मूलभूत अधिकार, जैसे कि—जीवन का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वतंत्रता, शिक्षा, धर्म विचार—अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि सभी अधिकार इसी सिद्धान्त की ही देन हैं। समय के साथ उदारवादी विचारधारा में भी परिवर्तन आता रहा। अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों पर भी बल दिया जाना लगा। लास्की ने सम्पत्ति के अधिकार की आवश्यकता के साथ निजी लाभ और एकाधिकार की बुराइयों पर भी प्रकाश डाला। लास्की ने इन बुराइयों को किसी भी प्रकार से दूर करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कम से कम वतन और आवश्यक सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार है। उत्पादन का उद्देश्य, निजी लाभ अजन नहीं बल्कि, जन कल्याण होना चाहिए। लास्की ने दास प्रथा को भी अनतिक माना। इस दृष्टि से लास्की पर उभरती हुई समाजवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

अधिकारों का भावमतादी सिद्धान्त

भाषर्स ने अलग में अधिकार के किमी सिद्धान्त को प्रतिपादित नहीं किया। परन्तु अधिकारों के प्रति उनकी धारणा का परिचय उनके लोक्तंत्र और

राज्य से सम्बन्धित विचारों से मिलता है। इस विषय में माक्स, एंजैल्स, लेनिन इत्यादि के विचार विचारणीय हैं। उनके अनुसार किसी समाज में अधिकारों का स्वरूप और चरित्र उस समाज की उत्पादन व्यवस्था पर निर्भर है। अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता, इत्यादि सभी का सम्बन्ध उत्पादन की व्यवस्था से है। अधिकार न तो कानूनी है, न प्राकृतिक—ये तो ऐतिहासिक विकास की एक निश्चित दिशा में वग सघष की देन हैं। अधिकारों की धारणा पूँजीवादी विश्व की धारणा है। प्रत्येक समाज दो वर्गों में विभाजित रहता है। जिस वर्ग का प्रभुत्व होता है अधिकार वास्तव में उसी के पास होते हैं। प्रारम्भिक समय में जब दाम प्रया प्रचलित थी तो यह विभेद स्पष्ट था। सभी अधिकार मालिकों को प्राप्त थे। अतः इन अधिकारों को समाज की अथर्वव्यवस्था से हटकर नहीं देखा जा सकता है। पूँजीवादी व्यवस्था में चाहे प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए भी जायें तो भी मजदूर वर्ग को अधिकार केवल नाम मात्र ही प्राप्त होंगे, वास्तविक नहीं। यह स्पष्ट करने के लिए इतना ही बताना पर्याप्त होगा कि सम्पत्तिहीन को समाप्ति के अधिकार का क्या लाभ। इसी प्रकार स्वतन्त्रता के अधिकार का एक भूले व्यक्ति का क्या लाभ हो सकता है ?

माक्सवादी में व्यक्ति और समाज के हित में कोई अंतर नहीं माना जाता। समाज से बाहर और समाज के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं हो सकते। माक्सवाद के अनुसार त्रासि द्वारा वर्ग विभाजन को समाप्त कर देने पर उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा। उत्पादन के साधनों का प्रयोग लाभ के लिए नहीं बल्कि, जनकल्याण के लिए किया जाएगा। इसी प्रकार के समाज में ही व्यक्ति हित और समाज हित एक ही होंगे और अधिकारों का प्रयोग सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक प्रवृत्तियों के विकास के लिए करेगा।

माक्सवादी सिद्धांत मूल रूप से राज्य विरोधी है। राज्य सदा ही शासक वर्ग के द्वारा शोषण का साधन ही रहा है। लोकतन्त्र के समानता के उच्च आदर्शों केवल धोखा है जिनकी आड़ में मजदूर का शोषण किया जाता है। राज्य द्वारा शोषण व्यवस्था के उपकरण भी छोड़े हैं अतः नाम में अधिकार दिए जाने पर भी आम जनता उनका उपयोग नहीं कर पाती। लास्की ने कहा कि 'किसी भी व्यक्ति को धन, विद्या व पद प्राप्त करने की मनाही नहीं है लेकिन वास्तविकता यह है कि इन सुविधाओं को प्राप्त करने के साधन न के बराबर हैं।' इस स्वरूप में माक्स का कहना है कि अधिकार दे देना ही काफी नहीं, इनके उपयोग के लिए सामाजिक परिस्थितियों को पैदा करना भी आवश्यक है। ये परिस्थितियाँ वर्ग विभाजित सघष में सम्भव नहीं हो सकतीं। इनकी सहायता केवल समाजवाद में ही है। जब तक निजी सम्पत्ति, शोषण, असमान अधिकार इत्यादि रहेंगे सामाजिक अधिकारों का अस्तित्व नहीं हो सकता। ●●

